राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 06] चौदहवीं विधान सभा के छठे सत्र का तीसवां दिवस [संख्या: 18

मंगलवार,

29 मार्च 2016

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: राम-राम सा। नमस्कार।

प्रश्न काल। श्री ज्ञानदेव आहूजा।

अलवर में तिजारा फाटक पर बने आर.ओ.बी. के निर्माण में अनियमितताएं

373. **श्री ज्ञानदेव आहूजा** (रामगढ़): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि आर.एस.आर.डी.सी. के अधिकारियों द्वारा अलवर जिले में तिजारा फाटक पर आर.ओ.बी. निर्माण में ठेकेदार के साथ मिलकर लाखों रुपये का गबन किया गया है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि ठेकेदार को फायदा पहुंचाने के लिए आर.ओ.बी. की लम्बाई घटाकर 887 मीटर के स्थान पर 813 मीटर कर दी गई, जिससे वाहनों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच सी-ग्रेड की पाये जाने के बाद उक्त आर.ओ.बी. का निर्माण कार्य यू.आई.टी., अलवर द्वारा रुकवाकर ठेकेदार एवं आर.एस.आर.डी.सी. के अधिकारियों द्वारा पुन: जांच करवाकर उक्त निर्माण को ए-ग्रेड का घोषित करवा दिया गया था? यदि हां, तो सरकारी मशीनरी के इस भ्रष्टाचार के लिए ठेकेदार एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

(4) क्या यह सही है कि उक्त आर.ओ.बी. पर निर्माण के कुछ माह बाद ही रोड धंस गयी एवं दरारें आ गईं, जिसकी अधिकारियों के द्वारा मरम्मत कराई गई? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उक्त ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट कर सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री युनुस खान): (1) आर.ओ.बी. तिजारा फाटक के निर्माण कार्यों से सम्बन्धित प्रकरण संख्या 348/2011 श्री सुकेश माथुर व अन्य के विरुद्ध वर्तमान में माननीय न्यायालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर में विचाराधीन है, जिसमें तीन अधिकारियों व दो ठेकेदारों के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज की गई (परिशिष्ट-1) एवं चालान पेश होने के बाद वर्तमान में माननीय न्यायालय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर में वाद चल रहा है। प्रकरण में वर्तमान में गवाहों के बयान चल रहे हैं और आगामी तारीख पेशी दिनांक 07.04.2016 नियत है।

(2) जी नहीं। ठेकेदार को भुगतान आइटमवाइज किया जाता है, ना कि आर.ओ.बी. लम्बाई से। अतः आर.ओ.बी. एप्रोच की लम्बाई घटने से ठेकेदार को कोई फायदा नहीं पहुंचाया गया है।

यह सही नहीं है कि आर.ओ.बी. की लम्बाई घटा दी गई, जबकि दोनों तरफ के एप्रोच में मंदिर होने के कारण एप्रोच निर्माण कार्य उपलब्ध भूमि में कर दिया गया, जिसमें अलवर साइड में स्लोप आई.आर.सी. के मापदण्ड के अनुसार सही है, जबकि तिजारा साइड की एक लेन में मंदिर होने के कारण स्लोप लगभग शुरू के 20 मीटर लम्बाई में मानक स्तर के अनुसार नहीं है, जिसके कारण आमजन को थोड़ी असुविधा होती है, तथा दूसरी लेन में स्लोप सही है।

(3) जी नहीं। यू.आई.टी. के अधिकारियों द्वारा टैस्ट रिपोर्ट में कार्य की गुणवत्ता को सी-श्रेणी का बताया था, परन्तु उसी समय के आर.एस.आर.डी.सी. की टैस्ट रिपोर्ट गुणवत्तापूर्वक थी। इस विरोधाभास को देखते हुए जिला कलेक्टर अलवर की अध्यक्षता में दिनांक 20.6.2010 को बैठक हुई, जिसमें निर्माण कार्य की जांच तीसरी स्वतंत्र एजेंसी एम.एन.आई.टी. जयपुर से कराने का निर्णय लिया गया, जो परिशिष्ट-2 पर सम्मिलित है। एम.एन.आई.टी. की जांच रिपोर्ट में टैस्ट रिपोर्ट मानक स्तर पर पाये गये। (परिशिष्ट-3 पर है।)

(श्री युनुस खान)

(4) जी नहीं। उक्त आर.ओ.बी. का कार्य माह जुलाई 2013 में पूर्ण होने पर यातायात के लिए खोल दिया गया था, जिस पर आज तक यातायात सुचारु रूप से संचालित है।

मुख्य परियोजना प्रबंधक, आर.एस.आर.डी.सी. की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा दिनांक 8.11.2014 को इस ब्रिज का निरीक्षण किया गया, जिसकी रिपोर्ट संलग्न परिशिष्ट-4 पर है।

(5) आर.ओ.बी. तिजारा फाटक के निर्माण कार्य से सम्बन्धित प्रकरण संख्या 348/2011 श्री सुकेश माथुर व अन्य के विरुद्ध वर्तमान में माननीय न्यायालय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर में चल रहा है, जिसमें गवाहों के बयान हो रहे हैं तथा ठेकेदारों को नोटिस दे दिया गया है तथा उनका फाइनल बिल का भुगतान भी अभी तक नहीं किया गया है। विचारणीय वाद के निर्णय के पश्चात् ठेकेदार व अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किये जाने का विचार रखती है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक। माननीय आहूजा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह उत्तर संतोषजनक नहीं है। इस ब्रिज की लम्बाई, आर.ओ.बी. 887 मीटर है और बनाया गया 813 मीटर; 74 मीटर कम की गई। इतना ही नहीं है, इस ब्रिज का उद्घाटन किया और जो अधिकारी इसमें लिप्त हैं, जिन्होंने बाद में एम.एन.आई.टी. से वेरिफिकेशन करवाकर ए-ग्रेड का सर्टिफिकेट दिया। असल में अपराधी वे तीन अधिकारी हैं। तत्कालीन कांग्रेस की सरकार माननीय अशोक गहलोत साहब के दबाव में, चूंकि उनको आनन-फानन में रेवड़ियां बांटनी थीं, पताशे बांटने थे और इस पुल का उद्घाटन करना था, आनन-फानन में इस पुल का उद्घाटन किया गया। तीनों अधिकारियों के दस्तखत करके एम.एन.आई.टी. की रिपोर्ट पेश की गई है। ये तीनों केन्द्रीय अधिकारी, जो इसके चीफ इंजीनियर, अधीक्षण इंजीनियर, ये तीनों अधिकारी इसमें लिप्त रहे।

आप उस पुल को अगर देखेंगे, उस पुल पर आप में से कोई भी सदन का सदस्य, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके साथ कोई भी मंत्री जाएं, तो वह पुल आप देखेंगे, जैसे मोतिया खान के कबाड़खाने से लाकर वहां फिट किया गया। इस बात को हमारे प्रभारी मंत्री, सारे एम एल ए मानते हैं।...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न कीजिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): मैं यह पूछना चाहता हूं कि इसकी 74 मीटर लम्बाई कम क्यों कर दी गई? इसकी समयावधि कितनी थी, कितनी समयावधि में बनना चाहिए था? इसको साढ़े तीन साल लेट क्यों किया गया? जब यू.आई.टी. ने इसको सी-ग्रेड का सर्टिफिकेट दिया, तो ए-ग्रेड का सर्टिफिकेट कैसे हो गया?

एईएन और एक्स ईएन, ठेकेदार के खिलाफ आप कार्यवाही कर रहे हैं, ए सी बी की कार्यवाही आप कह रहे हैं, यह कार्यवाही ऊपर के एस. ई. और ये तीनों अधिकारी हैं, तीनों अधिकारी, सी बी गुप्ता, श्री मुनव्वर अली, श्री जे के मखीजा, यह मुख्य परियोजना प्रबंधक हैं, यह चीफ इंजीनियर है और एक महाप्रबंधक है, आर.एस.आर.डी.सी. लिमिटेड के, इन तीनों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने जल्दबाजी करके इस पुल का उद्‌घाटन तत्कालीन मुख्य मंत्री माननीय अशोक गहलोत साहब से करवाया।

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): यह बिलकुल कबाडखाना है, किसी भी समय टूट सकती है।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। जवाब आने दीजिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): 6-6 बार इसकी मरम्मत हुई है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को यह कहना है कि जब यू.आई.टी. ने सर्टिफिकेट दिया, तो ए-ग्रेड इसको रातों रात कैसे कर दिया? एक बात। दूसरा, इसकी लम्बाई कम क्यों कर दी गई? तीसरा, ए सी बी की कार्यवाही में इन तीन बड़े अधिकारियों, सी बी गुप्ता, मुनव्वर अली और जे.के. मखीजा, इन तीन के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं हुई? अब भी अगर आप जोड़ सकते हैं, तो ए सी बी...

श्री अध्यक्ष: अब विराजिए आप। जवाब आने दीजिए। दो-दो बार रिपीट कर दिया आपने। माननीय मंत्री महोदय, जवाब दीजिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): इसमें स्लिप लेन क्यों नहीं है? एक बात। लम्बाई कम क्यों कर दी गई? दूसरी बात। तीसरी बात, ...

श्री अध्यक्ष: आप ये तीनों बातें तीसरी बार कह रहे हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): तीसरी बात, मेरा आपको यह कहना है कि इन तीन अधिकारियों का इस एफ.आई.आर. में नाम जोड़ेंगे, या नहीं? यह बताएं।

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय रामगढ़ से आने वाले सदस्य ने जो मुद्दा उठाया है, उस सम्बन्ध में मुझे इतना ही कहना है कि 2007 में यू.आई.टी. ने मूलतः इसकी स्वीकृति जारी की। जिस समय इसका लगभग 19 करोड़ रुपये की लागत का एस्टिमेट बना, उसमें प्रथमतः 13.23 करोड़ की प्रशासनिक और तकनीकी स्वीकृति यू.आई.टी. और राज्य सरकार ने जारी की। उसके पश्चात् इसका रिवाइज्ड एस्टिमेट बना, वह लगभग 20.55 करोड़ रुपये की लागत का बना।

प्रारम्भ में इसकी लम्बाई, यह बात सही है कि 887.12 मीटर की लम्बाई के हिसाब से एस्टिमेट बना लेकिन उसको फिर रिवाइज करके 812 मीटर भी कर दिया गया, लेकिन वह 812 मीटर भी नहीं बना। वह आज की तारीख में 773.39 मीटर बनकर तैयार हुआ है।

इसमें बहुत सारे ज्ञापन भी हुए, धरने भी हुए, मामला हाई कोर्ट में भी गया और ए सी बी में एफ.आई.आर. भी हुई। ए सी बी में एफ.आई.आर. हुई और जिन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही आज की तारीख में, एफ.आई.आर. संख्या 348/2011 में 20.9.2011 को ए सी बी थाना अलवर ने दर्ज की। उसमें जो अधिकारी थे, उनमें से सुकेश माथुर तो सस्पेंड चल रहे हैं, वे जेल भी गये हैं; आशीष शर्मा की डैथ हो गई; एक संत लाल थे, वे भी रिटायर हो गये। संवेदक अनिल सिंह पांच दिन जेल में रहकर आया; दिनेश गुप्ता चार दिन जेल में रहकर आया। इसका मतलब, इसमें गड़बड़ तो हुई है।

माननीय रामगढ़ से आने वाले सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की है, वास्तव में सही है; वहां पर जिस तरीके का निर्माण होना चाहिए था, उस कैटेगरी, उस गुणवत्ता का निर्माण नहीं हुआ। उसकी जांच अलग-अलग तरीके से हुई। उस समय पहली जांच वहां स्थानीय यू.आई.टी. ने अपने स्तर पर कराई, जिला कलेक्टर ने। उसके बाद उसकी रिपोर्ट, आपने खुद ने ही बताया, सी-ग्रेड आई। उसके बाद आर.एस.आर.डी.सी. ने उसकी जांच की, उन्होंने उसकी गुणवत्ता ठीक बताई। जब दोनों की विपरीत जांच आईं, तो जिला कलेक्टर ने एम.एन.आई.टी. की एक टीम बनाकर जांच की; उन्होंने रिपोर्ट दे दी।

(श्री युनुस खान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, कुल मिलाकर, इसकी लम्बाई, इसकी गुणवत्ता को लेकर माननीय सदस्य ने आशंका व्यक्त की है। मैं भी इस बात से, मैंने इस पूरी पत्रावाली को पिछले दो दिन में देखा है, मैं भी संतुष्ट नहीं हूं कि इसकी लम्बाई पहले ज्यादा ली, फिर कम की गई। फिर उसमें भी संशोधन हुआ, फिर कम निर्माण हुआ। फोर लेन में एक साइड में फिर कम हुई।

इसकी गुणवत्ता, अतिक्रमण, इन सब चीजों को देखते हुए, एक उच्च स्तरीय कमेटी से जांच करवाकर, इसमें कोई भी व्यक्ति दोषी होगा, किसी भी स्तर का, उसके खिलाफ हम निश्चित रूप से कार्यवाही करेंगे। मैं आज आपकी मांग पर यह घोषणा करता हूं कि हम एक उच्च स्तरीय, चीफ इंजीनियर रैंक के अधिकारी और अन्य यू.आई.टी. का भी एक अधिकारी इसमें लेंगे, अन्य सक्षम अधिकारियों को लेकर इसकी जांच करवाएंगे। जल्दबाजी में कोई गलत काम हुआ है, तो उसको दुरुस्त करवाएंगे और कोई दोषी है, तो उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्षः आ गया पर्याप्त जवाब। और कुछ? एक और पूछ लीजिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, ए सी बी से कार्यवाही हुई, इसका मतलब, बू तो आई, बदबू आई इसमें से भ्रष्टाचार की। माननीय मंत्री महोदय ने भी स्वीकार किया है। मैं इसमें समयावधि चाहता हूं। इस जांच को कब तक कर लेंगे? कब तक, पूरी करके, तीनों अधिकारियों को भी सज़ा के साथ जोड़ेंगे?

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज की तारीख से लेकर जिस दिन भी 90 दिन पूरे होंगे, उससे पहले जांच कर लेंगे और जिसके भी खिलाफ होगी, कार्यवाही कर देंगे।

श्री अध्यक्षः पूरक प्रश्न। श्री जयराम जाटव। इसी से सम्बन्धित करना। आप अलवर के ही हों।

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण): हां, इसी के सम्बन्ध में।

यह गांव से, ग्रामीण से शहर के अन्दर आने के लिए, सुविधाओं के लिए ब्रिज बनाये जाते हैं। आर.ओ.बी. का जो ब्रिज बना, पुल बना, ऊँट जो जानवर होता है ना, उसकी ऊंची-नीची जो कमर होती है, इस तरह का बना है। बड़े दुःख की बात है। उस पर अगर कोई आदमी, बुजुर्ग, जिसकी कमर में दर्द

(श्री जयराम जाटव)

हो और वह उसकी गाड़ी में बैठकर चला जाये, तो वह वहीं ठीक हो जायेगा। इतना खराब है।

दूसरा मेरा निवेदन है कि वह जब ग्रामीण से शहर की तरफ लोग आते हैं, उस ब्रिज पर चढ़ते हैं, तो एकदम उसकी इतनी चढ़ाई है कि वह गाड़ी चढ़नी मुश्किल है।

वहां अभी चार दिन पहले दुर्घटना में तीन जवानों की मौत हो गई। उसकी बगल में एक मंदिर का रूप देकर एक तिबारे का निर्माण कर रखा है, किन्हीं अवैध लोगों ने।

श्री अध्यक्ष: सीधा सवाल कीजिये, सीधा।

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण): मैं अध्यक्षजी के माध्यम से माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं और यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो साइड में मंदिर के रूप में, तिबारे के रूप में मंदिर का रूप बनाकर वहां रख रखा है, उससे आये दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। उस पर रास्ता नहीं बचा; सकड़ा है। इसके अलावा, जो बिलकुल चढ़ाई है, उसको आगे बढ़ाने का क्या प्रयास, क्या मन है? करवाना चाहते हों, या उस तिबारे को ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराजिये। विराजिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि इस पुल में कोई न कोई त्रुटि तो है और वहां पर एक साइड में, तिजारा साइड में मंदिर भी निर्मित हो रखा है। उसकी वजह से इसके जो स्लोप का मानक था, उसको थोड़ा चेंज किया गया। उसकी वजह से, जिस तरह की आशंका आपने व्यक्त की है, माननीय सदस्य ने, उसी तरीके का इसका निर्माण हुआ है।

अब चूंकि मैंने इसमें जांच की भी घोषणा कर दी, इसके वापस सुधार भी करने की हमारी योजना है। अतिक्रमण है, उसको भी हटा करके, जो यह टेक्निकल खामी रह गई, उसको हम दूर करेंगे। यह मैं आपके माध्यम से विश्वास दिला रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर दो। रामहेतसिंहजी।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं। पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं, इस सारे प्रकरण की आपने उच्च स्तरीय जांच का

(श्री रामहेत सिंह यादव)

आदेश दिया है, आप 90 दिन में इसकी जांच करा देंगे। मैं आपको खुले मन से, वहां के रहने वालों की तरफ से आपको बधाई देता हूं, जो इसके लिए संघर्ष कर रहे थे। मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जो जांच है, उसमें चूंकि यह पैमाइश का मामला भी आयेगा और दोनों तरफ स्लिप लेन, तीन साल से यह फ्लाई-ओवर चालू है, दोनों तरफ स्लिप लेन का आज तक भी काम नहीं हुआ। घटिया है, उसकी जांच कराएंगे। तो क्या इस जांच में ई.डी.एम. मशीन से, एक संयुक्त टीम भी इसके साथ बना करके, जो पी.डबल्यू.डी. की जमीन पर कब्जा है, दोनों तरफ, क्या उसको भी इन 90 दिन में हटवाने का, मैं आपसे आग्रह करता हूं, ऐसा आदेश उस जांच में सम्मिलित करेंगे क्या?

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री महोदय।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): आपका क्या है? (व्यवधान)

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): मेरा घर है। मैं सबसे ज्यादा परेशान हूं उससे। इसीलिए तो मैं जांच कराना चाहता हूं। (व्यवधान) जिसका भी अतिक्रमण है, वह टूटना चाहिये।

श्री अध्यक्षः हस्तक्षेप नहीं करें। नहीं, नहीं, नहीं। (व्यवधान) अंकित नहीं।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): ×××

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): ×××

श्री अध्यक्षः हस्तक्षेप नहीं करें। (व्यवधान) बैठिये। यह नहीं। ऐसे नहीं चलेगा। (व्यवधान) ऐसे नहीं चलेगा।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): ×××

श्री अध्यक्षः ऐसे नहीं चलेगा। विराजिये। (व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): ×××

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): ×××

श्री अध्यक्षः मंत्री महोदय, रामहेतसिंहजी का उत्तर दीजिये आप।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): ×××

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): ×××

श्री अध्यक्षः बैठो। बैठो। बैठो।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): रामहेतजी, विराजो। विराजो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप भी शांत रहिये, आप भी शांत रहिये। मंत्रीजी का जवाब सुनिये।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, किशनगढ़बास से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात उठाई, रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात उठाई और अलवर ग्रामीण से आने वाले माननीय सदस्य, तीनों ने ही बात उठाई; मैंने स्पष्ट कहा है कि इसमें निष्पक्ष रूप से उच्च स्तरीय और टेक्निकली जिन-जिन मशीनों की जरूरत होगी, उनके माध्यम से इसकी जांच करा कर दुरुस्त करेंगे।

क्योंकि मानव जीवन हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लोगों की सुविधा के लिए पुल बनाये जाते हैं, न कि लोगों को असुविधा हो। इसलिए जनता को जिसमें सुविधा हो, जनता सरलता से, सुगमता से, आराम से आ-जा सके, दुर्घटना की सम्भावना कम हो, चाहे उसमें स्लिप लेन बनानी हो, सर्विस लेन बनानी हो, या अन्य फैसिलिटी या यूटिलिटी को शिफ्ट करना हो, तो उसको करेंगे। इसकी नये सिरे से जांच करके, तकनीकी रूप से इसको साउण्ड बनाएंगे।

जो शिकायत पीछे रह गई, तो मैं तो बानसूर से आने वाली माननीय सदस्या से भी निवेदन करूंगा कि एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप नहीं लगायें। जो हमारे 2007 में स्वीकृत हुआ था, फिर इनके शासन में वह बना...

श्री अध्यक्ष: वह कह चुके आप। रिपीट मत कीजिये।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): कुछ त्रुटि रह गई, उस त्रुटि को दूर कर देंगे। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है।

श्री अध्यक्ष: श्री बनवारी लाल सिंघल। तीसरा पूरक प्रश्न।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): जो दोषी हों, उनको हटायें; पूरी लम्बाई बनाएं। मंत्री महोदय, मैं आपके साथ हूं।

श्री अध्यक्ष: आप इधर आ जाओ फिर। शकुन्तलाजी, इधर आ जाओ फिर, इनके साथ हो, तो।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं, क्योंकि भ्रष्टाचार तो इसमें साबित हो चुका, एफ.आई.आर. लॉज हो गई, लोग जेल चले गये; कोई

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

रिटायर हो गया, कोई मर गया। यू.आई.टी. ने जो सैम्पल लिया था, माननीय मंत्रीजी, मैं आपसे जानकारी चाहता हूं, जो यू.आई.टी. ने सैम्पल लिया और आर.एस.आर.डी.सी. ने सैम्पल लिया, क्या इन दोनों ने अलग-अलग समय पर सैम्पल लिया? यू.आई.टी. ने सी-ग्रेड बताया, आर.एस.आर.डी.सी. ने उसको मानक के अनुसार बता दिया। फिर एम.एन.आई.टी. से जब जांच कराई गई, तो भी मानक के अनुसार बता दिया। तो कहीं, यू.आई.टी. का, तत्कालीन राज के लोगों के साथ कहीं मिलीभगत का खेल तो नहीं था कि यू.आई.टी. ने उसको सी-ग्रेड बताया, फिर आर.एस.आर.डी.सी. ने उसको मानक के अनुसार बता दिया। सबसे बड़ी बात यह कि आपने अभी घोषणा की है, माननीय मंत्रीजी, आप इसको भी बता दीजिये, आपने घोषणा की है कि मैं एक अधिकारी उसमें यू.आई.टी. का भी लगा दूंगा। आप उसमें जो खुद चोरी के आरोप में शामिल हो चुके, जो सी-ग्रेड बता रहे हैं, उनको भी शामिल कर देंगे आप। तो अपने कुकर्मों को ढकने के लिए तो वे सबसे पहले ही काम करेंगे। इसमें कुकर्म इतने बड़े हो गये कि यू.आई.टी. के अधिकारी इसको सी-ग्रेड बता रहे हैं, फिर आर.एस.आर.डी.सी. उसको ए-ग्रेड बता रही है।

श्री अध्यक्ष: बैठिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): फिर एम.एन.आई.टी. ए-ग्रेड बता रही है। तो आखिर इसकी जांच तो करा लो कि कौनसी ग्रेड का था। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराजिये। विराजिये।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): अलग-अलग सैम्पल लिये, कि एक साथ सैम्पल लिये?

श्री अध्यक्ष: विराजिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): साथ में, मंत्रीजी, खासा कोठी वाला भी जवाब दे देना; खासा कोठी वाली पुलिया का भी।

श्री अध्यक्ष: बैठिये।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): ये मूसलचंदजी कहां आ जाते हैं बीच में? (व्यवधान) खासा कोठी कहां से ...(व्यवधान)..

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): दोनों के जवाब दे दूंगा मैं। विराजें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय सचेतक महोदय, जब आपकी मरम्मत ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बैठिये, आप पूछ चुके। (व्यवधान) आपस में बात नहीं करें। भागीरथजी, आपस में बात नहीं करें। नो। It is not allowed.

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने आशंका व्यक्त की है, मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि जब उच्च स्तरीय जांच होगी, बिलकुल निष्पक्ष होगी। चाहे वह यू.आई.टी. ने अपनी जांच रिपोर्ट गड़बड़ दी हो, चाहे आर.एस.आर.डी.सी. ने दी हो, एम.एन.आई.टी. ने दी हो, उन सबकी रिपोर्टस की भी जांच कर लेंगे और 2007 से लेकर 2015 तक इस प्रकरण में जिन-जिन की लिप्तता रही है, उन सबकी जांच हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): लक्षमणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि खासाकोठी वाला भी बता दो, तो मैं क्या कई चीजें ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, वह बताने की जरूरत नहीं है।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मैं बता देता हूं। पोलिटिकल बात है, पोलिटिकल जवाब ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं, प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): वह तो राजस्थान की जनता ने दे दिया उसका जवाब।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। मैं यह प्रवृत्ति प्रोत्साहित नहीं कर सकता। प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

प्रश्न संख्या-374

अगला प्रश्न। श्रीमती गोलमा, एब्सेंट।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

अगला प्रश्न। श्री शत्रुघ्न गौतम।

बीसलपुर-अजमेर पाइपलाइन का संधारण एवं संचालन

375. **श्री शत्रुघ्न गौतम** (केकड़ी): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी:-

(श्री शत्रुघ्न गौतम)

(1) बीसलपुर-अजमेर पाइपलाइन का संधारण एवं संचालन किस कम्पनी द्वारा किया जाता है? संधारण एवं संचालन करने वाले संवेदक के क्या-क्या कार्य हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या बीसलपुर-अजमेर पाइपलाइन के क्षतिग्रस्त होने पर संवेदक द्वारा कार्य किया जाता है? यदि हां, तो गत दो वर्षों में कहां-कहां व किस-किस जगह पाइपलाइन के लीकेज होने पर कितने समय में कार्य सम्पादन किया गया तथा पाइपलाइन के लीकेज पर कितना-कितना पानी व्यर्थ बहा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा बीसलपुर-अजमेर पाइपलाइन के क्षतिग्रस्त होने पर संवेदक पर कार्यवाही या उसको दी जाने वाली राशि में कटौती करने का प्रावधान है? यदि हां, तो दो वर्षों में संवेदक पर क्या कार्यवाही एवं कितनी राशि की कटौती की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि बीसलपुर-अजमेर पाइपलाइन शोकली पुलिया व करणी पेट्रोल पम्प के पास लीकेज होने पर पानी व्यर्थ बहा था? यदि हां, तो कब तथा कितना लीटर, व लीकेज को कितने समय में दुरुस्त किया गया तथा संवेदक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (श्रीमती किरण माहेश्वरी): (1) बीसलपुर वृहद् पेयजल परियोजना द्वितीय चरण अजमेर के निष्पादन एवं उसके पश्चात् परियोजना के प्रथम एवं द्वितीय चरण के 5 वर्ष के संचालन एवं संधारण कार्य हेतु मैसर्स नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड, गुड़गांव को दिनांक 20.12.2006 को कार्यादेश जारी किया गया। जारी कार्यादेश एवं स्कोप ऑफ वर्क के अनुसार अनुबंधक फर्म द्वारा मुख्य रूप से बीसलपुर बांध स्थित इन्टेक वेल पम्प हाउस से अलवर गेट, अजमेर तक की पी.एस.सी.सी./एम.एस. पाइपलाइन, बीसलपुर थड़ोली, केकड़ी, गोयला एवं नसीराबाद के पम्प हाउस तथा केकड़ी के फिल्टर प्लांट से सम्बन्धित समस्त प्रकार के संचालन एवं संधारण कार्य सम्पादित किये जा रहे हैं। अनुबंधक फर्म को जारी कार्यादेश एवं निविदा प्रपत्र के स्कोप ऑफ वर्क की प्रति क्रमशः परिशिष्ट-'अ' एवं 'ब' पर संलग्न हैं।

(2) जी हां। मार्च, 2014 से फरवरी, 2016 की अवधि में विभिन्न साइज की पाइपलाइनों में हुए 28 लीकेजों में से 27 लीकेजों की मरम्मत

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

अनुबंध में उल्लिखित मरम्मत अवधि में की गई। गोयला-नसीराबाद सेक्शन अन्तर्गत शोकली पुलिया के समीप लीकेज की मरम्मत निर्धारित अवधि में नहीं किये जाने के फलस्वरूप 14.90 मिलियन लीटर पानी व्यर्थ बहा। वांछित विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(3) जी हां। अनुबंध की शर्तो के अनुसार निर्धारित अवधि में पाइपलाइन की मरम्मत नहीं किये जाने पर अनुबंधक फर्म से अनुबंध की धारा बी (3) 1.5 के अनुसार वसूली प्रावधित है। मार्च, 2014 से फरवरी, 2016 की अवधि में अनुबंधक फर्म से व्यर्थ बहे पानी की कीमत के पेटे रुपये 1,49,000/- की राशि वसूली गई।

(4) जी हां। उपरोक्तानुसार गोयला-नसीराबाद सेक्शन अन्तर्गत शोकली पुलिया के समीप हुए लीकेज (दिनांक 15.02.2015 से 30.05.2015 तक) की मरम्मत निर्धारित अवधि में नहीं किये जाने के फलस्वरूप 14.90 मिलियन लीटर पानी व्यर्थ बहा।

दिनांक 30.05.2015 एवं 31.05.2015 को लिये गये शट-डाउन में उक्त लीकेज की मरम्मत में 27 घंटे 30 मिनट का समय लगा। अनुबंधक फर्म द्वारा तीन माह तक लीकेज मरम्मत नहीं करने के फलस्वरूप व्यर्थ बहे पानी की कीमत के पेटे उक्तानुसार रुपये 1,49,000/- की राशि फर्म से वसूली गयी।

(प्रतियां व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्री शत्रुघ्न गौतम (केकड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि जिलाधीश, अजमेर और विभाग के जवाब में सम्मिलित है, खण्ड-4 में 15.02.2015 से 30.05.2015 तक, यानी कि 105 दिन तक यह लीकेज रहा और 50 हजार लीटर पर-घंटे, जिलाधीश और विभाग मान रहा है कि 50 हजार लीटर प्रति घंटे के हिसाब से पानी व्यर्थ बहा, यानी कि 11 करोड़ 40 लाख लीटर पानी 105 दिन में व्यर्थ बहा, जिसका जुर्माना 1000 लीटर पर 10 रुपये है और विभाग ने मात्र 1,49,000/- रुपये इस कम्पनी पर जुर्माना लगाया है। 2005 से 2016 तक यह कम्पनी काम कर रही है, नागार्जुन कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, करोड़ों रुपये का भ्रष्टाचार और घोटाला इस कम्पनी के द्वारा किया गया है।

(श्री शत्रुघ्न गौतम)

मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाकर, कांग्रेस के लोग ही इस काम को कर रहे हैं और अभी भी नागार्जुन कन्स्ट्रक्शन कम्पनी का, यह समयबद्ध तरीके से इसकी जांच होनी चाहिए। क्या मंत्रीजी इसकी जांच उच्च स्तरीय कमेटी से करवाने की इच्छा रखती हैं? दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों को इसकी सज़ा मिलनी चाहिए, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदया।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, केकड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने जो विषय यहां पर, जो प्रश्न यहां पर उठाया था, उसमें यह बात हमने अपने उत्तर में दे दी है कि जो लीकेज हुआ है, उस लीकेज की हम लोगों ने, जितनी भी उनकी फाइनेंशली हम लोग पैसा उसके ऊपर चार्ज कर सकते थे, वह करने की कोशिश की है। लेकिन इसके अलावा भी यह मैं निश्चित रूप से उनको आश्वस्त करना चाहती हूं, आपके माध्यम से, कि इसमें 5 साल का जो कांट्रेक्ट हुआ है, यह 2011 में, पहला फर्स्ट फेज जो था, वह 2005 में पूरा, 2006 में पूरा हुआ था। माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं, सॉरी; फर्स्ट फेज 1995 में बीसलपुर से अजमेर शहर के 6 शहरों का हुआ था, जिसमें 6 शहर, किशनगढ़, नसीराबाद, केकड़ी, सरवाड़, ब्यावर और अजमेर, ये 6 शहर थे और यह 100 किलोमीटर की पी.एस.सी.सी. पाइप थी। सैकण्ड फेज, जिसकी इन्होंने शिकायत की है, यह कमीशन हुआ 2011 में और इसमें जो पाइप यूज़ किये, वे एम.एस. पाइप है। 121 किलोमीटर की यह पाइपलाइन इसमें डाली गयी। इसमें जितना भी, जो हम लोगों का स्टेट्यूटरी डिडक्शन करने के बाद में, डिडक्शन अगेंस्ट पूअर परफॉर्मेन्स जो हुआ है, वह सारा सब कुछ इसमें कैलकुलेट करके और इसके बाद में इस नतीजे पर आये हैं, कि हम लोगों ने 1 लाख 49 हजार का इनके ऊपर फाइन किया है।

लेकिन इसके बाद में भी, जैसी माननीय सदस्य की मंशा है कि इसमें एक उच्च स्तरीय समिति का गठन होना चाहिए, मैं भी इस बात को मानती हूं, क्योंकि हम लोगों ने इनको ओ. एंड एम. की सर्विसेज के लिए जो कांट्रेक्ट दिया है, उसमें जो पब्लिक सेटिस्फेक्शन जिस तरीके से होना चाहिए ओ. एंड

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

एम. के अन्दर, वह पब्लिक सेटिस्फेक्शन मिल नहीं रहा है। मैं भी जब अजमेर मीटिंग के अन्दर गयी, तो मैंने भी इस बात को महसूस किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो हमारे माननीय सदस्य वहां के विधान सभा क्षेत्र के हैं, उन लोगों ने, सबने इस बात की शिकायत, कहीं न कहीं यह आई थी। तो मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहती हूं कि हम एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करेंगे, इसकी पूरी जांच करेंगे और जो भी दोषी हमारे, यह जो कम्पनी है, जो भी पेनल्टी इनके ऊपर चार्ज होनी चाहिए, वह पेनल्टी पूरी तरीके से उनके ऊपर चार्ज होगी। यह कमेटी का जो रिजल्ट है, वह आने के बाद में, उसको भी मैं बता दूंगी कि किस तरीके से हम लोगों ने उस समिति का गठन करके, उसके ऊपर कार्यवाही करेंगे और जो भी दोषी कर्मचारी/अधिकारी, जो भी इसमें दोषी होगा, उनके खिलाफ भी कार्यवाही करेंगे और एक महीने के अन्दर-अन्दर इस पूरे रिजल्ट को हम लोग लेकर आएंगे।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न। श्री शत्रुघ्न गौतम।

श्री शत्रुघ्न गौतम (केकड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह ओ. एंड एम. है, ऑपरेशन एंड मेंटीनेंस, इसके अलग-अलग ठेके अजमेर जिले में हैं, कहीं पर एक लाइन का, कहीं पर दो लाइन का, और इसमें 12 लाख रुपये महीने का, 15 लाख रुपये महीने का, यह नागार्जुन कन्स्ट्रक्शन कम्पनी को बीसलपुर से पानी पहुंचाने का 30 लाख रुपये माहवार का ठेका और इतने 30 लाख रुपये मंथली देंगे और इतने लीटर पानी ये अजमेर पहुंचाएंगे, यह कभी नहीं पहुंचता है। वह जानता है कि अगर इतनी क्वांटिटी में पानी देंगे तो उसको लाइन का मेंटीनेंस करना पड़ेगा। तो मैं मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहता हूं कि ओ. एंड एम. के सारे ठेके निरस्त होकर, अजमेर जिले का ओ. एंड एम. का एक ही ठेका होना चाहिए। जो बंदरबांट हो रही है वर्षों से, यह बंदरबांट बंद होनी चाहिए। वास्तव में जनता तक पानी पहुंचे और आम जन के हित में काम हो। जिस तरह से हमारी मुख्य मंत्रीजी संवेदनशील हैं, मंत्रीजी संवेदनशील हैं, तो पानी नीचे तक गांवों में पहुंचे और इसमें जितने नीचे के जन-प्रतिनिधि हैं, उनके सिग्नेचर से, उनके हस्ताक्षर से ओ. एंड. एम. का पेमेंट होना चाहिए। ऐसी इच्छा रखते हैं क्या?

श्री अध्यक्ष: विराजिए। मंत्री महोदया।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): मुख्य मंत्रीजी भी संवेदनशील हैं और आपकी मंत्रीजी संवेदनशील हैं, तो फिर जरूरत ही क्या है आपको कहने की?

श्री शत्रुघ्न गौतम (केकड़ी): यह भाषण है, मलिंगाजी, आप ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदया, जवाब दीजिए। इधर ध्यान ही मत दीजिए आप।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को आपके माध्यम से मैं यह बताना चाहूंगी कि जो ओ. एंड एम. के कांट्रेक्ट्स हुए हैं, वह मेन ट्रांसमिशन के अन्दर तीन कांट्रेक्टर हैं हमारे; दो एन.सी.सी. हैं, एक सुरभि एग्रो कन्स्ट्रक्शन है। इसी तरीके से हमारा जो डिस्ट्रिब्यूशन है, उस डिस्ट्रिब्यूशन के लिए 14 कांट्रेक्टर्स को यीअरली कांट्रेक्ट दिया जाता है, जो डिस्ट्रिब्यूशन के अन्दर ओ. एंड एम. करते हैं।

जैसा कि इतने सारे कांट्रेक्टर्स होने से एक दूसरे के ऊपर आरोप-प्रत्यारोप होता है। मेन ट्रांसमिशन के अन्दर अगर लीकेज है, तो डिस्ट्रिब्यूशन वाले कहते हैं कि यह हमारी गलती नहीं है। इसलिए यह एक दूसरे के ऊपर आती है बात। तो इन्होंने यह ठीक सुझाव दिया है और हम यही, हम लोगों ने अपने आप में, हमारी पिछली मीटिंग में भी हम तय कर चुके हैं कि हम लोग इसको पूरा एक कांट्रेक्ट करेंगे और एक ही कांट्रेक्ट से, ताकि ट्रांसमिशन, मेन ट्रांसमिशन और डिस्ट्रिब्यूशन, सबका एक कांट्रेक्ट होने से वह पूरी तरीके से उसके ऊपर होल्ड हो पाएगा और ओ. एंड एम. करने वाला पूरी तरीके से जिम्मेदार भी ठहराया जाएगा। उसके बाद में वह किसी भी तरीके का, जो हम चाहते हैं कि पब्लिक सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, जनता उससे संतुष्ट हो कि हमें जो पीने का पानी मिल रहा है, वह अंतिम छोर तक, टेल एंड तक हमें पानी मिल रहा है, वह मिले। इसके लिए ही हम लोग यह पूरा एक कांट्रेक्ट करने का विचार रखते हैं। यह मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को इन्फार्म करना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष: बीसलपुर-अजमेर पाइपलाइन है। नारायण सिंहजी देवल, आपका सवाल क्या होगा इसमें?

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): यही है।

श्री अध्यक्ष: हां, पूरक प्रश्न कीजिए आप। इसी से सम्बन्धित।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): हां, इसी से सम्बन्धित। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से यह निवेदन करना

(श्री नारायण सिंह देवल)

चाहूंगा कि नागार्जुन कन्स्ट्रक्शन कम्पनी ने राजस्थान के कई स्थानों पर काम लिया हुआ है और वह काम अपने तय समय सीमा पर नहीं कर रही है। इसी तरह से जालौर में नर्मदा का जो पानी है, उसका भी टाइम पूरा हो गया है। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से यह जानना चाहूंगा कि इस कम्पनी के खिलाफ आप कोई कार्यवाही करने की मंशा रखते हैं या नहीं?

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): रानीवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कहा, वह इससे सम्बन्धित नहीं है। इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। उन्होंने सिर्फ नागार्जुन कम्पनी के बारे में कहा। (व्यवधान)

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): यह साउथ की सारी कम्पनियां पूरे प्रदेश में दस-दस, बीस-बीस कांट्रेक्ट लेती हैं। एक जगह पर ब्लैक-लिस्ट होती हैं, तो दूसरी जगह लेती हैं। इसका कहीं न कहीं सिस्टम बनाओ। आखिर राजस्थान की जनता इससे त्रस्त हो रही है।

श्री अध्यक्ष: शंकरसिंहजी, शंकरसिंहजी, इस तरह नहीं। इस तरह नहीं बोलते हैं। शंकरसिंहजी, परमिशन लेकर बोला करो। हां।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): ये जो कम्पनीज आई हैं, जो साउथ कम्पनीज हैं, वह आपको जानकर, यह सब सदन को मैं आपके माध्यम से, माननीय अध्यक्ष महोदय, बताना चाहूंगी कि ये कांट्रेक्ट्स सारे पूर्ववर्ती सरकार के समय के कांट्रेक्ट्स हैं।

अभी जो वर्तमान में इन्होंने प्रश्न किया, रानीवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने, वह नागार्जुन कन्स्ट्रक्शन कम्पनी के बारे में कहा, न कि बीसलपुर और अजमेर के पानी के विषय में कहा है। इनके यहां की भी अगर जो वृहत् पेयजल योजना है, वह डिलेड है और इस कम्पनी के द्वारा डिलेड है, तो उसके बारे में हम लोग जानकारी लेकर और उचित कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री हमीरसिंहजी भायल।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदयाजी को आपके मार्फत यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे बाड़मेर जिले की पोकरण-फलसूंड ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, यह नहीं, यह नहीं। बीसलपुर का है। सवाल बीसलपुर -अजमेर पाइपलाइन का है।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): पोकरण-फलसूंड, बीसलपुर की वही कम्पनी, वही कम्पनी। हुक्म, डिले है। वहां सिवाना, बालोतरा, बायतू, सब जगह वह, हुक्म, समय पर काम नहीं हो रहा है। यही निवेदन करना चाह रहा था।

श्री अध्यक्ष: बस, यह ठीक है। श्री रामलाल शर्मा। तीसरा पूरक प्रश्न। बैठिए आप। आप बैठिए। (व्यवधान)

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीया मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि बीसलपुर पेयजल योजना का, जयपुर जिले के कई विधान सभा क्षेत्र हैं जिनमें दूदू भी है, जिनमें सांभर भी है, इन सबको पेयजल योजना से जोड़ा गया है, लेकिन अभी भी जयपुर जिले के बगरू और चौमूं विधान सभा क्षेत्र इस पेयजल योजना से वंचित हैं। क्या भविष्य में इन विधान सभा क्षेत्रों को भी पेयजल योजनाओं से जोड़ने का विचार है?

श्री अध्यक्ष: विराजिए। बीसलपुर से ही सम्बन्धित है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): ये सभी प्रश्न, माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे सम्बन्धित नहीं हैं। बीसलपुर से जोड़ने के बारे में, बीसलपुर से हम लोगों ने अजमेर को जोड़ा है, हमने जयपुर को जोड़ा है। हम लोगों ने, ब्यावर तो अजमेर में आ ही गया, अजमेर जिले में आ गया; टोंक को हमने जोड़ा है। यह सब हम लोगों के काम बीसलपुर बांध से ही चल रहे हैं।

जहां तक सवाल है, इन्होंने अपनी तहसील का नाम लिया, पिछली बार भी मैं इनको आश्वस्त कर चुकी थी कि इसमें फंड की अवेलेबिलिटी के अनुसार हम लोग इसको लेंगे। अभी हमारी डी.पी.आर. बन रही है और डी.पी.आर. के अन्दर अगर हम इन तहसीलों को जोड़ सकेंगे, तो निश्चित रूप से हम जोड़ने का प्रयास करेंगे।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। विराजिये।

प्रश्न संख्या-376

अगला सवाल। श्रीमती अंजू देवी।

श्रीमती अंजू देवी। अनुपस्थित।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या-377

(श्री अध्यक्ष)

अगला सवाल करौली का, स्थगित।

(स्थगित)

अगला सवाल। श्री मनोज कुमार।

सहकारी संस्थाओं में स्टार्ट-अप्स को प्रोत्साहन करने की योजना

378. श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

सहकारिता आन्दोलन को तेज करने के लिए सहकारी संस्थाओं एवं संस्थाओं में इनोवेशन, स्टार्ट-अप्स, नवाचार, संस्था हित में नवोदित टेक्नोक्रेट्स व रिसर्चर्स की सेवाएं, आदि का उपयोग कर रोजगार एवं रेवेन्यू को प्रोत्साहित करने के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार की स्टार्ट-अप पॉलिसीज के तहत क्या कदम उठाये गये? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, सहकारिता (श्री अजय सिंह): जी हां। सहकारिता आन्दोलन को गतिशील व प्रभावी बनाने के लिए सहकारी संस्थाओं में समय-समय पर इनोवेशन व नवाचार लागू किये जाते हैं। माह अक्टूबर, 2015 में जारी राजस्थान स्टार्ट-अप पॉलिसी, 2015 में राज्य सरकार के उपक्रम रीको को नोडल संस्था बनाया गया है। हालांकि उक्त स्टार्ट-अप पॉलिसी के तहत सहकारिता विभाग को कोई विशिष्ट दायित्व नहीं सौंपा गया है, लेकिन विभाग द्वारा विभिन्न कार्यों में इनोवेशन/नवाचार के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं।

अपैक्स बैंक, केन्द्रीय सहकारी बैंकों एवं प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों द्वारा कृषि व अकृषि क्षेत्र में रोजगारपरक कार्यों के लिए स्टार्ट-अप इकाइयों को भी ऋण उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि आप समय-समय पर इनोवेशन/नवाचार की बात कर रहे हैं, अब तक सहकारिता विभाग में स्टार्ट-अप में जिलेवार और संभागवार आपके विभाग द्वारा क्या-क्या कार्य किये गये? आप उनकी जानकारी देने का कष्ट करें।

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी जो मेरा उत्तर दिया है, उसके अन्दर यह स्पष्ट रूप से बताया है कि

(श्री अजय सिंह)

स्टार्ट-अप पॉलिसी के तहत जो इसकी नोडल संस्था है, वह रीको है और रीको के द्वारा और सरकार के द्वारा कोई भी दायित्व नहीं दिया गया। फिर भी मैं आपको इसका प्रिएम्बल, जो स्टार्ट-अप पॉलिसी का है, उसकी मैं आपको तीन लाइन पढ़कर बताना चाहूंगा:-

"Rajasthan also faces some serious challenges in areas like water availability, arid land, agriculture, rural healthcare, food processing and efficient food supply chains. Answer to lot of these problems would need the development of low cost, indigenous and technology-enabled solutions. Towards this, the Rajasthan Startup Policy has been formulated."

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसकी एक डेफिनेशन है, उसके बारे में मैं दो लाइन पढ़ दूं, ताकि यह पूरा स्पष्ट हो सके कि क्या है।

श्री अध्यक्ष: पूरा स्पष्ट कर दीजिए।

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): स्टार्ट-अप, "An entity that develops a business model based on some innovation and makes it scalable for achieving commercial success." इसमें माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि इसको अगर वापस देखें, "An entity that develops a business model based on some innovation.." और उसके बाद में "….makes it scalable for achieving commercial success." अर्थात् हम कोई ऐसे नये बिजनेस की शुरुआत करें, नवाचार करें, जिसको कॉमर्शियल दृष्टि से, व्यापारिक दृष्टि से लाभ भी प्राप्त करें।

इसी को ध्यान में रखते हुए, हमारे विभाग ने जो नवाचार किये हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्षों से लम्बित, बार-बार मांग की जा रही थी, सी.बी.एस., कोर बैंकिंग सोल्यूशन सिस्टम, हमने पूरे राजस्थान की जितनी भी हमारी ब्रांचेज थीं, 484, उन ब्रांचेज को हम कोर बैंकिंग के प्लेटफार्म पर लेकर आये। दूसरे वाणिज्यिक बैंक पहले से ही इस प्लेटफार्म पर थे और इसके आने के, कल मैंने मेरे उत्तर में भी कहा था, कि जहां पर हमारे पास 24 लाख खाते थे, 68 लाख खाते हो गये और आज हम ऐसी स्थिति में आ गये हैं, प्रतिस्पर्धा में दूसरी बैंकों के हम बराबर आ गये।

इसी के लिए माननीया मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की थी कि हम अटल सेवा केन्द्र पर, राजस्थान के दूरदराज क्षेत्रों में हम हमारी सभी जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनका नगद भुगतान वहां पर करेंगे। इसके लिए हमने एफ आई जी स्थापित कर लिया, फाइनेंस इंक्लूजन गेटवे हमने वहां पर कर लिया। इसके अलावा 'रूपे' कार्ड हमने जारी किया है।

(श्री अजय सिंह)

इसी तरह से बिजनेस कोरस्पोंडेंस मॉडल की हमने क्रियान्विति की है और हमने हमारी 3,224 जो ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं, उनको हमने बी.सी. अर्थात् बिजनेस कोरस्पोंडेंट अर्थात् व्यवसाय मित्र उनको बनाया और ये जो समितियां हैं, इनके लिए हमने प्रयास किया कि लाभ में रहें। ये जो बी.सी. हैं, ये अपनी 200 प्रकार की सेवाओं को प्रदत करेंगे जनता को और भविष्य के अन्दर, जैसे वह नरेगा का भुगतान करती है, वह पेंशन का भुगतान करती है, वह भामाशाह के तहत किसी योजना का भुगतान करती है, तो निश्चित रूप में भविष्य में इनके लिए कोई न कोई कमीशन उनको दिया जाएगा।

अभी जो नवाचार की बात कर रहे हैं, मैंने कल भी यह कहा था कि हम यह चाहते हैं कि हमारी समितियां, हमारी जो ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं, हमारी लैम्प्स हैं, पैक्स हैं, हम यह चाहते हैं कि वे केवल ब्याजमुक्त ऋण बांटने तक ही सीमित न रहें, बल्कि वे खाद-बीज का व्यवसाय करें, वे पी.डी.एस. का कार्य करें। इसके अलावा हम यह चाहते हैं कि वे पेट्रोल पम्प भी संचालित करें; वे वाहनों की एजेन्सी भी लें।

इसके बारे में मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि उदयपुर के अन्दर, हमारे उदयपुर संभाग की जो हमारी ग्राम सेवा सहकारी समितियां और जो के.बी.एस.एस. हैं, वे अभी सीमेंट का व्यवसाय कर रही हैं बिनानी सीमेंट के साथ मिलकर और उसके अन्दर अगर एक कट्टे को समितियां बेचती हैं तो उसको 12 रुपये नेट प्रोफिट बिनानी सीमेंट की ओर से कमीशन दिया जाता है और यह समिति का बिलकुल व्हाइट में एक तरह से लाभ है।

इसी तरह से नवाचार के लिए हमने, पूरे देश में अगर देखा जाए, तो उदयपुर के अन्दर हमने जो हमारे भंडार हैं, सुपर मार्केट हैं, उपभोक्ता भंडार, वहां पर इसकी ऑनलाइन की शुरुआत कर दी है। मैंने कल भी घोषणा की थी कि हम इसको जल्दी से जल्दी जयपुर में, जोधपुर में, कोटा में और अजमेर के अन्दर भी इसको शुरू करेंगे।

इसी तरह से नवाचार के लिए कल मैंने घोषणा की थी कि हमारे जो भी उपभोक्ता भंडार यहां पर हैं, जो मेडिकल स्टोर हम चला रहे हैं, हमने घोषणा की थी कि पेंशनर्स को यहां न आना पड़े; यह भी हम एक नवाचार कर रहे हैं कि क्यों न उनके घर पर ही होम डिलीवरी हम कर दें।

इसी तरीके से हमने यह भी घोषणा की है कि हर जिले के अन्दर

(श्री अजय सिंह)

हमारी दो-दो समितियों में नये सुपर मार्केट हम बनाएंगे, ताकि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार भी मिलेगा और उनको स्टैण्डर्ड ब्रांडेड वस्तुएं हैं, वे भी उनको मिलेंगी।

इसी तरह से मैंने कल ही एक घोषणा की है कि हमारे जिला हॉस्पिटल, हमारे सैटेलाइट हॉस्पिटल, हमारी सी एच सी, यदि वहां पर पहले से मेडिकल स्टोर नहीं हैं, तो हम यह प्रयास कर रहे हैं, मैंने माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से कल ही यह आग्रह किया है कि यदि हमें भूमि उपलब्ध करवाते हैं तो हम वहां पर सहकारी मेडिकल स्टोर खोलेंगे, जिससे हमारे जो भी फार्मासिस्ट बेरोजगार हैं, और हमने इसमें यह भी सुनिश्चित किया है कि उसी जिले के बेरोजगार फार्मासिस्ट को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी और उनको वहां पर लगाया जाएगा। इसके बाद में हम और जो हमारी पी एच सीज हैं, उन तक भी हम जाना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष: बहुत लम्बा उत्तर हो गया आपका। पूरक प्रश्न नम्बर दो।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से राजस्थान में माह अक्टूबर में स्टार्ट-अप पॉलिसी की बात कर रहे हैं, इन्होंने पूरी लम्बी-चौड़ी बात बता दी। मैं इनसे एक बात और जानना चाहता हूं कि सहकारिता विभाग ने अपनी कार्य क्षमता और कार्य प्रणाली को गति प्रदान करने के लिए विभाग की संस्थाओं से जुड़े अधिकारी-कर्मचारियों की, जिस तरीके से आपने इनमें टेक्नोलॉजी का नाम लिया, इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी, गुड-गवर्नेस, ई-गवर्नेस, आदि में ट्रेनिंग क्षेत्र के लिए, इनके विभाग के नोडल आई.टी. अधिकारियों की कार्य प्रणाली में ट्रेनिंग के लिए आपने क्या व्यवस्था की? आप कह रहे हैं कि हमने बी.सी. बना दिया, आप कह रहे हो हम टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जा रहे हैं, लेकिन आपके विभाग द्वारा अब तक स्टार्ट-अप पॉलिसी के लिए, ई-गवर्नेस, गुड गवर्नेस और आपके इस टेक्नोलॉजी विभाग द्वारा क्या-क्या प्रशिक्षण आप लोगों ने दिये हैं?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आपने ट्रेनिंग की बात की है, अभी हमने जो बी.सी. बनाये हैं, उसमें हमारा डी.ओ.आई.टी. विभाग का, जो कि एक सरकारी विभाग है, उससे हमने पूरा मार्गदर्शन लिया है और उन्हीं के मार्गदर्शन के अन्दर हमने बी.सी. बनाये हैं और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिला लेवल पर कोई भी बी.सी. ऐसा नहीं

(श्री अजय सिंह)

है जिसने कि ट्रेनिंग नहीं की है। यह ट्रेनिंग का ही नतीजा है कि सहकारी विभाग की जो भी अभी हमारे बैंकें हैं, अटल सेवा केन्द्र तक 4 करोड़ का ट्रांजेक्शन अभी हो चुका है, हमारे बी.सी. बनने के बाद में।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न। श्री डोटासरा जी।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): आज तो मेहरबानी हो गयी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय की तो सदैव से ही मेहरबानी है और विपक्ष पर विशेष रूप से मेहरबानी है। इसके लिए धन्यवाद भी देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह आपको बोलने की जरूरत कहां थी? कुछ बातें अन्दर ही रहने दो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): चेयर से ही तो संरक्षण मिलता है। तो जहां से संरक्षण प्राप्त होता है प्रतिपक्ष को बोलने के लिए, उसकी तो प्रशंसा करनी चाहिए और प्रशंसा लायक होता है, उसकी प्रशंसा करनी भी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: चलो, आप तो सवाल पूछो। आप बैठो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से, मंत्रीजी ने जो जवाब भिजवाया है...

एक माननीय सदस्य: कल तो अध्यक्षजी की हाय-हाय कर रहे थे।

श्री अध्यक्ष: आप तो बैठो। बैठो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): वह अलग रोल है, यह अलग रोल है।

श्री अध्यक्ष: कल की बात भूलो। यूं क्या है? आप तो सवाल पूछो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो जवाब भिजवाया है, उसमें इन्होंने कहा है कि हमारी स्टार्ट-अप पॉलिसी अक्टूबर, 2015 में जारी हो गयी थी; आपने यह भी कहा है कि रोजगारपरक कार्यों के लिए स्टार्टअप इकाइयों को ऋण भी उपलब्ध करवाये जा रहे हैं, आपके सहकारिता के माध्यम से।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

मैं दो बात एक ही क्वेश्चन में 'अ' और 'ब' कर के पूछ लूंगा। एक तो, आपने कितनी ग्राम सहकारी समितियों को कम्प्यूटर से जोड़ दिया? एक। इस अक्टूबर से लेकर के अब तक, मार्च आ गया, आपने कहा, करवाये जा रहे हैं; तो कितनी यूनिट के प्रोजेक्ट आपके पास आये और किन-किन कामों के लिए कितने ऋण आपने इनको स्वीकृत किये? यह थोड़ा बताने की मेहरबानी करें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको पहले तो ऋण का बता दूं। जैसे भूमि विकास बैंकों ने, हमारे जो भूमि विकास बैंक हैं, वे हमेशा दीर्घकालीन ऋण सिर्फ कृषि ...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप दोबारा समझ लीजिए। एक मिनट, अध्यक्ष महोदय। दोबारा समझ लें।

मैं केवल स्टार्ट अप पॉलिसी, 2015 की बात कर रहा हूं। आपने कहा कि यह पॉलिसी अक्टूबर में लागू हो गयी, नोडल एजेंसी आपने रीको बताया और आपने लास्ट में लिखा है कि अपेक्स बैंक, केन्द्रीय बैंक, प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के द्वारा कृषि एवं अकृषि क्षेत्र में रोजगारपरक कार्यो के लिए स्टार्ट अप इकाइयों को भी ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

श्री अध्यक्ष: अब उनको समझ में आ गया होगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): तो इस पॉलिसी के तहत कितने आवेदन आये और आपने कितनों को दिया? और ग्राम सहकारी समितियों में आपने कितनी जगह आपके आने के बाद कम्प्यूटर स्थापित किये?

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप कम्प्यूटर की बात कर रहे हैं, हमारी समितियों में अधिकांशत: पहले से कम्प्यूटर लगे हुए हैं। (व्यवधान) नहीं, पहले से, अभी हमने लगाये हैं और जो मैं बता रहा हूं कि 1,500 समितियों का हमने चयन किया है जिनके अन्दर हम नाबार्ड के सहयोग से उसको पूरा कम्प्यूटराइज्ड कर के एफ.आई.जी. सिस्टम वहां स्थापित कर के, अभी शीघ्र ही हम करने वाले हैं, ताकि उसका भुगतान उसी अटल सेवा केन्द्र पर हो जाए।

आपने पूछा कितनों को ऋण दिया? इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2015 के अन्दर ...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इसी पॉलिसी में, स्टार्ट अप पॉलिसी में।

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): मैं इसी पॉलिसी की बात करता हूं। मैं आपको कह रहा हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, हम अभी तक कृषि कार्यों के लिए ही ऋण देते थे लेकिन अब के यह पॉलिसी आने के बाद में हमने हमारी बैंकों को भी यह निर्देशित किया है कि कृषि ऋण के अलावा अकृषि ऋण भी देओ। जैसे कि रेस्टोरेंट के लिए, जैसे कि किसी भी तरह का वह स्कूल का अगर संचालन कर रहा है, उस बिल्डिंग के लिए, उसके लिए हम उसको चाहते हैं; अगर कोई महिला स्टोर है, उसके लिए हम ऋण दे रहे हैं। इसके लिए हमने अभी 2015 के अन्दर आठ करोड़ से अधिक, करीब नौ करोड़ का ऋण, हमारे भूमि विकास बैंकों ने सिर्फ इसके लिए दिया है, अकृषि के लिए। इस स्टार्ट अप पॉलिसी के तहत जो भी आये हैं, कोई रेस्टोरेंट के लिए, होटल के लिए, कोई मैरिज गार्डन के लिए, यह भी हमारे लिए, विभाग के लिए एक नवाचार है। क्योंकि अधिकांशतः हमारे जो सहकारी बैंक्स हैं वे पूरे जो किसान लोग जुड़े हुए हैं, उनको कृषि कार्यों के लिए ही देते आये हैं, लेकिन अब इसमें नवाचार के नाते इन दूसरी ओर भी हम बढ़ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: श्री मान सिंह।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): स्टार्ट अप पॉलिसी में आपको कितने आवेदन प्राप्त हुए और कितने लोगों को दिया? इतना-सा ही है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, हो गया। दूसरा पूरक प्रश्न। श्री मान सिंह। दूसरा पूरक प्रश्न, श्री मान सिंह।

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): एक चीज, माननीय अध्यक्ष जी ...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। सक्षम हैं, साहब, जवाब दे रहे हैं।

श्री मान सिंह (गंगापुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि प्रदेश में कितनी सहकारी संस्थाएं घाटे में चल रही हैं और उनको घाटे से उबारने के लिए सरकार ने क्या योजना बनाई है?

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको यह सूची बता दूंगा कि कितनी घाटे के अन्दर हैं, करीब 6,400 से ऊपर हमारी ये ग्राम सहकारी समितियां हैं।

(श्री अजय सिंह)

आपने पूछा कि लाभ के लिए क्या कर रहे हों, तो लाभ के लिए सबसे पहले तो अब के हमने यह प्रयास किया कि 3,224 जो हमारी ग्राम सहकारी समितियां हैं, उनको हमने बी.सी. नियुक्त किया है और बी.सी. के नाते वह उस ग्राम पंचायत में सभी तरह की सेवाओं को प्रदत करेगा, जिस तरह से 200 सेवाएं हैं, जैसे राजस्व रिकार्ड की नकल देना, किसी भी तरह की। इसके अलावा हमने यह भी प्रयास किया कि हमारी सब समितियां पी.डी.एस. का कार्य करें, हमारी समितियां दूसरे भी विविध व्यवसाय करें।

मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जिस तरह से सरकार, अभी हम जिस रोडमैप पर चल रहे हैं, अगर ये सभी समितियां उसको मानेंगी जो भी हमने रोडमैप तैयार किया है, तो निश्चित रूप से कोई भी समिति आने वाले समय में राजस्थान के अन्दर घाटे में नहीं रहेगी। यह मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री घनश्याम तिवाड़ी पूरक प्रश्न पूछेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, मैं तो वह आपकी तारीफ की बात चल रही थी, उस पर दबाया था मैंने तो।

श्री अध्यक्ष: अच्छा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उसमें मैं यह कहना चाहता था...

श्री अध्यक्ष: तो आप भी थोड़ी तारीफ कर दो। व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, मैं कर देता हूं।

श्री अध्यक्ष: हां।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): 'तारीफ करूं क्या उसकी, जिसने तुम्हें बनाया'। मैं मुख्य मंत्रीजी की कर रहा हूं कि 'तारीफ करूं क्या उसकी, जिसने तुम्हें बनाया।'

श्री अध्यक्ष: क्यों, भई, कुछ इरादा तो नेक है?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नेक है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री हीरालाल नागर।

मुकुन्दरा हिल्स के वन क्षेत्र में बसे गांवों का पुनर्वास

379. **श्री हीरालाल नागर** (सांगोद):- क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री हीरालाल नागर)

(1) क्या यह सही है कि केन्द्र सरकार वन क्षेत्रों में बसे हुए गांवों के लोगों के अन्यत्र पुनर्वास हेतु राज्य सरकार को धनराशि उपलब्ध कराती है? यदि हां, तो दरा राष्ट्रीय अभयारण्य वन क्षेत्र में वर्ष 2005 में घोषणा के पश्चात् आज तक कितने गांवों के लोगों को अन्यत्र बसाया गया और कितनी धनराशि केन्द्र से प्राप्त हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या मुकुन्दरा हिल्स टाइगर रिजर्व कोर वन क्षेत्र में कुल 14 गांव बसे हुए हैं? यदि हां, तो इनमें कौन-कौन से गांव कितने-कितने वर्षों से बसे हुए हैं और कितने गांव ऐसे हैं जिनका पुनर्वास कर दिया गया है, कितने गांव ऐसे हैं जिनका अन्य स्थान पर पुनर्वास करना शेष है और अब उन्हें कब तक वन क्षेत्र से अन्यत्र बसा दिया जायेगा? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि वर्ष 2015-16 में वन विभाग द्वारा मुकुन्दरा हिल्स टाइगर रिजर्व कोर वन क्षेत्र में बसे लोगों को उचित मुआवजा दिये बगैर ही विस्थापन करने के नोटिस दिये गये हैं, जबकि अभी यह भी निर्धारित नहीं है कि गांव में बसे निवासियों का कहां पुनर्वास किया जायेगा? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, वन (श्री राज कुमार रिणवां): (1) जी हां। केन्द्र सरकार टाइगर रिजर्व क्षेत्रों में बसे हुए गांवों के स्वैच्छिक विस्थापन हेतु राज्य सरकार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराती है।

मुकुन्दरा हिल्स टाइगर रिजर्व में से अभी तक किसी भी गांव को अन्यत्र नहीं बसाया गया है। केन्द्र सरकार से इस हेतु कोई धनराशि भी अभी उपलब्ध नहीं हुई है।

फिलहाल राज्य सरकार के स्तर से वर्ष 2015-16 में दो गांव लक्ष्मीपुरा एवं खरली बावड़ी के विस्थापन हेतु 135 लाख रुपये कैम्पा फंड से आबंटित किये गये हैं।

(2) मुकुन्दरा हिल्स टाइगर रिजर्व कोर एरिया में 16 गांव आते हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट-ए पर संलग्न है। ये समस्त गांव काफी वर्षों से बसे हुए हैं, परन्तु कब से बसे हुए हैं, इसका कोई रिकार्ड विभाग में उपलब्ध नहीं है।

मुकुन्दरा हिल्स टाइगर रिजर्व कोर एरिया में बसे 14 गांवों का विस्थापन किया जाना प्रस्तावित है, जिनमें से अभी तक किसी भी गांव का विस्थापन नहीं किया गया है।

(श्री राज कुमार रिणवां)

वर्ष 2015-16 से लक्ष्मीपुरा एवं खरली बावड़ी का विस्थापन किया जाना प्रस्तावित है। शेष 12 गांवों का विस्थापन बजट उपलब्धता तथा ग्रामीणों की स्वैच्छिक सहमति प्राप्त होने पर किया जायेगा। चूंकि विस्थापन स्वैच्छिक है, इसलिए उसकी समय सीमा निर्धारित नहीं है।

(3) जी नहीं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दिया है कि फिलहाल स्वैच्छिक रूप से जो भी अपनी सहमति देते हैं उन्हीं गांवों को विस्थापित किया जा रहा है और विस्थापित के लिए कोई फंड भी सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इन विस्थापित गांवों में, क्षेत्र में जो ये गांव हैं, इनको मूलभूत सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है। न वहां पर कोई रोड बनाना, न आने-जाने के लिए किसी प्रकार की सुविधा दी जा रही है; बिजली से उनको वंचित रखा जा रहा है; पेयजल से उनको वंचित रखा जा रहा है। और तो और, वे एक वनवासी जाति से हैं और वे मूल रूप से वहीं वन की उपज का ही उपयोग करके अपना पेट पालन करते हैं। इसमें कई बीघा जमीनें भी उस क्षेत्र में हैं। तो इनके लिए आने-जाने में भी असुविधा हो रही है।

मंत्री महोदय, जो आप कह रहे हैं कि दो गांवों के लिए 135 लाख का बजट कैम्पा फंड में उपलब्ध हुआ है, उन दोनों गांवों में कितने विस्थापित रहते हैं, कितने परिवार रहते हैं और उनमें से कितने परिवारों से सहमति ले ली गयी है कि उनको विस्थापित होना है, कि नहीं होना? और ले ली गयी है, तो कितने हैं तथा उनमें से कितने लोगों के मुआवजे का अवार्ड अभी तक कर दिया गया है? इसकी एक बार आप जानकारी दे दें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री राज कुमार रिणवां (राज्य मंत्री, खान): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, वन विभाग केन्द्र और एन.जी.टी. के नियमों के अन्तर्गत चलता है। उसमें सी.टी.एच. के अन्तर्गत कोर एरिया में जो गांव आते हैं, उन्हीं गांवों के प्रति वन विभाग ने उन्हें विस्थापित करने के लिए फंड की घोषणा कर रखी है

(श्री राज कुमार रिणवां)

और उसकी एकदम लिमिट है, दस लाख रुपया। दस लाख रुपये में एक यूनिट के अन्दर में पति-पत्नी और अगर उसके नाबालिग बच्चे हैं, दोनों ही माना जाता है।

अभी जो भी गांव सी.टी.एच. से बाहर हैं, उनके लिए जो आवश्यक सुविधाओं की बात कह रहे हैं, उसके लिए एक प्रक्रिया है, उसको अपनाना पड़ता है। हमारा भी पूरा प्रयास है, कुछ रिलक्सेशन हमें मिले भी हैं, उस हिसाब से काम कर रहे हैं।

बाकी अभी जो दो गांव खरली बावड़ी और लक्ष्मीपुरा का चयन किया गया है, उसमें एक में मात्र चार परिवार हैं, एक में दो परिवार हैं। बाकी उनके पास में खेती जमीन है, वह खेती की जमीन भी दूसरे गांव के लोगों की है। तो उसमें दस-दस लाख रुपये का, हम लोगों ने उनको कह रखा है कि भई, आप लोग जाना चाहें, तो। बाकी इसमें कानून स्वैच्छिक का है, इसलिए हम उन्हें प्रेशर भी नहीं कर सकते। बाकी दो गांवों के चार परिवार और दो परिवार एग्री हुए हैं। तो हमारा पूरा प्रयास है कि इस 2015-16 में हम कर देंगे।

2013 के अन्दर 9.4.2013 को मुकुन्दरा हिल्स को रिजर्व टाइगर एरिया घोषित किया गया था। अभी तक हमने भेजा है 135 लाख का दो गांवों का। तो केन्द्र से अभी तक हमारे पास में कोई स्वीकृति नहीं आयी है। स्टेट कैम्पा फंड से हमने 135 लाख रुपये देकर उनको विस्थापित करने के लिए कहा है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर दो।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): माननीय मंत्री महोदय ने इसमें बसे गांवों में जो परिवार बताये हैं, उसके अलावा भी उन परिवारों के वयस्क भी जो हैं, जिसकी यूनिट अलग से मानी जा रही है, वे भी वहां बसे हुए हैं। उनको जो 4 और 2 परिवार आप बता रहे हैं, उसके अलावा वयस्क लोगों का अलग से, पति-पत्नी सहित परिवार हैं। उनको आपने जो 10 लाख रुपया बताया है, उसमें सम्मिलित नहीं किया है। 10 लाख रुपये की राशि काफी कम है। 20 वर्ष पहले यह तय की गई थी। क्या सरकार वर्तमान में महंगाई को देखते हुए इन विस्थापितों के लिए पुनः कोई पैकेज देने की योजना रखती है? ताकि इनको उचित मुआवजा मिल सके।

क्या इन्हीं गांवों में, जिन 16 गांवों की सूची माननीय मंत्री महोदय ने

(श्री हीरालाल नागर)

दी है, इन गांवों को पूर्व में भी गांधी सागर, जवाहर सागर, चंबल परियोजना के तहत विस्थापित किया गया था? अगर विस्थापित किया गया था, तो जो बसे हैं दुबारा आकर के, आप कह रहे हैं कि इनका कोई रिकार्ड नहीं है, जबकि इनमें से कई गांव विस्थापित हैं, जो पूर्व में डूब क्षेत्र में आने से इनको बसाया गया था। वे कौन-कौन से गांव हैं जिन्हें गांधी सागर, जवाहर सागर, चंबल परियोजना के तहत विस्थापित करके पुनः बसाया गया था? एक तो उसकी जानकारी दें। जिनकी जमीनें आ रही हैं, एक-एक हजार, 500 बीघा जमीनें हैं गांव की, उनकी जमीनों के बदले जमीन का मुआवजा देने का क्या पैकेज सरकार रखती है?

मैंने पूछा था कि जिनको मूल सुविधाओं से वंचित कर दिया गया है, सड़क, बिजली, पानी से, उसका मंत्री महोदय ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या इस वन क्षेत्र में बसे गांवों को वन काटने से बचाने के लिए निःशुल्क गैस कनेक्शन देने की कोई योजना है? अगर है, तो इन गांवों में अभी तक कितने लोगों को गैस कनेक्शन से सरकार ने लाभान्वित किया है? उसकी जानकारी सूची सहित आप उपलब्ध करायें, ताकि उन गांवों में वन क्षेत्र के कटाव को भी रोका जा सके। क्योंकि वे केवल उसी पर निर्भर हैं।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। विराजिये। बहुत लंबा हो गया सवाल।

माननीय मंत्री महोदय।

श्री राज कुमार रिणवां (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे सर्वे में जो जानकारी में आया है, उसमें 4 परिवार और 2 परिवार हैं। माननीय सदस्य अगर बतायें और कोई वयस्क है, तो हम उनको जोड़ लेंगे। बाकी 10 लाख तो हम भी जानते हैं कि बहुत कम है। हमने भी इसके लिए काफी निवेदन केन्द्र में भेजा है कि इसको 20 लाख किया जाये कम से कम और सरिस्का को 30 लाख किया जाये। इसके लिए हमने उनको बार-बार निवेदन किया है।

जहां तक बता रहे हैं कि कुछ समस्याएं हैं, उनके लिए मैंने पहले ही बताया कि यह केन्द्र सरकार और एन जी टी पर है। वहां हम लिखकर के देते हैं और वहां से अगर स्वीकृति आती है, तो हम उसको कर पाते हैं, वरना हमारे तो यह अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है।

हमारा तो इनसे निवेदन है, अगर कोई भी वन काटने की बात है, तो

(श्री राज कुमार रिणवां)

वहां पर अलग-अलग समितियां बनी हुई हैं, जहां वन क्षेत्र ज्यादा है। समितियां अपने हिसाब से पूरी पंचायत की और सारी व्यवस्थाएं करती हैं।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक। श्रीमती शकुन्तला रावत।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगी, मंत्रीजी ने कहा कि हम तो बेबस हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो सरिस्का से गांव विस्थापित किये गये हैं, उनको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलने के कारण अगर वे वापस आ जाते हैं, तो उनके ऊपर केस किया जाता है। वहां तो कम से कम उनकी जमीन थी, उसमें वे खेती करके, जो मुख्य धंधा उनका पशुपालन था, उससे उनका काम चल जाता था, लेकिन विस्थापित करने के नाम पर उनको न तो किसी विद्यालय, बिजली की सुविधा, न रोड की सुविधा, किसी तरह की कोई सुविधा नहीं दी जाती है। 10 लाख का मुआवजा देकर उनसे पल्ला झाड़ लिया जाता है।

कई लोग ऐसे हैं जो सरिस्का में वयस्क हैं और पति-पत्नी हैं, वे जोड़े रह गये। वे अगर दुबारा से आते हैं, तो उनके ऊपर फोरेस्ट कड़ी कार्यवाही करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप मालिक हैं, सरकार हैं दोनों तरफ आपकी, आप यह नहीं कहें कि हमारे काबू की बात नहीं है। ऐसा नहीं कहें। क्योंकि अगर मालिक ही नहीं करेंगे, तो फिर किसको कहेगी जनता? हम आपसे इसीलिए यह उम्मीद रखते हैं कि माननीय सदस्य ने जो आवाज उठाई, आप चाहे सेन्ट्रल गवर्नमेंट से लायें, लड़कर लायें, झगड़कर लायें, किसी भी तरीके से इन गांव वालों को अधिकार देने की मंशा रखते हैं, या नहीं रखते हैं?

दूसरा, मुख्य मंत्री महोदया जी ने बोला था कि अपनी मर्जी से जायेंगे, लेकिन कुछ लोग वहां जाकर के, उनको बहुत सारा लालच देकर के, बरगला करके भेज देते हैं। जब वे अपनी मांग के लिए आते हैं, तो उनके साथ कठोर कार्यवाही की जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए।

जो शेष रह गये हैं, उनको कितना मुआवजा दिया जायेगा? उनको जमीन दी जायेगी, या नहीं दी जायेगी? उनकी जितनी जमीन है, उतनी दिये जाने की मंशा रखते हैं, या नहीं?

श्री अध्यक्ष: विराजिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री राज कुमार रिणवां (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें सबसे पहले मैंने कहा था कि यह स्वैच्छिक है। किसी

(श्री राज कुमार रिणवां)

को भी मजबूर नहीं किया जाता कि आपको वहां रहना है। उनको पहले भेजते हैं और वे देख आते हैं कि यह ठीक है, यह खेती के लिए या हमारे रहने के लिए सही है, तभी वे विस्थापित होते हैं और तभी उनको पेमेंट दिया जाता है। बाकायदा लिखा-पढ़ी होती है। अब जब पैसा ले लेते हैं और वहां रहने लग जाते हैं, उसके बाद वापस पुनः वहां आना चाहें, तो वह डिपार्टमेंट कैसे बरदाश्त करेगा?

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): ऐसे कोई नहीं आता।

श्री राज कुमार रिणवां (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): जब आप दूसरी जगह विस्थापित हो चुके हो। आप बता रहे हैं कि और भी कोई 21 वर्ष से ऊपर वयस्क हैं, तो आप नाम बताइये, निश्चित रूप से उन्हें हम देंगे। जो रेट बढ़ाने का है, वह तो स्टेट, सेन्टर का अलग-अलग है। ठीक है, हमारा शासन सेन्टर में भी है। हमारे इस बारे में पूरे प्रयास चल रहे हैं, हम लोगों को इसमें रिलक्सेशन मिले भी हैं। हमारा पूरा प्रयास कैम्पा की मीटिंगों में, सम्माननीय चेयरमैन सी.एम. साहब के प्रयासों से हमें पूरी संभावना है कि 2015-16 के जो निर्देश वहां से आयेंगे, उसमें जरूर इसमें बढ़ाने का प्रावधान होगा।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न। श्री सुरेश धाकड़।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि अभी मुकुन्दरा हिल्स में एस टी एफ के गठन की घोषणा माननीया मुख्य मंत्रीजी ने की है, मैं उसके लिए धन्यवाद भी देता हूं; मेरा उसमें एक निवेदन रहेगा कि मुकुन्दरा हिल्स में जितने भी विलेज आते हैं, जैसे मेरे विधान सभा क्षेत्र के भी 3 गांव आते हैं, उन सभी विलेजों को प्राथमिकता देने की बजाय, जिनको आप विस्थापित कर रहे हों, उनको पहले प्रायोरिटी में देने का विचार रखते हैं क्या? एक तो यह तय किया जाये।

दूसरा, क्या है कि जो विस्थापित होता है, उसकी तीन पीढ़ी स्ट्रगल करती है। उसमें 10 लाख रुपये के साथ, आप जमीन के बदले पैसे देते हों; पैसा देने के बजाय, क्योंकि किसान को अगर पैसा मिलता है तो कभी ट्रैक्टर और कभी जीप ले आता है, लेकिन पैसे की बजाय उसको जमीन के बदले जमीन ही दी जाये।

(श्री सुरेश धाकड़)

एक अंतिम निवेदन है कि जहां तक विस्थापित नहीं हो जाते, उन गांवों में बिजली के लिए आपके विभाग से एन ओ सी में जितनी शिथिलता बरत सकते हैं, उतनी बरतने का प्रयास किया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। मंत्री महोदय।

श्री राज कुमार रिणवां (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): माननीय सदस्य तीन गांव बता रहे हैं कि पहले उनको विस्थापित करना चाहिए। आप उन गांव वालों से बात कर लीजिये। अभी जो नार्म्स हैं, नियम हैं, उनके हिसाब से अगर वे एग्री होते हैं तो हम तैयार हैं। खेती की जमीन भी अगर वहां पर अवेलेबल है, तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम दें। जो वे छोड़ रहे हैं खेती की जमीन, उसके लिए भी हम डी एल सी रेट पर पैसा देते हैं।

जितनी सुविधाओं की बात है, तो जो कोर एरिया के बाहर हैं, उनके लिए हमारा भी पूरा प्रयास है कि जो अनिवार्य, एकदम से मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उन्हें पूरी करें। इसके लिए हमारा पूरा प्रयास है। एन जी टी को भी लिखकर दे रहे हैं, केन्द्र सरकार को भी दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: तीसरा पूरक प्रश्न। श्री गुंजल।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि आपने जिस खरली बावड़ी और लक्ष्मीपुरा के स्वैच्छिक विस्थापन की बात कही है और 2 एवं 4, कुल 6 परिवार बताये हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, खानाबदोश जिंदगी लोग जीते हैं, बरसात में रहते हैं और 8 महीने बाहर रहते हैं। ऐसे 13 परिवार हैं जिनका मतदाता सूची में नाम वहां है। राशन कार्ड वहां के हैं। उनके बच्चे वहां रहते हैं। बारिश के बाद जानवरों को लेकर, चूंकि वहां गतिविधियां नहीं होने देते, पलायन कर जाते हैं। वापस बारिश में आ जाते हैं। 13 लोगों को कह दिया कि हम आपको किसी प्रकार का मुआवजा नहीं देंगे। कल हाई कोर्ट में उन्होंने रिट पेश की है। आप उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं?

दूसरा सवाल मेरा यह है ...

श्री अध्यक्ष: एक ही करो, एक ही।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): उसी से जुड़ा हुआ है।

श्री अध्यक्ष: अच्छा, फिर ठीक है।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): बफर जोन बना दिया। वहां उस बफर

(श्री प्रहलाद गुंजल)

जोन में 40 गांव हैं, जिनमें 50 हजार से 1 लाख जानवर हैं। आपने वहां की गतिविधियां रोक दीं। वहां कानून-व्यवस्था की स्थिति के लिए एक चुनौती खड़ी हो जायेगी। इस बारे में भी आप स्थिति स्पष्ट करें। बफर जोन के नाम पर आप वहां गतिविधियां नहीं रोक सकते। आपका फोरेस्ट, वाइल्ड लाइफ तो बाद में बने होंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय। तीसरा सवाल हो गया। नो, नो।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): जो पहले से रह रहे हैं, उनके बिजली के कनेक्शन...

श्री अध्यक्ष: शकुन्तला जी, आपने पूछ लिया। नो, नो। केवल इनका जवाब दीजिये आप। मंत्रीजी, केवल गुंजल जी का जवाब दीजिये।

श्री किशनाराम (डूंगरगढ़): कितने माननीय सदस्य बोल सकते हैं।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी, केवल गुंजल जी का जवाब आप दीजिये।

श्री किशनाराम (डूंगरगढ़): कितने ही माननीय सदस्य बोल सकते हैं। पांच-पांच सदस्य बोलो। ट्राइबल एरिया है। चार ही प्रश्न नहीं लिये।

श्री राज कुमार रिणवां (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): माननीय सदस्य अभी बता रहे थे कि 13 परिवार ऐसे हैं जो 8 महीने बाहर रहते हैं और 4 महीने वहां रहते हैं। अगर उनके नाम वोटर लिस्ट में और राशन कार्ड में हैं, तो निश्चित रूप से हम उन्हें शामिल करेंगे। कोई भी उनको शामिल होने से नहीं रोक सकता। अगर वहां के रहने वाले हैं, तो उनके साथ कोई अन्याय नहीं होगा। हमारा पूरा प्रयास रहेगा, 13 परिवारों का अगर आप वोटर लिस्ट, राशन कार्ड देंगे, तो हम शामिल करवायेंगे।

माननीय सदस्या भी बोल रही हैं, तो मूलभूत आवश्यकताओं के लिए हमारे मन में भी पीड़ा है कि जो गांव हैं, ढाणियां हैं, उनको मूलभूत सुविधाएं जरूर मिलें।

ये जो 13 बता रहे हैं, उनका हम जांच करके शामिल करवा देंगे।

बफर जोन के बारे में मैंने पहले भी बताया कि यह केन्द्र सरकार के द्वारा कंट्रोल्ड काम है...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल स्थगित। (व्यवधान) स्थगित नहीं, प्रश्न काल समाप्त। (व्यवधान) कभी-कभी जबान चूक जाती है, कभी-कभी चूकनी भी चाहिए, नहीं तो फिर मानव स्वभाव क्या रहा। (व्यवधान)

(शेष तारांकित एवं समस्त अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें)

(श्री अध्यक्ष)

(12.00 बजे)

संसदीय कार्य मंत्रीजी, आप स्टेटमेंट देना चाह रहे हैं? संसदीय कार्य मंत्रीजी ने आज मुझे सवेरे कहा था।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, कल नागौर में गुढ़ा भगवानदास में नाकाबंदी के दौरान बदमाशों की जो गोलीबारी हुई थी, उसके बारे में प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य काफी उत्तेजित थे। आज आसन ने यह व्यवस्था दी थी कि अगर सदन के नियम और प्रक्रियाओं के तहत अगर वे प्रस्ताव लेकर आएंगे, तो सरकार उत्तर देगी। अफसोस इस बात का है, शायद वे गम्भीर नहीं थे, उन्हें हंगामा खड़ा करना था। स्थिति सारी स्पष्ट हो जाए राजस्थान में, इसलिए सुओ मोटू ही सरकार इजाजत चाहती है आपसे कि आप बयान देने के लिए गृह मंत्रीजी को इजाजत दें।

श्री अध्यक्ष: सुओमोटू दिया जा सकता है वक्तव्य।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): कल तैयारी नहीं थी इनकी। इनको जानकारी नहीं थी। कल जवाब देना चाहिए था इनको। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप नियमों प्रक्रियाओं में आओ न। यह क्या बात हुई? (व्यवधान) आप न नियम जानते हैं, न प्रक्रिया जानते हैं। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): तैयारी नहीं थी; कोई सूचना नहीं थी। (व्यवधान) आपके पास जानकारी नहीं थी। (व्यवधान) कल भी जवाब दे सकते थे आप।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): केवल हंगामा करना इनकी आदत है। (व्यवधान) आप गम्भीर नहीं हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सरकार गम्भीर नहीं है।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आप सुनना नहीं चाहते। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप जवाब नहीं देना चाहते। (व्यवधान) कल तो कह रहे थे, नियमों में आओ। (व्यवधान) आज कहां से आ गये नियम? आज कैसे दे रहे हो जवाब? (व्यवधान) आपको कल जवाब देना चाहिए था। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): आपको नियमों में ही आना पड़ेगा यहां। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप गम्भीर नहीं हों। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपने कल क्यों नहीं दिया जवाब? (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): आप तो यह बताओ कि यह यहां आने के बाद पैदा हुई थी? यह समस्या हाउस में आने के बाद पैदा हुई थी, या पहले थी? (व्यवधान) यहां मामला उठाने से पहले नोटिस देना पड़ता है। आपने साढ़े नौ बजे नोटिस दिया नहीं। व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): गृह मंत्रीजी, 22 तारीख की घटना है। सरकार सो रही है। 22 तारीख की घटना है। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): इनका मकसद सिर्फ यहां हंगामा खड़ा करना है। (व्यवधान) ये गैर-गम्भीर है। गम्भीरतापूर्वक नहीं कहते हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): मेरे भाषण को आपने आधार बनाया था। मैं इसकी एक-एक लाइन पढ़ देता हूं, एक-एक लाइन...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह कितने तारीख की घटना है? कल भी ला सकते थे; ये पन्ने कल भी ला सकते थे। कल क्यों नहीं दिया जवाब? (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): और उस लाइन को पढ़ने के बाद बता देना कि इस लाइन में यह बात स्वीकार की, जो आपने गलत बताई। समझ में आया न।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माफी मांगो। (व्यवधान) माफी मांगो। (व्यवधान) माफी मांगो कि हमारी तैयारी नहीं थी। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैं यह पूरा पढ़कर आया हूं, मैं यह पूरा भाषण लेकर आया हूं। इसकी एक-एक लाइन, इस हाउस का कोई भी माननीय सदस्य पढ़ ले और पढ़ने के बाद कह दे कि मैंने कोई गलत कहा है। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): गृह मंत्रीजी, आपकी तैयारी नहीं थी, आपकी सरकार सो रही थी, आपके अधिकारी आपको गुमराह कर रहे थे।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये पूर्णतया गैर-गम्भीर हैं। (व्यवधान) गैर-जवाबदाराना है विपक्ष का रवैया। (व्यवधान) ये गम्भीर नहीं हैं। केवल सुर्खियों में आने के लिए हंगामा करना है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कल तैयारी नहीं थी...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हां।

श्री अध्यक्ष: तो आज तैयारी है और स्टेटमेंट दे रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): कल भी तैयारी थी और अब भी है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: ठीक है, स्टेटमेंट आ जाए। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ठीक है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, कल भी तैयारी थी, उससे पहले भी थी, आज भी है और भविष्य में भी रहेगी। इनके सपने कभी पूरे नहीं होंगे। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप प्रवक्ता हो क्या? आप प्रवक्ता हो क्या गृह मंत्रीजी के? गृह मंत्रीजी खुद सक्षम हैं। आपको प्रवक्ता बनने की जरूरत नहीं है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): गृह मंत्रीजी बिलकुल सक्षम हैं; यहां बैठे सभी मंत्री सक्षम हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): कल तैयारी नहीं थी, एडमिटेड फैक्ट है। कल तैयारी नहीं थी, आज तैयारी है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कल तैयारी नहीं थी, आज तैयारी है, इस बात में आप विधान सभा का समय बरबाद कर रहे हैं।

माननीय गृह मंत्रीजी।

शासकीय वक्तव्य

पुलिस-अपराधी मुठभेड़ से सम्बन्धित तथ्य

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, कल जिस गम्भीर विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया, मैं बहुत विनम्रतापूर्वक उनसे निवेदन कर रहा हूं, जो मैंने भाषण 22 तारीख को दिया, वह अक्षरश: आपके रिकार्ड पर है। कोई भी माननीय सदस्य मेरे इस वक्तव्य को निकालकर मुझे उस जगह पाइंट लगा दे कि यहां मैंने यह कहा, जो गलत कहा। मैं अभी भी आपको कह रहा हूं, मैंने इसको वर्ड-टू-वर्ड पढ़ा है,

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)
केवल कुछ कह देने मात्र से कोई चीज सच और झूठ नहीं हो सकती है। यह रिकार्ड पर है और रिकार्ड पर देखकर, मैं आपसे आग्रह करता हूं।

जो कुछ भी वस्तुस्थिति है, वह मैं सदन के सामने रखता हूं। उसमें भी कहीं कमी-खामी है, तो आपके सुझाव के आधार पर सुधारने के लिए हमेशा अपना मन बनाये हुए हैं। क्योंकि आपका सुझाव, या व्यवस्था में सुधार, यह केवल बी जे पी और कांग्रेस का नहीं, यह पूरे राजस्थान की 7 करोड़ जनता के लिए है और मेरा यह दायित्व है कि मैं जिस पद पर हूं, मैं उस जनता की हर समस्या के समाधान के लिए जो कुछ भी कर सकता हूं, वह करने का प्रयास करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास जो कुछ भी रिकार्ड है, उसके अनुसार एस ओ जी द्वारा प्राप्त मुखबिर सूचना के आधार पर दिनांक 21.3.16 को राजू ठेहट गैंग के शार्प शूटर, अपराधी शंकर उर्फ संदीप को जयपुर में गिरफ्तार किया गया। सूचना मिली थी कि वह यहां प्रवेश कर गया है जयपुर में। उसके आधार पर हमारी एस ओ जी टीम ने उसको मानसरोवर में गिरफ्तार किया। इस अपराधी शंकर से पूछताछ के दौरान बताया गया कि उसके तीन अन्य साथी फोर्च्यूनर वाहन संख्या आर जे 14 यू सी 2107 में अपराध करने की नीयत से उनके साथ आए हुए थे, जिनके पास ए के 47 राइफल, 3 पिस्टल और काफी मात्रा में कारतूस हैं। यह उससे पूछताछ में जानकारी मिली।

उक्त सूचना पर दिनांक 21.3.16 को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, पुलिस (कानून और व्यवस्था) द्वारा वक्त 3.23 पी एम पर, सफेद रंग की फोर्च्यूनर गाड़ी, आर जे 14 यू सी 2107 के लिए पूरे राज्य में ए-श्रेणी की नाकाबंदी कराई गई। ए-श्रेणी का मतलब हथियार सहित। उक्त वाहन में 3 व्यक्तियों के पास ए के 47 जैसा हथियार होने सम्बन्धी सूचना भी सभी नाका दलों को दी गई।

नाकाबंदी के दौरान नागौर जिले में उक्त विवरण के समान सफेद रंग की संदिग्ध फोर्च्यूनर गाड़ी पाए जाने पर जिला पुलिस एवं क्यू आर टी द्वारा गाड़ी का पीछा किया गया। नागौर जिले में क्यू आर टी टीम, त्वरित कार्यवाही दल व नागौर पुलिस द्वारा गाड़ी का पीछा किया गया।

गुढा भगवानदास गांव के पास गांव वालों के द्वारा वाहन रोकने के लिए पत्थर डाले गये, जिन पर से वाहन निकलते वक्त टायर फटने से उक्त

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

गाड़ी में बैठे अज्ञात बदमाशों के द्वारा वाहन से निकलकर पीछा कर रही पुलिस क्यू आर टी टीम पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी गयी। इन बदमाशों ने 35 राउंड फायरिंग की तथा क्यू आर टी टीम ने भी जवाब में 19 राउंड फायर किये।

इस दौरान क्यू आर टी टीम के कांस्टेबल हरेन्द्र और कांस्टेबल खूमाराम को गम्भीर चोटें आईं। दौराने-इलाज श्री खूमाराम, कांस्टेबल का मथुरादास माथुर अस्पताल में स्वर्गवास हो गया तथा श्री हरेन्द्र कांस्टेबल, अभी भी इलाज के अन्तर्गत है।

प्रारम्भिक जांच करने से ज्ञात हुआ कि उक्त फोर्च्यूनर गाड़ी कुछ दिन पूर्व बीकानेर से लूटी हुई थी। बदमाशों द्वारा अपराध में प्रयुक्त वाहन की लूट के सम्बन्ध में दिनांक 27.2.16 को पुलिस थाना जामसर, जिला बीकानेर में मुकदमा नम्बर 47/16, धारा 392 आई पी सी अभियुक्त दर्ज हुआ था, जो अनुसंधानाधीन है। इस एफ आई आर द्वारा मय सूचित वाहनों के इंजिन नम्बर, मैंने उस दिन भी पढ़ा था, आज भी पढ़ रहा हूं, के डी यू 440023 एवं चेसिस नम्बर एम पी जे 11 जे वी 45105034902-1213 तथा उक्त बदमाशों द्वारा अपराध में प्रयुक्त वाहन के इंजिन नम्बर व चेसिस नम्बर समान थे। केवल चेसिस नम्बर में पहले 4 अंक नहीं थे। उस दिन भी मैंने कहा था कि इसमें और उसमें अंतर है, बाकी सारा चेसिस नम्बर समान है। इससे यह प्रमाणित होता है कि यह फोर्च्यूनर गाड़ी वही है जो कुछ दिन पहले बीकानेर से लूटी गई।

बदमाशों द्वारा अपराध में प्रयुक्त वाहन के फर्जी नम्बर प्लेट आर जे 14 यू सी 6325 लगी हुई थी। इसी नम्बर प्लेट के पीछे की तरफ आर जे 14 यू सी, आगे और पीछे उस गाड़ी के नम्बर में अंतर था, 5657 अंकित था। उक्त बदमाशों के फोर्च्यूनर वाहन नम्बर आर जे 14 यू सी 6325 को वजह सबूत कब्जा पुलिस ने ले लिया।

क्यू आर टी के चालक रामसुख द्वारा घटना के सम्बन्ध में थाना पांचौड़ी पर मुकदमा नम्बर 23/16 धारा 307, 353, 323 और 34 भारतीय दंड संहिता, 3 पी डी पी एक्ट और 3/25 आर्म्स एक्ट में दर्ज कराया गया। कांस्टेबल खूमाराम की इलाज के दौरान मृत्यु होने पर अभियोग में धारा 302 भारतीय दंड संहिता को जोड़ दिया गया।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

पुलिस अधीक्षक, नागौर के आदेशानुसार अभियोग का अनुसंधान वृत्ताधिकारी, वृत्त मेड़ता सिटी को दिया गया तथा उसके नेतृत्व में एक विशेष अनुसंधान दल का गठन किया गया।

इस प्रकरण में प्रयुक्त वाहन की तलाशी ली गई, तो कई महत्वपूर्ण सामग्री मिलीं, जिनमें से कुछ मोबाइल फोन, मेमोरी कार्ड, सिम कार्डस मिले, जिन्हें जब्त किया गया। इनका तकनीकी और इलेक्ट्रोनिक परीक्षण एफ एस एल से कराया जा रहा है। आई एम वी एवं सीरियल नम्बर के आधार पर मोबाइल नम्बर पता कर कॉल डाटा रिकार्ड मंगवाकर विश्लेषण किया जा रहा है। वाहन में कुल 4,70,500 रुपये नकद भी मिले हैं। वाहन में विभिन्न तरह के कुल 586 जिन्दा कारतूस मिले, जिन्हें जब्त किया गया। मौके पर बदमाशों द्वारा की गयी फायरिंग से 27 खाली कारतूस मिले, जिन्हें भी जब्त किया गया। इसका परीक्षण एफ एस एल में कराया जाएगा।

अपराध में प्रयुक्त वाहन में पहनने के कपड़े, रज़ाई, कम्बल, कारपेट, दैनिक दिनचर्या सम्बन्धी सामान, दवाइयां, 100 ग्राम अफीम तथा 12 ग्राम चरस मिली, जिन्हें भी जब्त किया गया। प्रकरण में धारा 8/18 और 8/21 एन डी पी एस एक्ट जोड़ी गयीं। इस सामग्री का एफ एस एल का परीक्षण कराया जा रहा है।

वाहन में कोई संदिग्ध आई डी दस्तावेज भी मिले, जिनकी तफ्तीश की जा रही है। इसमें महिपाल सिंह उर्फ मोंटी पुत्र करणसिंह, जाति राजपूत, निवासी बिचावा, थाना खुनखुना, जिला नागौर की वोटर आई डी, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस की फोटोकॉपी मिलीं। यह व्यक्ति अपराधी आनन्दपाल सिंह की गैंग का सक्रिय सदस्य है और पूर्व से फरार है। घटना के वक्त फॉर्च्यूनर में मिली महिपाल सिंह की आई डी से इस बात की प्रबल संभावना है कि उक्त घटना-वाहन में आनन्दपाल सिंह की गैंग के अपराधी थे। अग्रिम अनुसंधान से स्थिति और अधिक स्पष्ट हो जाएगी।

इस घटना के बाद आनन्दपाल गैंग के लोग हैं, जिनको अभी तक इस आई डी के आधार पर, उनके इन सारे कॉल के आधार पर, जितेन्द्र सिंह पुत्र सुमेर सिंह, निवासी रोहिना, प्रथम सूचना रिपोर्ट 22/16 के आधार पर धारा 212, 216, 216(क) भारतीय दण्ड संहिता में प्रकरण दर्ज कर आनन्दपाल सिंह गैंग के अपराधी महिपाल उर्फ मोंटी व अन्य को शरण देने के अपराध में

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

दिनांक 27.3, थाना खाटू बड़ी आरोपी जितेन्द्र सिंह पुत्र सुमेर सिंह, निवासी रोहिना को गिरफ्तार किया गया, जो वर्तमान में जोधपुर जसवन्त हॉस्टल में रहता है और एल एल बी कर रहा है। घनश्याम सिंह निवासी जालसू, इसी प्रकार थाना डेगाना पर दिनांक 27.3.16 को प्रथम सूचना रिपोर्ट 50/16 के आधार पर प्रकरण अन्तर्गत धारा 212, 216 भारतीय दण्ड संहिता दर्ज कर आनन्दपाल सिंह की गैंग के अपराधी महिपाल उर्फ मोंटी को अन्य से सम्पर्क में होने व उसको शरण देने के अपराध में थाना डेगाना ने आरोपी घनश्याम सिंह निवासी जालसू को गिरफ्तार किया। यह व्यक्ति भी जोधपुर में हॉस्टल में रहता है और एल एल बी कर रहा है। आनन्दपाल सिंह के सगे जीजा गजेन्द्र सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह, रावणा राजपूत, निवासी बेड़वा; थाना नावां शहर में दिनांक 24.3.16 को आनन्दपाल सिंह के सगे जीजा गजेन्द्र पुत्र लक्ष्मण सिंह, रावणा राजपूत, निवासी बेड़वा, पी एस खुनखुना व एक अन्य शख्स धर्मपालसिंह, रावणा राजपूत, निवासी मण्डावरा, थाना कुचामन को दौराने-नाकाबंदी अफीम के साथ पकड़े जाने पर प्रकरण संख्या 52/16, धारा 8/18 एन डी पी एस एक्ट, पुलिस थाना नावां शहर पर दर्ज कर गिरफ्तार किया गया। अनुसंधान जारी है।

दिनांक 22.3.16 को विधान सभा में दिये गये वक्तव्य में यह कहीं भी कथन नहीं किया गया कि जिला नागौर में बरामद की गयी फॉर्च्यूनर आर जे-14 यू सी 6325 राजू ठेहट अथवा आनन्दपाल सिंह गैंग से सम्बन्धित है। मेरे पास उस दिन के स्टेटमेंट की पूरी प्रति मौजूद है। आप चाहें तो मैं पूरी पुनः दोहरा सकता हूं।

राजू ठेहट गैंग के गिरफ्तार अभियुक्त शंकर ने, जिस फार्च्यूनर गाड़ी की सूचना थी, उसके नम्बर आर जे-14 यू सी 2107 थे तथा यह सूचना थी कि उस गाड़ी में 3 व्यक्ति ए के-47 राइफल और हथियारों के साथ भागे हैं, जिनके लिए पूरे राज्य में ए-श्रेणी की नाकाबंदी, उस घटना के कारण से नाकाबंदी की थी। यह तो एक दूसरी गाड़ी मिली, जिसमें ये लोग मिले थे। नाकाबंदी में मिले अपराधी द्वारा जो फार्च्यूनर गाड़ी उपयोग में ली गयी थी, उसके नम्बर आर जे-14 6325 थे। प्रारम्भिक रिपोर्ट के अनुसार इसमें भी तीन व्यक्तियों के होने की सूचना थी, जो फायरिंग के बाद अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल हुए।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

मेरे वक्तव्य में कहीं भी यह उल्लेख नहीं था कि नागौर में मिली गाड़ी राजू ठेहट गैंग वाली गाड़ी थी। मेरे द्वारा पूरी घटना में विवेचन के दौरान 'अज्ञात बदमाशों' शब्द का प्रयोग किया था, किसी गैंग का नाम नहीं। अज्ञात बदमाशों द्वारा अपनी पोजिशन लेकर, क्यू आर टी की गाड़ी ज्यों ही उक्त बदमाशों की गाड़ी के थोड़ी दूर पहुंची, तब बदमाशों ने क्यू आर टी टीम पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी।

फिर आगे अंत में मैंने कहा था, मैं वह पढ़ रहा हूं, जो मैंने स्टेटमेंट दिया था, जिसको लेकर आपने इतना हौआ किया, मैं असत्य बोला, मैंने गुमराह किया, मैंने यह किया। मैं यह कह रहा हूं कि जो घटना कल हुई, उस घटना को लेकर पुलिस द्वारा नाकाबंदी में ही यह सारा का सारा गैंग का राज खुला है। तीन लोग उसमें थे, उसकी जानकारी मिली। यह बात सही है कि वे पैदल चलकर भाग गये और उसके पास हथियार थे। जिस ढंग से उन्होंने फायरिंग की, पुलिस के पास उतने अच्छे हथियार भी नहीं थे।

मैंने अपना पूरा वक्तव्य पढ़ा, उसमें किसी जगह यह उल्लेख नहीं कि नागौर में जो फायरिंग हुई तथा जो फार्च्यूनर गाड़ी मिली, उसमें राजू ठेहट गैंग के लोग थे; न कि मैंने आनन्दपालसिंह गैंग के लोगों के होने की बात कही। हमें तब तक पूरी तरह ज्ञात ही नहीं था, इस गाड़ी में कौन-कौन अभियुक्त रहे थे। बाद में उक्त गाड़ी में मिले आलमात, आनन्दपाल के सहयोगी महिपाल उर्फ मोंटी की वोटर आई डी, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस की फोटोकॉपी, इत्यादि महत्वपूर्ण सामग्री तथा अन्वेषण के आधार पर यह प्रबल संभावना बनती है कि उक्त गाड़ी में आनन्दपाल सिंह गैंग से सम्बन्धित अपराधी सवार थे। इसमें आनन्दपाल सिंह खुद भी था, यह आज कहना गलत होगा, क्योंकि इसका कोई पुख्ता साक्ष्य अभी तक नहीं मिला। हो सकता है कि अन्वेषण के बाद इसका कोई खुलासा हो। इस घटना के बाद आनन्दपाल गैंग के जो मैंने नाम आपको गिनाये थे, उनको हमने गिरफ्तार किया है।

अभी भी हमारी पुलिस लगी हुई है। घटना वास्तव में आपको, हमको, पुलिस को एक तरह से चुनौती है। हम उस चुनौती का उसी ढंग से अपने साधनों के साथ मुकाबला कर रहे हैं और एक के बाद एक जिस प्रकार से गैंग पकड़ी जा रही है, आज नहीं तो कल, हमें इसमें सफलता मिलेगी।

आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं कभी भी हाउस में, जहां तक मेरी

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

जानकारी में जिस प्रकार आएगा, मैं कभी भी विषय को आड़ा-टेढ़ा करके, केवल अपने को नाम बताने के लिए नहीं करता हूं। मुझे बहुत अफसोस है, आप अगर तरीके से आते और विषय को उठाते, तो मैं आपको तरीके से जवाब देता।

मेरी कल तैयारी थी, या आज नहीं थी, इस विषय पर अधिक बोलने से नहीं है। मैं जब भी सदन में आता हूं तो भगवान की कृपा से अभी तक पूरी तैयारी करके ही आता हूं। मैं आधी-अधूरी तैयारी से नहीं आता हूं। मैं पूरी की पूरी वह शीट लेकर आया हूं जिस पर वर्ड-टू-वर्ड, आपने इस सारे घटनाक्रम को जिस ढंग से, मैं वह पूरी उठाकर लाया हूं, ताकि आप स्वयं चाहें तो इसका एक-एक वर्ड देख लें कि मैंने कोई शब्द ऐसा प्रयोग किया हो, किसी गैंग के बारे में मैंने स्पष्ट किया हो। मैंने बदमाशान प्रयोग किया एक जगह।

मैं आज भी आश्वस्त करता हूं आपके माध्यम से राजस्थान की जनता को, कि निश्चित रूप से इस गैंग ने तबाही मचा रखी है, परेशान कर रखा है, लेकिन हम भी अपनी पूरी ताकत से लगे हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, हम इसे पकड़कर ही छोड़ेंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय प्रतिपक्ष के नेता।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, माननीय गृहमंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया, उसमें मैं बताना चाह रहा हूं, गांव वालों से भी हमारी बात हुई है, वह गाड़ी, जयपुर के अन्दर पुलिस को मेसेज मिला कि यह-यह गाड़ी है। यहां गाड़ी पकड़ी गयी। आपने ए-क्लास नाकाबंदी करायी। इस गाड़ी के पीछे कोई पुलिस वाला नहीं था। साइट पर बात हुई, श्रीबालाजी थाने वाले इस गाड़ी के पीछे भागे। यह गाड़ी पहले भगवानदास नहीं गयी थी। यह गाड़ी वहीं अलाय से गई छिला, पिपासर गांव। उस एस एच ओ ने आगे मेसेज किया, गांव वालों को, कि ऐसी-ऐसी गाड़ी आ रही है, आप उसकी नाकाबंदी करो; गांव की जो गाडियां हैं, उन गाडियों को रोड पर लगाओ। उन्होंने नाकाबंदी की; सामने पूरे गांव वाले खड़े थे, उनकी गाड़िया लगी हुई थीं। वह गाड़ी वापस घूमी, घूमने के बाद में गाड़ी सतेरन होते हुए, अलाय के पास, जो रेलवे के नीचे से अण्डरब्रिज है, उसमें से निकलती हुई गुढा भगवानदास की तरफ गई। नागौर की जो टीम है, नागौर की टीम उसके बाद आयी है।

जब गाड़ी गुढा भगवानदास की तरफ गई, तब नागौर टीम ने आगे

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

टेलीफोन किया, उनके कोई मिलने वाले थे, कि आप भी नाकाबंदी करो। तो उन्होंने भी गांव की गाड़ियां इकट्ठी करके सड़क को रोका। रोकने के बाद में, सामने उसको दिखा, तो उसने गाड़ी वापस घुमायी। घुमाने के बाद में जब रोड पर चला, एक मोटरसाइकिल पर दो जने थे, उस मोटरसाइकिल के टक्कर मारकर, गाड़ी मोटरसाइकिल के ऊपर चढ़ी है। तब जाकर गाड़ी पंक्चर हुई।

पंक्चर होने के बाद में, नागौर की जो क्यू आर टी टीम है, वे आमने-सामने आ गये। गाड़ी की 30 या 40 फीट की दूरी होगी। गाड़ी से वे उतरे नहीं, उस गाड़ी के अन्दर चार ही जवान थे। जब उतरे नहीं, उससे पहले उन्होंने फायरिंग चालू कर दी। फायरिंग चालू करते ही, एक पहले जो लड़का देवेन्द्र डूडी था, वह फाटक खोलकर उतरा। बोलेरो गाड़ी थी उनके पास में। फाटक खोलकर जैसे ही पैर नीचे किया, उसके पैर के दो-तीन गोलियां लग गईं। दूसरा खुमाराम था, वह भी पीछे बैठा था, उसने उतरने की कोशिश की। गाड़ी से जैसे ही वह नीचे उतरा, उसके पेट में गोली लग गई, और वे दो जने घबरा गये। घबराने के बाद में, उन्होंने फायरिंग चालू रखी। उस समय करीब आठ या सवा आठ बजे थे, अंधेरा था। उसके बाद में वे उतरकर भागे।

उसमें आनन्दपाल ही था, क्योंकि उस खेत वाले ने, उसके पास में टोर्च थी और उसने टोर्च सामने की, तो उसको भी धमकाया। उसने कहा, गोली मार दूंगा। तो उसने तुरन्त टोर्च बंद कर दी।

ना उसके पीछे कोई भगा, न कोई आपकी पुलिस आई, न कोई लेन आई। इतना बड़ा अपराधी जिस तरीके से खुला भाग रहा है और 500 पुलिस वाले थे। आज कोई आदमी पैदल कितना भाग सकता है, माननीय अध्यक्ष महोदय? उसके बाद में कहीं कोई नहीं। वे आराम से भाग गये।

ऐसी गाड़ी है, हमारी फोर्च्यूनर गाड़ी थी। उस वक्त में गाड़ी बीकानेर से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर थी। उन्होंने मेरे चाचा से रिवाल्वर दिखाकर गाड़ी छीनी। 15 किलोमीटर के अन्दर, आई जी को मैंने टेलीफोन कर दिया चार मिनट के बाद में, एस पी को टेलीफोन कर दिया। एस पी को टेलीफोन करने के बाद में 15 किलोमीटर के अन्दर गाड़ी नहीं पकड़ी गई। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: शांत रहें। शांत रहें। कृपया शांत रहें।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस को समाचार कर दिया, मेसेज कर दिया आई जी को, एस पी को मेसेज कर दिया और 15 किलोमीटर के अन्दर गाड़ी नहीं पकड़ी गई।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): पाइंटेड सवाल हो तो जवाब देंगे। ये तो पूरी गाथा गाने लग गये। स्टेटमेंट पर ये सवाल पूछ सकते हैं, यह अधिकार है, पर स्टेटमेंट पर स्टेटमेंट। यह मैं पहली बार देख रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, स्टेटमेंट पर स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दिया है, सवाल कर लें, जवाब देंगे। नहीं, कोई पाइंटेड सवाल हो, तो करिये ना।

श्री अध्यक्ष: मैंने इनको इजाजत दी थी।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): हम बता रहे हैं ना। हम बता रहे हैं, जो स्टेटमेंट दिया है, उसमें। हम चाह रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हम यह निवेदन करना चाह रहे हैं कि इसकी सही तरीके से जांच हो, इसकी एक कमेटी बैठाकर; कहीं न कहीं पुलिस की इसमें संदिग्धता है, उसमें हमें लगती है। कहीं कोई आदमी नहीं है। गांव वाला कह रहा है कि गाड़ी इधर गई है और पुलिस वाला कह रहा है, माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: वक्तव्य नहीं। खुली बहस नहीं होगी। खुली बहस नहीं होगी। इसमें खुली बहस नहीं होगी।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): पुलिस वाला कह रहा है कि हमारा एरिया नहीं। आज जो गुण्डा, गैंगवार वाला भाग रहा है...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): एक गैंगस्टर भाग रहा है, उसके लिए पुलिस वाला कहता है, पुलिस वाला कह रहा है कि मेरा एरिया खतम हो गया।

श्री अध्यक्ष: नहीं, खुली बहस नहीं होगी। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): पुलिस वाला भाग ही नहीं रहा है। बेचारे चार उसके आगे कर दिये। ना उनको फायरिंग का आदेश था। वे फायरिंग ही नहीं कर सके। उस बेचारे को मार दिया। गृह मंत्रीजी, मैं कोई आप पर आरोप नहीं लगा रहा।

श्री अध्यक्ष: आप बैठ जाइये, किशनारामजी। इस पर खुली बहस नहीं होगी। खुली बहस नहीं होगी।

श्री किशनाराम (डूंगरगढ़): मैं बीकानेर जिले का हूं। एस पी ने विपक्ष के नेता के फोन करने के बाद, तुरन्त टीम पीछे लगा दी। ये कह रहे हैं कि 15 मिनट बाद में, फौरन टीम पीछे कर दी थी एस पी ने।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: इसको आप सम-अप कीजिये। माननीय मंत्रीजी का वक्तव्य था, आपने अच्छे सुझाव दिये।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): इस पूरे सदन का यह दायित्व बनता है... (व्यवधान) एक मिनट मेरी बात तो सुनो।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, इसमें एक यह भी जांच की जानी चाहिए कि माननीय नेता प्रतिपक्ष के रिश्तेदार ने गाड़ी सरेण्डर कर दी, या छीनकर ले गये। छीनकर ले गये, या छीनने का नाटक किया। यह भी एक जांच का विषय है। यह भी जांच करवा दो।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): बैठो आप। बैठो आप।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप क्या चीज हो? नेता बोल रहे हैं, तो आप क्या चीज हो? बीच में खड़े हो गये।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): फालतू बात करते हो। इतना गम्भीर मामला है प्रदेश का। इस गम्भीर मामले के अन्दर अपन बहसबाजी कर रहे हैं। इसमें हम सबका दायित्व है, सदन का दायित्व है, हम लोगों का दायित्व है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: अब बहस नहीं। प्रतिपक्ष के नेता, आप स्थान ग्रहण कीजिये। अब स्थान ग्रहण कीजिये। आप स्थान ग्रहण कीजिये। अब स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): यह जिस तरीके से प्रदेश के अन्दर... मैं एक मिनट लूंगा, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: अच्छा, एक मिनट। इस पर खुली बहस नहीं।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं प्रदेश की बात कर रहा हूं। हम आप पर कोई लांछन नहीं लगा रहे हैं। यह पूरे सदन का दायित्व बनता है। हमारा दायित्व है कि आज राजस्थान प्रदेश के अन्दर, जिस तरह से पहले

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

बात करते थे यू पी और बिहार की, आये दिन घटनाएं हो रही थीं गैंगवार की आज प्रदेश के अन्दर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा, बीकानेर, नागौर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनूं, ये जिले हैं, इन जिलों के अन्दर जिस तरीके से गैंगवार फैल रहा है। हम सबका दायित्व है। आप मजबूती से काम करो। हम सबके दायित्व को निर्वाह करते हुए, इस गैंगवार को खतम करना बहुत जरूरी है। सबका साथ है।

श्री अध्यक्ष: यह हुई बात बढ़िया।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: इसको खुली बहस क्यों करना चाहते हों? इन्होंने सुझाव दे दिये। इन्होंने सुझाव दे दिये। (व्यवधान) नहीं, नहीं। नो, नो, नो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: कोई अंकित नहीं हो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो। अनुपस्थिति के लिए अनुमति। (व्यवधान)

मुझे सदन को सूचित करना है कि श्री जगसी राम कोली, सदस्य... (व्यवधान) कोई अंकित नहीं हो। (व्यवधान)

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (संसदीय सचिव): आसन पैरों पर है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: इधर से कोई अंकित नहीं हो। माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय, आपके निवेदन पर मैंने कहा। अब इस पर खुली बहस नहीं होगी। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: वह हो गया। कल भी हो गया। (व्यवधान) बैठ जाओ। बैठ जाओ। (व्यवधान) हां, बैठ जाओ। गम्भीर है सरकार। बैठ जाइये। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा। यह क्या मतलब है? प्रतिपक्ष के नेता ने इतनी

(श्री अध्यक्ष)

गम्भीरता से अपना विषय रखा है। नहीं, इस पर खुली बहस नहीं होगी। बैठ जाइये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: गुस्सा नहीं है। एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था को आप चलने देना नहीं चाहते।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: सुझाव दे देना आप जाकर गृह मंत्रीजी को। आपके पास है। आपके पास बहुत सामग्री है, मुझे पता है। माननीय गृह मंत्रीजी, उनको बुलाकर सारी सामग्री ले लीजिये; अनुसंधान में मदद ले लीजिये। (व्यवधान) नो, नो, नो, नो।

मुझे सदन को सूचित करना है कि श्री जगसी राम कोली, सदस्य, विधान सभा ने अपने रिश्तेदार...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो। (व्यवधान) खींवसर के विधायक का एक भी शब्द अंकित नहीं हो। (व्यवधान) एक भी शब्द अंकित नहीं हो। अब आप बैठ रहे हों, कि नहीं? आप बैठते हैं, कि नहीं?

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: मुझे सदन को सूचित करना है कि...

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

श्री अध्यक्ष: आप भी बैठिये, रमेशजी। यह खुली बहस नहीं होगी। मैंने कह दिया है। प्रतिपक्ष के नेता, अपने सदस्यों को बैठाइये। (व्यवधान) जो मतलब है, वह मैं जानता हूं। प्रतिपक्ष के नेता ने निवेदन किया, मैंने अवसर दे दिया। अब मैं खुली बहस की इजाजत नहीं दे सकता। नो, नो। बैठ जाइये। (व्यवधान)

अनुपस्थिति अनुमति

जगसी राम कोली, श्री, सदस्य, को दिनांक 28 मार्च, 2016 से सत्रांत तक

मुझे सदन को सूचित करना है कि श्री जगसी राम कोली, सदस्य, विधान सभा ने अपने रिश्तेदार का निधन हो जाने के कारण 28 मार्च, 2016

(श्री अध्यक्ष)

से सत्रांत तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है। क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: दूसरा किरोड़ी लाल जी का और है। मैंने सोचा, एक में ही आ गया दिखता है।

किरोड़ी लाल, डा., सदस्य, को दिनांक 28 मार्च, 2016 से सत्रांत तक

मुझे सदन को सूचित करना है कि डॉ. किरोड़ी लाल, सदस्य, विधान सभा ने शारीरिक अस्वस्थता के कारण दिनांक 28 मार्च, 2016 से सत्रांत तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है। क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री मेवाराम जैन, सदस्य की ओर से जिला बाड़मेर के गरीब व बी पी एल परिवारों के लिए पुरानी व्यवस्था से ही राशन सामग्री वितरित किये जाने के सम्बन्ध में;

(2) श्रीमती सोनादेवी, सदस्या की ओर से जिला गंगानगर में श्मशान के लिए भूमि आरक्षित किये जाने के सम्बन्ध में;

(3) श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य की ओर से प्रदेश की बढ़ रही गैंगवार की घटनाओं से प्रदेश में अराजकता का माहौल उत्पन्न होने के सम्बन्ध में;

(4) श्री पूरणमल सैनी, सदस्य की ओर से आर पी एस सी द्वारा आयोजित

(श्री अध्यक्ष)

कनिष्ठ लेखाकार भर्ती परीक्षा में हुई हाईटेक नकल से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में;

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(5) श्रीमती शकुन्तला रावत, सदस्या की ओर से प्रदेश में गोचर भूमि एवं अन्य किस्म की भूमियों में से रास्ता निकालने को लेकर हो रहे विवादों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में;

(6) श्री राजेन्द्र सिंह यादव, सदस्य की ओर से जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में राशन वितरण व्यवस्था के छिन्न-भिन्न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में;

(7) श्री सुखराम विश्नोई, सदस्य की ओर से राज्य में संचालित गौशालाओं को अनुदान नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में; एवं

(8) श्री अशोक, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली के उपखण्ड मुख्यालय नैनवां में पेयजल समस्या का समाधान करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्रीमती शकुन्तला रावत, श्री राजेन्द्र सिंह यादव, श्री सुखराम विश्नोई एवं श्री अशोक को उनके प्रस्ताव की विषय-वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. श्री ललित कुमार, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र किशनगंज-शाहबाद में वर्षों से लम्बित पड़ी सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।
2. श्रीमती शिमला बावरी, सदस्या की ओर से विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ की घड़साना रावला कच्ची बस्ती का नियमन किये जाने के सम्बन्ध में।
3. श्री किशनाराम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ के

(श्री अध्यक्ष)

किसानों को ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों का मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में। इस पर आप पहले भी बोल चुके हैं।

4. श्री मेवाराम जैन, सदस्य की ओर से प्रदेश में डोडा पोस्त नशा छुड़ाने के लिए नशा-मुक्ति शिविर लगाये जाने तथा डोडा पोस्त बंधाणियों के लिए सरकार के स्तर पर वैकल्पिक व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

5. श्री बाबू सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ की ग्राम सेवा सहकारी समिति से वंचित ग्राम पंचायतों में नवीन ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन करने के सम्बन्ध में।

6. श्री विजय सिंह, सदस्य की ओर से कुचामनसिटी में जिला स्तरीय औषधि भंडार बनाये जाने के सम्बन्ध में।

7. श्री गोतम कुमार, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में कैंप कोर्ट के स्थान पर स्थायी न्यायालय प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में।

8. श्री निर्मल कुमावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के किशनगढ़-रेनवाल के मुख्य बाजार की क्षतिग्रस्त सड़क को सी सी सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में।

9. श्री शैतानसिंह राठौड़, सदस्य की ओर से पोकरण शहर में ट्रोमा सेंटर खोलने के सम्बन्ध में।

10. श्री भंवरसिंह, सदस्य की ओर से प्रदेश में नायक जाति को अनुसूचित जनजाति मानकर इनके अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र बनाये जाने के सम्बन्ध में।

11. श्री शंकर लाल शर्मा, सदस्य की ओर से प्रदेश में राजकीय विद्यालयों में कार्यरत कुक-कम-हेल्परों का मानदेय बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

12. श्री पब्बाराम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र फलौदी में टेकरा से धोलिया तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

आज मुखबंद भी है और दो महत्वपूर्ण विभाग भी हैं। ऐसी स्थिति में मैं आपकी राय चाहूंगा कि इनको पढ़ा हुआ मान लिया जाए?

(स्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

माननीय सदस्यों द्वारा दी गई सूचनाओं को पढ़ा हुआ माना जाता है। सरकार को भेज दी जाएंगी।

(नियम 295 के तहत, पढ़ी मानी गईं, सूचनाओं के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

पर्ची के माध्यम से उठाये जाने वाले मुद्दे

आज दिनांक 29 मार्च, 2016 को शून्य काल में बोलने हेतु 57 पर्चियां प्राप्त हुईं, जिनमें शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गईं, जो निम्नांकित हैं:-

1. श्री हीरालाल नागर, सदस्य की ओर से पंचायती राज के जी.के.एन. में ग्रेवल के साथ-साथ नरेगा की सड़कों हेतु जी.एस.बी. (गिट्टी) का कार्य सम्मिलित करने के सम्बन्ध में;
2. श्री केसाराम चौधरी, सदस्य की ओर से ग्राम वोपारी, तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली के मंदिर आसननाथ की भूमि को भू-माफियाओं तथा राजस्व अधिकारियों की कथित मिलीभगत से खुर्द-बुर्द करने के सम्बन्ध में;
3. श्री कैलाश वर्मा, सदस्य की ओर से भांकरोटा से बगरढ़ एन.एच. 8 पर आर.टी.ओ. की लापरवाही से हो रही दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में; एवं
4. श्री जोगाराम पटेल, सदस्य की ओर से जयनारायण विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा वर्ष 2008 से 2014 तक आयोजित पी.टी.ई.टी. परिक्षाओं में कथित रूप से हुई भारी अनियमितताओं के सम्बन्ध में।

श्रीमती शकुन्तला रावत।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, ...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन था इस मामले में। अध्यक्ष महोदय, दो मिनट का टाइम दे दो।

श्री अध्यक्ष: नहीं, मैंने कहा, व्यवस्था से चलेगा। आप कल ले आना अपना प्रस्ताव। ऐसे नहीं। यह बहस थोड़े ही है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। मैं जो कह रहा हूं...

श्री अध्यक्ष: नो, नो। आप उनसे बात कर लो ना। यहां बोलना जरूरी

(श्री अध्यक्ष)

है क्या? उनसे बात कर लीजिए व्यक्तिगत, जितनी जानकारी है, दे दीजिए उनको।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हों, साहब?

श्री अध्यक्ष: गुस्सा नहीं हो रहा हूं। इस व्यवस्था में, नहीं, मैं नहीं बोलने दूंगा। मैं नहीं बोलने दूंगा आपको। अंकित नहीं हो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: बैठ जाते हो तो आप बैठ जाइए। नहीं दूंगा मैं। इस तरह अव्यवस्था नहीं होने दूंगा।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। मैंने आपको इजाजत नहीं दी है। श्रीमती शकुन्तला रावत, आप बोलिए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: आप कल भी खूब बोल लिये। नो, नहीं दूंगा मैं। अंकित नहीं होगा। आपको एक बार कह दिया है, नहीं दूंगा।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: आप बैठ जाइए। आपने मेरे साथ प्रोमिस किया है कि मैं कहूँगा तब बैठ जाएंगे, और जरूरी नहीं है कि आप बोलें हर चीज पर। बैठ जाइए आप।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: देख लेंगे तब। अभी तो बैठ जाओ।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

प्रदेश में गोचर भूमि एवं अन्य किस्म की भूमियों में रास्ते को लेकर उत्पन्न विवाद

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में गोचर एवं अन्य किसी भी भूमियों से रास्ते को लेकर के हो रहे विवाद से

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 50 के अन्तर्गत आपसे अनुरोध है कि प्रदेश में आजकल जगह-जगह गॉवों में भूमियों में रास्ते को लेकर विवाद गहराते जा रहे हैं और सरकारी नियमों की कहीं पर लचरता और कहीं पर बहुत सख्ती के कारण किसानों एवं ग्रामीणों में आपस में विवाद का शिकार होना पड़ रहा है। रास्तों को लेकर के हुए झगड़ों में कई बार तो आपस में गांव वालों की मृत्यु तक हो जाती है।

जहां एक तरफ गांवों में गोचर भूमि से या सिवाय चक में से रास्ते के लिए काश्तकारों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं शहर क्षेत्र में गोचर भूमि का कन्वर्जन करके भू-माफियाओं के द्वारा जगह-जगह पर अवैध कॉलोनियां काटी जा रही हैं। उनके लिए कोई किसी तरीके की रोक नहीं है, लेकिन गांव वालों के लिए और काश्तकार के लिए ही ऐसा कानून क्यों जारी किया जाता है? एक तरफ तो लीजधारकों में से आम काश्तकार को रास्ते का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन वहीं पर खुद लीजधारक खातेदारी में से भी जो भूमियों में से रास्ते का उपयोग करते हैं, जिसमें ग्रामीण किसानों को भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। आम जन को तो श्मशान घाट तक भी जाने के लिए रास्तों की बहुत भारी दिक्कत है।

अध्यक्ष महोदय, खेतों में से जाने के लिए जो कदमी रास्ते हैं, उनको राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करना चाहिए, जिससे कि गांवों में ऐसी स्थिति पैदा नहीं हो। कई बार जनता द्वारा मांग की गई है लेकिन प्रशासन कुछ कार्यवाही नहीं कर पाता है, जिससे आये दिन झगड़े हो रहे हैं। चाहे गैर-मुमकिन नाले हों, नदी हों, सिवाय चक हों, तो ऐसी जगह में से इसको राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाए और रास्ता दिलवाने की कृपा करें।

मेरा आपसे अनुरोध है कि ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, आये दिन गांवों में ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है। तो, मंत्री महोदय, आप इन रास्तों का विवाद समाप्त करें।

श्री अध्यक्ष: कोई रेस्पोंड करेगा?

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): मंत्री महोदय तो बात में मस्त हो रहे हैं। मंत्री महोदय, बहुत गम्भीर विषय है कि जो चहलकदमी, जो रास्ते हैं, उनको राजस्व रिकॉर्ड में लेकर के, चाहे श्मशान के लिए हो, चाहे गांव वालों के लिए रास्ता हो। यहां पर आये दिन लड़ाई हो रही है। कोई थाना ऐसा नहीं है जहां डेली के दो-चार केस नहीं दर्ज होते हों।

श्री अध्यक्ष: अब आप बैठिये। सरकार रेस्पोंड नहीं करना चाहती है, तो कोई दिक्कत नहीं है।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): मंत्री महोदय, यह बहुत गम्भीर विषय है।

श्री अध्यक्ष: अब नहीं करना चाहती तो नहीं करना चाहती। श्री राजेन्द्र सिंह यादव।

जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में राशन वितरण की छिन्न-भिन्न व्यवस्था

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली): आदरणीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि रसद विभाग में जयपुर, जो कि प्रदेश की राजधानी है, वहां जिस तरीके का भ्रष्टाचार और जिस तरीके की लूट-खसोट मची हुई है, तो पूरे प्रदेश का क्या हाल होगा? यह मंत्रीजी को मैं, पहले भी इस बारे में एक बार मिले थे। हमारे यहां जयपुर ग्रामीण के डी एस ओ, जो कि पूर्णतया पूरे जिले में लूट-खसोट में लगे हुए हैं। इसका उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं कि पहले लोगों को, डीलरों को लाइसेंस निरस्त करने के नोटिस दिये जाते हैं और फिर दो दिन में, चार दिन में उनको वापस लगाया जाता है।

इसका उदाहरण है, कोटपूतली क्षेत्र में पावटा में डीलर शिव कुमार के विरुद्ध एक मुकदमा दर्ज हुआ, एफ आई आर दर्ज हुई और 12.10.2015 को उसका लाइसेंस दुबारा शुरू कर दिया गया। इसी तरह से भूरीबड़ाज मेरे क्षेत्र में है, वहां डीलर का लाइसेंस निरस्त किया गया और बिना रिकॉर्ड की जांच किए हुए, दो दिन बाद ही उसको दुबारा शुरू किया गया। इसी तरह पुरुषोत्तमपुरा स्थित दुकान के नये डीलर की नियुक्ति हेतु समाचार पत्रों में 2011 में जारी हुआ था, परन्तु उसके बावजूद पुराने डीलर के निरस्त पड़े लाइसेंस को 2015 में दुबारा शुरू कर दिया गया। इसी तरह कोटपूतली नगरपालिका क्षेत्र में 2012 में डीलर का लाइसेंस निरस्त हुआ और उसके बाद उस पर बिना कार्यवाही किए, उसको 2015 में शुरू किया और फिर मात्र तीन दिन बाद उसको निरस्त किया गया। ऐसे ही मंडा स्थित दुकान को 22.1.2016 को सस्पेंड किया गया और 25.2.2016 को पुन: बहाल कर दिया गया। इनमें किसी तरह की कोई जांच, या कुछ नहीं, उनको बुला करके सिवाय भ्रष्टाचार के...। इसी तरह खेल डीलरों के अटैचमेंट का पांचूडाला में हुआ 5.2.16 को, फिर उसको तीन दिन बाद अटैच किया, फिर हटाया।

(श्री राजेन्द्र सिंह यादव)

ये पूरे प्रकरण मेरे पास हैं। मैं मंत्रीजी को इसके सारे आदेश, जो किये हैं, वे भी देता हूं और इस तरीके के अधिकारी से गरीब जनता को जो नुकसान हो रहा है और आपकी सरकार पर जो बट्टा लग रहा है, मंत्रीजी, उस पर ध्यान करके, इनको यहां से स्थानांतरित कर जांच करवायें। इनके रहते हुए इनकी जांच नहीं हो सकती। ये प्रभावित करेंगे। इसलिए आपसे बहुत-बहुत अनुरोध है।

श्री अध्यक्ष: आप बोल रहे हैं? रेस्पोंड कीजिये।

श्री हेमसिंह भड़ाना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटपूतली से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया है कि निरस्त किया, फिर उसको हमने बहाल करके दुकान लगा दी। पहले तो आपकी जानकारी के लिए बताऊंगा कि निरस्त को हम किसी को भी अटैचमेंट नहीं लगाते; निरस्त की अपील विभाग में होती है। निलम्बन बोलो आप। निलम्बन होता है, निलम्बन के बाद निरस्त होता है, अगर उसका उसमें कुछ मिलता है, तो।

जयपुर ग्रामीण में उचित मूल्य की दुकानों की संख्या कुल 1,050 है, जिनमें 148 वर्तमान में रिक्त चल रही हैं। उक्त रिक्त दुकानों में वर्तमान में अन्य समीपस्थ चालू उचित मूल्य की दुकानों के साथ में अटैच की गयी हैं। यह भी सुनिश्चित किया गया है कि एक राशन डीलर के पास एक से अधिक अतिरिक्त दुकानें अटैच नहीं हों। रिक्त एवं नवसृजित दुकानों का आबंटन करने के लिए विभाग द्वारा दिनांक 3.3.2015 को एक सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है तथा दिनांक 17.3.2016 को आबंटन हेतु नवीन दिशा-निर्देश भी जारी किये जा चुके हैं।

जयपुर ग्रामीण में वर्ष 2015-16 में उचित मूल्य की दुकानों के निरीक्षण के उपरांत पन्द्रह दुकानों के निलम्बन की कार्यवाही की जा चुकी है, जिनमें से विभागीय कार्यवाही उपरांत आठ दुकानों को बहाल किया गया है। एक प्रकरण में पुलिस की कार्यवाही की जा रही है।

इसके अतिरिक्त, जिला रसद अधिकारी, प्रवर्तन अधिकारी, प्रवर्तन निरीक्षकों द्वारा निरन्तर मासिक निरीक्षण किये जाते हैं, जिससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।

यदि माननीय विधायक महोदय के पास कोई विशिष्ट मामला है, या

(श्री हेमसिंह भड़ाना)

शिकायत है, तो मुझे व्यक्तिगत रूप से अवगत करा दें, उसकी निष्पक्ष जांच करा दूंगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सोना देवी जी, आपका कल लेंगे, आज चार आ गये। कल ले लेंगे।

श्री सुखराम विश्नोई। राजपाल सिंह जी, आप आपस में बातचीत मत कीजिये।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सबको ही समझाओ।

श्री अध्यक्ष: इनके लिए भी वे ही निर्देश हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, बातचीत अगर होती है तो आपस में ही होती है, नहीं तो होती ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष: आपस में बातचीत करने का यह स्थान नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह स्थान नहीं है, वह अलग बात है लेकिन बातचीत...

श्री अध्यक्ष: आपका घर हो सकता है आपस में बातचीत करने का, जहां होती रहती है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां चीत तो बिलकुल नहीं होती। बात ही बात कर सकते हैं, चीत थोड़े कर सकते हैं यहां।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, शकुन्तला जी ने बोला है कि मंत्रीजी से जवाब दिलवाओ। आप दिला ही नहीं रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: वे नहीं देना चाहें, तो नहीं। सरकार को दबा नहीं सकते आप। सरकार चाहे, तो दे।

श्री सुखराम जी।

राज्य में संचालित गौशालाओं को अनुदान की अप्राप्ति

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली खरीफ की गिरदावरी अक्टूबर में हो गयी थी और अक्टूबर में गिरदावरी होने के बाद आज छह महीने हो गये हैं और खराबा की रिपोर्ट आ गयी, गिरदावरी की रिपोर्ट आ गयी, परन्तु आज की तारीख तक पूरे प्रदेश में जिन जिलों में, कम से कम आधे से ज्यादा जिलों में अकाल है और वहां करीब हर जिले में

(श्री सुखराम विश्नोई)

पचास-साठ गौशालाएं रजिस्टर्ड हैं, आज दिन तक किसी भी गौशाला को अनुदान नहीं मिला है। बड़ी शर्म की बात है। सुराज संकल्प यात्रा में यह वादा किया था कि हम नौ महीने तक अनुदान राशि देंगे। सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कल ही बात रखी थी कि नौ महीने की बात वाजिब है। माननीय आपदा प्रबंधन मंत्री बड़े भावुक हैं, कुछ करना चाहते हैं, परन्तु न जाने किस तरफ से उनके हाथ बंधे हुए हैं; खड़े होकर एक ही बात कहेंगे, गिरदावरी आएगी और आने के बाद हम कार्यवाही कर देंगे। तीन महीने की बात करेंगे। जब आपने नौ महीने का वादा किया था, पूरे प्रदेश में आप घूमे थे उस यात्रा में, साथ में, और गौमाता की बात करते-करते 68 साल हो गये और जब पिछली सरकार ने 6 महीने का अनुदान स्वीकृत किया था, आपने वे तीन महीने काट दिये।

तो मेरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत निवेदन है कि जब पूरे प्रदेश में ये हालात बने हुए हैं; सत्ता पक्ष के सभी माननीय सदस्य विराजमान हैं, अपने-अपने क्षेत्रों में जाते हैं, तो एक ही मांग सभी जगह सामने उठती है कि गायें मर रही हैं, न तो पीने को पानी है, न चारा है। ऐसे हालात बने हुए हैं। चारा कहीं है ही नहीं। तो मेरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत निवेदन है कि ये जो पूरे प्रदेश में गौशालाएं हैं, उन गौशालाओं को अविलम्ब अनुदान देने की व्यवस्था की जाए, चाहे गिरदावरी आये, या नहीं आये। जब गायें उनके पास में हैं, गौशाला रजिस्टर्ड हो, चाहे नहीं हो; गायें जब पटवारी वेरिफाई करता है, तहसीलदार वेरिफाई करता है, तो उस आधार पर अनुदान दिया जाए।

अनुदान के साथ-साथ, माननीय अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है कि कुछ लोग गौशालाओं में हरा चारा पैदा कर रहे हैं, रिंजका बो रहे हैं, जैसे यहां हिंगोनिया गौ पुनर्वास केन्द्र में भामाशाहों द्वारा चार ट्यूबवेल खोद करके रिंजका पिलाया जा रहा है, उन चारों ट्यूबवेलों पर न तो लाइट दी जा रही है। कभी कह रहे हैं कि लोड ज्यादा उठा रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि पानी का सक्शन टूट रहा है। तो ऐसी छोटी-छोटी बातों को लेकर, माननीय अध्यक्ष जी, आपके मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम जो हरा चारा इस अकाल के अन्दर गौशालाएं खुद पैदा कर रही हैं, उन गैशालाओं को लाइट फ्री में दी जाए, पानी फ्री में दिया जाए, ताकि उस गोचर की जमीन पर वह रिंजका आए,

(श्री सुखराम विश्नोई)

बाजरी पैदा करके कम से कम जो छोटे दुधारू पशु हैं उनका पालन-पोषण कर सकें।

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है कि आज जो हालात बने हुए हैं पूरे प्रदेश में, मेरे सांचौर में, एशिया की कहो, या पूरे वर्ल्ड की, सबसे बड़ी गौशाला है। उस गौशाला में, माननीय अध्यक्ष जी, आप वहां पधारे हुए हैं, गोलासण गांव में पच्चीस हजार नंदी एक साथ हैं। सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य, पच्चीस हजार नंदी हैं, आप कभी देखने पधारो। एक नंदी रखना मुश्किल होता है और पच्चीस हजार नंदी वे रख रहे हैं, परन्तु उनके चारे की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है।

(12.47 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मंत्रीजी आज ही इस बात की व्यवस्था करें कि हम गौशाला को अनुदान देंगे और जो हरा चारा पैदा कर रहे हैं, विशेष करके मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि हिंगोनिया गौ पुनर्वास केन्द्र में भामाशाहों ने जो रिंजका पैदा किया है चार ट्यूववेल लगा करके, उनको पानी नहीं दिया जा रहा है, उन्हें लाइट नहीं दी जा रही है। इनकी व्यवस्था की जाए।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सांचौर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है, निश्चित रूप से हमने, पिछली खरीफ फसल की जो गिरदावरी थी वह हमारे पास आ चुकी थी, दिसम्बर अन्त में हमने केन्द्र सरकार को हमारी सहायता के लिए फाइल मूव कर दी। आपदा प्रबंधन में अभी तक हमको केवल नब्बे दिन तक ही इन गौशालाओं को राहत देने का अधिकार है। उस दृष्टि से जो 14,487 गांव अभावग्रस्त घोषित कर दिये, हमने दिसम्बर में ही कर दिये, उन सबके प्रस्ताव हमने मंगाये हैं। केन्द्र से भी पैसा हमने मांगा है, उसके तहत भी हमें पैसा मिलेगा। मान लो, वह थोड़े दिन देर से भी मिलेगा, तो कोई बात नहीं, हम अपने सोर्स से भी पैसा देंगे, लेकिन प्रस्ताव आने के बाद। हमने सभी कलेक्टर को लिख दिया है, जो अभावग्रस्त गांव हमने घोषित किये हैं, वहां नब्बे दिन के लिए गौशालाओं को अनुदान दिया जा सकता है। हम अपने लेवल पर प्रस्ताव की फोर्मेलिटी पूरे होते ही, जैसे ही हमारे पास आएगा, नब्बे

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

दिन तक का देने का अधिकार हमारे पास है, उसका हम प्रयोग करके...। केन्द्र से भी सहायता हमको मिलेगी, ऐसा पूरा विश्वास है।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): हिंगोनिया गौशाला में जो चारा पैदा किया जा रहा है, उनकी तो व्यवस्था कराओ। उनकी लाइट की तो व्यवस्था कराओ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): हिंगोनिया गौशाला, गौशाला पर्टिकुलर मेरे पास नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: श्री अशोक।

(अनुपस्थित)

पर्ची के माध्यम से। श्री हीरा लाल नागर।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

नरेगा में सड़क कार्य पर ग्रेवल के साथ मिट्टी को भी सम्मिलित किया जाना

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे ग्रामीण क्षेत्र की महत्वपूर्ण योजना, जो गांवों में रहने वाले श्रमिक को रोजगार का साधन उपलब्ध कराती है, जो नरेगा के माध्यम से एक महती योजना है, इस योजना के द्वारा गांवों में रहने वाले मजदूर को निश्चित रूप से मजदूरी मिल रही है, रोजगार उपलब्ध हो रहा है, परन्तु इसमें श्रम और सामग्री का जो 60 परसेंट और 40 परसेंट का प्रावधान है, उसमें 60 प्रतिशत श्रम का कार्य होने के उपरांत ही ग्राम पंचायत स्तर पर 40 प्रतिशत सामग्री का उपयोग करने का जो राइडर है, उसकी वजह से गांवों में पंचायत स्तर पर जो सामग्री के विकास के कार्य कराये जाते हैं, उनमें पूरी सामग्री का उपयोग नहीं हो पा रहा है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि गांवों में जो अधिकतर कच्चे काम होते हैं, वे हमारे खेतों से जोड़ने वाले, या गांवों को एक-दूसरे से जोड़ने वाले रास्ते होते हैं, उन पर लेबर के द्वारा मिट्टी डलवा कर उन पर रास्ता बनाते हैं और उस पर एक ग्रेवल रोड के नाम से नरेगा के माध्यम से उसको स्वीकृत करते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोटा संभाग में हाड़ौती से आता हूं और हाड़ौती, कोटा संभाग के चारों जिलों में काली मिट्टी है। काली मिट्टी में

(श्री हीरालाल नागर)

बरसात के दिनों में भयंकर कीचड़ हो जाता है और उस कीचड़ के कारण से, यह जो नरेगा के रोड बनते हैं, उन पर अगर सामान्य रास्तों से चलें, तो नरेगा की जो नई मिट्टी डलती है, उस पर जाना और भी मुश्किल हो जाता है, कठिन हो जाता है। जबकि हम पुराने परम्परागत रास्ते से जायें, तो वह ज्यादा सुविधाजनक होता है।

मेरा निवेदन है कि उस मिट्टी के रोड पर जो जी एस बी है, उसको अनुमत किया जाये। उसमें गिट्टी, सैंड, डस्ट मिलाकर उसकी कुटाई कर दी जाती है, तो वह निश्चित रूप से एक गिट्टी रोड होगा। अभी जो ग्रेवल रोड उपलब्ध हैं, न तो हाड़ौती के किसी जिले में ग्रेवल के नाम पर कोई क्वैयरी है, कोई माइन्स नहीं है और जो सामग्री आती है वह अवैध रूप से आती है, या तो जंगल से आती है, चोरी-छिपे आती है, और वह काम करना बहुत कठिन है। उसके बावजूद भी इस ग्रेवल की जो गुणवत्ता होनी चाहिये, उस गुणवत्ता का ग्रेवल उपलब्ध नहीं है। ग्रेवल की सी बी आर वेल्यू कम से कम 15 होनी चाहिये, यह 30 तक भी होती है; इसकी पी आई वेल्यू 6 से कम नहीं होनी चाहिये। इस गुणवत्ता की ग्रेवल उपलब्ध नहीं होने के कारण, जो ग्रेवल डाली जाती है, वह भी गुणवत्तापूर्ण नहीं होती। उसको अगर हम डाल भी देते हैं, तो वह साल-दो साल की बरसात के बाद में वह मिट्टी मिलकर मिट्टी-जैसी हो जाती है। तो जो काम होता है, उसकी भी कोई उपयोगिता नहीं होती; उस पर कुटाई भी नहीं होती और एक-दो बारिश के बाद में नरेगा के श्रमिकों ने जो भी काम किया है, ग्रेवल रोड बनाई, वह बारिश में बहकर पुनः समतल हो जाती है, जिससे हमारा पैसा भी लग रहा है, श्रम भी लग रहा है और उसका उपयोग भी नहीं हो पा रहा।

अगर इसकी जगह हम जी एस बी को अनुमत कर देते हैं जी के एन के द्वारा, तो जी के एन में जी एस बी को शामिल किया जाये और अगर उसमें शामिल किया जाता है, तो गिट्टी रोड के द्वारा जो कुटाई होगी और उस पर रोलर चलेगा, तो उन कच्चे रास्तों पर किसानों को खेतों तक और एक-दूसरे के गांव तक आने-जाने में, अपने ट्रैक्टर ले जाने में सुविधा रहेगी, अपना माल ढो कर लाने में सुविधा रहेगी। इसके साथ-साथ, जब गिट्टी रोड का बेस तैयार हो जायेगा, उस बेस पर हम आगे जाकर पी डब्ल्यू डी के माध्यम से या मंडी के माध्यम से उन पर अगर रोड बनायेंगे, तो वहां खर्चा भी कम आयेगा। जब उनको तैयार जी एस बी के रोड मिलेंगे, तो पी डब्ल्यू डी चाहे बाद में उनको

(श्री हीरालाल नागर)

अपनी मद से बनाये, या मार्केटिंग बोर्ड की मद से बनाये, जब बेस तैयार मिलेगा, तो कम खर्चे में डामरीकरण भी उनका हो पायेगा।

इसलिए मेरा निवेदन है कि इस जी एस बी को, माननीय मंत्री महोदय यहां बैठे हैं, मैं कई बार उनको चिट्ठियां लिख चुका हूं, नरेगा में सचिव को चिट्ठियां लिख चुका हूं, परन्तु मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि आज तक चिट्ठियों का कोई जवाब नहीं मिला।

अगर इसका उपयोग करते हैं, तो इसमें एक बड़ी समस्या है कि हम इस नरेगा मद में जो सामग्री पर खर्चा करते हैं, तो उसके अनुपात में 40 परसेंट, श्रम के ऊपर जो खर्चा करते हैं, 40 परसेंट सामग्री का उपयोग नहीं हो पा रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास जो डैटा है, उसमें 2012-13 में राजस्थान में जहां 69.95 प्रतिशत श्रम पर खर्च हुआ, सामग्री पर मात्र 30.05 प्रतिशत हुआ। इसी तरह से कोटा जिले में मात्र 22.83 प्रतिशत सामग्री पर खर्चा हुआ, जो 40 परसेंट होना चाहिये था। 2013-14 में कोटा जिले में 25.3 प्रतिशत खर्चा हुआ और प्रदेश स्तर पर भी 25.58 प्रतिशत हुआ। तो यह 40 परसेंट की जगह 15 परसेंट का लगभग गैप चल रहा है, यह वेस्ट जाता है, इसका कोई उपयोग नहीं होता। इसी तरह से 2014-15 में भी 15.13 प्रतिशत कोटा जिले में खर्च हुआ और प्रदेश स्तर पर 31.41 प्रतिशत हुआ। इसी तरह से 2015-16 में भी कोटा जिले में 19.23 प्रतिशत का खर्चा हुआ और प्रदेश स्तर पर 24.70 प्रतिशत का खर्चा हुआ। यह जो हमारी राशि बचती है, इस राशि से अगर हम ग्रेवल, माननीय मंत्री महोदय, ग्रेवल से जी एस बी थोड़ी महंगी पड़ेगी, लेकिन फिर भी उसमें हमारा रेश्यो बैठ रहा है और उस रेश्यो में अगर हम ग्रेवल रोड बना देंगे, तो निश्चित रूप से गांवों की सड़कों की दशा भी सुधरेगी, हमारे आने वाले किसानों के लिए खेतों में आने-जाने में, ट्रैक्टर ले जाने में जो समस्या होती है, उसमें भी निश्चित रूप से सड़कों की गुणवत्ता आयेगी और उसके बाद, चाहे मार्केटिंग बोर्ड हो, या पी डब्ल्यू डी विभाग हो, उनके द्वारा सड़कें बनाने में भी मदद मिलेगी।

इसके साथ-साथ ही एक कारण और भी है कि सामग्री मद का हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। उसका कारण है कि हम जी के एन पर बी एस आर पर जो टेंडर कर रहे हैं, टेंडर के माध्यम से विभाग जब हर साल अपनी जी के एन बनाता है, उसमें मार्केट रेट के हिसाब से बनाता है। कई पंचायत

(श्री हीरालाल नागर)

स्तर पर ठेकेदार आते हैं, उसमें 25 परसेंट, 20 परसेंट, 30 परसेंट बिलो रेट डाल देते हैं, बाद में काम करते नहीं हैं और उसका खामियाजा सम्बन्धित पंचायत को भुगतना पड़ रहा है। आप यह तय करें कि वह बी एस आर पर जी के एन पर काम हो जाये, ताकि सामग्री की मद का उपयोग भी हो जाये और हमारा इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप होकर, हम प्रदेश के विकास में आगे बढ़ाने का काम करें। धन्यवाद।

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, महात्मा गांधी नरेगा योजना यह एक केन्द्र प्रवर्तित योजना है। यह एक मांग आधारित योजना है; इसका मूल उद्देश्य जनता को रोजगार देने का है।

जैसा कि माननीय सदस्य ने अभी महात्मा गांधी नरेगा योजना में ग्रेवल सड़कों के ऊपर गिट्टी डालने के बारे में प्रश्न किया है, मैं इनसे निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार द्वारा खरंजा, सीमेंट कंकरीट, इंटरलोकिंग टाइल्स से सड़क निर्माण में बेस लेयर में जी एस बी (गिट्टी) के उपयोग की अनुमति दी जा चुकी है, जिसे ग्रामीण दर अनुसूची (जी के एन) में सम्मिलित किया जा चुका है। जी एस बी से तात्पर्य सड़क निर्माण के लिए ग्रेन्यूलर सामग्री से सब-बेस निर्मित किये जाने से है। प्राकृतिक रूप से उपलब्ध सामग्री यथा कंकर, ग्रेवल, क्वेरी रबिश ग्रेन्यूलर, सब-बेस निर्माण की श्रेणी में आते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत स्थानीय रूप से उपलब्ध प्राकृतिक निर्माण सामग्री जैसे कि कंकर, ग्रेवल, क्वेरी रबिश, आदि के उपयोग किये जाने का भी प्रावधान है। गिट्टी का उपयोग सब-बेस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है। कंकर, ग्रेवल, क्वेरी रबिश, आदि प्राकृतिक सामग्री की अनुपलब्धता की स्थिति अथवा तकनीकी रूप से उपयुक्त नहीं होने की स्थिति में, स्थानीय रूप से उपलब्ध अन्य प्राकृतिक निर्माण सामग्री, जो कि सड़क निर्माण के सब-बेस के लिए तकनीकी रूप से उपयुक्त है, का प्रयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यह सामग्री निकटतम क्वेरी से परिवहन कर ली जा सकती है। आवश्यकता के अनुसार परिवहन का कार्य महात्मा गांधी नरेगा योजना अन्तर्गत अनुमत है।

श्री उपाध्यक्ष: श्री केसाराम चौधरी।

(13.00 बजे)

वोपारी ग्राम (मारवाड़ जंक्शन) स्थित मंदिर भूमि की भू-माफिया व राजस्व प्रशासन की मिलीभगत से खुर्द-बुर्दगी

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में ग्राम वोपारी, तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली में मन्दिर आसननाथ जी की देवस्थान की भूमि को भूमाफियाओं तथा राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत से कूटरचित, षड्यंत्री एवं फर्जी दस्तावेजों के आधार पर खुर्द-बुर्द किया जा रहा है।

ग्राम वोपारी के मिसल बन्दोबस्त संवत् 2010 से 2019 के खाता संख्या 123 में पुराने खसरा नं. 159, रकबा 53 बीघा 17 बिस्वा, आसन डोली नाथजी खुद काश्त भगवान के नाम दर्ज थी तथा आसन मन्दिर के नाम से एन्यूटी भी उठ रही है। यह देवस्थान संस्था भारत सरकार के गजट में भी दर्ज है, जो अधिकारियों की मिलीभगत के कारण पुजारी चतरनाथ के खाते में चढ़ा दी गई और उसी के कारण, खाते में चढ़ने के कारण, उसकी जमीन ज्यादा थी, इसलिए उसको सीलिंग के अन्दर अवाप्त कर दिया गया। मगर जिस समय खातेदारी चतरनाथ के नाम चढ़ी, उस समय चतरनाथ ने खसरा नं. 159, नया खसरा नम्बर 422, रकबा 8.42.24 हेक्टेयर जमीन का चतरनाथ के द्वारा बेचान कर दिया। बेचान करने की वजह से, पुजारी का यह जो खाता था, उसके खाते में जमीन ज्यादा होने के कारण से पूरी की पूरी जमीन सीलिंग में चली गई, जो जब्त की गई। 1997 से स्थगन हटने तक म्यूटेशन संख्या 127, तहसीलदार, मारवाड़ जंक्शन के आदेश क्रमांक 97/93 दिनांक 19.5.1997 की पालना में खसरा नम्बर 422 को सिवायचक दर्ज कर दिया गया।

उसके बाद भानीराम, इत्यादि ने राजस्व मण्डल में एक अपील की कि मैंने जमीन खरीदी है, तो इसका मेरे म्यूटेशन भरा जाए। इसका फैसला 29.1.2000 को राजस्व मण्डल ने लिखा था कि भारमुक्त भूमि पहले अधिग्रहण करें और उसके बाद यदि भूमि कम पड़ती हो, तो भूमि जब्त करें। इसका फैसला, एस डी एम, मारवाड़ जंक्शन को पुनः खातेदारी भानीराम, इत्यादि के नाम दर्ज करने का कहीं नहीं लिखा था। उक्त फैसले की पालना एस डी एम, मारवाड़ जंक्शन द्वारा आज तक नहीं की गई।

उक्त भूमि पर भूमाफिया गिरोह भानीराम, इत्यादि से दिनांक 29.11.2000 के फैसले की पालना हेतु एक एप्लिकेशन लगाते हैं और उस एप्लिकेशन पर रेवेन्यू बोर्ड 13.8.2015 को दो माह में पालना करने हेतु लिखते

(श्री केसाराम चौधरी)

हैं। मगर न्यायालय राजस्व मण्डल, अजमेर नजरसानी/टीए/38/9/2005 पाली डोली आसननाथ जी द्वारा चतरनाथ चेला कंवरनाथ निवासी वोपारी तहसील खारची द्वारा लगाई गई। उस चतरनाथ ने देखा कि यह जमीन सीलिंग में चली गई है, मेरे तो कुछ हाथ में आई ही नहीं, तो उसने वापस एक प्रार्थना रेवेन्यू बोर्ड में नजरसानी की लगाया और रेवेन्यू बोर्ड में 5.12.2012 को एक फैसला दिया कि उक्त जमीन को देवस्थान के नाम वापस दर्ज कर दिया जाए। मगर भूमाफियाओं की मिलीभगत से एस डी एम, मारवाड़ जंक्शन द्वारा आज तक पालना नहीं की जाकर, उक्त भूमि सभी राजस्व कार्मिकों ने मिलकर खुर्द-बुर्द की है।

अब इन सभी दोषी अधिकारियों ने भूमाफियाओं से एक निगरानी राजस्व मण्डल, अजमेर के फैसले, मतलब उनके नाम दर्ज हो गई, इसलिए उन्होंने देखा कि यह 2012 वाला फैसला, जो हमारे आफत बन रहा है, तो उस 2012 वाले फैसले के विरोध में, उसको निरस्त करने हेतु राजस्व मण्डल, अजमेर में निगरानी लगाई। उस निगरानी में राजस्व मण्डल की त्वरित कार्यवाही देखिये कि वह कितनी जल्दी काम करता है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि अगर राजस्व बोर्ड में इस प्रकार, जिस तरह से फैसले देते हैं, अगर ऐसे रेवेन्यू बोर्ड जल्दी फैसले दे दे, तो निश्चित रूप से रेवेन्यू बोर्ड का भला हो सकता है। आप देखिये कि 18.12.2015 को इसकी बहस राजस्व मण्डल के सदस्य अशफाक हुसैन साहब के समक्ष हुई, उसी दिन 18.12.2015 को फैसला। दिनांक 5.12.2012 को निरस्त का टाइप हुआ और उसी दिनांक 18.12.2015 को नकल जारी हुई तथा उसी दिन अजमेर से 150 किलोमीटर दूर तहसील मारवाड़ जंक्शन में पेश हुई, जबकि राजस्व मण्डल में नकल लेने हेतु प्रार्थना पत्र एक बजे तक ही पेश कर सकते हैं। तो फिर सारा मामला फैसला, नकल तैयार करना, नकल देना तथा मारवाड़ जंक्शन में उसी दिन पेश करना, यह भ्रष्टाचार नहीं, तो क्या है? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह से षड्यंत्र करके फैसला दिया है। दिनांक 18.12.2015 को हुए फैसले की तारीख राजस्व मण्डल में 29.1.2016 को नियत थी, तो तारीख बदलने की क्या आवश्यकता पड़ी?

दिनांक 24.9.2015 को उक्त भूमि को भानीराम, वगैरह के आगे बेचान कर दिया। जब जमीन सिवाय-चक दर्ज थी, तो भानीराम, वगैरह ने जो बेचान करने के लिए आम-मुखतार दिया और जब उनके नाम से जमीन भी

(श्री केसाराम चौधरी)

नहीं थी, तो मुखतारनामे से रजिस्ट्रियां किस तरह से हुईं? यह मेरी समझ से बाहर की बात है।

मैं तो मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि ऐसे मन्दिर की जमीन जो खुद काश्त भगवान हो और कॉलम नं. 4 में 2010 से 2019 तक भगवान के खुद काश्त दर्ज थी, तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, फैसला है कि भगवान के नाम दर्ज कोई भी जमीन किसी भी सूरत में, भगवान को नाबालिग मानते हुए, मन्दिर के नाम से नहीं हटाई जाती। भगवान नाबालिग हैं और उसकी पैरवी तो आप और हम, सबको मिलकर करनी है।

मैं चाहता हूं कि इस तरह से किया गया है, वह ठीक नहीं है। इसके बाद भानीराम, इत्यादि के नाम बहस होना, फैसला होना, नियम-विरुद्ध है, क्योंकि इस दिन ये खातेदार ही नहीं थे। दोयम जब उक्त भूमि 19.5.1997 से राजस्व रिकार्ड में राजकीय सिवायचक दर्ज थी, तो फिर दिनांक 11.12.2014 व 12.12.2014 को भानीराम व अमोलक चन्द, इत्यादि ने उक्त भूमि का आम मुखतारनामा महिपाल को दिया तथा उन्हीं मुखतारनामों के जरिये उक्त भूमि का दिनांक 24.9.2015 को बेचान हुआ। यह सारा फर्जीवाड़ा रिकार्ड से साबित है। उसी दिन 24.9.2015 को रजिस्ट्रियां भी हो गईं। सारा एक ही दिन में सब म्यूटेशन भरे गये। वहां पर ब्लैक जोन होने के बावजूद भी उस जमीन में ट्यूबवेल खोदा गया, जबकि पटवारी पेंसिल से कुएं को मार्क करता है, मगर उसने लाल स्याही से मार्क करके उस कुएं को दर्शा दिया, ट्यूबवेल को दर्शा दिया, जो बिलकुल ही कानून-विरुद्ध था।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत राजस्व मंत्रीजी से एक निवेदन करना चाह रहा हूं कि इस तरह से जो मन्दिर की जमीनें हैं, उन मन्दिर की जमीनों को तुरन्त प्रभाव से वापस खाते में भगवान आसननाथ जी मन्दिर के नाम से डोली दर्ज करके वापस खाते में चढ़ायें। साथ ही जिन-जिन अधिकारियों ने जिस तरह से राजस्व बोर्ड में तीन फैसले एक ही जमीन, एक ही खसरे के, एक-एक सदस्य अलग-अलग फैसले देकर इस तरह से कार्यवाही करते हैं, उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्यवाही की जावें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह से अगर कोई नाबालिग भगवान की जमीनों को खा जाएंगे, तो हम यहां बैठे-बैठे बिलकुल नहीं देख सकते। मैं राजस्व मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि तुरन्त प्रभाव से

(श्री केसाराम चौधरी)

आदेश करके उक्त जमीन को वापस मन्दिर के नाम दर्ज करने की व्यवस्था करावें। यही निवेदन करते हुए, धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): माननीय उपाध्यक्ष जी, मारवाड़ जंक्शन से आने वाले माननीय विधायक ने जो बात कही है, मूर्ति पर्पेचुअल माइनर होती है और उस पर न तो दावा हो सकता है, न दावा किया जा सकता है। उनकी खरीद-फरोख्त भी नहीं हो सकती और हमेशा वह जमीन मूर्ति के नाम ही रहती है।

आपने जो चिंता जाहिर की है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ग्राम वोपारी, तहसील मारवाड़ जंक्शन के खसरा नम्बर 422 रकबा 8.42.24 हेक्टेयर भूमि किशन डोली के नाम दर्ज थी। उक्त भूमि के सम्बन्ध में माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर से प्रार्थना पत्र टी.ए./36-86 और 2015 पाली अमोलक बनाम सरकार में निर्णय दिनांक 29.07.2015 के क्रम में भूमि का हस्तांतरण किया गया। उक्त भूमि के हस्तांतरण में नियमों की पालना नहीं करने के कारण तत्कालीन तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन, भू-अभिलेख निरीक्षक, सम्बन्धित पटवारी को प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए दिनांक 31.12.2015 को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया था। उपखण्ड अधिकारी, मारवाड़ जंक्शन को 16-सी.सी. के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया एवं सम्बन्धित राजस्व लिपिक को ए.पी.ओ. किया गया। उपरोक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 75, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत तहसीलदार, मारवाड़ जंक्शन द्वारा अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मारवाड़ जंक्शन एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली के यहां प्रस्तुत की गई, जिसमें उपरोक्त भूमि का बेचान, हस्तांतरण, रूपान्तरण, आदि नहीं करने एवं मौके की भौतिक स्थिति में किसी भी प्रकार का रद्दोबदल नहीं करने बाबत आदेश पारित किया गया है।

वर्तमान में, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि यह न्यायिक कार्यवाही जारी है और जो कार्रवाही, जो अधिकारी जमीन को खुर्द-बुर्द करने में शामिल थे, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। जांच चल रही है।

मैं आपको मंदिरों की जमीन, जैसा आप कह रहे हैं, मंदिरों की जमीन राजस्थान में कहीं भी हो, वह न तो बेची जाती है, न खरीदी जाती है और उनको खुर्द-बुर्द नहीं होने देंगे। यह मैं आश्वस्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने कहा है कि उन तहसीलदार, आर.आई. और पटवारी को निलम्बित किया गया। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि उनको वापस बहाल कर दिया।

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): आज तक कोई भी बहाल नहीं किया गया है। अभी लेटेस्ट न्यूज मेरे पास है, माननीय सदस्य। आपको जानकारी हो, कि अभी कलेक्टर का लिखा हुआ यह फैक्स आया है।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने इस तरह से उनको सस्पेंड किया और इनके खिलाफ आप कार्रवाही करेंगे। मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री कैलाश वर्मा।

भांकरोटा से बगरढ़ एन एच 8 पर दुर्घटनाएं

श्री कैलाश वर्मा (बगरू): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पर्ची के माध्यम से मेरे को बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

राष्ट्रीय राजमार्ग एन.एच.-8 भांकरोटा से बगरू तक, जिसमें एक बहुत बड़ा जी.वी.के. का टोल भी लगा हुआ है, उस टोल से ठीक पहले और टोल के ठीक एक किलोमीटर बाद में दो राजस्व के बहुत बड़े गांव इस एन.एच. 8 हाईवे के ऊपर स्थित हैं। राजस्व के बहुत बड़े गांव ठिकरिया, सांजरिया, उस रोड के ऊपर स्थित हैं और टोल से ठीक तीन किलोमीटर आगे मेन बगरू विधान सभा क्षेत्र की पालिका पड़ती है, उसके ऊपर पुल बना हुआ है। उस पुल के ऊपर टोल से बगरू तक, जब ट्रक इस राष्ट्रीय राजमार्ग के ऊपर होकर निकलते हैं, मैं इसमें पर्टिकुलर जयपुर आर.टी.ओ. की बात नहीं कर रहा, आर.टी.ओ. की एक जीप, जिसके ऊपर नीली बत्ती लगी रहती है; जैसे पुल के ऊपर ट्रक चढ़कर उतरते हैं, उसके ठीक दायीं साइड के ऊपर अजमेर, डेगाना, नसीराबाद, किशनगढ़ तक जाने वाली सवारियां वहां हमेशा खड़े रहकर बस का इंतजार करती हैं। तेज गति ट्रक की वैसे ही रहती है और जब ट्रक उस पुल से नीचे उतरता है, उसके पीछे आर.टी.ओ. की गाड़ी लग जाती है। एक तो ट्रक की तेज गति होती है, दूसरा ट्रक पुल से उतरता है, वैसे उसकी गति बढ़ती है और इन्हीं लापरवाही के कारण से ट्रक अनियंत्रित होते हैं और कहीं-न-कहीं बहुत बड़ी घटना को अंजाम देते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 18 फरवरी को बगरू बस स्टैंड के ऊपर

(श्री कैलाश वर्मा)

एक ट्रक अनियंत्रित होकर, रेलिंग को तोड़ता हुआ, सर्विस रोड पर जा घुसा, जहां पर वहां के पूर्व स्थानीय पार्षद भवानी सिंह के परिवार के चार आदमी आन-स्पाट एक्सपायर हो गये, जिनमें दो उनके बच्चे थे, एक डेगाना की उनकी मौसी थी, एक चिरौटा गांव का व्यक्ति था। इस घटना की पूरी जानकारी लेने वहां के सम्माननीय अधिकारियों के साथ में, वहां की जनता के साथ में, हम वहां पर मौक़े पर गये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जाहिर नहीं हो पाया कि वह आर.टी.ओ. दूदू से लगता हुआ था, या जयपुर से लगता हुआ था, या कहां का था। वहां के स्थानीय लोगों के अन्दर भय हो गया। सबने वहां का नाम लेने से इन्कार कर दिया, मगर तीस से चालीस परसेंट लोगों ने यह बोला कि यह गाड़ी, यह जीप आर.टी.ओ. की थी, जो आज इस घटना के लिए ही नहीं, अपितु ऐसी घटनाएं इस राष्ट्रीय राजमार्ग के ऊपर एक काल का ग्रास बन गईं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्माननीय मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आने वाले समय के अन्दर ऐसी घटनाओं के ऊपर रोक लगे और इनकी समय-सीमा तय की जाए, आर.टी.ओ. की, कि टोल से पहले कोई ऐसी जगह निर्धारित हो जाए कि ये टोल से पहले रुकेंगे, या फिर बगरू और महला के बीच में रुकेंगे, या फिर महापुरा रुकेंगे, या फिर भांकरोटा रुकेंगे। इनका कोई स्थान ही तय नहीं है। ये कोई भी बड़ा ट्रक, ट्रेलर आता है, उसके पीछे गाड़ी लगाते हैं। इस हाईवे पर किस गति पर ट्रक चलता है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप जान सकते हों।

मेरा माननीय मंत्रीजी से यह निवेदन रहेगा कि छितरोली, बगरू रावान, दहमीकलां, बड़ के बालाजी, भांकरोटा, महापुरा तक केवल बत्ती लगी हुई। उसके बाद आठ कट हाईवे के ऊपर हैं। उन कटों के बीच में कोई बड़ी गाड़ी, मोटरसाइकिल या फोर-व्हीलर व्हीकल हम खड़ा नहीं कर सकते और जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी राहगीर को आना होता है और वह उधर से निकलने की कोशिश करता है, तो पीछे से फिर वही आर.टी.ओ. की गाड़ी ट्रकों के पीछे रहती है, और कोई बड़ी घटना को अंजाम मिलता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां तक ही नहीं, यहां पर एक बहुत बड़ी कम्पनी चंद्रा टोयटा की है और उस कम्पनी के सामने कोई जगह-स्थान तय नहीं है और कम-से-कम सैकड़ों की तादाद में वहां ट्रक, बड़े ट्रेलर खड़े रहते हैं।

(श्री कैलाश वर्मा)

कोई भी व्यक्ति गांव से निकलता है, अगर रोड पर चढ़ने की कोशिश करता है, तो कोई वाहन उन ट्रकों के बीच में से निकलता है और उसके टक्कर मार देता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा सम्माननीय मंत्रीजी से कि इनका कोई स्थान वहां पर हम ऐसा तय कर दें कि यहां पर आर.टी.ओ. का व्यक्ति, हम मानते हैं कि ट्रक के अन्दर कहीं-न-कहीं दो नंबर के काम भी होते हैं, किसी भी प्रकार की कोई बात होती है; एक जगह ऐसी तय हो। ये दो बहुत बड़ी लापरवाही, जिसमें एक पूरा परिवार खतम हो गया, आर.टी.ओ., और वहां का जो टोल है, उस टोल को बचाने के चक्कर में, एक तो आर.टी.ओ. के डर से, दूसरा टोल के डर से, बड़े वाहन, बड़े ट्रक, सम्माननीय मंत्रीजी, गॉवों के अन्दर घुसते हैं। रात को लोगों को सोना और जीना दूभर है। छोटे-छोटे बच्चे सड़क पर खेलते हैं और उन ट्रकों से बहुत बड़ी घटनाएं होती हैं।

मेरा माननीय मंत्रीजी से यह निवेदन है कि आने वाले समय के अन्दर इस बगरू और भांकरोटा के बीच में ऐसा काल ग्रास नहीं हो, आप ऐसी इसके लिए व्यवस्था करें, जिससे आने वाले समय में इन घटनाओं पर अंजाम लग सके। मेरा माननीय मंत्रीजी से यह निवेदन है।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बगरू से आने वाले माननीय सदस्य ने सड़क दुर्घटना में मौतें हो रही हैं, और कई जगह वाहन चालकों की लापरवाही और अन्य कारण बताये। इसमें विशेष रूप से प्रादेशिक परिवहन विभाग के डी.एफ.एस. और एफ.एस. हैं, उन पर प्रश्नचिन्ह लगाया है। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि यह बात सही है कि सड़क दुर्घटनाओं में बहुत सारी मौतें हो रही हैं। यह हमारे लिए चिंता का विषय है। जब गृह विभाग और सार्वजनिक निर्माण विभाग की डिमांड पर भी बहस थी, तो विशेष रूप से अब की बार सड़क दुर्घटनाओं पर ध्यान देकर उन दुर्घटनाओं को कैसे रोका जाए, उसके लिए सरकार चिंता कर रही है।

माननीय सदस्य ने भांकरोटा, बगरू और इसके आसपास जो हमारे स्क्वैड खड़े रहते हैं फ्लाइंग के, उनकी लोकेशन को लेकर चिंता जताई है। 18 फरवरी की दुर्घटना का इन्होंने जिक्र किया है। उस दिन हमने भी पुलिस में

(श्री युनुस खान)

जो एफ आई आर है, उसको भी खंगाला है, पुलिस ने जांच की है उसको भी खंगाला है। अभी तक कोई ऐसे तथ्य नहीं आये कि उसके पीछे कोई फ्लाइंग स्क्वैड भाग रही थी।

उस दिन एक बड़ा कार्यक्रम हमारे किसान संघ का जरूर था। उस किसान संघ के कार्यक्रम की व्यवस्था पुलिस और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, दोनों विभाग की फ्लाइंग स्क्वैड पार्किंग के लिए लगी हुई थी। शायद उनको देखकर उसके मन में आया होगा कि मेरी जांच होगी और उसने अनियंत्रित गति से वाहन को चलाया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस दुर्घटना में प्रारम्भिक तौर पर तो यही आया कि उस चालक ने अपनी लापरवाही की वजह से बेगुनाह लोग, जो सड़क पर अपने गंतव्य तक जाने के लिए इंतजार कर रहे थे, उन पर ले जाकर चढ़ा दिया। इसमें वास्तव में चालक की गलती थी। ओवर-लोडेड ट्रक था, अनियंत्रित होकर उसने यह दुर्घटना की, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है।

भविष्य में एन एच 8 पर और अन्य राष्ट्रीय राजमार्ग और स्टेट राजमार्ग पर सरकार यह ध्यान करने का प्रयास करेगी कि इस तरीके की दुर्घटनाएं नहीं हों। एक तो यात्रियों के खड़े रहने के लिए जगह सुरक्षित हो, उसको भी हम हाईवे पर चिह्नित करेंगे। यह बहुत बड़ी समस्या है कि जो चाहे जहां पार्किंग कर लेता है, चाहे वह सर्विस लेन है, या अन्य जो रोड की जगह हैं, उन पर लोग पार्किंग कर लेते हैं। इसलिए माननीय केन्द्रीय मंत्रीजी ने एन एच 8 को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए निर्देशित किया है कि राज्य सरकार वैसा ही एन ओ टी डवलप करने के लिए भारत सरकार को जमीन दे। हम कोशिश कर रहे हैं कि वे ट्रक रोड पर नहीं रुकें, साइड में इस तरह की फैसिलिटी डवलप करने का सरकार प्रयास करेगी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

प्रादेशिक परिवहन कार्यालयों को भी हमने निर्देश दे दिये हैं, इस तरीके से किसी भी वाहन का पीछा नहीं करें कि वे अनियंत्रित होकर लोगों की जान को जोखिम में डाल दें। यह भी हम निर्देशित करेंगे।

आपने जो अपने सुझाव दिये हैं, टोल, पार्किंग और फ्लाइंग से जुड़े हुए, उन सुझावों को ध्यान में रखते हुए भविष्य में हम हमारे विभाग को निर्देशित करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: श्री जोगाराम पटेल।

जयनारायण विश्वविद्यालय जोधपुर की पी टी ई टी परीक्षाओं में अनियमितताएं

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि पर्ची के माध्यम से इतना महत्वपूर्ण विषय इस सदन में रखने की आपने मुझे अनुमति दी।

राजस्थान के द्वितीय सबसे बड़े शहर और मरु प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण शहर में एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय आया, जिसका अपना बहुत बड़ा गौरवशाली इतिहास है। एक जमाने में वह जोधपुर विश्वविद्यालय था, कालांतर में राजस्थान के सबसे महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी परम आदरणीय जयनारायण जी व्यास के नाम से उसका नामकरण किया गया। वे शेर-ए-राजस्थान थे। सब लोगों को यह लगा कि जिस व्यक्तित्व के नाम से इस विश्वविद्यालय का नामकरण किया गया है, उससे इस विश्वविद्यालय की ख्याति और बढ़ेगी।

2008 से 2014 का एक ऐसा काल खण्ड आया, उस काल खण्ड के दौरान इस विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा पर ऐसा धब्बा लगा, इतना बड़ा घोटाला हुआ, जिसकी परिकल्पना किसी ने नहीं की थी। जो आंकड़े सामने आये हैं, उससे तो कल्पना से भी बाहर है। इस विश्वविद्यालय के नामकरण के आधार पर, इस विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को देखते हुए, प्री-टीचर्स एजुकेशन करवाने का जिम्मा था, जिसको पी टी ई टी बोलते हैं, वह इस विश्वविद्यालय को सन् 2008 में दिया गया। यह अपेक्षा की गई कि यह विश्वविद्यालय इन परीक्षाओं का आयोजन करेगा, विद्यार्थियों का भविष्य सुरक्षित होगा; हो सकता है, विश्वविद्यालय को थोड़ी-बहुत आमदनी भी होगी, परन्तु इसका उलटा हुआ।

इस दौरान करीब 90 हजार सीटों पर विद्यार्थियों ने परीक्षाएं दीं और शुल्क के रूप में 24 हजार रुपये प्रति विद्यार्थी लिया जाए, ऐसा बताया गया। परीक्षा शुल्क के रूप में करीब 2 हजार रुपये प्रति विद्यार्थी से लिये गये। जब यह सब आंकड़ा मिलाते हैं, तो करीब 2 अरब से बाहर का आंकड़ा जाता है, जो विश्वविद्यालय को आमदनी होनी चाहिए। जब इस विश्वविद्यालय को परीक्षा का जिम्मा दिया गया था, तो यह तय था कि इसमें से जो शुद्ध आय होगी, उसका आधा हिस्सा राजस्थान सरकार को मिलेगा, आधा हिस्सा विश्वविद्यालय के पास रहेगा। वह विभिन्न योजनाओं के तहत खर्च होगा, या विश्वविद्यालय को आमदनी होगी। इस विश्वविद्यालय ने परीक्षा का जिम्मा मिलने के उपरान्त

(श्री जोगाराम पटेल)

मामूली सी, कभी 1 करोड़ की, या 2 करोड़ की राशि देने के सिवाय कोई भी राशि, जो राजस्थान सरकार की देय बनती है, वह नहीं दी। 2008 से 2014 के कार्यकाल के दौरान जितनी भी इन्होंने पी टी ई टी की परीक्षाएं आयोजित करवाईं, उन पी टी ई टी की परीक्षाओं में जितनी राशि राजस्थान सरकार की नियमानुसार बनती है, वह नहीं दी। एक-दो बार दिखावटी तौर पर आडिट कराने के अलावा कभी आडिट नहीं करवाया। जो खर्चे इस विश्वविद्यालय के समन्वयक ने और इससे सम्बन्धित अधिकारियों, प्रोफेसरों ने लिखा, अगर उसको देखें, तो कल्पना से बाहर हैं। आदर सत्कार खर्च 2 करोड़ 43 लाख रुपये, फलां खर्च 2 लाख, फलां खर्च 20 लाख, फलां खर्च 30 लाख।

इस पर मैंने एक प्रश्न गत सदन में लगाया था, प्रश्न संख्या 1731 । उस प्रश्न के जवाब में विश्वविद्यालय ने जवाब दिया, उसमें विश्वविद्यालय ने अपनी शुद्ध आय 55 करोड़ 27 लाख 32 हजार 415 बताई। जबकि वास्तव में जो आंकड़े स्वयं विश्वविद्यालय ने दिये, जो आंकड़े यहां पेश हुए हैं, इस प्रश्न के जवाब के दौरान, उसके अनुसार विश्वविद्यालय को शुद्ध आमदनी हुई, वह 96 करोड़ 52 लाख 9 हजार 526 । इसकी आधी राशि नियमों के अनुसार राजस्थान सरकार को देय है, वह 41 करोड़ 24 लाख 77 हजार 111 बनती है। इसमें से कितनी राशि इस विश्वविद्यालय ने राजस्थान सरकार को दी है? मंत्री जी, मेरा आपसे निवेदन है, जो आंकड़े इस प्रश्न के जवाब में स्वयं विश्वविद्यालय ने पेश किये हैं, उन आंकड़ों को देखें। इन्होंने बताई है 55 करोड़ की आमदनी, जबकि इनके स्वयं के आंकड़ों को अगर आप जोड़ेंगे, तो उसकी आमदनी है, 96 करोड़ 52 लाख। इसके अनुसार राजस्थान सरकार की जो राशि बनती है, वह 41 करोड़ की बन रही है। कितनी राशि दी है, कृपया आप सदन को अवगत कराएं। एक विषय यह।

दूसरा, मैं राजस्थान सरकार और माननीय मंत्रीजी को धन्यवाद भी दूंगा, इन्होंने इस प्रश्न के जवाब में यह कथन किया था कि मैं इसकी निष्पक्ष जांच कराऊंगा, थर्ड पार्टी आडिट करवाऊंगा और जो भी जिम्मेदार होगा, दोषी होगा, चाहे वह किसी भी रैंक का अधिकारी हो, प्रोफेसर हो, या और कोई अधिकारी हो, उसके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही करेंगे। इसके लिए तो धन्यवाद है कि इन्होंने इसकी जांच करवाई। जांच करवाई तो यह तथ्य सामने आये कि इस विश्वविद्यालय में करोड़ों रुपयों का घोटाला हुआ है। यह भी सामने आया कि घोटाला ही नहीं हुआ है, व्यक्तिगत रूप से भी लाखों रुपये

(श्री जोगाराम पटेल)

प्रोफसरों, अधिकारियों ने एडवांस में उठाये, बिना किसी हिसाब के उठाये। माननीय मंत्री महोदय, मेरा निवेदन यह है कि ऐसे अनेक कर्मचारी हैं जिन्होंने करीब 19 लाख रुपये एडवांस में बिना किसी व्यवस्था के, बिना किसी आदेश के उठा लिये। 19 लाख रुपये आज भी उनके पास जमा हैं। मेरा आपसे निवेदन है, आप द्वारा मुकर्रर आडिट रिपोर्ट में, आप द्वारा मुकर्रर जांच रिपोर्ट में यह आया है कि इन अधिकारियों को यह 19 लाख रुपये उठाने का कोई अधिकार नहीं, कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई आदेश नहीं था। क्या आप 19 लाख रुपये की राशि को, जैसा रिपोर्ट में सजेस्ट किया गया है, आपकी जांच रिपोर्ट में सजेस्ट किया गया है, मय 18 परसेंट ब्याज वसूल करेंगे? एक।

दूसरा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिन बी.एड. कॉलेजों ने एप्लाई ही नहीं किया; बी.एड. कॉलेज एप्लाई करता है, फिर पी.टी.ई.टी. परीक्षा करवाते हैं; जिन बी.एड. कॉलेजों ने एप्लाई ही नहीं किया, उन बी.एड. कॉलेजों को भी इन्होंने 10 लाख 13 हजार रुपये एडवांस में दे दिये। न उन्होंने एप्लाई किया, न उन्होंने परीक्षा कराई। जब आपने जांच कमेटी मुकर्रर की, आडिट कराई, तो पता लगा कि ये जो बी.एड. कॉलेज आबंटित ही नहीं हुए थे परीक्षा कराने के लिए, इन्होंने एप्लाई नहीं किया था, न इन्होंने परीक्षा कराई, फिर भी उनको 10 लाख 13 हजार 371 रुपये दे दिये गये। मैं आपसे निवेदन करूंगा, क्या माननीय मंत्री, जो 10 लाख 13 हजार 371 रुपये उन बी.एड. कॉलेजों को दे दिये गये, जिन्होंने पी.टी.ई.टी. परीक्षा ही नहीं कराई, उन्हें मय ब्याज रिकवर करेंगे?

इतना ही नहीं, फर्जी हस्ताक्षरों से, जो हस्ताक्षर मिल नहीं रहे, उनसे; नम्बर कोड गलत, आई.एफ.एस. नम्बर कोड गलत; उन सबके आधार पर इस खाते से बड़ी संख्या में 3 करोड़ रुपये का पेमेण्ट बतला दिया गया। वह पेमेण्ट किनको किया गया? क्यों किया गया? कब किया गया? वह तो बैंक का खाता बोलता है, लेकिन क्यों किया गया? और इसका कोई आधार नहीं है। तीन करोड़ का घोटाला भी, ये सब अलग-अलग घोटाले हैं, ये जाएंगे करीब अनाप-शनाप करोड़ों में; यह तीन करोड़ का घोटाला भी जो है, क्या आप, इसकी जब जांच जो हो गई है, जांच रिपोर्ट में यह मान लिया गया है कि यह तीन करोड़ रुपये का पेमेण्ट जो किया गया है, वह विश्वविद्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने किसी गलत कोड नम्बर से, गलत हस्ताक्षरों से उठा करके खा गये हैं।

(श्री जोगाराम पटेल)

मैं यह भी निवेदन करूंगा कि समन्वय समिति, जो इस पी.टी.ई.टी. परीक्षा को कराने वाली थी, इन्होंने स्वयं ने ही अपने भत्ते, अपने खर्चे तय कर दिये। मुझे आज पांच सौ रुपये खर्चा करना है, तो मैंने पचास हजार खर्चा बता दिया, तो उसको कोई रोकने वाला नहीं; मैंने मर्जी से एक हवाई यात्रा का खर्चा बता दिया, उसको रोकने वाला नहीं; मैंने मर्जी से ऑफिस मैस का खर्चा बता दिया, उसको रोकने वाला नहीं; मैंने गाड़ी का खर्चा बता दिया, उसको रोकने वाला नहीं। तो ऐसे जो भत्ते, जिसमें करीब 10 अधिकारी इन्वाल्व हैं, यह रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 10 जो आपके प्रोफेसर, अधिकारी इन्वाल्व हैं, इन्होंने तीन करोड़ से अधिक का घोटाला किया इस हैड में भी। मेरा आपसे यह भी निवेदन रहेगा कि इस बारे में आप क्या कार्यवाही करेंगे? इनमें नामजद हुआ है। जांच रिपोर्ट में बड़े-बड़े प्रोफेसर्स के, और दो बड़े प्रोफेसर, जिनका इसमें इन्वाल्वमेंट है, जिनके नाम आये हैं, क्या आप उनके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करवाएंगे? जिनका जांच रिपोर्ट में नाम हुआ है, आडिटिंग में नाम हुआ है, उनकी जांच जो है, किसी सी.आई.डी., सी.बी.आई., जो भी निष्पक्ष जांच एजेंसी है, उससे कराएंगे?

इतना ही नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप फर्क देखिये। जब यह प्रश्न लगा, मैं मंत्री महोदय को इस बात का भी धन्यवाद दूंगा, जब इनको लगा कि नहीं, वास्तव में कोई न कोई बड़ा घोटाला हुआ है, तो इस परीक्षा का जिम्मा इन्होंने अजमेर विश्वविद्यालय को दे दिया। अजमेर विश्वविद्यालय ने ऐसी ही परीक्षा 2015 में आयोजित करवाई। जोधपुर विश्वविद्यालय; सॉरी, जयनारायण विश्वविद्यालय ने जब यह परीक्षा आयोजित करवाई, तो 182 अधिकारी/कर्मचारियों को लगाया। जब अजमेर विश्वविद्यालय ने जब यह परीक्षा कराई, तो 12 कर्मचारियों को लगाया। सेम परीक्षा, परीक्षा का पैटर्न सेम, परीक्षार्थी सेम, बी.एड. कॉलेज सेम और राजस्थान सेम। आप अनुमान लगावें, एक विश्वविद्यालय परीक्षा आयोजित करवा रहा है, तो 182 कर्मचारी लगा रहा है और दूसरा विश्वविद्यालय परीक्षा आयोजित करवा रहा है, तो सिर्फ 12 कर्मचारी लगा रहा है।

इतना ही नहीं, जयनारायण विश्वविद्यालय ने जब परीक्षा आयोजित कराई, तो उनके अकाउंट के हिसाब से टोटल 33.64 करोड़ की आमदनी बताई, जो एक साल की करीब 4 करोड़ 8 लाख बैठी है। जब अजमेर विश्वविद्यालय

(श्री जोगाराम पटेल)

ने एक वर्ष में परीक्षा कराई, तो उनकी 17 करोड़ की शुद्ध आमदनी हुई। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये 2008 से 2014 तक सिर्फ 33 करोड़ की आमदनी बता रहे हैं और यह विश्वविद्यालय, अजमेर वाला, जो परीक्षा करवा रहा है, एक वर्ष में सिर्फ 17 करोड़ की आमदनी बता रहा है। यदि एक वर्ष में 17 करोड़ की आमदनी होती है, तो उनको इतने वर्षों में कितनी हुई होगी कर्मचारियों का फर्क, शुद्ध आमदनी का फर्क, परीक्षा आयोजन का फर्क।

इतना ही नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना सब घोटाला होने, जांच होने, थर्ड पार्टी आडिट होने और जांच में यह पाये जाने के उपरान्त कि इसमें करोड़ों का घोटाला हुआ है, आज भी वह खाते ऐसे ही आपरेट कर रहे हैं। रोज समाचार पत्रों में बड़े-बड़े हैडिंग्स से समाचार प्रकाशित हो रहे हैं, आज भी उस खाते को आपरेट करते हुए उसको काम में ले रहे हैं। उनका कार्यालय, अब पी.टी.ई.टी. एग्जाम कराने का अब उनका जिम्मा नहीं है, वहां से डेढ़ सौ किलोमीटर दूर अजमेर विश्वविद्यालय को पी.टी.ई.टी. परीक्षा कराने का जिम्मा है, लेकिन आज भी वहां वह कार्यालय चल रहा है; कार्यालय का खर्चा यूं के यूं ही चल रहा है। माननीय मंत्रीजी, मैं आपसे यह भी निवेदन करूंगा, पेयजल मंत्रीजी से थोड़ी देर बाद में बात करके, यह जो कार्यालय चल रहे हैं, यह जो पी.टी.ई.टी. परीक्षा के लिए जो खाते आपरेट हो रहे हैं उनको तत्काल प्रभाव से रोकें और उनसे यह कहें कि किस निमित्त आपका कार्यालय चल रहा है? किस कार्य के लिए आपके खाते आपरेट हो रहे हैं? जो विश्वविद्यालय के खाते हैं, वे चलें, लेकिन जो पी.टी.ई.टी. समन्वयक के नाम से खाते खोले गये थे, पी.टी.ई.टी. समन्वयक के नाम से जो कार्यालय खोले गये, वे किस लिहाज से चल रहे हैं?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विश्वविद्यालय में दो ऐसे प्रोफेसरों पर जांच रिपोर्ट में यह एलीगेशन आया है, जिसको जांच रिपोर्ट ने सही माना है, कि एक प्रोफेसर को 29 लाख 77 हजार 406 रुपये का अननेसेसरी फायदा दिया गया। बिना किसी कार्य के, उसे मानदेय के रूप में, जो मानदेय रेगुलर उठा वह नहीं, उसके अलावा उठा दिया गया। दूसरे प्रोफेसर ने 17 लाख 96 हजार 620 का मानदेय, जो रेगुलर मिला, उसके अलावा और उठा लिया। यह जो आंकड़ा 17 और 29, करीब जाकर 40 लाख के आसपास का जो आंकड़ा बैठ रहा है, इन दो प्रोफेसरों ने मिल करके 40 लाख रुपये विश्वविद्यालय के खा लिये।

मैं आपसे यह भी निवेदन करता हूं कि इसकी वजह से जो

(श्री जोगाराम पटेल)

विश्वविद्यालय के नाम पर धब्बा लगा है, शेर-ए-राजस्थान जयनारायणजी व्यास के नाम पर जो धब्बा लगा है, इतना बड़ा विश्वविद्यालय है, उसके नाम पर जो धब्बा लगा है, इसके सम्बन्ध में आप यथाशीघ्र कार्यवाही करें। राजस्थान का एक भी समाचार पत्र ऐसा नहीं होगा, चाहे वह 'राजस्थान पत्रिका' है, चाहे वह 'दैनिक भास्कर' है, चाहे वह 'दैनिक नवज्योति' है, या अन्य सभी, सभी अखबारों में रोजाना हैडिंग में इतने बड़े-बड़े समाचार छपते हैं। इसमें हमारी, हमारे राजस्थान की, हमारे विश्वविद्यालयों की, प्रतिष्ठा पर धब्बा ही नहीं लग रहा है, अविश्वास पैदा हो रहा है, जनता में और विद्यार्थियों में।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनट में। सिर्फ दो मिनट। दूसरे जो हमारे प्रोफेसर व अन्य लोग हैं, उनके मन में भी यह आता है कि इतना अरबों-खरबों का घोटाला हो जाता है, करोड़ों का घोटाला हो जाता है और इसमें यह जो रिपोर्ट, एक समाचार पत्र 'दैनिक भास्कर' ने जो छापी है, उसमें लिखा है कि किस तरह से 2008 में 17 लाख, 2009 में 35 लाख, 2010 में एक लाख 19 हजार, 92 लाख रुपये की राशि बिना किसी नियम के उठा ली। उन्होंने नामजद छापा है कि फलां-फलां प्रोफेसरों और कर्मचारियों ने 29 लाख, 27 लाख, 26 लाख, 22 लाख, 17 लाख, 16 लाख, 14 लाख, इस तरह से राशि बिना किसी कारण के, बिना किसी आयोजन के उठा ली।

मेरा आपसे निवेदन है कि ये सभी लोग इस पर चिन्तित हैं। आपकी जांच कमेटी आपने मुकर्रर कर दी, उसके लिए धन्यवाद है, पर इस जांच कमेटी की जो जांच रिपोर्ट आई है, उसकी पालना तुरन्त हो; थर्ड पार्टी आडिटिंग जो आपने करवायी है, उसको आप एग्जामिन करावें और इस विश्वविद्यालय में जो करोड़ों का घोटला हुआ है, उसके सम्बन्ध में ऐसी जांच बैठावें और जो दोषी अधिकारी हैं, चाहे वह प्रोफेसर हैं, चाहे वह कोई श्रेणी का अधिकारी हो, उसके खिलाफ कार्यवाही करें। अगर आप उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे, तो लोगों को यह लगेगा कि वास्तव में यह जांच हुई है। मैं पुनः आपसे निवेदन कर रहा हूं कि शुद्ध आमदनी जो हुई, वह 96 करोड़ 52 लाख की है। इन सब विषयों की आप गहनता से, चाहे सी.बी.आई. हो, चाहे राजस्थान की कोई बड़ी एजेंसी हो, उससे जांच करावें, विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को बचावें, हमारी प्रतिष्ठा और आपकी प्रतिष्ठा को बचावें। धन्यवाद।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

लूणी से आने वाले माननीय विधायक ने जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में 2008 से 2014 के बीच में जो अनियमितताएं हुई हैं, उनके बारे में ध्यान आकर्षित किया है। यह बात सही है कि 2008 से 2014 के बीच में जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में जबरदस्त अनियमितताएं हुईं, चाहे वह टीचर्स के अपाइंटमेंट के मामले में हों, चाहे पी.टी.ई.टी. परीक्षाओं के मामले में हों। यह इसलिए हुआ कि हमारे तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी की उन पर विशेष कृपा थी, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलपतिजी पर।

आपको ध्यान होगा कि जब हम विपक्ष में थे, तो हमने जो भर्ती घोटाला हुआ था, उसके बारे में यहां बड़ा जबरदस्त विरोध किया था। इसीलिए जब सरकार का परिवर्तन हुआ और 2013 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो लूणी से आने वाले आदरणीय विधायक ने यह मामला 20 मार्च, 2015 को तारांकित प्रश्न के जरिये उठाया था और उस समय मैंने यह कहा था, यह आश्वस्त किया था कि विशेष आडिट, अंकेक्षण विभाग के माध्यम से इसकी जांच करवाई जाएगी और क्या-क्या अनियमितताएं हुई हैं, इसकी जिम्मेदारी फिक्स की जाएगी और जो भी दोषी होंगे, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि हमने निदेशक, स्थानीय निधि एवं अंकेक्षण विभाग द्वारा श्री दुर्गाप्रसाद पारीक, सहायक लेखाधिकारी-ग्रेड प्रथम, क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया, जिसकी सतत मानिटरिंग अंकेक्षण विभाग के अतिरिक्त निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर द्वारा की गयी। उक्त कमेटी की रिपोर्ट वित्त विभाग के माध्यम से 20 जनवरी, 2016 को हमें प्राप्त हुई। इस रिपोर्ट के अनुसार 2008 से 2014 के मध्य लगभग यह पी.टी.ई.टी. परीक्षा के माध्यम से 116 करोड़ रुपये की आय हुई और लगभग 42 करोड़ 51 लाख रुपये का व्यय उन्होंने बताया। इस प्रकार 73 करोड़ 51 लाख रुपये की शुद्ध आय हुई, जिसमें से राज्य सरकार को 36 करोड़ 75 लाख रुपये देय राशि बनती है। इसके विरुद्ध जब हमने कड़ाई की, जब गहलोत साहब मुख्य मंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी, उस समय केवल तीन करोड़ रुपये उन्होंने वसूल किये; हमने जब कड़ाई की और यह कहा कि यदि आपने यह पैसे जमा नहीं करवाए, तो हम जो विश्वविद्यालय को ग्रांट मिलती है, उसमें से इस पैसे को काटेंगे, आपको यह जानकर खुशी होगी कि 28 करोड़ रुपया उन्होंने राज-कोष में जमा करवा दिया। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि 28 करोड़ के बाद 8 करोड़ समथिंग रुपया जो बाकी था,

(श्री कालीचरण सराफ)

उसको भी उन्होंने और जमा करवा दिया है। अब केवल 40 लाख रुपये उनके पास बचे हैं और उसके लिए भी हमने यह लिखा है कि इसको जल्दी से जल्दी जमा करवाइए और यह 40 लाख रुपये जमा नहीं कराए, तो हम वह ग्रांट में से इसको काट लेंगे।

इसी प्रकार से हमने, जैसा कि आपने अभी बताया कि पी.टी.ई.टी. की जो परीक्षा का जिम्मा है, वह 2015 में इनसे ले लिया और महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर को उसका जिम्मा दे दिया।

मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि हमने फर्जी चैकों के माध्यम से जो 2 करोड़ 52 लाख रुपये की राशि का विथड्रावल किया गया बैंक से, उसके लिए विश्वविद्यालय ने 11 अगस्त, 2015 को शास्त्री नगर, जोधपुर पुलिस स्टेशन में इसकी एफ.आई.आर. दर्ज करवा दी है। इस पूरे प्रकरण की एस.ओ.जी. जांच चल रही है। बैंक अधिकारियों से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण की सी.बी.आई. से जांच करवाने के लिए भी उन्होंने लिख दिया है।

मैं आपको यही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सभी प्रकार के अनियमित भुगतान के लिए जिम्मेदारी तय करते हुए सम्बन्धित व्यक्ति से वसूली की जाएगी, चाहे वह कितना भी बड़ा आदमी हो, और इतना ही नहीं, हमने विश्वविद्यालय को यह भी कह दिया है कि राज्य सरकार, आपने जो पैसा इतने दिन रोक कर रखा, उसका ब्याज भी वसूल हम करेंगे।

निश्चित रूप से यह जो घोटाला हुआ है, उसके लिए जो भी जिम्मेदार होगा, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही हम करेंगे। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री ज्ञानदेव आहूजा।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

अलवर जिला दुग्ध सहकारी संघ के प्रबन्ध संचालक द्वारा कारित अनियमितताएं

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 131 के तहत राजस्थान विधान सभा सदस्य होते हुए मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव- अलवर डेयरी में हो रही गड़बड़ियां और वहां के चेयरमैन के द्वारा की गयीं गड़बड़ियों के सम्बन्ध में मैंने यह ध्यानाकर्षण रखा है।

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

प्रदेश में राजस्थान डेयरी, को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों का गठन पशुपालन एवं कृषक समुदाय के दृष्टिगत दूध व दूध से बने पदार्थों के संवर्धन एवं रख-रखाव प्रक्रिया हेतु किया गया है। साथ ही इसका एक उद्देश्य है, दुधारू पशुओं एवं दुग्ध उत्पादन से जुड़े गरीब कृषकों का उत्थान भी है। सम्पूर्ण प्रदेश में ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप एक काम करिए। पहले एक बार मंत्री महोदय का वक्तव्य आ जाए, फिर आप पूछें।

मंत्री महोदय।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): हां, मैंने यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा है, मंत्री महोदय।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि अलवर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, अलवर से संबद्ध 1,076 पंजीकृत दुग्ध सहकारी समितियां हैं, जिनमें 555 महिला सहकारी समितियां हैं। कुछ समितियों में से 674 समितियां निरन्तर दूध संकलन कर रही हैं। इन समितियों में कुल सदस्य संख्या 92 हजार 644 है, जिनमें महिलाओं की संख्या 34 हजार 745 है। माह जनवरी, 2016 में औसतन संकलन 2 लाख लीटर प्रतिदिन है एवं 1.30 लाख लीटर प्रतिदिन दूध वितरण किया जा रहा है। अलवर दुग्ध संघ वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में माह फरवरी, 2016 तक लगभग 12 करोड़ रुपये के लाभ में है।

यह कथन असत्य है कि जब से अलवर संघ में प्रबंध संचालक के पद पर श्री शरद चौधरी लगे हैं, तब से संघ घोटाले की भेंट चढ़ गया है। आर.सी.डी.एफ. स्तर के प्रत्येक संघ, जिसमें अलवर भी सम्मिलित है, का निरन्तर पर्यवेक्षण किया जाता है। अलवर संघ के संचालक मंडल की बैठकों में राज्य सरकार एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों के अलावा आर.सी.डी.एफ. के प्रतिनिधि भी आवश्यक रूप से मौजूद रहते हैं, ताकि संघ एवं उनके सदस्यों के हितों पर कोई विपरीत निर्णय नहीं लिया जा सके। इसके अतिरिक्त, आर.सी.डी.एफ. के विभिन्न अनुभागों द्वारा भी संघ की गतिविधियों पर निरन्तर दृष्टि रखी जाती है।

(श्री प्रभू लाल सैनी)

राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 55 के अन्तर्गत की जाने वाली जांचें वस्तुत: किसी संस्था के गठन, कारोबार, वित्तीय स्थिति की जांच हैं। यदि इस जांच में कोई भी व्यक्ति विशेष दोषी पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है। जहां तक अलवर दुग्ध संघ प्रबंध संचालक श्री शरद चौधरी के विरुद्ध सहकारी अधिनियम की धारा 55 की जांच का प्रश्न है, यह एक जांच भरतपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड के विरुद्ध प्रक्रियाधीन है। इस संघ में श्री शरद चौधरी भी कार्य कर रहे थे।

दुग्ध संघ अलवर द्वारा संघ के सम्बन्धित क्षेत्रों का, गुड़गांव, मानेसर, रेवाड़ी, नारनौल, धारूहेड़ा, आदि क्षेत्रों में तरल दूध की बिक्री/वृद्धि के लिए प्रोत्साहन योजना लागू की गयी थी, जिसकी पूर्व स्वीकृति संघ के अध्यक्ष महोदय से प्राप्त कर ली गयी है। दुग्ध संघ, अलवर द्वारा क्रियान्वित उक्त प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत परिणामस्वरूप गुडगांव व मानेसर में दो तथा कोसली, कनिता व महेन्द्रगढ़ में एक वितरक बनाये गये हैं। उक्त प्रोत्साहन योजना, उक्त वितरकों की नियुक्ति एवं संघ के विशेष प्रस्तावों के जरिये तरल दूध बिक्री आशातीत परिणामों की संभावना के मध्यनजर, प्रोत्साहन योजना दिनांक 31 मार्च, 2016 तक जारी की गयी है।

तरल दुग्ध व दूध उत्पादों की विपणन नीति अन्तर्गत सरस पार्लर खोला जाना आवश्यक एवं सामान्य प्रक्रिया है तथा सरस पार्लर जिला दुग्ध संघ द्वारा ही खोले जाते हैं, जिसके लिए जिला दुग्ध संघ के प्रबंध संचालक अधिकृत हैं। दुग्ध संघ, अलवर के कार्यक्षेत्र में कुल 20 सरस पार्लर खुले हुए हैं। ये सभी पार्लर जिला दुग्ध संघ, अलवर के नियंत्रणाधीन संचालित हैं। उक्त पार्लरों में से दो पार्लर, यथा बुर्जा हेली व किशनगढ़ में क्रमश: 13 हजार रुपये प्रति माह व 22 हजार रुपये प्रति माह किराया दुग्ध संघ द्वारा पुनर्भरण किया जाता है।

संचालन मंडल के कुछ सदस्यों द्वारा अलवर दुग्ध संघ में चलायी जा रही दुग्ध बिक्री प्रोत्साहन योजना के बारे में शिकायत की गयी है। यदि शिकायत सही पायी जाती है तो नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय को अधिकारियों ने जो उत्तर बनाकर दिया है, वह आया है, परन्तु

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

वह बिलकुल असत्य वाचन और असत्य उत्तर है। मान्यवर, मेरे द्वारा जो उपरोक्त प्रस्ताव दिया गया, उसका उत्तर मुझे प्राप्त हुआ है, यह तथ्यों के विपरीत व गलत है।

यह सही है कि अलवर दुग्ध संघ 12 करोड़ के लाभ में है। माननीय मंत्री महोदय, इसी तथ्य को लेकर मेरे द्वारा ऐसे अधिकारी की शिकायत के लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया है। क्योंकि माह दिसम्बर, 2015 से श्री शरद चौधरी, प्रबन्ध निदेशक पद पर कार्यरत हैं, मात्र तीन माह में नियमों के विपरीत, बिना संचालक मण्डल की स्वीकृति के, स्वयं के लाभ के लिए, ऐसे निर्णय लिये गये, जिनमें दुग्ध संघ को आर्थिक हानि हुई है।

दूसरा, प्रबन्ध संचालक द्वारा बिना संचालक मंडल की स्वीकृति एवं परीक्षण के दुग्ध संघ अलवर से राज्य के बाहर 2 रुपया प्रति लीटर की बिक्री पर इंसेन्टिव 31.3.2016 तक दिये जाने का निर्णय लिया गया, जबकि दूध की बिक्री बढ़ी नहीं है। यह बिलकुल गलत है और इसका इंवेस्टिगेशन हो चुका। सबूत के तौर पर संघ का दूध बिक्री का माह जनवरी एवं फरवरी का तुलनात्मक स्टेटमेंट, जिसमें बहरोड़ और भिवाड़ी सेंटरों पर की गयी बिक्री में माह फरवरी में कम दर्शाकर, यानी अपने बहरोड़ और भिवाड़ी को कम दर्शाया गया है, वहां ज्यादा दर्शाया गया है। उसके भी पूरे आंकड़े हैं। धारूहेड़ा तथा बावल, हरियाणा में दूध बिक्री को बढ़ाकर दर्शाया गया है, जबकि बिक्री बढ़ी ही नहीं है। विजिलेंस अलवर डेयरी द्वारा मौका मुआयना किया गया तथा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी, उसमें भी मौके पर दूध बिक्री होना नहीं पाया गया। इसकी निरीक्षण रिपोर्ट प्रबन्ध निदेशक, अलवर डेयरी को दी गयी, जिससे नाराज होकर प्रबन्ध निदेशक, शरद चौधरी द्वारा विजिलेंस अधिकारी का तुरन्त स्थानान्तरण कर दिया; विजिलेंस अधिकारी ने जैसे ही रिपोर्ट दी कि धारूहेड़ा और बावल के अस्वीकार्य हैं। इस प्रकार डीलर एवं प्रबन्ध निदेशक ने मिल-जुलकर 2 रुपये प्रति लीटर इंसेन्टिव प्राप्त कर लिया, जिससे दुग्ध संघ को आर्थिक हानि उठानी पड़ी है।

तीसरा, मान्यवर, यह उत्तर भी गलत है, जिसमें यह बताया गया है कि आर सी डी एफ और राज्य सरकार तथा सहकारी विभाग के प्रतिनिधि संचालक मंडल की बैठक में मौजूद रहते हैं। वे किसी संचालक मंडल की मीटिंग में मौजूद नहीं रहे। महोदय, जब संचालक मंडल की बैठक हुई ही नहीं,

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

संचालक मंडल की कोई मीटिंग ही नहीं हुई और आप कह रहे हैं, यहां से जाकर प्रतिनिधि उसमें भाग लेते हैं। महोदय, जब संचालक मंडल की मीटिंग ही नहीं हुई, तब आर सी डी एफ, राज्य सरकार व सहकारी विभाग के प्रतिनिधि की मौजूदगी में निर्णय कैसे हुआ तथा संघ की गतिविधियों पर निगरानी कहां हुई? सभी निर्णय सदस्यों एवं संघ के हितों के विपरीत शरद चौधरी द्वारा व्यक्तिगत लाभ के लिए किये गये। संचालक मंडल की मीटिंग नहीं हुई। उसकी प्रोसीडिंग्स आप देख लें।

चौथा, मान्यवर, उत्तर में बताया गया है कि सरस पार्लर बुर्जा हवेली अलवर में खोला गया है, जो कि गलत जवाब है। वास्तव में बुर्जा बाई-पास पर तुषार प्रोपर्टी डीलर का कार्यालय है, जो सर्वविदित है। यह कार्यालय अलवर डेयरी संघ के चेयरमैन श्री बन्ना मीणा का है और, मान्यवर, सरस पार्लर वही पर खोला गया है। उक्त सरस पार्लर खोले जाने के अधिकार बाबत जो उत्तर दिया गया, उसमें प्रबन्ध संचालक को सरस पार्लर स्वीकृत करने का अधिकार बताया है, वह भी गलत है, क्योंकि दिनांक 6.4.2016 को संचालक मंडल की होने वाली बैठक के एजेंडा के क्रमांक-5 पर तुषार होटल सरस पार्लर को 13 हजार रुपये प्रति माह दिये जाने की पुष्टि पर विचार के लिए रखा गया है। संचालक मंडल में यह पांचवें नम्बर पर है। एजेंडे की प्रति संलग्न है। इस प्रकार शरद चौधरी द्वारा ऐसे स्थान पर सरस पार्लर खोलने का व्यक्तिगत निर्णय लिया गया, जिसका व्यावसायिक उद्देश्य बिलकुल नहीं है। इससे संघ को काफी आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है।

पांचवां, मान्यवर, शरद चौधरी के विरुद्ध भरतपुर में भी तीन साल से जांच चल रही है। चारा घोटाले की तरह, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ट्रकों में उतना दूध आ नहीं सकता, जितना दिखाया गया और ट्रकों के बजाय मोटरसाइकिलों के नम्बर हैं। मान्यवर, श्री शरद चौधरी के विरुद्ध सहकारी संस्था अधिनियम, 2001 की धारा 55 के अन्तर्गत गम्भीर अनियमितताओं की जांच वर्ष 2014 से चल रही है, जिसमें 60 हजार लीटर मिलावटी दूध का प्रकरण प्राथमिक जांच में श्री शरद चौधरी के विरुद्ध सिद्ध हो चुका है। यानी, सिंथेटिक दूध वहां हमारे मेवात में बनता है, वह 60 हजार लीटर उसका सिद्ध हो चुका है। फिर भी 20 करोड़ के लाभ वाली अलवर डेयरी संघ में इनका पदस्थापन क्यों किया गया? यह विचारणीय विषय है, जिसका कोई जवाब नहीं दिया गया है। जांच लगातार आगे खिसकती रही तथा शरद चौधरी भ्रष्टाचार

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

पर भ्रष्टाचार करते हुए आगे बढ़ते गये। भ्रष्टाचार के समस्त सबूत दस्तावेज संलग्न हैं, जो मैं अपने साथ लेकर आया हूं।

छठा, श्री शरद चौधरी के द्वारा प्रबन्ध संचालक के पद पर रहते हुए तीन माह में अनियमित तरीके से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देकर 19 स्थानान्तरण किये गये; तीन महीने में, जो आज तक नहीं हुए, वहां पर एक साथ। एक ही अधिकारी को कई-कई बार इधर से उधर किया गया है, जिसका कोई जवाब नहीं दिया गया है। उसके आर्डर की कॉपियां भी मेरे पास संलग्न हैं।

इस प्रकार श्री शरद चौधरी द्वारा किये गये कार्यों पर रोक लगाने तथा उसकी जांच कराने हेतु उन्हें पद से तुरन्त हटाया जाए। अलवर डेयरी संघ 20 करोड़ के लाभ में, कुछ समय बाद घाटे की ओर अग्रसर हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष: सम्माननीय सदस्य, आपसे निवेदन कर रहा हूं, इसमें आपको प्रश्न पूछना है सीधा। जैसे प्रश्न काल में आप प्रश्न पूछते हैं, आप प्रश्न पूछ लीजिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): यह इसलिए है कि उत्तर का क्रमवाइज मैंने जवाब दिया है। अब मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको दो सबूत दे रहा हूं। 432 लीटर की बिक्री हुई बावल में...

श्री उपाध्यक्ष: आप प्रश्न पूछ लीजिये, क्या 432 लीटर की बिक्री हुई? हां या ना। वह जवाब देंगे।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): मैं एक बार सबूत दे दूं, फिर मैं प्रश्न पूछ रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: आप दे नहीं सकते। सर, 131 में आप सबूत नहीं दे सकते, आप केवल प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय को इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से यह निवेदन कर रहा हूं कि ये जो सबूत हैं, जो बावल में 432 लीटर बिका जनवरी में, अचानक 5,919 कैसे हो गया? दूसरा, धारूहेड़ा में 6,439 लीटर बिका जनवरी में और अचानक उसको बढ़ाकर 10,489 लीटर कैसे हो गया? एक तो यह, और भरतपुर में जो जांच चल रही है, तीन साल से वह पेंडिंग है, कि नहीं है? उसमें क्या प्रोग्रेस रही? और उस व्यक्ति को अलवर डेयरी से हटाकर, दूसरी बार जांच बैठाने के लिए आप तैयार हैं कि नहीं? इन बातों का उत्तर दें।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने मूल प्रस्ताव में जो अंकित किया था, उसमें खास तौर से एम.डी. शरद चौधरी के बारे में, एक तो डेयरी घोटालों की भेंट चढ़ गयी; दूसरी शिकायत थी कि सहकारिता अधिनियम की धारा 55 की कार्यवाही इनके खिलाफ विचाराधीन है; पोस्टिंग ट्रांसफर से इधर से उधर और निजी स्वार्थ के कमीशनबाजी करके अपने लोगों को इधर से उधर लगाया; बिना संचालक मंडल की स्वीकृति के फर्जी योजनाएं चलायीं; और सरस पार्लर खोलने बाबत, इन छह बिन्दुओं पर इनका मूल प्रस्ताव था। इस मूल प्रस्ताव का जवाब देने का मैंने प्रयास किया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से, जो भी रिकार्ड मुझे उपलब्ध हुआ है, जो सरस पार्लर खोले गये हैं, वे सरस पार्लर, किशनगढ़ स्थित पार्लर लगभग गत दो वर्षों से चलाये जा रहे हैं। इसकी प्रतिदिन लगभग 6 हजार रुपये आय आयी है। बुर्जा में जो पार्लर चला, वह माह जनवरी, 2016 में खोला गया था।

इसके अलावा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह भी मेरे पास रिकार्ड में उपलब्ध है, उन्होंने बताया कि चूंकि अमूल, मदर डेयरी और पायस डेयरी वहां पर प्रोत्साहन योजना चलाकर दूध का कलेक्शन करती हैं; ऐसी स्थिति में संघ को भी अचानक योजना चलाकर, एक दुग्ध वितरण प्रोत्साहन योजना इन्होंने शुरू की और 12 लीटर दूध कोई भी पर्चेज करेगा, तो उसको 500 ग्राम की छूट दी गयी।

यदि हम इन सारे प्रदेशों की बात करें, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नवम्बर, 2016 में जो डेयरी 11.35 करोड़ के लाभ में थी, वह फरवरी, 2016 में इनके टाइम में अब यह 12.86 करोड़ रुपये इसका प्रोफिट हुआ।

फिर भी माननीय सदस्य ने जो नये कुछ विषय दिये हैं, मैं आपके माध्यम से घोषणा करना चाहूंगा कि राजस्थान सहकारिता अधिनियम, 2001 की धारा 55 के अन्तर्गत एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर आई डी ओ लेवल पर दो महीने में जांच कराकर, जो भी इसमें दोषी अधिकारी होंगे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करने का मैं आपसे निवेदन करता हूं।

भरतपुर डेयरी की जांच, जो 2014 से चल रही है, चूंकि कोई भी सहकारी समिति, को-ऑपरेटिव सोसायटी एक्ट की धारा 55 किसी व्यक्ति की जांच नहीं करती है, यह उस संस्था की जांच करती है, पूरी संस्था की जांच

(श्री प्रभू लाल सैनी)

(14.00 बजे)

करती है और यदि संस्था की जांच में जितने भी व्यक्ति उसमें दोषी पाये जाते हैं...। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि उन अधिकारियों ने जिन्होंने 2014 से अब तक जांच को पूरा नहीं किया और जांच के जो अधिकारी नियुक्त थे, उनके खिलाफ भी कार्यवाही करने की मैं यहां घोषणा करता हूं और इनको विश्वास दिलाता हूं, निश्चित रूप से पूरे प्रकरण को आप व्यक्तिगत मिलकर मुझे भी दे दें, ताकि उन तथ्यों को आगे बढ़ा कर, हम लोग जांच करके निश्चित रूप से दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री मोहन लाल जी गुप्ता।

जयपुर शहर के श्मशानों पर अतिक्रमण एवं सुविधाओं का अभाव

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 131 के तहत जयपुर के श्मशानों पर हो रहे अतिक्रमण एवं उनमें मूलभूत सुविधाएं नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर के श्मशानों में अतिक्रमण एवं सुविधाएं नहीं होने के सम्बन्ध में। चांदपोल श्मशान में पुराने स्थायी एवं अस्थायी अतिक्रमण किये हुए हैं, जिनको कई बार हटाया जा चुका है। श्मशान के चारों ओर चारदीवारी बनी हुई है। सफाई दैनिक की जाती है; पानी की व्यवस्था पर्याप्त है; रोशनी की व्यवस्था हेतु एक हाई मास्ट एवं रोड लाइटें लगा रखी हैं।

मुक्ति मार्ग चौराहे आदर्श नगर में श्मशान स्थित है जो काफी बड़े भू-भाग पर पृथक-पृथक हिस्सों में बना है तथा चारों तरफ ऊंची चारदीवारी बनी हुई है। चारदीवारी बाहर स्थायी निर्माण हैं। नगर निगम जयपुर द्वारा चौकीदार लगा रखा है तथा नियमित सफाई की व्यवस्था की जाती है। पानी की व्यवस्था है। प्राचीन छतरियां बनी हुई हैं जिन पर कोई अतिक्रमण नहीं है। रोशनी की व्यवस्था हेतु एक हाई मास्ट एवं रोड लाइटें लगा रखी हैं।

कागदीवाड़ा श्मशान वन विभाग के अधीन भूखण्ड पर स्थापित है। यह

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

क्षेत्र नगर निगम के अधीन नहीं आता है। रोशनी की व्यवस्था हेतु रोड लाइटें लगा रखी हैं तथा पर्याप्त रोशनी हेतु, लाइट हेतु प्रस्ताव बनाया गया है, जो प्रक्रियाधीन है।

आवारा सूअर एवं पशु पकड़ने हेतु नगर निगम, जयपुर द्वारा दो वाहन मय कर्मचारी लगा रखे हैं, जो शिकायत प्राप्त होने पर उन्हें पकड़ने की कार्यवाही करते हैं।

चांदपोल श्मशान में नगर निगम, जयपुर के द्वारा विद्युत शवदाह मशीन लगाई गयी थीं, जो विगत कई वर्षों से बंद पड़ी हैं। इसकी मरम्मत हेतु निविदा जारी की जा चुकी है। चांदपोल श्मशान में विद्युत शवदाह गृह वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब मंत्रीजी ने इतनी व्यवस्था कर रखी है, तो फिर माननीय सदस्य, मोहन लाल जी क्यों प्रश्न पूछ रहे हैं? इतनी व्यवस्था कर रखी है। स्वागत है।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने यह जो जवाब दिया है, उसके सम्बन्ध में मैं दो-तीन बात कहना चाहूंगा। चांदपोल श्मशान घाट में सुरक्षा गार्ड लगे हुए नहीं हैं। वहां सफाई कर्मचारी नियुक्त हैं, तो वे सफाई के लिए पैसा लेते हैं, जो मुर्दे आते हैं, उनके लिए। शीतल पेय की व्यवस्था वहां अन्य समाजों के द्वारा की गयी है। तीस बीघा में श्मशान घाट है, वहां पर एक ही स्थान पर पानी की व्यवस्था है, पांच-छह स्थानों पर पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। बैठने के लिए कुर्सी और सत्संग हॉल की व्यवस्था होनी चाहिए।

मैं यह सभी श्मशान घाटों के सम्बन्ध में बात कर रहा हूं कि वहां सुरक्षा गार्ड लगें, सफाई कर्मचारी बिना शुल्क के सफाई करें, शीतल पेयजल की व्यवस्था हो, बैठने के लिए कुर्सियां हों, सत्संग हॉल हो।

इन श्मशानों में जो अतिक्रमण हो रहे हैं, वे अतिक्रमी आज भी वहां बैठे हुए हैं। कई बार ऑपरेशन किया गया, लेकिन आज भी अतिक्रमी वहां से हटे नहीं हैं।

आवारा पशु वहां आज भी घूम रहे हैं। मैं यह चाहता हूं कि इन श्मशानों में लाइटें लगें, हरियाली हो, पार्किंग की व्यवस्था हो।

विश्नोई समाज जो एक बहुत बड़ा समाज है, यहां जयपुर समाज में, उनको वे गाड़ते हैं। उनको गाड़ने की व्यवस्था नहीं है।

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

मोक्षधाम विकास समिति बने। श्मशानों में कलात्मक छतरियां बनी हुई हैं, उन छतरियों का मेंटीनेंस हो। वह नगर निगम नहीं कर रहा है।

लकड़ी लगाने और चिता लगाने वाले एक हजार रुपया वसूल करते हैं, गरीब आदमी से भी। तो यह एक हजार रुपये किस बात का वसूल कर रहे हैं? मैं समझता हूं कि जो लकड़ी की कम खर्चे में व्यवस्था हो सकती है, एक ढांचा बनता है, उस प्रकार का ढांचा हो और उसके आधार पर लकड़ी कम लगे, लोगों से कम पैसा वसूल हो और जिस प्रकार से जामनगर में आदर्श श्मशान घाट बना है, उसी प्रकार के यहां श्मशान घाटों की व्यवस्था हो।

मैं समझता हूं कि माननीया मुख्य मंत्रीजी ने अभी बजट में घोषणा की है, ग्रामीण क्षेत्रों में श्मशानों एवं कब्रिस्तानों में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए 'मुक्ति धाम विकास योजना' के तहत 2016-17 में एक हजार से अधिक श्मशान, कब्रिस्तानों का विकास किया जायेगा। इस प्रकार की माननीया मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है, जिस पर सौ करोड़ रुपये का प्रावधान भी उन्होंने रखा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि श्मशान, ये अच्छे हों और वहां जाकर लोगों को शांति प्राप्त हो सके; बैठने की अच्छी, समुचित व्यवस्था हो। गरीब आदमी जो लकड़ी जलाता है उसकी लकड़ी की समुचित व्यवस्था हो, गरीब आदमी के लिए मुफ्त में लकड़ी की भी व्यवस्था हो और इनको जामनगर के पैटर्न पर आदर्श, अच्छा श्मशान घाट बनाने के लिए मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मोहन जी, आपने तो शुरुआत ही जयपुर से की है, तो प्रबन्ध कर देना चाहिए था श्मशान घाट का। क्यों नहीं किया? आपके पास समय मिला पांच साल का, तो जयपुर का सुदृढ़ीकरण करने के लिए आपने क्या सोचा? आपको श्मशान घाट पर जाना चाहिए था। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): अब यह प्रश्न मुझ से पूछ रहे हैं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): अभी तो आपको दस-पांच पारी और खेलनी हैं। आप जल्दी क्यों कर रहे हो श्मशान घाट की?

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, एक्चुअली मोहन लाल जी गुप्ता साहब चाहते हैं श्मशान इतने बढ़िया हों कि आदमी की खुद मरने की इच्छा हो जाए। इतने खूबसूरत...(व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): आपकी अगर इच्छा हो तो चले जाइये। मौत तो आनी ही है। लोग-बाग लेकर जाते हैं।

उस श्मशान घाट में माननीया मुख्य मंत्रीजी ने अपनी घोषणा की है कि एक हजार से अधिक श्मशानों, कब्रिस्तानों का विकास किया जायेगा और सौ करोड़ रुपये उस पर व्यय होगा, तो सरकार और निगम का भी यह दायित्व बनता है कि उन श्मशानों का विकास किया जाए।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): श्रवण जी, आपकी भी इच्छा हो ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सदस्य, वह आपके लिए नहीं है, हमारे लिए है, गांव वालों के लिए। आप के तो पहले से एकदम रैडी है काम।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): श्मशान आपके भी हैं ...(व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): नहीं है, सर। आप जायेंगे न, तो काफी अतिक्रमण मिलेंगे, काफी गंदगी मिलेगी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अच्छा?

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): हां। और वहां पर व्यवस्थाएं ठीक नहीं हैं। उन व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए मैंने स्वायत्त शासन मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित किया है। वे अब चाहें तो घोषणा कर सकते हैं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बी.जे.पी. की घोषणा देखी है, तब तो यह मन करता है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार नहीं आये, बी.जे.पी. की आये; और इनके काम देखते हैं, तब यह होता है कि यह कभी जिंदगी में नहीं आये।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): उपाध्यक्ष महोदय, कुछ समाजों को और कुछ सी.एस.आर. एक्टिविटीज के तहत हम लोगों को तैयार कर सकते हैं, जो इन श्मशानों की देखरेख कर सकें। चांदपोल श्मशान घाट के विकास के लिए 'भास्कर' ने बीड़ा उठाया था और वह आज भी तैयार है कि वह उस श्मशान घाट को तैयार कर सके। 'पत्रिका' के लोग भी आदर्श नगर श्मशान घाट को गोद लेने के लिए तैयार हैं। 'टाइम्स ऑफ इंडिया', 'महानगर टाइम्स' और विभिन्न प्रकार के जो व्यापारिक संस्थान हैं, औद्योगिक संस्थान हैं, वे उन श्मशान घाटों को एडोप्ट करके उनका डवलपमेंट का प्लान बना सकते हैं।

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

दूसरा बात यह है कि जातियों को देने के लिए भी शायद हाई कोर्ट का स्टे है, इसलिए जातियों को हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन एक श्मशान, एक कुआं और वह भी आदर्श हो, बिना जाति के हो और उसका डवलपमेंट नगर निगम करे, जे.डी.ए. करे, विभिन्न जातियों के लोग मिलकर करें, वह सी.एस.आर. एक्टिविटीज के तहत कार्यक्रम हो जाए, तो यह अच्छा रहेगा।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर में 128 श्मशान हैं, 128, और यह बात भी सही है कि श्मशानों पर अतिक्रमण हुए हैं। चांदपोल का श्मशान 12 बीघा का है, उस 12 बीघा का मतलब हुआ तकरीबन 36 हजार गज जमीन, उस 36 हजार गज जमीन में तकरीबन छह हजार गज जमीन पर कब्जा है।

ऐसे ही आदर्श नगर का श्मशान है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह 51 बीघा का है। उस 51 बीघा के बहुत बड़े हिस्से के अन्दर कच्ची बस्तियां बस गयीं हैं; तीस साल-चालीस साल पहले से कच्ची बस्तियां बसी हुई हैं। वहां छतरियों पर भी अतिक्रमण हो गये थे, लेकिन कुछ समय छतरियों के अतिक्रमण को हटाया गया है।

जैसे कि किशनपोल से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है कि श्मशान के स्वरूप को बदलना और उन्हें अच्छा बनाना, इसके लिए सब संस्थानों का जब तक सहयोग नहीं होगा, उसमें सहभागिता नहीं होगी, तब तक श्मशानों को उस स्तर पर नहीं ले जाया जा सकता, जिस स्तर पर मोहन लाल जी गुप्ता ले जाना चाहते हैं। मोहन लाल जी गुप्ता के समय में, जिस जामनगर की चर्चा उन्होंने आज की है, मुझे अच्छी तरह याद आ रहा है, जब किशनपोल से आने वाले माननीय सदस्य जयपुर के मेयर हुआ करते थे, सुरेन्द्र जी पारीक यहां अगर विराजे हुए हैं तो उन्हें जानकारी होगी, जामनगर आपने एक टीम भेजी थी; आप स्वयं गये थे, या नहीं गये थे, मुझे ध्यान नहीं है; जामनगर के श्मशानों को देखने के लिए यहां से एक टीम गयी थी। पारीक साहब ...(व्यवधान) गयी थी। मुझे उसकी जानकारी नहीं। जामनगर आपने जो टीम भेजी थी, वह जामनगर को देखकर आने के बाद, आपकी मेयरशिप में क्या काम हुआ, उसकी जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन आज आपने मुझे यह बड़ा याद दिलाया कि जामनगर में श्मशानों की व्यवस्था ठीक है। जामनगर में किस प्रकार की श्मशानों की व्यवस्था है, उसकी जानकारी करने का प्रयास

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

करूंगा; उन लोगों से चर्चा करने की कोशिश भी करूंगा, जिनको आपने जामनगर भेजा था।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): आपको गलत जानकारी है। न कोई टीम गई और न मैंने कोई भेजी। अब भेज रहे हैं।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): कोई दिक्कत नहीं। आप सोचकर रह गये, आपने भेजा नहीं, हम भिजवा देंगे।

श्री उपाध्यक्ष: आप जामनगर टीम क्यों भेजना चाहते हैं?

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): जामनगर के श्मशान को आपने देखा है?

श्री उपाध्यक्ष: उसकी जानकारी तो मैं दे दूंगा। मेरा ससुराल है वहां। वहां किस प्रकार के श्मशान हैं, वह मैं दे दूंगा जानकारी।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): मैंने न देखा है और न कोई टीम भेजी है, सुना है।

श्री उपाध्यक्ष: वहां का तो मैं लेटेस्ट दे दूंगा।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): वैसे जंवाइयों को अपने ससुराल के श्मशानों के बारे में जानकारी नहीं होती।

श्री उपाध्यक्ष: वे कब जाते हैं, उसकी जानकारी भी मैं आपको दे दूंगा।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं इतना ही निवेदन कर सकता हूं कि यह बात सही है कि चांदपोल के श्मशान में 'भास्कर' ने कुछ काम कराने की कोशिश की थी। चांदपोल के श्मशान के लिए एक शव वाहन की व्यवस्था माननीय सुरेन्द्र जी पारीक ने भी की थी।

मैं समझता हूं कि श्मशानों के सर्वांगीण विकास के लिए हम चिंतित हैं। हमने पौने 2 साल के अन्दर तकरीबन 3 करोड़ 72 लाख रुपया तो लगाया है जयपुर नगर निगम की तरफ से और तकरीबन 4 करोड़ 58 लाख रुपया लगाया है जे डी ए की तरफ से। इस प्रकार गये ढाई साल में 8 करोड़ 30 लाख रुपया जे डी ए और नगर निगम के माध्यम से जयपुर के श्मशानों को विकसित करने के लिए, उनमें सुविधाएं देने के लिए हमने किया है।

इस साल 2016-17 में हमने जयपुर नगर निगम के बजट में 10

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

करोड़ रुपये की व्यवस्था श्मशानों के डवलपमेंट के लिए की है, लेकिन मैं सोचता हूं कि यह 10 करोड़ रुपये की रकम 128 श्मशानों को उस स्तर पर डवलप करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए जैसे किशनपोल से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि समाज के विभिन्न तबकों का सहयोग लेते हुए, जिनकी चर्चा आपने की है, सी एस आर के तहत आपने 'भास्कर' का नाम लिया, 'पत्रिका' का नाम लिया, इसके अलावा भी कई संगठन हो सकते हैं, जिनका सहयोग हम ले सकते हैं, मुक्तिधाम समितियां बना सकते हैं। आदर्श नगर श्मशान में जितना विकास हुआ है, वह वहां के लोकल लोगों के कंट्रिब्यूशन से बहुत ज्यादा है। इस प्रकार से उन सब लोगों के सहयोग को समाहित करते हुए हम जयपुर के श्मशानों को अपग्रेड कर सकते हैं।

जामनगर की जो चर्चा आपने की है, उसकी जानकारी हम ले लेंगे। उसके बाद में किस प्रकार की व्यवस्थाएं जयपुर के श्मशानों में की जा सकती हैं, उनकी हम व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): शहरों के श्मशान घाटों की करोगे, या गांवों के भी करोगे? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या बात है!

श्री उपाध्यक्ष: सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। अधिसूचना। श्री राजपाल सिंह शेखावत।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

वित्त विभाग

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या: एफ.24(6)वित्त/कर/2015-250 दिनांक 28.03.2016, जिसके द्वारा राजस्थान दिवस समारोह, 2016 में बाल फिल्मोत्सव में दिनांक 28 एवं 29 मार्च, 2016 को प्रदर्शित की जाने वाली बाल फिल्मों को सशर्त मनोरंजन कर से मुक्त किया गया है, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रतिवेदन। श्री राजपाल सिंह शेखावत।

प्रतिवेदन एवं लेखे

भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र)

(वर्ष 2014-15)

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन। (राजस्व क्षेत्र) सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन। श्री मोहन लाल जी गुप्ता।

समिति प्रतिवेदन

राजकीय उपक्रम समिति (वर्ष 2015-16) के प्रतिवेदन

(क्रम संख्या 59 से 64)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार राजकीय उपक्रम समिति, 2015-2016 के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं:-

1. राजस्थान वित्त निगम (लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2010-2011) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 2015-2016 का 59वां प्रतिवेदन;
2. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 1997-1998) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 2011-12 के 71वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2015-2016 का 60वां प्रतिवेदन;
3. राजस्थान राज्य विद्युत मंडल (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 1993-1994) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 2011-12 के 78वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2015-2016 का 61वां प्रतिवेदन;
4. राजस्थान राज्य विद्युत मंडल (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 1996-1997) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 2011-12 के 79वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2015-2016 का 62वां परिपालनात्मक प्रतिवेदन;

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

5. पांचों विद्युत कंपनियों (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2002-2003) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 2011-12 के 80वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2015-2016 का 63वां परिपालनात्मक प्रतिवेदन; एवं

6. राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2007-2008) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 2014-15 के छठे प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2015-2016 का 64वां परिपालनात्मक प्रतिवेदन।

श्री उपाध्यक्ष: श्री भागीरथ चौधरी।

पर्यावरण सम्बन्धी समिति (वर्ष 2015-16) के प्रतिवेदन
(क्रम संख्या 1 व 2)

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, पर्यावरण सम्बन्धी समिति, 2015-16 के प्रथम एवं द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री ज्ञानदेव आहूजा।

(अनुपस्थित)

संसदीय कार्य मंत्री महोदय, प्राक्कलन समिति 'क' का प्रतिवेदन आना है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आपकी अनुमति हो, तो मैं रख दूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, आप माननीय सदस्यों को लताड़ नहीं पिलाते हों।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, इसमें व्यवस्था यह है कि कोई दूसरे माननीय सदस्य हों, वे रख पायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: सदस्य हैं कोई प्राक्कलन 'क' के?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उधर हैं।

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट, माननीय सदस्य। वैसे, संसदीय कार्य मंत्री महोदय, यह अपने आप में कोई सेट नहीं करेगा और जो भी चेयरमैन हैं, आप इसको अपने स्तर पर देख लें। This is something which can't be tolerated.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्षमा याचना करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: बाबू सिंह जी।

प्राक्कलन समिति 'क' (वर्ष 2015-16) का प्रतिवेदन

(क्रम संख्या 3)

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्राक्कलन समिति 'क', 2015-2016 के तृतीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: याचिकाओं का उपस्थापन।

श्री धीरज गुर्जर।

(अनुपस्थित)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): याचना करनी ही नहीं है, इसलिए नहीं आये।

श्री उपाध्यक्ष: आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2016-2017 । अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान। श्रीमती किरण माहेश्वरी।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 27–पेयजल योजना की प्रस्तुति

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करती हूं कि मांग संख्या 27 – पेयजल योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 67,13,30,37,000/- (सड़सठ अरब तेरह करोड़ तीस लाख सैंतीस हजार तक की राशि प्रदान की जाए।

(मांग संख्या 27 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

श्री उपाध्यक्ष: डा. रामप्रताप।

मांग संख्या 46–सिंचाई (इंदिरा गांधी नहर परियोजना सहित) की प्रस्तुति

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 46 – सिंचाई (इंदिरा

(डा. रामप्रताप)

गांधी नहर परियोजना सहित) के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 34,64,95,16,000/- (चौंतीस अरब चौंसठ करोड़ पचानवे लाख सोलह हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

(मांग संख्या 46 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

श्री उपाध्यक्ष: श्री बाबूसिंह जी।

मांग संख्या 27 व 46 पर विचार

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 27-पेयजल व 46-सिंचाई में मैं अपने आपको शामिल कर रहा हूं।

पानी का महत्व प्राचीन काल से ही रहा है। जब भी कोई सभ्यता बसी है, तो वह पानी किनारे, नदी किनारे बसी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कहा भी गया है कि पहला जीव भी जल से ही आया है। इसकी चिंता हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने भी की है। साथ ही, इसकी चिंता रहीम दास जी ने भी की, ''रहिमन पानी राखिये, बिन पानी सब सून। पानी गये ना उबरे, मोती, मानस, चून।'' गुरु जम्भेश्वर महाराज, उन्होंने तो साढ़े 500 वर्ष पहले इस बात की चिंता की थी कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हो रही है; भू-जल का दोहन हो रहा है; अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही है। ऐसे में उन्होंने कहा कि ओजोन परत में मुझे छेद नजर आता है। इसी प्रकार से प्रकृति के साथ खिलवाड़ चलता रहा तो ओजोन परत में बहुत बड़ा छेद हो जायेगा, कोई प्राकृतिक आपदा आ सकती है। उन्होंने भी चिंता की।

इसके साथ-साथ प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्सटाइन व कर्नल टॉड ने भी कहा कि अगर तीसरा विश्व युद्ध होगा तो वह पानी को लेकर के होगा। ऐसी चिंता उनकी है और वास्तव में आज ये सारे लक्षण हमें दिखाई देते हैं। जो हमारे पड़ोसी देश हैं, चाहे वह चीन है, या और हैं, वह हिन्दुस्तान में जो पानी आता है उसको रोकते हैं। साथ ही जो पड़ोसी प्रदेश हैं, चाहे वह हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान के पानी को रोकने का प्रयास करते हैं। गांवों में भी आज हम हालत यह देख रहे हैं कि जिस गांव में पानी मीठा है और जहां पर खारा पानी है, उसके लिए क्षेत्रीय जलप्रदाय योजनाएं बनाई जाती हैं, तो गांव

(श्री बाबूसिंह)

के लोग टयूबवेल खोदने नहीं देते हैं, पाइप लाइनें तोड़ देते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अभी तो हालत ये है कि पानी को लेकर कई जगह झगड़े हो रहे हैं। पानी को लेकर, जहां पानी सप्लाई होता है, टैंकर होते हैं, उनका परिवहन होता है, वहां पर पहली बार पानी को लेकर झगड़ा हुआ और कर्फ्यू जैसे हालात पैदा हुए। यह स्थिति है।

आज मैं कह सकता हूं कि राजस्थान का क्षेत्र देश का 10.4 परसेंट है और जल की उपलब्धता मात्र 1.16 परसेंट है। हमारे यहां 243 ब्लाक्स हैं, उनमें से 25 ब्लाक्स तो सुरक्षित हैं और 196 ब्लाक्स में डार्क जोन है, जिनमें 20 ब्लाक्स संवेदनशील हैं। अब इसमें 78 परसेंट पेयजल योजनाएं भू-जल पर आधारित हैं। जितनी भी योजनाएं भू-जल पर आधारित हैं, उन योजनाओं में क्लोराइड है, फ्लोराइड है और नाइट्रेट है। नाइट्रेट का जो पानी पीते हैं, क्लोराइड का पानी पीते हैं, फ्लोराइड का पानी पीते हैं, वे कुबड़े हो जाते हैं और उनके स्वास्थ्य में गिरावट आयी है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह सकता हूं कि जिन्होंने भू-जल का उपयोग नहीं किया और मेरे मारवाड़ में खास तौर से 7 में से 5 अकाल पड़ते हैं, मारवाड़ में खास तौर से अकाल रहा है; जहां मगरा क्षेत्र था, वहां पर तो गांव के लोगों ने चंदा इक्ट्ठा करके, श्रमदान करके, नाड़ियों का निर्माण कराया। जहां रेगिस्तान था, बालू रेत थी, जहां नाड़ियां नहीं हुआ करती थीं, वहां पर टांकों का निर्माण किया। आज मैं कह सकता हूं कि जिन्होंने बरसाती पानी का संग्रहण किया टांकों में और उस पानी को पिया, वे आज स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। उनमें किसी प्रकार की कोई फ्लोराइड, क्लोराइड और नाइट्रेट की मात्रा नहीं है।

पानी की चिंता के बारे में हम आज कह सकते हैं कि हमारी राजस्थान की मुख्य मंत्री माननीया वसुंधरा जी ने भी चिंता की। इस बार सुराज संकल्प यात्रा के दौरान जब वे सब जगह गयीं, तो सड़कों पर महिलाएं सिर के ऊपर घड़ा लेकर चलती थीं, तो रोककर उनको पूछती थीं कि आप पानी कहां से लाते हों, कितनी दूर से पानी लाते हों? वास्तव में पानी की समस्या हमारी महिलाओं के लिए प्रमुख है। आज यह सौभाग्य की बात है और संयोग की बात है कि राजस्थान में मुख्य मंत्रीजी भी महिला हैं और हमारी मंत्रीजी भी महिला हैं। तो जब दोनों महिलाएं हैं, तो निश्चित रूप से राजस्थान में महिलाओं के सिर पर जो घड़े हैं, वह आपके प्रयास से, इसको

(श्री बाबूसिंह)

आप चुनौती के रूप में स्वीकार करेंगे और ये घड़े उतरेंगे। इसी की चिंता में, जब राजस्थान में वसुन्धराजी मुख्य मंत्री बनीं, तो उन्होंने मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन अभियान शुरू किया। अब यह उनकी चिंता है।

वास्तव में हम सब इस बात को महसूस करते हैं कि हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने गांव के अन्दर श्रमदान करके, यह तो एक धार्मिक परम्परा भी रही थी कि गांव में धार्मिक भावना की वजह से, गांव में ग्यारस को, पूनम को, अमावस को, हमारे गांव के बुजुर्ग भी जाते थे, युवा जाते थे, महिलाएं जाती थीं, आखातीज को भी जाते थे और गांव के लोगों ने, गांव जब बसता था तो तालाब खोदने के लिए पैसा इकट्ठा किया, श्रमदान किया, तालाब भी बनाये, पोखर भी बनाये, नाड़ियां बनाईं, कई उन्होंने टांके बनाये, और इस प्रकार से प्याऊ बनाकर भी धर्म करते थे। ऐसा वातावरण बनता था। आज जिस गांव के अन्दर जहां कुएं बने हुए हैं, वे भी श्रमदान से बने हुए हैं, जनता के पैसे से कुएं बने हुए हैं। खारा पानी है, लेकिन गांव के अन्दर, मारवाड़ के अन्दर ये हालात थे कि वहां पर घी सस्ता था और पानी महंगा था। इस कारण से दो टांके रखते थे और कभी नहीं भूलते थे कि हाथ धोना है तो खारे पानी से धोना है और पीना है तो मीठे पानी से पीना है। इतना जल का महत्व वहां था।

आज हम यह कह सकते हैं कि जब भी, पुराना जो समय था, उसमें भी जोधपुर के अन्दर खास तौर से यह जवाई नहर बनाई गई, जवाई बांध बनाया गया, जवाई बांध से जवाई नहर लाई गई। गंगासिंहजी ने गंग नहर बनाई। उसके साथ-साथ ऐसे कई सागर, तख्त सागर, उम्मेद सागर, बड़े-बड़े बांध, उन बांधों में पानी आने के लिए चैनल बनाईं, नहरें बनाईं, तालाब बनाये और आज हम कह सकते हैं कि इतनी गुणवत्ता का काम था कि जितने बड़े-बड़े सागर बने हुए हैं, बांध बने हुए हैं, उनका एक खंडा भी नहीं निकाल सकते। इतना शानदार काम पहले भी हुआ है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीया मुख्य मंत्रीजी की चिंता वाजिब है कि मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन अभियान चलाकर, जो हमारे पुरखों ने तालाब बनाये, पोखर बनाये, नाड़ियां बनाईं, इस प्रकार से जितने भी पानी को संरक्षण करने के लिए काम किये थे, फिर से उनका पुनरुद्धार करने की जरूरत है। इसलिए यह पानी में उन्होंने, जल में क्रांति लाने का काम किया और आज

(श्री बाबूसिंह)

मैं यह कह सकता हूं कि जब से मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन अभियान शुरू हुआ है, उस समय से हमारे जितने एनिकट हैं, बांध हैं, उनका काम शुरू हुआ है, उनमें से मिट्टी निकालने का काम शुरू हुआ है और जगह-जगह काम हो रहा है। मैंने तो इससे प्रभावित होकर मेरे विधान सभा क्षेत्र में करीबन 500 टांके, एम एल ए लैड को नरेगा के साथ डवटेल करके टांके बनवाये हैं और टांके में 1 लाख मेरा है और 50 हजार नरेगा के हैं। इस प्रकार से 500 टांके एन आर डी डब्ल्यू पी में बने; जलदाय विभाग से भी जो राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम है उसमें 30 हजार से लगाकर 50 हजार लीटर तक के टांके बने, उसमें 3 लाख से 5 लाख की कीमत आई। आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि जिन इलाकों में इन टांकों का निर्माण हुआ है, उसमें आगोर बने हैं और एक अच्छी बारिश में वे टांके भरे हैं। तो वहां पर जो ट्रांसपोर्ट होता था, टैंकर परिवहन होता था और करोड़ों रुपये टैंकर परिवहन का जाता था, वहां टैंकर परिवहन भी बंद हो गया है। इस प्रकार का काम चल रहा है। मैं तो यह कह रहा हूं कि उसमें भामाशाह भी आगे आये हैं और जनता भी आगे आई है, उनका जन सहयोग मिल रहा है, श्रमदान भी मिल रहा है, बजट भी मिल रहा है, चंदा भी मिल रहा है। उसके बाद में भी विपक्ष कह रहा है, मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन की मजाक उड़ा रहे हैं कि कैसा अभियान शुरू किया है।

आने वाले समय में जो हमारे पूर्वजों ने काम किया, उसको संवारने की जरूरत है और, माननीय मंत्रीजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि गांव में जितने भी कुएं बने हुए हैं, वे बरसों से, उन कुओं में आंधी चलती है, मिट्टी आती है, कचरा आता है, पत्ते आते हैं और उन कुओं के अन्दर कीचड़ है, बीस-बीस फीट वे कुएं भरे हुए हैं। मैं चाहूंगा कि उन्होंने जो कुएं बनवाए हैं, आप अपनी कंटिंजेंसी में योजना बनाएं और पूर्वजों ने हमारे जो कुएं तैयार किये हैं, उन कुओं की सफाई करवायें, उनकी मरम्मत करवायें, उनमें बोरिंग करवायें। खास तौर से, जहां कुआं चल रहा है, आपने जनता जल योजना से लाइट कनेक्शन करके उसको जोड़ा है, तो उन कुओं को भी आप सोलर प्लांट लगाकर, 3 से 5 हॉर्स पावर के सोलर प्लांट लगाकर, उन कुओं को चालू कर सकते हैं। उन कुओं को भी आप तैयार करें। ऐसा मेरा आपसे खास तौर से निवेदन रहेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि माननीय मंत्रीजी हमारी राष्ट्रीय नेता हैं, पहले के तत्कालीन मुख्य

(श्री बाबूसिंह)

मंत्रीजी, आदरणीय अशोकजी गहलोत साहब, मैं उनको सुना करता था यहां तो वे बोलते थे कि 34 हजार गांवों में पानी की समस्या आती है, तो 50 हजार करोड़ रुपये का पैकेज बनाकर वे कई बार केन्द्र सरकार के पास में गये लेकिन उनको धेला, एक रुपया भी उस पैकेज का नहीं मिला। मैं हमारी मंत्री महोदया से कहना चाहूंगा कि आप हमारी राष्ट्रीय नेता हैं और आपका अच्छा प्रभाव है सेंटर में और केन्द्र में भी हमारी सरकार है, तो जो हालात हमारे यहां हैं कि आज 196 ब्लाक्स में फ्लोराइड है, क्लोराइड है, नाइट्रेट है, और राजस्थान के क्या हालात हैं, पानी का भयंकर संकट है और आप यह देख रहे हैं कि तमिलनाडु में, जम्मू-कश्मीर में, बिहार में, वहां नदियों में उफान आता है, वहां बाढ़ आती है और राजस्थान में अकाल पड़ता है। तो यहां पर जिस प्रकार से हमारे तत्कालीन प्रधान मंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयीजी की नदी से नदी जोड़ने की योजना थी, जिसको आदरणीय नरेन्द्र मोदीजी, देश के प्रधान मंत्रीजी ने आगे बढ़ाया; तो देश की जो नदियां जुड़ें, उनमें राजस्थान की यहां पर बहुत महत्वाकांक्षी योजना तैयार करें और मरुस्थल हमारा हरा-भरा हो, इसके लिए नदियां जोड़ने का काम राजस्थान में हो। जिस प्रकार से नर्मदा राजस्थान में आ रही है, वैसे और नदियां हमारे इलाके में आएं और खास तौर से जोधपुर, बीकानेर, चूरू, बाड़मेर जिले के अन्दर उधर से नदी और नहरें लाकर के हमारे मरुस्थल को हरा-भरा करने का काम भी कर सकते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हमें खुशी है कि जो सर्वे हो रहा है, उसके अन्दर सरस्वती नदी का भी सर्वे, पिछली बार आपने घोषणा की थी कि हम इसका सर्वे करवाएंगे और जहां-जहां सरस्वती नदी का प्रादुर्भाव है, उस पर सौर ट्यूबवेल बनाकर हम पता करेंगे कि कहां है; तो सरस्वती नदी की खोज हो और उस सरस्वती नदी को हमारी नहरों में लाकर के हमारे जोधपुर को हरा-भरा कर सकते हैं। यह काम भी आपको हाथ में लेना चाहिए। खास तौर से इस काम को भी किया जाना चाहिए। मुझे विश्वास है कि इस प्रकार का काम करेंगे और नदी से नदी जोड़ने का काम भी आगे ले जाएंगे।

साथ ही मेरा निवेदन है कि अब जब हम पानी को बचा रहे हैं, तो गांव में बरसात के समय पानी बहुत इकट्ठा होता है, कई जगह पानी भर जाता है। तो गांव में जहां पानी इकट्ठा हो रहा है, उस भू-तल में पुनर्भरण हो, इसके लिए वहां पर आप बोरिंग कर सकते हैं, ओपन वेल खोद सकते हैं, जिससे वह पानी सारा का सारा पुनर्भरण हो जाए। मैं तो यह कहता हूं कि

(श्री बाबूसिंह)

हमारे गांव में जितने मकान थे, जितनी छतें थीं, पड़वा थे, उनके अन्दर भी खेळी बनाकर, टांका बनाकर पानी का संग्रहण हमेशा करते आये हैं। मुख्य मंत्रीजी ने पिछली बार भी जल चेतना यात्रा शुरू की थी। जल के बारे में बड़ी चेतना आ रही है, हम लोग पानी को बचाएं और कम से कम जब कभी ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाए कि तीसरा विश्व युद्ध पानी को लेकर हो, तो कम से कम राजस्थान तो इससे अछूता रहे और राजस्थान में तो पानी को लेकर इस प्रकार के झगड़े नहीं हों और विश्व युद्ध की चपेट में हम नहीं आएं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं खास तौर से यह कहना चाहूंगा कि जोधपुर में पानी की भयंकर समस्या थी, जोधपुर के लोग पलायन कर रहे थे, लेकिन आदरणीय भैरोंसिंहजी शेखावत साहब..., इंदिरा गांधी नहर से राजीव गांधी लिफ्ट हमारे जोधपुर में दी है, तो उसमें पहला फेज और दूसरा फेज बना। उसकी जनसंख्या के आधार पर 2016 तक यह डिजाइन बनाई गई थी। अब वह 2016 पूरा हो रहा है, लेकिन राजस्थान के मुख्य मंत्री और उनका गृह जिला था, उनको पता था कि 2016 तक की ही यह डिजाइन है और यह डिजाइन पूरी होने के बाद जोधपुर में भयावह हालात हो जाएंगे, या पानी का संकट पैदा हो जाएगा; न तो उन्होंने डी पी आर तैयार की और न उसका उन्होंने सर्वे करवाया। आज मैं कह सकता हूं, हमारी राजस्थान की मुख्य मंत्री आदरणीया वसुन्धराजी ने इस जोधपुर में पेयजल के लिए करीबन 13 योजनाएं स्वीकृत की थीं 2006-07 में, वे भी उन्होंने खटाई में डालीं और अब धीरे-धीरे करके सारी योजनाओं का, तीन सालों में पहले 2014-15 में 12 योजनाओं के लिए, 2015-16 में 12 योजनाओं के लिए और इस बार 2016-17 में 13 योजनाओं का बजट का प्रावधान करके, उन सारी योजनाओं को तैयार कर रहे हैं। यह 2016 तक की ही स्कीम थी। अब जोधपुर में भयावह हालात हैं। बड़े-बड़े शहर भी हैं, समदड़ी है, पीपाड़ है, बिलाड़ा है, जोधपुर है, उसके साथ ही 11 योजनाएं हैं, करीब 1,500 गांव हैं और इनकी सारी योजनाएं बन चुकी हैं और पानी के भयानक हालात हैं। इसलिए मैं, माननीय मंत्रीजी, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी जोधपुर के लिए कुछ कर नहीं सके, लेकिन वसुन्धराजी की चिंता है, आपकी चिंता है और जोधपुर के लिए आप इस इन्दिरा गांधी नहर का आग्मेंटेशन करें, इसकी डी पी आर बनाकर इस योजना को आप स्वीकृत कराएं। प्रस्ताव तैयार होने में समय लगेगा, योजना पूरी होने में समय लगेगा, 5 साल का अनुमानित समय लगेगा, इसलिए

(श्री बाबूसिंह)

इसका आग्मेंटेशन करके हमारे यहां इस योजना को भी आप करेंगे, मुझे यह पूरा विश्वास और भरोसा है।

साथ ही मैं यह कहना चाहूंगा कि शेरगढ़ शूरवीरों की धरती रही है, हर घर में सैनिक हैं, वहां की वीरांगनाओं ने जांबाज सपूतों को जन्म दिया, लेकिन पानी के लिए वहां भी लोगों को तरसना पड़ता था। मैं कहना चाहूंगा कि जब 2003-08 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो आदरणीया मुख्य मंत्रीजी ने उस गौरव सेनानी तहसील का सम्मान करने के लिए सबसे पहले पहला फेज, फोर्थ ई बी सी बैठक, 26.12.2005 को आर डी 159.8, गुड़ियाला आगोलाई, सीयांदा, बालेसर में 6.45 करोड़ और देवानिया, जोहड़िया, कनोडिया, चाबा, इस इलाके के लिए आर डी 134 के लिए 12.34 करोड़ रुपये स्वीकृत किये। उसके बाद में सेकंड फेज का जो पानी है, उसके लिए पी पी सी की 174वीं बैठक में 1 फरवरी, 2007 को 74.38 करोड़ 77 गांवों के लिए और पी पी सी की 178वीं बैठक में 11.10.2007 को 234.46 करोड़ रुपये 266 गांवों के लिए स्वीकृत किये। स्वयं मुख्य मंत्रीजी मेगा हाईवे के उद्‌घाटन के अवसर पर शेरगढ़ पधारें और शेरगढ़ जाकर उन्होंने यह घोषणा की। घोषणा के बाद कांग्रेस का राज आया और वह योजना रुक गयी। लेकिन दोनों बजटों में, पिछले साल और इस साल, उन्होंने प्रावधान किया और हमारी योजना पूरी हो रही है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा, मंत्री महोदय, आपसे कि अब यह योजना हमारी मई तक पूरी हो जाएगी, लेकिन जब यह योजना बन रही है, तो जो पानी की पाइपलाइन ई एस आर को जोड़ने के लिए होती है, उस ई एस आर लाइन के ऊपर अब अवैध कनेक्शन होने शुरू हो गये। तब मेन राइजिंग लाइन है, वह ई एस आर में पानी कैसे पहुंचाएगी? इसमें अवैध कनेक्शन हो रहे हैं और राजस्थान में अवैध कनेक्शनों की भरमार है। इसलिए मैं आपको सुझाव देना चाहूंगा, आपने संभाग मुख्यालय पर 21 फरवरी को मीटिंग ली थी, उसमें भी हमने निवेदन किया कि जिस प्रकार से डिस्कॉम्स में, बिजली विभाग में विजलेंस विंग है, उसी प्रकार विजिलेंस विंग बनाकर उनको थाना दीजिए, उनको संसाधन दीजिए और साथ ही एक जी पी आर आता है, ग्राउंड पेनेट्रेटिंग राडार, जो जमीनी हकीकत बताता है कि कहां कितने कनेक्शन हैं, इस प्रकार के अवैध कनेक्शन हैं, सरकारी लाइनों के ऊपर छेड़छाड़ होती है, तो उनके खिलाफ मुकदमे कराकर इन अवैध कनेक्शनों की भरमार को रोकने की जरूरत है। मुझे

(श्री बाबूसिंह)

विश्वास है कि आप विजिलेंस विंग की इस अवसर पर खास तौर से घोषणा करेंगे और साथ ही जो राजस्व गांव वंचित रहेंगे, उनको भी आप जोड़ेंगे।

साथ ही मेरा एक और निवेदन है कि जो आप टेण्डर प्रक्रिया ला रहे हैं, उसमें जो काम सैंक्शन होता है, उच्च जलाशय, बूस्टर, जी एल आर, पाइपलाइन जोड़ना, यह सब एक साथ काम सैंक्शन होता है, लेकिन आपकी टेण्डर प्रक्रिया में वार्षिक टेण्डर होते हैं, पाइपलाइन का अलग, एस आर का अलग। अलग-अलग टेण्डर होने से कोई पाइपलाइन लगाकर छोड़ जाता है, कोई जी एल आर बनाकर छोड़ जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि जो वर्क है, उस वर्क के पूरे टेण्डर लगाकर...।

उसके साथ-साथ, जनता जल योजनाएं आगे चल नहीं पा रही हैं। तो उसके संचालन, संधारण, ओ एण्ड एम के लिए आप 5 साल का समय भी तय करें, जिससे वे योजनाएं आगे चल सकें।

साथ में यह कहना चाहूंगा कि जो पेयजल की योजनाएं बनायी हैं, ये 55 एल पी सी डी के लिए बनायी हैं और 100 एल पी सी डी पानी की हमको जरूरत है। स्थानीय सोर्स जो भी हैं, चाहे वे हैण्डपम्प हैं, चाहे ट्यूबवेल हैं, चाहे क्षेत्रीय जलप्रदाय योजनाएं हैं, उनका ऑग्मेंटेशन करके उनका काम चलाने की जरूरत है। मैं खास तौर से आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो हैण्डपम्प खुद रहे हैं, उन हैण्डपम्प में आप ओ एण्ड एम लेते नहीं और जब हैण्डपम्प खुदता है, तो 7 व 10 दिन बाद लोग कहते हैं कि यह हैण्डपम्प खराब हो गया। हम पूछते हैं, क्या हुआ? तो बोलते हैं, चैन टूट गई; वाशर खराब हो गया। आपसे यह निवेदन है कि चाहे ट्यूबवेल खोदें, चाहे हैण्डपम्प खोदें, उनके संचालन एवं संधारण के लिए 5 साल का ओ एण्ड एम आप साथ रखें, जिससे गुणवत्ता का काम होगा।

इसके साथ ही मेरा एक निवेदन है कि एक सफाई अभियान चलता है जी एल आर, एम बी आर की आप सफाई करते हैं। यह सफाई अभियान कैसा है, इसके अन्दर जितने कार्य हो रहे हैं, चाहे निर्माण कार्य हो रहे हैं, चाहे यह सफाई अभियान हो रहा है, चाहे कॉल सेंटर का हो रहा है, इसमें आपको थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन तो कराना पड़ेगा। अब आप जी एल आर के ऊपर तारीख लिखकर आते हैं। गांव वालों से पूछते हैं, तो कहते हैं, रात को तारीख लिखकर चले गये, लेकिन, एम एल ए साहब, अन्दर देख लीजिए, इसमें सफाई कितनी है और कितना कीचड़ है। तो कम से कम थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन आप करें।

(श्री बाबूसिंह)

खास तौर से जो पुराने जी एल आर बने हुए हैं, उन जी एल आर को जहां मरम्मत की जरूरत है, वह कराएं। अगर वे बिलकुल क्षतिग्रस्त हैं, तो उनको भी आप नया कराएं।

साथ में, कई राजस्व गांवों में आपने स्कीम बनायी है। राजस्व गांवों में पाइपलाइन तो बिछ गई, लेकिन पाइपलाइन के ऊपर अवैध कनेक्शन हो गये। अवैध कनेक्शन होने के बाद भी वहां नियमित सप्लाई चल रही है। मैं कहना चाहूंगा जहां पर पाइपलाइन लगी है और नियमित सप्लाई सब जगह हो रही है, तो वहां आप ढाणी-ढाणी, घर-घर को नियमित कनेक्शन करेंगे, तो वहां आपका राजस्व भी बढ़ेगा और योजना भी बनेगी।

जब आप योजना तैयार करते हैं, तो कहते हैं कि हम तो जनसंख्या के आधार पर योजना तैयार करेंगे, लेकिन हमारा इलाका तो ढाणियों में बसा हुआ है। उस ढाणी ने क्या बिगाड़ा, जो बहुत दूरदराज इलाके में बसती है? हम चाहेंगे कि पानी पिलाना हमारा धर्म है, यह मानवाधिकार है। इसलिए आप जनसंख्या को आधार नहीं बनाकर, प्रत्येक घर में पानी पहुंचे, इसके लिए आपको योजना तैयार करनी चाहिए।

उसके अलावा भी, विजिलेंस विंग की मैंने आपसे बात की है।

दूसरा मेरा निवेदन है, चाहे पाइपलाइन लगानी हो, चाहे हैण्डपम्प खराब हो गया, चाहे ट्यूबवेल नाकारा हो गया, तो सारा सिस्टम सेंट्रलाइज जयपुर में कर रखा है। हमारे जो संभाग मुख्यालय हैं, वहां मुख्य अभियंता है, अतिरिक्त मुख्य अभियंता है, अधिशासी व अधीक्षण अभियंता हैं, उनको आप अधिकार दें, जिससे छोटी-मोटी पानी की समस्या है उनका समाधान हो जाये। साथ ही, जहां पानी ज्यादा है और अच्छे हैण्डपम्प लग रहे हैं, हैण्डपम्प में पानी ज्यादा है, तो वहां सोलर पम्प व पावर पम्प अगर देंगे, तो वहां 25-30-40 ढाणियों में काम हो सकेगा। यह मेरा खास तौर से निवेदन रहेगा।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जितनी भी हमारी क्षेत्रीय जलप्रदाय योजनाएं बनायी हुई हैं, उनका भी आप ऑग्मेंटेशन करें। अभी हमारी हिमालय पेयजल योजना, वृहद् जलप्रदाय योजना बनी है, उसमें जो सर्वे हुआ एस आर से राजस्व गांव मुख्यालय का, वहां पर तो आपकी डिजाइन बनाकर लेवल सर्वे हो गया, मुख्यालय पर तो पानी चला गया, लेकिन मुख्यालय वाली

(श्री बाबूसिंह)

वी टी सी से आगे पानी कैसे जाए? उसके लिए हम चाहेंगे, विदिन विलेज पाइपलाइन आप स्वीकृत कराएं; साथ ही, वी टी सी से राजस्व गांव मुख्यालय पर ढाणियां ऊंचाई पर बसी हुई हैं, उनके लिए भी आप मौके पर डिजाइन बनाएं। आपके अधिकारी चयनित ढाणी के नाम से पाइपलाइन ले लेते हैं, जी एल आर ले लेते हैं, लेकिन मौका फीजिबल नहीं देखते। इस वजह से वहां पानी नहीं पहुंचता है। मेरा आपसे खास तौर से निवेदन रहेगा कि मौके पर जाकर फीजिबिलिटी के अनुसार स्कीम तैयार हो, तो वह पानी ज्यादा से ज्यादा वहां पहुंच सके। मेरा यह निवेदन है।

आपने मेरे यहां संभाग मुख्यालय पर 21 तारीख को मीटिंग की और आपने वहां कहा, हमारे यहां आर डी 159 में कई गांवों में, जहां भाटलाई चांदना, भाटलाई पुरोहितान, मूण्डसर, कई गांवों में पानी नहीं पहुंच रहा है, तो आपने कहा कि इसकी डिजाइन बना देंगे और 5 सिल्वार बूस्टर आपके सैंक्शन कर देंगे, स्वीकृत करने के लिए अधिकारियों को आपने निर्देश दिये; दो उच्च जलाशय संतोषनगर और चाबा के लिए भी दिये; आपने नाकारा नलकूप स्वीकृत करने के भी निर्देश दिये। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा आपने नाकारा नलकूप तो स्वीकृत कर दिये, लेकिन दो उच्च जलाशय चाबा और संतोषनगर, इसके अलावा सिल्वार बूस्टर स्वीकृत नहीं किये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनट। सरकार का इकबाल बना रहे और जनता का भरोसा और विश्वास इस सरकार पर रहे, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कथनी और करनी में अंतर नहीं आये और जो आप घोषणा करें, उनको अधिकारी मानें और उन पर काम करें। इसलिए इसको भी करना चाहिए।

एक राजस्थान की बहुत बड़ी समस्या है, जनता जल योजना। वास्तव में जब भी हम जनता जल योजना की बात करते हैं, तो आप हमेशा कहते हैं, यह तो कांग्रेस के शासन में पंचायती राज को हस्तान्तरण कर दी गयी। अब कोई योजना उनके समय में हस्तान्तरण हो गयी, तो अब वह जन हित में है या नहीं है, उससे जनता परेशान हो रही है, जन हितैषी है या नहीं है; वह जन विरोधी योजना है। इसलिए हम यह चाहेंगे, जलदाय विभाग से ही जनता जल योजनाओं का काम चल रहा था। सरपंच राजनैतिक भेदभाव गांवों में रखते हैं। यदि एक पंचायत के अन्दर 5 राजस्व गांव हैं, एक राजस्व गांव ने वोट नहीं

(श्री बाबूसिंह)

दिया, तो न तो उनका बिल जमा कराते हैं, न उनका मानदेय देते हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा कि तीन-तीन सालों से जनता जल योजनाओं का मानदेय भी बंद पड़ा है, उनको मानदेय नहीं मिला है और सरपंच कहते हैं, यह पैसा हमारे विकास के लिए आया है एस एफ सी, टी एफ सी में, इसलिए हम आउटस्टैंडिंग पैसा भी नहीं जमा कराएंगे। जितना विद्युत बिल बाकी है, उतना पैसा भी पंचायतों के पास नहीं है। तो वह पैसा भी जमा नहीं हो रहा है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इन जनता जल योजनाओं को जिस प्रकार से पहले जलदाय विभाग संचालित करता था, संधारण करता था, उनका रखरखाव करता था, 5 साल में उसका सारा सामान बदलता था, वैसे ही आप जनता जल योजना को फिर से जलदाय विभाग में लेकर इसका काम कराएं।

इसके साथ ही, हमारे सुराज संकल्प घोषणा-पत्र में भी यह था कि जनता जल योजना के जितने कर्मचारी लगे हुए हैं, श्रमिक लगे हुए हैं, उनको हम नियमित करेंगे, तो इनको भी नियमित करने की मैं खास तौर से आपसे मांग करूंगा।

जो विषय मैंने रखे हैं, मुझे विश्वास है, भरोसा है कि आप इन पर गौर फरमाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ, धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष: मुझे सदन को यह बात सूचित करनी है कि सत्ता पक्ष के 50 सदस्य बोलना चाहते हैं, ना पक्ष के भी 10 व्यक्ति हैं; टोटल 60 हैं। अब आप अपना वक्तव्य 5 मिनट के समय तक सीमित रखें और आपके जो कटौती प्रस्ताव हैं, आप सीधा उन कटौती प्रस्ताव का उल्लेख करके, उन पर आपको जो भी बात अभिव्यक्त करनी है, वह आप करें। मैं आसन की तरफ से निर्देश दूंगा कि जिस सदस्य का नाम पुकारा जाय, उसका कटौती प्रस्ताव आप देख लें। अगर वह कटौती प्रस्ताव के अलावा कुछ बात बोल रहा है, तो वह इजाजत नहीं दी जाएगी और आसन को आप इंगित कर दें, तो आसन उस पर हस्तक्षेप करेगा।

श्री जयराम जाटव।

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण): उपाध्यक्ष जी, मांग संख्या 27-पेयजल योजना, मांग संख्या 46-सिंचाई इंदिरा गांधी परियोजना...

श्री उपाध्यक्ष: आपको अपने कटौती प्रस्ताव मालूम हैं?

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण): सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना

(श्री जयराम जाटव)

चाहता हूं इस प्रदेश की यशस्वी मुख्य मंत्री श्रीमती वसुन्धरा जी को कि राजस्थान में उन्होंने 69 साल के बाद, राजस्थान में पानी का हर बार बरसात कम होने के कारण जल संकट रहता था, इस पानी की उपयोगिता के लिए उन्होंने जो जल स्वावलम्बन अभियान चलाया। उसमें गांवों में, शहरों में अलख जगाया और सबको जागरूक किया कि पानी का महत्व क्या है। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं।

सही कहा माननीय उपाध्यक्ष जी ने कि समय कम है, इसलिए सीधा-सीधा कहना चाहता हूं कि हमारे यहां अलवर जिले में पीने के पानी की तीन तरह की स्कीम हैं, ये हैं पी एच ई डी के द्वारा, दूसरा जे जे वाई, तीसरा सेक्टर रिफोर्म और चौथा राजीव गांधी ग्रामीण पेयजल मिशन। पिछले वर्ष 2015-16 के बजट में 130 करोड़ रुपये जे जे वाई की स्कीमों के रखरखाव के लिए, सूखे बोरिंग खुदवाने के लिए, पाइपलाइन टूट जाय, तो उसकी व्यवस्था के लिए किये थे और अबकी बार इस 2016-17 के बजट में भी 100 करोड़ रुपये दिये गये हैं। माननीया जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री बैठी हैं, हमारे अलवर जिले में और खास तौर से मेरे विधान सभा क्षेत्र में अभी तक शायद एक रुपया भी नहीं लगा है। अब हम सत्ता पक्ष के लोग अपने मंत्रियों से कहें, तो नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, और जनता बार-बार चिल्लाती है। अभी माननीय विधायक कह रहे थे कि हमारे जे जे वाई की स्कीम को ग्राम पंचायतों को हैंडओवर कर दिया, सेक्टर रिफोर्म को कर दिया, राजीव गांधी ग्रामीण पेयजल मिशन को कर दिया। ग्राम पंचायतों के पास टी एफ सी का पैसा आता है, वे अपना विकास करायें। पहली बात तो यह है कि 20-20, 30-30 लाख रुपये के बिजली के बकाया बिल हैं। आज सुबह ही मेरे पास टेलीफोन आया था बिजली के जे.ईएन. का कि उस ग्राम पंचायत के सरपंच से कहो कि हमारा बिजली का बिल जमा कराये। माननीय उपाध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन है कि इसकी कोई व्यवस्था करें।

अभी कांग्रेस ने तो नेहरू परिवार को खुश करने के लिए राजीव गांधी ग्रामीण पेयजल मिशन में ठेकेदारों द्वारा खोद-खादकर ग्राम पंचायत को हैंडओवर करके चले गये और पैसों की व्यवस्था नहीं की गई। मैं धन्यवाद इस सरकार को, मुख्य मंत्रीजी को इसलिए देना चाहता हूं कि पिछली बार 130 करोड़ रुपये, अबकी बार 100 करोड़ रुपये दिये। मैं माननीया मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जिले के लिए आप पानी की व्यवस्था के लिए

(श्री जयराम जाटव)

हमारी जिन स्कीम के प्रपोजल बनवाकर भिजवाये हैं, उनको जरूर पैसा दें और भिजवायें।

दरअसल अलवर जिले में 1996 में फ्लड आया था, भारी बरसात आई थी और हमारे अलवर जिले के जितने भी सिंचाई विभाग के बांध थे, वे सारे टूट गये। सिंचाई विभाग के द्वारा एक भी बांध का कोई सर्वे नहीं कराया गया और किसी को कोई ध्यान नहीं है। उसके बाद में बरसात हुई नहीं और बरसात नहीं हुई, तो पानी का जो दोहन है, किसानों ने अपनी फसल करने में निकाल लिया, जिससे पानी का संकट हमारे जिले में बहुत ज्यादा आ गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन 3-4 स्कीमों के लिए।

दूसरा, लगभग 400 हैण्डपम्प की बात आई, तो, मंत्रीजी, उन 400 हैण्डपम्प में हमारे हिस्से में 30 हैण्डपम्प आयेंगे। आपसे प्रार्थना है कि आप हमको हैण्डपम्प मत दो, क्योंकि हमारे जिले में हैण्डपम्प का पानी नहीं है, इसलिए हमको सिंगल फेज दे दो। आपने पिछली बार कहा था कि बिजली के द्वारा नहीं देंगे, सौर ऊर्जा से बोरिंग कराकर देंगे और उनमें से एक नहीं दिया, तो वह दे दो। क्योंकि हमारे यहां पानी बहुत गहरा है, इसलिए हैण्डपम्प से पानी निकलने वाला नहीं है।

इसके अलावा, अलवर जिले में दो सिंचाई विभाग के बांध हैं, जयसमन्द बांध बहुत बड़ा है और दूसरा सिलीसेढ़ का है। जयसमन्द बांध को भरने के लिए हमारे यहां लगभग 300 करोड़ रुपये पिछले बजट में हमको दिये और उसकी नहर की खुदाई का काम चल रहा है। इसलिए मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वह तीन मीटर गहरी खुद रही है। वह बारावीयर से जयसमन्द तक की नहर की खुदाई का काम चल रहा है और खुदाई होने के बाद, निश्चित रूप से जो सरिस्का सेंक्चुअरी का एरिया है उसका पानी आयेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तीन विधायकों की एक कमेटी बनाई गई, उसमें नगर से विधायक माननीया अनीता जी, शहर विधायक बनवारी लाल जी और मुझे रखा गया। यह तय किया गया कि अलवर जिले का पानी जो सरिस्का के पहाड़ों का आता है, वह जाता कहां है? स्टेट टाइम का जो नटणी के बेरे पर समझौता था कि आधा अलवर को पानी आता था और आधा भरतपुर जाता था। भरतपुर वाले कहते हैं कि हमारे आता ही नहीं है, अलवर

(श्री जयराम जाटव)

वाले कहते हैं कि हमारे नहीं आता। तब हमने, उस कमेटी ने जांच की, हमने सरिस्का के जंगलों में जाकर देखा, तो पता चला कि वन विभाग वालों ने किसी से कुछ पूछा नहीं और अपनी मनमर्जी से 140 एनिकट बना दिये। होता ऐसा है कि एक बरसात आई और वे एनिकट पानी पी जाते हैं और उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। पहाड़ में पानी जाता है और जंगल में नहीं आता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो हमारी विधान सभा की कमेटी बनी, तो माननीय सिंचाई मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि उसकी जो रिपोर्ट आये, उस रिपोर्ट को आप लें और उस पर यदि सही कार्यवाही की गई, तो जयसमन्द का बांध भरने के बाद, अलवर जिले में पीने के पानी की ही नहीं, सिंचाई की भी दिक्कत नहीं आयेगी।

दूसरा, पीने के पानी के लिए कहना चाहूंगा कि जो हमारा अलवर जिला है वह एन सी आर में आता है। मैंने पिछली बार भी कहा था कि एन सी आर में पूरा जिला आता है, केवल शहर ही नहीं आते हैं। शहर के लोग आवाज उठाते हैं तो उनकी आवाज सुन ली जाती है और गांव का आदमी, किसान, रोड पर आते नहीं। क्योंकि किसान ढाणियों में बस गये और गांव में कुछ लोग ही बच गये। तो उनकी आवाज सुनी नहीं जाती है। उनकी स्कीम चले या नहीं चले, वह चाहे दूर से लायें, चाहे नजदीक से लायें, पर एन सी आर को जो पैसा आता है, वह पूरे जिले के लिए आता है, न कि शहर के लिए आता है। भिवाड़ी को दे दिया गया, खैरथल को दे दिया गया, किशनगढ़ नगरपालिका को दे दिया, अलवर शहर को दे दिया गया। मेरे विधान सभा क्षेत्र के 84 गांव यू आई टी में आते हैं, उन 84 गांवों के लिए पानी की योजना हेतु हम कहां से पैसा लायेंगे? इसलिए, मंत्रीजी, आपसे निवेदन है कि एन सी आर में जो हमारी विधान सभा क्षेत्र के 84 गांव आते हैं, उनको आप जरूर करायें।

तीसरा, अभी जो आपके डिपार्टमेंट के अधिकारियों से बात हुई, तो वे कहते हैं कि केवल जे जे वाई की हम व्यवस्था कर रहे हैं, सेक्टर रिफोर्म की स्कीम की कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। दो ही मिनट दें। अपनी बात कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: पांच मिनट तो टोटल थे और अब आप दो मिनट और कह रहे हो।

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण): माननीय मंत्रीजी, मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो बड़े कस्बे हैं, मालाखेड़ा तहसील है और

(श्री जयराम जाटव)

बहादुरपुर उप तहसील है, वहां पहले हमारी पी एच ई डी की स्कीमें थीं, सेक्टर रिफोर्म में दो बोरिंग खोदे और उनको सम्मिलित करके ग्राम पंचायत को दे दिया। वहां बिजली का बिल ग्राम पंचायत कतई जमा नहीं करा सकती। इसलिए मेहरबानी करके उनको पी एच ई डी में बदला जाए।

तीसरा, एन सी आर का तो मैंने कहा है, उसके साथ-साथ हमारे जिले में पानी का जो संकट है, उसमें हमारे यहां कई बार बातें होती थीं कि अलवर के लिए यमुना का पानी लाया जाए। भरतपुर में पूरा नहीं आया; अभी रास्ते में जो शहर पड़ते हैं, वे लेने को तैयार होते हैं। इसलिए विवाद है। यमुना, दिल्ली हमारे नजदीक पड़ती है और यमुना का जो फ्लड का पानी, बरसात का पानी बहकर जाता है तीन महीने तक, उसकी डी पी आर बनाकर अलवर जिले में लाया जाए, तभी यहां पर व्यवस्था हो सकती है। वहां पानी लगभग 2 हजार फीट नीचे गहरा चला गया है।

माननीया मंत्रीजी, मेरी विशेष तौर से आपसे मांग है कि जो हमारी चार स्कीमें हैं, पी एच ई डी की जो स्कीम हैं वे तो आप चला रही हैं, पर हमारी तीन तरह की स्कीम ग्रामीणों की स्कीम हैं। सिंगल फेज के लिए हम जो बोरिंग अपने एम एल ए लैड से खुदवायें, उनमें आप कनेक्शन की व्यवस्था के लिए बिजली बोर्ड को कहें कि वे कमेटी बनाकर सिंगल फेज का दे दें। साथ ही, जो हैण्डपम्प आपने दिये, उनको सिंगल फेज के रूप में दें।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती कमसा।

श्रीमती कमसा (भोपालगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मांग संख्या 27-पेयजल पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

आज पेयजल की बात है और यह जिन्दगी की बहुत अहम मांग और अंग है। आदमी अन्न बिना रह सकता है लेकिन जल बिना नहीं रह सकता है। समय आपने सबको कम ही दिया है, इसलिए मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की जो बात है वह बात ही कहूंगी।

भोपालगढ़ विधान सभा क्षेत्र में तिंवरी-मथानिया-भोपालगढ़ पेयजल परियोजना में इस बजट में मुख्य मंत्री महोदया ने बजट दिया है। इसके लिए

(श्रीमती कमसा)

मुख्य मंत्री महोदया और पी एच ई डी मंत्रीजी को बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद मैं देना चाहूंगी।

मंत्री महोदया से मेरा एक निवेदन है कि आज से दो साल पहले इसी विधान सभा क्षेत्र के अन्दर हमारी जो जाजीवाल कलां की ग्राम पंचायत है, वहां पर एक एस आर बनी हुई है और 26 लाख रुपये उस एस आर में लगे हुए हैं। अभी भी आप जब जोधपुर पधारे थे और जिले की मीटिंग थी, उसमें भी यह बात हुई थी और इसी विधान सभा में पिछली बार भी आपसे बात हुई थी कि उस एस आर के पास में आर्मी एरिया आया हुआ है और उस आर्मी एरिया से अनुमति नहीं मिल रही है। पहले तो डिपार्टमेंट वालों ने ध्यान दिया नहीं; न ही आर्मी वालों ने दिया, न ही पी एच ई डी वालों ने दिया। तो उन दोनों की वजह से हमारी पांच-छह पंचायतें हैं, वहां के ग्रामीण हैं, वे इतने दु:खी हैं कि वह एस आर बन ही नहीं पा रही है। जब आर्मी एरिया वालों से बात करते हैं, तो वे कहते हैं कि पूना से स्वीकृति आएगी। पता नहीं, पूना से कब स्वीकृति आएगी, या नहीं आएगी, लेकिन मैं चाहूंगी कि अब पूना-वूना कुछ नहीं, आज आप शाम को अपनी रिप्लाई दो, तो उस जगह हमें दूसरी एस आर की आप घोषणा करो। अब वहां से स्वीकृति नहीं आने वाली है। कलेक्टर साहब भी बात कर चुके, कमिशनर साहब भी बात कर चुके और आपने भी अपने स्तर पर बात कर ली, लेकिन उस एस आर की न ही स्वीकृति आ रही है। इसलिए उसकी जगह हमें दूसरी एस आर दे दो।

हमारे क्षेत्र में पांच ग्राम पंचायतें ऐसी हैं, वहां पर पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है। जब यह परियोजना बनती है, जब प्रोजेक्ट बनते हैं, उस टाइम अधिकारी ध्यान नहीं दे पाते हैं, 10-10 किलोमीटर दूर दूसरे गांवों को जोड़ देते हैं; एक पंचायत को दूसरी पंचायत से जोड़ने में 10 किलोमीटर की दूरी तक पाइपलाइन डाल देते हैं। आज का जमाना ऐसा है कि आप दिन को अवैध कनेक्शन काटो, रात को वापस जोड़ लेते हैं। हर गांव और हर ढाणी में यही समस्या है और पूरे राजस्थान में यह समस्या है कि अवैध कनेक्शन बहुत ज्यादा हो रहे हैं और उसकी वजह से जो लोग सीधे-सादे होते हैं, उनके पानी नहीं पहुंच पा रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि एक नांदिया प्रभावती है, वहां पर 10 किलोमीटर दूरी से पानी आता है, एक हफ्ते में या 10 दिन में एक बार पानी सप्लाई होता है। तो पांच एस आर की मुझे जरूरत है। एक तो कूड ग्राम पंचायत में पांच राजस्व गांव आते हैं बड़े-बड़े और पांचों ही गांवों को

(श्रीमती कमसा)

अलग-अलग जगह से जोड़ दिया। किसी को बिलाड़ा से जोड़ दिया, किसी को मण्डोर जोड़ दिया और तीसरे को भोपालगढ़ जोड़ दिया।

जोड़ने का एक ही कारण है। मैं चाहूंगी कि पूरे एक विधान सभा क्षेत्र के अन्दर एक एक्स ईएन बैठना चाहिए। सभी विधान सभा क्षेत्र के तीन-तीन, चार-चार टुकड़े कर दिये; कोई जोधपुर के अन्दर आ गया, कोई किधर आ गया। अगर एक ही एक्स ईएन होगा, एक ही एस ई होगा, तो वह अच्छी तरह से अपनी स्कीम बनायेगा। अलग-अलग होने की वजह से, पूरी पेयजल योजना को अलग-अलग तरीके से बना देते हैं। तो इस तरह से वह पेयजल योजना पूरी सही नहीं बन पाती। एक एक्स ईएन कहता है कि इधर से नहीं आ रही; दूसरा एक्स ईएन कहेगा, इधर से नहीं आएगी। जोधपुर में डी आर डी ए में अपनी मीटिंग हुई थी, उसमें आपने भी यही देखा था। एक एक्स ईएन तो कह रहा कि यह नहीं, यह गांव तो इनके अन्दर आ रहा है। जब दूसरे एक्स ईएन को खड़ा किया तो वह कह रहा है कि नहीं, नहीं, यह इनके अन्दर आ रहा है। यह बड़ी भयंकर समस्या है। मैं चाहूंगी कि एक विधान सभा क्षेत्र का जो भी डिपार्टमेंट है, वह ग्रामीण क्षेत्र का है, तो ग्रामीण क्षेत्र में ही बैठे, न कि वह शहर के अन्दर बैठे। ज्यादातर देखते हैं कि ड्यूटी तो गांव के अन्दर करते हैं लेकिन उनका जो मेन आफिस होता है, वह शहर के अन्दर होता है। जब हमारी पंचायत समिति की मीटिंग होती है, उनको कहते हैं कि आप मीटिंग में आओ, तो वे बहाना बना लेते हैं कि हमारी दूसरी पंचायत समिति की मीटिंग है, या हमें दूसरे एम एल ए साहब ने बुला लिया है। यह एक बहानेबाजी हो जाती है। इससे बहुत दिक्कत होती है। मेरा आपसे निवेदन है कि आपके डिपार्टमेंट में हर विधान सभा क्षेत्रवाइज अलग-अलग एक्स ईएन, अलग-अलग एस ई होना चाहिए, ताकि हमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं हो।

हमारी मुख्य मंत्रीजी भी पेयजल के बारे में बहुत गम्भीर हैं। उन्होंने जल स्वावलम्बन योजना चालू करके, गांवों में जो पानी इतना ज्यादा निकल रहा है, और वापस रिचार्ज नहीं हो रहा है, तो यह बहुत अच्छी स्कीम है। गांवों के जो भी तालाब हैं, नाड़ियां हैं, उनके अन्दर वापस पानी आये, रुके। उसके रुकने के लिए गवर्नमेंट भी पैसा दे रही है, भामाशाह भी दे रहे हैं और एम एल ए-एम पी भी दे रहे हैं।

(श्रीमती कमसा)

मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप ये हैण्डपम्प दे रहे हैं, तो हमारे यहां हैण्डपम्प सक्सेस नहीं होते हैं। उनके स्थान पर हमें सिंगल फेज के हैण्डपम्प दें या ट्यूबवेल्स दें, तो हमारे गांवों की समस्या का समाधान हो जायेगा।

पांच एस आर की मुझे जरूरत है। सबसे ज्यादा तो जाजीवाड़ कलां की है। यह आपकी भी नोलेज में है। इसकी आप घोषणा कर दें।

इन्हीं शब्दों के साथ, जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष: राजकुमारी दियाकुमारी।

राजकुमारी दियाकुमारी (सवाई माधोपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे कटौती प्रस्ताव, मांग संख्या-27 पर बोलने की अनुमति दी, उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार।

महोदय, मैं आपके माध्यम से विधान सभा क्षेत्र सवाई माधोपुर में पेयजल समस्या के निराकरण के लिए बनास नदी से लिंक कनेक्शन देकर सवाई माधोपुर शहर को पानी उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में अनुरोध करना चाहूंगी। साथ ही मैं माननीया जलदाय मंत्रीजी का आभार व्यक्त करना चाहूंगी, जिन्होंने पेयजल समस्या के निदान के लिए कुछ हैण्डपम्प सिंगल फेस स्वीकृत किये, परन्तु इस पेयजल समस्या का स्थायी समाधान अत्यन्त आवश्यक है।

महोदय, शहरी क्षेत्र सवाई माधोपुर वर्तमान में भूजल पर निर्भर है। यह एक प्रोपर नगर परिषद है, यहां की जनसंख्या भी दो लाख से ऊपर है और हमारे यहां ऐसी कोई भी स्कीम अभी तक नहीं है। मतलब, स्कीम सैंक्शन तो दो हैं, चम्बल-नादौती-गंगापुर वाली, जो सवाई माधोपुर तक आनी थी, बहुत साल पहले सैंक्शन हो चुकी थी, लेकिन उसका काम बहुत ही धीमी गति पर चल रहा है। एस पी एम एल कम्पनी है, जिसके हाथ में यह काम है, लेकिन अभी सात-आठ साल हो गये। हमारी सरकार पिछली बार थी, तब यह काम शुरू हुआ था, लेकिन उसके बाद पिछली सरकार के समय यह काम बिलकुल ही ठंडे बस्ते में चला गया। अब मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगी कि इस काम को जल्द से जल्द शुरू भी करवायें। पाइपलाइन का काम है, जो पाइपलाइन चम्बल से गंगापुर आनी है, वह भी अब शायद काम चल रहा है। उसके बाद गंगापुर से सवाई माधोपुर का पाइपलाइन का काम है। वह तो अभी

(राजकुमारी दियाकुमारी)

तक चालू ही नहीं हुआ। मैं निवेदन करना चाहूंगी, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी को कि ये कार्य जल्द से जल्द शुरू हों और यह कार्य जल्द से जल्द खतम भी हों। इसकी एक समय सीमा भी तय हो जाये कि यह काम कब तक खतम होगा। क्योंकि इतने सालों से यह काम चल रहा है और लोग भी बहुत निराश हैं कि यह पानी बहुत साल पहले ही आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक इसका कोई भी दिख नहीं रहा है कि यह पानी कब आयेगा।

इसके अलावा एक और स्कीम है जिसका पूरा ही डिपार्टमेंट ने सर्वे भी कर लिया, इसकी अच्छी पोजिटिव रिपोर्ट आई है, जो बनास नदी से पानी सवाई माधोपुर तक आना है। इसमें जो विभागीय अधिकारी हैं, उन्होंने तीन ओपन वेल्स बनाकर सवाई माधोपुर को लिंक कनेक्शन देकर, शेष 35 एल पी सी डी पानी है, क्योंकि एक्चुअल रिक्वायरमेंट है 135 एल पी सी डी पूरे शहर की, लेकिन इसमें 100 एल पी सी डी चम्बल से आएगा और 35 एल पी सी डी और चाहिएगा। तो उसके लिए अगर बनास से पानी, लिंक कनेक्शन देकर, तीन ओपन वेल्स बनाकर, अगर यह कार्य भी जल्द से जल्द शुरू हो जाये और यह स्वीकृत हो जाये, तो हमारी पानी की समस्या का समाधान बहुत जल्द ही निकल जायेगा। इसमें, मैं सोचती हूं, बहुत ही फायदा होगा पूरे शहर को। यह स्कीम 18.21 करोड़ रुपये की है और मैं, माननीया मंत्रीजी, आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि आज इसकी घोषणा भी हो जाये, तो मैं आपकी बहुत-बहुत आभारी रहूंगी, पूरा क्षेत्र आपका आभारी रहेगा। इसमें जैसे तीन ओपन वेल्स बनाकर ट्रांसपोर्ट नगर में बने हुए स्वच्छ जलाशय में 350 एम एम की डी आई पाइपलाइन बिछाकर पेयजल लाने की योजना है। यह पूरी तरह से विभागीय अधिकारियों की राय के अनुसार स्वीकृति योग्य है। साथ ही, सवाई माधोपुर की पेयजल की आपूर्ति के लिए अति आवश्यक है।

यही मैं निवेदन करना चाहूंगी, मंत्रीजी, अगर यह चम्बल वाली योजना है, वह जल्द से जल्द, कम से कम इसका कुछ तो कार्य शुरू हो और कुछ दिखे भी कि काम शुरू हो रहा है। हमारा बनास वाला जो दूसरा प्रोजेक्ट है वाटर स्कीम का, वह भी अगर जल्द से जल्द सैंक्शन हो जाये, तो मैं आपकी बहुत-बहुत आभारी रहूंगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज पानी की मांग पर आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं आपके

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

माध्यम से सरकार को, मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी मुख्य मंत्रीजी हमारे देश के प्रधान मंत्रीजी के पास में गयीं अक्टूबर के महीने में, उन्होंने डेढ़ लाख करोड़ रुपये के पैकेज की मांग की, एक पैसा ला नहीं पायीं। 14,000 से ज्यादा गांव पेयजल के लिए जूझ रहे हैं, कोई व्यवस्था हो नहीं रही है। 21,000 से अधिक बस्तियां और ढाणियां खराब पानी, फ्लोराइडयुक्त पानी पी रही हैं, उसकी व्यवस्था अपन कर नहीं पाये; और जो व्यवस्था की, आपने पूरे प्रदेश को पानी पिलाने की व्यवस्था की, मंत्री महोदया वह मैं एक मिनट में रखना चाहता हूं। क्योंकि मेरा प्रश्न था, 1232 नम्बर का तारांकित, कालिंग स्टेज पर नहीं आया, लेकिन आपने जो जवाब दिया, वह प्रदेश के लिए, सबके लिए, जो मेजें यहां पर पानी के लिए थपथपाते हैं उनके लिए, सबके लिए चिंता का विषय है कि सवा दो साल में हमारी सरकार ने किया क्या। सरकार आपकी भी यही है, हमारी भी यही है, लेकिन जो स्थिति की है वह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

(14.59 बजे)

(श्री ज्ञानचन्द पारख, सभापति, पदासीन)

आपने शुद्ध पेयजल पिलाने की बात कही 2014 में और 2015 में। जो आर ओ के ऊपर स्वीकृत राशि और खर्च की गई राशि है, वह मैं आपको बता देता हूं। आपने 2014-15 में केवल 947.15 लाख रुपये सैंक्शन किये और खर्चा किया 368.88 लाख रुपये, और 2014-15 में कितनी जगह पर, 33 जिलों में से केवल तीन जिलों के ही ये पैसे खर्च हैं, जिसमें चूरू पर आपकी मेहरबानी हुई,

(15.00 बजे)

राजसमंद पर आपकी मेहरबानी हुई और जयपुर पर, जो आपकी राजधानी है, वहां पर मेहरबानी हुई। बाकी 30 जिलों में, मैं दावे के साथ कह सकता हूं ऑन रिकॉर्ड, एक रुपया भी आपने आर ओ के लिए नहीं लगाया।

2015-16 में 39,488.39 लाख रुपये का आपने आर ओ के लिए रखा था, स्वीकृति की और खर्चा कितना हुआ, 423.19 लाख रुपये, और जिले कितने, वे ही तीन जिले। इसमें चूरू पर भी मेहरबानी हुई, जैसलमेर पर हुई और सिरोही के ऊपर हुई। बाकी 30 जिलों में एक रुपया खर्चा नहीं हुआ। आप रुक जाओ एक मिनट। ऑन रिकॉर्ड हैं सब चीजें। (व्यवधान) क्या हुई? हुई कुछ नहीं। ऐसे ही करते रहेंगे और जनता कपड़े फाड़ेगी। सुन लो आराम से।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

यह आर ओ की स्थिति है, माननीय सभापति महोदय, 30 जिलों में न 2014-15 में खर्चा हुआ, न 2015-16 में।

अब सिंगल फेज पर आ जाओ आप। सिंगल फेज में सीकर में 2014-15 में 2 ट्यूबवेल, खर्चा हुआ 5 लाख; 2015-16 में जीरो। झुंझुनूं में दोनों सालों एक सिंगल फेज का ट्यूबवेल नहीं, खर्चा डबल जीरो। दौसा में दस की स्वीकृति हुई, तीस लाख की सैंक्शन थी और खर्चा हुआ जीरो; और 2015-16 में जीरो। अलवर में सात ट्यूबवेल की सैंक्शन हुई, खर्चा केवल मात्र 22.85 लाख रुपये। टोंक में डबल जीरो, एक रुपया सिंगल फेज पर खर्च नहीं। जोधपुर में दोनों सालों में एक रुपया सिंगल फेज के ऊपर खर्चा नहीं।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): सभापति महोदय, दौसा के लिए बताना चाहूंगी, आप करेक्ट कर लीजिए, दौसा में मेरे यहां 250 हैण्डपम्प लगे हैं और 100 सिंगल फेज लगे हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): कब लगे हैं?

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): मेरे विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में लगे हैं। आप चैक कर लीजिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सुन लीजिए मेरी बात। आपका 1232 नम्बर का, अगर माननीय मंत्री महोदय ...(व्यवधान) ऑनलाइन देख लो, समझ में नहीं आए तो, प्रश्न का जवाब है। एक रुपया खर्चा हुआ हो, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं। अगर सवाल का जवाब मंत्री महोदया ने गलत दिया है, तो मुझे कुछ नहीं कहना। मैं जो बोल रहा हूं, अगर एक बात भी मेरी गलत साबित हो जाए, तो मुझे आप कह देना।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है। आप चाहेंगे, तो शाम तक मैं ला दूंगी आपको।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): क्या ला दोगे। ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं मैं। प्रश्न संख्या बता रहा हूं।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): मैं भी ऑन-रिकॉर्ड ही बोल रही हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): दौसा का 2015-16 में एक रुपया व्यय नहीं, 16 फरवरी, 2015 तक हैण्डपम्पों में; एक रुपया सिंगल फेज में खर्च नहीं, स्वीकृति भी एक रुपये की नहीं। 2015-16 की कह रहा हूं, मैडम। मैं, माननीय सदस्या, 2015-16 की कर रहा हूं। इन्होंने पूछा, तब बता रहा हूं

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

ना। 2015-16 में दौसा में आप देख लीजिए, आर ओ के लिए 604 लाख रुपये की स्वीकृति, खर्चा एक रुपया नहीं; थ्री फेज में 116.63 लाख की स्वीकृति, खर्चा एक रुपया नहीं। माननीय सभापति महोदय, एक रुपया भी खर्चा नहीं किया।

बांसवाड़ा में दो ट्यूबवेल सिंगल फेज के 6.10 लाख रुपये के और 5.46 लाख रुपये खर्च। डूंगरपुर में, माननीय सभापति महोदय, एक रुपया की स्वीकृति नहीं, एक रुपये का खर्चा नहीं। कोटा में छह ट्यूबवेल सिंगल फेज के, जिसमें केवल 36 लाख रुपये खर्च हुए हैं। झालावाड़ में सुन लीजिए आराम से, कान खोल लीजिए, रूई है तो निकाल लीजिए, झालावाड़ में एक रुपया का खर्चा नहीं सिंगल फेज के अन्दर 2014-15 में।

ये थ्री फेज की बात है और सिंगल फेज जो है, वह मैं निवेदन कर दूं। सिंगल फेज में झुंझुनूं में डबल जीरो, दोनों सालों में; धौलपुर में डबल जीरो, दोनों सालों में; बीकानेर में डबल जीरो, दोनों सालों में; चूरू में केवल दस 2014-15 में और 2015-16 में एक रुपया नहीं; हनुमानगढ़ में दोनों सालों में सिंगल फेज में डबल जीरो...

श्रीमती अनीता (नगर): सभापति महोदय, ये जो कागज लेकर के आये हैं, इसकी जरूर जांच करायें। ये लाये कहां से इसको?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): या तो आप विधान सभा से इस्तीफा दो, नहीं तो मैं देता हूं। बोलो, है क्या दम आप में?

श्रीमती अनीता (नगर): आप तो दे ही दो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): दे दिया। अब इनसे नहीं पार पड़ी, तो महिलाओं को खड़ा करने लग गये।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): महिला कैसे कह दिया? हम सब माननीय सदस्य हैं, महिला नहीं हैं।

श्रीमती कमसा (भोपालगढ़): हम यहां एम एल ए हैं, कोई महिलाएं नहीं हैं। यह कौनसी बात हुई? (व्यवधान)

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): ये बिलकुल गलत बोल रहे हैं। (व्यवधान) महिला के लिए आप यह कैसे बोल सकते हैं? हम कमजोर नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): आप महिला कहकर इनका अपमान नहीं कर

(श्री सुरेश धाकड़)

सकते हों। (व्यवधान) महिला कैसे कह सकते हों? महिला कमजोर नहीं है। इनको आप महिला कहकर कमजोर नहीं बता सकते हों।

श्रीमती अनीता (नगर): आप महिला कैसे बोल रहे हों? (व्यवधान)

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): आप गलत बात बोल रहे हों। (व्यवधान)

श्रीमती अनीता (नगर): हमारी मंत्री भी महिला हैं। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नहीं, हो नहीं क्या? महिला नहीं हो क्या आप? (व्यवधान)

श्रीमती शिमला बावरी (अनूपगढ़): आप अपने शब्द वापस लो। हम महिला नहीं हैं, माननीय सदस्य हैं। हमको भी बोलने का अधिकार है।(व्यवधान)

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): आप महिला बोलकर इनको कमजोर नहीं सकते। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्या, आप बैठें।

श्रीमती अनीता (नगर): हमारी मंत्री भी महिला हैं। फिर क्यों बोल रहे हो आप? बैठ जाओ। मुख्य मंत्री भी महिला हैं। आप बैठ जाओ। क्यों बोल रहे हों फिर? ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप बैठें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मुख्य मंत्री महिला, मंत्री महिला और डबल जीरो। यही तो मैं कह रहा हूं। और क्या कह रहा हूं?

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): आपके आंकड़े गलत हैं।

श्रीमती अनीता (नगर): आपकी अध्यक्ष कौन हैं? आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन हैं? (व्यवधान)

श्री सभापति: अब आप बैठिये।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): ...(व्यवधान) महिला होने के नाते कमजोर नहीं बता सकते हैं। महिला होने का मतलब कमजोर नहीं है। आप उन्हें कमजोर नहीं बता सकते हैं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): डोटासरा जी, एक महिला ने आपकी हालत क्या कर दी, कांग्रेस की। खिंचते रहे गए। एक महिला ने यह हालत कर दी।

श्री सभापति: बैठें-बैठें आप।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): भंवरी प्रकरण ये याद दिला रहे हैं। ये भंवरी प्रकरण की बात कर रहे हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, जिन माननीय सदस्य के क्षेत्र में काम नहीं हुआ, वे अपनी बात कह देंगे। आप तो अपनी बात करो ना।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैं मेरे प्रश्न की बात नहीं करूं?

श्री सभापति: आप अपनी बात करो। कौन मना कर रहा है आपको?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): केवल लक्ष्मणगढ़ की ही बात करूं क्या? (व्यवधान)

श्री सभापति: वे अपनी बात कह देंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, इस सदन में सभी माननीय सदस्य हैं और माननीय सदस्य ने उनकी तरफ इंगित करके जिस व्यंग्यात्मक भाषा में बात कही महिला होने की, इनको माफी मांगनी चाहिए। इनको माफी मांगनी चाहिए। इनको क्षमा याचना करनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नहीं, नहीं, व्यंग्यात्मक कोई भाषा नहीं है। आपकी तरह मेरी आदत नहीं है। ये तो मेरी बहन हैं; ये मेरी बहन की तरह हैं। ये महिला सदस्य हैं। महिला सदस्य नहीं हैं क्या ये?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आपको क्षमा याचना करनी चाहिए। (व्यवधान) इस तरह की बात करेंगे, तो इनको बोलने नहीं देंगी ये महिलाएं। (व्यवधान)

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): इन्होंने यह बोला कि महिला हैं, यह गलत तरीका है। ...(व्यवधान)

श्रीमती अनीता (नगर): यह तरीका गलत है आपका। (व्यवधान) हम भी जीत करके आये हैं।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): आपका तरीका बिलकुल गलत है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): कोई तरीका गलत नहीं है। उकसाने की जरूरत नहीं है, राठौड़ साहब।

बांसवाड़ा में, सभापति महोदय, एक मिनट के लिए, दोनों साल में 2014 और 2015 में डबल जीरो; एक रुपया खर्चा नहीं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, एक मिनट।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): पहले क्षमा याचना कराओ इनसे। पहले क्षमा याचना कराओ इनसे। क्षमा याचना करनी चाहिए इनको। महिलाओं का अपमान करते हैं ये। यह पवित्र सदन है, सभी माननीय सदस्य हैं यहां पर। इस प्रकार का अपमान ये सहन थोड़े ही करेंगी। ये सहन करने वाली नहीं हैं, माननीय सदस्य।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): पूरे आंकड़े गलत हैं इनके। इस तरह की भाषा ही गलत है कि महिलाओं को आगे कर दिया। ये तरीका आप लोगों के यहां चलता होगा, हमारे यहां नहीं चलता है। आपकी यह भाषा बिलकुल ऑब्जेक्शनेबल है कि महिलाओं को आगे कर दिया। What do you mean by महिलाओं को आगे कर दिया? हम माननीय सदस्य हैं। हम आपके बराबर के सदस्य हैं यहां पर।

श्रीमती अनीता (नगर): जिस तरीके की भाषा यहां कोट कर रहे हैं ...(व्यवधान) इसके लिए क्षमा याचना करनी चाहिए इनको। आप ऐसे कैसे बोलते हो?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप सुन लीजिए मेरी बात। मैंने कब कहा, आप माननीय सदस्य नहीं हो? मैंने कहा, महिला ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्या, आप बैठिये।

श्रीमती अनीता (नगर): आपने अभी कहा है ...(व्यवधान)

श्रीमती कमसा (भोपालगढ़): आपने अभी कहा, इनसे पार नहीं पड़ी तो महिलाओं को आगे कर दिया। (व्यवधान)

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप बैठिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): क्षमा से बड़ा होता है आदमी। क्षमा याचना करने से बड़ा होता है आदमी। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप अभी कह रही थीं ना कि महिला मुख्य मंत्री हैं हमारी, तब तो आपके तकलीफ नहीं हुई। (व्यवधान)

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): यह कहा था कि महिलाओं को आगे कर दिया। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हमारी महिला मुख्य मंत्री हैं, महिला मुख्य मंत्री हैं तो मुख्य मंत्री हैं, मंत्री हैं तो मंत्री हैं। बाबू सिंह जी राठौड़ महिला मुख्य मंत्री बता रहे थे, ये महिला मंत्री बता रहे थे और मैंने महिला माननीय सदस्य कह दिया, तो कोई अपमान हो गया क्या? (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आप अपना हाथ जोड़ लो। हाथ जोड़ने में फायदा है।

श्री सभापति: आप बैठो-बैठो।

श्रीमती अनीता (नगर): सभापति महोदय, मेरा कहना आपसे यह है कि जिस तरीके से महिलाओं से व्यंग्यात्मक भाषा बोल रहे हैं, यह अच्छी बात नहीं है।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): यह कहना बिलकुल गलत है कि महिलाओं को आगे कर दिया। (व्यवधान)

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): आसन ने एक व्यवस्था दी थी कि कट मोशन के अलावा कोई दूसरी बात नहीं करेगा।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): यह भाषा ऑब्जेक्शनेबल है, बाकी आप बोलिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): क्या लैंग्वेज कह दी मैंने? बहन जी, मैंने क्या लैंग्वेज कह दी? मैंने यही तो कहा, आप महिला सदस्य ... (व्यवधान)

श्रीमती अनीता (नगर): आपने कहा है, महिलाओं को आगे खड़ा कर दिया है। (व्यवधान)

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): आपने यह कहा था कि महिलाओं को आगे कर दिया। (व्यवधान) आपके ये शब्द वापस होने चाहिए। आपने यह कहा था कि महिलाओं को आगे कर दिया। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): यहां कोई भाई नहीं है, यहां कोई बहन नहीं है; सभापति महोदय, यहां सभी माननीय सदस्य हैं।

श्रीमती अनीता (नगर): माफी मांगो। माफी मांगो। (व्यवधान)

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): ये तरीका गलत है आपका।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): राठौड़ साहब, आप मंत्रीजी का बचाव करने के लिए दोस्ती निभा रहे हो। यह है क्या? (व्यवधान)

श्रीमती अनीता (नगर): आपका प्रशिक्षण होना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। आपको बोलना ही नहीं आता है। (व्यवधान) हाथ जोड़ दो।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप भी बैठें एक बार और आप भी बैठें एक बार। बैठें आप।

माननीय सदस्य, किस क्षेत्र में कितना काम हुआ, वहां के माननीय सदस्य को आपसे ज्यादा पता है। इसलिए आप अपनी बात करें। अब आप यहां, कि वहां नहीं हुआ; उनको पता है, हमारे यहां हुआ है। ऐसी उत्तेजना आप क्यों पैदा करते हों यहां पर? आप अपनी बात कहो ना। उनको आपसे ज्यादा पता है कि किस क्षेत्र में कितना काम हुआ है। वहां के माननीय सदस्य को आपसे ज्यादा जानकारी है उसकी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): कोई जानकारी नहीं है।

श्री सभापति: आपसे ज्यादा जानकारी है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ये अंधेरे में ही थीं। इसीलिए तो बता रहा हूं सदन के माध्यम से।

श्री सभापति: आप बैठिये।

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): गोविन्द जी, एक छोटी-सी बात कहनी है आपको कि राष्ट्रीय लेवल पर भी आपकी स्थिति थोड़ी-सी महिला की वजह से खराब है, और दूसरा यह है ...(व्यवधान) सुनिये आप। दूसरी बात यह है कि आप जहां पर बैठे हैं, यहां पूरे राजस्थान की महिलाएं हैं, हाथ जोड़ कर चलने में ही भलाई है। आगे घर भी जाएंगे, तो महिला ही मिलेगी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): निश्चित रूप से हमारे वेदों में, शास्त्रों में, महिला को पूजा जाता है। किसने मना किया? मैंने तो यही तो कहा है न कि राठौड़ साहब से पार नहीं पड़ी, तो माननीय महिला सदस्यों को आगे कर दिया। यही तो कहा है मैंने। और क्या कह दिया? (व्यवधान) सोलर पंप की बात कही।

श्रीमती अनीता (नगर): सभापति महोदय, ये बार-बार रिकार्ड पर लाना चाह रहे हैं। उसको एक्सपंज करा जाए। इस तरीके से नहीं बोलोगे आप। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): क्या एक्सपंज करें, तो? (व्यवधान) माननीय सदस्या, कुछ ऐसा है ही नहीं एक्सपंज करने लायक।

श्रीमती अनीता (नगर): नहीं, आप बार-बार इस बात को क्यों कर रहे हों?

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): आप बार-बार बोल रहे हैं, महिलाओं को आगे कर दिया।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): कह रहा हूं न, माननीय महिला सदस्य, माननीय महिला मुख्यमंत्री, माननीय महिला मंत्री। क्या अन्याय कर दिया मैंने? (व्यवधान) मैं पचास साल का हो गया, मैंने कभी ऐसा एक शब्द भी नहीं कहा जो मुझे वापस लेना पड़े। ऐसा कोई शब्द नहीं कहा मैंने। आप विराज जाइये।

श्री हीरालाल (निवाई): ...(व्यवधान) इस तरह की बात करते हों।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अब आप इस हाउस को कंट्रोल करें। ऐसा नहीं चलेगा।

श्री सभापति: आप बैठें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सोलर पंप की बात कही, सभापति महोदय, सोलर पंप लगा दिये क्या इन्होंने? एक सोलर पंप नहीं लगाया। हजार सोलर पंप की बात थी।

श्री सभापति: आप आसन को इंगित करके बोलें। कुछ भी बोलें, इधर देखें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैं आसन को ही इंगित कर रहा हूं। आसन देख ही नहीं रहा है न।

श्री सभापति: मैं आपको ही देख रहा हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आसन भी उधर नजर ज्यादा रखता है, मेरी तरफ कम रखता है।

श्री सभापति: मैं आपको ही देख रहा हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सोलर पंप एक नहीं लगाया।

जनता जल योजना, सुराज संकल्प यात्रा में कितनी बड़ी-बड़ी बातें की थीं ...(व्यवधान) कि जनता जल की वजह से कांग्रेस ने, पता नहीं, क्या कर दिया। कर दिया क्या ठीक, मंत्रीजी, आपने जनता जल योजना को? दे दिया पंचायतों को? (व्यवधान) आपने अनटाइड फंड का पैसा पूरा का पूरा जल स्वावलंबन में चेप दिया, वह उधर ट्रांसफर कर दिया। आपने टी एफ सी का पूरा का पूरा पैसा ट्यूबवेल के कनेक्शन देने के लिए विद्युत विभाग को दे दिया। तो पंचायती राज क्या करेंगे? केवल झाड़ू निकालने का काम रह गया

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

क्या स्वच्छ भारत में? पंचायतों को पैसा नहीं। सोलर पंप की आप बात नहीं कर रहे हों; एक ट्यूबवेल नहीं; एक सिंगल फेज नहीं।

आपकी जो वृहत् पेयजल योजना है, मेरे लक्ष्मणगढ़ में, सभापति महोदय, 832 करोड़ रुपये की योजना थी; जब हमने सरकार छोड़ी थी, तो 37 परसेंट काम हो गया था, मंत्री महोदया, और आपने सवा दो साल में उस योजना का बेड़ा गर्क करने का काम किया। केवल दो परसेंट काम हुआ है और वह भी केवल पेमेंट हुआ है। एक रुपये का काम इस डेढ़-पौने दो साल में आपकी सरकार आने के बाद में लक्ष्मणगढ़ में, मैंने क्वेश्चन लगाया था, टंकियां बन रही हैं, मैंने कहा था कि खराब टंकियां बन रही हैं, तो आपने जवाब दिया था यहां सदन में कि ये 6 टंकियां हम ध्वस्त करके वापस दूसरी बनायेंगे। आज तक एक कंक्रीट, एक तगारी वापस नहीं उतरी।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, केवल बावले बनाने से जनता नहीं बनेगी। काम करके देना पड़ेगा। न आप सिंगल फेज दे रहे हों। आपने हैंडपंप दिये, मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की; मंत्रीजी, आपने कितने दिये, मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से। कांग्रेस के या दूसरे सदस्य को एक हैंडपंप नहीं दिया; केवल भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। ऐसा थोड़े चलता है। पानी सब पीते हैं। कांग्रेस बी जे पी अकेली नहीं पीती है। इसलिए सोचना पड़ेगा।

जो आपने बजट में घोषणा की थी 2015-16 में वृहत् पेयजल योजना की, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी को कहना चाहता हूं कि जितनी योजनाएं आपने कहा था कि 2015-16 में पूरी करेंगे, आपने एक योजना भी उसमें से पूरी करने का काम नहीं किया है। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। पानी का पैसा बढ़ा दिया, लुट रही है जनता, दुगना पैसा कर दिया; फ्लैट वालों का दस गुना पैसा कर दिया, दस गुना, और गांवों में दुगना पैसा। दस हजार लीटर दे रहे हैं, बिल आने लग गये बीस हजार लीटर से। दे आप दस हजार लीटर ही नहीं रहे हों।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि केवल राजनीतिक आधार पर प्रदेश नहीं चलता है। आपको मौका मिला है, मंत्री महोदया, आपको काम करने का मौका मिला है, आप खूब एक्टिव भी हैं, अच्छा काम भी कर रही हैं, लेकिन पानी के क्षेत्र में आपने किया कौनसा, यह तो बता दीजिये। दो साल से मैं आपके यहां प्रश्न लगा रहा हूं, मेरी वृहत् पेयजल योजना आप चालू कर

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

दीजिये। आपके चीफ इंजीनियर जाते हैं, आपके अधिकारी जाते हैं, रसगुल्ले खाकर उस कंपनी वाले से वापस आ जाते हैं। एक रुपये का काम, दो साल में एक धेले का काम नहीं हुआ।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर कोई काम हो रहे हैं, तो केवल मात्र जल नीति बनाई थी, तबादला नीति जलदाय विभाग में बनाई थी, पूरी की पूरी तबादला नीति को आपने तोड़-मरोड़ कर के और सिफारिश के आधार पर केवल भारतीय जनता पार्टी के लोगों के कहने से ट्रांसफर कर दिये। कोई कहीं जा रहा है, कोई बॉर्डर पर लग रहा है, कोई कहीं जा रहा है। क्या अन्याय कर दिया? जो ईमानदार आदमी है, वह कांग्रेस के समय में हमारे पास में रह गया, तो कोई अन्याय कर दिया क्या उसने? उसने पानी जनता को पिलाने का काम किया है। उसने कोई अन्याय नहीं किया। कहीं बांसवाड़ा, कहीं जैसलमेर, यह नहीं चलेगा। जे ईएन्स की पोस्टिंग के 40-40 आदेश निकले, माननीय सभापति महोदय, 6-6 महीने लगे। आज यहां, कल ट्रांसफर करके वहां।

वित्तीय सीमा, वित्तीय सीमा का उल्लंघन कर दिया। एक माइनोरिटी का अधिकारी था...

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, यह क्या बात हो गयी कि वह अधिकारी तो रसगुल्ले खाकर आ जाता है। अपने अधिकारियों की पैरवी करते हुए, यह इस सदन का दुरुपयोग तो मत करिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप बैठ जाओ।

श्री सभापति: विराजिये।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): यह क्या तरीका है?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप सिखाओगे मेरे को?

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): नहीं, लेकिन यह तरीका गलत है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप सिखाओगे, मैं क्या बोलूंगा? आप सिखाओगे क्या मेरे को?

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): हां, बिलकुल। आप गलत तरीके से बोलेंगे...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): बिलकुल, मैं सही कह रहा हूं, आपके जलदाय विभाग के अधिकारी रसगुल्ले खाकर ...(व्यवधान) दो साल तक मेरे प्रोजेक्ट पर काम नहीं किया।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): किसी अधिकारी के तो रसगुल्ले खाने की बात करते हैं और किसी के लिए आप पैरवी कर रहे हों, ये दोनों बातें नहीं चलेंगी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप बैठ जाओ।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): आपने यह कैसे कह दिया कि वह रसगुल्ला खाकर आ जाता है?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैंने सही कह दिया। आप तय करोगे क्या, मैं क्या बोलूंगा?

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): आप मौक़े पर थे क्या? आप कैसे कह सकते हो यह?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हां, मैं कह रहा हूं न।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): नहीं, नहीं, यह सदन का दुरुपयोग मत करिये आप।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): रसगुल्ले खाकर आते हैं, काम नहीं करते हैं, नहीं करते, नहीं करते।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): आप केवल अपनी बात कहिये। ये दूसरी बातें मत करो। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): बैठ जाइये आप। मेरा विषय आप तय नहीं करेंगे। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, दो मिनट में।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आसन द्वारा पहले ही...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ये तय करेंगे क्या?

श्री सभापति: एक मिनट। पहले ही यह व्यवस्था दी जा चुकी है कि एक माननीय सदस्य को कितना बोलना है। इसलिए आप अपनी बात को अब सीमित कर दें। आप सीमित कर दें अपनी बात को अब। सीमित कर दें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इनके पेट में मरोड़े इसी बात से तो आ रहे हैं कि ज्यादा बोल गया, तो गड़बड़ हो जाएगी।

डार्क जोन ...(व्यवधान) आपके मंत्रीजी कह रहे हैं कि सीकर में डार्क जोन 6 हैं, आपके ऊर्जा मंत्रीजी कह रहे हैं कि सीकर में दो हैं। आपके प्रश्न का जवाब है, मंत्री महोदय, उसमें यह लिख रखा है कि केवल चौबीस क्षेत्र जो हैं, जो केवल सेन्टर में गजट नोटिफाइड हैं, वे ही केवल डार्क जोन हैं। आपने पूरे प्रदेश को डार्क जोन कर दिया। कभी पानी बेचने वाले को धमका रहे हैं, कभी कोई किसान को धमका रहे हैं। न किसान अपना कुआं ठीक कर सकता है, न रिपयेर कर सकता है। यह तानाशाही 159 के जोर में, आदरणीय राठौड़ साहब, आप मत चलवाइये।

चूरू को भी कोई ज्यादा नहीं दिया इन्होंने, सीकर को भी नहीं दिया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपको मौका मिला है, अच्छा काम करिये, राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे 200 विधान सभा क्षेत्रों में से बी जे पी के अलावा एक भी हैंडपंप अगर मंत्रीजी ने दे दिया हो, तो आप कहो, सो करने को तैयार हूं। क्या बात हुई यह! इतनी राजनीति, इतनी दलगत राजनीति! ऊपर उठिये। आपको मौका मिला है, आप काम कीजिये। मंत्रीजी को बाद में बता देना, मंत्रीजी, सुन लीजिये पहले।

आपके राजेन्द्र जी राठौड़ साहब चूरू में जाते हैं, जलदाय विभाग से परेशान हैं। कुहनियों तक हाथ जोड़ कर कहते हैं कि अधिकारियों, आपके हाथ जोड़ रहा हूं, मेरे को पानी पिला दो, मीठा पानी पिला दो। राठौड़ साहब, हाथ जोड़ने से नहीं। आप मंत्री हों, मुख्य मंत्री हैं आपकी, आपकी मंत्री हैं। (व्यवधान) इन अधिकारियों पर, जो अरबी घोड़े हैं, इन पर लगाम कसिये, काम कराइये। कोई पूछने वाला नहीं है इस प्रदेश में। लोग चाहे जो पैसा बढ़ा रहे हैं, चाहे जिसका ट्रांसफर कर रहे हैं, चाहे जिसके हैंडपंप सैंक्शन कर रहे हैं, चाहे जिसकी जांचें करा रहे हैं।

एक माइनोरिटी की अधिकारी थी, उसको आपने वित्तीय सीमा के उल्लंघन का मामला करके सस्पेंड किया, उसको वापस बहाल करना पड़ा आपको, क्योंकि प्रदेश में ऐसा कोई-सा भी जिला नहीं है, कोई-सा भी अधिकारी नहीं है जिसने वित्तीय सीमाओं का उल्लंघन नहीं किया। जब सबने किया तो उस माइनोरिटी के अधिकारी ने क्या गुनाह कर दिया? यह ओछी राजनीति, दलगत राजनीति, धार्मिक भावना भड़काने वाली राजनीति करने की जरूरत नहीं है।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, मैं केवल इतना निवेदन करना चहता हूं कि मेरे सीकर में कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना, खण्डेला, नीमकाथाना, दांतारामगढ़, कहीं पानी नहीं है। आपको योजना बनानी है, हमने योजना बनायी, स्वीकृत की, आपने ठंडा कर दिया। माननीय नेता, प्रतिपक्ष के यहां पर 444 करोड़ रुपये की योजना थी, ऑफिस खुल गये, वित्तीय स्वीकृति हो गयी, उसके बाद में आपने बंद कर दी। यह तमाशा है! पूरे प्रदेश में इस तरीके से अराजकता का माहौल जिस प्रकार से जलदाय विभाग में चल रहा है, हमने जिन्दगी में कभी नहीं देखा। हम भी पचास साल के हो गये। निश्चित रूप से वहां पर भी पानी पहुंचना चाहिए, सीकर में भी, कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना का। हमारे पांच माननीय सदस्य आते हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके मुंह के ताले लग गये। वे कह रहे हैं कि हमें तो एक रुपये का पानी नहीं मिला। मेरे लक्ष्मणगढ़ का बंद, दांता में पानी नहीं, नीमकाथाना में नहीं। श्रीमाधोपुर में हमने योजना शुरू की थी..

श्री सभापति: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदय, एक मिनट लूंगा। नीमकाथाना में शहर के लिए योजना थी, आज दोनों योजनाएं बंद पड़ी हैं। कोई काम करने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है।

मैं आपसे केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं, आपको मौका मिला है, उल्टी-सीधी बहस में जाने की जरूरत नहीं है। सिंगल फेज, आपने बंद कर दिये, थ्री फेज, हम यूं गिड़गिड़ाते हुए जाते हैं अधिकारियों के पास में, बजट नहीं है। बजट नहीं है, तो आफिस में क्यों बैठे हो? डेढ़-डेढ़ लाख रुपये एक-एक अधिकारी तनख्वाह लेता है, एक-एक चीफ इंजीनियर डेढ़ लाख रुपये लेता है। क्यों नहीं है बजट? इनको बजट दीजिए। केन्द्र में आपकी सरकार, स्टेट में आपकी सरकार। मोदी जी एक धेला आपको दे नहीं रहे, एक धेला आप केन्द्र से ला नहीं पाये। यहां लीपापोती करने से काम नहीं चलेगा, मंत्री महोदया, आपको काम करना पड़ेगा। पानी सबको चाहिये, शुद्ध पानी चाहिये।

अंत में, मेरी बात समाप्त करते हुए, मैं इतना निवेदन करता हूं कि मेरे सीकर में पानी की बहुत बड़ी किल्लत है। मेरे लक्ष्मणगढ़ में फ्लोराइड है, दो साल में एक आर ओ आपने दिया नहीं। जो 832 करोड़ की योजना है, उस

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

योजना को दो साल से बंद कर रखा है। सीकर में शेष विधान सभा क्षेत्रों में पानी है नहीं। नीमकाथाना की और श्रीमाधोपुर की शहर की जो जलदाय परियोजनाएं हैं, वे दोनों की दोनों बंद पड़ी हैं। एक हैंडपम्प हम खुदवा नहीं सकते; एक सिंगल फेज सीकर जिले में दो साल में हुआ नहीं। माननीय सभापति महोदय, यह क्या तमाशा लगा रखा है।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपको समझना पड़ेगा, सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। यहां कोई बी जे पी-कांग्रेस नहीं है। सबको साथ लेकर चलेंगे...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप बैठें। श्री बनवारी लाल सिंघल। अब आपका अंकित नहीं होगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): धन्यवाद। धन्यवाद। आप माइनोरिटी, माइनोरिटी कर रहे हों, एक भी आदमी जिता कर नहीं लाये। आपके माइनोरिटी का एक जीत कर नहीं आया। सारी की सारी फर्जी बात करते हों।

श्री हीरालाल (निवाई): ...(व्यवधान) पानी तो मरने के बाद देते हैं। पानी उपलब्ध कराइये। (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): ...(व्यवधान) ये महिला विरोधी हैं, इसीलिए गिरते-पड़ते एक महिला जीत कर आई इनके विधायक दल में।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): अच्छी भली इंसान हैं। आप शेरनी क्यों बना रहे हों? शेर कोई इंसान थोड़े ही होते हैं। अच्छी भली इंसान हैं, हमारे जिले की हैं। क्या बात कर रहे हों। (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के 200 विधायक, हम सब लोग, राजस्थान की सात करोड़ से अधिक जनता आज इन 200 विधायकों की तरफ देख रही है। अपने-अपने क्षेत्र की पानी की बात हम करें। उसको केवल हम राजनीति का अखाड़ा बना दें, हम इनको स्कोर करें, ये हमको स्कोर करें, हमने यह किया, उन्होंने यह नहीं किया; मुझे लगता है, इससे जनता का भला होने वाला नहीं है। विपक्ष के सचेतक महोदय जोर-जोर

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

से बोल कर, फर्जी आंकडों के आधार पर अपनी बात को जोर-जोर से बोलकर प्रमाणित करने की ...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): टेबल कर दो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): ...(व्यवधान) सभापति महोदय, इनको क्या हो गया है? ये बार-बार खड़े हो जाते हैं। (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): ...(व्यवधान) मुझे कम शब्दों में, कम समय में, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों से जो हमारे साथी आते हैं, उन्हें अपनी अधिक बात जल एवं सिंचाई पर कहनी है, इसलिए मैं चाहता हूं कि कम समय में अपनी बात कहूं। तो आप भी जरा सहयोग करें, डोटासरा जी। आपने जरूरत से ज्यादा समय का अतिक्रमण किया है।

श्री सभापति: आप सीधे ही कटौती प्रस्ताव पर आ जाओ।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): सभापति महोदय, मैं अपनी बात यहां से शुरू करना चाहता हूं। देश के माननीय प्रधान मंत्रीजी ने, 2014 में जो हमारे देश में लोक सभा का चुनाव हुआ था, उसके घोषणा पत्र में अंकित कर रखा है कि हमारा यह संकल्प है, हम देश के हर घर को पानी नल से देंगे, हर घर को नल देंगे। राजस्थान की माननीया मंत्रीजी यहां विराजमान हैं, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, उस घोषणा पत्र के मुताबिक इस भेदभाव को राजस्थान में अब बिलकुल बंद करें, किस व्यक्ति ने यू आई टी का मकान खरीदा, किसने हाउसिंग बोर्ड का मकान खरीदा, किसने अपनी आर्थिक क्षमता कम होने के कारण से अपने खेत में मकान बना लिया, या किसी आदमी ने छोटा-मोटा कृषि भूखण्ड खरीद कर उस पर मकान बना लिया। जो जिस विधान सभा क्षेत्र की सीमा में रहता है, उसको उस विधान सभा क्षेत्र की सीमा के मुताबिक जलदाय विभाग की जिम्मेदारी है, हम उसको घर तक पेयजल कनेक्शन पहुंचाने का काम करें। यह असम्भव जरूर है, किसी व्यक्ति ने एक मकान एक खेत में बना लिया और किलोमीटरों की लम्बाई है या सौ-दो सौ मीटर की लम्बाई है, उसको असम्भव बताया जा सकता है, लेकिन हम यह कह दें कि यह योजनागत है और यह गैर-योजना क्षेत्र है, इसको पानी नहीं देंगे; अब योजना और गैर-योजना का भेद समाप्त होना चा

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

हिये, चाहे वह विधान सभा क्षेत्र कोई ग्रामीण हो या विधान सभा क्षेत्र शहरी हो। ऐसा अक्सर देखने में आता है, विभाग यह कहकर पल्ला झाड़ने का प्रयास करता है कि यह गैर-योजना क्षेत्र है। जब हमारे देश के प्रधान मंत्रीजी कहते हैं कि हम हर घर को नल से पानी देंगे, उन्होंने कोई भेदभाव नहीं रखा योजना क्षेत्र, गैर-योजना क्षेत्र, तो हमको भी अपनी योजना को आगे बढ़ाना चाहिये, उन गैर-योजना क्षेत्रों के भी हम प्लान बनायें। हमारा यह 200 विधायकों का मंडल है जो इस राजस्थान के विकास की योजना बनाता है। इस गैर-योजना क्षेत्र को भी योजना में कैसे शामिल करेंगे? सारी स्थानीय निकायों ने, चाहे वह अलवर की है, चाहे राजस्थान की कोई-सी भी है, सबने आवासीय पट्टे जारी कर दिये। आवासीय पट्टे जारी कर देने के बाद, कोई कृषि भूखण्ड बचता नहीं है और अगर बचता है, आबादी के बीच में किसी ने नहीं लिया, नियमित भूखण्डों के बीच में, तो उसको भी पानी की उपलब्धता करायी जानी चाहिये।

माननीय मंत्री महोदया, मैं यह बात भी कहना चाहता हूं, पानी सब पी रहे हैं, कनेक्शन सबने ले रखे हैं; किसी ने वैध ले रखा है, तो किसी को डिपार्टमेंट के नीचे के जो कर्मचारी हैं उन्होंने 5-7-10 हजार रुपया लेकर, राज कोई-सा भी रहा हो, यह व्यवस्था चलती है, उन लोगों को भी पानी उपलब्ध करा दिया, जिनके घर में पानी का कनेक्शन न है और न आपके विभाग के विभागीय नियमों के मुताबिक उनको कनेक्शन दिया जा सकता था। मैं कहता हूं, आप इंस्पेक्शन करा लीजिए, पूरे राजस्थान में ऐसा एक भी घर नहीं है जहां से पानी की लाइन जा रही हो और उसके घर में पानी का कनेक्शन नहीं हो। बल्कि ऐसे लोग जिनके कनेक्शन नहीं हैं, जिनके घर में मीटर नहीं हैं, बड़े-बड़े पाइप लगाकर भैंस नहलाते हैं, दो घंटे तक मोटरसाइकिल को नहलाते हैं, कार को धोते हैं चार घंटे तक। अगर आप उनको नियमित रूप से कनेक्शन दे देंगे, तो मीटर लगेगा, पानी का दोहन रुकेगा, पानी का अपव्यय रुकेगा।

इसको योजना और गैर-योजना की बात समाप्त करके, योजनापूर्वक सब लोगों को पानी देने का और नरेन्द्र मोदी जी के सपने को साकार करने का अगर हम काम करेंगे, तो निश्चित रूप से परिणाम अच्छे आयेंगे।

मैं धन्यवाद करना चाहता हूं राजस्थान की माननीया मुख्य मंत्रीजी का, राजस्थान की जलदाय मंत्रीजी का, देश के प्रधान मंत्रीजी का, एन सी आर योजना में अलवर शहर की पानी की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 175

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

करोड़ रुपया पिछले दिनों स्वीकृत हुआ है। टेंडर हो रहे हैं; डोटासरा जी, सुन लेना, जो मैं कह रहा हूं, कागज बाद में संभाल लेना। 175 करोड़ रुपया एन सी आर में अलवर शहर को मिला है और मिशन अमृत में 165 करोड़ रुपया मिला है, जिसमें से भी 51 करोड़ रुपया पानी के लिए मिला है। 226 करोड़ रुपया अलवर शहर को पानी की लाइनों के लिए मिला है।

माननीया मंत्रीजी, अभी पिछले दिनों जब आपका अलवर प्रवास था, तो आपने विभागीय अधिकारियों को एक निर्देश दिया था कि अलवर शहर के उस वंचित क्षेत्र की डी पी आर बनाइये, जहां पानी की पेयजल लाइन नहीं है। विभागीय अधिकारियों को आपने 15 दिन के निर्देश दिये थे। विभागीय अधिकारियों ने उस डी पी आर को बनाकर आपके विभाग के समक्ष पेश कर दिया, जो 101 करोड़ की थी। उसमें से 51 करोड़ हमको मिशन अमृत में मिल गये, 50 करोड़ रुपया और अभी वंचित क्षेत्र को जोड़ने के लिए आवश्यक है। उस 50 करोड़ रुपये की आपके विभाग के समक्ष यह मांग करता हूं कि आप उस लैप्स को, जो लैप्सेज रह जायेंगे, उन लैप्सेज को पूरा करने के लिए, क्योंकि अलवर राजस्थान का सिंह द्वार है, अलवर तपस्वियों की धरती है, जहां उज्जैन से आकर महाराजा भर्तृहरि ने तप किया और अपने आपको समाधिस्थ किया। आज महाराजा भर्तृहरि की उस धरती पर, महाराज भर्तृहरि के शहर पर अगर पानी की समस्या रहे, तो मुझे लगता है कि राजस्थान पर यह एक बदनुमा दाग है। 50 करोड़ रुपया उस 51 करोड़ में मिलाकर आप अलवर की इस पूरी मांग को पूरा कर सकती हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, इसको भी आप आने वाले समय में जल्दी से जल्दी पूरा करायें।

एक व्यवस्था यह भी देखें, जिस तरह से कहीं सर्विस स्टेशन लगे हुए हैं, आज वर्तमान समय में हम देखते हैं, विज्ञापन आते हैं, टीवी पर भी आते हैं, अख़बार में भी आते हैं, सर्विस स्टेशन पर कार धोने वाला एक छोटा-सा 12-14 साल का बच्चा दो घंटे तक गाड़ी की धुलाई करता रहता है। इस पर भी राजस्थान में रोक लगनी चाहिये। गाड़ी दो बाल्टी पानी से भी धुल सकती है। इस पर भी रोक लगनी चाहिये। सर्विस स्टेशनों की जांच होनी चाहिये; उन पर मीटर हैं या नहीं, इस बात की जांच होनी चाहिये। टैंकर का पानी उपयोग कर रहे हैं, या नल का पानी का उपयोग कर रहे हैं; कितने लोगों को वंचित कर रहे हैं। इस पर भी रोक लगाई जानी चाहिये।

जिस प्रकार से शहरों के बीच में, आपने देखा होगा, जयपुर से दिल्ली

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

वाला जो मेन हाईवे है, इस पर, माननीया मंत्रीजी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, बहुत सारे लोगों ने ढाबों के बाहर गाड़ी की धुलाई के केन्द्र लगा दिये। उन्होंने जेट लगाया, एक फव्वारा लगाया और वह फव्वारा केवल ग्राहक का ध्यान यह आकर्षित करने के लिए, कि हम यहां गाड़ी धोते हैं, पूरे दिन वह फव्वारा पानी फेंकता रहता है। हजारों-हजारों लीटर पानी का अपव्यय रोजाना होता रहता है। यह गम्भीरतापूर्वक देखने की बात है। हम लोग इसको देखकर सीधे निकल जाते हैं, कोई ध्यान नहीं देता।

अनेक बार लाइन टूट जाती है, क्योंकि लाइन सब एक जगह हैं। टेलीफोन की लाइन भी है, सीवरेज की लाइन भी है, पानी की लाइन भी है और कई जगह, जहां अंडरग्राउंड बिजली की केबल का काम चल रहा है, वहां लाइन टूट जाती है। हजारों-लाखों लीटर पानी बह जाता है, तब विभाग का ध्यान जाता है। इसकी मानिटरिंग की व्यवस्था को भी सुदृढ़ करने का काम आप करें।

माननीया मंत्रीजी, डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम को इस तरह का किया जाय कि एक भी घर प्रदेश में बिना पानी के मीटर का नहीं हो। इस तरह की व्यवस्था भी करें। पानी अगर मीटर से लोग लेंगे, तो निश्चित तौर पर जब मीटर ज्यादा बढ़कर आएगा, तो लोगों का उपयोग, जिस तरह से आज बिजली का सिस्टम है, जरा-सा उपयोग बढ़ा और बिजली का बिल बढ़ा, अगर मीटर के अनुसार उपयोग होगा तो लोगों का उपयोग सीमित करने की, और जहां आवश्यकता है, वहीं करने की आदत भी पड़ेगी। माननीया मंत्रीजी, मेरे शहर में भी गर्मी के मौसम में अनेक बार धरने-प्रदर्शन होते हैं। अब इस बात को भी कहने में कतई संकोच नहीं करना चाहिए कि धरने और प्रदर्शन राजनीतिक आधार पर भी होते हैं। क्योंकि जो पार्टी सत्ता में नहीं है, वह सत्ताधारी दल के खिलाफ किसी-न-किसी प्रकार के प्रदर्शन करवाकर, इस तरह का दिखावा करने का प्रयास करती है कि सरकार फेल है। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम ठीक हो जाएगा, तो एक भी धरना-प्रदर्शन राजस्थान में नहीं होगा। इस बात को मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं।

पानी न फैक्टरियों में बनता है, न पेड़ों पर लगता है। यह तो प्रकृति का हमको उपहार है। आज अनेक स्थान ऐसे हैं, जहां कहीं चौदह सौ-पंद्रह सौ फीट नीचे पानी चला गया है। मेरे विधान सभा क्षेत्र पर तो कृपा है भगवान

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

श्री राम की, महाराजा भर्तृहरि की, बाबा हीरानाथ जी की, वहां छह-सात सौ फीट पर आज भी पानी है। जितने भी बोर पिछले दिनों सरकार ने दिये, हमने एम.एल.ए. लैड से लगाये, छह-सात सौ फीट पर पानी लगा।

मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि बहुत बड़ा राजस्थान में पर्यावरण को दूषित करने वाला एक ऐसा पेड़ हमारे बीच में खड़ा है। इस पेड़ को कटवाने की अगर आप योजना बनायेंगे, तो निश्चित रूप से जलदाय विभाग का जरूर भला हो जाएगा; और किसी विभाग का भला होगा कि नहीं होगा, लेकिन निश्चित तौर पर जलदाय विभाग का भला होगा। यूकेलिप्टस का जो पेड़ है, सफेदा के, इस पेड़ की जो पानी खींचने की क्षमता है, वे प्रति घंटे आठ लीटर पानी का दोहन करते हैं और लगभग 192 लीटर पानी को रोजाना यह पेड़ बिना किसी कारण के पी जाता है और इससे केवल एक बल्ली का उत्पादन हो रहा है। वह बल्ली किसी दूसरे स्टेट से भी आ सकती है। इस पेड़ को जब आस्ट्रेलिया से हिन्दुस्तान में लाया गया था...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं दो-तीन मिनट और लूंगा। अपनी बात ही कर रहा हूं। उन दलदली क्षेत्रों में लगाने के लिए, जहां लोगों का जीवन असामान्य था दलदल के कारण से, वहां लगाने के लिए पेड़ों को लाया गया था और अब इनको सुंदरता के तौर पर लगाया जा रहा है, जिनका कोई उपयोग नहीं है। माननीया मंत्रीजी, योजना बनाकर सारे राजस्थान से इन सफेदे के पेड़ों को हटवाएं, ताकि पर्यावरण का संतुलन भी, जो आज बहुत अधिक खराब हो रहा है, वह भी बचे। इसकी जगह पर देशी पीपल, देशी नीम, जो बरसात को भी आमंत्रित करते हैं, यह सफेदा तो भगाता है।

मैं, माननीया मंत्रीजी, आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि हमारे पानी का जलस्तर लगातार नीचे जा रहा है, इसको रोकने के लिए, इसकी प्रचुर उपलब्धता बढ़ाने के लिए, हमको जल स्वावलंबन के माध्यम से, माननीया मुख्य मंत्रीजी ने जो अभियान अभी लिया है, उसको भी बहुत मजबूत करना पड़ेगा।

मैं आपसे, क्योंकि बार-बार हमारे सचेतक महोदय भी पर्ची भिजवा रहे हैं और आसन से भी घंटी बज रही है, तो मैं अपने विधान सभा क्षेत्र... (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपके उप मुख्य सचेतक, पर्ची भिजवाना, दो ही काम करते हैं; तीसरा काम इनको आता भी नहीं है।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): ऐसा है, भाई साहब, सबसे ज्यादा दोस्ती तो उनकी आपसे ही है। वे उठते हैं, तो आपके स्प्रिंग लगती है; आप उठते हैं, तो उनके स्प्रिंग लगती है। यह स्प्रिंग सीटों की वहां से जुड़ी हुई हैं, दोनों के तार जुड़े हुए हैं और अन्दर कोई मामला है।

मैं, माननीया मंत्रीजी, आसन के माध्यम से आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अलवर शहर के प्रत्येक कोने को आने वाली गर्मी में अब की बार इस तरह की समस्या नहीं आवे; माननीया मंत्रीजी, आने वाले समय एक भी धरना-प्रदर्शन नहीं हो, इसके लिए आवश्यकता है कि आप पचास करोड़ रुपये जो हमारे लैप्स हैं, उसको इसमें जुड़वा दें और पानी की वितरण व्यवस्था ठीक करा दें।

चम्बल के पानी के लिए, जब पिछले दिनों आपका अलवर प्रवास था, तो आपने कहा था कि उसके 4,719 करोड़ रुपये के टेंडर हो रहे हैं, या वे प्रक्रियाधीन हैं। जरा उसकी भी आप अपनी व्यवस्था, आज जब शाम को जवाब दें, तो उसकी भी व्यवस्था फरमा दें। क्योंकि अलवर आपकी ओर देखता है। आपने अलवर प्रवास में कहा था, बड़े-बड़े समाचार पत्रों में छपा है, 4,719 करोड़ रुपये चम्बल का पानी अलवर तक लाने के लिए विभाग के माध्यम से स्वीकृत हुआ है। उसकी वर्तमान में क्या स्थिति है? अगर वह कागजों में है, तो उसको बढ़ाएं और अगर वह कहीं टेंडर प्रक्रिया में है, तो जल्दी से जल्दी करवाकर आने वाली गर्मी में ऐसी व्यवस्था करें कि वह पानी अलवर को मिले।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बैठें आप।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): एक मिनट, बस। सभापति महोदय, आधा मिनट।

एक जयसमन्द बांध में पानी आवे, इसके लिए भी, माननीया मंत्रीजी, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अलवर शहर इन स्रोतों पर टिका हुआ है। अगर जयसमन्द बांध के पानी के बीच में जो अवरोध हैं, जल संसाधन मंत्रीजी, मेरी इस बारे में गुहार है, क्योंकि सरिस्का का जो हमारा वन क्षेत्र है, जो टाइगर रिजर्व है, फोरेस्ट का एरिया है, और वहां बहुत बड़ी पिछले दिनों एक कमेटी बनी है, जिसमें मैं स्वयं, जयराम जी जाटव और अनीता सिंह जी, हम तीनों को राजस्थान की विधान सभा ने ही सदस्य बनाकर कमेटी का

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

गठन किया है, कमेटी भी अपना काम कर रही है, लेकिन मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि जयसमन्द के मार्ग में सरिस्का में करीब साढ़े तीन सौ-चार सौ सरकारी और गैर-सरकारी एनिकट, जो सरपंचों ने बिना अनुमति के नरेगा के माध्यम से बनवा दिये, उनमें सारा पानी रुका है। उसके कारण अलवर में पानी की भू-गर्भ में जो उपलब्धता थी, वह समाप्त हुई है। उनको भी चैक कराकर जल्दी से जल्दी समाप्त कराने का और अलवर की पेयजल की समस्या का निदान करने की आप कृपा करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री कल्याण सिंह।

श्री कल्याणसिंह चौहान (नाथद्वारा): माननीय सभापति जी, मांग संख्या 27 और मांग संख्या 46, पेयजल और जल संसाधन विभाग पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।

मैं सबसे पहले तो हमारी लोकप्रिय मुख्य मंत्री वसुंधरा जी को धन्यवाद दूंगा कि जब-जब भी वे राज में आईं, मेवाड़ की धरती उस चारभुजा नाथ को साक्षी रखते हुए, श्रीनाथ जी को साक्षी रखते हुए, उन्होंने पूरे राजस्थान का भ्रमण कर और पुनः सुराज यात्रा से सुराज स्थापित किया और राजस्थान की जनता ने 163 विधायक जिताकर उनको मुख्य मंत्री बनाया। इसलिए मैं सम्पूर्ण जनता को मेरी तरफ से, सबकी तरफ से हार्दिक बधाई और धन्यवाद देता हूं कि ऐसी हमारी नेता को मुख्य मंत्री बनाया।

सबसे पहले हमारी मुख्य मंत्रीजी ने सुराज यात्रा में, सरकार-आपके-द्वार में, हमारे काश्तकारों ने, हमारी राजसमन्द की जनता ने उनसे मांग की कि देवास-थर्ड का पानी राजसमन्द जिले को पेयजल के लिए उपलब्ध कराएं। इसके लिए मैं सम्पूर्ण जनता की तरफ से, मेवाड़ की जनता की तरफ से, मेरी तरफ से, माननीया लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी वसुंधरा राजे को बहुत-बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने देवास-थर्ड के लिए 1,064 करोड़ रुपया, इस बजट में प्रावधान करके यह घोषणा की है। इसके लिए हम तहे दिल से उनके आभारी हैं। रहा सवाल, यह सब जानते हैं, गोविंद सिंह जी चले गये हैं, नेता प्रतिपक्ष बैठे हैं; जब-जब भी मेवाड़ का आशीर्वाद जिसके ऊपर रहा है, इतिहास गवाह है, वह ही सत्ता में रहा है। आप इतिहास उठाकर देख लें। इसीलिए हमारी लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने देवास-फर्स्ट, देवास-सेकंड का पानी उदयपुर में...। यह सपना सुखाड़िया जी ने जरूर देखा था, आज सुखाड़िया जी हमारे बीच में नहीं हैं, उनका भी मैं नाम लूंगा। स्वर्गीय भैरोंसिंह जी शेखावत ने,

(श्री कल्याणसिंह चौहान)

उन्होंने इस योजना पर खूब ध्यान दिया और खूब पैसा दिलाया। सुखाड़िया जी को तीस साल के करीब हो गये, लेकिन वह पानी..। हमारी मंत्री महोदया यहाँ विराजमान हैं, आपने 1,064 करोड़ रुपये स्वीकृत करा दिये हैं, डी.पी.आर. बनेगी, सब है, लेकिन इसकी समय-सीमा होनी चाहिए कि इस सीमा में हम राजसमन्द को पानी देंगे। एक साल, दो साल, पांच साल, समय-सीमा आपको करनी पड़ेगी। सुखाड़िया जी ने भी देवास योजना पर पैसा दिया, उन्होंने सैंक्शन की, 17 साल तक वे मुख्य मंत्री रहे और पानी अब जाकर उदयपुर को मिला है।

हमारे पूर्वजों ने उदय सागर, स्वरूप सागर, फतेह सागर, जयसमन्द और राजसमन्द, ऐसी उस जमाने में ये बड़ी-बड़ी झीलें बनाई हैं। आज सब झीलें खाली पड़ी हुई हैं। इसके लिए सोचने की जरूरत है। आज प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उस खिलवाड़ के साथ, आज अरावली खुद रही है, वहां पर अवैध खनन हो रहे हैं। इन सब चीजों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। तब जाकर मुख्य मंत्रीजी ने जो जल स्वावलंबन योजना चालू की है, वह वास्तव में साक्षात होगी। उसमें सभी दानदाताओं, सभी भामाशाहों का भी, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना में सबका सहयोग रहा है।

क्योंकि आपने समय-सीमा बांध रखी है, इसलिए मैं..। हमारे मेवाड़ में एक संत हुआ करते थे चतरसिंह जी बावजी, वे कहते रहते थे, उन्होंने कहा है –

रेटं फरै चरक्यो फरै, पण फरवा मे फेर।
एक तो वाड़ हरयो करै, दूजो छूंता रो ढेर।

तो यह देख लो आप। जब-जब भी भारतीय जनता पार्टी और जन संघ का राज रहा है, तब-तब ये विकास के काम और देश हरा-भरा हुआ है और वापस पुनः कांग्रेस का पिछला 2008 से 2013 वाला जो समय रहा है, उसमें छूते का ढेर कर दिया। जिस तरह गन्ने को चरखे के अन्दर देते हैं और छूता कर दिया, इस तरह का पांच साल में इन्होंने भट्ठा बैठा दिया।

सुराज संकल्प यात्रा निकली चारभुजा नाथ से। हमारे पूर्व मुख्य मंत्री जी ने देखा, टीवी पर देखा होगा; बाकी तो नहीं होगा; टीवी पर देखा होगा कि सुराज संकल्प यात्रा में चार भुजा जी ...(व्यवधान) सुनने की आदत रखो। मैं जानता हूं, मैं कांग्रेस में भी जानता हूं और बी जे पी में आया हूं, तो भी जानता हूं। कांग्रेस में हमारे जैसे कार्यकर्ता की कदर नहीं थी, इसलिए हम आपको, राज को, ठुकरा कर आ गये। हम ठुकराकर आए हुए हैं। इसलिए बैठ

(श्री कल्याणसिंह चौहान)

जाओ, जाने दो। आपकी क्या दुर्गति हो रही है, वह भी मैं जानता हूं। हमने ऐसे आदमी को ठुकराकर भेजा। ज्यादा इसमें बहस करने की जरूरत नहीं है आपको। (व्यवधान) हां, बाद में मिल लेना आप।

आप अभी समय नहीं दे रहो हों, इसलिए मैं कह रहा हूं। मेरा विधान सभा क्षेत्र नाथद्वारा अरावली की गोद में बसता है। वहां से पानी बहकर निकल जाता है बनास के माध्यम से। अभी सब लोग कह रहे थे, बीसलपुर बनास पर बना हुआ है। बीसलपुर का पानी जयपुर आना चाहिए, अजमेर में आना चाहिए, भीम में जाना चाहिए, सब जगह मांग कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि बीसलपुर की वजह से हम रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं, कि हमारे वहां दो-ढाई मीटर का एक एनिकट नहीं बना सकते हैं। माननीय मंत्री महोदया, आप खुद राजसमंद जिले से हैं, आप वहां सासंद रह चुकी हैं, आप इस विभाग की मंत्री हैं, ऐसा कोई नियम-कानून बताएं, ताकि वहां की जनता को भी पानी मिल सके।

बाघेरी का बांध है, 205 गांवों के लिए बाघेरी का बांध बना था, लेकिन उस स्कीम की आज दयनीय स्थिति बन गई है। लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, बराबर पानी नहीं मिल रहा है; 205 गांव में पानी जाना चाहिए था, वह 205 गांव में नहीं जाकर, कई जगह जा रहा है। माननीय मंत्री महोदया, आपसे निवेदन है कि इस स्कीम को पूरा रिवाइज करवाइये, इस स्कीम में दीजिए कि गांव के बाहर एक जी एल आर बना दें, दो टोंटी लगा दें और मवेशी की एक प्याऊ बना दें। हम विभाग के अधिकारियों से बात करते हैं, तो कहते हैं कि इसमें तो नोर्म्स आड़े आ रहे हैं। हमने उनको पूछा कि नोर्म्स क्या होता है? उन्होंने कहा कि यह 1,500 की आबादी नहीं है, कम आबादी है, इसलिए है। 70 साल हो गये, ज्यादा आबादी वाले को आप पानी पिलाओ, दो तरह की बात क्यों कर रहे हो? एक तरफ तो कह रहे हों कि सीमित परिवार, परिवार नियोजन, एक तरफ तो यह कि दो बच्चे, दो ही अच्छे; दूसरी तरफ आप कह रहे हों कि 1,500 की आबादी नहीं है, इसलिए आप उससे जोड़ नहीं सकते। ये नियम, कानून और नोर्म्स हैं? माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से मेरा माननीया मंत्रीजी को निवेदन है कि ये नोर्म्स हटाइये।

एक तरफ आप कह रहे हों, घर का पानी घर में, गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, तो फिर ये बीसलपुर, बाघेरी कहां से भरेंगे? दूसरी तरफ आप बात कर रहे हों यह। ये दो तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। मेरा आप सब लोगों से एक निवेदन है कि इस नोर्म्स वाली बीमारी को खतम करिए।

(श्री कल्याणसिंह चौहान)

मैं तो कह रहा हूं कि जो कम जनसंख्या वाले गांव हैं, आप उनको पहले लीजिए। उनके पानी के बिल, बिजली के बिल जमा कराइये, आप उनको फ्री में पानी दीजिए। जो बेचारे परिवार नियोजन में सीमित रहे, उनके साथ आप अन्याय कर रहे हो। उनके बिल जमा गांव वाले कराएंगे, जनता जल योजना बिल गांव वाले जमा कराएंगे, गांव वाले चलाएंगे। मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि इस नियम को बदलिए। जनता जल योजना है, पुनः या तो किसी एन जी ओ के माध्यम से चलाइये, पी एच ई डी विभाग को दे दीजिए आप, इस दुर्दशा को वापस सही करिए। पंचायत के पास ना तो कोई टेक्निकल आदमी है, ना उनके पास कोई सम्भालने वाला है। माननीय मंत्री महोदया, दयनीय स्थिति है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इन्होंने सुराज संकल्प यात्रा में वादा भी किया था।

श्री कल्याणसिंह चौहान (नाथद्वारा): वादा किया था, तो हमें भी याद दिलाने में कोई दिक्कत नहीं है। आप क्यों टेंशन ले रहे हो?

मेरा आपसे यही निवेदन है कि इसमें जब भी आप रिप्लाई दें, तब, आपने स्वयं ने कहा था कि इस स्कीम को विभाग चलाएगा। जनता जल योजना है।

एक सेक्टर रिफार्म केन्द्र की अच्छी स्कीम थी, उस स्कीम को आप पुनः चालू करिए। गांव में एक कमेटी बन जाए, 10 परसेंट, 20 परसेंट एक बार सरकार उसके ऊपर पैसा लगा दे। पहले सेक्टर रिफार्म की बहुत अच्छी स्कीम थी, अच्छी चलती थी, गांव वाले उस स्कीम से पानी पी रहे थे। मेरा यही निवेदन है।

मेरे नाथद्वारा में सब डिविजन हैं ही नहीं। 41 पंचायतें हैं, पंचायत समिति हैं, उन पर सब-डिविजन आपका विभाग का नहीं है। आप रिप्लाई दें, तब सब-डिविजन खोलने की घोषणा करें, नाथद्वारा ग्रामीण सब-डिविजन की घोषणा करें। आप कहीं से भी शिफ्ट करें सब-डिविजन को यहां। बड़ी दयनीय स्थिति वहां पर हो रही है।

ये सब चीजें देखते हुए, मैं आपसे यही मांग करूंगा, मांग संख्या 46 ....

श्री सभापति: आप सीमित कर दें आप।

श्री कल्याणसिंह चौहान (नाथद्वारा): हम तो पहले ही बोलते नहीं। बोलते हैं तो फिर रोकते क्यों हो?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आसन ने पहले ही व्यवस्था दे दी है कि आप सीधा कटौती प्रस्ताव पर आकर पांच मिनट में अपनी बात को आसन या सदन तक पहुंचा दें।

श्री कल्याणसिंह चौहान (नाथद्वारा): हम उस क्षेत्र से आते हैं...

श्री सभापति: आसन की जो व्यवस्था दी जा चुकी है, आप उसको अमल करने का प्रयास करें।

श्री कल्याणसिंह चौहान (नाथद्वारा): आप टाइम खराब करते, तो मैं तब ही कह देता।

श्री सभापति: और बहुत कम समय में अपनी बता कह दो आप।

श्री कल्याणसिंह चौहान (नाथद्वारा): इतनी देर में तो मैं अपनी बात ही खतम कर देता।

मांग संख्या 46-जल संसाधन पर, माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदया को निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे वहां बाघेरी का डैम है, नंदसमंद बांध है, चिकलवा बांध है, इसी के ऊपर एक खारी फीडर बनी हुई है जो राजसमंद को भरती है; इसी के ऊपर नंदसमंद कैनाल है; डिली है, सासेरा है, बराई है, माता जी का खेड़ा है। वह भरने के बाद भोपाल सागर तक पानी जाता है। डिंडोली फीडर है, इस कैनाल से चित्तौड़ तक पानी जाता है। उस कैनाल की इतनी दयनीय स्थिति है। आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि सरकार-आपके-द्वार में आपने पांच करोड़ रुपये उसमें दिये हैं, लेकिन वह पर्याप्त नहीं है, इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि इस फीडर को अगर सही करा देंगे तो ये छोटे-मोटे सब, आपके समाज के काश्तकार वहां रहते हैं, उनका भला हो जाएगा। रेलमगरा, 14 पंचायतें मेरी हैं और 15 पंचायतें माननीय पी एच ई डी महोदया की हैं। वहां की दयनीय स्थिति है। मेरा पी एच ई डी मंत्रीजी से निवेदन है कि मेरी 14 पंचायतें जो बाघेरी से वंचित हैं, पेयजल से ग्रसित हैं, आज भी दस फोन आये हैं कि वहां फ्लोराइड-युक्त पानी है। वहां पर हिन्दुस्तान जिंक है, वेदांता है, वेदांता की वजह से वहां का पानी फ्लोराइडयुक्त हो गया। वह पानी पी नहीं सकते। उनके दांत खराब हो रहे हैं; उनके घुटने खराब हो रहे हैं; उनकी कमर खराब होने लग गई है। मेरा आपसे निवेदन है कि या तो आप मातृकुंडिया से उसको तत्काल जोड़ने की, रिप्लाई

(श्री कल्याणसिंह चौहान)

दें, उसमें घोषणा करें; बाघेरी से जोड़ें, या बाघेरी को एक मीटर रेज करके, या नंदसमंद को एक मीटर रेज करके, इस गांव को पानी की समस्या से निजात दिलाएं।

इसी आशा और विश्वास के साथ, आपने मुझे टाइम दिया, धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री सुरेश धाकड़।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान चल रहा है, पहले जब बरसात होती थी तो पुराने....

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह कटौती प्रस्ताव है क्या आपका?

श्री सभापति: आप बैठिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह व्यवस्था है कि कटौती प्रस्ताव पर बोलेंगे। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप बैठिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): क्यों बैठें? आप व्यवस्था दे चुके हैं, उस व्यवस्था पर चलने दीजिए। जल स्वावलम्बन कहां से आ गया? (व्यवधान)

श्री सभापति: आप बैठिए।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): आप कौन होते हों, आसन को इस प्रकार ...(व्यवधान) गलत बात है। आप हमारे साथी को कैसे बोल सकते हों? (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपने क्यों टोका मेरे को?

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): मैंने तो आपको कहा था। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सारे दिन यूं यूं, +++ ... (व्यवधान)

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): मैं दे दूंगा जवाब।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): कटौती प्रस्ताव आपके लिए लागू था खाली। (व्यवधान)

श्री सभापति: जो काम आसन का है, वह आप मत लो। (व्यवधान)जो काम आसन का है...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मेरे को डिस्टर्ब किया था। आपने क्या व्यवस्था दी? (व्यवधान)

श्री सभापति: आप बैठिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपने दी भी थी क्या व्यवस्था? (व्यवधान) मन ही मन मुस्कुरा रहे थे।

श्री सभापति: आप बैठिए। आप बैठिए, माननीय सदस्य।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सबको बराबर अधिकार है। सभापति महोदय, सबको बराबर अधिकार ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप बैठिए। अभी इन्होंने बोलना चालू किया है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप उस वक्त तो मुस्करा रहे थे।

श्री सभापति: आप बैठें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): रोक देते, सदन को; हाउस को आर्डर में लाते। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप बैठें।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): सभापति महोदय, इनका मुस्कराने से भी समस्या ...(व्यवधान) क्या चाहते हो इस हाउस से? कोई मुस्कराए भी नहीं?

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): सभापति महोदय ...(व्यवधान) साहब, आसन को धमका रहे हैं। साहब, आसन को धमकाया है अभी। यह अच्छी बात नहीं है।

श्री सभापति: आज कई माननीय सदस्यों को बोलना है ...(व्यवधान)

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): आसन को धमका रहे हैं, यह अच्छी बात नहीं है।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): माननीय सभापति महोदय, हम किसी भी नियम कानून ...(व्यवधान) अर्जुन जी, मैं जवाब दे दूंगा। मैं सबको संभाल

(श्री सुरेश धाकड़)

सकता हूं। इनको 24 का जवाब दे सकता हूं मैं। माननीय सचेतक महोदय से मेरा आग्रह है आपके माध्यम से कि हम नियम-कानून की...

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, आप सीधा कटौती प्रस्ताव पर बोलें। समय बहुत सीमित है।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): आप भी बोलेंगे तो मैं बैठ जाऊंगा, लेकिन कोई भी प्रश्न खड़ा किया तो उसका जवाब देना मेरा काम है।

श्री सभापतिः आप सीधा कटौती प्रस्ताव पर बोलें। आसन द्वारा व्यवस्था दी जा चुकी है। क्योंकि बहुत माननीय सदस्यों को बोलना है, इसलिए आप सीधे कटौती प्रस्ताव पर आ जाएं। आपकी जो मांग है, वह कह दो ना आप।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): माननीय सभापति महोदय, दूसरों पर नियम कानून बनाने से पहले हम अपने गिरीबान में झांकें कि क्या मैंने कटौती प्रस्ताव दिया है? उस पर मैं बोला हूं क्या? रिकार्ड देख सकते हैं। मैं जो बोलूंगा, मेरे कटौती प्रस्ताव में शामिल होगा, वही बात करूंगा; नहीं हो, तो मेरा कटौती प्रस्ताव माननीय सचेतक महोदय के पास पहुंचा दें। लेकिन पहले मेरी बात सुन लें।

मुख्य मंत्रीजी ने जो जल स्वावलम्बन अभियान चलाया, उसके लिए धन्यवाद मैं इसलिए दे रहा था कि पुराने लोग, जब बरसात होती थी तो पानी बहकर जाता था, तो उसे बहकर नहीं जाने देते थे। नाले में पानी गया, नदी में गया, समुद्र में गया, खारा हो गया और समाप्त। लेकिन पुराने लोग लकड़ी का गट्टा रख करके, चारे-घास का रख करके, उसको कुएं में डालते थे। उससे पानी चार्ज होता था। वही अभियान वापस मुख्य मंत्रीजी ने शुरू किया। तो मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं।

जल दिवस पर माननीया किरणजी माहेश्वरी ने एक हस्ताक्षर अभियान चलवाया, सभी विधायकों को उसके लिए प्रेरित किया। मैं माननीय मंत्री महोदया को भी धन्यवाद देता हूं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र के भैंसरोडगढ़ में, हां, उसमें देख सकते हों, कटौती प्रस्ताव मंगवा लो; भैंसरोडगढ़ में जो 51 करोड़ रुपये की पेयजल योजना की स्वीकृति दी, उसके लिए मैं पानी वाली बहनजी को धन्यवाद देता हूं कि मेरे विधान सभा में काम किया और डोटासराजी भी सुन लें, 51 करोड़

(श्री सुरेश धाकड़)

रुपये के विकास कार्यों को वे देख सकते हैं, कि वित्तीय स्वीकृति कहां जारी हुई।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): पानी वाली बहनजी, कौनसी?

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): किरणजी माहेश्वरी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हां, तो मंत्री महोदया हैं ये तो।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): वह हमारा मामला है। आप कौन होते हों बीच में बोलने वाले?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सम्माननीय मंत्री महोदया हैं। पानी वाली बहनजी, यह क्या नया नाम लाए हों आप?

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): आप कौन होते हों? आप महिलाओं का कितना सम्मान करते हों, अभी आ गया सामने। महिलाओं को आगे कर रहे हो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ऐसे सदन का अपमान तो मत करो, मंत्रीजी का, पानी वाली बहनजी।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): आप कौन होते हों बीच में बोलने वाले? बैठ जाइये, प्लीज।

एक माननीय सदस्य: बहनजी तो कहा था। (व्यवधान)

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): सभापति महोदय, मैं दो-पांच मिनट में अपनी बात खतम करूंगा, लेकिन कुछ मेरा निवेदन है, मेरा समय नहीं कटेगा इसमें। देख लेना आप।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): सभापति महोदय, ये तो हैं पानी वाली बहनजी और ये हैं बछवाड़िया भाई साहब हमारे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैंने तो सुना नहीं। दुबारा बताओ।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): नहीं, नहीं, नहीं। रहने दो, प्लीज। छोड़ो ना।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): हमारे मेवाड़ में कहते हैं, जो ज्यादा बछवाड़ करता है, उसे बछवाड़िया भाई साहब कहते हैं।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): हकाऊ नहीं करते हैं क्या, हकाऊ करते हैं, जैसे।

(श्री सुरेश धाकड़)

सिंगल फेज मोटर की पानी की समस्या होती है। कहीं विधायक कोष से, सांसद कोष से, या पी.एच.ई.डी. की कोई स्कीम है, तो वहां बोर हो जाता है, सिंगल फेज मोटर डाल देते हैं, लेकिन उसका कनेक्शन आदमी इसलिए नहीं लेता है कि उसके रेट बहुत ज्यादा हैं। यह पी.एच.ई.डी. और आर.एस.ई.बी., दोनों का मामला है। क्योंकि जब कनेक्शन लेगा, तो उसका बिल बहुत ज्यादा आता है। उसकी कॉमर्शियल रेट लगती है, 6 हजार से 7 हजार, 8 हजार उसका बिल आता है। लेकिन इसको अगर घरेलू कनेक्शन में गिन लिया जाये, सिंगल फेज मोटर को, दोनों डिपार्टमेंट मिल करके, तो आदमी चोरी करने का प्रयास भी नहीं करेगा। उसको बिजली का कनेक्शन मिल जायेगा और पानी का जो सबसे ज्यादा संकट पैदा होता है, हर गांव में 15-20 दिन मोटर बंद रह जाती है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, एक्सपंज कराओ। बाई, बाई, बाई। यह सदन का अपमान है। अच्छा नहीं लगता। हमें भी अच्छा नहीं लगता।

श्री सभापति: अब बैठें आप।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह एक्सपंज कराओ। पानी वाली बाईजी, कोई नहीं होता है। माननीय मंत्री महोदया। (व्यवधान)

श्री सभापति: आसन को क्या करना है, माननीय सदस्य, आसन कर देगा। आप बैठें।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): पानी वाली बहनजी कहा है। वापस रिपीट कर रहा हूं मैं इसको, सुन लो। (व्यवधान) माननीय सचेतक महोदय, थोड़ा सुनना भी सीखें। पूरी बात खतम हो जाये। और बहस करनी है, सभापति महोदय इजाजत दें, मैं कांग्रेस के हर कारनामे पर बहस करने के लिए तैयार हूं। बोलता नहीं हूं, इसका मतलब कमजोर नहीं हूं। फिर सुन लो। कुछ सुझाव दे रहा हूं, प्लीज सुनने दें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मेरे को भी तो डिस्टर्ब किया था।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): तो मैं तैयार हूं ना। I agree with you. आप तैयार हो, मैं बहस के लिए तैयार हूं। सभापति महोदय, 15 मिनट का समय दिला दें। (व्यवधान)

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): सभापति महोदय, डोटासराजी तो कह रहे थे, बहनजी, बहनजी, उधर। आपने ही तो शुरुआत की है। आप खुद ही कह रहे थे, बहनजी। जब आप डर गये थे, तो आप माननीय सदस्यों को बहनजी कह रहे थे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): बहनजी कहना है, बहनजी कहो, शान से कहो, लेकिन पानी वाली बहनजी नहीं कह सकते।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): सभापति महोदय, एक बात कहना चाहता हूं कि बिजली के बिल में दिक्कत आती है। उसमें क्या है कि एस.एफ.सी. का जो पैसा आता है, पंचायतें उसको जमा कराती हैं। जैसे हम किसी बैंक से लोन लेते हैं और बैंक में जैसे किसी कार का लोन लिया और वह कम्प्यूटर में मार्क कर देते हैं, तो उसके बाद जैसे उसके खाते में पैसा आया तो वह उस कार की किश्त कट जाती है। ऐसे ही एस.एफ.सी. के अन्दर कोई नार्म्स बना करके पंचायती राज वाले पंचायत में कोई बैरिकेड डाल दें कि सी.सी. रोड और नाली बनाने से पहले पी.एच.ई.डी. का पैसा जमा कराना होगा, ताकि एक संकट दूर हो सकता है। राजस्थान में बिजली के बिल को ले करके और पानी को लेकर समस्या होती है, उस पर मेरा एक सुझाव है।

दूसरा, सोलर ऊर्जा को लेकर, सौर ऊर्जा को लेकर बात हुई। जो सोलर पम्प लग रहे हैं, तो पहले उन गांवों को प्राथमिकता दी जायें जो नॉन-इलेक्ट्रिफाइड हैं और जो फोरेस्ट एरिया में आते हैं। वहां अगर सोलर लगेंगे, सोलर पम्प लगेगा, तो वहां जो नॉन-इलेक्ट्रिफाइड एरिया है, उसको सुविधा मिल जायेगी और वहां पानी की व्यवस्था हो सकती है।

एक मेरा निवेदन है, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कि जो किराणा की दुकान है, जो व्यावसायिक, उनको कॉमर्शियल मानकर पानी के बिल दे दिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह किरण की दुकान कहां से आ गयी?

श्री सभापति: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह किरण की दुकान कहां से आ गई? चाहे जैसे बोल रहे हों। सदन में चाहे जैसे बोल रहे हों।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, ये बार-बार खड़े हो जाते हैं। यह गलत बात है आपकी। (व्यवधान)

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): मुझे लगता है कि सचेतक महोदय को ... (व्यवधान) 50 साल की उम्र हो गई है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ये भाषा बोल रहे हैं, किरण की दुकान। कहां से आ गई किरण की दुकान?

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): बैठे रहिये आप। यह कोई तरीका थोड़े ही है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): किरण की दुकान।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): सभापति महोदय, फेविकोल का अरेंजमेंट कराओ, फेविकोल का। एक फेविकोल मंगवा लो।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): माननीय सभापति महोदय, एक बात बता रहा हूं...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप पूरी बात सुन लिया करें। कोई टोकना जरूरी है क्या?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मेरे को नहीं टोका था क्या?

श्री सभापति: आप बैठें। आप बैठें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मेरे को नहीं टोका था क्या?

श्री सभापति: क्या बात कर रहे हैं? (व्यवधान) माननीय सदस्य, बैठें आप।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैं माननीय सदस्य नहीं हूं क्या सदन का? मेरे को कितना टोका था इन्होंने। (व्यवधान) एक दफा खड़े हो जाएं, दो दफा हो जाएं। पूरे समय में ही डिस्टर्ब किया था।

श्री सभापति: अब बैठें आप।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सदन में सबका बराबर अधिकार है। हम संख्या में कम हो सकते हैं, लेकिन स्वाभिमान बेच कर नहीं आये हैं यहां।

श्री हीरालाल (निवाई): आसन पैरों पर। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अकेले आपको ही बोलना नहीं आता है, बाकी लोगों को भी बोलना आता है। इतना स्प्रिंग की तरह से उछलो मत। कोई काम की बात हो, कभी कहो, तो लोग समझेंगे कि बहुत अच्छी बात की; नहीं तो ऐसे लगेगा कि बेफालतू बोलता है।

एक माननीय सदस्य: अख़बार में आने के लिए बोलता है।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): सभापति महोदय, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जो पानी के बिल बढ़े हैं, जिनके दुकान हैं, उन सबको कॉमर्शियल कर दिया। अगर किसी के 10x20 की साइज है, मैं मुद्दे की बात कर रहा हूं, उनको भी यह समझ में आ जाएगा। थोड़ी देर बाद समझ में आता है कुछ लोगों को। क्योंकि इनके पप्पू को भी बाद में समझ में आता है। मोदीजी ने भी कहा है वहां। तो 10x20 की दुकान है, या 12x20 की दुकान है, उसमें कोई किराणे की दुकान करता है, उसने नल का कनेक्शन ले रखा है, उसको एक मटका भरना होता है, लेकिन उसका कॉमर्शियल बिल दे दिया। यह हमारी सरकार ने किया है। मैं सरकार से और माननीय मंत्री महोदया से मांग करता हूं कि 10x20, 12x20, कोई छूट देनी चाहिये 200 स्क्वायर फीट या 300 स्क्वायर फीट में; उस आदमी को केवल एक पानी का मटका भरना है, तो उसका बिल कम होना चाहिये। माननीय मंत्री महोदया से मैं इस सदन के माध्यम से यह मांग करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, पानी की जिस प्रकार से समस्या चल रही है, सरफेस वाटर पर कोई योजना बनाने की जरूरत है। हमारे वहां पर, माननीय मंत्री महोदया का ससुराल भी बसूंडा में है, मेरे गांव से तीन किलोमीटर दूर है। ये चित्तौड़ जिले की बहू हैं और बहू का कर्तव्य होता है कि वहां सब लोगों के लिए पानी की व्यवस्था करें। घोसूंडा बांध है, उस घोसूंडा बांध से पानी की व्यवस्था हो सकती है। उस घोसूंडा बांध से गंगरार, भदेसर, चित्तौड़ और कपासन, इस पानी की कमी को देखते हुए एक योजना बनाई जाये, ताकि सब लोग किरणजी को भी याद करें कि हमारी बहू राजस्थान में मंत्री बनीं, तो चित्तौड़ में सब लोगों के लिए पानी की व्यवस्था कर दी। ऐसी कोई योजना बननी चाहिये।

मेरे बेगूं नगर में पाइपलाइन की कोई तकलीफ है। थोड़ा मंत्री महोदया से निवेदन है कि वहां पर कोई व्यवस्था हो जाये। रावड़दा, शादी ठुकरई की पेयजल योजना अगर बन सकती है, तो उस पर विचार करें।

मैं दूसरे मुद्दे, सिचांई मंत्रीजी के वहां पहुंचता हूं। मेरे वहां पर 12 साल से दो बांध बन रहे थे। वहां जो अभी बात हो रही है ना, तो उठ-उठ कर खड़े हो रहे हैं सब लोग। वहां पत्थर लगे हुए हैं, इनके, सबके; देख सकते हैं, तीन-तीन पत्थर लगे हुए हैं। मैं रामप्रतापजी को धन्यवाद देता हूं, इस माई के

(श्री सुरेश धाकड़)

लाल ने वहां 12 सालों में मेरे धानला और मालादेवी, दोनों बांध स्वीकृत किये और वे बांध आज बन गये और आने वाले समय में उनको बुला करके उनका उद्‌घाटन कराएंगे। कोई यह कहता है कि काम नहीं किया, नहीं किया; मैं गिना रहा हूं।

नदियां जोड़ने की बात हो रही है, जुड़नी चाहिए। नदियां जुड़ेंगी, तो इस देश का भला होगा। मेरे वहां दो बांध हैं, जलसागर बांध और राजघाट बांध। दोनों के बीच में एक कैनाल बना करके उनको आपस में जोड़ दिया जायें। केवल मात्र 60 लाख का खर्चा है, लेकिन दोनों बांधों के जुड़ने से वहां सैकड़ों किसानों का भला होगा। इसके अलावा, उस ओवरफ्लो पानी को अगर राजगढ़ में डाल दिया जाये, तो वहां सैकड़ों किसानों को खेती में मदद मिलेगी।

मेरे एक ग्राम पंचायत है गोपालपुरा, उसमें आदिवासी भाई रहते हैं, सब भील समाज के लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं। कई बार 'राजस्थान पत्रिका' और 'भास्कर' में शीर्षक बना कि ट्यूब के सहारे जिंदगियां स्कूल पहुंचती हैं। उनका गांव एक तरफ है, स्कूल एक तरफ है, उनके खेत एक तरफ हैं। तो ट्यूब के सहारे उस नदी में होकर निकलते हैं। अगर वहां एक छोटा-सा, ओरई डैम का जो भराव क्षेत्र है, एक 50 लाख रुपये का वहां एनिकट-कम-कॉजवे बन जाए, तो उन लोगों को थोड़ी मदद मिल जाएगी।

अभी हम कुछ लोग सरकार में मदद के लिए लगाते हैं...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनट में ही खतम कर रहा हूं। कुछ लोग प्रश्न लगाते हैं, तो उसमें यह लिखा हुआ आता है कि संसाधन के अभाव में यह काम नहीं हो सकता, या संसाधनों की उपलब्धता पर यह काम करा दिया जायेगा। तो, सभापति महोदय, आपके माध्यम से एक निवेदन है कि हमारे वहां एक आर.ए.पी.पी. है, वह 16 करोड़ रुपये देने के लिए तैयार है। उसके लिए पेयजल योजना बन सकती है। उन्होंने सैद्धान्तिक सहमति दे दी। दोनों मंत्री महोदय यहां विराजमान हैं, अपने अधिकारियों से कह करके उसकी एन.ओ.सी. दिलाएं, क्योंकि मैंने आठ महीने पहले एप्लाई किया था, तो सरकार का पैसा बच जाएगा।

एक अंतिम निवेदन है मेरा कि घोसूंडा बांध, जिसको पानी पिलाने की

(श्री सुरेश धाकड़)

बात कर रहा था मैं अभी, अगर उस बांध की कभी भविष्य में ऊंचाई बढ़ानी पड़ी, तो ऊंचाई बढ़ाने पर वहां पास में एक फोर-लेन सड़क निकल रही है, वह सिक्स-लेन होने वाली है, दोनों डिपार्टमेंट्स की एन.ओ.सी. की जरूरत होगी। अगर उस फोर-लेन शिफ्ट में 10 किलोमीटर का टुकड़ा दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाये, तो भी सौ करोड़ रुपये में काम हो जायेगा, लेकिन आने वाले पांच-छह साल बाद में शिफ्ट करोगे, तो एक हजार करोड़ का सरकार को नुकसान होगा। तो दोनों मंत्री महोदय उसकी एन.ओ.सी. देने से बचें, क्योंकि वह डूबने में आयेगा ही आयेगा।

एक मेरे वहां बांध है राणा प्रताप सागर, जिसको बनने के 35 वर्ष बाद भी एक जो डाउनस्ट्रीम में सबसे लास्ट वाला स्लूज गेट होता है, वह खुला नहीं है। उसको खोलना इसलिए जरूरी है, क्योंकि मेरे वहां न्यूक्लीयर पावर है। न्यूक्लीयर पावर का अगर कोई अवशेष बहकर आता है, तो वहीं जमा होता है। तो 35 वर्षों से वह कचरा अगर वहां इकट्ठा हो रहा है, कोई महामारी फैल सकती है, भयानक रोग भी हो सकते हैं। तो उस स्लूज गेट को खुलवाने में कोई खर्चा नहीं है, लाख-पचास हजार रुपये की मेंटीनेंस का खर्चा हो सकता है। तो उसके लिए जरूर थोड़ा-सा मंत्रीजी से आग्रह है।

(16.00 बजे)

एक अन्तिम निवेदन है कि ब्राह्मणी नदी, जो बीसलपुर का है, बोलकर, बीसलपुर क्या, कैचमेंट, ऐसा कोई नार्म्स बना हुआ है; तो पिछली बार जब वसुन्धराजी ने बजट में एक घोषणा की थी कि ब्राह्मणी नदी पर बांध बनाकर हम पानी बीसलपुर में लाएंगे, तो अगर वह बांध बनता है, और वह मेरे विधान सभा क्षेत्र में है इसलिए मैं बोल रहा हूं और मैंने कटमोशन में भी दे रखा है; वहां अगर बांध बनकर पानी का डाइवर्शन बीसलपुर में करते हैं, तो हमारे वहां छूट मिलेगी। तो माननीय कल्याण सिंहजी जो अभी कह रहे हैं कि हमारे वहां पर भी बैन लगे हुए हैं, तो सभी जगह इस बैन से भी छूट मिल जाएगी और सब जगह पानी की व्यवस्था हो जाएगी।

आप सभी ने बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अभिषेक मटोरिया।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): माननीय सभापति महोदय, समय का विशेष ध्यान रखते हुए, ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप टोका-टोकी मत करो, भाई, बहुत कम समय है।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): माननीय सभापति महोदय, समय का विशेष ध्यान रखते हुए, पेयजल और सिंचाई पर अपने क्षेत्र से सम्बन्धित मुख्य मांग और वर्तमान सरकार द्वारा, मंत्री महोदया द्वारा जो विशेष प्रयास विधान सभा क्षेत्र नोहर और हनुमानगढ़ जिले में किये गये, उनके लिए मैं आभार प्रकट करने के साथ-साथ, क्षेत्र से सम्बन्धित कुछ सुझाव भी देना चाहूंगा।

स्वर्गीय भैरोंसिंहजी के समय जर्मन टेक्नोलॉजी की मदद से नोहर, भादरा और पीलीबंगा, हनुमानगढ़ जिले के इन तीनों विधान सभा क्षेत्रों में 'आपनी योजना' प्रारम्भ की गयी थी और इस योजना के प्रारम्भ से लेकर अब तक लगभग 14 से 15 वर्ष बीत जाने के बाद वह योजना अब अपनी गारंटी अवधि, अपने पीरियड में आ चुकी है और उसमें रिपेयर की, नवीनीकरण की सख्त आवश्यकता है। पहली बार जब हम एक डेलीगेशन के रूप में मंत्री महोदया से मिले, तो पहल करते हुए जलदाय मंत्री ने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय लिया। इन तीनों विधान सभा क्षेत्रों का हैडक्वार्टर, एक तरफ सरदारशहर, जो कि चूरू में, और दूसरा हैडक्वार्टर तारानगर लगता था, इस पीड़ा को जलदाय मंत्री ने समझा और चूरू जिले से, इस हनुमानगढ़ जिले के लगभग डेढ़ सौ गांव जो लाभान्वित होते थे, उनका हैडक्वार्टर पुनः नोहर स्थापित किया, हनुमानगढ़ जिले में स्थापित किया, एक्स.ईएन. आफिस वहां स्थापित किया और आज वहां का संचालन, संधारण और जितना भी कार्य पहले सरदारशहर, तारानगर और चूरू में हुआ करता था, वह पुनः तीनों विधान सभा क्षेत्रों का, हनुमानगढ़ जिले का, संचालन अब नोहर मुख्यालय पर होता है।

मैं मंत्री महोदया को विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा और उनका ध्यान भी आकर्षित करना चाहूंगा, राजगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य के जवाब में आपने एक बड़ा, प्रश्न के जवाब में आपने एक बहुत बड़ा उत्तर भी दिया था और आपने यह कहा था कि राजस्थान सरकार 'आपनी योजना' को, स्वर्गीय भैरोंसिंहजी के सपने को, इस जर्मन टेक्नोलॉजी का सदुपयोग करते हुए, घर-घर पानी पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है और पहली बार एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय किसी जलदाय मंत्री ने लिया और इसकी डी.पी.आर. के लिए भी आपने आदेशित कर दिया, परन्तु थोड़ा-सा कार्य धीमी गति से चल रहा है और आपकी मॉनिटरिंग की आवश्यकता है। पुनः हम चाहते हैं कि इस योजना को, पूर्ववर्ती सरकार के समय जिसका बंटाढ़ार हो गया था, नवीनीकरण नहीं हुआ

(श्री अभिषेक मटोरिया)

और जो इस योजना का मुख्य उद्देश्य था, वह तार-तार हो रहा था, इसलिए चूरू विधान सभा क्षेत्र, तारानगर विधान सभा क्षेत्र, नोहर और पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र, ये जो आपस में कनेक्टेड हैं, इन चारों विधान सभा क्षेत्रों के लिए आपने कहा था कि मैं घोषणा करती हूं कि 50 प्रतिशत राशि राज्य सरकार और 50 प्रतिशत लाभार्थी, ये अगर मिलकर वहन करें तो इस योजना की आंतरिक वितरण प्रणाली को हम सुदृढ़ करने का काम करेंगे, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी घोषणा थी। नेशनल वाटर रूरल डवलपमेंट प्रोग्राम के तहत आपने कहा था कि यह चार हजार की आबादी को घर-घर जोड़ने का कार्य है, मैं यह प्रयास करूंगी कि तीन हजार से चार हजार तक भी अगर कोई कार्य इसमें आएंगे, तो वे जोड़े जाएंगे। यह बहुत बड़ी घोषणा है। मैं धन्यवाद देने के साथ-साथ, आपका सभापति महोदय के माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इस योजना में हमें और अधिक कार्य करने की आवश्यकता है, ताकि विशेष रूप से चूरू और हनुमानगढ़, ये दोनों जिले जो बहुत बड़ी तादाद में 'आपनी योजना' से लाभान्वित होते हैं, पेयजल लेते हैं, उनको एक बहुत बड़ी ताकत, एक बहुत बड़ा सम्बल मिलेगा।

इसके साथ-साथ प्रथम बार नोहर मुख्यालय पर, नोहर के ऑग्मेंटेशन की एक स्कीम बनी, लगभग 9 करोड़ की राशि है और कांग्रेस सरकार के समय मैंने विधान सभा में भी कई बार यह मांग उठाई, परन्तु वह लम्बित है। मैं चाहूंगा कि नोहर शहर में भी, वह जो 9 करोड़ की राशि की स्कीम बहुत लम्बे समय से वंचित है, शहर में पानी का एक बहुत बड़ा संकट था जो काफी कम हो गया, उसका सुधार करने के लिए, जब आप घोषणा करें, जब आप बोलें, तो मेरा निवेदन है कि कृपया उसको भी आप ध्यान में रखें।

इसके बाद, माननीय सभापति महोदय, सिंचाई मुख्य रूप से अपने आप में एक बहुत बड़ा महकमा है। हनुमानगढ़ जिले में वसुन्धराजी ने एक बात को पहचाना। स्वर्गीय रामचंद्रजी कड़वासरा एक समय में बहुत ताकतवर मिनिस्टर थे और लगभग सात पोर्टफोलिओ थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे। उनके बाद से लेकर आज तक पहली बार हनुमानगढ़ जिले में हमारी मुख्य मंत्री महोदया ने न केवल हमें एक कैबिनेट मंत्री के रूप में डॉक्टर रामप्रतापजी जैसे होनहार और मेहनती व्यक्ति के रूप में, सिंचाई महकमे को जलदाय महकमे से अलग करके इस बात को पहचाना कि सिंचाई कृषि की जान है और दोनों आपस में जुड़े हुए हैं; सिंचाई तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए डॉक्टर रामप्रतापजी

(श्री अभिषेक मटोरिया)

को आपने सिंचाई मंत्री महोदय बनाया, जिसके परिणामस्वरूप इनके डिपार्टमेंट में भी दो-तीन बड़े ऐतिहासिक निर्णय लिये गये। इससे पहले नोहर और भादरा, जो पूर्ण रूप से सिंचाई पर आधारित हैं, आपका मुख्यालय उपखण्ड भादरा और नहर, दोनों का हनुमानगढ़ में हुआ करता था; आपने एक ऐतिहासिक निर्णय लेकर आर.एस.आर.डब्ल्यू.पी. का मुख्यालय हनुमानगढ़ से तोड़कर, उस खण्ड को तोड़कर, पुनः नोहर स्थापित किया और साहवा परियोजना का जो एस.ई. पहले बीकानेर में बैठता था, एक छोटी-सी समस्या हुआ करती थी, उसके लिए बीकानेर जाना पड़ता था, नोहर, भादरा के लोगों को, उस डिविजन मुख्यालय को तोड़कर पुनः नोहर बनाने का आपने काम किया। उसकी भी अब कार्ययोजना तैयार है। ये दो बहुत बड़े फैसले लिये और आजादी से लेकर आज तक सर्वप्रथम आपने यह जो पहल की, उसी के परिणामस्वरूप साहवा लिफ्ट अर्थात् कुंभाराम लिफ्ट में पहली बार किसानों को लगातार सात से आठ बारी पानी मिला, जो आज तक साहवा लिफ्ट पर नहर बनने के बाद कभी नहीं मिला। हमारी सरकार के समय 18 करोड़ का क्रॉस-रेग्यूलेटर, जो पूर्ववर्ती सरकार में लम्बित पड़ा था, जिनको इन्होंने छूने का भी काम नहीं किया, वह कार्य पूरा हो चुका है और अतिशीघ्र वह शुरू हो जाएगा, जिससे कि पूर्ण रूप से साहवा का जो पानी है, वह अच्छे तरीके से पोंड लेवल मेनटेन होने के बाद हमें मिल पाएगा।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में तीनों सिस्टम का पानी लगता है, एक तरफ भाखड़ा है, नोहर फीडर भी है, सिद्धमुख ब्रांच भी और साहवा भी है। माननीय मुख्य मंत्री महोदया की जो सोच थी, उन्होंने मुख्य मंत्री बनने के बाद सर्वप्रथम बजट अभिभाषण में, पूर्व मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत को यह कहा था, मुझे वह शब्द याद है कि आपके राज में भादरा और नोहर के हिस्से का जो पानी था, राजस्थान का जो पानी था, वह चोरी होकर हरियाणा जाया करता था, हरियाणा बेचा भी जाता था। इस बात को उन्होंने पहचाना और पहली बार एक बहुत बड़ी मुहिम आपके सानिध्य में चलाई गयी और पानी चोरी रोकने के लिए जो प्रयास आपने किये, वे न केवल पूरे सदन और पूरे जिले के सामने हैं, उन प्रयासों की बदौलत टेल तक पहली बार पानी पहुंचा।

इस चोरी को रोकने के साथ-साथ, बहुत सख्त कदम भी आपने उठाये। आवश्यकता है कि राजस्थान ड्रेनेज एक्ट में थोड़ा-सा बदलाव करने की,

(श्री अभिषेक मटोरिया)

कुछ और कठोर संशोधन करने की, क्योंकि अभी भी पूर्ण रूप से चोरी पर अंकुश नहीं लग पाया है और वह इसलिए, क्योंकि इतने लम्बे समय जो बिगड़ा हुआ सिस्टम था, उसको सुधार करने में, मैं मानता हूं, कुछ समय लगेगा। आपके प्रयास न केवल सराहनीय हैं, उन प्रयासों की बदौलत जो टेल के किसानों को पानी मिला; हम चाहते हैं कि यही योजना समय-दर-समय इतनी सुधर जाए कि न केवल पानी चोरी रुके, बल्कि हर किसान को, हर खेत को उसके हक का पानी मिले। इसी कड़ी में एक बहुत बड़ी पहल करते हुए पहली बार, मैं, माननीय सभापति महोदय, आपको बताना चाहूंगा कि पहली बार किसी भी लिफ्ट में, छह लिफ्ट साहवा योजना के अन्तर्गत आती हैं और उन छह लिफ्टों में लगभग 1,750, यानी 1,800 करोड़ रुपये केन्द्रीय मंत्री माननीया उमाजी ने स्वीकृत किये हैं और उन 1,800 करोड़ रुपयों द्वारा ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम पूर्ण रूप से राजस्थान में लागू हो जाएगा। इससे पहले पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में यह सिस्टम, ड्रिप और फव्वारा सिस्टम पूर्ण रूप से धरातल में चला गया था; हमने बात जरूर की थी ड्रिप और स्प्रिंकलर की, पर उसमें कोई विशेष कार्य नहीं किया, और इन 1,800 करोड़ रुपये के माध्यम से रेतीले धोरों पर न केवल फसल उग पाएगी, बल्कि फसल का उत्पादन भी बढ़ पाएगा, लागत भी कम आएगी और 'पर-ड्रॉप-मोर-क्रॉप', जो हमारे प्रधान मंत्रीजी की अवधारणा है, जो उनकी सोच है, जो सूरतगढ़ में सोइल हैल्थ कार्ड के समय भी उन्होंने यह बात कही थी, यह सोच कारगर हो पाएगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अपनी बात समाप्त करने से पहले, समय बड़ा कम है, तो मैं मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहूंगा कि अभी आप, मैं और सूरजगढ़ से पधारने वाले, तीनों विधायक सिंगरासर धरने पर गये थे, बहुत बड़ा लाठी चार्ज हुआ था। तो सिंगरासर माइनर, जो कांग्रेस के समय जिन्होंने बड़ी-बड़ी वाहवाही लूटने की कोशिश की और बिना पानी का प्रावधान किये सिंगरासर माइनर की डी.पी.आर., ड्रॉफ्ट रिपोर्ट बना दी, रफ रिपोर्ट बना दी; उस रिपोर्ट को पुनः वापस, जो 54 गांव ओरिजनल रूप से उस सिंगरासर माइनर के तले आते हैं, न केवल वह डी.पी.आर. रिवाइज हो, डी.पी.आर. रिवाइज होने के साथ-साथ, कैसे पानी का प्रावधान इसमें आए और कहां से हम पानी लाएं, डिप्रेशन से आए, नहर से आए, कैसे आ पाए, इस बात पर भी प्रकाश डालने के साथ-साथ, जो 14 गांव भादरा और 11 गांव मेरे नोहर विधान सभा क्षेत्र के हैं, जो सिंचाई

(श्री अभिषेक मटोरिया)

सुविधा से बहुत लम्बे समय से वंचित हैं, उन सिंचाई सुविधाओं के साथ सुई ब्रांच, जिसका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और पानी के प्रवाह को वह तरस रही है, उस सुई ब्रांच को न केवल हम पानी के द्वारा वापस लूणकरणसर, सरदारशहर, नोहर और सूरतगढ़, इन चारों विधान सभा क्षेत्रों में सुई ब्रांच का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और पानी नहीं चल पाया कांग्रेस के राज में, उस सुई ब्रांच में भी हम पानी चलाने का काम करें।

इतनी बात मुझे आपके माध्यम से कहनी थी। आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री घनश्याम मेहर।

(अनुपस्थित)

श्री गिर्राज सिंह मलिंगा

(अनुपस्थित)

श्री राजेन्द्र यादव।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे मांग संख्या 27 और 46 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

राजस्थान में जिस तरीके से पानी की व्यवस्था है, उसमें हम बहुत पीछे हैं। जहां से व्यवस्था पानी के लिए हम करते हैं, उसमें बहुत कुछ करने की जरूरत है। कुओं का पानी बहुत गहराई में होता जा रहा है। बहुत जगह तो पानी 1,500 फीट, 1,800 फीट पर जा रहा है। महोदय, पेयजल की स्थिति से हमारा जयपुर ग्रामीण, अलवर, चूरू, सीकर, झुन्झुनूं, ये भयंकर रूप से ग्रसित हैं और यहां पर जिस तरीके से आज स्थिति है, मीलों से लोग पानी लेकर आते हैं, महिलाएं पानी लाती हैं।

इसमें मैं जल संसाधन मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि यमुना के जल के बंटवारे के सम्बन्ध में 2001 में जल संसाधन नदी विकास मंत्रालय द्वारा राजस्थान को यमुना नदी से ताजेवाला से 1,917 क्यूसेक्स और ओखला-दिल्ली से 1,881 क्यूसेक्स की हद तक यमुना नदी से मानसून का पानी आबंटित किया गया था, जिस पर आज तक पूर्ववर्ती किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। दिनांक 7.10.2014 को माननीया उमा भारती जी को और प्रधान मंत्रीजी को मैंने पत्र लिखा था। उमा भारती जी ने जवाब दिया कि आप

(श्री राजेन्द्र सिंह यादव)

अपने विधान सभा से अपनी राज्य सरकार से इसमें कोई योजना बनवावें। मैंने माननीया मुख्य मंत्रीजी को इस बारे में पत्र लिखा। माननीया मुख्य मंत्रीजी के यहां से जल संसाधन मंत्रालय को यह पत्र गया। उसके बाद इस पर कोई कार्ययोजना हुई नहीं।

यह जो पानी है, यह हमारे इन पांच जिलों के लिए यहां की लाइफलाइन साबित हो सकता है, अगर इसकी योजना कोई ढंग से बनाई जाए। मुझे उस समय किसी अधिकारी ने यह कहा, जब मंत्रालय में गया, कि यह पैसा ज्यादा लगेगा और इससे उतना फायदा हमें लगता नहीं है, मानसून के पानी से। मेरा सोचना है कि हमारे इन पांच जिलों में लगभग हम किसान को बिजली की सब्सिडी पर, जहां पहले वाटर लेवल ऊपर था, एक पांच हार्स पॉवर की मोटर चलती थी, आज वहां 15 हार्स पॉवर की मोटर चल रही है, सब्सिडी के रूप में ही हजारों करोड़ों रुपया सालाना हम लोग दे रहे हैं। उसके अलावा हैण्डपम्प खुदते हैं, सिंगल फेज लगते हैं, कुएं खुदते हैं, पानी के बड़े ट्यूबवेल बनते हैं और साल-दो साल में वे फेल हो जाते हैं। उसमें भी हमारा 500-700 करोड़ रुपया सालाना खराब होता है। अगर हम इन सारी चीजों को देखें, तो यह जो हमारे मानसून का पानी है, इसको चैनेलाइज करके हम ले आएं। हरियाणा सरकार से बीच में इसमें बात करनी होगी और अब तो आपका दोनों जगह राज है। तो इससे इस पूरे क्षेत्र के लिए पेयजल के लिए भी और कृषि के लिए भी, दोनों के ऊपर बहुत अच्छा असर आ सकता है।

माननीया मंत्रीजी से मैं अपने क्षेत्र के लिए निवेदन करूंगा। पिछली बार आपने 1,500 से 4,000 की आबादी के लिए पेयजल की, मेरे यहां 22 गांवों में कोई व्यवस्था नहीं थी, तो उस समय आपने एक पत्र भी मुझे भेजा था, कोई योजना बनवाकर 11-12 करोड़ की, इन 22 गांवों की भेजी थी। उस पर आज तक कोई अमल नहीं हुआ। मैं यह चाहूंगा कि जो गांव इससे वंचित हैं, उनको इसमें जोड़ने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री शंकरलाल शर्मा।

श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा): आदरणीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 27 और 46 पर अपनी बात रखने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार।

आदरणीय सभापति महोदय, मैं आज राजस्थान में दौसा क्षेत्र से आता हूं और शायद राजस्थान में सबसे ज्यादा पानी के लिए त्रस्त अगर कोई एरिया

(श्री शंकर लाल शर्मा)

है, तो वह दौसा है। आदरणीय मंत्री महोदया भी पिछले टाइम में पधारी थीं, उनके सामने भी यह सारी समस्याएं आयीं कि दौसा को पानी आज 120 से 144 घंटे में और वह भी मुश्किल से 20 और 25 मिनट में दिया जा रहा है। आज दौसा क्षेत्र की बर्बादी भी ऐसी हुई है कि जिसके लिए पी एच ई डी विभाग में ढाई सौ करोड़ रुपये का घपला और उसकी जांच और तीन एक्स ईएन निलम्बित हो चुके, लेकिन इसका खामियाजा दौसा की प्रजा को हो रहा है।

मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मंत्री महोदया, आप पधारीं और आप दौसा की समस्या से अवगत हुईं। दौसा का पूरा पश्चिमी बेल्ट, जहां पर फ्लोराइड है और साढ़े तीन हजार के ऊपर टी.डी.एस. है। आपको सारी योजनाएं भी हमने दीं और उन गांवों को भी पानी उपलब्ध करवाने के लिए आपके सामने प्रस्तुत किया। आपने हमारी बात को सुना, हमारी प्रजा का ध्यान रखा और उसके लिए उन योजनाओं को स्वीकृत करने के साथ-साथ, दौसा को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए बजट के अन्दर सबसे पहले आदरणीया मुख्य मंत्रीजी ने 'तत्काल प्रभाव से', यह शब्द बजट में ही है कि तत्काल प्रभाव से दौसा को पानी बीसलपुर योजना, जो कि तूंगा तक जा चुकी है, उससे जोड़कर पानी पिलायेंगे। मैं दौसा की जनता की तरफ से आपका बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने हमारी सबसे बड़ी समस्या को अपनी खुद की आंखों से देखा, सुना और उसके कारण आपने 14 करोड़ की योजना बजट में स्वीकृत करायी। मैं यह उम्मीद करता हूं कि यह जो 'तत्काल' शब्द बजट के अन्दर दिया है, यह कार्य तत्काल होकर दौसा को पानी मिल जाएगा।

इससे पहले, मैं एक महत्वपूर्ण बात की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, ईसरदा पेयजल योजना, जो कि 2004 से 2016 आ गया, 2015 के बजट भाषण में भी हमारी मुख्य मंत्रीजी ने दौसा को बहुत बड़ी सौगात दी थी कि ईसरदा से 530 करोड़ की योजना को स्वीकृत करते हुए दौसा को पानी पिलाने के लिए बजट में घोषणा की।

आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा एक बहुत बड़ी बात पर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। हमारी स्थिति के बारे में आपको बता दिया कि 144 घंटे में 20 मिनट पानी नहीं मिल रहा है, वह भी दौसा शहर को। गांवों की हालत इससे भी खराब है। आज यह सबसे बड़ी महत्वपूर्ण योजना है ईसरदा। ईसरदा के अन्दर डैम बनकर दौसा को पानी पिलाना था। यह 300

(श्री शंकर लाल शर्मा)

करोड़ की योजना से होते-होते आज यह योजना 1,865 करोड़ के ऊपर पहुंच गयी। अफसोस एक है कि आज मांग 27 और 46, पेयजल और सिंचाई, दोनों की डिमांड की बात है और दोनों ही मंत्री महोदय यहां विराजे हुए हैं, हमें दुःख इस बात का है कि जो योजना स्वीकृत हुई, आदरणीया मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि 27 मार्च, 2015 तक टेण्डर जारी हो जायेंगे। 27 मार्च, 2015, 2016 आ गयी और हमने इर्रिगेशन के, यहां सिंचाई विभाग के सभी अधिकारी भी बैठे हैं, मंत्री महोदय भी विराजे हुए हैं, बार-बार कि साहब, इस योजना का क्या हुआ; हमें एक ही जवाब मिला कि ज्यादा से ज्यादा 15 दिन में, ज्यादा से ज्यादा एक महीने के अन्दर हम टेण्डर जारी कर रहे हैं, हमारी पूर्ण कार्यवाही तैयार है। लेकिन वह 15 दिन, महीना आज तक नहीं आया और इसको 1,865 करोड़ की योजना बना दी गयी है। आज इतनी बड़ी योजना, वह केवल मात्र दौसा को पानी पिलाने के लिए नहीं है, शायद पूरे एरिया के लिए है, सवाई माधोपुर, टोंक, शायद जयपुर और दौसा, सभी को पानी पिलाने के लिए यह योजना बना रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा आग्रह करना चाहूंगा कि जो यह बजट घोषणा हुई है, दौसा को पेयजल के लिए हुई है। दौसा को पेयजल के लिए आपके योजना थी कि 2.55 टी.एम.सी. का बांध स्तर बना दिया जाए और जिसके लिए 530 करोड़, जो स्वीकृत हुआ, उसके अन्दर आराम से यह योजना बन जायेगी; लेकिन इस 2.55 टी.एम.सी. के बजाय योजना बना रहे हैं 10.55 टी.एम.सी. की और उसके लिए यह हालत हो गयी कि 1,865 करोड़ रुपये की योजना लगा दी गयी। ऐसे में यह योजना कब जा कर लगेगी, अब तक अंधकार में है। दोनों ही मंत्री महोदय यहां विराजे हुए हैं, आपसे एक ही निवेदन करना चाह रहा हूं कि जब 2.55 टी.एम.सी. के अन्दर काम हो रहा है और यह योजना 530 करोड़ रुपये के अन्दर ही हो रही है।

जहां तक जमीन अधिग्रहण का मामला है, पुनर्स्थापना का मामला है, तो शायद आज तक बीसलपुर बांध का भी सब की पुनर्स्थापना और सब को मुआवजा नहीं दिया गया। अगर 10.55 टी.एम.सी. चाहिए, तो जब तक वह तैयार होगा, जब तक उसकी डिमांड आगे बढ़ेगी, पानी का जल स्तर आगे बढ़ता जायेगा, वैसे-वैसे जमीन अधिग्रहण आप कर लीजिए और उनको मुआवजा दे दें। यह आज का नहीं है, यह पांच साल, दस साल, पन्द्रह साल आगे की बात है।

(श्री शंकर लाल शर्मा)

अभी हमने इर्रिगेशन अधिकारियों से बात की, तो वे यह कह रहे हैं कि हमें तो अभी सौ-सवा सौ करोड़ चाहिए और सौ-सवा सौ करोड़ मिल जायेगा, तो हम इस बांध का काम चालू कर देंगे और दौसा के पेयजल की पूर्ति हम इससे करवा देंगे।

आज भी वहां पर एक टी.एम.सी. के लगभग तो पानी हर समय मौजूद रहता है। आज हमारी इस स्थिति को देखते हुए, आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन है, इन फाइलों को शायद ये अधिकारी लोग या इंजीनियर्स हैं, कहां पर फाइल इधर से उधर, इधर से उधर से हो रही है और यह फाइनल नहीं हो रही है। मैं आप दोनों से यही निवेदन करना चाहूंगा कि आदरणीया मुख्य मंत्रीजी ने सुराज संकल्प यात्रा के बाद में 2015 के अन्दर घोषणा की और उन्होंने यह आश्वासन दिया कि दौसा को हम किसी हालत में पानी पिला कर रहेंगे और इसीलिए 14 करोड़ रुपये तत्काल बीसलपुर से पानी पिलाने के लिए आपने दिये, लेकिन वह पानी ज्यादा नहीं मिल पायेगा।

हमारा आपसे यही निवेदन है कि अगर ईसरदा के डैम को बनायेंगे, तो सवाई माधोपुर, टोंक, दौसा ही नहीं, इसके पूरे बेल्ट को, सिंचाई के अन्दर भी बहुत काम आयेगा और सिंचाई के कारण नहीं, जो जल स्तर नीचे जा रहा है, उस बेल्ट के अन्दर कृषि पैदा होगी। आज बीसलपुर के कारण जो जल स्तर बढ़ा है, जो जमीनों के अन्दर नमी आयी है, उसी की हालत देख लीजिए कि टोंक के अन्दर किस तरीके से खेती हो रही है।

मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि इस ईसरदा की कम से कम अब के इस बजट में घोषणा कर दीजिए। सिंचाई विभाग वाले सभी अधिकारी जी बैठे हुए हैं, हमारे मंत्री महोदय बैठे हुए हैं, वे यह कह रहे हैं कि हम तो कल इसके टेण्डर जारी कर देंगे, हमने पूरी तैयारी कर रखी है। तो कृपया इस टेण्डर को जारी करवाने की कृपा करें।

साथ ही हमने आपके सामने विधान सभा क्षेत्र दौसा की योजनाएं रखी थीं कि हमारे बहुत सारे गांव जो कि साढ़े तीन हजार टी.डी.एस. में हैं और फ्लोराइड के खराब हालात में आ रहे हैं, उन पंचायत में जैसे कि बणियाना, भंडाना, जिरोता खुर्द, जिरोता कलां, नांगल बेड़सी, खेरवाल, नांगल गोविंद, बरखेड़ा, गुगोलाव, जयरामपुरा, सींगवाड़ा, मलारना, सबलपुरा, बरखेड़ा, अनंतपुरा, इन पंचायतों की हालत बिलकुल खराब है। इनके अन्दर हमने आपको योजनाएं

(श्री शंकर लाल शर्मा)

पहले भी दी हैं और शायद आपके पास सारी योजनाएं दौसा के अधिकारियों के द्वारा आ भी चुकीं। इनको जरूर अनुमोदन करके और दौसा की इस पेयजल समस्या से हमारे को कुछ निजात दिलवाएं।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

एक मिनट। मैं सिंचाई के लिए निवेदन करना चाहता हूं। मैं आदरणीय सिंचाई मंत्री महोदय को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज तक दौसा के अन्दर जो एक गेटोलाव बांध है, जो हमारी तीर्थ स्थली के नाम से जाना जाता है, उसके अन्दर एक रामगढ़ कैनाल आती थी, आज तक किसी ने सुध नहीं ली, लेकिन हमारे मंत्री महोदय ने 74 लाख रुपये इस कैनाल के करके और हमारे गेटोलाव में पानी पिलाने के लिए स्वीकृति दी है। उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरीके से सूरजपुरा डैम है, उसके अन्दर सिंचाई के लिए है। इनके अगर पानी आ जाता है, तो इसके बाद में इसको पेयजल के लिए ही उपलब्ध करवाएं।

साथ में, हमारी तीतरवाड़ा, पीलवा, जो एनिकट बने हुए हैं, उनके मरम्मत के लिए भी दिया जाए।

आज अगर दौसा के लिए थोड़ा-बहुत पानी मिल रहा है, तो केवल मात्र बाणगंगा के, बाणगंगा के लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह एक पूर्व निर्मित सरफेस बेरियर बना हुआ था, अगर आपके नियमों के अनुसार उसको तीन फीट ऊपर कर दिया जाए, बाणगंगा के अन्दर अगर हमारे को पानी मिल जायेगा, क्योंकि बाणगंगा के हालात ये हैं, वहीं से दौसा के नलकूपों के द्वारा पानी आ रहा है, आज जो नौ हजार लीटर पर-आवर पी.एच.ई.डी. के कानून के हिसाब से ट्यूबवेल से पानी मिलना चाहिए था, वह वहां पर आज तीन हजार, चार हजार, पांच हजार लीटर मिल रहा है। अगर आप यह एनिकट बनवा देते हैं, इससे बरसात का पानी आयेगा, जल स्तर बढ़ेगा। तो यह भी दौसा की पेयजल की हमारी समस्या को दूर करेगा।

मैं पुनः आपसे एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे दौसा के जीवन को बचाने के लिए ईसरदा डैम की स्वीकृति और बनने की स्वीकृति जल्दी जारी कर देंगे, तो हमारा जीवन बचेगा, वरना हम सब जयपुर की तरफ पलायन करेंगे।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अमृतलाल।

श्री अमृतलाल (सलूम्बर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग संख्या 27 और 46 के बारे में बोलना चाहूंगा। सबसे पहले पेयजल के बारे में दो शब्द कहना चाहूंगा।

मेरे विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में जयसमंद झील है और मीठे पानी की झील है, मानव निर्मित झील है और एशिया की सबसे बड़ी झील है। 2003-04 में पेयजल की स्कीम क्षेत्र के लिए बनी करीब 30 गांव में और उसमें दो पंचायतों में पाइप टूटने की वजह से आज तक पानी नहीं पहुंचा है। दूसरा, 2004-05 में सराड़ा और सलूम्बर के लिए उसी झील से योजना बनी और सराड़ा की कुछ पंचायतों में पाइप लीकेज होने की वजह से अभी भी ग्राम पंचायतें पानी से वंचित हैं।

सबसे महत्वपूर्ण 2005-06 की है सोम-कमला-अम्बा की, जहां 84 गांवों के शुद्ध पानी पीने के लिए स्कीम बनी, 57 गांव सलूम्बर तहसील के और 27 गांव सराड़ा के; 2005-06 में 24 करोड़ रुपये मंजूर हुए। काम डिले होने की वजह से सराड़ा के लिए एस्टिमेट रिवाइज हुआ 14 फरवरी, 2014 में 31 करोड़ 50 लाख रुपये का। स्टेट को पाइप खरीदने थे, अभी तक पाइप नहीं खरीदे गये, करीब 25 माह हो गये हैं, जिसकी वजह से वह टंकी जो 2005-06 में बनी थी, वह खराब होकर के गिरने लग गयी है। ऐसी स्थिति आ रही है।

सभापति महोदय, दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, वह बहुत महत्वपूर्ण है। 72 गांव हमारे सलूम्बर तहसील के और 21 गांव लसाड़िया, धरियावद विधान सभा क्षेत्र के जयसमंद किनारे पर हैं। वहां पानी फ्लोराइड है। उसके डी पी आर सर्वे के लिए माननीय मंत्री महोदया ने 111 लाख रुपये मंजूर किये हैं। उस स्कीम को गति देकर के उस क्षेत्र की जनता को शुद्ध पानी पीने के लिए व्यवस्था की जाये। यह मेरा निवेदन है।

इटालीखेड़ा और डगार की स्कीम भी आपके यहां विचाराधीन है। उसको भी गति देकर के पानी की व्यवस्था की जाये।

मेरा आपसे निवेदन है कि हमारा पूरा एरिया ट्राइबल है। जो 4 हजार की जनसंख्या का आंकड़ा है, उसको कम करते हुए 2 हजार, 1,500 या 2,500 के आसपास एक नीति बनाकर के तय करें, ताकि उस क्षेत्र के लोगों को बहुत पानी होते हुए भी जो नहीं मिल रहा है, वह मिल सके।

(श्री अमृतलाल)

सभापति महोदय, अब मैं माननीय सिंचाई मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जो जयसमंद झील है, राजस्थान में जयसमंद झील 2 हैं; कई बार जयसमंद, उदयपुर, मेवाड़ की स्वीकृति आती है और अलवर चली जाती है। आज जो विषय आया, उदयपुर की मीठे पानी की एशिया की सबसे बड़ी झील है, 1711 से 1730 में उसका निर्माण हुआ और हाथी, घोड़ों और इंसान द्वारा निर्माण किया गया। वहां आप में से बहुत से लोग गये होंगे, उस झील को देखें, तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई समुद्र हो। उस बांध में 9 नदी और 99 वेल गिरते थे। मेरा आपसे निवेदन है कि माही का ओवरफ्लो पानी और जाखम का पानी भी बहकर के गुजरात जाता है। उसको ग्रेविटी से माही बेसिन से उस झील को अगर भरा जाये, तो जितनी भी आज जो पानी की किल्लत है, चाहे भींडर हो, कुरावड़ हो, सलूम्बर, सराड़ा हो, जहां भी मर्जी आये वहां पानी ले जायें और इससे किसानों को भी उचित पानी मिलेगा।

दूसरी मेरी सबसे बड़ी मांग यह है कि 50-60 साल पुरानी उस जयसमंद से निकली हुई नहरों का निर्माण हुआ है। माननीय मंत्रीजी बहुत सीरियस हैं, किसान के बेटे हैं, खेती और पानी का मोल जानते हैं। मेरा आपसे विशेष आग्रह है कि ये 50-60 साल पुरानी नहरें बनी हैं, साढ़े 300 और 400 किलोमीटर उसकी दोनों मुख्य नहरें हैं, माइनर हैं, छोटी नहरें हैं, धोरा और कैनाल हैं, इनका एवरेज 400 किलोमीटर के आसपास होता है। 80 परसेंट पानी सीपेज हो रहा है, जमीन में जा रहा है। 135 करोड़ का प्रस्ताव सुदृढ़ीकरण के लिए आपके पास विचाराधीन है। मैं उम्मीद करता हूं कि इसी बजट में आप उस जयसमंद झील की नहरों के लिए आप स्वीकृत करेंगे, तो उस क्षेत्र की जनता आपके कार्य को भूलेगी नहीं; मैं भी नहीं भूलूंगा।

सभापति महोदय, दूसरा मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में टीडी एक नदी है। जावर माइंस, हिन्दुस्तान जिंक एरिया है। वहां 2 नदियां इक्ट्ठी होती हैं। उसमें एक छोटा-सा एनिकट बनाकर के डाया डैम के अन्दर अगर पानी डाला जाता है, तो उदयपुर वहां से मात्र 30 किलोमीटर दूर है, वह पानी उदयपुर के लिए भी काम आ सकता है।

केजड़, हरचंट, थूरघाटी, सिमारी तालाब से निकलने वाली नहरों का सुदृढ़ीकरण किया जाये। मेरा यही कहना है कि थूरघाटी तालाब को 2 मीटर ऊंचा किया जाये। धन्यवाद। जय हिन्द। जय राजस्थान।

श्री सभापति: श्री बृजेन्द्र सिंह ओला।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): सभापति महोदय, मांग संख्या 27 और 46 पर मेरे जो कटौती प्रस्ताव हैं, उन पर मैं अपने विचार प्रकट करूंगा। आपने समय दिया, धन्यवाद।

सभापति महोदय, आज सिंचाई पर विचार है और हमारे जो माननीय मंत्रीजी हैं, वे उस क्षेत्र से आते हैं जहां 3 सिस्टम सिंचाई के काम करते हैं, गंग कैनाल है, भाखड़ा कैनाल है, इंदिरा गांधी कैनाल है, घग्घर बाढ़ है और सिद्धमुख अमरसिंह ब्रांच है, जो झांसल के पास से आती है। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि वे तो उस एरिये से आते हैं जो बहुत सरसब्ज है पानी के हिसाब से, दूसरी तरफ हम भी इस राजस्थान में ही रहते हैं, हमारे पड़ोस में हरियाणा की और हमारी कोई प्राकृतिक सीमा नहीं है; इस तरह से है, जैसे यह खेत हरियाणा का है और यह राजस्थान का है। कोई कांकड़ भी नहीं है, बिलकुल। वहां सिंचाई होती है और झुंझुनूं जिले के खेत वीरान हैं।

बहुत लम्बी जद्दोजहद के बाद 1994 में यमुना जल पर, जो 5 राज्य थे, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, उनमें समझौता हुआ। उसके बाद उसकी ठीक से व्यवस्था हो सके, उस समझौते की, उसके लिए यमुना रिवर बोर्ड का गठन किया गया। राज्य सरकार ने यमुना बोर्ड में एक स्कीम बनाकर के भेजी। उस समझौते के अनुसार 1,917 क्यूसेक्स पानी झुंझुनूं और चूरू के लिए ताजेवाला हैड से मिलना था और जो भरतपुर जिले को पानी मिलना था, वह ओखला से मिलना था। उसी के निमित्त राज्य सरकार ने प्रस्ताव भेजा। केन्द्रीय जल आयोग ने उस प्रस्ताव को मंजूरी दी, यमुना बोर्ड ने उसकी मंजूरी दी, उसके बाद वह काम आगे नहीं बढ़ा।

राज्य सरकार के लेवल से चिट्ठियां लिखी गयीं, मंत्रीजी के लेवल से लिखी गयीं। मुख्य मंत्रीजी के लेवल से भी लिखी गयीं, लेकिन जो गम्भीर प्रयत्न होने चाहिए थे वे नहीं हुए। हरियाणा और राजस्थान के मुख्य मंत्री की सिर्फ एक मीटिंग हुई। 22 साल हो गये इस समझौते को हुए। यह दर्शाता है कि हम इस मामले में कितने गफलत में रहे हैं। एक मीटिंग हुई है हरियाणा और राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी की और वह भी 2009 में हुई। हरियाणा के मुख्य मंत्रीजी आये और यहां कहकर चले गये कि 'थारो पाणी है, ले लियो, जठेऊं लो उठेऊं'।

उसके बाद हरियाणा ने अपना स्टैंड बदला और ताजेवाला के बजाय,

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

उन्होंने कहा कि मोबी, एक गांव है पानीपत जिले में, वहां बैराज बना लो और वहां से पानी ले लो। राजस्थान सरकार का हमेशा यह प्रयत्न रहा कि जो हरियाणा का एग्जिस्टिंग सिस्टम है, ताजेवाला हैड से वेस्टर्न यमुना कैनाल, जवाहर लाल नेहरू कैनाल और लुहारू फीडर, उससे पानी दिया जाये, क्योंकि वही वाइबल है।

आज ये जो नहरें आ रही हैं, ये शहरों के बीच से आ रही हैं, गांव की आबादी के बीच से आ रही हैं। बहुत पहले के ही हरियाणा में सिस्टम हैं अंग्रेजों के जमाने का। उसके साथ दूसरी नहर बनना सम्भव नहीं है, किसी भी हालत में। बनने ही नहीं देंगे लोग। आज आप कोई जमीन एक्वायर करते हैं तो कितनी दिक्कत आती है। हरियाणा इसलिए अपना स्टैंड बदल रहा है कि वह हमारे पानी का उपयोग करता रहे। हमारे लिए मोबी में बांध बनना न तो आर्थिक दृष्टि से वाइबल है और न टेक्निकल दृष्टि से वाइबल है।

अब भारत सरकार आपकी है, हरियाणा में सरकार आपकी है और पंजाब में भी सरकार आपकी है। यद्यपि इस मामले में पंजाब का तो कुछ लेना-देना है नहीं। हमको चाहिए कि हम प्रधान मंत्री लेवल पर इस बात को उठायें। प्रधान मंत्रीजी पानी के लिए, जैसा मेरे सामने वाले साथी बोल रहे थे, बहुत संवेदनशील हैं। इसका प्रयत्न करना चाहिए।

हरियाणा किसी भी कीमत पर हमको पानी देना चाहता नहीं है। यदि एक व्यक्ति पांच फीट भी जमीन बोता है, तो वह भी नहीं छोड़ता है, अगर सामने वाला सक्षम नहीं हो, तो। तो वह तो हमारा इतनी बड़ी मात्रा में पानी उपयोग कर रहा है। यही नहीं, यह पानी हम उस स्थिति में मांग रहे हैं, जब फ्लड का पानी जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। वह पानी भी हरियाणा हमको देने को खुश नहीं है और बार-बार अपना स्टैंड बदल रहा है, और राज्य सरकार उसके लिए कोई अपनी गम्भीरता नहीं दिखा रही है।

माननीय मंत्रीजी, आप भले आदमी हैं, मैं आप पर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहा हूं, पर मैं सिस्टम की बात कर रहा हूं। पिछली बार इसी मांग पर मैं बोला था, तो मंत्रीजी ने फरमाया था कि 20 मार्च को हम उस मीटिंग में जा रहे हैं, अपर यमुना रिवर बोर्ड की में, और उसमें कुछ न कुछ प्रोग्रेस होगी। मुझे खुशी होगी, यदि आज मंत्रीजी उस पर प्रकाश डालेंगे। इसी सदन में मंत्रीजी ने कहा था कि पिछली सरकार ने तो एक ए ईएन बैठा रखा था

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

दिल्ली में, वह क्या बात कर सकता था; हमने चीफ इंजीनियर बैठा दिया। तो चीफ इंजीनियर को वहां पर बैठाने का क्या परिणाम निकला? इस पर भी आप प्रकाश डालें।

सुराज संकल्प यात्रा में आपने कहा कि हम झुन्झुनूं जिले में यमुना का पानी लाएंगे। जनता ने आपकी बात भी रखी और कांग्रेस को एक सीट पर समेट दिया। उसके बाद भी आप झुन्झुनूं को यमुना का पानी नहीं दे पा रहे हैं। यही नहीं, हम सिंचाई की बात तो दूर है, झुन्झुनूं के 8 ब्लॉक हैं जिनमें से 7 ब्लॉक अति-दोहन की स्थिति में पहुंच गए, हमारे वहां पर पीने के पानी की समस्या भी उत्पन्न हो गई है और स्थिति यह आ जाएगी कि अगर यमुना का पानी नहीं आया, तो बड़ी संख्या में आबादी का वहां से पलायन करना पड़ेगा। माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी चूरू जाते हैं और भाषण देते हैं कि यहां यमुना का पानी आएगा। सवा दो साल आपको होने को आ गये, आपने क्या प्रयत्न किया, इस पर भी मंत्रीजी प्रकाश डालेंगे तो उचित होगा।

इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जो पानी हरियाणा हमारा उपयोग कर रहा है, हमको और पोसिबिलिटीज भी एक्सप्लोर करना चाहिए, हमको सुप्रीम कोर्ट में जाना है तो वहां जाएं, हम प्रधान मंत्रीजी के पास जाएं। आज तक जल संसाधन मंत्री, भारत सरकार को चिट्ठी लिखी गई है; प्रधान मंत्रीजी को कोई भी चिट्ठी आज तक गई नहीं है, इस यमुना के पानी के बारे में। जो स्टेट पानी का उपयोग कर रहे हैं, वे कोई भी स्टेट इसको छोड़ नहीं रहे हैं। हमको यह प्रयत्न करना चाहिए, हम यह कोशिश करें कि पानी के मामले को लेकर सेंटर के पास जाएं और इसको राष्ट्रीय सम्पत्ति घोषित कराएं, क्योंकि राजस्थान उन स्टेटों में है जिसके अपने न तो कोई ज्यादा नदियां हैं, न कोई दूसरी तरह की पानी की व्यवस्था है। इसलिए हमको इस मामले को बहुत गम्भीरता से लेना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, यहां नदियां जोड़ने की बात आई। माननीया इंदिराजी प्रधान मंत्री थीं और के.एल. राव एक टेक्नोक्रेट थे, जो आंध्र प्रदेश के चीफ इंजीनियर थे, उनको उन्होंने बिना किसी सदन का सदस्य होते हुए केन्द्रीय सिंचाई मंत्री बनाया और बाद में उनको राज्य सभा में लायीं। उनका यह सोच था, सबसे पहले लिंकिंग ऑफ रिवर्स, उसको आप लोग दूसरे तरीके से कहते हैं, ठीक है, नदियां जुड़ जाएं, तो अच्छी बात है। आप यहां

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

प्राधिकरण बिल लाए नदी बेसिन, उसमें भी कोई ज्यादा प्रोग्रेस अभी तक हुई नहीं है। उसमें भी प्रोग्रेस करने की जरूरत है।

इंदिरा गांधी नहर, जो हमारे राज्य के लिए एक जीवन-दायिनी रेखा है, उस रेगिस्तान को उसने हरा-भरा किया है, जहां पेड़ के नाम पर आकड़े का पेड़ होता था, और किन विषम परिस्थितियों में उस समय के इंजीनियरों ने, मजदूरों ने, वहां के लोकल लोगों ने, उसका निर्माण किया होगा, यह अपनी कल्पना से बाहर की बात है। आज तो वह इलाका सरसब्ज है। उस योजना पर शायद 4,000 करोड़ रुपये के लगभग खर्चा आया होगा, पर उससे कई हजार करोड़ रुपये की पैदावार एक ही सीजन में हो जाती है। वह हमारी नहर, पंजाब हमको कभी भी उसमें पूरा पानी देता नहीं है। उसकी क्षमता 18 हजार क्यूसेक्स की है, उस क्षमता के अनुसार उसमें कभी भी पानी नहीं आया है। उसमें जो लाभांवित जिले हैं, उनमें आंदोलन का भी सामना करना पड़ता है, चाहे कोई भी सरकार हो। उस नहर की भी स्थिति जीरो आर डी से लेकर 200 तक बहुत खराब है। उसकी मरम्मत करने की जरूरत है। अगर खुदा न खास्ता वह टूट गई, तो जो पंजाब हमको पानी दे ही नहीं रहा है, तो फिर वह उसकी मरम्मत ही नहीं होने देगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उधर के लोग भी और हम लोग भी भाषण देते हैं कि हिमालय का मीठा पानी पिलाएंगे। जो पानी उस नहर में आता है, वह प्रदूषित पानी है। उसमें प्रदूषित पानी पंजाब नहीं डाले इंडस्ट्रीज का और सीवरेज का, तो इसके लिए चाहे हमको केन्द्रीय पर्यावरण बोर्ड में जाना पड़े, या एन जी टी में जाना पड़े, या सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़े, इसकी भी हमको व्यवस्था करनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, पेयजल के बारे में जितनी वृहद् परियोजनाएं लम्बित हैं, उनको अगर सबको इकट्ठा करें, तो 32,400 करोड़ रुपये की वे योजनाएं हैं और इस साल मंत्रीजी को पैसे मिले हैं 4,500 करोड़, और उसमें से भी आपको 900 करोड़ रुपये बिजली के बिलों के लिए देने पड़ेंगे। तो कितना स्पेस आपका सीमित हो गया है।

यहां कहा गया कि पिछली सरकार ने बिना योजना, बिना धन की व्यवस्था किए ही योजनाएं लागू कर दीं। मेरे यहां झुन्झुनूं में कुम्भाराम लिफ्ट योजना स्वीकार की गई और उसमें पूरे झुन्झुनूं और सीकर के लिए स्वीकार

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

की, 3,300 करोड़ रुपये की, उस समय की प्राइस के अनुसार; अब तो उसमें वृद्धि हो गई होगी। चूंकि हमारे पास धन था 954 करोड़ रुपये, तो उस 954 करोड़ रुपये में झुन्झुनूं, खेतड़ी तहसील के लिए पूरे धन की व्यवस्था करके वह योजना स्वीकार की गई, उसके कार्यादेश दिये गये, काम चालू हो गया, पर काम की गति बहुत धीमी है; जो काम अब तक पूरा हो जाना चाहिए था, उसमें से सिर्फ 400 करोड़ रुपये का ही खर्चा हुआ है।

जनता जल योजना के लिए भी सुराज संकल्प यात्रा में भी कहा गया, उसके बाद यहां सदन में भी कहा गया, इस साल के बजट में मात्र 100 करोड़ रुपये की उसके लिए व्यवस्था की गई है। 100 करोड़ रुपये में 200 विधान सभा क्षेत्रों में जनता जल योजना को कैसे सुचारु रूप से चलाएंगे? इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मेरा माननीया मंत्रीजी से निवेदन है...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): एक मिनट में समाप्त करता हूं, माननीय सभापति महोदय।

माननीया मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि इस कुम्भाराम लिफ्ट योजना के कार्य को गति दें, जिससे सरकार का जो खर्चा हो गया, जनता का, टैक्सपेयर का जो पैसा है, उसका तो उपयोग हो और लोगों को पीने का पानी मिले। इस जनता जल योजना को आप पी एच ई डी के अंडरटेक करें जिससे सारी समस्या का ही हल हो जाए। माननीय हनुमानगढ़ से आने वाले हमारे माननीय सिंचाई मंत्रीजी से निवेदन है कि आप यमुना का पानी झुन्झुनूं लाओ, चाहे श्रेय आप ले लेना, हम श्रेय की कोई बात नहीं करते।

आपने मुझे समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: डाक्टर मंजू बाघमार।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 27 और मांग संख्या 46 के पारित होने एवं आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2016-17 की शेष मांगों के मतदान सम्पन्न होने तक सदन का समय बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि क्या सदन का समय बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय कार्य पूर्ण होने तक बढ़ाया जाता है।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 27 व 46 पर विचार

डा. मंजू बाघमार (जायल): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 27 और मांग संख्या 46 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र जायल में मातासुख लिग्नाइट प्लांट से पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु क्षेत्रीय जल परियोजना 2007 में शुरू की गई थी। इस परियोजना में मातासुख खनन क्षेत्र के अन्दर लिग्नाइट खनन के दौरान बड़ी मात्रा में जो खारा पानी निकलता है, उसको साफ करके जो जायल तहसील के 120 समस्याग्रस्त गांव थे उनमें वितरित किया जाना प्रस्तावित हुआ था। इस योजना के अन्तर्गत आर एस एम एम लिमिटेड द्वारा 20 एम एल डी क्षमता का एक आर ओ प्लांट का निर्माण करके 13 एम एल डी साफ पानी पी एच ई डी को उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित हुआ था और जो आर ओ प्लांट लगाया गया है वह नागौर वाटर सप्लायर प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी द्वारा लगाया गया है, उसको वितरित किया जाना प्रस्तावित हुआ था। माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगी कि वर्तमान में स्थिति यह है कि 13 एम एल डी की तुलना में सिर्फ 3 और 4 एम एल डी पानी उपलब्ध हो रहा है और हालत यह है कि संडे और सैटरडे को तो वह प्लांट ही बंद हो जाता है। अधिकतर 15-15 दिन तक प्लांट बंद रहता है। फलसूंड क्षेत्र में पानी की भयंकर समस्या है। यहां तक कि पशुओं में गाएं भी प्यासी मर रही हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीया मंत्रीजी को बताना चाहूंगी कि जो वहां से पानी उपलब्ध कराया जा रहा है 120 गांवों के अन्दर, उसका मार्च का मेरे पास स्टेटमेंट है, 1 मार्च से लेकर 28 मार्च तक का, उसमें 13 एम एल डी की तुलना में 3 या 4 एम एल डी पानी डेली उपलब्ध कराया जा रहा है। माननीय मंत्री महोदया से मैं निवेदन करना चाहूंगी, स्थिति यह है कि मेरे गांव के अन्दर, अधिकांश विधायक तो यह बोल रहे होंगे कि हमारे क्षेत्र के अन्दर 7-8 दिन

(डा. मंजू बाघमार)

तक पानी नहीं आता है; सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहूंगी कि जायल तहसील के अन्दर गांवों की यह स्थिति है कि वहां दो-दो, तीन-तीन महीने तक पानी उपलब्ध नहीं हो पाता है। गांव की जो ग्रामीण जनता है, उनके पास इन्कम का कोई स्रोत नहीं है, केवल खेती है। यदि खेती हुई तो थोड़ी-बहुत इन्कम हो जाती है, यदि खेती नहीं होती तो कोई इन्कम नहीं होती। ऐसी स्थिति में उनको 700 रुपये पर-टैंकर के हिसाब से डेली पानी खरीदना पड़ रहा है। वह ग्रामीण जनता के साथ निश्चित रूप से अन्याय हो रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से यह निवेदन करना चाहूंगी कि अधिकांश बांकापट्टी का एरिया है, वह मेरे क्षेत्र के अन्दर आता है। ऊपर से पानी बरस नहीं रहा है, नीचे जायल क्षेत्र के अन्दर वाटर लेवल काफी नीचे चला गया है।

माननीय सभापति महोदय, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस मातासुख परियोजना के तहत पानी की जो लागत आ रही है, वह पहले 42.41 पर-किलोलीटर थी और वर्तमान में जो इसकी लागत आ रही है वह 51.99 पर-किलोलीटर है, जिसका यदि प्रति माह हिसाब लगाया जाता है तो करीब डेढ़ करोड़ रुपये के लगभग सरकार द्वारा भुगतान किया जा रहा है। मंत्री महोदया से मैं निवेदन करना चाहूंगी कि इतना बड़ा भारी वित्तीय नुकसान हो रहा है, आये दिन पेपर्स के अन्दर आता रहता है कि 120 गांवों के अन्दर डेढ़ करोड़ का भुगतान हो रहा है, पर फिर भी 120 गांवों को पानी नहीं मिल पा रहा है। इतना बड़ा वित्तीय नुकसान आये दिन न्यूजपेपर्स के अन्दर आता रहता है। मैं माननीय मंत्री महोदया को उपलब्ध करा दूंगी। आर ओ प्लांट का जो पानी भी उपलब्ध होता है, थोड़ा-बहुत भी, वह भी इस तरह का पानी है कि उससे पशुओं के अन्दर बांझपन की समस्या उत्पन्न हो रही है। इसमें केमिकल्स बहुत ज्यादा होते हैं, वह पीने योग्य नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहूंगी, लगातार दो सालों से मैं इस समस्या की ओर माननीय मंत्री महोदया का ध्यान आकर्षित कर रही हूं, लेकिन फिर भी विभाग के कर्मचारियों की ओर से इस ओर कभी भी गम्भीरता से विचार नहीं किया जा रहा है। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदया व माननीय जल संसाधन

(डा. मंजू बाघमार)

मंत्री महोदया को धन्यवाद देना चाहूंगी कि मैंने जब-जब भी अपनी समस्या से अवगत कराया, बहुत गम्भीरता से लिया, लेकिन फिर भी विभाग द्वारा लगातार गुमराह किया जाता है।

हमने एक सुझाव दिया था, चूंकि मेरे क्षेत्र के अन्दर पूरी तरह से पाइपलाइन बिछी हुई है, टंकियां बनी हुई हैं; गोगालाव के अन्दर 74 एम एल डी पानी उपलब्ध है और अभी तक चूंकि फर्स्ट फेज का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, इसलिए गोगालाव से लेकर फरड़ोद तक 35 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने का हमने सुझाव दिया था। उसमें केवल 18 करोड़ रुपये का एस्टिमेट बनाकर प्रस्तुत कर दिया था। यदि गोगालाव से लेकर फरड़ोद तक की उस पाइपलाइन को जोड़ दिया जाय, तो निश्चित रूप से इस समस्या का स्थायी रूप से हल हो सकता है, लेकिन अभी तक विभाग द्वारा हमेशा यही गुमराह किया जाता है कि वह फीजिबल नहीं है, वहां पर पानी नहीं है। मैं पूछना चाहूंगी कि क्या डेढ़ करोड़ रुपया प्रति माह देना फीजिबल है? क्या फर्स्ट फेज का काम अभी तक आपने पूरा कर दिया है? जो 74 एम एल डी पानी गोगालाव में पड़ा है, वह स्पेयर पानी पड़ा हुआ है। उस स्पेयर पानी से हम जायल की जनता को आसानी से पानी उपलब्ध करा सकते थे। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहूंगी कि इस परियोजना में करोड़ों रुपये का घोटाला और भ्रष्टाचार हुआ है। इसकी एक उच्चस्तरीय समिति बनाकर पूरी तरह से जांच करायी जाय।

मैं धन्यवाद देना चाहूंगी माननीय मुख्य मंत्री महोदया और जलदाय मंत्री महोदया को, जिन्होंने इंदिरा गांधी नहर का पानी पूरे नागौर जिले के अन्दर, जो नागौर जिले की 60 साल पुरानी पानी की समस्या थी, उस समस्या का स्थायी रूप से निवारण करने हेतु, सेकण्ड फेज हेतु, जायल के अन्दर, डीडवाना, मकराना, लाडनूं में जो बजट उपलब्ध कराया, उसके लिए मैं अपने जिले की ओर से, जायल की जनता की ओर से भी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहती हूं, जिसका कार्य एल एण्ड टी कंपनी द्वारा किया जा रहा है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगी कि इस योजना की पूर्ण होने की अवधि है, वह मार्च, 2018 है। अभी तो मार्च 2016 ही चल रहा है, अभी दो गर्मियां हमें निकालना बाकी है। जायल की जनता पानी की समस्या से बहुत ही ग्रसित हो रही है। मैंने जब यह जानना चाहा कि विधान सभा क्षेत्र जायल के अन्दर 2014-15 और 2015-16 में जो ट्यूबवेल फेल्योर हो गये, उनके

(डा. मंजू बाघमार)

अगेंस्ट में जो ट्यूबवेल बनाएंगे, तो अभी जो जवाब मिला है उसमें बताया गया है कि 2014-15 के अन्दर सिर्फ एक ट्यूबवेल और 2015-16 के अन्दर कोई भी ट्यूबवेल सैंक्शन नहीं हुआ। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहूंगी कि इस प्रकार के जो लापरवाह अधिकारी हैं, उनके ऊपर कार्यवाही की जाय, क्योंकि डेली हमारी पानी की समस्या को लेकर अधिकारियों से बात होती रहती है और वे यही कहते हैं कि हमने प्रपोजल भिजवा दिये हैं और वहां से सैंक्शन आना बाकी है। मेरा आपसे यही निवेदन है।

पिछले बजट के अन्दर माननीय मंत्री महोदया द्वारा जो 30-30 हैण्डपम्प खुदवाने की घोषणा की गयी थी, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि अभी तक एक भी हैण्डपम्प नहीं खुदवाया गया है। यही कहते हैं कि हमने प्रपोजल भिजवा दिये हैं।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगी कि कर्मचारियों-अधिकारियों की मिलीभगत के कारण इतनी बड़ी मातासुख परियोजना का लाभ जनता को नहीं मिल पा रहा है। मंत्री महोदया, समय-समय पर जब भी आपने इस बारे में रिपोर्ट मांगी है, हमेशा वहां के कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा गुमराह किया जा रहा है कि वहां पानी आ रहा है, कभी 7 एम एल डी आ रहा है, कभी 8 एम एल डी आ रहा है, परन्तु वास्तविकता यह है कि केवल 3 और 4 एम एल डी से ज्यादा पानी नहीं आ रहा है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहूंगी कि इन अधिकारियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाय।

जायल क्षेत्र में जो पेयजल की समस्या है, उसके लिए तत्काल हमें बजट उपलब्ध कराया जाय। जो हमारे समस्याग्रस्त गांव हैं, उनमें ट्यूबवेल खुदवाने के लिए हमें बजट उपलब्ध करा दिया जाएगा, तो निश्चित रूप से हम माननीय मंत्री महोदया के बहुत आभारी रहेंगे और जायल की जनता को भी इससे राहत मिलेगी।

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री राजेन्द्र सिंह भादू।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति हो तो मैं टेबल कर दूं?

श्री सभापति: टेबल की अनुमति नहीं है, बैठें आप। श्री राजेन्द्र सिंह भादू।

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़): माननीय सभापति महोदय, आज पानी की मांग संख्या 27 और सिंचाई, मांग संख्या 46 पर कटौती प्रस्तावों पर मुझे बोलने के लिए आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, पानी की पूरे देश और दुनिया में कमी चल रही है। पानी हम कहीं से ले नहीं सकते, कहीं से प्राप्त नहीं कर सकते, यह कुदरत की देन है। आज पानी सोने से महंगा है। इस पानी के लिए, इस पानी को बचाने के लिए, हमारे प्रदेश की मुख्य मंत्री ने जिस तरह से जल स्वावलम्बन की शुरुआत की है, निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियों के लिए, हम सबके लिए, बहुत शुभ संकेत है कि हम किसी तरह से इस पानी को बचा सकें।

मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ की सीधे-सीधे बात करना चाहूंगा। पेयजल के लिए हमारे अनेकानेक काम हो चुके हैं, लेकिन खासकर मेरे शहर सूरतगढ़ के अन्दर, जहां लगभग एक लाख की आबादी है, इंदिरा गांधी नहर से सीधा वहां पम्पसेट इतने बड़ी साइज का लगा हुआ है कि वहां पानी सप्लाई व रॉ वाटर की किसी तरह की दिक्कत नहीं आती, लेकिन वहां जो पानी का स्टोरेज है वह मात्र 7 दिन का है। पानी का स्टोरेज 7 दिन का होने की वजह से, जिस तरह से हमारे सिंचाई विभाग के अधिकारी बात करते हैं, जिस तरह से हमारे मंत्री महोदय बात करते हैं, इंदिरा गांधी नहर का जीर्णोद्धार कराएंगे, तो उसमें एक बहुत लम्बी बंदी लेनी पड़ेगी और वह बंदी 60 से 90 दिन तक कितनी भी लम्बी हो सकती है। उस बंदी के अन्दर सूरतगढ़ जैसे बड़े शहर को पीने के पानी की बहुत आवश्यकता रहेगी। इसलिए मैं सीधे-सीधे तौर पर माननीय जलदाय मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे वहां स्टोरेज की व्यवस्था ठीक कराकर, सूरतगढ़ शहर के अन्दर किसी तरह की पानी की दिक्कत नहीं आये, उसका निर्माण कराने की बात करें।

इसके अलावा, सूरतगढ़ के अन्दर 17 जनता जल योजनाएं हैं, उन योजनाओं के पुनर्जीवन की विशेष जरूरत है। अभी पिछले साल हमें हमारे पी

(17.00 बजे)

एच ई डी के जो 6 वाटर वर्क्स हैं उनको ठीक कराने के लिए काफी अच्छा पैसा मिला है और बड़े अच्छे स्तर पर उनका काम चल रहा है। निश्चित रूप

(श्री राजेन्द्र सिंह भादू)

से यह जो जनता जल योजना है, दूर-दराज के हमारे ऐसे रेतीले क्षेत्र में है, जहां पीने के पानी की बहुत कमी रहती है। वहां जमीन का पानी खारा है और सिर्फ पीने के लिए नहर का पानी उपलब्ध होता है। इसलिए मैं यह भी निवेदन करूंगा कि हमारी जनता जल योजनाओं को ठीक कराने के लिए व्यवस्था करवायें।

इसके अलावा, दो-तीन छोटी-छोटी हमारी स्कीमें हैं, सूरतगढ़ की 3 एस ए डी की और 12 एल के एस की बिलकुल छोटी-छोटी योजनाएं हैं, जिनके बारे में भी नयी बन जाएं, तो उनके बारे में विचार किया जा सकता है।

इसके अलावा, माननीय मंत्री महोदया का मैं मेरी तरफ से और उन कर्मचारियों की तरफ से भी आभार व्यक्त करता हूं कि जलदाय विभाग के जो कर्मचारी थे, उन लोगों को 17-18 महीनों से तनख्वाह नहीं मिली थी और पिछली बार सदन शुरू होने पर जब मैंने माननीय मंत्री महोदया से निवेदन किया, तो उन्होंने तुरन्त प्रभाव से कार्यवाही करके, कल उनका भुगतान करवा दिया। इसके लिए कर्मचारियों की तरफ से और हम सब की तरफ से आप बधाई की पात्र हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं जिस क्षेत्र में रहता हूं, वहां इन्दिरा गांधी नहर का, भाखड़ा का, गंग कैनाल का पानी लगता है और सारा सिंचित क्षेत्र कैनाल से है। उसके अलावा घग्घर बहाव क्षेत्र में पानी आता है और उस घग्घर बहाव क्षेत्र से पानी चण्डीगढ़ से लेकर पाकिस्तान के बोर्डर तक जाता है और सूरतगढ़ के अन्दर से गुजरता है। वहां अनेक ट्यूबवेल लगे हुए हैं। ट्यूबवेल के साथ सारी व्यवस्थाएं, कुल मिलाकर पर्टिकुलर एक पार्ट है उसके अन्दर तो ठीक है, लेकिन वहां बहुत बड़े-बड़े धोरे भी हैं और वहां सिंचाई के पानी को छोड़, पीने के पानी के लिए भी दिक्कत है। इस तरह की अनेक समस्याओं के सामने हमारा सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र जूझ रहा है।

जिस तरह से हमारे सूरतगढ़ के अन्दर आई जी एन पी की मुख्य नहर निकलती है, उसमें राइट साइड की तरफ बहुत पानी है। उसके किसानों को इन्दिरा गांधी नहर के प्रथम चरण के अन्दर 5.23 के हिसाब से पानी दिया हुआ है। कहीं हमारे मोगों के अन्दर 3.5 क्यूसेक्स के हिसाब से पानी मिल रहा है, तो कहीं हमारे जो लिफ्ट का है उनके अन्दर 3.5 क्यूसेक्स पानी के अलावा हमारे गंग कैनाल और भाखड़ा के अन्दर 3 क्यूसेक्स का पानी मिल रहा है। ट्यूबवेलों से सिंचाई ठीक हो रही है, लेकिन जो हमारी लेफ्ट साइड है उसके अन्दर बिलकुल भी पानी नहीं है।

(श्री राजेन्द्र सिंह भादू)

मुख्य नहर के राइट साइड के अन्दर पानी ज्यादा मिलने की वजह से वहां सेम की समस्या भी उत्पन्न हो गई है। हमारे वहां चाहे रावतसर देख लीजिये, चाहे पीलीबंगा क्षेत्र के बड़ोपल को देख लीजिये और खासकर मेरे सूरतगढ़ क्षेत्र के अन्दर जो नई शुरुआत हुई है, वहां बहुत बड़ी सेम की समस्या का आज हम सामना कर रहे हैं। कम से कम 50-60 हजार बीघा जमीन ऐसी है जहां सेम पूरी तरह से आ चुकी है और 10-12 गांवों को निगल चुकी है। उन गांवों को खाली करना पड़ा है, उनके मकान गिर गये हैं।

ऐसी स्थिति के अन्दर हमें इस पर सोचना होगा कि एक तरफ हम सारी दुनिया की बात करते हैं और जब भी हमारे नेता, अभियंता बाहर दूसरे देशों में जाते हैं और वहां से आकर बात करते हैं कि उन देशों के अन्दर सिंचाई की ऐसी व्यवस्था है, उस देश के अन्दर ऐसा हो रहा है, लेकिन राजस्थान के अन्दर और खासकर इन्दिरा गांधी नहर पर हम जाते हैं, तब एक तरफ तो आप कहते हैं, इजरायल के इतने थोड़े पानी से इतनी ज्यादा सिंचाई योजनाएं हैं, जबकि हमारे इन्दिरा गांधी नहर के अन्दर, जो दुनिया की सबसे बड़ी नहर है, 7 एम ए एफ पानी लगातार उस नहर के अन्दर चलता है, ऐसा एक दरिया पास से निकल रहा है और उसके बावजूद भी हम लोगों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल रहा है। तो निश्चित रूप से एक विचारणीय बिन्दु है।

इस बार पहली दफा नहर के बारे में बात हुई है और आज से पहले किसी भी सरकार ने इस नहर के सम्बन्ध में किसी तरह की कोई चर्चा नहीं की। किसी भी सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि आखिर यह जो इतनी बड़ी हमारी जीवनदायिनी है, राजस्थान के 14 जिलों के अन्दर सिंचाई और पीने का पानी देने वाली इस नहर के बारे में हम क्या बात करते हैं।

अभी बड़ी-बड़ी बातें यहां हो रही हैं, कभी कुम्भाराम लिफ्ट योजना से शेखावाटी क्षेत्र को जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो कहीं नागौर से आगे इस पानी को ले जाने की बात कर रहे हैं; निश्चित रूप से इतनी बड़ी योजना है और पानी जाना भी चाहिए, यह पानी किसी एक का नहीं है, लेकिन जब तक आप इस नहर को ठीक ढंग से नहीं संभालेंगे, क्या कभी किसी सरकार ने इस ओर विचार किया है? लेकिन धन्यवाद देना चाहूंगा मैं राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी को और हमारे लोकप्रिय हनुमानगढ़ विधायक और जल संसाधन

(श्री राजेन्द्र सिंह भादू)

मंत्री को, जिन्होंने इस ओर कदम उठाया है, ऐसा जबरदस्त कदम उठाया है कि आज हमारी अनूपगढ़ शाखा, जिसके अन्दर करोड़ों रुपये खर्च होंगे, उस कार्य की री-लाइनिंग के लिए हमारे वहां टेंडर हो चुके हैं और उसका कार्य बहुत जल्द शुरू होने वाला है। इस तरह के अनेक काम हैं कि किस तरह से हम इस व्यवस्था को ठीक कर सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, हमारे वहां उस क्षेत्र की समस्या है कि जब एक तरफ यह इन्दिरा गांधी नहर का पानी जैसलमेर होते हुए मोहनगढ़ तक जा सकता है, दूसरे जिलों में जा सकता है और दूसरी तरफ हमारे एटा-सिंगरासर माइनर की मांग करने वाले लोग आज भी धरना और प्रदर्शन इस बात को लेकर कर रहे हैं कि उन्हें पानी दिया जाए। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात हुई कि वहां लाठी चार्ज हुआ। प्रशासनिक भूल मानें, या किसी और कारण से, लेकिन लाठी चार्ज होना निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण बात थी। उन लोगों की मांग थी कि हमारी सिंगरासर माइनर को किसी न किसी रूप में बनाया जाए, उनको सिंचाई के लिए पानी दिया जाए। यह उनकी मांग नहीं है, एक तरह से उनका यह अधिकार है और वह अधिकार उनको मिलना चाहिए। उसके लिए पानी की व्यवस्था कहां से होगी, यह काम करना सरकार का काम है। अगर पानी उपलब्ध होता है, तो निश्चित रूप से, चाहे वह 6 नम्बर डिप्रेशन में पानी डालकर उपलब्ध करायें, या अन्य कोई स्रोत से अगर पानी मिलता है, तो एटा और सिंगरासर माइनर का निर्माण होना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गोपीचन्द मीणा।

श्री गोपी चन्द मीणा (आसपुर): सभापति महोदय, मुझे मांग संख्या 27 और 46 पर बोलने का आपने अवसर दिया, जिसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

(17.06 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

साथ में मैं यह कहना चाहूंगा कि राजस्थान की मुख्य मंत्री महोदया के द्वारा, पी एच ई डी मंत्री महोदया और जल संसाधन मंत्री महोदय द्वारा जितने भी प्रदेश में काम हो रहे हैं, वे सराहनीय हैं, हमारे सभी विधायकों ने इनकी बहुत प्रशंसा की और मैं भी कहना चाहूंगा कि प्रदेश में पिछले कई वर्षों से काम नहीं हुए थे, वे काम हो रहे हैं।

(श्री गोपी चन्द मीणा)

इस सम्बन्ध में मैं हमारे जलदाय विभाग की मंत्री महोदया से आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि आज की तारीख में मैं कह सकता हूं कि इस एशिया के अन्दर सबसे ज्यादा फ्लोराइड कहीं है, तो मेरे आसपुर विधान सभा क्षेत्र में है। सुराज संकल्प यात्रा के दौरान जनता ने मुख्य मंत्री महोदया के सामने दो ही डिमाण्ड रखी थीं, पहली मांग यह रखी थी कि आसपुर के अन्दर फ्लोराइडयुक्त पानी पिया जा रहा है। मैं कह सकता हूं कि उस क्षेत्र के लोग 60 से 70 साल की उम्र में अपनी जीवन-लीला समाप्त कर देते हैं; उनका शरीर टेढ़ा-मेढ़ा हो जाता है और इस बीमारी से बहुत पीड़ित हैं। मुख्य मंत्री महोदया ने सुराज संकल्प यात्रा के दौरान घोषणा पत्र में लिया था और कहा था कि इस क्षेत्र में फ्लोराइडमुक्त पानी दिया जाएगा। उसके लिए सरकार ने उसकी डी पी आर बनवाई, 140 गांवों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए डी पी आर तैयार हो गई है और शायद हमारी मुख्य मंत्री महोदया के द्वारा इसकी स्वीकृति जारी करने के लिए, और हमारी जलदाय विभाग की मंत्री महोदया को भी इसके बारे में विदित है। मैं कहना चाहूंगा कि इस क्षेत्र के लोगों को यदि आप फ्लोराइडमुक्त पानी पिलायें, तो मैं तो यहां कह सकता हूं, लेकिन परलोक में भी आपको सिद्धि मिलेगी। उस क्षेत्र के लोगों को आज की तारीख में देखें, तो फ्लोराइडयुक्त पानी पीकर के उनकी स्थिति बहुत खराब है।

दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, मैंने हमारे विभाग के अधिकारियों तक भी इस बात को पहुंचाया है और उन्होंने 4 छोटे-छोटे प्रोजेक्ट 2-2, 3-3 पंचायतों के अन्दर पानी पिलाने के लिए तैयार किये हैं। हमारी जो माही नदी गुजर रही है, वहां से सावला, निठावा और गामड़ी, तीन गांवों को इस पेयजल से जोड़ने के लिए प्रोजेक्ट तैयार करवाया है। एक रीक्षा, लिम्बाता और बोछी, तीन पंचायतों का प्रोजेक्ट भी तैयार करवाया गया है। इसके अलावा, एक म्याला और टेकला करके गांव हैं, उनके लिए भी माही नदी से पानी जा सकता है, ताकि वहां पर उस प्रोजेक्ट को तैयार करके उस पानी को जनजाति के लोगों को पिला सकें। एक प्रोजेक्ट और है, बेणेश्वर धाम के अन्दर एक एनिकट ऐसा बना रखा है कि वह पानी 4-5 पंचायतों को पहुंचा सकते हैं। इन 4 प्रोजेक्ट के बारे में तखमीना तैयार करवा दिया गया है, जो आप तक प्रस्तुत करेंगे और आज मुझे यह पूर्ण विश्वास भी है कि आप उन 4 प्रोजेक्ट को स्वीकृत करके उस क्षेत्र की जनता को शुद्ध पेयजल दिलायेंगे।

और रही बात, मैं आपसे निवेदन करूंगा, मंत्री महोदया से, कि आसपुर

(श्री गोपी चन्द मीणा)

के अन्दर तीन से चार ऐसी पंचायतें हैं जहां पर पाइपलाइन बिलकुल खुर्द-बुर्द हो चुकी हैं। उस क्षेत्र में 25-30 साल पहले पाइपलाइन बिछाई गई थी, जब 200-300 घरों के कनेक्शन थे; आज वहां पर 500-700-800, 1,000-1,000 घरों की बस्ती हो गई है। इसमें आसपुर, खेड़ा, गोल और बोड़ीगामा छोटा, इन चार पंचायतों के अन्दर पाइपलाइन बदलकर इस पानी को पहुंचाया जाये, ताकि उस क्षेत्र की समस्या मिट सके।

मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, आपसे एक ही उम्मीद रखूंगा कि हमारे क्षेत्र के अन्दर 140 गांवों को शुद्ध पेयजल दिलायें, ताकि मैं जनता के बीच में इस बात को कह सकूं। दो साल तक हम डी पी आर के बारे में कहते रहे; हमारे बीच में हमारे प्रभारी मंत्रीजी भी बैठे हुए हैं, हर समय यह बात वहां पर जिला परिषद में भी होती है, मैं इसके बारे में उनको आश्वस्त करता रहता हूं, लेकिन आपसे निवेदन करता हूं कि इस योजना को आप स्वीकृत कराने की कृपा करें।

इस बीच में मैं मांग संख्या-46 पर हमारे जल संसाधन मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि पिछला जब विधान सभा सत्र चल रहा था, उस टाइम में मैंने आपसे निवेदन किया था कि मेरे क्षेत्र में सोम-कमला-अम्बा का डैम बना हुआ है। वहां पर नहरों की स्थिति बिलकुल जर्जर अवस्था में है। आपने हमारी बात सुनी, सुनकर कुछ बजट स्वीकृत किया, जिससे निर्माण कार्य शुरू हुआ है। इसके लिए तो मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ में मैंने तीन एनिकट्स की मांग आपके बीच में रखी थी, जो एक मांडवा खापड़ा है, एक दूसरा एनिकट डोंजा ग्राम पंचायत में है, तीसरा आसला में है। ये एनिकट्स बनेंगे तो उस क्षेत्र के अन्दर जनता को यह सुविधा होगी।

दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, हमारे वहां पर दो ऐसे धार्मिक स्थान हैं, वहां पर एक देव सोमनाथ स्थान है, वहां पर यदि एनिकट बनाया जाये, तो उस क्षेत्र के अन्दर पेयजल की तो सुविधा होगी ही, लोगों की; साथ ही वहां के कुओं का जलस्तर बढ़ेगा, जिससे उस क्षेत्र में पेयजल से जूझते हुए लोग निजात पा सकें।

मैं कहना चाहूंगा, मेरे क्षेत्र में एक रायकी नाम का गांव है जिसमें कम से कम 18 गांव पड़ते हैं और उन 18 गांवों के अन्दर रायकी लिफ्ट योजना तैयार करवाई गई है आपके द्वारा, जिसकी डी पी आर बनकर अपनी सरकार

(श्री गोपी चन्द मीणा)

तक पहुंच चुकी है। इसकी स्वीकृति प्रदान करें, ताकि उन 18 गांवों के अन्दर जितनी भी पानी की समस्या है, वह भी मिटेगी और सिंचाई सम्बन्धी समस्या मिट सकती है।

मैं इस अवसर पर आपसे निवेदन करूंगा कि मेरे क्षेत्र के जो भी दो-तीन-चार काम हैं, वे आपके द्वारा हो जायें। मेरे क्षेत्र की जनता और मैं आपको कभी भूल नहीं सकते। यही बात कहता हुआ, मैं इस अवसर पर आप सबका धन्यवाद करता हुआ, जय हिन्द। जय भारत।

सभापति तालिका

श्रीचन्द कृपलानी, श्री, का सभापति तालिका के लिए मनोनयन

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि माननीय अध्यक्ष ने प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 9(1) के अन्तर्गत श्री श्रीचन्द कृपलानी, सदस्य, विधान सभा को सभापति तालिका के लिए मनोनीत किया है।

Where is Shrichandji Kriplani?

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): ऐसा नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: श्री नारायण सिंह जी देवल।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 27 व 46 पर विचार

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 27-पेयजल योजना और मांग संख्या 46-सिंचाई पर बोलने की अनुमति दी, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जालौर जिले की लाइफलाइन नर्मदा का पानी है। मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि 2003 से 2008 में, जालौर जिले की लम्बे समय से मांग थी, वह नर्मदा का पानी जालौर के सांचौर में पहुंचा और पूर्ववर्ती पांच साल में जो सरकार रही, उन्होंने पांच साल में इन सारी योजनाओं को, जो पीने के पानी से सम्बन्धित थीं, ठंडे बस्ते में डालकर रखा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में डी आर

(श्री नारायण सिंह देवल)

प्रोजेक्ट की नर्मदा की एक योजना है, जो 24 माह का टाइम था, और डी आर क्लस्टर तीस महीने का उसका समय था और 18 फरवरी, 2015 को यह काम पूर्ण होना था, परन्तु आज भी एक साल लेट हो गया, फिर भी काम अभी तक नहीं हो रहा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस डी आर प्रोजेक्ट का काम करीब एक साल से लेट चल रहा है। तो यह काम आप जल्दी करवायें। मैंने 12 मार्च, 2015 को भी और आज सुबह ही मैंने मंत्री महोदय का इसकी ओर ध्यान दिलाया था, तब उन्होंने कहा था कि 31 मार्च, 2016 को यह डी आर प्रोजेक्ट का काम हो जायेगा। इस डी आर प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको कहना चाहूंगा कि टोटल 291 किलोमीटर राइजिंग मेन के काम में से खाली 113 किलोमीटर काम हुआ है और पी वी सी पाइप का करीब 629 किलोमीटर में से मात्र 36 किलोमीटर का ही काम हुआ है और 78 ई एस आर में से मात्र 31 ई एस आर टंकियां अभी तक बनी हैं। तो मेरे हिसाब से जो मंत्री महोदय की भावना है, मुख्य मंत्रीजी अभी जोधपुर संभाग में पधारी थीं, उन्होंने भी यह कहा था कि यह काम हम बहुत ही जल्दी पूर्ण करवा देंगे; इन कामों को जल्दी करें, ताकि रानीवाड़ा, जसवंतपुरा और सांचौर की जनता को इसका लाभ मिले।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे जालौर में नर्मदा की एक दूसरी योजना है, ई आर प्रोजेक्ट, रानीवाड़ा, भीनमाल और आहौर। तीन विधान सभा क्षेत्रों में यह नर्मदा के पीने के पानी की सप्लाई करेगा। तो इसका भी मेन लाइन का काम करीब एक साल के अन्दर पूरा करना था, परन्तु वह काम अभी तक बहुत ही धीमी गति से है। ई आर प्रोजेक्ट के क्लस्टर का टेण्डर होना था, वह अभी तक टेण्डर नहीं हुआ। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि यह ई आर क्लस्टर का टेण्डर भी जल्दी करवायें।

बाकी, उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिंचाई मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा, पिछली अतिवृष्टि के अन्दर हमारे सांचौर की मेन कैनाल थी, वह काफी टूट गई थी और ऐसा नहीं लग रहा था कि एक साल में यह पानी आएगा, परन्तु मंत्रीजी की सूझबूझ से, करीब 21 करोड़ रुपये लगाकर, दो महीने के अन्दर हमारी वह मेन कैनाल भी ठीक हुई। तो मैं मंत्री महोदय को भी धन्यवाद देना चाहूंगा।

(श्री नारायण सिंह देवल)

उपाध्यक्ष महोदय, जालौर, सिरोही और बाड़मेर की जनता की लम्बे समय से माही परियोजना के पानी की मांग रही है। मंत्री महोदय को, इनकी सोच और इन्होंने व्यक्तिगत रुचि लेकर इस काम को भी आगे बढ़ाने का जो आपने कहा है, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रानीवाड़ा विधान सभा क्षेत्र की 11 पंचायतें हैं, नर्मदा कैनाल के बिलकुल पड़ोस से होकर वह कैनाल जाती है, तो वहां की जनता की लम्बे समय से यह मांग रही है कि जब नर्मदा का पानी हमारे नजदीक से जा रहा है, तो इन 11 पंचायतों, पुर, सरनाऊ, गुन्दाऊ, सेड़िया, सांकड़, सुरावा, दुगावा, नेनोल, पांचला और दांता, इन पंचायतों को भी नर्मदा का यह पानी दिया जाये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि सिंचाई विभाग के हमारे यहां तीन बांध हैं, एक बणधर, जैतपुरा और बणेठा, इनसे लघु सिंचाई का काम होता है। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इन बांधों के भराव क्षेत्र की भी मरम्मत की जाये और बणधर बांध की जो नहर टूटी हुई है, उनको भी ठीक किया जाये; जैतपुरा और बणेठा जो बांध हैं, वहां पर छोटी-छोटी नहरें बनाई जायें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे विधान सभा क्षेत्र में अरावली पर्वत श्रृंखला है। बारिश के टाइम में बहुत सारा पानी पर्वत से बहकर, किसान के खेत में कटाव करता हुआ, वह पानी गुजरात में भी चला जाता है। तो मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि रानीवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में सीरीज ऑफ एनिकट्स का भी निर्माण किया जाये, ताकि किसानों का जो भूमि कटाव हो रहा है वह कटाव नहीं हो, और जल स्तर भी इससे बढ़ेगा। इससे किसानों को बहुत सारा फायदा होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी को निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर तीन बांध हैं राजिगावास, पांचला और बामनवाड़ा। ये बांध पूर्व में सिंचाई विभाग ने बनाये थे और उनमें भराव क्षमता भी काफी अच्छी थी। उन बांधों के बनने के बाद आसपास के कई गांवों का वाटर लेवल ऊपर आ गया था। इस अतिवृष्टि में वे सारे बांध

(श्री नारायण सिंह देवल)

टूट गये हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी को कहना चाहूंगा कि ये बांध इन्होंने पंचायती राज को हैंड-ओवर कर दिये हैं। पंचायती राज के पास न तो इस टाइप से कोई टेक्निकल ऑफिसर हैं, न इनके पास कोई फंडिंग की व्यवस्था है। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इन एनिकट्स का जल्दी से कैबिनेट में आप निर्णय लें कि इन एनिकट्स का क्या होगा। क्योंकि पंचायती राज के पास में इतना मैनपावर भी नहीं है और इतनी फंडिंग भी नहीं है। तो आप इसका भी कोई न कोई निर्णय लेकर इन बांधों को बनायें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे जालौर जिले में सांचौर, रानीवाड़ा और भीनमाल, यहां अगस्त माह में भारी बारिश होने से अतिवृष्टि हुई थी और अतिवृष्टि होने के कारण हमारे यहां जो छोटे-छोटे बांध थे, एनिकट थे, चैक डैम थे, वे सारे टूट गये हैं। इसलिए आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वे छोटे-छोटे बांध भी पंचायती राज के माध्यम से बनें, ताकि किसानों को इसका लाभ मिल सके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पी एच ई डी मंत्रीजी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने अभी-अभी मेरे विधान सभा क्षेत्र में करीब 12 ट्यूबवेल ड्राई थे, इन्होंने सैंक्शन किये। इसके अलावा भी करीब 12-13 ट्यूबवेल और ड्राई हैं। तो आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि वे ट्यूबवेल भी आप बहुत ही जल्दी स्वीकृत करें। जी एल आर जो हमारी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं, वे जी एल आर भी आप ठीक करायें और जहां-जहां पर फ्लोराइड़ की मात्रा अधिक है, वहां पर आर ओ प्लांट स्वीकृत करें।

आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री पूरणमल सैनी।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 27 व 46 पर चर्चा में हिस्सा लेने की अनुमति दी, इसके लिए आपका आभार व्यक्त करते हुए, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: Five minutes. There are 60 people. We will now be touching the 15th.

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): ये मिनट, सर, मेरी हैं, या दूसरे किसी और की?

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बार मुझे याद है, जब आप भी विराजते थे पिछली बार साथ में विपक्ष में, तब रात को 2 बजे तक पी एच ई डी का था और 2 बजे तक चला था।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, अगर मैं पांच-पांच मिनट भी बुलाऊंगा ना, तब भी 12 तो बज जाएंगे।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस देश के संविधान में भी यह लिखा है कि कोई भी दल राज्य और देश में सरकार बनाएगा, तो व्यक्ति, समूह और समाज की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति उस दल की सरकार करेगी। अगर उस बात को ध्यान में रखते हुए राजस्थान प्रदेश की बात करें, तो प्रदेश की भौगोलिक स्थिति और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इसके शहर, गांव और ढाणी तक अगर शुद्ध पेयजल की पहुंच करना चाहें, तो अपने आपमें यह बहुत बड़ी चुनौती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चुनौती मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसके लिए, चाहे वह सरकार केन्द्र की होगी, चाहे प्रदेश की होगी, चाहे वह बी जे पी की आज है, चाहे पहले कांग्रेस की रही होगी, आवश्यकताओं की पूर्ति पूर्णतः धन के अभाव में नहीं रह सकती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी मेरे से पूर्व झुंझनूं जिले से आने वाले माननीय सदस्य बता रहे थे कि नदी, जोहड़ों में चाहे दूसरी कोई समस्याएं रही होंगी, लेकिन 2013 में झुंझुनूं जिले के दो विधान सभा क्षेत्र, झुंझुनूं और खेतड़ी के दोनों शहर और गांवों को जोड़ने के लिए 954 करोड़ की स्कीम की स्वीकृति जारी करके और उसके कार्यादेश जारी कर दिये गये, मौके पर काम स्टार्ट हो गये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह कुंभाराम लिफ्ट परियोजना का काम आठ फेजों में पूरा होना था। चार फेज का काम दूसरी संवेदक कंपनी के पास है और चार फेज झुंझुनूं जिले में घुस जाने के बाद, दोनों तहसीलों का एल एंड टी कंपनी के पास है। उनका इन दोनों विधान सभा क्षेत्रों में पानी देने का समय था अगस्त, 2016 । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब तक उन कंपनियों ने छह फेज का काम पूरा कर लिया, लेकिन हमारी सरकार के द्वारा भुगतान मात्र चार फेज का किया गया है। धन का इसमें प्रोविजन भी है, उपलब्धता भी है, उसके बावजूद भी...। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में, पूर्व में भी जब मुझे अवसर दिया तो मैंने अपनी बात रखी थी कि विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में 41 पंचायतें, 112 गांव और 1 नगरपालिका 20 वार्डों से हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस विधान सभा क्षेत्र

(श्री पूरणमल सैनी)

खेतड़ी के चार या पांच गांवों को छोड़कर, पेयजल की किसी भी प्रकार की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। मैं माननीय मंत्री महोदय को अवगत कराना चाहूंगा कि उस कुंभाराम लिफ्ट परियोजना में 300 करोड़ रुपये चार फेज के इन्होंने उनको पेड कर दिये। अब इस बार कंपनियों को 100 करोड़ रुपया देय था, उसके लिए इन्होंने मात्र 10 करोड़ रुपये खेतड़ी के लिए रखे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा, वैसे ही, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने 540 दिन एक्स्ट्रा और मांगे हैं और 250 करोड़ रुपये और मांगे हैं, वह तो अलग बात है, लेकिन जो पहले स्कीम में प्रोजेक्ट तैयार किया गया था, उतना पैसा तो उनको उपलब्ध करवाया जाना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, साथ ही मैं मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहूंगा कि जब पेयजल योजनाएं इस प्रदेश में कभी शुरू की गई होंगी और खेतड़ी में जब शुरू की थीं, तो तीन गांव, नगरपालिका खेतड़ी, ग्राम पंचायत बसई और ग्राम पंचायत बबाई, तीनों में उस समय की पाइपलाइनें जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनको बहुत बड़े धन के प्रोविजन की जरूरत नहीं है। जो कुंभाराम लिफ्ट प्रोजेक्ट तैयार किया गया था, उसमें यह प्रोविजन लिया हुआ है कि जो भी लाइनें जीर्ण-शीर्ण होंगी, जो भी वहां की पेयजल की स्कीमें ध्वस्त हो रही हैं, उनका उस लिफ्ट परियोजना में प्रयोजन फरमाया हुआ है। तो माननीय मंत्री महोदया से आग्रह करना चाहूंगा कि उन प्रोजेक्ट के अधिकारियों को बुलाकर केवल इतना कह दें कि पुराने जमाने से जो शहरों में, जिन गांवों का, नगरपालिका का मैंने नाम गिनाया है, उनके लिए उन प्रोजेक्ट को ही आदेश कर देंगे, तो नई लाइनें, चाहे वे राइजिंग लाइनें हैं, चाहे सप्लाई लाइनें हैं, उनमें डलवाई जा सकती हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं है, पिछले 2013 में मैं स्वीकृति आदेश भी लेकर आया था। उसमें भी मेरे विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में सात स्कीमें सैंक्शन करके धन का प्रोविजन कर दिया और अंत में वित्तीय स्वीकृति भी हो गई और फिर टेंडर भी कॉल कर दिये, उसके बावजूद अड़चन यह आई कि यह कुंभाराम लिफ्ट परियोजना जब आने वाली थी तो अधिकारियों ने सरकार के बदलते ही केवल यह कहकर देख लिया कि साहब, वहां तो कुंभाराम लिफ्ट परियोजना का पानी आएगा, इसलिए उन स्कीमों को डम्प कर दिया। उनमें से माननीय मंत्री महोदया से जब मैं बार-बार व्यक्तिगत मिला, इन्होंने अधिकारियों को आदेश किया, तो यू ओ नोट जिसमें सारा प्रोविजन

(श्री पूरणमल सैनी)

किया हुआ है, उनमें पांच गांवों की स्कीमें तो इन्होंने रिवाइज टी एस के लिए दुबारा इनके एडिशनल चीफ ऑफिस, जयपुर ग्रामीण में भिजवा दिया, लेकिन दो स्कीमें, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए छोड़ दीं कि उनकी पापुलेशन कम है। जबकि इस बजट भाषण के बिन्दु संख्या-28 में माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने कहा है कि इस बार पेयजल की समस्याओं के समाधान को ध्यान में रखते हुए, समस्याओं का समाधान करने के लिए पापुलिज्म नहीं रखते हुए और वहां की समस्या को ध्यान में रखते हुए स्कीमों का निर्माण करवाया जाएगा। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इनमें धन का प्रोविजन भी किया है, केवल, और केवल, रिवाइज टी एस जारी करके इनके कार्यादेश जारी करने हैं। तो माननीय मंत्री महोदया से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इनकी रिवाइज्ड टी एस जैसे ग्राम नानूवाली बावड़ी, ग्राम पपूरना, ग्राम संजयनगर, ग्राम दूधवा, ग्राम धोसी और ग्राम तातीजा देवता की जो स्कीमें पड़ी हैं, उनको भी मंगवायें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खेतड़ी में, अभी बार-बार सदन में बातें तो आती रहती हैं कि वह नहीं करते, लेकिन मैं आपके माध्यम से करबद्ध निवेदन करना चाहूंगा और पूछना भी चाहूंगा कि आप किस बात को सौतेला व्यवहार या पक्षपात कहते हैं? जब पिछले ढाई-सवा दो वर्ष से इन्होंने विभिन्न विधान सभा क्षेत्रों में हैंडपंप भी निकालें, सिंगल फेज भी निकालें और आर ओ प्लांट्स भी लगायें, लेकिन विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में पहले से ही इतनी बड़ी समस्या थी, इसके लिए स्कीमें भी बनीं और कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना के लिए भी सरकार को इतना बड़ा पैसा खर्च करना पड़ा; माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वहां वास्तव में बहुत बड़ी समस्या है। कर लीजिये, दूसरी कोई चीजें हैं, उनके लिए तो अव्यवस्था अगर है तो चल जाएगा, लेकिन मूलभूत आवश्यकताओं के लिए भी अगर सरकार इस तरीके से पक्षपात करेगी, तो इस राजस्थान का आदमी, इस खेतड़ी का आदमी, कैसे आप लोगों को, जो सत्तर वर्ष में वोट के लिए उपयोग होता रहा है, वह कैसे आपको काम दे पायेगा?

तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, आपने मुझे शुरू में हिदायत दी थी कि पांच मिनट दे दिये, इसके लिए आपका आभार व्यक्त करते हुए, पुनः मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि मेरे द्वारा निवेदन किये गये खेतड़ी के प्रपोजल्स पर आवश्यक कार्यवाही करके खेतड़ी की जनता को अनुगृहीत करें। आपने अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। जय भीम। जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष: श्री श्रीचंद कृपलानी।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कहा गया था कि शाम को 6 बजे नम्बर आएगा, इसलिए मैं भी बैठा था चुपचाप।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज मांग संख्या 27-पेयजल व मांग संख्या 46-सिंचाई, जिन पर आज बहस हो रही है, उनके समर्थन में खड़ा हुआ हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियां हैं, निश्चित रूप से पानी की यहां कमी है, चाहे वह पीने का पानी हो; चाहे सरकार कितनी ही व्यवस्था करे, लेकिन उसके बावजूद भी कोई न कोई कमी रहती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से, चूंकि समय कम है, मैं पहले पी एच ई डी मिनिस्टर साहब, जिनके बारे में अभी हमारे विधायक सुरेश जी धाकड़ यहां कह रहे थे कि हमारे जिले चित्तौड़गढ़ की बहू हैं ये ... (व्यवधान) मैं वही तो कह रहा हूं। मेरी बात तो सुन लें आप। चित्तौड़गढ़ जिले की बहू हैं, लेकिन चित्तौड़गढ़ जिले से थोड़ी रूठी हुई हैं ये, रूठ कर राजसमन्द जिले में चली गई। मैं हमारी मंत्रीजी से यही निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जिले की तरफ थोड़ा ध्यान दें। वैसे मैं ....

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन में न तो कोई भाई होता है, न भाभी होती है; माननीय सदस्य होते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: चलो, जो उम्मीद आपको यह थी कि इस बहाने ही कुछ हो जाएगा, वह भी इन्होंने...।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अपनी मंत्री पर पूरा भरोसा है और हमारी +++ मंत्री बन गयीं। सदस्य हैं, यह हम भी मानते हैं; आप भी सदस्य हों और मैं भी सदस्य हूं, लेकिन मुझे इस बात का गर्व है कि +++ जलदाय की मंत्री बनीं, उसके बाद राजस्थान में जितना इस क्षेत्र में काम हुआ, कांग्रेस के पचास सालों में भी वह काम नहीं हुआ। इतना काम इन मंत्रीजी ने करके दिखाया। (व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सोचता हूं कि ज्यादा लम्बा-चौड़ा न बोलूं। मैं एक्चुअली इर्रिगेशन पर बोलना चाह रहा था लेकिन +++ मंत्री हैं और इस डिमाण्ड पर बहस भी है, इसलिए मैं खाली इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसको हटाना चाहिए। +++ कोई नहीं होती यहां पर, न कोई +++ होती हैं।

श्री उपाध्यक्ष: मैं एडिट करा दूंगा।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): +++ भी नहीं होती हैं?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): +++ माननीय सदस्य हैं सब और +++ अगर आपको जाना है, तो एंड टीवी पर आता है +++ घर पर हैं क्या, वहां जाओ। (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदया से यह निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले दो सालों में...

श्री उपाध्यक्ष: ये +++ शब्द को मंत्रीजी के नाम संशोधित कर दिया जाए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): मैं इस अवसर पर राजस्थान की हमारी लोकप्रिय मुख्य मंत्री माननीया वसुन्धरा जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने अभी जो बजट प्रस्तुत किया, विशेष रूप से जो बंद पड़ी हुई जनता जल योजनाएं थीं...

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये आपने एक्सपंज तो करा दिया, फिर माननीया मंत्रीजी चित्तौड़ से रूठ गयीं क्या फिर? +++ तो चित्तौड़ से रूठ गयीं, वह बात तो यहां सही लग रही है, पर अब वह +++ मंत्री जी हो गये, तो मंत्रीजी चित्तौड़ से रूठ गये।

श्री उपाध्यक्ष: यह कार्य वकील के माध्यम से ही हो सकता था।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2015-16 में आपने 80 करोड़ रुपये की लागत से एक हजार योजनाओं को...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सही पकड़े हैं, उपाध्यक्ष महोदय, आप।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): एक्चुअली क्या है कि मेरी आदत पड़ी हुई है इनको +++ कहने की। अब वह मंत्री कहना धीरे-धीरे सीख रहा हूं मैं भी। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं इनको कि जनता जल योजनाएं जितनी बंद पड़ी थीं ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आपको कोई खाते-पीते घर की औरत मिली नहीं, नहीं तो +++ कहना भूल जाते आप। (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): अब कांग्रेस वाले कोई टोक नहीं रहे हैं, आप ही टोक रहे हों। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): +++ की कोई डिमाण्ड नहीं है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): चलो, मंत्रीजी। मैं अब, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनको अलग से बता दूंगा घर पर। बहुत-बहुत धन्यवाद, आप तो निम्बाहेड़ा की योजना को स्वीकृत कर देना, जो हमारी पेयजल की है और जो दूसरी योजना मैं आपको बता दूंगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं एक सुझाव देना चाहता था कि जनता जल योजना में आपने गत वर्ष अस्सी करोड़ रुपये दिये, उन एक हजार योजनाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए आपने पैसा दिया; इस साल भी आपने बजट में सौ करोड़ रुपये लिखा है, लेकिन यहां जितने एम एल ए साहबान बैठे हैं, सबको पता है इस बात का, सबको अपने-अपने विधान सभा क्षेत्र की जानकारी होगी; माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कहीं एम एल ए कोटे से, कहीं सांसद कोटे से, कहीं किसी योजना से, कहीं किसी योजना से, हर गांव में कहीं ट्यूबवेल लगा हुआ है, कहीं छोटा-मोटा कनेक्शन करके आदमी काम चला रहा है। वह जनता जल योजनाओं में नहीं है। ऐसी कई योजनाएं हैं राजस्थान में, जो बंद पड़ी हैं। मेरा आपसे, मंत्री महोदया, यही निवेदन है कि उन योजनाओं का आप एक बार सर्वे करवायें कि ऐसी कितनी योजनाएं राजस्थान में हैं जो आपके मापदंड में नहीं आ रही हैं। मापदंड आपने पन्द्रह सौ का बना रखा है।

मैं इस बात का भी आपको धन्यवाद देता हूं और हमारे राजस्थान की मुख्य मंत्री वसुंधरा जी को धन्यवाद देता हूं कि जब उन्होंने बजट प्रस्तुत किया, पहली बार, अभी कल्याण सिंह जी कह रहे थे यह बात, मैं जब पहली बार विधायक बना था 1990, उस समय भी भैरोंसिंह जी शेखावत साहब को मैंने यह बात विधान सभा के इस पटल पर कही थी कि मापदंड किसी भी सरकारी योजना के लिए तय नहीं होना चाहिए। आखिर परिवार नियोजन की बात हम बार-बार करते हैं और एक तरफ मापदंड तय करते हैं।

जिन गांवों में आवश्यकता है, मुझे याद है, मैं आपको उदाहरण देता हूं एक बात का, कि राजस्थान में जब जल संसाधन मंत्री, पी एच ई डी मंत्री सांवरलाल जी जाट थे। एक बार, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सांवर लाल जी जाट के साथ चित्तौड़गढ़ जिले में भैंसरोड़गढ़ में एक गांव हैं, उस गांव में हम किसी योजना के कार्यक्रम में गये थे। वहां पर एक गांव के लोग मिले

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

उनसे और उन्होंने कहा कि हमारे गांव में पीने के पानी की समस्या है। सांवरलाल जी जाट, जो उस समय मंत्री थे, उन्होंने उस समय पी एच ई डी के अधिकारियों को बुलाकर कहा कि इनके पीने के पानी की व्यवस्था करो। तो उन्होंने कहा कि इनके यहां ट्यूबवेल में पानी नहीं आ सकता, हम टैंकर लगा देंगे। टैंकर इतना दूर जा नहीं सकता। तो सांवर लाल जी जाट ने उस समय कहा कि पैसा जो भी है, कोई मापदंड देखने की आवश्यकता नहीं है, यह गरीबों का पैसा है। डेढ़ सौ की आबादी है, भले ही मापदंड नहीं है उनका, लेकिन इनका काम पूरा होना चाहिए। आपको आश्चर्य होगा कि अस्सी लाख रुपये उन्होंने उस समय स्वीकृत किये। आज वह डेढ़ सौ की आबादी का गांव पानी पी रहा है। हमारी आवश्यकता यह होनी चाहिए।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): सांवरलाल जी को याद ही करते रहो। ऐसा मंत्री नहीं मिलेगा।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): सांवर लाल जी केन्द्र में मंत्री हैं अभी।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): अगर यही हालात रहे तो लातूर बन जायेगा।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): नरेन्द्र मोदी जी की सरकार में मंत्री हैं अभी वे। गंगा की सफाई के अभियान में लग रहे हैं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मोदी की सरकार नहीं, उनके जिगर था। अब तो लातूर बनने वाला है राजस्थान।

श्री किशनाराम (डूंगरगढ़): क्या कमी है मंत्रीजी में? बार-बार खड़े हो जाते हो। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मंत्रीजी में तो कोई कमी नहीं है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि जैकेट ही मंत्रीजी ने पहन रखी है और जैकेट ही किशनाराम जी ने पहन रखी है।

श्री किशनाराम (डूंगरगढ़): बात तो इतनी सही है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये दोनों ही जो हाउस में बोल रहे हैं, ये मंत्री बनने के काबिल थे, लेकिन इनके हाथ नहीं लगा। इस कारण से ये प्रलाप कर रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): क्या चीज हाथ नहीं लगी?

श्री किशनाराम (डूंगरगढ़): मंत्री नहीं बने न, इस कारण से बात करते हो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): बनकर छोड़ दिया।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से यही निवेदन करता हूं कि हमारे क्षेत्र की जो योजनाएं प्रस्तावित हैं, वह मैं आपको पहले निवेदन कर चुका हूं, समय कम है, निश्चित रूप से आप उन पर ध्यान देंगी। विशेष रूप से निम्बाहेड़ा नगर की जो पुनर्गठित पेयजल योजना है, गंभीरी डैम से आलरैडी फर्स्ट फेज में वह योजना चल रही है। हमने रामप्रताप जी से और आपसे मीटिंग भी की थी। निम्बाहेड़ा की आबादी 75 हजार हो गई; पहले जब आबादी 40-45 हजार की थी, तब वह योजना स्वीकृत हुई थी। गंभीरी डैम में जो ढाई सौ एम सी एफ टी पानी की बात हुई थी, उसको रिजर्व रखकर निम्बाहेडा की सेकण्ड फेज की योजना को स्वीकृत करेंगे। हालांकि सवा सौ-डेढ़ सौ तक का भी पी एच ई डी डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने कहा था, निश्चित रूप से इर्रिगेशन वाले भी उसके लिए तैयार हैं और उसका सर्वे भी हो चुका है। आप उस योजना को जल्द ही स्वीकृत करायें।

इस अवसर पर, हमारे इर्रिगेशन मिनिस्टर साहब हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से उनके लिए भी कुछ बातें निवेदन करना चाहता हूं और इस अवसर पर हमारी राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद भी देता हूं। विशेष रूप से, यहां कांग्रेस के लोग बैठे हैं, श्रवण जी, आप बोल रहे थे, आप इस बात का विचार करो, उपाध्यक्ष महोदय, जब हिन्दुस्तान में अटल बिहारी वाजपेयी जी का शासन था, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस देश को सड़कों से जोड़ा, फसल बीमा योजना बनाई, किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था की; दुनिया भर के काम अटल जी ने किसानों के लिये किये, लेकिन सबसे बड़ा काम माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो किया, जो उनके मन में एक सपना था कि हिन्दुस्तान की नदियों को हमको जोड़ना है, नदियों को जोड़ने की योजना उन्होंने बनाई थी, लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है कि अटल जी की उस योजना को कांग्रेस का राज आने के बाद ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। (व्यवधान) कब जुडेंगी, जुड रही हैं ना। वसुंधरा जी को धन्यवाद दो कि राजस्थान में वसुंधरा जी ने नदियों को जोड़ने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी है। हिन्दुस्तान में भी हमारे देश के लोकप्रिय प्रधान मंत्री मोदी जी ने इस योजना की क्रियान्विति प्रारम्भ कर दी है। जब 10 साल मनमोहन सिंह जी

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

का राज था, तब यह स्थिति हो गई; नहीं तो आज हिन्दुस्तान का किसान आर्थिक दृष्टि से विश्व का सर्वश्रेष्ठ किसान होता, अगर उस योजना को आप लागू करते तो, लेकिन आपने तो, 10 साल में भ्रष्टाचार के अलावा कुछ किया नहीं। योजना की बात करना आपके सामने व्यर्थ है।

मैं समझता हूं कि आज हमारी राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट पेश किया, उस बजट में जल संसाधन विभाग को जो बजट उन्होंने दिया, 4 हजार 47 करोड़ 44 लाख का प्रावधान उन्होंने रखा है; सन् 2015-16 से 27.81 परसेंट उन्होंने प्रावधान रखा है। मैं मानता हूं कि वास्तव में राजस्थान में जिस तरह की परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों में निश्चित रूप से सिंचाई विभाग को जितना हम बजट देंगे, क्योंकि एक तरफ हमारी मुख्य मंत्रीजी ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना चला रखी है; मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्य मंत्रीजी को, हमारे जितने विधायक महोदय बैठे हैं, अपने-अपने क्षेत्रों में जो कार्य प्रारम्भ हुए हैं, उन सबको लग रहा है कि वास्तव में मुख्य मंत्री जी का एक सपना है कि आने वाले तीन वर्षों और आने वाले पांच-सात वर्षों में राजस्थान में सिंचाई की इतनी व्यवस्था हो जाये कि किसान को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़े। हर गांव में पानी की व्यवस्था हो, पीने के पानी की व्यवस्था भी हो और सिंचाई के पानी की व्यवस्था भी हो। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के माध्यम से ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर सिर्फ मेरे क्षेत्र की कुछ समस्या कह दूं, क्योंकि मेरे पास स्लिप आ गई है। मेरे यहां रेणका नाका एक बांध है, वह रेणका नाका बांध ...(व्यवधान) घनश्याम जी, मैं असत्य नहीं बोल रहा था, मैं सही बोल रहा था, बिलकुल। राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी ने किया है और कर रही हैं। इसलिए मैं सच बोल रहा हूं बिलकुल, और वह तो हमारा बजट बता रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक रेणका नाका बांध है, राजस्थान में जब वसुंधरा जी मुख्य मंत्री थी अगस्त, 2008 में, उन्होंने रेणका नाका बांध की जनता की मांग पर स्वीकृति दी थी 9 करोड़ रुपये की। सांवर लाल जी जाट उस समय मंत्री थे। बांध स्वीकृत हो गया, उसका टेंडर हो गया, वर्क आर्डर हो गया, उस बांध का शिलान्यास हो गया और दुर्भाग्य कि कांग्रेस पार्टी का राज आ गया, उन्होंने आते ही उस बांध को रोक दिया। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

कि रेणका नाका बांध की शीघ्र स्वीकृति जारी करें। क्योंकि जिस क्षेत्र में वह रेणका नाका बांध बन रहा है, वह कनाडा घाटा का क्षेत्र है, वह पूरा घाटे में बसा हुआ है, मध्य प्रदेश से होकर उस क्षेत्र में जाना पड़ता है और उस क्षेत्र की जो स्थिति है और जिस तरह के गरीब लोग वहां पर रहते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करता हूं कि आज मंत्रीजी कुछ न कुछ उसके बारे में घोषणा करें।

इसके अलावा, बड़ावल बसेड़ा तालाब की समस्या है हमारे यहां। धामन धेला बांध है, एक हमेर बांध है छोटी सादड़ी में, जिसकी साइड, यह हमारे गये शासन में स्वीकृत बांध था, कांग्रेस का राज आते ही उसकी साइड को चेंज कर दिया गया। ऐसी कई छोटी-छोटी योजनाएं हमारे यहां की हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यही निवेदन करूंगा कि उनकी स्वीकृति अब जारी करें।

मैं इस अवसर पर ज्यादा लम्बी-चौड़ी बात नहीं करते हुए, एक बार फिर आपको धन्यवाद देता हूं और कांग्रेस पार्टी के लोगों के लिए एक शेर मैं भी लिखकर लाया हूं। सभी शेर कह रहे थे, तो मैंने सोचा, एक शेर मैं भी कह दूं आपको। क्योंकि आपके कर्म ऐसे हैं कि बिना शेर के आप मानोगे नहीं। (व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): आपकी तैयारी तो थी नहीं। (व्यवधान) कोई ढंग का स्पीच देते, तो हमें भी लगता कि हमारे सीनियर सदस्य बोल रहे हैं। यह शेर से क्या मिलेगा?

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): रमेश जी, मेरी बात सुनो-

चमन को सींचने में पत्तियां कुछ झड़ गई होंगी,
यह इल्जाम हम पर लगा रहे हैं बेवफाई का।
मगर कलियों को जिसने रौंद डाला अपने पैरों में,
वही दावा कर रहे हैं चमन की रहनुमाई का।

धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री जय नारायण पूनियां।

श्री जय नारायण पूनियां (तारानगर): उपाध्यक्ष जी, आज की डिमांड है; पीने का पानी और सिंचाई। मेरे क्षेत्र तारानगर में सबसे बड़ी प्रोब्लम है, पीने के पानी की योजना है 'अपनी योजना', इसमें प्रत्येक गांव की एक कमेटी

(श्री जय नारायण पूनियां)

भी शामिल है, लेकिन उसका काम रह गया वाटर चार्जेज कलेक्ट करके डिपार्टमेंट में जमा कराना। वह इतने कमजोर आदमियों की बनी हुई है कि कोई देखभाल नहीं कर सकती; न समझा सकती; न रोक सकती; न कोई मदद कर सकती; न शिकायत कर सकते, डरते हैं। मेरा कहना यह है कि हमारे पास पानी है, व्यवस्था में दोष है। उस गड़बड़ी को दूर कर लिया जाये, तो पीने के पानी की समस्या हल हो सकती है। आगे आने वाला टाइम गर्मी का आयेगा, भयंकर समस्या आयेगी।

इसमें मैं समझता हूं, डिपार्टमेंट को ही ध्यान देना होगा। कुछ तो यह योजना पुरानी हो गई, संख्या भी बढ़ गई, फिर तोड़-फोड़ बहुत होने लग गई, मिसयूज बहुत होने लग गया, उसको रोका कैसे जाये। इसमें गांव वालों को साथ लेना जरूरी है। मेरा सुझाव है कि कमेटी अकेले गांव वालों की न बनाई जाये। उसके साथ में विभाग का भी एक कर्मचारी/अधिकारी हो, चाहे जे ईएन हो या ए ईएन हो, ताकि गांव वाले खुले न रहें कि इकट्ठे होकर मनमर्जी कर लें। उसके ऊपर चैक होगा और अधिकारियों पर यह चैक होगा कि पानी नहीं पहुंचा, तो यह कमेटी हमको रोक देगी, हमको नुकसान पहुंचा देगी, शिकायत कर देगी। थोड़ा-सा सुधार इसमें करो। कुछ पाइंट हैं जिनमें पानी की समस्या आयेगी। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सारी बात मंत्री महोदया से की है, कुछ पाइंट हैं वे मैंने उनको बता दिये है कि ये-ये पाइंट संभालने पड़ेंगे, इनमें कुछ सुधार करना पड़ेगा। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम करेंगे। तो यह सब समस्या हल हो सकती है। मैं ज्यादा लम्बी-चौड़ी इस बात पर नहीं कहना चाहता।

दूसरी समस्या है नहर की। नहर वाली समस्या में सबसे बड़ा झगड़ा यह हुआ कि यह जो अपना प्रोजेक्ट था, वह 2 लाख 40 हजार हैक्टेयर भूमि सिंचाई होगी। 2005 में इस प्रोजेक्ट को स्टॉप किया। उस वक्त से लेकर आज तक यह बंद है। जो कुछ बना, उसमें फव्वारा, डिग्गी सिस्टम लागू कर दिया। जो किसान वंचित रह गये, उनका हर वक्त एक ही जोर है कि हमारा एरिया जोड़ो, हमारा एरिया तो जोड़ो, हमारा खेत तो जोड़ो।

उसमें कुछ गड़बड़ियां भी हैं, मेन नहर बनाई है उसकी ब्रांचेज भी बना दीं; एक तरफ तो सिंचाई हो रही है, दूसरी साइड खाली पड़ी है। यह सारी की सारी देखने की चीज हैं सारी की सारी चैक करने की हैं, उसको समझने की हैं।

(श्री जय नारायण पूनियां)

मौके पर जाकर अधिकारियों को देखना पड़ेगा कि कितना पानी किस प्रकार से आसानी से लग जाए।

अब पानी की कटौती होने से लोगों को बड़ा दुःख हुआ और हालात ये हुए कि पिछली साल 70 करोड़ नहर निर्माण के नाम पर, डिग्गी निर्माण के नाम पर और उसको चालू करने के नाम पर उसका बजट भी अलाट हुआ, 2015-16 का बजट अलाट है, काम शुरू नहीं हो पाया। अब लोगों को समझाने का हमारे पास कोई साधन नहीं था। जिसका नतीजा यह है, सिंचाई विभाग के मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि सिंचाई विभाग के माध्यम से जो काम हो रहे हैं, उनको शीघ्र से शीघ्र चालू कर दिया जाए ताकि ठण्डी हो। आज भी तारानगर में धरना, प्रदर्शन, जुलूस, भाषणबाजी, रोज छह महीने से लगातार हो रहे हैं और सारी व्यवस्था हमारे ऊपर पड़ रही है कि आपकी सरकार क्या कर रही है, कोई काम ही नहीं कर पा रहे हो आप तो। मंत्रीजी से मैंने पूछा; बोले, अभी टेंडर प्रक्रिया पूरी हुई है, क्योंकि डिग्गियों का सलेक्शन करना भी आसान नहीं; चार-चार किसानों की जमीन को टटोलकर लाना, उनको राज़ी करना, मामूली बात नहीं है; टाइम लगा है; अब वह प्रक्रिया चालू हो जाएगी। चालू हो जाएगी, तो चालू तो हो जाएगी; माननीय, आपकी बात पर मैं बहुत विश्वास करता हूं, आपने जो बताया है उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन जब तक जल्दी से जल्दी चालू नहीं हो जाए, लोगों को समझाने में दिक्कत आ रही है। मेरी इतनी बात पर आप ध्यान दें, ताकि हम लोगों को कह सकें कि जो कुछ आपको मिला है उस पर सब्र करो और बाकी आपको नहीं मिलने वाला, उसका कोई दूसरा तरीका निकालो। क्योंकि डिग्गी और, फ़व्वारे से सिंचाई में पानी कम लगता है और उसके हिसाब से बचत होती है, उसका सदुपयोग होगा; आपकी बची हुई जमीन को और कवर किया जा सकता है। तो यह मंत्री जी जवाब दें।

इनके बारे में सब कुछ मैंने कह भी दिया और इनको मालूम भी है और वहां पर आंदोलन हो रहे हैं, उसका भी मालूम है, लेकिन मेरा कहने का मतलब इतना ही था। मैं इसमें ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं।

इन दोनों समस्याओं के ऊपर, मंत्री महोदय यहां पर बैठे हैं, उनसे मेरा कहना है कि पीने के पानी की योजना सिर पर आई हुई है। इसको बहुत

(श्री जय नारायण पूनियां)

जल्दी देखना पड़ेगा, सुधार करना पड़ेगा और लोगों को यह कहना पड़ेगा, आपके डिपार्टमेंट को यह समझाना पड़ेगा कि प्रशासन भी कोई चीज होती है, ड्यूटी भी कोई चीज होती है, जाकर संभालना पड़ेगा, हर गांव की परेशानी को देखना पड़ेगा। संभालते ही नहीं हैं। गांव में जाकर पूछो तो उनको रीयल परेशानी नजर आ जाती है कि यह गड़बड़ हुई है। कितनी भी शिकायत करो, उनके कान पर जूँ नहीं रेंगती। हम क्या करें? इसके अन्दर तो यह पैसा चाहिए, वह पैसा चाहिए, यह स्कीम खराब हो गई, हम क्या करें? हम क्या करें? तो इसलिए अधिकारियों पर और मंत्रीजी के ऊपर, विशेष तौर से मैं बहुत ही निवेदन-पूर्ण शब्दों में कहता हूं कि आप इसको संभालो और यह स्कीम आपके संभालने से, पानी की समस्या एक बार हल हो सकती है और हमको आगे आने वाले टाइम में कोई परेशानी नहीं हो।

आप लोगों ने जो मुझे बोलने के लिए मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष: श्री कैलाश भंसाली।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): आपने मुझे मांग संख्या 27-पेयजल योजना और 46-सिंचाई पर बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

जोधपुर में पूर्व मुख्य मंत्री श्री भैरोंसिंह जी के प्रयास से इंदिरा गांधी नहर का पानी आ गया। हमारे यहां हर तीन साल में अकाल पड़ता था, चिड़िया नाथ जी का शाप था, वह समस्या समाप्त हो गई, परन्तु अब जब भी क्लोजर होता है तो सोलह दिन के लिए सारे शहर की सप्लाई व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो जाती है। अभी मुख्य मंत्रीजी जब पधारी थीं, हमारी कोर कमेटी ने निवेदन किया था कि इस समस्या का समाधान करने के लिए कायलाना के पास एक जगह है वहां एक टैंक बनाया जाए और उसमें एक नया फिल्टर हाउस बना दिया जाए, ताकि आने वाले 25 वर्षों के लिए जोधपुर में कोई पानी की समस्या नहीं रहेगी और नियमित रूप से पानी की सप्लाई हो सकेगी। मैं उस बात को फिर दोहराना चाहता हूं, निवेदन करूंगा जलदाय मंत्रीजी से कि वे इस पर गौर फरमायें और हमारी इस योजना को स्वीकृति प्रदान करने में सहयोग दें।

फ्रांस से अनुबंध हुआ है। मेरा सिटी एरिया लगता है, उसमें पुरानी पाइप लाइनें और सीवर लाइनें मिल गई हैं और कई जगह बहुत गंदा पानी

(श्री कैलाश भंसाली)

सप्लाई होता है। बार-बार रिपेयर की जाती है, परन्तु उसका समाधान नहीं है। मेरा निवेदन है कि इस कार्य को प्रारम्भ करवाया जाए, क्योंकि अभी कार्य शुरू ही नहीं हुआ है। जोधपुर में वैसे पानी की कोई ज्यादा समस्या नहीं है, परन्तु फिर भी कुछ कॉलोनियां ऐसी हैं जिनमें दो-दो, तीन-तीन दिन तक पानी नहीं आता है। उन कालोनियों में, कारण यह है कि जिस टैंक से पानी सप्लाई होता है, वह पानी आगे जाकर बहुत कम हो जाता है और बहुत कम पानी लोगों को मिलता है और बहुत शिकायतें आती हैं। फिर भी हमारी मंत्रीजी ने इस समस्या का काफी समाधान किया है। अब यह समस्या कुछ कम हुई है। फिर भी आठ-नौ जगह हैं जहां पर पानी के टैंक बनने हैं। वह कार्य जल्दी से जल्दी पूरा करायें। गणेशपुरा, हाई कोर्ट कॉलोनी, सैनिक हाउस, सिटी पुलिस, नौचौकिया, झालामन, मधुबन, सरस्वती नगर, डी-सैक्टर, यहां जो पानी के टैंक हैं, उनको जल्दी से जल्दी पूरा करवाया जाए और इसके साथ में पम्पिंग सिस्टम लगाया जाए। सूरपुरा योजना का कार्य बहुत धीमी गति से हो रहा है। उसमें अधिक समय लगने वाला है, ऐसा अनुमान मंत्री महोदया ने स्वयं ने इंजीनियर्स की बैठक में, हमारे साथ लगा लिया था। उसको जल्दी पूरा किया जाए, ताकि जोधपुर शहर की तीनों कांस्टीट्यूएंसी में और विशेषकर चौथा लूणी सेक्टर में भी उसका पानी सबको मिल सकेगा।

एक समस्या जोधपुर में भू-जल की है। जोधपुर में ऐसे बहुत से स्थान हैं, और यह एरिया बढ़ता जा रहा है, जहां पांच-पांच हार्सपावर की पांच-पांच मोटरें रात और दिन चलती हैं, तब जाकर पानी डिस्चार्ज किया जाता है और वह पानी नाले में बहाया जा रहा है। उसका कोई उपयोग किया जाए। इससे दो काम हो जाएंगे-भू-जल की समस्या जो बढ़ती जा रही है वह कम हो जाएगी और लोगों को जो पानी मिलेगा, वह खेती में काम आ जाएगा।

इसी तरह से कुछ ट्यूबवेल बंद हो गये हैं, उनको वापस शुरू किया जाए और कुछ नये ट्यूबवेल खुदवाकर पानी की इस योजना को और अधिक आगे बढ़ाया जाए।

पुलिस लाइन में आज भी दो-दो फीट पानी है और नया क्षेत्र, सरदारपुरा में पहले कम था, अब सरदारपुरा में भी हो गया है और झालामंड एरिया, जहां पर इसकी कोई मांग नहीं थी, आज वहां भी पानी ऊपर आ गया। सारे अख़बार वाले लिख रहे हैं कि 'जोधपुर पानी पर तैर रहा है, कभी भी एक

(श्री कैलाश भंसाली)

बड़ा हादसा हो सकता है'। उसके लिए सरकार को और मुख्य मंत्रीजी से भी निवेदन किया था कि इस कार्य को किया जाए। तीन-तीन एजेंसियों ने रिपोर्ट बनाईं, परन्तु अभी भी कनक्लूजन पर नहीं पहुंचे हैं कि पानी कहां से आता है। हमारी राष्ट्रीय जलदाय गंगा नहर की मंत्री आई थीं, तो उन्होंने कहा था कि हम किसी भी हालत में जोधपुर को डूबने नहीं देंगे और इस पानी को, जो कि उनका अंदाज है कि यह सरस्वती नदी का पानी है जो जैसलमेर से चलकर जोधपुर आ रहा है, उसको काम में लिया जाएगा।

जोधपुर में कुछ स्थानों पर पानी तीन-तीन, चार-चार दिन नहीं आता है। उसका कारण है कि बहुत सारी लाइनें खराब पड़ी हुई हैं, पुरानी हो गई हैं, गल गई हैं। वे ठीक नहीं हो सकतीं। इनके लिए नई लाइन, हमने विधायक कोष से एक करोड़ रुपये इस कार्य के लिए दिये हैं, काफी जगह हमने लाइन बदलवायी है, ताकि स्वच्छ पानी सबको मिल सके।

इसके अलावा, जोधपुर पहाड़ी पर है। नीचे जो हैं, उनको तो पानी मिल जाता है। कुछ स्थान ऊंचाई पर हैं, उनको पानी बराबर नहीं मिलता है और बड़ी समस्या रहती है। यह तो जोधपुर की समस्या है।

दो मैं विशेषकर से तीर्थों के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। कालू, जो लूणकरणसर में है, वहां पर सात दिन में एक बार पानी मिलता है। इतना बड़ा दशहरे पर मेला लगता है। लोग पानी के लिए त्राहि-त्राहि करते हैं और सारा पानी टैंकर से मंगाया जाता है, जो कि बहुत खर्चीला है। हर नगरपालिका को दस से बीस हजार का पेमेंट करना पड़ता है और मेले में एक-एक लाख रुपये का पानी उनको मंगाना पड़ता है। उसका स्थायी समाधान किया जाए।

(18.00 बजे)

इसी तरह से श्री महावीर जी का जैन मंदिर दौसा क्षेत्र में है, वहां भी पानी की बहुत किल्लत है। वहां पानी आता ही नहीं है, महीने-महीने भर। मैं अभी गया था, हमारी जन लेखा समिति गई थी। लोगों ने कहा था कि हमारे यहां पानी की भयंकर समस्या है। इसका भी समाधान मंत्री महोदया ढूंढेंगीं, ऐसा मेरा विश्वास है।

आपने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री भीमा भाई।

श्री भीमा भाई (कुशलगढ़): माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे मांग

(श्री भीमा भाई)

संख्या 27 व 46 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिस जिले से आता हूं, बासंवाड़ा जिला राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में वह जिला है जो राजस्थान का चेरापूंजी कहा जाने वाला क्षेत्र है। मैं विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ से आता हूं, वहां पर सबसे अधिक बारिश होती है, लेकिन दुर्भाग्य से अभी इस मौसम में स्थिति यह बनी है कि टैंकरों के माध्यम से जनता को पानी पहुंचाया जाता है। उसके लिए मैं हमारी राजस्थान की मुख्य मंत्री का बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि मेरे कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में, कुशलगढ़, सज्जनगढ़ में प्यासी जनता को पानी पहुंचाने के लिए एक कम्पनी द्वारा सर्वे करवाकर डी पी आर तैयार करवा ली गई है, जो सरकार के स्तर पर विचाराधीन है। कुल रेवेन्यू विलेज 399, समस्त गांव, ढाणियों को पानी पहुंचाने हेतु सरकार ने डी पी आर तैयार करवा ली, राज्य सरकार स्तर पर विचाराधीन है। हमारी पी एच ई डी मंत्री महोदया से मैं आशा और उम्मीद करना चाहूंगा कि इस स्कीम की इसी सत्र में घोषणा करके कुशलगढ़, सज्जनगढ़ के क्षेत्र में पानी पहुंचाने के लिए आप प्रयास करेंगी। मुझे आशा ही नहीं, वरन् पूरा विश्वास है कि आप इस क्षेत्र के लिए, आपने पहले भी कुछ दिया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। सज्जनगढ़ क्षेत्र के लिए आपने पिछले साल साढ़े बारह करोड़ रुपये देकर उस क्षेत्र की जनता को पानी पहुंचाने का काम किया है। वह काम भी बहुत जल्दी ही प्रारम्भ होने वाला है। उसके लिए मैं पी एच ई डी मंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगा। यह कार्य भी बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा।

महोदय जी, कुशलगढ़ क्षेत्र में कई ग्राम पंचायतों में आज भी ऐसी समस्या बनी हुई है, जहां पर लोगों को टैंकर की व्यवस्था करनी पड़ रही है। मैं विशेष तौर से कहना चाहूंगा कि खेड़ा धरती की 15 ग्राम पंचायतें हैं, 80 के करीब गांव हैं, जिनमें हमने कुछ डी पी आर तैयार करवाकर विभाग के माध्यम से मंत्री महोदया को अवगत कराया। इसमें ग्राम पंचायत खजुराह, ग्राम पंचायत बड़ी सरवा, ग्राम पंचायत पसारबाड़ी, ग्राम पंचायत कोटड़ा रानका, ग्राम पंचायत रूपगढ़ एवं ग्राम पंचायत छोटी सरवा, वगैरह में आज भी पीने के पानी की समस्या हो रही है। उन ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव मंगवाकर पेयजल योजना स्वीकृत कराएं, ताकि उक्त क्षेत्र में पीने का पानी उपलब्ध कराया जा सके।

(श्री भीमा भाई)

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह भी निवेदन है कि पी एच ई डी विभाग में जो क्राइटेरिया जनसंख्या का तय कर रखा है, उस क्राइटेरिया में हमें छूट देनी पड़ेगी। मेरा सम्पूर्ण क्षेत्र टी एस पी क्षेत्र है। जनसंख्या को लेकर हम लोग या विभाग अड़ा रहता है। तो जनजाति परिवारों को, छोटे-छोटे गांवों को पानी उपलब्ध कराने में कठिनाई आएगी। मैं मंत्री महोदया से आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में छोटे-छोटे रेवेन्यू विलेज हैं, कहीं हजार की जनसंख्या की है, कहीं पन्द्रह सौ की जनसंख्या है, कहीं साढ़े सात सौ की जनसंख्या है, पहाड़ी क्षेत्र है, उन टी एस पी क्षेत्रों में अगर छूट नहीं मिली, तो उन गांवों को पीने के पानी की सुविधा नहीं हो सकती। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से अनुरोध करना चाहूंगा कि ऐसे टी एस पी क्षेत्र के गांवों को छूट देने के लिए कोई न कोई रास्ता निकालें।

उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय विराजमान हैं, मैं आशा और विश्वास करना चाहूंगा सिंचाई के बारे में। मेरे कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में पूरा क्षेत्र नॉन-कमांड क्षेत्र है। पास में माही सागर बांध बना हुआ है। वहां की जनता लम्बे समय से उस माही की कैनाल के लिए मांग करती आ रही है। हमारी सरकार ने पिछले समय में वहां के लोगों को आश्वासन भी दिया था; इस बजट सत्र में हमारी सरकार की मुखिया ने घोषणा भी की है कि आने वाले समय में माही सागर के सेडल डैम से कुशलगढ़, सज्जनगढ़, गांगड़ तलाई क्षेत्र में उसकी डी पी आर तैयार करवाकर वहां कार्य प्रारम्भ किया जाएगा। मैं मुख्य मंत्री महोदया को धन्यवाद देना चाहूंगा, साथ ही मंत्री महोदय को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस क्षेत्र में आप वहां की जनता के लिए कुछ न कुछ रास्ता निकालकर माही के सर्वे के लिए कार्य प्रारम्भ करवाएंगे।

आप माही का काम तो करोगे ही करोगे, लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि कुशलगढ़ क्षेत्र में कई ऐसे नाले हैं, कई ऐसी नदियां बहकर निकल रही हैं, जहां पर एनिकट, सेफ डैम, तालाब बनाकर वहां के लोगों को राहत दी जा सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि खेड़ा धरती में एक तेलीनी नदी है, 80 गांवों के बीच में से बहकर निकलती है, वह नदी गुजरात जाकर समुद्र में मिलती है। उन स्थानों पर एनिकट बना दिए जाएं तो वहां की जनता को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा।

(श्री भीमा भाई)

कुशलगढ़ क्षेत्र में कुछ ऐसे तालाब हैं जिन तालाबों को छोटे-छोटे रूप में बनाकर वहां के लोगों को राहत दी जा सकती है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि ग्राम पंचायत खजुराह में वडला वाला नाका, ग्राम पंचायत वड़ला की रेल में केवरिया वाला नाका, ग्राम पंचायत बालाचूना में कुंडिया वाला नाका, ऐसे कुछ स्थान हैं जहां पर छोटे-छोटे तालाब बनाकर वहां के लोगों को राहत दी जा सकती है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसी साइडों का आप सर्वे करवाकर सैंक्शन दें, ताकि वहां के लोगों को रोजगार और सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सके।

साथ ही, त्रिदिया देव की सज्जनगढ़ क्षेत्र की बहुत लम्बे अर्से से मांग चल रही है। त्रिदिया देव का पिछले समय में भी सर्वे हुआ था। फोरेस्ट डिपार्टमेंट की जमीन आने से स्कीम कहीं न कहीं दुविधा में पड़ी हुई है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि फोरेस्ट एरिया का एक भी पेड़-पौधा नहीं है, लेकिन जमीन जरूर फोरेस्ट डिपार्टमेंट की है। तो उसकी भी आप डी पी आर बनवाकर मंगवाएंगे और त्रिदिया देव तालाब के लिए स्वीकृति कराने के लिए आप कोई न कोई कार्यवाही करेंगे।

नॉन-कमांड क्षेत्र के लिए, मंत्री महोदय, फोर-वाटर स्कीम का राजस्थान सरकार पैसा दे रही है। इस वर्ष फोर-वाटर में जो काम हाथ में लिये गये हैं, उनकी सर्वे करवाई गई है। उन साइडों के लिए समय रहते उन क्षेत्रों में फोर-वाटर का पैसा आप दें, ताकि वहां के जनजाति परिवारों को पानी रोकने में बहुत बड़ी सुविधा हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष: श्री गिर्राज।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 27 व 46 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में चम्बल नदी है, वह मेरे क्षेत्र से ही निकलकर जाती है। उसके बाद जो भी पानी है, वह यू पी के लिए यमुना नदी में चला जाता है। ना तो वहां पर अभी तक सरकार ने या हमारे मंत्री महोदय ने..., मंत्री महोदय ध्यान दो, बात मत करो; मंत्रियों का काम है ध्यान देने का, जो सदस्य बोलें उन पर ध्यान दो। आप इतने बोलेंगे, आप पढ़ें, पर ध्यान नहीं दें। यहां पर ध्यान दो, कुछ गम्भीर समस्याएं हैं।

(श्री गिर्राज सिंह)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चम्बल नदी है हमारे क्षेत्र में और मेरी बगल में बसेड़ी विधान सभा क्षेत्र है। अगर एक चम्बल लिफ्ट योजना हमारे यहां पर लग जाए, तो धौलपुर जिले के तीन विधान सभा क्षेत्र उससे कवर हो रहे हैं। एक ही ऐसा पोन डैम है, उसमें हमारे यहां 4-5 तालाब हैं, उन तालाबों से ही हमारे यहां पानी की सप्लाई होती है। चम्बल नदी में, तालाब में अगर नहर बन जाए, डैम हो जाए, तो काफी समस्या का समाधान हो जाए।

इसके अलावा और भी कुछ समस्याएं हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में रामसागर, तालाबशाही, पार्वती बांध हैं। सिंचाई के लिए जो नहरें हैं, जो नहरों की समस्या है, करीब, नहीं तो, जाने कब की, राजा-महाराजाओं के जमाने की वे नहरें बनी हुई हैं। अब तक उन नहरों पर कोई काम नहीं हुआ है, कोई मरम्मत नहीं हुई है। किसी ने कोई दिमाग ही नहीं लगाया कि नहरों के लिए अगर, करीब नहीं तो 50-50, 60-60 साल हो गये, कि नहरों की सफाई कराई जाए, जो कच्ची नहरें हैं उनको पक्का कराया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं कि 30 प्रतिशत किसानों को उन नहरों से पानी मिल पाता है। अगर उन नहरों को पक्का करा दिया जाये, तो करीब, नहीं तो, बाकी के 70 प्रतिशत लोग हैं उनको भी अपना पानी मिलेगा। तो मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि आप उन नहरों को पक्का करावें, जो नहरों के मोघे निकल रहे हैं उन मोघों को पक्का करावें।

किसानों के लिए एक और समस्या है। जो भी 30 प्रतिशत पानी जाता है खेतों में, वह कच्ची नहर होने के कारण वे नहरें फूट जाती हैं। तो खेतों में पानी-पानी हो जाता है। वह बाकी की फसल भी बरबाद हो जाती है, और 70 प्रतिशत फसल सूख जाती है। तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप यह समस्या धौलपुर जिले की, पानी की, इस समस्या पर ध्यान दें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि जो मेरा विधान सभा क्षेत्र है बाड़ी, उसमें से अपनी पार्वती नहर है, ब्राह्मणी नदी है, उन नदियों पर अगर एनिकट बनाये जाएं; पिछली सरकार ने, हमारे राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य हैं, इन्होंने भी एनिकट लिये; मैंने भी करीब, नहीं तो, सौ करोड़ रुपये के मेरे को भी एनिकट दिये अशोक गहलोतजी ने। तो वह एनिकटों से, माननीय मंत्रीजी खुद देखकर आये हैं कि उन एनिकटों से क्षेत्र में कितना पानी है। मंत्रीजी ने खुद ने जाकर वहां पर

(श्री गिर्राज सिंह)

विजिट की, जाकर खुद देखकर आये हैं कि उससे कितना लोगों को फायदा हुआ है। तो, मेरा मंत्रीजी से निवेदन है, मंत्री महोदय, आप इसी तरीके से, जैसे पिछली सरकार ने हमें एनिकट दिये, इसी तरीके से, मैंने पहले भी आपको लैटर भी कई बार लिखे इस मैटर में, तो अगर आप इस तरीके से और भी एनिकट देंगे, तो जो हमारा पानी बहकर जमना में चला जाता है, उत्तर प्रदेश की सीमा में, वह हमारा पानी रुक जायेगा; हमारे जिले की जो पानी की समस्या है, पानी की समस्या का समाधान हो जायेगा; हमारे गरीब किसानों को, हमारे यहां पशुओं को भी पानी मिल जायेगा। जो हमारा डांग का क्षेत्र है, अब जाकर देख लो कि हमारे गांव पूरे खाली हो जाते हैं पानी की वजह से। उपाध्यक्ष महोदय, अब क्या है कि होली बीतने के बाद में पानी खतम हो जाता है डांग के अन्दर। तो सभी लोग डांग से अपने सामान को लेकर इधर चले जाते हैं, उत्तर प्रदेश में, कोई खेरागढ़, कोई अलीगढ़। तो, उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय अगर ऐसी कोई व्यवस्था करें तो इस समस्या का समाधान हो।

जो हमारे पुराने बांध बने हुए हैं, हमारा रामसागर है, पार्वती डैम है, तालाबशाही है; मंत्री महोदय, अगर इनकी सफाई करा दी जायें, 50-50, 60-60 साल हो गये इन डैम्स को बने हुए, अगर अपन इनकी सफाई करा दें, जो कच्चे डैम बने हुए हैं, अगर अपन इनकी मरम्मत करा दें, पक्के काम करा दिये जायें, तो जो पानी का रिसाव है, जो पानी उनमें से बहकर जाता है, वह पानी का रिसाव रुक जाये। एक क्या है कि तालों की सफाई हो जायेगी, तो और भी पानी की क्षमता बढ़ जायेगी।

तो मैं, मंत्री महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमने जो आपके सामने समस्याएं रखी हैं, आप इन समस्याओं का समाधान करें। इससे पहले ही मैं आपको लैटर लिख चुका हूं और आप स्वयं जाकर बाड़ी में देख कर भी आयें कि वहां एनिकट बने हैं, कितने अच्छे एनिकट बने हैं और कितना बढ़िया काम हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं पेयजल पर आता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहता हूं, मंत्री महोदया, आपने भरतपुर सम्भाग में मीटिंग रखी, सभी विधायकों को आपने वहां पर बुलाया। मेरे विधान सभा क्षेत्र में सेंपऊ और बसई नवाब की जो अधूरी पड़ी पेयजल योजना थी, मीटिंग में मैंने आपको बताया। आपने उस समस्या के

(श्री गिर्राज सिंह)

लिए वहां पर मुझे आश्वासन दिया कि मैं एक साल के अन्दर, इस मार्च में, जो मार्च अभी निकलकर गया, इस मार्च तक योजना को चालू करा दूंगी, पानी पिला दूंगी, बसई नवाब में। मंत्री महोदया, आज तक वहां एक भी पानी की पाइपलाइन नहीं बिछी। आपकी घोषणा की बात मैं आपको याद दिला रहा हूं, आपने जो वादा किया था, अभी तक वहां पर एक भी पाइप नहीं लगा। क्या आप उस दोषी ठेकेदार के खिलाफ कार्यवाही करना चाहती हैं? या आप मेरे को, सदन को बता दें कि उस पानी की योजना को आप कब तक पूरा कराएंगे? पूरा कराएंगे, या नहीं कराएंगे? या आपने यही सोच रखा है कि कांग्रेस सरकार में जो 44 गांवों की पानी की योजना बनी है, हम इस योजना को चलाएंगे नहीं? मैंने आपको कई बार लैटर भी लिखे हैं। आपके यहां से मेरे पास लैटर का कोई जवाब भी नहीं आया। न आपने अब तक, जो स्वयं अपने मुंह से घोषणा की भरतपुर में, न उस घोषणा की अब तक आपने कोई पालना की। तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहता हूं कि इस योजना को आप चालू कराएं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से एक और निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में ऐसे गांव हैं जिनमें अब तक एक भी हैण्ड-पम्प नहीं है और उपाध्यक्ष महोदय, एक भी वहां पर कुआं नहीं है पानी पीने के लिए। तो, मंत्री महोदया, आप ऐसे गांवों के लिए ...(व्यवधान) आप तो रुको। आप बैठो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में कई गांव ऐसे हैं जहां एक भी उनमें पानी के लिए हैण्डपम्प नहीं हैं, एक भी उनमें पीने के लिए पानी के कुएं का साधन भी नहीं हैं। और नहीं तो, उपाध्यक्ष महोदय, चम्बल लिफ्ट योजना है, ऐसे गांवों के लिए पानी अपना चालू किया जाये। वे छोटे-छोटे गांव हैं, उनके लिये, मंत्री महोदया, आप क्या व्यवस्था कर रही हैं? कैसे आप पानी पिलाएंगे? आप कहें तो मैं आपको गांव बता दूं। एक तो बण्डापुरा गांव है, मंत्री महोदया, ध्यान दें। आप लिखें। पानी पिलाने की बात है, गांव के अन्दर एक भी हैण्डपम्प नहीं है। गम्भीर समस्या है। माननीय मंत्री महोदया, एक तो बण्डापुरा गांव है, एक खरेरपुरा गांव है, एक पाली गांव है, एक वड़ावली गांव है, आज तक इन गांवों में एक भी हैण्डपम्प नहीं हैं, कोई भी कुआं नहीं हैं, कोई भी सरकार ने आज तक योजना नहीं बनाई गांव वालों के लिए कि ये कैसे पानी पियें, कैसे अपना जीवन जियें।

(श्री गिर्राज सिंह)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनट और लूंगा, साहब। माननीय मंत्री महोदया, जो भी आप योजना चलाते हैं, जो आपके हैण्डपम्प हैं, आपके सभी हैण्डपम्प गांवों के अन्दर खराब हैं। आपके अधिकारियों से हम बात करते हैं, आपके जे.ईएन., ए.ईएन., एक्स.ईएन. से बात करते हैं, तो वे हमसे कह देते हैं कि हमारे पास सामान नहीं हैं। अब, मंत्री महोदया, आप सामान उनको कब तक उपलब्ध करा देंगे? कई आपके अधिकारी कह देते हैं कि मार्च में बन जाएंगे; कई कहते हैं अप्रैल में, फर्स्ट में हम आपके हैण्डपम्पों को चालू कर देंगे। तो, मंत्री महोदया, उनके लिए आप सामान की व्यवस्था करें। इस अभियान को आप सिर्फ दो महीने के लिए चालू नहीं करें। लोग गर्मी के अन्दर ही पानी नहीं पीते हैं, सर्दी के अन्दर भी पानी पीते हैं, बरसात के अन्दर भी पानी पीते हैं। इसके लिए आप एक-दो महीने के लिए अभियान चला देते हैं, उनको गाड़ी दे देते हैं। गाड़ी देने के बाद में फिर आप वापसी, दो-तीन महीने आपने वह गाड़ी दी और आपने उनको वापसी बुला लिया। वे अपने बैठे रहते हैं और बारहों महीने की तनख्वाह ले जाते हैं और काम के नाम पर कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो, मंत्री महोदया, आप इस अभियान को पूरे साल भर तक चलावें। जब तक ये हैण्डपम्प गांवों के अन्दर खराब हो जाते हैं, जो लोगों को पानी के लिए समस्या है, इसके लिए आप समाधान करें।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पूरे विधान सभा क्षेत्र में, चाहे मंत्रीजी सर्वे करा लें, चाहे अपने अधिकारियों को भिजवा दें, चाहे विधान सभा की टीम गठित करा दें, मेरे पूरे विधान सभा क्षेत्र में करीबन 95 प्रतिशत हैण्डपम्प खराब हैं। पीने के पानी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। मंत्री महोदया, आपने तो हमारे संग बहुत भेदभाव किया है। जाने कौनसा बदला ले रहे हैं आप हमसे। आपने सभी को, अपने बी.जे.पी. वाले लोगों को, मेरे विधान सभा क्षेत्र में, बसेड़ी में एक बी.जे.पी. की विधायक थी, आपने उनको तो हैण्डपम्प दे दिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मेरे बगल में, विधान सभा क्षेत्र, एक ही पंचायत समिति लगती है हमारी दोनों की, आपने उनको हैण्डपम्प ही नहीं दिये। क्यों? बाड़ी विधान सभा क्षेत्र में लोगों ने आपकी पार्टी को वोट नहीं दिये, आपकी पार्टी हार गई, इसमें जनता का क्या गुनाह है? ऐसे गांव तो हैं नहीं कि किसी ने आपको वोट ही नहीं दिया हो। आप वोट की या बदले की राजनीति के कारण ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि उनके यहां कोई हैण्डपम्प नहीं है, तो पांच साल तक इन्होंने क्या किया?

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): आप शांत रहिये। आप सुनो। आपके कारनामे सुना रहा हूं मैं। आपको एक जवाब नहीं है।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): नहीं, आपने इतने वर्षों तक ... (व्यवधान)

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): आपने इतने गौरव-पथ दिये। गौरव पथ में भी आपने भेदभाव किया, आपने हैंडपम्प के संग भेदभाव किया। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): आपकी सरकार क्या कर रही थी? आप भी तो पहले थे।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): आपने मिसिंग लिंक दीं, उसमें भी भेदभाव किया। जो तीन-तीन बार, चार-चार बार आपके हारे हुए प्रत्याशी हैं, आप उन लोगों से प्रस्ताव लेते हैं, उनके माध्यम से आप काम करवाते हैं। हमारी सरकार भी थी, तिवाड़ीजी भी बैठे हैं, माननीय उपाध्यक्षजी भी बैठे हैं, सबको बराबर हैण्डपम्प दिये, सबको बराबर रोड्स दीं, सबको बराबर मिसिंग लिंक दिये। किसी के संग में कोई भेदभाव नहीं किया। आपने तो आते ही, हम तो हैं कितने; आप तो हम 24 लोगों को नहीं दे पा रहे हैं, हमने तो आपको 79 को दिया था, हमने आपको 79 लोगों को दिया। हम लोगों की सोच इतनी खराब नहीं है, जो आपकी सोच खराब है, आपकी नीयत खराब है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आपसे वास्तव में मैं यही अपेक्षा करता हूं कि आप अगर सही तरीके से काम करेंगे, तो हम आपका स्वागत भी करेंगे, हम आपकी मदद भी करेंगे और आप अगर ऐसे ही काम करेंगे, तो हम आपका विरोध भी करेंगे, हम रोड पर भी जाएंगे, हम धरना भी देंगे, प्रदर्शन भी करेंगे, हम आंदोलन भी करेंगे। हम यह भी जानते हैं, हम आपसे कैसे लेना जानते हैं और हम उसे लेकर भी दिखा देंगे, अपने अधिकार को। (व्यवधान) आप तो शांत रहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती सोना देवी।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने

(श्रीमती सोनादेवी)

आज की अति महत्वपूर्ण मांग संख्या 27 और 46 पर बोलने का मौका दिया, धन्यवाद, सर।

जल ही जीवन है, यह सर्वथा सत्य बात है, हम सभी मानते हैं। स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करना राज्य सरकार का पहला कर्तव्य होना चाहिए। इसी कर्तव्य को माननीय जलदाय मंत्रीजी ने अपना कर्तव्य समझते हुए, अपना कर्तव्य समझते हुए, इन्होंने न केवल अपने ससुराल में, बल्कि मेरी ससुराल का भी ध्यान रखा और संवेदनशीलता का परिचय देते हुए मेरे ससुराल श्यामगढ़ में इन्होंने ओवरहैड टैंक की व्यवस्था के लिए बजट स्वीकृत किया। इसके लिए मैं मैम का धन्यवाद करना चाहूंगी। धन्यवाद, मैम।

इसके साथ ही कमरानियां की ग्राम पंचायत 18 ए पी डी के लिए बजट 22 लाख रुपये स्वीकृत करने पर भी धन्यवाद। यह भी मैं मैडम को अवगत करवाना चाहूंगी कि जो 22 लाख कमरानियां ग्राम पंचायत के लिए आपने दिये, इसी के ग्राम, इसी में जो ग्राम आता है 18 ए पी डी, इसमें इसके लिए कोई पेयजल व्यवस्था नहीं की गयी है और इसके साथ ही मैं, इस गांव के गरीब लोग, पेयजल के लिए प्रति टैंकर 300 से 500 रुपये का उनको भुगतान करना पड़ रहा है।

इसी प्रकार विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत बाजुवाला के चक 3 एन जेड पी डी, 6 एन जेड पी डी और बॉर्डर एरिया के चक 37 पी एस से लेकर 43 पी एस तक के ग्रामों में पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है। विडम्बना यह है कि बी.एस.एफ. की चौकियां स्थापित हैं, जो कि यहां के पेयजल के साधन उपलब्ध हैं और वहां के बी.एस.एफ. द्वारा स्वयं की व्यवस्था का हवाला देकर, यहां की जो पेयजल व्यवस्था है, उसको अस्त-व्यस्त कर रखा है। सरकार-आपके-द्वार कार्यक्रम में मिनिस्टर साहब युनुस खान जी गये थे, तब मैं भी इनके साथ थी और 22 पी टी डी, खाटा और लिखमेवाला और संगराना ग्राम पंचायत के साथ-साथ पी एस बेल्ट की ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों द्वारा पेयजल की व्यवस्था करने के बाबत परिवाद दिया गया, परन्तु आज दिनांक तक कोई सुनवाई नहीं हुई है।

महोदय, बूंद-बूंद से भरती है गागर और कई गागरों से बनता है महासागर। रायसिंहनगर के उक्त ग्रामों के लिए विस्तृत योजना के तहत वाटर-वर्क्स बनाया जाकर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाया जाए। इस क्षेत्र के लिए

(श्रीमती सोनादेवी)

पी एस वितरिका और समेजा वितरिका से पानी आसानी से उपलब्ध हो सकता है, अभाव है तो व्यवस्था का। मेरे विधान सभा क्षेत्र की ही विजयनगर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत 10 सरकारी व ग्राम पंचायत मोटासर के ग्राम 5 एस, 6 एस व 9 एस (ए) व (बी), ग्राम पंचायत 15 बी एल डी के ग्राम 1 जी डी एम, 13 बी एल डी (ए, बी, सी), 3 एल जी एम व ग्राम पंचायत 17 जी बी व ग्राम 18 जी बी, 21 जी बी भी पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं। यहां तक कि ग्राम पंचायत 10 जी बी का जो वाटरवर्क्स है, वह जर्जर हालत में है, जिस पर विभाग द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

ग्राम पंचायत नानूवाला की पंचायत का जो ग्राम 45 एल एन पी में जो जी एल आर बना हुआ है, वह भी दुर्व्यवस्था के आंसू रो रहा है। जलदाय विभाग के उच्च अधिकारियों को बार-बार अवगत करवाने पर भी उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगी है और वहां पेयजल के अभाव से त्रस्त ग्रामवासी आंदोलन पर मजबूर हो गये हैं। वही अनूपगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत 74 जी बी के बाशिंदे तो आजादी के 69 साल बाद भी पेयजल से वंचित हैं। यहां पर न तो जी एल आर है और न ही डिग्गी है और न ही कोई अन्य सरकारी राहत है।

पेयजल विभाग की जनता जल योजना (जे जे वाई) भी अपनी बदहाली की गाथा स्वयं ही कह रही है। यहां की ग्राम पंचायतें आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण यह योजना चला पाने में असमर्थ हैं। मैं माननीय मंत्री महोदया जी से निवेदन करना चाहूंगी कि इस योजना को पेयजल विभाग द्वारा टेक ओवर किया जाकर, जनता जल योजना के समस्त कर्मियों को विभाग में नियमित किये जाने की आज ही घोषणा कर, अपनी संवेदनशीलता का पुनः परिचय दें।

महोदया, मेरे विधान सभा क्षेत्र में जलदाय विभाग की विफलता से टैंकर माफिया पनप रहा है। पेयजल से वंचित चकों को टैंकर वाले 300 से 500 रुपये प्रति टैंकर वसूल कर जल उपलब्ध करवाते हैं। जहां जनता जल योजना या अन्य डिग्गी से संचालित योजना कार्य कर रही है, वहां पर यह टैंकर माफिया जलदायकर्मियों से मिलीभगत कर जल सप्लाई नहीं करवाते हैं, जिससे पेयजल के लिए ग्रामीणों को इन टैंकर माफिया की शरण में जाकर अपनी जेब कटवानी पड़ती है। इन टैंकर माफियाओं का जाल अब तो शहर की

(श्रीमती सोनादेवी)

तरफ भी फैल चुका है। रायसिंहनगर नगरपालिका क्षेत्र के दूरस्थ वार्डों में भी टैंकर माफिया जलदाय विभाग की शह पर अपना खेल रच रहे हैं।

इसी के साथ ग्राम पंचायत बग़ीचा के ग्राम तरतासर में भी पेयजल की आज तक समस्या रही है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत और पंचायत समिति अनूपगढ़ की ग्राम पंचायत गोमावाली के ग्राम धांधड़ा में, जो कि फ्लोराइड युक्त है, उसमें भी पेयजल की भारी समस्या है।

मैं पुन: निवेदन करना चाहूंगी, I hope कि आप इस पर ध्यान देंगी और आज इसके लिए कुछ न कुछ घोषणा करेंगी। इसके साथ ही... (व्यवधान)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनट। डिमांड संख्या 46 पर सिंचाई मंत्री महोदयजी से मैं कटौती प्रस्तावों के, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के सम्बन्ध में चर्चा करना चाहूंगी। माननीय मंत्री महोदयजी ने अपने बजट प्रस्ताव में आई जी एन पी परियोजना के लिए भारी-भरकम राशि का प्रावधान रखा है। वहीं इस परियोजना का दूसरा पहलू भी उनके ध्यान में लाना चाहूंगी। आई जी एन पी नहर की सूरतगढ़ ब्रांच में 1,850 क्यूसेक्स पानी स्वीकृत है परन्तु वर्तमान में 1,775 क्यूसेक्स पानी ही छोड़ा जा रहा है, लगभग 75 क्यूसेक्स पानी की अघोषित रूप से कटौती की जा रही है, जिसका सिंचाई विभाग के अधिकारियों के पास कोई संतोषजनक जवाब नहीं है। यह भी जांच का विषय है। इसका परिणाम यह है कि ब्रांच की टेल पर स्थित गांव जी बी, पी टी डी और ए पी डी के मोघों पर स्थित किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और इसके साथ ही, निर्धारित मात्रा के अनुरूप जो इनके लास्ट छोर पर, पूंछ पर जो बैठे हैं किसान, उनको पानी नहीं मिल रहा है।

आई जी एन पी को पक्का करने के साथ-साथ, सभी वितरिकाओं को पक्का कर समस्त गेज नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण की आवश्यकता है।

यही हाल गंगनगर की एफ एफ ए माइनर की टेल पर स्थित मोघों का है। निर्धारित मात्रा में पानी नहीं पहुंचने से किसान भारी नुकसान झेल रहे हैं। एफ एफ ए माइनर पर प्रभावशाली किसानों ने अपने बागानों और खेतों में पानी चोरी के लिए पाइप लगा रखे हैं, जिसका प्रूफ मैं माननीय मंत्रीजी को दे सकती हूं। मेरे पास उनके स्नैप्स हैं।

(श्रीमती सोनादेवी)

इसके साथ ही, गंगनहर की रि-लाइनिंग का तभी फायदा हो सकता है, जब इस नहर के पटड़ों पर उगे हुए पेड़ों को उखाड़ा जाए, क्योंकि पेड़ों की गहरी ...(व्यवधान)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनट, सर। पेड़ों की गहरी जड़ों से लाइनिंग थोड़े समय के लिए क्षतिग्रस्त हो जाती है और रिसाव भी प्रारम्भ हो जाता है। जबकि सिंचाई विभाग द्वारा सितम्बर, 2014 में कहा गया था कि लाइनिंग से पूर्व गंगनगर की पटड़ी में 20 फीट की दूरी में इन पेड़ों को हटा दिया जाएगा, जो कि आज दिनांक तक नहीं हटे हैं।

इसी प्रकार बीकानेर कैनाल की आर डी 368 की आर.डी. 423 तक का एक तरफ सफाई कार्य करवाया गया, जबकि दायीं तरफ सफाई आज दिनांक तक नहीं हुई है।

सरकार-आपके-द्वार कार्यक्रम में खाटा और लखा गाम पंचायत के किसानों द्वारा स्वीकृत खाटा माइनर को प्रारम्भ कर पानी उपलब्ध करवाने की मांग रखी गयी थी। माननीय सिंचाई मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि जल्दी से जांच करवाकर इनकी डिमांड को पूरा किया जाए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसके साथ ही, आधा मिनट और लूंगी; महोदय, पंजाब के मल्लेवाला हैड से लेकर बालेवाल हैड तक आर डी-5 से आर डी-168 फिरोजपुर फीडर में गत वर्ष 6 हजार क्यूसेक्स पानी चलना चाहिए था, जबकि नहीं चला। इसके क्या कारण रहे हैं? माननीय मंत्री महोदय को यह जानकारी होने के बावजूद, क्या प्रयास किये गये?

(18.29 बजे)

(श्री श्रीचन्द कृपलानी, सभापति, पदासीन)

सिंचाई विभाग द्वारा दावा किया गया कि गंगनहर परियोजना की मेन फीडर व उसकी वितरिकाओं के पक्की होने से 250 से 300 क्यूसेक्स पानी सरप्लस हो जाएगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बधाई भी देना चाहता हूं और आप बड़े अच्छे लग रहे हों इस आसन पर। सभापति महोदय, आपका रुवाब पहले भी था और आज ... (व्यवधान)

श्री सभापति: आपने बधाई दी, उसके लिए तो धन्यवाद, लेकिन आप चाह क्या रहे हो?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप बहुत हसीन लग रहे हो।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): पार्टी देनी पड़ेगी आज।

श्री सभापति: चलो, दे देंगे।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): सभापति महोदयजी को बधाई देती हूं और एक मिनट मुझे बधाई पर मिलेंगे, ऐसी आशा करती हूं।

सिंचाई विभाग द्वारा यह दावा किया गया था कि गंगनहर परियोजना की मेन फीडर व उसकी वितरिकाओं के पक्के होने से 250 से 300 क्यूसेक्स पानी सरप्लस हो जाएगा, जिससे इस क्षेत्र के अन-कमांड रकबे को सिंचित किया जाएगा, परन्तु विडम्बना देखिये कि गंगनहर परियोजना की लाइनिंग का 99 प्रतिशत से अधिक कार्य पूर्ण हो चुका है और विभाग आज तक भी 250 क्यूसेक्स पानी का लोस ही दिखा रहा है! ऐसा क्यों? माननीय मंत्री महोदयजी इसका जवाब देंगे और यहां की अन-कमांड भूमि को कमांड करने की आज घोषणा करेंगे, ऐसी मैं आशा करती हूं। थैंक्स, सर।

श्री सभापति: श्री विट्ठल शंकर अवस्थी जी।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): आदरणीय सभापति महोदय, मांग संख्या 27 और 46 पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत आभार।

मेरा विधान सभा क्षेत्र पूरा शहरी इलाका है, पूरे विधान क्षेत्र में 55 वार्ड हैं और नगर परिषद का एरिया और विधान सभा का एरिया एक ही है। इसलिए सिंचाई पर मेरे क्षेत्र में कोई समस्या नहीं है। मैं माननीय सिंचाई मंत्रीजी को मेरी तरफ से फ्री करता हूं। लेकिन पेयजल की जो समस्या भीलवाड़ा में है, 200 माननीय सदस्य यहां विराजमान हैं, शायद उनमें से सबसे ज्यादा पेयजल की समस्या से पीड़ित क्षेत्र मेरा भीलवाड़ा विधान सभा क्षेत्र है। मेरे यहां आज की स्थिति में ट्रेन से पानी आ रहा है। पेयजल के लिए ट्रेन से पानी की सप्लाई की जा रही है। मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी को और जलदाय मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देऊंगा कि उन्होंने इस गम्भीर समस्या को देखते हुए ट्रेन से पानी की आपूर्ति की स्वीकृति प्रदान की है और मैं यह मांग करूंगा कि अब जो गर्मी का समय आ रहा है और यह तीन-चार महीने बहुत

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

भीषण गर्मी पड़ेगी और पेयजल की बहुत भारी समस्या रहेगी, तो यह जो पेयजल की ट्रेन चल रही है, उसके फेरे बढ़ाने की कृपा करें।

मेरे पूरे भीलवाड़ा जिले में 1,800 गांव हैं और मेरा विधान सभा क्षेत्र शहरी क्षेत्र है। इसके लिए पिछली कांग्रेस सरकार ने चम्बल-भीलवाड़ा पेयजल परियोजना की घोषणा की थी, अपने पहले बजट में, और वह योजना पूर्व माननीय मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत और तत्कालीन एम.पी. हमारे भीलवाड़ा के, जो पूर्व केन्द्रीय मंत्री भी रहे हैं, उनकी आपसी खींचतान में ऐसी पड़ी कि पांच साल में उस पर 10 परसेंट भी काम नहीं हुआ। उन पूर्व सांसद महोदय ने यह घोषणा की थी कि अगर मैं भीलवाड़ा को पानी नहीं पिला पाया, तो मैं यहां से चुनाव नहीं लड़ूंगा। वे अपनी घोषणा पर कायम रहे और पांच वर्ष में वे वहां पानी नहीं ला पाए, तो उन्होंने वहां से चुनाव नहीं लड़ा और चुनाव उन्होंने दूसरे क्षेत्र में लड़ा। दुर्भाग्य से वे हारे।

मेरा निवेदन है, माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने गम्भीरता दिखाते हुए भीलवाड़ा दो बार आकर मीटिंग्स ली हैं चम्बल योजना पर, लेकिन जो ठेकेदार हैं, वे इतने बड़े हैं कि 3 हजार करोड़ की योजना है और पूरे जिले की योजना में तीन कम्पनियों द्वारा यह ठेका लिया गया है। तीन फेज में यह कार्य पूर्ण होने वाला है। पहला जो फेज था उसमें भीलवाड़ा शहर को पानी देने का था, लेकिन पहले फेज की जो समय सीमा थी, वह समाप्त हुए लगभग तीन वर्ष हो चुके हैं। हमारी सरकार के आने के बाद जितनी तेजी से इस योजना पर काम हुआ है, उसमें भी तीन बार विभाग ने यह घोषणा की थी कि हम पिछले सितम्बर में, फिर दिसम्बर में और फिर मार्च में पेयजल भीलवाड़ा शहर को सप्लाई करने की घोषणा की थी, लेकिन कुछ विभागीय कारण ऐसे रहे हैं, जिनके लिए मैं माननीय मंत्री महोदया का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। एक तो फोरेस्ट डिपार्टमेंट की जो समस्या थी, वह समस्या माननीया मुख्य मंत्रीजी जब अजमेर आई थीं, बजट की मीटिंग में, तब भी हमने रखी थी। उन्होंने और आपने मिलकर विभाग की वापस मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग के बाद आज शायद वह जो फोरेस्ट की समस्या है, उसकी लखनऊ में मीटिंग होने जा रही है और शायद फोरेस्ट से हमको निजात मिलेगी और वह काम वहां पर शुरू हो सकेगा।

एक समस्या एन.एच.ए.आई. की है। हमारे यहां एक अगरपुरा गांव है, उस गांव में लगभग 140 मकान आते हैं, जिनको मुआवजा देना है और उसके

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

बाद वह पाइपलाइन निकल पाएगी। वह काम अभी तक अटका हुआ है। समय सीमा आपने तय की थी, एन एच ए आई से भी विभाग वालों ने बात की थी, लेकिन वह समस्या आज भी जस की तस है। जब तक यह समस्या नहीं निपटेगी, हम पानी चम्बल का नहीं ले पाएंगे। बहुत छोटा-सा टुकड़ा है, मात्र एक किलोमीटर का टुकड़ा है, लेकिन वह समस्या अटकी हुई है। मेरा निवेदन है, माननीय मंत्री महोदया, आप अब इस गम्भीरता से, चूंकि अब गर्मी का समय आ रहा है और भीलवाड़ा में, मैं जब से वहां विधायक बना हूं, यह मेरा दूसरा कार्यकाल है, जब मैं वहां पहली बार चुनकर आया था, तब लगभग 8-10 जाम रोज लगते थे पानी के लिए। जो मेजा बांध था, जो पानी की सप्लाई का मेन सोर्स था, उसमें सात साल में केवल एक बार पानी आया। इसको देखते हुए, आज ऐसी स्थिति है कि 120 घंटे में, 140 घंटे में, कभी-कभी 100 घंटे में हमारे यहां पेयजल की आपूर्ति होती है और लगभग मेरा पूरा बजट इन सात सालों में पेयजल की समस्या को निपटाने में ही लगा है। आज भी मेरी बात हुई थी, अब न तो पनघट दे सकते हैं, पनघट देंगे तो भी वह बिल भरने की समस्या आती है, तो आज मना कर दिया गया कि अब बिल सरकार के द्वारा नहीं भरा जाएगा। अब हम चाहे तो सी.एस.आर. के माध्यम से किन्हीं उद्योगपतियों को पकड़ेंगे और वह अगर ट्यूबवेल और पनघट के बिल भरेंगे, तो हमारे तीन-चार महीने आराम से निकल जाएंगे, वरना बहुत भारी समस्या है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे इस पेयजल की चम्बल परियोजना में लगभग 454 या 470 किलोमीटर पाइपलाइन शहर में नहीं लगनी थी, आज तक लगभग 250 किलोमीटर पाइपलाइन ही लगी है और 14 कॉलोनियां ऐसी हैं उस शहर में, जो प्राइवेट कॉलोनियां मानी जाती हैं, प्राइवेट कालोनाइजर्स ने वे कॉलोनियां डवलप की हैं, लेकिन अब वे सारी डवलप हो चुकी हैं और एक-एक कॉलोनी में लगभग हजार-हजार घर हैं। अब उनको अगर हम इस योजना के माध्यम से नहीं जोड़ेंगे, तो पानी तो सबको चाहिए। मेरा आपसे निवेदन है, आप भीलवाड़ा पधारी थीं, तब भी मैंने निवेदन किया था कि ये जो प्राइवेट कॉलोनाइजर्स द्वारा बनाई गई 14 कॉलोनियां हैं, उन कॉलोनियों को भी इस चम्बल पेयजल परियोजना से जोड़ें; नहीं तो आगे आने वाले समय में, साल-दो साल बाद फिर उनकी डिमांड रेज होगी और वह परेशानी तो आखिर में जन-प्रतिनिधियों को ही आएगी।

तो मेरा आपसे निवेदन है कि इन 14 प्राइवेट कॉलोनियों को, जो 454

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

किलोमीटर पाइपलाइन शहर के लिए सैंक्शन हैं, उसमें से लगभग 200 किलोमीटर पाइपलाइन आपके बचने जा रही है, क्योंकि उन्होंने सारी पाइपलाइन नई नहीं लगायी हैं; जहां पहले से पड़ी हुई थीं, उसी को जोड़ने का काम किया जा रहा है। तो इसमें भी कोई घोटाला हो सकता है। मेरा निवेदन है, वे 454 किलोमीटर को वापस नई दिखा देंगे। आप इन प्राइवेट कालोनाइजर्स द्वारा बसायी गयी बस्तियों में पेयजल की चम्बल परियोजना की पाइपलाइन को जुड़वाने की आप कृपा करें। आने वाली 31 मई तक अब उन्होंने डैडलाइन दी है पानी की सप्लाई की, तो आपसे मेरी यह प्रार्थना है, निवेदन है कि इस 31 मई के बाद, भीलवाड़ा की जनता बार-बार इस समस्या से इतनी ग्रसित है कि वह स्टेप-बाई-स्टेप हम उतार रहे हैं, आज आने वाला है; कल आएगा; मार्च में आएगा; सितम्बर में आएगा। अब मई लास्ट डैडलाइन दी है। तो मेरा निवेदन है कि जो लास्ट डैडलाइन दी है, इस 31 मई तक हमारे भीलवाड़ा शहर को चम्बल पेयजल परियोजना से जोड़ने की कृपा करें।

आपने मुझे पेयजल समस्या पर बोलने का जो समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री हीरालाल जी नागर।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): माननीय सभापति महोदय, मुझे आपने अनुदान की मांग संख्या 27 और 46 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदया जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि माननीया यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने हाड़ौती संभाग की जीवनदायिनी और परवन वृहत् सिंचाई परियोजना का जो सपना किसानों का काफी वर्षों से था, उसकी इसी बजट में स्वीकृति जारी करके 700 करोड़ का बजट भी दिया और 4,824 करोड़ की इस परियोजना को स्वीकृत करके किसानों के साथ, उनके खेतों में पानी पहुंचाने का उन्होंने सपना संजोया था, उसको पूरा करने में निश्चित रूप से मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट में जो सौगात दी है, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। हाड़ौती के किसान, चाहे वह खानपुर हो, अटरू हो, बारां हो, सांगोद हो, सभी किसानों में इस परियोजना को लेकर काफी समय से यह उत्साह था कि कब यह स्वीकृत होगी और कब इनका सपना पूरा होगा। वह पूरा क्षेत्र नलकूपों पर आधारित था, ट्यूबवेलों पर आधारित था और वहां

(श्री हीरालाल नागर)

पर एक-एक हजार फीट के बोरवेल चले गये थे। अब इस परियोजना की घोषणा के बाद, जब यह पूरी होगी, तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़े भाग में, करीब 1 लाख 31 हजार 400 हैक्टेयर में इस परियोजना से किसानों के खेतों में पानी लगेगा और उसके साथ-साथ 800 गांवों को पेयजल का भी लाभ मिलेगा। तो यह योजना निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी परियोजना है और पूरे इस क्षेत्र के किसान माननीया मुख्य मंत्री का धन्यवाद देने के लिए आतुर हैं कि वे कब वहां पधारें; नहीं तो क्षेत्र के लोग इतने भी आतुर हैं कि वे जयपुर आकर के माननीया मुख्य मंत्री का आभार व्यक्त करेंगे। तो मैं इसका धन्यवाद देना चाहता हूं।

इसी के साथ-साथ, मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो नदी के किनारे गांव हैं, तीन-तीन नदियां बहती हैं और उन नदियों से जो कटाव होता है, कई गांवों की स्थिति यह हो गयी है कि गांव नष्ट होने की कगार पर आ गये हैं। तो मैं सिंचाई मंत्रीजी से आग्रह करूंगा कि स्पेशल कोई पायलट प्रोजेक्ट बनाएं, ताकि जहां पर वह कटाव होता है, उन गांवों की प्रोटेक्शन के द्वारा, कोई पैचिंग के द्वारा ऐसी योजना बनाई जाए, जिससे उनके कटाव को रोकते हुए, उन गांवों को सुरक्षित किया जा सके। कई गांव तो ऐसे हैं जो पहले नदी के किनारे थे, अब दूर आ गये और वहां पर भी वे कटाव के कारण से अब पुनः नष्ट होने के कगार पर हैं। तो निश्चित है कि इन गांवों को बचाने के लिए एक परियोजना बना करके उसकी स्वीकृति करायी जाए।

इसी के साथ-साथ, मेरे क्षेत्र में मुकुन्दरा हिल्स का पठारी का क्षेत्र है, उस पठारी पर से पानी बह करके आता है और वह मैदानी क्षेत्र में आकर के फसलों में भर जाता है और वह मैदानी क्षेत्र इतना समतल है कि वहां से पानी का निकास नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से 15 से 20-20 दिन पानी में फसलें जलमग्न रहती हैं। पूरी फसलें नष्ट हो जाती हैं मेरे विधान सभा क्षेत्र के कनवास की तहसील की और उन सात-आठ पंचायतों में यही स्थिति रहती है कि वहां के किसान केवल एक ही फसल ले पाते हैं और बरसात के समय वे जलमग्न होती हैं। उस पानी से पूरी फसलें नष्ट हो जाती हैं। तो उसके लिए एक डाइवर्जन चैनल बने और पठारी क्षेत्र में भी फोर-वाटर कांसेप्ट के तहत जगह-जगह पर एनिकटों का निर्माण हो और जहां मैदानी क्षेत्र में पानी का निकास नहीं है, वहां पर एक ड्रेनेज प्लान बनाकर उस पानी को डाइवर्ट किया जाए, ताकि किसानों को इससे बचाया जा सके।

(श्री हीरालाल नागर)

इसके साथ-साथ जो कालीसिंध नदी बहती है, अब उसका पहला चरण पूरा हो चुका है, द्वितीय चरण के बांध का निर्माण किया जाना है, जिसकी पूर्व की प्रथम चरण की जो ऊंचाई थी वह करीबन 316 मीटर थी, अब 3.25 मीटर की हाइट की जानी है। इससे झालावाड़ क्षेत्र की असनावर तहसील हो, झालरापाटन तहसील हो, या झालावाड़ जिले की खानपुर तहसील के साथ-साथ मेरे विधान सभा क्षेत्र की सांगोद तहसील और कनवास तहसील को भी इससे पानी मिलेगा। तो इस परियोजना को भी शीघ्र पूरा करने हेतु जो द्वितीय चरण है, उस परियोजना को भी हाथ में लिया जाता है, तो परवन परियोजना की तरह इस परियोजना से भी लगभग 31 हजार हैक्टेयर क्षेत्र के किसानों को पानी मिलेगा और उसके साथ-साथ पेयजल का लाभ भी उस क्षेत्र के किसानों को इस परियोजना से मिलेगा। तो निश्चित है कि इस द्वितीय चरण का काम भी पूरा करें।

मेरे क्षेत्र में से चम्बल की जो नहर है, वह जब बनी थी, उसकी मूल परियोजना में यह शामिल था, लगभग 21 ब्लाक थे, 21 ब्लाक में वहां से लिफ्ट परियोजना बनायी जानी थी; लगभग 10 ब्लाक में लिफ्ट परियोजना बना दी गयी है और अभी भी 11 ब्लाक ऐसे बाकी हैं जिनमें लिफ्ट परियोजना मूल परियोजना में शामिल थी, लेकिन वह बनायी नहीं गयी है। इस मूल परियोजना से अभी लगभग 16 हजार हेक्टेयर को पानी दिया जा सकता है। मेरा निवेदन है कि एक, दो, तीन, चार और पांच ब्लाक की जो लिफ्ट सिंचाई परियोजना दायीं मुख्य नहर चम्बल की नहर से बाकी है, उसे लिफ्ट परियोजना बनाकर के और मेरे विधान सभा क्षेत्र के लोगों को, जहां ट्यूबवेल आधारित खेती हो रही है, हजार-हजार फीट के बोर चले गये हैं, ड्राई एरिया हो गया है, उसको इस लिफ्ट परियोजना से जोड़ा जाता है तो निश्चित है कि वहां पास में से नहर निकल रही है और लोग ट्यूबवेल के ड्राई होने के बाद भी बिजली का भारी बिल भरते हैं, नई-नई मोटरें ला करके और बोर कराते हैं, रि-बोर कराते हैं, दोबारा कराते हैं, उसके बाद भी सफलता नहीं मिलती तो खेत को खाली छोड़ देते हैं; इस समस्या से निश्चित रूप से किसानों को बचाया जा सकता है यह मात्र लिफ्ट बनाने से ही। वहां पर नहर में पानी पर्याप्त है, और यह योजना में भी शामिल है, तो इसको भी शामिल किया जाकर के और इसको भी लाभ दिलाया जाना चाहिए।

इसी के साथ-साथ माननीय पी.एच.ई.डी. मंत्री महोदया से भी मेरा

(श्री हीरालाल नागर)

निवेदन है कि मेरे क्षेत्र के वहां से कालीसिंध नदी बह करके जाती है, परवन नदी बह करके जाती है, उजाड़ नदी बह करके जाती है और तीनों नदियों में एनिकट बने हुए हैं, पर्याप्त जल है, कहीं कोई समस्या नहीं है; केवल इतनी समस्या है कि कांग्रेस के 67 साल में और जब भी हमारा राज रहा, वहां से प्रतिपक्ष के विधायक भी रहे, लेकिन उसके बावजूद भी वहां कोई ऐसी बड़ी परियोजना नहीं बन पायी, जिससे उन ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को पेयजल उपलब्ध हो सके। समस्या यह है कि वहां पर अभी भी लगभग 50 गांवों में टैंकरों से पानी पहुंचाया जा रहा है, जिसकी स्वीकृति हाल ही में, माननीय मंत्री महोदया, आपके द्वारा जारी की गयी है। तो जहां टैंकरों से पानी पहुंचाया जा रहा है, लोग हैंडपम्प पर निर्भर हैं, लेकिन हैंडपम्पों में पानी ही नहीं आता, 300-400 फीट तक गहराई में हैं। वहां पर सिंचाई विभाग के द्वारा एनिकटों के अन्दर पानी का सर्वे कर लिया गया है, सर्वे करके रिपोर्ट जलदाय विभाग को दे दी गयी है। पी.एच.ई.डी. ने भी सर्वे की, सिंचाई विभाग की रिपोर्ट आने के बाद में, पुनः अपने सर्वे का बजट जारी कर दिया है और डी.पी.आर. तैयार करने का काम चल रहा है। मेरा निवेदन है कि वह हरिपुरा मांझी, बरहां और नालोदी, तीनों एनिकटों से अगर पानी उठा करके और सतही जल आधारित परियोजनाएं बनायी जाती हैं, तो लगभग तीन सौ से चार सौ गांवों को वहां से पानी मिल सकता है, और इसमें पर्याप्त पानी भी है। मेरा निवेदन है कि इस परियोजना से जो डी.पी.आर. बने, उसकी जल्दी घोषणा हो, ताकि उन लोगों को पेयजल उपलब्ध होकर मिल सके।

इसके साथ-साथ माननीय ऊर्जावान जलदाय मंत्री महोदया को धन्यवाद देता हूं कि सोलर प्लांटों के माध्यम से उन्होंने, इस बार माननीया मुख्य मंत्री ने भी घोषणा की और वे स्वीकृत भी हुए हैं, और जहां पर बिजली नहीं है, वहां सोलर प्लांटों से हम पानी पहुंचाने का निश्चित रूप से काम करेंगे। उसके लिए भी माननीया मुख्य मंत्री और जलदाय मंत्री महोदया को धन्यवाद देता हूं। इसी के साथ, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री गोतम कुमार।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): सभापति महोदय, आपने मुझे पेयजल एवं सिंचाई की मांग पर जो बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद।

सबसे पहले तो मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा कि प्रदेश

(श्री गोतम कुमार)

में देश का केवल जो एक परसेंट पानी है, उसको देखते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना चालू की है। निश्चित रूप से इसके लिए उनको जितना धन्यवाद दिया जाए, उतना कम है।

अभी कल भी और आज भी कुछ लोग किसानों की बात कर रहे थे लेकिन मैं उनको बताना चाहूंगा कि किस तरह से उनके पिछले पांच साल के शासन में हमारे क्षेत्र में किसानों के साथ कुठाराघात हुआ है। जब पिछली बार हमारी सरकार थी 2003 से 2008 तक की, उसमें हमारी माननीय मुख्य मंत्री महोदया जी ने एक पिंड डैम का शिलान्यास किया था, उन्होंने इसका बजट भी स्वीकृत किया था, लेकिन 2008 से 2013 तक की जो उनकी सरकार रही है उसमें न तो उस परियोजना का कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया, न ही उस समय में किसानों को मुआवजा दिया गया और पांच साल तक उस परियोजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया। फिर अब 2013 में वापस हमारी सरकार बनी और वापस उस परियोजना की सुध ली और किसानों का वर्षों से लम्बित जो मुआवजा था, चूंकि उस समय जो मुआवजा पास किया था और उसके बाद जो अभी वर्तमान दरें थीं, इनके परियोजना को ठंडे बस्ते में रखने की वजह से जो दरों में परिवर्तन आया, सरकार ने उसको ध्यान में रखते हुए नयी दरों से पिंड डैम का मुआवजा स्वीकृत किया और शीघ्र ही अब सरकार उसका टेण्डर करके उसका निर्माण कार्य प्रारम्भ कर रही है। इसके लिए मैं माननीया मुख्य मंत्री जी को और माननीय सिंचाई मंत्रीजी को जितना धन्यवाद दूं, उतना कम है, क्योंकि हमारे क्षेत्र के हजारों किसानों को उस परियोजना से निश्चित रूप से लाभ मिलेगा।

इसी तरह से मैं माननीय सिंचाई मंत्रीजी का आपके माध्यम से ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे चित्तौड़ जिले में आपने पिंड परियोजना पर ध्यान देकर के किसानों के हित के लिए जो काम किया है, उसके लिए तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, लेकिन ऐसी ही एक परियोजना, हमारे विधान सभा क्षेत्र में प्रतापगढ़ का कुछ भाग भी पड़ता है, उसमें खोरिया पंचायत में एक जातला गांव है, अगर वहां पर भी जातला डैम बन जायेगा तो हजारों किसानों को उस परियोजना का लाभ मिलेगा। इस परियोजना की मांग काफी समय से आ रही है। पिछली दो-दो बार जीतकर के जो हमारे विधान सभा क्षेत्र से प्रतिनिधि आये थे, उन्होंने भी वहां बहुत बार आश्वासन दिया कि जातला डैम बनेगा, लेकिन उस बांध की आज दिन तक कोई सुध ही नहीं ली गयी।

(श्री गोतम कुमार)

मेरा माननीय मंत्री महोदय जी से आग्रह है कि अगर उस जातला डैम का निर्माण होगा, तो आसपास के क्षेत्र में तो जल स्तर में वृद्धि होगी ही; क्योंकि हमारे वहां पठारी क्षेत्र है, जो पानी है जातला का, वह बहकर के सीधा मध्य प्रदेश में चला जाता है, उससे पानी भी रुक जायेगा। तो वह अपने प्रदेश में ही रहेगा। चूंकि प्रतापगढ़ जो एरिया है, वह ट्राइब्ल बेल्ट है, वहां आदिवासी लोग निवास करते हैं, गरीब तबके के लोग निवास करते हैं, अगर उनका जीवन स्तर हम वास्तव में ऊपर उठाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से यह महती परियोजना उन किसानों को मिलेगी।

एक ऐसे ही हमारी बड़ी सादड़ी में और डूंगला तहसील में भी छोटे-छोटे 2 एनिकट हैं। उनके लिए भी मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि बड़ी सादड़ी तहसील में कालिया भाटा और डूंगला तहसील में बड़वई गांव में स्थित मामादेव का एनिकट अगर बना दिया जाये, तो उससे भी इस क्षेत्र के किसानों को काफी राहत मिलेगी।

सभापति महोदय, हमारे क्षेत्र में 1975 में एक बाघन डैम बना था, आज लगभग 40 साल हो गये उस डैम को बने हुए, लेकिन इन 40 सालों में उस डैम की नहरों की कभी किसी ने सुध नहीं ली। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है कि उन बांधों का रख-रखाव किया जाये। उन नहरों से भी व्यर्थ पानी निकल जाता है। उससे खेतों में पानी भर जाता है। जिनके खेतों में पानी भरता है उनको भी नुकसान होता है और टेल तक सीधा पानी नहीं पहुंच पाता है। अगर उस बाघन बांध की नहरों का सुदृढ़ीकरण किया जायेगा, उनको ठीक किया जायेगा, तो निश्चित रूप से हजारों किसानों को उससे लाभ मिलेगा।

सभापति महोदय, जल स्वावलंबन मुख्य मंत्रीजी की महत्वपूर्ण योजना है। उसमें भी एनिकट सिंचाई विभाग द्वारा, पंचायत द्वारा, वन विभाग द्वारा, जो कई बरसों पुराने बने हुए हैं, वे जीर्ण-शीर्ण हो गये हैं, कुछ टूट गये हैं, कुछ में मरम्मत की जरूरत है। अगर जल स्वावलंबन में उनको भी जोड़ दिया जाये, या सिंचाई विभाग में उसके लिए अलग से बजट रखकर के उन एनिकटों की मरम्मत, रिपेयरिंग अगर की जायेगी, तो वे भी निश्चित रूप से उस क्षेत्र में काम आयेंगे।

सभापति महोदय, मैं माननीय पेयजल मंत्रीजी को भी धन्यवाद देना

(श्री गोतम कुमार)

चाहूंगा कि उन्होंने हमारे क्षेत्र में जब दौरा किया और उस समय कई सारी पेयजल योजनाओं का, जो हमारी सरकार में स्वीकृत थीं, उनका उन्होंने उद्‌घाटन भी किया; कई योजनाओं की आपने घोषणा भी की और उनको क्रियान्वित भी अब कर रही हैं।

मेरा आपसे भी आग्रह है कि हमारे क्षेत्र में जाखम डैम है, उस डैम से प्रतापगढ़ के 554 गांवों की वृहत् पेयजल योजना के लिए आपने लगभग साढ़े 3 करोड़ रुपये खर्च करके डी पी आर तैयार करवायी है। पानी की समस्याओं को देखते हुए आपने झुंझुनूं में, बाड़मेर में, उदयपुरवाटी में, सिरोही में, दौसा में, बारां में, बड़े-बड़े गांवों के लिए बहुत सारी योजनाएं स्वीकृत की हैं। हमारा चूंकि पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, प्रतापगढ़ के क्षेत्र में काफी गरीब लोग निवास करते हैं। हमारे वहां पठारी इलाका है और जनवरी में वहां का जल स्तर एकदम नीचे चला जाता है। कितने ही वर्षों से वहां टैंकरों से जलापूर्ति हो रही है। ऐसे में आपने जो 554 गांवों के लिए डी पी आर तैयार करवाई है, अगर इसी साल से शुरुआत कर लें, चूंकि बड़ी योजना है, 2 से 5 साल लगेंगे उसको बनने में और पूरा होने में, उसका एक फेज, दो फेज करके आप चालू करवायेंगे, तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र के लोगों को उस योजना का लाभ मिलेगा; उनके जीवन में पानी की जो समस्या है, उससे उनको निजात मिलेगी।

सभापति महोदय, एक मेरा छोटा-सा आग्रह है, अभी गर्मी के दिनों में टैंकरों से पानी की गांव-गांव में व्यवस्था होती है। टैंकर के जो टेंडर हैं, वे जिला स्तर पर होकर के पंचायत समिति में केवल एक ठेकेदार को दे दिया जाता है। ऐसा नहीं होकर के, शायद एक-एक, दो-दो पंचायत का कलस्टर बनाकर, अगर उन टैंकर सप्लाई वालों को ठेका देंगे, तो निश्चित रूप से पेयजल की सप्लाई सुचारु होगी। जब एक व्यक्ति पूरी तहसील का ठेका ले लेता है, तो वह बहुत कम में ले लेता है, 200-250 रुपये में ले लेता है। उसके बाद में वह और कम देकर के सप्लाई करने का प्रयास करता है। वह सभी जगह सप्लाई नहीं कर पाता है, कहीं पानी सप्लाई होता है और कहीं नहीं होता है। ऐसे में अगर छोटे-छोटे क्लस्टर बनाकर के टैंकर सप्लाई का काम करेंगे, तो सही होगा।

सभापति महोदय, आपने जो जी पी एस सिस्टम लागू किया है, निश्चित रूप से यह तो बहुत ही पहले से चालू हो जाना चाहिए था। इसके

(श्री गोतम कुमार)

लिए तो मैं माननीय मंत्री महोदया जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। इसी से करोड़ों, लाखों के घोटाले पहले होते थे। जी पी एस सिस्टम के साथ में, अगर ये छोटे-छोटे क्लस्टर बनाकर के आप टेंडर करेंगे, तो इस गर्मी में जो पानी की भारी समस्या आने वाली है, उससे थोड़ी राहत मिलेगी।

सभापति महोदय, मैं और ज्यादा नहीं कहते हुए, आपने जो मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री फूलसिंह मीणा।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय सभापति महोदय, पहले आपको बधाई। दूसरा, आपने मुझे मांग संख्या 27 और मांग संख्या 46 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विपक्षी भाई बहुत बोल रहे थे कि हमने यह किया, वह किया। मेरे विधान सभा क्षेत्र का मैं बताना चाहता हूं कि वह अरावली पर्वतमाला से घिरा हुआ एरिया है, वहां पर जनजाति समुदाय रहता है और बिखरी हुई आबादी है, मगर वहां पर इस गरीब जनजाति समुदाय की सुध लेने के लिए पूर्व सरकार ने कुछ नहीं किया।

मैं जलदाय मंत्री महोदया को बधाई देना चाहता हूं, इनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि पूर्व की सरकार ने 5 साल जनता जल योजना को बंद करके हमारी जनता को बहुत त्रस्त किया। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदया का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं, जैसे ही हमारी मंत्री महोदया और हमारी सरकार आयी, इन्होंने सबसे पहले जनता जल योजना को चालू करने की सोची और एक करोड़ रुपया मेरे विधान सभा क्षेत्र में दिया। उसके लिए मैं मंत्री महोदया को धन्यवाद देता हूं, उन गरीब जनता की सोची, तो हमारी सरकार ने सोची।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया को कहना चाहता हूं और सरकार को बताना चाहता हूं और मेरे भाइयों को बोलना चाहता हूं कि पूर्व सरकार ने, शहर के आजू-बाजू में आदिवासी एरिया है, जनजाति एरिया है, वहां पर पेरिफेरी में गांवों को जोड़ा गया, तो मेरे विधान सभा में क्षेत्र 20 किलोमीटर दूर के गांव को जोड़ दिया, मगर 2 किलोमीटर नजदीक के गांव को इन्होंने बचाकर के रखा। वहां पर कन्वर्ट करने के लिए, इनके जो खास-खास भूमि दलाल थे, उनको फायदा देने के लिए इन्होंने उन गांवों को छोड़ा। उन

(श्री फूलसिंह मीणा)

गांवों का 20 साल में भी विकास नहीं होगा; उन गांवों को जोड़ रखा था। जैसे ही मैंने कहा, तो हमारी सरकार ने उन गांवों को भी छोड़ने का प्रयास किया। सभापति महोदय, यू आई टी के अन्दर जो पेरिफेरी के गांव हैं, उनमें अनेक कालोनियां बनी हुई हैं। यहां पर हमारे जनजाति मंत्री महोदय नहीं हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि वह आते ही सबसे पहले पाई के अन्दर

(19.00 बजे)

योजना मंजूर की; पाई पंचायत तो ठेठ झाड़ोल सीमा से अड़ी हुई है, उसके लिए 70 लाख रुपये मंजूर किये। नन्दलालजी मीणा साहब का मैं आभार व्यक्त करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं कि बूझड़ा पंचायत में उन्होंने 27 लाख रुपये देकर के जनजाति जो बस्तियां थीं, वहां टंकियां बनवाकर पानी उपलब्ध करवाने का काम किया, तो हमारी सरकार ने किया।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण के अन्दर हमारी सरकार आते ही, हमारी सरकार में, मेघावास की जो कॉलोनी बनाने का निर्णय लिया, उसके आजू-बाजू में अनेक कॉलोनियां बसी हुई हैं, अनेक पुराने गांव भी बसे हुए हैं, उसकी डी पी आर बनाने के लिए 14 लाख 95 हजार रुपये का आदेश निकाला। उसके लिए 7.47 लाख रुपये पी एच ई डी को दे दिये कि जल्दी से जल्दी डी पी आर बनाकर हमारी इन कॉलोनियों में सुविधा उपलब्ध कराएं। 21.5.2015 को 7.47 लाख रुपये देकर वह डी पी आर के लिए आदेश निकाला।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि भारी समस्या से निजात दिलाने के लिए, मैं प्रभारी मंत्री आदरणीय गुलाब चन्दजी कटारिया साहब का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने यू आई टी के माध्यम से हमारे भुवाना और चित्रकूट नगर के अन्दर योजना क्षेत्र की 12 कॉलोनियों के लिए 269.55 लाख रुपये देकर वहां 8 कॉलोनियां, जो यू आई टी के माध्यम से बनी हुई थीं, उनके लिए 462.19 लाख रुपये मिलाकर, बार-बार समस्या आ रही थी, उस समस्या को देखते हुए यू आई टी से 731.74 लाख रुपये कर, आम जनता को पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए बड़ा कदम उठाया। यह राशि पी एच ई डी को भिजवा दी गई है। मैं जलदाय मंत्री महोदया को बताना चाहता हूं कि यह राशि, 1.12.2014 को आधी राशि भेज दी थी। तो इस डी पी आर को बनाने की जितनी जल्दी करेंगे, उतनी हमारी आम जनता को जल्दी राहत मिलेगी।

(श्री फूलसिंह मीणा)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया को बताना चाहता हूं कि वहां छोटी-छोटी योजनाओं के लिए 22 कार्यों हेतु न्यास द्वारा 463.25 लाख रुपये पी एच ई डी को स्थानांतरित कर दिये गये हैं। ब्रज विहार कॉलोनी, पटेल छात्रावास के पास, शोभागपुरा में पानी की सुविधा प्रदान करने के लिए दिनांक 3.2.2016 को 21.20 लाख रुपये स्वीकृत कर उन कॉलोनियों को भी पानी देने के लिए प्रयास किया।

साथ ही, यह पेरिफेरी एरिया के अन्दर 3-4 तहसीलें पड़ती हैं, उदयपुर के आसपास में तहसील गिरवा के 61 गांव हैं, तहसील बड़गांव के 39 गांव हैं, तहसील मावली के 23 गांव हैं, वल्लभनगर तहसील के 7 गांव मिलाकर 130 गांव पड़ते हैं, इनके आसपास में 98 कॉलोनियां यू आई टी की बन चुकी हैं। उनके लिए पानी की बहुत भारी समस्या है। मंत्री महोदया और हमारी यू आई टी प्रयास कर रही है, मगर मंत्री महोदया को भी अवगत कराना चाहता हूं कि आप भी इसके अन्दर पी एच ई डी वालों को पैसे देते हैं, मगर समय पर वे काम कर दें, यह मैं आपसे आग्रह करता हूं। आप तुरन्त प्रभाव से हमारी यू आई टी के पेरिफेरी के गांवों को यह सुविधा दिलायें। क्योंकि पंचायतों के पास में संसाधन नहीं हैं, इसलिए यू आई टी द्वारा पैसे तो देते हैं, पर मगर हमारे पी एच ई डी के हमारे जो कर्मचारी और अधिकारीगण हैं, वे तुरन्त प्रभाव से डी पी आर बनाकर इन सारी समस्याओं का समाधान करवायें।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि हमारी अरावली पर्वतमाला है, उन गांवों के अन्दर वास्तव में पानी की जो...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, मेन-मेन समस्याएं हैं ...

श्री सभापति: संक्षिप्त कीजिए। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय सभापति महोदय, आज तो इधर भी मेवाड़ है और उधर भी मेवाड़ है। (व्यवधान)

श्री सभापति: सभापति के लिए कोई मेवाड़ नहीं है, कोई मारवाड़ नहीं है; पूरा राजस्थान है।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय सभापति महोदय, देवास-फर्स्ट और देवास-सेकंड के लिए उदयपुर में पानी आने वाली जो टनल बनाई है, उसके आजू-बाजू के गांव जो हैं, वह 300 मीटर नीचे टनल है और

(श्री फूलसिंह मीणा)

वहां पहाड़ी एरिया के अन्दर गांवों के सारे हैंडपम्प सूख गये हैं। पूर्व सरकार ने कुछ नहीं किया, मगर मुझे विश्वास है, क्योंकि हमारी जो मंत्री महोदया हैं वे वहां पर सभापति भी रही हैं और वहां से सांसद भी रही हैं; जब सांसद का टिकट मिला, तो वहीं डोडावली के अन्दर आप आयी हैं और आपने पहली शुरुआत वहां से की थी। उन गांवों में पानी की भारी समस्या है, टनल की वजह से हैंडपम्प सूख गये हैं। आपने अपने अधिकारियों से भी बात की होगी, उन्होंने भी बताया होगा। यही नहीं, यहां दो टनल हैं, एक हमारी मानसी वाकल की टनल भी है; उसी तरह से पिछोला में छोड़ रखी है, वहां के हैंडपम्प भी सूख रखे हैं। वहां पर आपने जनता जल योजना की जो टंकी पूर्व सरकार ने बंद की थी, उसको चालू किया। उसके लिए तो धन्यवाद, मगर आजू-बाजू बिखरी हुई आबादी के अन्दर...।

मैं एक प्रार्थना और करना चाहता हूं कि हमारा जनजाति का एरिया बिखरा हुआ है। हमारे माननीय सदस्य अमृत लालजी ने भी कहा और भीमाभाई ने भी कहा है। मैं यह कहना चाहता हूं मंत्री महोदय को, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से कि आदिवासी एरिया बिखरा हुआ होने की वजह से, 4,000 की जनसंख्या फालो करते हैं, हम आदिवासी एरिया, छोटे-छोटे टुकड़ों में हमारे को राहत देकर, कुछ कटौती करके, ऐसा कोई नियम निकालें जो हमारी जनजाति को पानी मिल जाए। माननीया मंत्रीजी बहुत ही जागरूक हैं और उनको मालूम है और वास्तव में आपने जनजाति एरिया से चुनाव लड़ा, आप विधायक भी हैं तो आप उसी एरिया से हैं और हमारी लोक सभा की सांसद भी आप रही हैं। साथ ही, हमारी यह जो बिखरी हुई पंचायतें हैं, जैसे पहाड़ी एरिया में पंचायत सरूपाल है, जाबला है, पाटिया है, अमरपुरा है, खजूरी है, पाई है, काया है, बारापाल है, चणावदा है, चाझदा है और इन बड़ी-बड़ी पंचायतों में, छोटे-छोटे गांवों में पानी की व्यवस्था करवाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास ही नहीं, पूर्ण विश्वास है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, संक्षिप्त करें। दो मिनट में आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय सभापति महोदय, आधा मिनट का काम है।

माननीय सभापति महोदय, इरिगेशन वाले मंत्री महोदय से भी मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में डोडावली पंचायत में

(श्री फूलसिंह मीणा)

करनाली गांव में 2003-08 के बीच में एक एनिकट बनाया था, उसके अन्दर 11 लाख रुपये हमारी सरकार ने पास किये थे, वे खर्च हुए हैं, उसके बाद में उस एनिकट में एक पैसा नहीं लगाया। वह एनिकट आज अधूरा पड़ा है। मुझे उम्मीद है, क्योंकि हमारे सिंचाई मंत्री महोदय बहुत ही जुझारू कर्मठ और हमारे जनजाति एरिया के लिए सोचने वाले हैं, उस एनिकट को बनाकर हमारी उस जनता को राहत दिलाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय भारत। जय हिन्द।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय सभापति महोदय, आज तो उदयपुर ही उदयपुर है; आसन भी उदयपुर, मंत्री भी उदयपुर, वक्ता भी उदयपुर। आज तो उदयपुर ही उदयपुर है सारी तरफ। (व्यवधान) मेवाड़ ही मेवाड़ है।

श्री सभापति: श्री हनुमान बेनीवाल।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले तो आपको बधाई दूंगा कि आप यहां विराजे और निश्चित रूप से आप हमारा विशेष ध्यान रखेंगे।

माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 27 व 46 पर आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, आज निश्चित रूप से जिन डिमांड पर चर्चा सदन में हो रही है और कई माननीय सदस्य, पक्ष और विपक्ष के, ने इस बात पर अपने विचार व्यक्त किये। निश्चित रूप से आज बहुत बड़ी चिंता का विषय है। 50 साल आपने राज किया, 20 साल आपने राज किया; आप योजना लेकर आये, हम यह करेंगे, वह करेंगे, लेकिन इनसे राजस्थान का भला नहीं होने वाला। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की जनता को आजादी के 70 साल बाद शुद्ध पेयजल कैसे उपलब्ध कराएं और हजारों उन परिवारों को, जो रेगिस्तानी इलाके के अन्दर ढाणियों के अन्दर बसते हैं, और कई लोग फ्लोराइड का पानी पीने को भी मजबूर हैं। माननीय सभापति महोदय, आजादी के 70 साल बाद अगर फ्लोराइड से आज भी बांका पट्टी, जो नागौर जिले के खाटू इलाके में बांका पट्टी के नाम से जाना जाता है, उसके अन्दर आज भी फ्लोराइड की समस्या का समाधान आजादी के 70 साल बाद भी अपन नहीं कर पाए, तो निश्चित रूप से यह बहुत शर्मनाक बात है।

(श्री हनुमान बेनीवाल)

सभापति महोदय, अभी मेरे से पूर्व कई वक्ताओं ने बात की और पानी पर, मेरे हिसाब से, राजनीति हमको नहीं करनी चाहिए। इसके अन्दर हम सबको एक होकर, इस राजस्थान को शुद्ध पेयजल कैसे उपलब्ध कराएं। निश्चित रूप से आज जो वर्षा का औसत है वह भी घटता जा रहा है। अबकी बार भी आपने देखा होगा, जो मौसम में परिवर्तन हो रहा है, यह सबके लिए चिन्ता की बात है। हमें पार्टियों से ऊपर उठकर यह देखना होगा कि राजस्थान के आमजन का कैसे ख्याल रखें, कैसे शुद्ध पेयजल राजस्थान की जनता को उपलब्ध कराएं।

आज किसान की आर्थिक स्थिति ठीक करने की बात पार्टियां करती हैं और चुनाव घोषणा-पत्र के अन्दर भी बड़ी-बड़ी बातें करती हैं, लेकिन किसान की आर्थिक व्यवस्था बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से कोई बहुत बड़ी पहल किसी भी पार्टी ने नहीं की। आज भी जो सबसे बड़ा जरिया है, हम जब छोटे थे सुना करते थे, आज भी सिंचाई नहरों से होती है, लेकिन आज भी राजस्थान के अन्दर जो सिंचाई हो रही है उसमें नहरों से सिंचाई की मात्रा बहुत कम है; 33 प्रतिशत भाग ही नहरों से सिंचित हो रहा है। आज भी 67 प्रतिशत धरती का सीना चीरकर 1,000 फीट, 1,200 फीट, 1,500 फीट नीचे से किसान कुएं और ट्यूबवेल से पानी लाकर अपने परिवार का पेट पालता है और वह अन्नदाता कहलाता है। राजस्थान का किसान सबसे ज्यादा तकलीफ में है।

मेरे इलाके में 1,000 फीट वाटर लेवल नीचे चला गया, 1,200 फीट नीचे चला गया। 2004 के बाद तो राजस्थान के अन्दर डार्क जोन के नाम पर किसानों को तंग किया गया। जहां वाटर लेवल 400 फीट है, अगर पंचायत समिति आपकी बहुत लम्बी है, जैसे मेरी कांस्टिट्यूएंसी 175 किलोमीटर लम्बी है, एक छोर पर 400 फीट पर अच्छा पानी है और दूसरे छोर पर 1,200 फीट पर पानी है; 400 फीट पर भी डार्क जोन, नये कृषि कनेक्शन नहीं देंगे और 1,200 फीट पर भी डार्क जोन। सभापति महोदय, इसमें मैं मंत्रीजी से विशेष आग्रह करूंगा ... (व्यवधान) मंत्रीजी, मेरी ओर ध्यान दें थोड़ा-सा। इसमें डार्क जोन के जो ब्लाक, राजस्थान के अन्दर जहां डार्क जोन जिन ब्लाक में हो गया, उनमें कई ब्लॉक के अन्दर पानी का जलस्तर बढ़ा है। जहां जलस्तर बढ़ा है, इस डार्क जोन का पुनः सर्वे आपको राजस्थान के अन्दर कराना चाहिए ताकि जहां वाटर लेवल ठीक हो, वहां उन इलाकों को आप डार्क जोन से मुक्त करो, ताकि किसानों को कृषि कनेक्शन मिल सकें। जहां वास्तव में डार्क

(श्री हनुमान बेनीवाल)

जोन है, वाटर लेवल 1,000 फीट, 1,200 फीट, 1,500 फीट चला गया, तो आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे कि डार्क जोन के लिए आप वाटर लेवल को पैमाना मानो, उस हिसाब से आप डार्क जोन करो। यह तो बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा कि 200 किलोमीटर इलाका है, उसमें एक इलाके में तो अच्छा पानी मिल रहा है, जमीन उपजाऊ है, आप नौकरियां दे नहीं रहे हों, तो किसान अपनी खेती के अन्दर ट्यूबवेल और कुआं लगाकर अपने परिवार का पेट पालेगा। और नया क्या दोगे आप?

किसान की अर्थव्यवस्था तब ठीक हो सकती है, जब आप सिंचाई का साधन उपलब्ध करा दो, या आप नहर ला दो। नदियों को जोड़ने की बात कर रहे हैं और यह बात अच्छी लगती है। आप हमेशा यह कहते हों कि अटल जी ने नदियों को जोड़ने की बात की। बात तो कर दी, लेकिन कोई नदी जोड़ दी क्या? 18 साल के अन्दर, अटल जी ने वह बात कही थी 1999 के अन्दर, उसके बाद तो 18 साल बीत गये। 18 साल पहले जो आदमी यह सोचता था कि मेरी नदी जुड़ेगी, कोई 60 साल की उम्र में होगा, तो वह तो ऊपर चला गया। अब कहां से नदियां जुड़ेंगी?

सभापति महोदय, मैं इसके अन्दर राजनैतिक बात नहीं करूंगा। मुझे बहुत पीड़ा होती है। जहां आज ये लोग बैठे हैं, गलती से मैं भी इनके साथ था। यहां खूब बातें होती थीं, पानी को लेकर बहुत बड़ी राजनीति राजस्थान में हुई। राजस्थान में दूषित पानी से ... (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): गलती से नहीं, आपका जीवन सुधर गया था। संस्कार यहीं से मिले हैं आपको।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): राठौड़ साहब, आपके तो कोई स्प्रिंग लग गयी क्या? हमारे को छोड़ा करो, जो आपका ध्यान रखते हैं। (व्यवधान)

सभापति महोदय, पानी को लेकर, मैं यह नहीं कहूंगा कि आपकी सरकार के टाइम में पानी को लेकर आंदोलन हुए; आज राजस्थान के अन्दर आजादी के 70 साल बाद महिलाएं किसी एक्स ईएन का घेराव कर रही हैं, एस ई ऑफिस का घेराव कर रही हैं, सड़कों पर मटके फोड़ रही हैं, सड़क पर जाम लगे हुए हैं। तो कहां से आप पेयजल उपलब्ध कराओगे? यह तो बताओ आप। पानी को लेकर आपकी सरकार के पूर्व मंत्री थे, जयपुर में दूषित पानी पीने से मौतें हुईं, मंत्रीजी ने यह कहा कि जो आएगा वह जाएगा।

(श्री हनुमान बेनीवाल)

पानी को लेकर 2003 से 2008 के अन्दर बहुत बड़े आंदोलन हुए। हमारे राजगढ़ से आने वाले विधायक हैं, इन्होंने 50 दिन का धरना दिया। 50 दिन का धरना मैंने भी दिया पानी को लेकर।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

हम तो आगे धरना ही देंगे, आगे यही चलना है। सभापति महोदय, एक मिनट, बात पर तो आने दो। आज आपने पद संभाला है, तो आप अपने छोटे भाइयों को थोड़ा अवसर प्रदान करें। हम लाइन में चल रहे हैं।

सभापति महोदय, पानी को लेकर रावला, घड़साना के अन्दर गोलियां चलीं, सोहेला के अन्दर गोलियां चलीं। क्या कारण रहे, उन गोलीकाण्डों की जांच नहीं हुई। आखिर किसान रोटी, कपड़ा, मकान, पानी, रोजगार नहीं मांगेगा? राजस्थान का नौजवान अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ेगा? आजादी के 70 साल बाद आप हमें शुद्ध पेयजल नहीं दे पा रहे, तो कौनसी आजादी है? हमारे को और कौनसा सुराज आ गया? चुनाव वापस आ जाएंगे, यही बातें फिर से होंगी। लेकिन अब राजस्थान की जनता, कई लोग गफलत में होंगे कि सत्ता यहां से हमारे पास आ जाएगी, लेकिन इस बार राजस्थान के अन्दर तीसरी ताकत निश्चित रूप से बहुत आगे बढ़ेगी। (व्यवधान) ये भड़ाना जी हंस रहे हैं। राजस्थान का जवान ...(व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई): हनुमान बेनीवाल मुख्य मंत्री होंगे उसके।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, दो-पांच मिनट बोलने दो।

श्री सभापति: अपने क्षेत्र की समस्याएं बोलो आप।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मैं कोई क्षेत्र का नेता थोड़े ही हूं, राजस्थान का ...(व्यवधान)

सभापति महोदय, आज हमारे इस पी एच ई डी डिपार्टमेंट के अन्दर 1,500 पद रिक्त हैं। मैं मंत्रीजी से आग्रह करूंगा कि उन पदों को भरकर निश्चित रूप से कार्य सुचारु रूप से चलाएं।

मुझसे पूर्व कई वक्ता कह रहे थे और यह सही बात है, पूर्ववर्ती सरकार में मैं आपकी तरफ था, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार के टाइम 5 साल राजस्थान के विधायकों को काम मिला था। सभापति महोदय, ढाई साल हो गये, हमने तो हैण्डपम्प की कोई अभिशंसा नहीं की, या सिंगल फेज ट्यूबवेल की। आज तक तो हमारे कहने से एक हुआ नहीं। पानी के ऊपर तो राजनीति

(श्री हनुमान बेनीवाल)

मत करो, मंत्रीजी। समय आता रहता है, जाता रहता है; कल कोई और था, कल कोई और आएगा, पता क्या लगता है, लेकिन पानी के मामले में आपको यह नहीं देखना चाहिए कि यह बी जे पी का है, निर्दलीय है, कांग्रेस का है। शुद्ध पानी कैसे मिले और आम जनता को राहत कैसे मिले, इस मामले में आपको प्रयास करने चाहिए।

आप जल नीति लाने की बात कर रहे थे, लेकिन आपकी जल नीति में हमें कोई नई प्रोग्रेस राजस्थान के अन्दर नहीं दिखी। आपकी जनता जल योजना, तीसरा बजट मुख्य मंत्रीजी का हमने देखा, अभी तक तो यही पता नहीं कि जनता जल योजना को किससे ठीक कराओगे। बताओ आप! कभी तो कहते हों, पंचायतों से पी एच ई डी को दे देंगे, पी एच ई डी ठीक कराएगी, फिर पंचायतों को वापस दे देगी। सवा दो साल के अन्दर जनता जल की कुछ स्कीम्स जरूर सैंक्शन की हैं, लेकिन जनता जल के जो ट्यूबवेल फेल हो गये, जहां दूरदराज की ढाणियों के अन्दर ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): दो मिनट। मैं मेरे इलाके पर आ रहा हूं। ऐसी क्या बात हुई! हम भी तो सुनेंगे इन सबको। ऐसे क्या कर रहे हो!

जनता जल के जो भी ट्यूबवेल खराब हैं, और आपकी मुख्य मंत्रीजी की सदन के अन्दर घोषणा है, बजट के अन्दर भी, कि हम जनता जल के सारे ट्यूबवेल ठीक करेंगे। आप कब तक करोगे? आप जल्दी से जल्दी काम कीजिए। आपका डिपार्टमेंट पी एच ई डी क्या करता है कि जब अप्रैल, मार्च आता है, तब आप काम शुरू कराते हो। इतने में गर्मी निकल जाती है, फिर सर्दी आ जाती है। आपको जो भी ट्यूबवेल ठीक कराने हों, जी एल आर जो आपने हजारों की तादाद में बना दिये, उनको पाइपलाइन से जोड़ नहीं रहे हैं, नये फेल्योर ट्यूबवेल हैं उनके अगेंस्ट में आपको बनाने हैं; सारा काम गर्मी आने से पहले आपको तैयार करके रखना चाहिए ताकि आमजन को परेशानी नहीं हो।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

कुछ-कुछ मेरे क्षेत्र के हैं। (व्यवधान) आपको मेरे से क्या खतरा है? दूसरे लोग एक-एक घण्टे भाषण देते हैं।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): खतरा है, वह आपके इलाके में है; यहां कोई खतरा नहीं है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): यह थर्ड फ्रंट का जाट है, सी एम बनेगा। ध्यान रखना, सी एम बनेगा। फिर पानी-पानी करते रहना। यह सी एम बनेगा।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): दिन में सपना देख रहे हो क्या, श्रवण जी?

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मेरे को तो देखते हुए 35 साल हो गये।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): आपने तो मान लिया।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मेरे को तो देखते हुए 35 साल हो गये, मैंने तो मान लिया, लेकिन हमारा लीडर ये है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बोलने दें उनको। हनुमान जी, एक मिनट में अपनी बात समाप्त करो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एक मिनट में तो कैसे होगा?

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): सभापति जी, कितना सीनियर आदमी बोल रहा है, थर्ड फ्रंट का लीडर बोल रहा है और मंत्रीजी ने ध्यान ही नहीं दिया। दोनों हंस रहे हैं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, हम पहले दिन से, जब से सदन चल रहा है, आप सबको रात को 12-12 बजे तक झेलते हैं। तो कम से कम 2-5-10 मिनट हमें भी तो दो; हम भी विधायक हैं।

श्री सभापति: आपको 10 मिनट हो गये, अब अपनी बात समाप्त करो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): चार मिनट में तीन मिनट तो मदन जी और ये लोग खा गये। जोगाराम जी खड़े हो गये। हर कोई हो जाता है। तो क्यों कर रहे हो आप लोग? और मैं ऐसा क्या बोल रहा हूं, बताओ आप। (व्यवधान) ठीक है, 2-5 मिनट में खतम कर रहा हूं।

श्री सभापति: एक मिनट।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, अब ऐसा मत करो, फिर मैं चूक जाऊंगा।

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करो आप।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आपने पूरा तो मेरा टाइम ले लिया।

सभापति महोदय, आपके कांग्रेस के राज के अन्दर आप यह कहते थे कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो गया, उस मुख्य अभियंता ने भ्रष्टाचार कर दिया,

(श्री हनुमान बेनीवाल)

यह कर दिया, वह कर दिया; लेकिन आपके राज के अन्दर मुख्य अभियंताओं ने बी एस आर रेट से 400 परसेंट ज्यादा पर काम दिया है। कर दिया भ्रष्टाचार। 400 परसेंट ज्यादा के अन्दर काम दे दिये और उसमें आपने कोई जांच कराई क्या? सभापति महोदय, मंत्रीजी को इस दिशा में निश्चित रूप से काम करना चाहिए।

सभापति महोदय, आज राजधानी जयपुर के अन्दर बीसलपुर का पानी नहीं आने से जो जयपुर का बाहरी इलाका, झोटवाड़ा, खातीपुरा, कालवाड़ का इलाका आता है, इस इलाके में पानी को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन हुआ है। वहां पर आप बीसलपुर का पानी दे नहीं रहे हों और प्राइवेट ट्यूबवेल वालों में से कुछ लोगों ने परमिशन लेकर जनता को पानी पिलाने का मानस बनाया, तो आपने उन प्राइवेट ट्यूबवेल को बन्द कर दिया, आपने उनको सीज कर दिया। पानी को लेकर जयपुर में त्राहि-त्राहि मची हुई है। सभापति महोदय, मैं मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि जो पानी को लेकर राजधानी जयपुर की सड़कों पर हैं, तो अपन गांव-ढाणी में क्यों जाएं? पहले जयपुर शहर को तो पानी पिलाओ साहब, जहां सबसे ज्यादा आपको 8-9 सीटें मिलती हैं।

सभापति महोदय, कुछ मेरे इलाके की नागौर लिफ्ट के बारे में बोलूंगा मैं। सभापति महोदय, आज हमारे इलाके के अन्दर 2002 से हम लगातार सुन रहे हैं कि नागौर लिफ्ट परियोजना....

श्री सभापति: माननीय सदस्य, एक मिनट में समाप्त कर दें अब आप अपने क्षेत्र की बात। एक मिनट, लास्ट।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): क्या एक मिनट, साहब। यह क्या बात हुई!

मेरे इलाके के अन्दर लिफ्ट कैनाल का जो काम चालू हुआ, उसमें 2002 से काम चालू हो गया, 14 साल हो गये; पहले कोई कम्पनी आई, चली गई, आपने उस पर जुर्माना लगाया; फिर आई, फिर चली गई, और 14 साल के अन्दर आपने सिर्फ 50 गांवों को नागौर लिफ्ट कैनाल से पानी पिलाया है। सभापति महोदय, कम्पनियों ने क्यों देरी की? क्या कारण रहे? कौन इसके अन्दर जिम्मेदार है? हजारों करोड़ रुपये खर्च करने के बाद भी लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं करा सके।

सभापति महोदय, नागौर के अन्दर रत्नामणी नाम से एक फैक्टरी

(श्री हनुमान बेनीवाल)

लगा दी और उसमें जो नार्म्स हैं, मापदण्ड हैं, तो किसी में तो खुले के अन्दर कम्प्लीट पाइप बना रहे हैं रत्नामणी वाले, जबकि इनके नाम से कन्वर्जन नहीं है। तो, मंत्रीजी, आपने ऐसे कैसे सीधी छूट दे दी? इसके क्या कारण हैं?

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): आपका एक भी कटौती प्रस्ताव नहीं है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अब आप तय करोगे क्या कि हमें बोलना है, या नहीं बोलना है? क्या फालतू की बात कर रहे हो।

श्री सभापति: अब आप समाप्त करें। श्री मनोहर सिंह।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): नहीं, मदन जी, यह गलत बात है। सभापति महोदय, एक मिनट तो दें।

श्री सभापति: हो गया आपका एक मिनट पूरा। 3-4 मिनट ज्यादा बोल गये हो आप।

श्री मनोहर सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): कहां बोल गये, साहब? 5 मिनट के अन्दर हमारा पूरा करा दिया। सभापति महोदय, दो मिनट हमारे को टाइम दो, साहब।

श्री सभापति: श्रीमती रानी सिलौटिया।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एक मिनट टाइम दो न, साहब। एक मिनट।

श्री सभापति: आधे मिनट में बात समाप्त कर दो आप।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): हमारे मातासुख लिग्नाइट की जो परियोजना चल रही है और आपकी विधायक ने पहले भी इस बारे में कहा और आज भी सदन में कह रही थीं कि 120 गांवों को मातासुख लिग्नाइट.... (व्यवधान) एक मिनट। मातासुख लिग्नाइट परियोजना से जो जायल के 120 गांवों को पानी मिल रहा है, सभापति महोदय, मातासुख लिग्नाइट परियोजना का वह पानी....

श्रीमती रानी सिलौटिया (बसेड़ी): माननीय सभापति महोदय, मुझे आपने मांग संख्या 27 और 46 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): रोज थोड़े ही बोलते हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजो आप।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, आपकी नाराजगी किससे है और हमारे पर उतार रहे हो आप।

श्री सभापति: नहीं, नाराजगी नहीं, आपको समय जितना देना था उससे ज्यादा समय मिल गया। माननीय सदस्य, विराजें, प्लीज।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आपने पांच मिनट के अन्दर करा दिया हमारा। 2-5 मिनट का तो टाइम दिया करो, साहब।

श्री सभापति: विराजिये प्लीज। आप विराजें, प्लीज।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): यह तो अन्याय कर रहे हों आप हमारे साथ। इस तरह आप अन्याय करोगे हमारे साथ !

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आसन कभी अन्याय नहीं करता, न्याय करता है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): कर ही रहे हों आप। आपने कहा था कि मैं आपको बोलने दूंगा, बिठाये रखा और अब लास्ट में यह कह रहे हों कि आप तो दो मिनट बोलो। तीन मिनट ये खा गये बीच में व्यवधान पैदा करके। आप मुझसे क्यों डरते हों, जब इतनी संख्या है आपकी? बाकी लोग आधा-आधा घंटा यहां भाषण देते हैं, तब तो आप सुनते हों।

श्री सभापति: श्रीमती रानी सिलौटिया, बोलिये आप। माननीय सदस्य, विराजिये प्लीज।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आपको कैसे डर लगता है अकेले व्यक्ति से?

श्रीमती रानी सिलौटिया (बसेड़ी): माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस के भाइयों को एक शायरी सुनाना चाहती हूं, ये कुछ ज्यादा ही बोलते हैं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, यहां विधायकों के हमारे कुछ अधिकार हैं जिनको लेकर हम राजस्थान की विधान सभा में आते हैं और आप हमारे विपक्ष के सभी सदस्य..... (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, शायरी सुनें आप। विराजें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): .... के साथ न्याय नहीं करोगे, तो हम किसके सामने अपनी बात रखेंगे?

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, विराजें प्लीज।

श्रीमती रानी सिलौटिया (बसेड़ी): मेरे भाइयों, आप क्या नहीं कर सकते?

आप चाहें तो मेरी आंखों के आंसू

आपकी आंखों से बह सकते हैं,

लेकिन आप तो ठहरे झील का पानी, नदियां बनते, तो आगे बह सकते हैं।

मेरे भाइयों, झील का पानी बने हो, तभी तो आप सिमट कर रह गये। एक हमारी मुख्य मंत्री वसुंधरा जी हैं जिनका दिल दरिया है, एक समुद्र की तरह है, जहां सभी बुराइयां, अच्छाइयां समायी हुई हैं और उन्हें लेकर अपनी सरकार को किस तरह आगे बढ़ा रही हैं।

माननीय सभापति महोदय, आगामी वर्ष में जो 12 करोड़ रुपये से अधिक की नई परियोजनाओं की घोषणा की है, उससे मुख्य मंत्रीजी ने प्रदेश में बहुत बड़ी सौगात दी है और इसके लिए मैं मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगी।

सभापति महोदय, सिंचाई के क्षेत्र के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए आगामी वर्ष में जल संसाधन, इंदिरा गांधी नहर एवं सी ए डी विभाग के लिए वर्ष 2016-17 में 4,047 करोड़ 44 लाख का प्रावधान किया है, जो वर्ष 2015-16 के संशोधित अनुमान से 27.81 प्रतिशत अधिक है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी और मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने पेयजल हेतु कालीसिंध नदी का उपयोग बारां, कोटा, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर, दौसा, करौली एवं धौलपुर को पेयजल हेतु एक विस्तृत परियोजना तैयार करने की घोषणा की है। इसके लिए मैं उनका स्वागत करती हूं।

माननीय सभापति महोदय, जो हमारी मुख्य मंत्री हैं, इन्होंने सबसे बड़ा जो कार्य किया है, वह है जल स्वावलम्बन योजना। उसके तहत हमारे यहां जो पूर्व में बावड़ियां थीं उनके जीर्णोद्धार के लिए जो कार्य किया है और छोटी-छोटी बावड़ी, तालाब, एनिकट के लिए जो भी कार्य कर रही हैं, उसके लिए धन्यवाद देती हूं। जो राजस्थान पहले से ही 65 परसेंट डार्क जोन में चल रहा है और उसके लिए जो हमारी मुख्य मंत्रीजी ने योजना चलाई है, उससे पानी की तो बिलकुल कमी ही नहीं रहेगी। यहां तक कि गांव-गांव ही क्या, पूरे राजस्थान में भी पानी-पानी हो जाएगा।

(श्रीमती रानी सिलौटिया)

माननीय सभापति महोदय, मैं अपने क्षेत्र की कुछ मांगों को आपके माध्यम से मंत्री महोदया को कहना चाहती हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी का अधिकांश क्षेत्र डांग एवं पहाड़ी क्षेत्र है। गर्मियों के मौसम में जल स्तर कम होने की वजह से पेयजल की समस्या हमेशा हो जाती है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत दो तहसीलें सरमथुरा एवं बसेड़ी आती हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र की तहसील सरमथुरा के अन्तर्गत आने वाले 84 गांवों को तो पूर्व में ही क्षेत्रीय जल योजना के अन्तर्गत पार्वती बांध से जोड़ दिया गया है, लेकिन 2001 की गणना के आधार पर मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली बसेड़ी तहसील के 96 गांव अभी भी क्षेत्रीय जल योजना से वंचित हैं और ऐसी स्थिति में 96 गांवों के निवासियों को पेयजल की समस्या का सामना करना पड़ता है। अतः बसेड़ी तहसील के 96 गांवों को क्षेत्रीय जल योजना से जोड़ा जाना अति आवश्यक है।

साथ ही मेरे विधान सभा क्षेत्र में अधिकांश हैण्डपम्प खराब पड़े हुए हैं। विभाग में एक तो मिस्त्रियों की और साधन की सबसे ज्यादा प्रोब्लम आ रही है। पूरे विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी में एक जीप है जो सभी जगह नहीं जा सकती है। वहां पर सामान की भी कमी है। वहां पर सामान भी नहीं है और मिस्त्रियों की भी कमी है। तो मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से कहना चाहूंगी कि बसेड़ी विधान सभा क्षेत्र में साधन और सामान बढ़ाने की कृपा करें।

हमारे यहां बसेड़ी विधान सभा क्षेत्र से एन एच-11 भी निकला है, जिससे हमारी जल योजना के अन्दर जो भी पाइपलाइनें डली थीं, वे उसमें दब गई हैं और जगह-जगह से टूट गई हैं। इसलिए जितने भी गांव में, जो जल योजना में आ रहे हैं, उनकी पाइपलाइनें क्षतिग्रस्त होने से टंकियों तक पानी नहीं पहुंच रहा है। वे पुरानी पाइपलाइनें हैं और अगर उन्हें बदल दिया जाय, क्योंकि जो पाइंट बने हुए हैं वहां पर पानी पहुंचता ही नहीं है। उस क्षेत्र की एक जोरगड़ी पिपरेट है, वहां पर तो मैं अभी होली पर खुद देखकर आई हूं कि पाइंट तो कई बने हुए हैं, लेकिन पाइप बीच में से टूटी हुई हैं, बिलकुल हैं ही नहीं उसमें, तो पानी टंकी तक पहुंच नहीं पाता है। अवैध कनेक्शन लोग-बागों ने ज्यादा ले रखे हैं। तो मैं मंत्री महोदया से कहना चाहूंगी कि इसकी जांच कराई जाये। जब अवैध कनेक्शन होंगे, तो वह पानी टंकी तक नहीं पहुंच पा रहा है। इस पर विशेष ध्यान दिया जाये।

(श्रीमती रानी सिलौटिया)

माननीय सभापति महोदय, मेरा क्षेत्र है वह डांग क्षेत्र बहुत है, जहां पर फसली एरिया तो बहुत ही कम है, लेकिन खनन ज्यादा है। वहां पर एनिकट की बहुत ही जरूरत है, क्योंकि वहां बरसात का पानी है वह सीधा चम्बल में जाता है। हम चाहते हैं कि जितने ज्यादा एनिकट मेरे विधान सभा क्षेत्र में बनायें, तो अति कृपा होगी, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा एनिकटों की जरूरत है। जहां खेती ही नहीं है, तो कम से कम पानी तो रोक सकें। बरसात ना हो, तो हमारे यहां टैंकर आते हैं। वह भी 500-500 रुपये में एक-एक टैंकर पीने के लिए मिलता है; हमें आठ-आठ दिन तक भरना पड़ता है। विशेषकर इन एनिकट्स पर भी ध्यान दें। हैण्डपम्प जो खराब पड़े हैं, बस उन्हीं को ही अगर सही करा दें, तो उससे भी हमारी जनता को बहुत लाभ होगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं बस इतना ही कहूंगी। अपनी सरकार और अपनी मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगी जिन्होंने बहुत सारा बजट में जो दिया है, उससे सारी जनता को जल समस्या से निजात मिलेगी। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री नवनीत लाल।

श्री नवनीत लाल (घाटोल): मान्यवर सभापति महोदय, ...

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): नवनीत लालजी, एक मिनट, विराजें।

सभापति महोदय, यद्यपि पहले जो प्रस्ताव था समय बढ़ाने का, उसमें ''कार्य सूची पूरी होने तक समय बढ़ाया जाये'', यह जोड़ना जरूरी है। इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज की कार्य सूची पूर्ण होने तक के लिए सदन का समय बढ़ाया जाये।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि आज की कार्य सूची पूरी होने तक सदन का समय बढ़ाया जाये?

(स्वीकृत)

सदन का समय कार्य सूची पूरी होने तक बढ़ाया जाता है। (व्यवधान) कार्य सूची पूर्ण होने तक समय बढ़ाया जाता है।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 27 एवं 46 पर विचार

श्री नवनीत लाल (घाटोल): मान्यवर सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 46 एवं 27 पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आदर करता हूं।

मान्यवर, सिंचाई और पेयजल पर आज चर्चा चल रही है। यह सारा पानी की ही देन है। सारे संसार में जहां तक अपन नजर डाल रहे हैं, तो देख रहे हैं, वह सारी पानी की माया है।

मान्यवर सभापति महोदय, मैं समयाभाव में मेरे इलाके की ही बात करूंगा। विधान सभा क्षेत्र घाटोल की जानकारी को माननीय मंत्री महोदय की सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूं। सबसे पहले तो माननीय जलदाय मंत्री महोदया के द्वारा हमारे घाटोल क्षेत्र में जो पानी की समस्या थी, उन गांवों की एक योजना बनाई गई है, जिसके लिए मैं माननीय मंत्री महोदया का खूब आदर करता हूं और निवेदन करता हूं कि विधान सभा क्षेत्र घाटोल में और पूरे बांसवाड़ा जिले में हैण्डपम्प जो लगाये जा रहे हैं और लगाये गये हैं, जहां पर हैण्डपम्प रिजेक्ट हो जाते हैं, हैण्डपम्प मिस्त्री कहीं अपनी लापरवाही से हैण्डपम्प रिजेक्ट की घोषणा कर देता है, तो मेरा ऐसा आग्रह है कि क्या हैण्डपम्प रिजेक्ट हो जाते हैं? इसकी सर्वे करने के लिए कोई मशीन की योजना, नई मशीन की योजना होनी चाहिए, ताकि सरकार का दिया हुआ पैसा है, वह नाजायज खर्चा नहीं हो। क्योंकि कहीं कोई पत्थर डाल देता है, कोई छोटी-सी भूल से हैण्डपम्प रिजेक्ट घोषित कर दिया जाता है और वे हजारों रुपये नाजायज खर्च हो जाते हैं। तो ऐसा मेरा आग्रह है कि इसकी कोई सर्वे करवाने के लिए, या हैण्डपम्प के अन्दर सर्वे कराने के लिए ऐसी कोई मशीन की नई योजना बनाई जाये। ऐसा मेरा आग्रह है।

बांसवाड़ा जिले में 36 जलदाय विभाग की जनता जल योजनाएं हैं, जिनमें से 30 योजनाएं अभी तक टूटी-फूटी हालत में बंद पड़ी हुई हैं। वह ट्राइबल इलाका है, वहां की ग्राम पंचायतें इन योजनाओं का पैसा समय पर जमा करा नहीं सकतीं। इसलिए मेरा आग्रह है कि विभाग के द्वारा उन योजनाओं को चलाया जाये और जिन पंचायतों के पास में पैसों का अभाव है, वह पैसा भरने के लिए विभाग को जिम्मेदारी दें, ताकि वे योजनाएं चल सकें। ऐसा मेरा निवेदन है।

(श्री नवनीत लाल)

साथ ही हैण्डपम्प मिस्त्रियों की कमी के कारण उनकी निगरानी सही नहीं हो पा रही है। तो यह जैसे हैण्डपम्प की बढ़ोतरी है, वैसे उनकी देखरेख के लिए मिस्त्रियों की भी जरूरत है और उस जरूरत के अनुसार मिस्त्री लगाये जायें, ताकि उनकी निगरानी सही ढंग से हो पाये। ऐसा मेरा आग्रह है।

साथ ही मेरा निवेदन है कि...

श्री सभापतिः आसन को निर्देश देने की जरूरत नहीं है किसी को।

श्री नवनीत लाल (घाटोल): ...विधान सभा क्षेत्र घाटोल, प्रतापगढ़ क्षेत्र की पंचायत समिति पीपलखूंट में सूखा क्षेत्र है। वहां पर पानी का काफी अभाव है। गत साल हैण्डपम्प के अभाव में टैंकर लगाये गये थे और टैंकर लगाने से, जहां टैंकर जा रहा है और रास्ते में ही जिस पंचायत के लिए टैंकर लगाया गया है, वहां पहुंच नहीं रहा। रास्ते में दूसरी पंचायत के दूसरे गांव की महिलाएं घड़ा, बर्तन, मटके लेकर खड़ी हो जाती हैं और उस टैंकर को रोक लिया जाता है और वहीं पर टैंकर खाली कर दिया जाता है। जिस पंचायत के लिए वहां टैंकर पहुंच नहीं पाया, तो वहां के सरपंचों ने, वहां के वार्ड पंचों ने उसकी जिम्मेदारी नहीं ली। तो टैंकर का पैसा अभी तक चुकारा करने से बकाया है। ऐसी स्थिति पीपलखूंट क्षेत्र में बनी हुई है। इसलिए माननीय मंत्री महोदया से मेरा निवेदन है कि इस ओर विशेष ध्यान देकर, जो चुकारा बाकी है, उसे जिला कलेक्टर व उपखण्ड अधिकारी को ऐसा कहा जाये कि वहां विशेष निगरानी रखी जाये ताकि उसका काम पूर्ण हो सके। ऐसा मेरा आग्रह है।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, समाप्त करें जल्दी। कई माननीय सदस्यों को बोलना है।

श्री नवनीत लाल (घाटोल): मान्यवर, मेरा तो अभी शुरू हुआ है।

मेरा निवेदन है सिंचाई के बारे में। माननीय सिंचाई मंत्री महोदय से मेरा आग्रह है कि माही विभाग के नहरों की हालत सुधारने के लिए आपने पैसा दिया है, इसके लिए तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं, लेकिन माही की नहरें जर्जर हो गई हैं। जर्जर नहरें होने से हैड्स पर तो फसलें गल गई हैं, सड़ गई हैं और टेलों पर फसल सूख रही है। इसलिए मेरा ऐसा आग्रह है कि माही डैम विभाग के अधिकारी, जो मेन अधिकारी, मुख्य अभियन्ता का पद बांसवाड़ा जिले से हटाकर उदयपुर में लगा दिया गया है। मान्यवर, मेरा आग्रह

(श्री नवनीत लाल)

है कि रियासती जमाने में यह तालाब गुदड़े-घाबे या कपड़े धोने के लिए तालाब बनाया गया है उदयपुर में, न कि सिंचाई के लिए। तो मेरा ऐसा आग्रह है कि जहां सिंचाई की योजना है, वहां वह आफिस रहना चाहिए था। तो माही विभाग का आफिस तोड़ दिया गया है, उसे बांसवाड़ा जिले में कायम किया जाये, ताकि वहां के किसानों को राहत मिल सके...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री नवनीत लाल (घाटोल): ...और वहां की नहरों की जर्जर हालत है, उस हालत को ठीक किया जाये।

मान्यवर, 2006 में माननीया मुख्य मंत्रीजी वसुन्धराजी राजे के द्वारा दक्षिणी राजस्थान, बांसवाड़ा जिले का दौरा किया गया था और रात्रि विश्राम आमलीखेड़ा गांव में, देहाती गांवों के अन्दर टैंट लगाकर रात्रि विश्राम करके घोषणा की गई थी और माही डैम की दायीं तरफ पीपलखूंट नहर निकालने के लिए 112 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई थी, लेकिन गत सरकार, माननीय अशोक गहलोत साहब की सरकार आने से उस योजना को दबा दिया गया है। इसलिए उन रिकार्ड को, उन फाइलों को निकालकर पीपलखूंट की माही नहर के काम को शुरू करके 19 गांवों के किसानों की 12,724 हैक्टेयर भूमि सिंचाई योग्य जमीन है, उसे पानी पिलाया जाये और वहां के किसानों को राहत दी जाये। ऐसा मेरा आग्रह है।

आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री विद्याशंकर नंदवाना।

श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 46 और मांग संख्या 27 पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मेरे से पूर्व सिंचाई और पेयजल को लेकर सभी सम्माननीय सदस्यों द्वारा अपनी समस्याओं पर ध्यान आकर्षित किया गया। मैं यह कहना चाहूंगा कि राजस्थान में सिंचाई क्षेत्र का बहुत ही क्रांतिकारी विस्तार हुआ है, जहां राज्य में स्वतंत्रता से पहले मात्र 4 लाख हैक्टेयर सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती थी, जिसमें से 3 लाख 20 हजार हैक्टेयर वृहद् एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं से व 80 हजार हैक्टेयर लघु सिंचाई परियोजनाओं से सिंचित होती थी। वृहद् सिंचाई परियोजना में गंगनहर

(श्री विद्याशंकर नन्दवाना)

सिंचाई का साधन हुआ करती थी। आज देश-प्रदेश में किसान सिंचाई के महत्व को समझने लगे हैं और जिस प्रकार से वैज्ञानिकों ने क्रांतिकारी बीज और संसाधन उपलब्ध कराये हैं, उसके बाद कृषि की पैदावार भी बढ़ी है और लगातार किसान की माली हालत में भी सुधार आया है।

माननीय सभापति महोदय, कोटा संभाग में सिंचाई का प्रमुख साधन चंबल सिंचाई परियोजना है और इस परियोजना के माध्यम से कोटा संभाग की 2 लाख 29 हजार हैक्टेयर कुल भूमि सिंचित होती है। कोटा की 1 लाख 4 हजार हैक्टेयर, बूंदी की 97 हजार हैक्टेयर और बारां की 28 हजार हैक्टेयर भूमि सी ए डी के माध्यम से सिंचित होती है, जो लगभग 748 गांवों में सिंचाई साधन उपलब्ध कराती है। माननीय सभापति महोदय, हम चंबल की उक्त सिंचाई परियोजना की, जो राजस्थान और मध्य प्रदेश को बराबर भू-भाग में सिंचित करती है, जो लगभग 5 लाख हैक्टेयर भूमि को सिंचित करती है; इस सारी सिंचाई प्रणाली में एक सामान्य सर्वे में जो बात निकलकर आई है, उसमें 30 प्रतिशत पानी किसान के उपयोग के बाद, किसान की लापरवाही कह दें, या समुचित व्यवस्थाओं में कमी कह दें, या समुचित स्टाफ की कमी मान लें, या कहीं हम नहरों की जर्जर अवस्था को यदि हम इस पर केन्द्रित करें, तो यह बहुत बड़ा पानी का हिस्सा व्यर्थ बहकर जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, यदि इस पर हम चिंतन करें, तो चंबल कमाण्ड एरिया का अनुपयोगी पानी, जो व्यर्थ में बह जाता है, उससे पूरे मध्य प्रदेश और राजस्थान को जोड़ें, तो 1.5 लाख हैक्टेयर भूमि सिंचित हो सकती है। यदि हम अगर उसमें राजस्थान के हिस्से को ही जोड़ें, तो लगभग 70 हजार हैक्टेयर भूमि सिंचित हो सकती है। यदि हम इसके लिए केवल मात्र कोटा जिले पर ही अपना ध्यान आकर्षित करें, तो इस व्यर्थ में बहकर जाने वाले पानी से लगभग 30 हजार हेक्टेयर भूमि सिंचित की जा सकती है, जो पानी व्यर्थ में बहकर जा रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, उनके क्षेत्र की एक वृहद् सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना की ओर उनका ध्यान दिलाना चाहूंगा, जिसका कुल सिंचित क्षेत्र 1 लाख 24 हजार 700 हैक्टेयर है और जिसके बराबर हम पानी सी ए डी के सिंचाई तंत्र में व्यर्थ में ही बहा देते हैं। यदि मैं यह कहूं कि राजस्थान में चलने वाली बहुत बड़ी लघु सिंचाई योजनाओं का पानी भी हम जोड़ें, तो कई लघु सिंचाई परियोजनाओं के पानी के बराबर का पानी हम मात्र सी ए डी में व्यर्थ ही बहा रहे हैं।

(श्री विद्याशंकर नन्दवाना)

माननीय सभापति महोदय, हर क्षेत्र में लाभ और हानि पर विचार कर ही योजनाएं बनती हैं। वह व्यापार हो, या अन्य संस्थान हों, सभी में ही लाभ-हानि पर ध्यान दिया जाता है। जहां हम राजस्थान की बिजली कंपनियों के घाटे की बात करें, तो लगातार छीजत को रोकने के लिए प्रयास किये जाते हैं, मगर उस छीजत को नहीं रोक पाते हैं तो उसका भार आम उपभोक्ताओं पर पड़ता है।

माननीय सभापति महोदय, पानी की आवश्यकता के महत्व को हम सब भली-भांति जानते हैं, लेकिन यह कह देने से भी काम नहीं चलेगा कि नियमों में व्यर्थ पानी का उपयोग करने में हम सक्षम नहीं हैं। चंबल कमाण्ड एरिया में हमको नियमों पर एवं इसकी सम्पूर्ण व्यवस्था पर गहन चिंतन करने की आवश्यकता है; पूरे सिस्टम में जहां-जहां भी व्यर्थ पानी बहकर जा रहा है, उसका उपयोग करने की आवश्यकता है। मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात करूं, तो जहां बड़ी मात्रा में व्यर्थ पानी बहकर जाता है, वहां किसानों को समय पर पानी मिले, इसके लिए हमें बड़े प्रयास करने की आवश्यकता होती है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में जहां हैड का किसान पानी लेता है, वहीं टेल का किसान 45 दिन तक इंतजार करता है। लम्बी-लम्बी वितरिकाएं जो 60 किलोमीटर, 65 किलोमीटर और 70 किलोमीटर की हैं, जिनके कारण से किसानों को पानी लेने में कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा हो जाती है और कई बार ऐसी समस्याएं बनकर आती हैं जिनके कारण से किसान को समय पर पानी नहीं मिल पाता है।

माननीय सभापति महोदय, इस सारे तंत्र में जहां हम व्यवस्था की बात करें, तो 2015-16 में जहां सिंचित क्षेत्र के विकास के लिए राशि 18,335.94 लाख आवंटित की गई थी, उसके विरुद्ध मात्र 3156.13 लाख का ही उपयोग किया गया, जो आबंटन राशि का मात्र 17.21 प्रतिशत रहा। इसमें भी गुणवत्ता के स्तर की हम बात करें, तो जिस प्रकार का कार्य सी ए डी के माध्यम से कराया गया वह बड़ा चिंताजनक था। माननीय मंत्री महोदय द्वारा और सिंचाई विभाग के बड़े अधिकारियों द्वारा इस सारी स्थिति का अवलोकन किया गया और घटिया स्तर पर हो रहे काम को रुकवाने का प्रयास किया गया।

मैं यहां इस बात पर भी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि सी ए डी का तंत्र, जो लम्बे समय के बाद जर्जर हो चुका है, ऐसे तंत्र को विकसित करने की आवश्यकता है और उसके लिए एक प्रभावी योजना बनाने की जरूरत है।

(श्री विद्याशंकर नन्दवाना)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, नाबार्ड से ऋण लेने के लिए जहां हमने सारे नहरी तंत्र को जन भागीदारी में बदलने के लिए जल उपभोक्ता संगमों का गठन किया और उनको प्रभावी बनाने की भी जो आवश्यकता थी, वह कमजोर सिद्ध हुए। उपभोक्ता संगमों को जहां पानी तंत्र को चलाने के लिए राजस्व वसूली करने के लिए उपयोग लिया जाना था, वे उसमें कहीं पर भी सक्षम सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह कहूंगा कि लगभग दस वर्षों में पहली बार माननीय मंत्री महोदय के प्रयास से इस बार सी ए डी की नहरों की जो व्यवस्था रही, उसके लिए मैं माननीय मंत्री महोदय का धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि पिछले दस वर्षों में पहली बार कोटा संभाग में किसी धरने, प्रदर्शन या किसी अन्य अव्यवस्था का ग्रास नहीं बनकर, किसान लगातार पानी लेता रहा है।

मैं, माननीय सभापति महोदय, इस विषय से जुडी हुई छोटी-सी बात आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि सी ए डी के माध्यम से हमारे यहां कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में भी काम होता है और नॉन-सी ए डी और सी ए डी, कोटा जिला दो भागों में बंटा हुआ है, जिसके कारण से कृषि क्षेत्र में जो कार्य होना चाहिए था, गुणात्मक दृष्टि से वह नहीं हो पाया।

मैं थोड़ा समय लेते हुए, मांग संख्या 27 पर भी थोड़ा-सा प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, एक मिनट में बात समाप्त करें आप।

श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा): माननीय सभापति महोदय, दो मिनट में अपनी बात को समाप्त करता हूं।

आपके माध्यम से मंत्री महोदया का ध्यान मैं, चंबल, कालीसिंध, पार्वती जैसी बड़ी नदियां कोटा जिले में बह रही हैं और वहां की 70 प्रतिशत आबादी फ्लोराइडयुक्त पानी पी रही है। माननीय सभापति महोदय, चंबल नदी जिसमें अपार जल बहता है लेकिन घड़ियाल अभयारण्य घोषित करने के कारण से इसके पानी का उपयोग हम पेयजल के लिए नहीं कर पाते हैं। जबकि पूरा जिला, बल्कि मैं यह कहूं कि पूरा कोटा संभाग डार्क जोन है, जहां लगातार पानी के कारण से कई बड़ी समस्याएं पैदा होती हैं। जहां झालावाड़ में 800 एम एम वर्षा होती है, कोटा में 700 एम एम होती है और मेरे विधान सभा

(श्री विद्याशंकर नन्दवाना)

क्षेत्र में 600 एम एम ही बरसात होती है। इस असमानता के कारण पेयजल स्रोतों में जिस प्रकार का भराव होना चाहिए, वह नहीं हो पाता है।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में सरफेस पानी पर कालीसिंध में हमने दो पेयजल योजनाएं एबराव और बड़ौद पर बनाई हैं। इसके लिए मैं माननीया पेयजल मंत्रीजी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने इस योजना के लिए हमें अपनी सहमति प्रदान की और उसका सर्वे प्रारम्भ हो चुका है। लेकिन मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि राजस्थान में जहां इस सर्वे के लिए दक्षिणी राजस्थान में 55 एल पी सी डी का मापदंड रखा गया है, वहीं कोटा संभाग के लिए यह मापदंड 35 एल पी सी डी का बनाया हुआ है। इस असमानता को भी माननीय मंत्री महोदया दूर करने का प्रयास करें।

मैं, माननीय सभापति महोदय, आपका ध्यान 2012 में तत्कालीन सरकार के गृह मंत्री द्वारा कैथून में एक 130 एल डी से पानी पिलाने की जो योजना बनाई गई और उसमें सात किलोमीटर क्षेत्र में पाइपलाइन बिछायी गयी, माननीय मंत्री महोदय द्वारा उसका उद्‌घाटन किया गया, लेकिन 2012 से लेकर आज 2016 तक भी उस पेयजल योजना का लाभ कैथून के निवासियों को नहीं मिल पा रहा है। केवल मात्र एक किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने से क्षेत्र को उस पेयजल का लाभ मिल पायेगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब समाप्त करें।

श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा): मैं, माननीय सभापति महोदय, आपका आभार व्यक्त करते हुए, अपनी बात को विराम करता हूं। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्रीमती अंजू धानका।

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): सबसे पहले तो, माननीय सभापति महोदय, आपको बधाई। मैं चाहूंगी कि दस-पन्द्रह मिनट आपको यहां खड़े होकर पहले दिन ज्यादा देखूं। तो थोड़ा समय दें आप।

श्री सभापति: मैंने बधाई मान ली। अब विराज जाओ आप भले ही।

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): नहीं, नहीं, मुझे तो देखना है न आपको खड़े होकर।

'पानी रे पानी तेरा रंग कैसा...।' आप जो अगली लाइन गुनगुना रहे हैं, वह नहीं है; चेंज कर दी है मैंने। 'पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा...' (व्यवधान)

श्री पूराराम चौधरी (भीनमाल): जिसमें मिला दो, लगे उस जैसा।

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): फिर आप गलत हैं। 'पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा; आसमां से न गिरे, तो न मंत्री दे सके, न रईस का पैसा।'

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): तो फिर मांग का कोई मतलब ही नहीं है।

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): टेक्निकली प्रयास तो करने ही पड़ेंगे न। हाथ पर हाथ धर के तो नहीं बैठ सकते।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, बोलें आप तो। समय कम है।

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): जी।

माननीय सभापति महोदय, बजट अनुमान वर्ष 2016-17 की अनुदान मांग संख्या 27-पेयजल योजना एवं मांग संख्या 46 पर मैं अपनी बात सदन के समक्ष रखना चाहती हूं। विधान सभा क्षेत्र बस्सी में जनता जल योजना जो चल रही है, उसमें पूर्व में सारा बिल, मेंटीनेंस, कर्मचारी को हर महीने पांच सौ रुपये देना, सरकार के द्वारा किया जाता था, लेकिन हाल ही में सरकार ने एक आदेश निकाला जिसके तहत सरकार ने योजना पंचायतों को हस्तांतरित कर दी है। पंचायतों को पहले ही विकास कार्यों हेतु पर्याप्त धन राशि नहीं मिलती, जो मिलती थी, उसमें से भी अब इन्डाइरेक्टली पहले ही जे जे वाई का पैसा काट कर, एस एफ सी, टी एफ सी की राशि दी जाएगी। बिलों के अलावा, यह साफ नहीं हुआ है कि जो मेंटीनेंस बिलों के अलावा होगी, उसका क्या होगा। क्योंकि छोटी-मोटी समस्याएं तो जलदाय विभाग में आती रहती हैं, मोटरों को लेकर, या कहीं टंकियों को लेकर के। तो उसमें जब सरपंच का पैसा पहले ही कट जाएगा, तो वह भी ध्यान नहीं देगा और इस वजह से वह ठीक प्रकार से योजना काम नहीं कर पायेगी।

जब से आपकी सरकार आयी है, मेरे क्षेत्र में कंटिंजेंसी के तहत हैंडपंप या ट्यूबवेल एक भी स्वीकृत नहीं किया गया है। पानी की मेरे क्षेत्र में भयंकर परिस्थिति है। कहीं पर भी पानी की या ट्यूबवेल की डिमाण्ड मैं इसमें नहीं कर रही हूं। सिर्फ दो लाइनों में यह कहना चाहूंगी कि मेरे क्षेत्र में कोई भी गांव या ढाणी ऐसी नहीं है जहां पानी की स्थिति अच्छी हो। डार्क जोन में होने के कारण परिस्थितियां बहुत ही भयंकर हैं और इसके लिए आप जो भी प्रयास कर सकें, करें।

इसी वजह से हम जो विधायक कोष से पैसा देने की कोशिश करते हैं, उस प्रक्रिया को आपने इतना जटिल बना दिया है कि आप अब उसमें शपथ पत्र मांग रहे हों, एन ओ सी मांग रहे हों कि शपथ पत्र पंचायत देगी कि बिल, वगैरह पंचायत भरेगी। अब जे जे वाई का पैसा भी एस एफ सी, टी एफ सी से इन्डाइरेक्टली काट लेंगे और फिर पंचायतों को और कोई भी जैसे विधायक

(श्रीमती अंजू देवी धानका)

कोष से हो, एम पी लैड से हो, या कहीं से भी अगर वह होता है, तो वह शपथ पत्र देगा कि उसका पैसा भी पंचायत देगी। अब जब सारा ही पैसा पंचायत देगी, तो, आप सिर्फ परमीशन दोगे क्या कि हां, अब पानी पी सकते हो आप, पानी पी लो? तो यह मैं जानना चाहती हूं आपसे कि पंचायतों के काम, इस तरह से अन्य कोई काम तो हो ही नहीं पायेंगे, वे तो ठप हो जाएंगे; वे बिल ही भरते रहेंगे। तो मैं समझती हूं कि यह पंचायतों के साथ अन्याय होगा।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीया मंत्रीजी को कहना चाहूंगी कि यह जनता जल योजना जिस तरीके से पूर्व में चलती थी उसको फिर से वैसे ही किया जाए, ताकि जनता को बराबर उसका लाभ मिल सके। सभापति महोदय, हम जो विधायक कोष से पैसा देते हैं उसे पीएचईडी के अधिकारी प्राइवेट प्रापर्टी समझते हैं। उसका दुरुपयोग करते हैं। जहां पर ग्रामीण जनता और विधायक कहते हैं कि यहां पर पानी निकलेगा वहां पर वे नहीं करते हैं और अपनी मर्जी से सुविधा शुल्क लेकर के कहीं पर भी कर देते हैं और इसी वजह से वहां पर न तो कभी पानी हो पाता है। जहां पर भी वे लगाते हैं वहां पानी नहीं होता है और कई तो ऐसे जो बोर लगा देते हैं वे सिर्फ शो पीस बन करके रह जाते हैं उसकी कोई देखरेख नहीं होती है। ऐसा मेरे क्षेत्र में तीन-तीन साल से चल रहा है और उसकी कई बार मैंने शिकायत भी की है लेकिन इसमें कभी जांच नहीं हुई। वो लिस्ट मैं आपको दे दूंगी। कृपया आप जांच करवा कर उसकी रिकवरी जरूर करवायें।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरीके से मैं बताना चाहूंगी कि जो पापुलेटेड कॉलोनी हैं उनमें पाइपलाइन नहीं है क्योंकि आपके अधिकारी ऑफिस में बैठ कर, माननीय मंत्री जी इस बात को ध्यान से अगर आप सुनेंगी तो आपको कुछ याद आएगा; सभापति महोदय, जो पापुलेटेड कॉलोनीज हैं उनमें पाइपलाइन नहीं हैं। क्योंकि आपके अधिकारी ऑफिस में बैठकर योजना बना लेते हैं। उसमें न तो क्षेत्र के लोगों को, न जन-प्रतिनिधियों को शामिल किया जाता है। सरकार बंद कमरों में टेबल पर एयरकंडिश्नर में बैठकर स्कीम बनाती है; बिना जन-प्रतिनिधि को इन्वाल्व किये और उन स्कीम्स की हालत यह है कि जब वे इंप्लीमेंटेशन लेवल पर आती हैं, तो उसका लाभ केवल तीस प्रतिशत लोगों तक ही पहुंचता है और सत्तर प्रतिशत लोग उससे लाभान्वित होने से वंचित रह जाते हैं। माननीय सभापति महोदय, निवेदन यह है कि जिन गांवों में वह पाइपलाइन गुजर रही होती है, उन गांवों को वंचित रख दिया जाता है। माननीय मंत्री महोदया, आज उन गांवों के लोग इतने आक्रोशित हैं कि पाइपलाइन हमारे यहां से जा रही है लेकिन उसका फायदा हम लोग नहीं ले पा रहे हैं। यानी, कैसी योजनाएं बनती हैं, मुझे समझ में नहीं आता।

(श्रीमती अंजू देवी धानका)

गवर्नमेंट का पैसा लग रहा है। योजना का लाभ जब जनता नहीं ले पाती, तो ऐसी योजना का क्या मतलब जिसका लाभ जनता को नहीं मिल पाता?

इसके अलावा, इल्लीगल कनेक्शंस के बारे में मैं जरूर कहूंगी, उसके लिए हमारी बात भी हुई थी, एक टास्क फोर्स का गठन करने के बारे में आप सोच रहे थे। मैं चाहूंगी कि यह आपके दिमाग में ही विचार न रहे, इसको आप क्रियान्वित भी करें और एक टास्क फोर्स का गठन करें, ताकि जो इल्लीगल कनेक्शंस पीछे से काट दिये जाते हैं, उनकी वजह से जो उपभोक्ता हैं, या जो बिल भरते हैं, उनको जो नुकसान होता है वह न हो।

दूसरा, जो पाइपलाइंस, हमारे यहां बस्सी विधान सभा क्षेत्र में एक कुथारा गांव है, वहां पर तीन साल पहले एक योजना स्वीकृत हुई थी और वहां लोहे की पाइपलाइन स्वीकृत हुई थी, ढाई करोड़ की योजना थी, लेकिन सरकार और योजना दोनों का दुरुपयोग हुआ। वहां पर लोहे की बजाय पाइपलाइन प्लास्टिक की डाल दी और वह जगह-जगह से क्षतिग्रस्त है।

माननीय सभापति महोदय, आर ओ के बारे में भी मैं कहना चाहूंगी कि आपने दो हजार आर ओ वित्तीय वर्ष 2015-16 में स्वीकृत किये थे। इस बात को दो साल हो गये। मेरे यहां 36 पाइंट हैं, जो आप ही के एक जवाब से मुझे पता चला है, जहां फ्लोराइड की मात्रा 9.60 है। अगर आप आधे भी आर ओ देंगे, तो मुझे खुशी होगी।

अब जो मैं बोलूंगी, आपको मैं बाद में बताऊंगी; ये बातें वे ही हैं जो सब रिपीट कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक खास बात है, वह मैं आपको बाद में बताऊंगी। इस राज्य में कई हजारों ढाणियों में स्वच्छ पेयजल आज भी उपलब्ध नहीं है, फ्लोराइडमुक्त पानी वहां पर मिल नहीं रहा है। डिफ्लोराइडेशन के लिए जो यूनिट्स की स्थापना करनी है, उसके लिए राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत पैसा भी मिला है सरकार को, लेकिन फिर भी यह स्थिति क्यों आ रही है? डिफ्लोराइडेशन यूनिट्स जो लगनी ही चाहिए, उन यूनिट्स को लगाने में सरकार अपनी तरफ से इतनी सुस्त क्यों है? 50 परसेंट काम भी अभी तक नहीं हुए हैं। जो पैसा राज्य सरकार के पास आ रहा है, वह आ चुका है। तो मैं चाहूंगी कि उसे जल्दी से जल्दी आप यूज करें।

अब मैं आपको यह बताना चाहती हूं, जो मैं आपको बार-बार कह रही थी कि आप सुनिये, आपको कुछ याद आएगा; माननीय मंत्री महोदया, ये जितनी भी बातें मैंने कही हैं, ये मेरी कही हुई नहीं हैं, वर्ड-टू-वर्ड मैंने रिपीट की हैं आप ही की 2012 की कही हुई बातों को। अब इसमें बड़ी बात यह है

(श्रीमती अंजू देवी धानका)

कि सरकारें बदलीं, मंत्री बदल गये, लेकिन परिस्थितियां वैसी की वैसी हैं और ये समस्याएं सारी आपके मुंह से सुनी हुई हैं। यह 2012 का मेरे पास सारा वृत्तान्त है। आप खुद पढ़ेंगी, तो यह समस्या आपकी है, लेकिन आप अपनी समस्याओं का निराकरण करके राहत मुझे दे सकती हैं।

कुछ सुझावों की बातें जरूर हैं, जो मैं बोलना चाहूंगी, उससे पूरे राजस्थान को फायदा होगा।

श्री सभापति: दो मिनट में आप राजस्थान को फायदा दे दें, जितना देना है।

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): मैं सदन के माध्यम से कुछ सुझाव भी रखना चाहती हूं कि पानी को सम्पूर्ण राजस्थान के हर शहर, कस्बे, गांव में रिसाइकल किया जाना चाहिए। बड़े शहरों को 15-20 हिस्सों में बांट कर, हर हिस्से में ट्रीटमेंट प्लांट हों, जहां पानी रिसाइकल हो और वहां से ही वह सप्लाई भी हो। ट्रीटमेंट प्लांट, जहां पानी रिसाइकल होकर के, वहीं से सप्लाई कीजिये। घर तक जो पाइपलाइंस हमारी जाती हैं, वे दो-दो जाएं, एक में रिसाइकल का पानी हो और एक में शुद्ध आर ओ का पानी हो, पेयजल का। जो रिसाइकल का पानी है, वह पशुओं के लिए, शौचालय में, अन्य घरेलू कामों में और खेती में यूज हो सकता है और शुद्ध पेयजल को बरबाद होने से बचाया

(20.00 बजे)

जा सकता है; आर ओ वाटर हम पी सकते हैं। आजकल शादी--विवाह सम्मेलन में जो मिनरल वाटर बॉटल का चलन जरूरत से ज्यादा हो गया है, यह जरूरत से ज्यादा स्टेटस सिंबल बन गया है। लोग आधी बोतल पीते हैं और फेंक देते हैं। वह पूरा मिनरल वाटर वेस्ट जाता है। बात सुनने में जरूर अजीब लगती है, पर जल बचाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को नैतिक जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी और बूंद-बूंद पानी की कीमत को हमें पहचानना होगा।

इसके अलावा एक बात मैं और कहना चाहूंगी। सभापति महोदय, पांच मिनट और मुझे आपको देखना है। ..

श्री सभापति: एक मिनट। एक मिनट।

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): एक महिला निर्दलीय विधायक है, उसको भी आप टाइम नहीं देते हो।

श्री सभापति: विधायक, विधायक होता है। निर्दलीय, बी जे पी, कांग्रेस नहीं है, यह माननीय सदस्य है।

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): बहुत देर से हम लोग भाषण दे रहे हैं, तो थोड़ा एंटरटेन मैं आपको करना चाहती हूं, एक छोटी-सी गेम बता कर। हम जब छोटे थे तो हम एक गेम खेला करते थे। उस गेम में दो पार्टनर होते थे। जो 'ए' होता था, वह 'बी' की आंखों में पट्टी बांध कर, उसके हाथ में एक झंडा लगाकर, मिट्टी के ऊपर, 'बी' को दूर छोड़कर आता था और फिर वापस वह 'बी' को उस स्थान पर लाकर छोड़ देता था। 'ए' उससे कहता था कि आप जो झंडा छोड़ कर आये हो, वह बताओ, कहां है? और बीच-बीच में वह उससे पूछता रहता था, जब उसको झंडा छोड़ने जाता था, कि बूढी मां, बूढी मां, मेरा घर आ गया? तो वह बोलता था कि नहीं, अभी नहीं आया। और इस तरह वह दूर जाकर छोड़ देता था।

सुराज संकल्प यात्रा के दौरान आपने यही काम किया है, आंखों पर जय-जय-राजस्थान की पट्टी बांध कर हाथ में विकास का झंडा देकर, पता नहीं, कहां छोड़ आये हों। आज तक हम ढूंढ रहे हैं।

आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती अलका सिंह।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): सभापति महोदय, धन्यवाद। आखिर मेरा नंबर आ ही गया, मैं बहुत देर से वेट कर रही थी और आज मेरे लिए बोलना बहुत जरूरी है क्योंकि दौसा जिले में पानी की सबसे बड़ी समस्या है। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन समय की कमी है, पांच मिनट में ही अपनी बात समाप्त करूंगी। मेरे विधान सभा क्षेत्र से ही चालू करूंगी।

मैं थोड़ा-सा पूर्ववर्ती सरकार के बारे में बताना चाहूंगी, अभी इनके मुख्य सचेतक महोदय काफी बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे, बताना चाहूंगी कि 2011-12 में 515 करोड़, 2012-13 में 460 करोड़ और 2013-14 में 279 करोड़ पूर्ववर्ती सरकार के समय इस पी एच ई डी महकमे के लैप्स हुए थे। अगर इस सारी राशि का उपयोग कर लिया होता, तो पानी की जो समस्या आज राजस्थान में मुंह बाये खड़ी है, उसका बहुत कुछ हल हो सकता था।

पानी की समस्या को रोकने के लिए मंत्री महोदया को थोड़ा-सा मैं बताना चाहूंगी कि जो यह लीकेज है, अगर इसकी तरफ पूरा ध्यान दिया जाये, ज्यादातर क्या होता है, हम ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और वहां पर यह जो लीकेज होता है, इसके लिए बोलते हैं तो ऊपर से यही बोला जाता है कि फंड नहीं आया है। एक तो कंटिंजेंसी फंड में और एक कर्मचारियों को स्वविवेक से निर्णय लेने की आजादी अगर दे दी जाये, तो लीकेज बच जायेगा, रेट बढ़ाने

(श्रीमती अलका सिंह)

की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी और यह जो अवैध कनेक्शन फैक्टरीज को या कच्ची बस्तियों में दे देते हैं, तो उसके लिए भी जिम्मेदारी फिक्स की जाये। पांच मिनट लूंगी, बस।

दूसरा, जल स्वावलंबन योजना हमारी माननीय मुख्य मंत्री महोदया की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और जनभागिता, जनता को उसके साथ जोड़ा है। उसमें थोडा-सा यह निवेदन करना चाहूंगी कि भू-संरक्षण विभाग को नोडल एजेंसी बनाया है और उनके द्वारा जो चयनित गांव या चयनित पंचायतें हैं, उनको इसमें रोस्टर के आधार पर पहले लिया है और फिर बाद में रोस्टर के आधार पर बाकी पंचायतों को लिया जायेगा। इसमें अगर पूरी पंचायत समिति को ही ले लिया जाये, जो-जो इसमें शामिल होना चाहें, और नरेगा से इसको जोड़ दिया जाये, तो पानी की जो समस्या है, वह समय रहते, जो लोग काम करना चाहते हैं, वे इसमें काम कर सकते हैं।

दौसा के बारे में एक कहावत है, 'दौसा जिला चिढ़ी का बासा, अन्न घणा पानी-पानी का त्रासा।' मतलब दौसा में पानी की समस्या अभी भारतीय जनता पार्टी के आने बाद हुई हो, ऐसा नहीं है; पानी की बहुत भीषण समस्या है और इसमें पूरा-पूरा योगदान पूर्ववर्ती सरकार का है। मैं बधाई देना चाहूंगी हमारी माननीय मंत्री महोदया को कि इन्होंने आने के बाद जो बहुत बड़ा घोटाला पानी के सम्बन्ध में दौसा जिले में हो रहा था, 235 करोड़ का घोटाला, उसको उजागर किया। कांग्रेस के समय पर यह था कि लोगों के घरों में सिंगल पाइंट एकल बिन्दु लग गये थे; खेतों में, मैंने देखे हैं, खेतों में उनसे सिंचाई का काम हो रहा है; घरों के अन्दर हैंडपम्प खोद दिये गये थे; और लोहे की जगह प्लास्टिक की पाइपलाइन लगा दी थी। मैं साधुवाद देना चाहूंगी माननीय मंत्री महोदया को कि इस सबकी जांच अब उन्होंने कर दी है।

हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री महोदया और हमारी पी एच ई डी मंत्री महोदया को धन्यवाद दूंगी कि उनके आने के बाद मेरे विधान सभा क्षेत्र में, मेरे बांदीकुई में चार ट्यूबवेल नये लगे हैं। बडियाल कलां, जहां पानी के लिए बहुत बड़ी समस्या थी, आये दिन वहां एजिटेंशन होते थे, वहां नये चार ट्यूबवेल लगे हैं; चार ट्यूबवेल बसवा में लगे हैं, और बहुत से हैंडपम्प लगे हैं। अभी माननीय मंत्री महोदया दौसा गई थीं, तब भी हमने प्रपोजल दिये थे 45 लाख के बांदीकुई के लिए और 1.49 लाख बसवा के लिए, वे भी स्वीकृत कर दिये हैं। इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

(श्रीमती अलका सिंह)

एक समस्या यह है, सरकार की योजनाएं बहुत अच्छी हैं लेकिन अधिकारी और कर्मचारी उनमें सहयोग नहीं करते हैं, काम नहीं करते हैं। मेरे यहां पर हमारी सरकार आने के बाद 19 रीजनल स्कीम पास हुई थीं, गांवों के लिए अलग-अलग स्कीम, जिसमें कहीं ट्यूबवेल थे, कहीं हैंडपम्प थे, कहीं जी एल आर था और उससे कनेक्शन था। 19 योजनाएं स्वीकृत हुई थीं हमारी सरकार आने के बाद, उनमें से अभी तक सिर्फ चार के टेंडर हो पाये हैं। 15 योजनाओं के टेंडर पांच बार कैंसिल हो गये हैं। मैं माननीय मंत्री महोदया से यह निवेदन करना चाहूंगी कि इसकी जांच करवायी जाये और ये जो टेंडर हैं, इनको दुबारा लगवाकर किसी तरह से काम चालू किया जाये, ताकि जनता को जो पीने के पानी की परेशानी हो रही है उससे निजात मिल सके। जो आर ओ स्वीकृत किये थे, उनके भी टेंडर अभी नहीं हुए हैं।

आज स्थिति यह है कि पानी की भीषण समस्या है बसवा तहसील और बांदीकुई में। उसका कारण पानी की कमी नहीं है; पानी कम है, लेकिन इतना नहीं है कि आठ-आठ दिन में पानी आये। उसका कारण मिस्मैनेजमेंट है। कर्मचारी हैडक्वार्टर पर नहीं रहते हैं; जनता के साथ उनका व्यवहार ठीक नहीं है।

माननीय मंत्री महोदया, एक छोटा इंसिडेंट बताना चाहती हूं। अभी 19 तारीख को सी एम साहब ने वहां जाकर प्रेस से बात करने को कहा था, तो गुढा कटला एक मेरी सबसे बड़ी पंचायत है, मैं वहां गई थी। तो वहां पूरी पंचायत के लोग इकट्ठे थे और उन्होंने शिकायत की थी कि चार वाल्वमैन हैं, वे चारों के चारों बदमाशी करते हैं और काम नहीं करते हैं और मिस्बिहेव करते हैं। एस ई से मैंने बात की, आपके कार्यालय में बात की, लेकिन 19 तारीख के बाद आज 29 हो चुकी है और उनमें से एक भी पम्पमैन वहां से नहीं हटा है। अगर इस तरह से काम होगा, तो जनता का हम पर से विश्वास भी उठ जायेगा और हम जो काम कर रहे हैं उसका फायदा जनता को नहीं पहुंचा पायेंगे।

एक मेरी सबसे बड़ी समस्या यह है कि अभी हमारी सरकार आने के बाद एक्स ईएन आफिस महुवा में खुला है। महुवा बांदीकुई से डेढ़ घंटे का रास्ता है। इससे पहले बांदीकुई का पी एच ई डी हैडक्वार्टर था, वह दौसा था, दौसा सिर्फ 20 मिनट का रास्ता है। महुवा में मेन परेशानी यह है कि उसके

(श्रीमती अलका सिंह)

आसपास दो-तीन गांव ठेकेदारों के हैं, जहां, मतलब, पूरे ठेकेदार ही ठेकेदार हैं, उनका आतंक उस आफिस में रहता है और उस वजह से काम नहीं हो पाता है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहती हूं कि जो हमारा एक्स ईएन आफिस है वह पुनः दौसा कर दिया जाये, ताकि आधी से ज्यादा समस्या का निदान तो उसके बाद ही हो जायेगा।

मांग संख्या 46-सिंचाई के बारे में मैं धन्यवाद देना चाहूंगी मंत्री महोदय को कि मैंने तीन एनिकट मैंने मांगे थे, दो एनिकट इन्होंने सैंक्शन कर दिये और एक में फोरेस्ट की प्रोब्लम है। मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगी कि उस एनिकट के लिए गांव का एक व्यक्ति अपनी भूमि का दान करना चाहता है। अगर सरकार उसके लिए एग्री कर जाये, तो जो सिंचाई की समस्या है, वह एनिकट वहां बन सकता है।

इसके अलावा, राजगढ़ वाले तालाब पर एनिकट के लिए मेरी अभिशंसा मंत्रीजी के पास पहुंची है। थोड़ा उस पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करें।

एक एनिकट मेरे यहां पर, कांग्रेस के समय से ही एक समस्या चली आ रही थी, रेहड़िया एनिकट है, वहां का ठेकेदार पहले काम को अधूरा छोड़ कर चला गया। उसके बाद दूसरे ठेकेदार को ठेका दिया गया, वह ठेकेदार फिर काम छोड़ कर चला गया है। सरकार का पैसा वेस्ट हो रहा है। आधा काम वहां पर हो पाया है। मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगी कि उसकी जांच करवाई जाये, क्योंकि विभागीय स्तर पर जांच अभी भी पेंडिंग है। बहुत बड़ा एनिकट है। अगर वह काम हो जायेगा, तो बसवा तहसील की पानी की समस्या बहुत जल्दी और अच्छी तरह से सुधर जायेगी। मंत्री महोदय कृपया इसकी जांच करवायें और इस काम को पुनः चालू करवायें।

आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री नाना लाल अहारी।

श्री नाना लाल अहारी (खैरवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 27 और मांग संख्या 46 पर मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत आभार।

माननीय सभापति महोदय, आज पानी के बारे में अगर किसी ने चिंता की है तो हमारे राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री ने की है। मुख्यमंत्री जल

(श्री नाना लाल अहारी)

स्वावलंबन योजना 27 जनवरी को लागू की। मेरा इसमें एक निवेदन है, एक सुझाव है कि जहां अपन चैक डैम बनाकर पानी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जब चैक डैम बनाते हैं, उस समय उस पर कुछ मिट्टी डालकर, मिट्टी से ठोककर उसको बनाया जाये, तो पानी रुक जाए। खाली अगर चैक डैम बनायें, तो पानी शीघ्र ही निकल जाता है। इससे मिट्टी और पत्थरों से चैक डैम बनाया जाए, ताकि पानी रुक सकता है।

दूसरा मेरा यह निवेदन है कि मेरे यहां पर जब पूर्व में भारतीय जनता पार्टी का राज था, उस समय एक गोडाखोज बांध स्वीकृत हुआ था, 17 करोड़ की लागत से स्वीकृत हुआ था और जब राज चला गया, तो वह बांध अधूरा रह गया। बांध बन गया और उसकी नहरें हैं, जैसी थीं, वैसी अवस्था में रहीं। तो मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि गोड़ाखोज बांध की जो नहरें हैं, वे शीघ्र अगर बन जाएंगी, तो वहां पर चार ग्राम पंचायत के करीब-करीब आठ-नौ गांवों को पानी मिलेगा।

उसी तरह से सोमकागदर बांध की नहरें बहुत पुरानी हो चुकी हैं, उन नहरों की रिपेयरिंग की जावे तथा बांध से चार कच्चे धोरे निकले हुए हैं, एक धोरा खाड़ी ओबरी में है, दूसरा धोरा माण्डवा कादर के आमनगढ़ गांव में हैं, तीसरा कल्याणपुर के पास भगोर में है। वहां कच्चे धोरे से पानी सिंचाई के लिए दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में वहां पानी बहुत ज्यादा खर्च होता है। इसलिए इन तीनों धोरों को पक्का बनाया जाए।

दोनदी बांध का 2001 और 2002 में कार्य चालू हुआ था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जब सरकार आई थी 2003 से 2008 तक, वह कार्य बिलकुल बंद पड़ा था, बांध अधूरा था। हम लोगों ने उसका रिवाइज स्टेटमेंट बनाकर उस बांध को पूरा किया। पूरा करने के बाद आज भी, उस बांध की नहरें 14 किलोमीटर लंबी हैं, आज भी एक भी किसान को पानी नहीं मिल रहा है। मैं अभी मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने उसका रिवाइज स्टेटमेंट बनाकर, अबूवबिल बनाकर, उसे साढ़े चार करोड़ देकर उसका काम चालू किया है, मगर उस ठेकेदार के अकाउंट में अभी कोई पैसा रिलीज नहीं हुआ है। कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है। तो मेरा निवेदन है कि उसे समय पर पेमेंट कर दिया जाए।

सोम पिक वीयर जो सोम नदी पर है, इसकी डी.पी.आर. 10 करोड़ की बनाकर विभाग को भेजी है। तो इसे भी शीघ्र ही पूरा कर दिया जावे।

(श्री नाना लाल अहारी)

साथ ही, हाथिया का नाका ग्राम पंचायत पादेड़ी में है, इसको पांच फीट ऊपर उठा दिया जावे, क्योंकि मलबे से यह बांध पूरा भर गया है। तो यहां के किसानों को पानी की सुविधा होगी।

ऊपरघोड़ी बांध की नहरें और पुलिया, इस वर्ष जब नहरें चल रही थीं, यह पुलिया टूट गई, क्षतिग्रस्त हो गई। तो किसानों की फसलें सूख गईं। इस नहर को भी ठीक कर दिया जाए।

दूसरा, एक सहमारी बांध है जहां पर तीन करोड़ की लागत से, उस बांध का जो रिसाव हो रहा था, उसके रिपेयर का ठेका हुआ था। ठेकेदार ने आधा-अधूरा पैसा उठा लिया और करीब सात वर्षों से वह कार्य अधूरा है। तो मेरा निवेदन है कि उसमें शीघ्र ही दूसरा टेंडर करके सहमारी बांध को सुधारा जाए।

उसी के साथ पास में एक लूणदा बांध है। लूणदा बांध का पानी ओवरफ्लो होकर नदी में चला जाता है। तो मेरा निवेदन है कि यह लूणदा नदी का जो पानी है, ओवरफ्लो जो पानी है, इस पानी को सहमारी डैम में डाला जाएगा, तो वहां सहमारी के कम-से-कम पांच-सात गांवों को सिंचाई का और पीने का पानी मिलेगा।

उसी तरह से जाझरी का नाका है, जाझरी का नाका भी एक बहुत पुराना बांध है। उसकी नहरें बिलकुल क्षतिग्रस्त हो गईं। उनकी नहरें भी पुनः रिपेयर की जावें।

साथ ही, जलदाय विभाग में 2006-07 में ऋषभदेव के लिए एक योजना लागू की गई थी। उसमें सोमकागदर से ऋषभदेव, कादर बाटिया, माण्डवा कलां, चिकला, कांदवाड़ा और ऋषभदेव को फिल्टर प्लांट से पानी देने की योजना तैयार की गई थी और 2006-07 में उसका कार्य प्रारम्भ हुआ था। पाइपलाइन बिछ गई और टंकियां बन गईं, मगर 2008 में जब हमारा राज चला गया, तो वह योजना यूं की यूं पड़ी रह गई। अब सरकार-आपके-द्वार जब उदयपुर जिले में आई थी, उस समय सोमकागदर बांध पर मुख्य मंत्री स्वयं वहां पधारी थीं और मैं भी उनके साथ में था, उन्होंने उसकी घोषणा की है। उसका काम चल रहा है, मगर पाइप नहीं मिलने की वजह से काम अभी रुका हुआ है। तो मेरा माननीय मंत्री महोदया से निवेदन है कि शीघ्रातिशीघ्र ऋषभदेव की पेयजल योजना को पूरी कराकर पानी दिया जाए।

(श्री नाना लाल अहारी)

साथ ही, भारतीय जनता पार्टी का राज आने के बाद मेरे विधान सभा क्षेत्र में बंजरवाड़ा, कारचा, बरोटीबिलान, चिकला और बावनवाड़ा में जनता जल योजना में करीब-करीब तीन करोड़ रुपये देकर यह योजना चालू कराई। उसके लिए मैं आपका आभारी हूं, आपका ऋणी हूं।

साथ ही, सहमारी के अन्दर एक इसी प्रकार की योजना 2006 और 2007 में चालू की थी; वहां पर सलूम्बर के 54 गांव और सराड़ा और सहमारी के 27 गांवों को पानी देने की योजना तैयार की थी, जिसमें सलूम्बर के 54 गांवों को फिल्टर प्लांट से पानी दिया जा रहा है। मगर मेरे विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में 27 गांव ऐसे हैं जहां पर टंकियां बनी हुई हैं, पाइपलाइन लगी हुई है, वे सारे गांव पानी से वंचित हो रहे हैं। वहां फ्लोराइड इतना है कि पानी पी नहीं सकते। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि वहां पर भी इन पंचायतों को शीघ्रातिशीघ्र पानी दिया जाए।

खैरवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में खैरवाड़ा एक मुख्यालय है वहां पर तीन पंचायतें आपस में जुड़ी हैं और तीनों पंचायतें नेशनल हाईवे नंबर 8 पर स्थित हैं। खैरवाड़ा, बड़ला और बंजारिया, इन तीनों पंचायतों की आबादी करीब-करीब 17 से 18 हजार है। यहां पानी अभी भी टैंकरों से देना पड़ता है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि सोम नदी पर एक एनिकट बनाकर, उसका पानी गोदावरी बांध में डालकर, योजना तैयार करके खैरवाड़ा को पानी दिया जाए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनट में खतम कर रहा हूं, माननीय सभापति महोदय।

साथ ही मेरे विधान सभा क्षेत्र में ग्राम पंचायत टोकर, ग्राम पंचायत श्यामपुरा, कुण्डा, कल्याणपुर, भूदर, पादेड़ी, छांणी, नयागांव, थाना करावाड़ा, कनबई, पाटिया कानपुर, सुलई, बांदा, इन सभी पंचायतों में जनता जल योजना लागू है और चल रही है, मगर यहां पाइपलाइन और टंकियां बिलकुल क्षतिग्रस्त हैं। तो इनके लिए भी अलग से प्रावधान रखकर इनको भी बजट दिया जाए।

साथ ही, कुछ हैंडपम्पों की आवश्यकता है, आप हमें कुछ हैंडपम्प भी देवें, ताकि हम लोगों को पानी दे सकें।

इसके साथ-साथ ही आज हैंडपम्प मिस्त्रियों की काफी कमी है। तो हैंडपम्प मिस्त्रियों की भी भर्ती करें। क्योंकि हैंडपम्प मिस्त्री रिटायर हो रहा है, उसके बाद में किसी भी नये हैंडपम्प मिस्त्री को नहीं लगाया जा रहा है।

(श्री नाना लाल अहारी)

हैंडपम्प दुरुस्त करने के लिए काफी सामान की आवश्यकता रहती है पाइपलाइन है, अन्य सामान है। तो वह भी अगर समय पर मिल जाएगा, तो हम गर्मी में आराम से लोगों को हैंडपम्प दुरुस्त करके पानी पिला सकेंगे।

आपने मुझे समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्रीमती सुशील कंवर।

श्रीमती सुशील कंवर (मसूदा): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 27 व 46 पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहती हूं कि मेरा विधान सभा क्षेत्र पहाड़ी, पथरीला और मगरा क्षेत्र है, उसमें पानी की बहुत सी समस्या है, लेकिन हमारे भिनाय में एक्स ईएन आफिस था, उस आफिस को पीसांगन में स्थापित कर दिया; हमारा था, वह ब्यावर में शिफ्ट कर दिया। मेरा आप सभी से निवेदन है कि जो हमारा एक्स ईएन आफिस है, हर व्यक्ति ब्यावर तक नहीं जा सकता, पानी की समस्या है; मेरा मंत्रीजी से निवेदन कि हमारा एक्स ईएन आफिस है वह भिनाय में ही रेगुलर स्थापित करें। यह मेरा आपसे निवेदन है।

मैं आपको बताना चाहती हूं कि पहले भी मैंने विधान सभा में 295 के तहत क्वेश्चन लगाया था लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में पानी की 26 टंकियां बनी हुई हैं 2008 से, अभी भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। टंकियां बनी हुई हैं, पाइपलाइन गढ़ी हुई हैं, लेकिन उसमें पानी की एक बूंद तक नहीं आई है। मैं मंत्रीजी से कहना चाहती हूं, मैंने पहले भी क्वेश्चन लगाया था, सात-आठ साल हो गये, लेकिन ढाई साल में भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

हम हमारे विधान सभा क्षेत्र में जाते हैं, आने वाला टाइम गर्मी का है, लेकिन पानी की समस्या भयंकर है। अभी मैंने विधायक जन शिविर कार्यक्रम मसूदा विधान सभा क्षेत्र में चलाया, वहां भी ज्यादा से ज्यादा पानी की समस्या आई। अधिकारी व कर्मचारी को हम बोलते हैं, तो वे बोलते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है; कोई बोलता है, हमारे स्टाफ नहीं है। आखिर कहें, तो हम किसको कहें?

(श्रीमती सुशील कंवर)

मैं मंत्रीजी से यही कहना चाहती हूं कि टंकियों का और पाइपलाइनों का बजट तो पूरा उठा लिया, लेकिन उनमें पानी की बूंद भी नहीं आई। जो अधिकारी और कर्मचारी दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही करें, यह निर्देश दें।

मैं बताना चाहती हूं कि विधान सभा क्षेत्र में पानी की समस्या है। हैंडपम्प भी नहीं हैं, बोरिंग भी नहीं हैं। हम देते हैं तो विधायक कोष से देते हैं, या पंचायत समिति के माध्यम से हैडपम्प देते हैं। मेरा मंत्रीजी से यही निवेदन है कि जो भी बजट है, जल्दी से जल्दी बजट का प्रावधान कराएं और पानी की समस्या का समाधान कराएं।

सिंचाई मंत्रीजी से भी मैं यही निवेदन करना चाहूंगी कि मेरे मसूदा विधान सभा क्षेत्र के बड़ली ग्राम में सिंचाई विभाग द्वारा एनिकट बनाये गये थे, जिन्हें बजरी के ठेकेदारों ने बजरी खुदाई में तोड़ दिये हैं। उसकी गांव की जनता ने शिकायत की, विरोध किया, तो उलटा ही पुलिस और विभाग, भिनाय अजमेर ठेकेदार का पक्ष लेकर जनता पर ही असत्य मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। मेरा आपसे यही निवेदन है कि भिनाय के बजरी ठेकेदारों के विरुद्ध कार्यवाही का निर्देश दें। यह मैं आप सभी को बताना चाहती हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: सुश्री कीर्ति कुमारी।

सुश्री कीर्तिकुमारी (माण्डलगढ़): सभापति महोदय का बहुत-बहुत धन्यवाद और आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं भी। आपने मांग संख्या 27 और 46 पर मुझे बोलने के लिए मौका दिया।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि किसी भी समय सुशासन तब कहलाता है जब अच्छी सड़कें, चिकित्सा, शिक्षा के अलावा, मजबूत बांध हों और उस क्षेत्र की नहरें भी अच्छी हों। तब कहा जाएगा कि यहां कोई सुशासन है और सुप्रबंधन है।

मेरा विधान सभा क्षेत्र, जहां से मैं प्रतिनिधित्व कर रही हूं, सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहती हूं कि वहां का प्रतिनिधित्व करने वाले इस सदन के शीर्ष नेता भी रहे। जिस तरीके से विपक्ष के लोगों ने, जब-जब भी मौका मिला, मेरे विधान सभा क्षेत्र के हालात बताऊं तो नहरों की जीर्ण-शीर्ण हालत, बांध एक बार बन गया तो उसकी मरम्मत के लिए कभी कोई रिलीज नहीं किया।

मैं हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री वसुंधरा राजे जी सिंधिया का बहुत-बहुत

(सुश्री कीर्तिकुमारी)

आभार व्यक्त करना चाहती हूं कि भीलवाड़ा जिले का दूसरे नम्बर का सबसे बड़ा बांध जैतपुरा जब जीर्ण-शीर्ण हालत में था, बांध की क्षतिग्रस्त दशा को देखते हुए मुझे बजट में 21 करोड़ 44 लाख रुपये आपने रिलीज किये। इसके लिए मैं माण्डलगढ़ और खैराड़ क्षेत्र के लोगों की तरफ से बहुत-बहुत आभारी रहूंगी। खैराड़ क्षेत्र की जीवनरेखा, जैतपुरा के लिए आपने जो पैसा रिलीज किया, इस बात के लिए क्षेत्र हमेशा आपका आभारी रहेगा।

पिथा का मण्ड बांध की मरम्मत, अभी मैं जब 18-19 तारीख को क्षेत्र में गई थी तो मैंने भूमि पूजन करके मरम्मत का काम चालू करवाया। इसके लिए भी मैं हमारे सम्माननीय मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूं।

क्षेत्र की मांग को लेते हुए, मैं अपने आदर्श, गोद ली हुई पंचायत माल-का-खेड़ा में मेज नदी पर एक एनिकट बनाने के लिए निवेदन करूंगी। इसका पानी यमुना नदी में जाता है। मंत्री महोदय जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि इसमें बीसलपुर के कैचमेंट की भी कोई परेशानी नहीं आएगी। बहुत कम, लाखों रुपये में ही यह एनिकट बन जाएगा। बहुत लम्बा-चौड़ा एनिकट भी नहीं है।

क्षेत्र में बेड़च नदी के ऊपर बड़लियास के नजदीक एक एनिकट बहुत जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। उसकी रिपेयरिंग के लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि उसकी रिपेयरिंग के लिए आप तत्काल पैसा रिलीज कर दें, तो हमारा एनिकट बचेगा। एनिकट बहुत खराब स्थिति में चला गया है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र की बिजौलिया तहसील में पचानपुरा का बांध है, वह हमारी पूरी तहसील को पेयजल की आपूर्ति करता है। चूंकि बहुत पुराना बांध बना हुआ है, पेयजल की उसकी सब पाइपलाइनें डैमेज हो गई हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि पचानपुरा की ऊंचाई भी बढ़ाई जाए। मेरी विधान सभा का क्षेत्र है, वह भीलवाड़ा ज़िले में सर्वाधिक बरसात जहां होती है वह क्षेत्र भी है। ऊंचाई के साथ, ग्रामीण पेयजल आपूर्ति हेतु पचानपुरा की पाइपलाइन मरम्मत का भी आप ध्यान में रखें।

मण्डोल बांध की नहरें नहीं बनी हैं। पक्की नहरें बनें, ताकि पानी फालतू वेस्ट नहीं हो। देवरी नाला की भी नहरें बहुत क्षतिग्रस्त हैं।

कुंडियां खाल, डामटी, खाखुन्दा, यहां के लिए मैं निवेदन करना चाहती हूं

(सुश्री कीर्तिकुमारी)

कि खाखुन्दा में एक छोटा एनिकट बने। नेता का तालाब, रूपारेल में भी ऐसा हो, तो क्षेत्र के लोगों को पानी की बहुत राहत मिलेगी।

मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान का आगाज किया। ऐसा भागीरथी प्रयास, राजस्थान रेगिस्तानी और बहुत कम वर्षा का क्षेत्र था, राजस्थान को सरसब्ज बनाने के लिए आपका प्रयास है।

मेरा विधान सभा क्षेत्र तो बहुत अधिक वर्षा होने वाला क्षेत्र है। यहां पर एनिकट और सिंचाई विभाग का इंतजाम हो, तो लोगों को बहुत राहत मिलेगी।

सभापति महोदय, हमारा जीवन जल पर निर्भर है। जल है तो कल है। कई सभ्यताएं बिना पानी उजड़ी हैं। ऐसा इतिहास साक्षी भी है। मैं महिला विधायक होते हुए जल की परेशानी को बहुत अच्छी तरह से समझ सकती हूं। पेयजल की सबसे अधिक परेशानी महिलाओं को देखनी पड़ती है। जल को हमारी संस्कृति में, हमारे धार्मिक पूजा-पाठ में देवता के रूप में पूजा भी गया है।

मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहती हूं कि चम्बल योजना है, चम्बल योजना के तहत राजस्थान का शायद सबसे बड़ा फिल्टर प्लांट मेरे विधान सभा क्षेत्र के आरोली में बनकर तैयार हो गया है। चम्बल के अलावा जो टेंडर हुए हैं, प्रतिभा कम्पनी को माण्डलगढ़ विधान सभा क्षेत्र का पेयजल का टेंडर हुआ है, प्रतिभा कम्पनी बिलकुल काम नहीं कर पा रही है। मंत्री महोदया जी से मैं निवेदन करना चाहती हूं कि इसकी जांच करवाई जाए। यह तत्काल काम क्यों नहीं कर पा रही है? इसका टेंडर निरस्त किया जाए।

बिजौलियॉं, बिगोद और बरून्दनी मेरे विधान सभा क्षेत्र के बड़े कस्बे हैं, इनकी पाइपलाइन बहुत क्षतिग्रस्त हो गई हैं। प्रतिभा की जगह जल्दी कोई दूसरी कम्पनी आए और पाइपलाइन चेंज हों, तो आगामी गर्मी में लोगों को पेयजल की राहत मिलेगी।

सिंचाई मंत्रीजी से मैं निवेदन करूंगी कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक ए ईएन की पोस्ट खाली है। उनको डेपुटेशन पर लगाया गया है। डेपुटेशन कैंसिल करें।

साथ ही मैं जलदाय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहती हूं कि मेरे यहां ए ईएन की पोस्ट खाली पड़ी है। आगामी गर्मी में बहुत परेशानी आएगी। ए ईएन को आप तत्काल वहां जोइनिंग दें।

(सुश्री कीर्तिकुमारी)

जालियां पंचायत में फ्लोराइडयुक्त पानी होने के कारण, मैं निवेदन करना चाहती हूं कि जालियां में आप कोई योजना से हमको राहत प्रदान करें।

सभापति महोदय, मुझे आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत आभार। धन्यवाद। जय भारत। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री नवीन पिलानिया।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले आपको बधाई देता हूं। पहली दफा आप आसन पर विराजमान हैं और मेरा सौभाग्य है कि ऐसे मौके पर आज जल के ऊपर चर्चा करूंगा। लेकिन आज, सभापति महोदय, क्योंकि आप पहली दफा विराजमान हैं ...(व्यवधान) मेरे को, साहब, चालू करते ही पहले आप टोकते हो। मैं एक मुख्य विपक्षी दल के प्रतिनिधि के तौर पर बोल रहा हूं। मैं निर्दलीय विधायक के तौर पर नहीं बोल रहा हूं। आज आप पहली दफा विराजमान हैं, तो मैं इतना जरूर करूंगा और माननीय जो मंत्री महोदया हैं, अभी यहां हाउस में विराज नहीं रही हैं, लेकिन मोहतरमा बड़ी नेक दिल इन्सान हैं, बड़ी विदुषी हैं।

श्री सभापति: आप बोल रहे थे कि पहली बार आप बैठे हैं, मैं कुछ बोलूंगा। अब मंत्री महोदय पर बोलने लग गये।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): आपने मेरी बात को कम्प्लीट ही नहीं होने दिया। उनकी मेहरबानी पहले मेरे पर बहुत रही है लेकिन इस दफे मेहरबानी थोड़ी कम है, लेकिन आशा की किरण पूरी जाग्रत है। मैं आज आलोचना नहीं करूंगा, आप पहली दफा विराजमान हैं, मैं आज सुझावों की बात करूंगा। मैं परहेज करूंगा कि मैं आलोचना न करूं।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में बड़ी विचित्र स्थिति है। क्योंकि जल के मामले में हमारा जो प्रदेश है, क्षेत्रफल में तो सबसे बड़ा राज्य है पूरे हिन्दुस्तान का, यहां का 61.11 प्रतिशत रेगिस्तान है, जिसमें हमारे 12 जिले आते हैं; जो हमारा सतही जल है वह 1.16 प्रतिशत है, भूजल है वह भी 1.14 प्रतिशत है। मंत्री महोदया, आप पधार गईं, आपका स्वागत है। राज्य में सिर्फ 530 एम.एम. औसत बारिश होती है। हमारे अधिकतर जो वार्षिक प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता है, वह 640 क्यूबिक मीटर है और पूरे भारत वर्ष का जो आंकड़ा है, वह 1,700 है। तो हमारे यहां पानी की बड़ी भारी समस्या है।

(श्री नवीन पिलानिया)

इसके साथ ही मैं आपको एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि अधिकतर हिस्से डार्क जोन में तब्दील हो गये हैं। कुल जो चिह्नित 243 ब्लाक्स हैं, माननीय सभापति महोदय, उनमें से 172 डार्क जोन हो चुके हैं, जो 71 प्रतिशत बनता है। शेष जो 71 बच गये हैं, उनमें से केवल 25 ब्लाक्स ही सुरक्षित बचे हैं, बाकी सारे क्रिटिकल स्टेज पर हैं। इसी के साथ-साथ, 1984 से लेकर अब तक के 30 वर्षो में 300 गुना हमारा जल दोहन हो चुका है। यह ऐसी स्थिति में पहुंच गया है।

इसके साथ-साथ जो पेयजल है, माननीय मंत्री महोदया, वह भी भारत वर्ष में सबसे ज्यादा खारा पानी और फ्लोराइडयुक्त पानी राजस्थान में है। यह एक समस्या है। अत्यधिक फ्लोराइड से प्रभावित 6,711 ग्रामीण बसावटें हैं, जिनमें हमारी 40 लाख आबादी निवास करती है। कुल गांवों में 82 प्रतिशत भूजल जो है वह लवणीय भूजल है। इसके साथ-साथ 22 प्रतिशत नाइट्रेट प्रदूषित पेयजल है। तो पेयजल की स्थिति को जब हम देखते हैं, तो आने वाले समय में एक बहुत ही डरावनी पिक्चर निकलकर आती है।

माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार से एक और चीज दर्शाना चाहता हूं। माननीय यू.डी.एच. मंत्री साहब भी यहां विराजमान हैं। जयपुर शहर का मास्टर प्लान, पांच साल बाद में जयपुर शहर की आबादी तकरीबन 60 लाख पहुंचने की उम्मीद है। उसकी प्यास बुझाने के लिए 800 एम एल टी पानी की आवश्यकता पड़ेगी। इस वक्त हम मुश्किल से 40 लाख की आबादी को 480 एम एल टी पानी मुहैया करा रहे हैं। उसके लिए कोशिश करते हैं, 390 एम एल टी हम बीसलपुर से ले रहे हैं और 90 एम एल टी, माननीय मंत्री महोदया, हम भूजल से ले रहे हैं। आने वाले समय में अगर शहर के हर वर्ष के, 465 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है, माननीय मंत्री महोदया, उसमें जो बारिश होती है साल भर की, उसका औसत 230 एम एल टी पानी होता है; अगर उसका हम संग्रहण कर लें, तो बहुत हद तक जयपुर शहर की पेयजल समस्या पर हम आगे के लिए कुछ कर पायेंगे।

अब केवल इतना-सा आंकड़ा बता करके मैं मुख्य बात पर आऊंगा। इसके साथ में, माननीय मंत्री महोदया, राज्य में भूजल का दोहन करीब 138 प्रतिशत है, जबकि गुजरात में यह 47 प्रतिशत है। मैं भूजल की बात कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश में यह 70 प्रतिशत है, आंध्र प्रदेश में 45 प्रतिशत है, तमिलनाडु में 85 प्रतिशत है, महाराष्ट्र में 48 प्रतिशत है; हमारा 138 प्रतिशत है।

(श्री नवीन पिलानिया)

कहने का तात्पर्य, सभापति महोदय, यह है कि यह सम्पूर्ण सदन को और पूरे राजस्थान की जनता को, सरकार को, सबको आने वाले समय में मुख्य तौर पर जो पानी की, पेयजल की विकट समस्या आने वाली है, उसे गहराई से समझने की जरूरत है। उसी की सोच में माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान की कल्पना की, उसकी घोषणा की, उसकी क्रियान्विति की। मेरा भी यह ड्रीम है। माननीय मंत्री महोदया, राजस्थान जो है, जल स्वावलम्बन का अर्थ हो गया, वॉटर सेल्फ-सफिशिएंट। मेरा भी यह ड्रीम है, बहुत जबरदस्त ड्रीम है। अगर हम इस चीज को कर पाएं, तो शायद इससे बड़ा काम राजस्थान में नहीं होगा, लेकिन मेरे को चिंता एक बात की है। मेरे आमेर विधान सभा क्षेत्र में इस स्वावलम्बन अभियान को लेकर के छह पंचायतों के लिए 6 करोड़ 57 लाख...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, मैं सोच रहा हूं, आप मजाक कर रहे हैं। गलती से दब गई होगी, साहब। ऐसा सम्भव कैसे है?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, दो मिनट में समाप्त करें। बहुत सदस्य बोलने वाले हैं।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): देखिये, मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं, आप उस बात को गलत समझ रहे हैं। मैं एक गम्भीर विषय, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं इस बात को। इसलिए आपने घण्टी बजा दी। मैं इसका एक सुझाव दे रहा हूं और बहुत इम्पोर्टेंट सुझाव है। ऐसे आप मेरे साथ कर कैसे सकते हैं?

माननीय मंत्री महोदया, मेरे यहां 6 करोड़ 57 लाख स्वीकृत हुए, उसमें मैंने सारी कार्य-योजना देखी, लेकिन उसमें वर्षा जल को पेयजल के लिए संग्रहित करने का कहीं पर भी कोई प्रावधान नहीं दिखा। 6 करोड़ रुपया बहुत है, जो मेरे वहां दिया, मैं उसका आभार व्यक्त करता हूं, लेकिन मेरा एक सिर्फ सुझाव है। जब हम अण्डरग्राउण्ड पेयजल के लिए एक टांके का निर्माण करते हैं, 15x15 फीट का, 10 फीट गहरा, जिसे आप वाटर बेसमेंट मान सकते हैं, उसके ऊपर उसके कैचमेंट के लिए हम तकरीबन 13 मीटर डायामीटर का कैचमेंट पैताण बनाते हैं, इसकी क्षमता होती है 60 हजार लीटर। 60 हजार लीटर के इस अण्डरग्राउण्ड टांके को बनाने में डेढ़ लाख रुपये की लागत आती

(श्री नवीन पिलानिया)

है, जो मौजूदा दरें हैं उन सबके हिसाब से। यह जो, माननीय सभापति महोदय, डेढ़ लाख की लागत से 60 हजार लीटर पेयजल का पानी जो उसमें इकट्ठा हुआ, यह औसत उससे है जो राजस्थान में मेरे इलाके में 500 मिलीमीटर वर्षा होती है; उसके अनुपात में इसमें 60 हजार लीटर पानी की इसकी क्षमता और इकट्ठा होगा एक साल में...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): माननीय सभापति महोदय, यह ऐसा विषय है जिस पर आप मुझे कृपा करके, यह पूरी जनता की, राजस्थान की जनता की ...(व्यवधान)

श्री सभापति: नहीं, माननीय सदस्य, आप जिस विषय को गम्भीरता से ले रहे हैं, सभी गम्भीरता से ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप अकेले ही ले रहे हैं। (व्यवधान)

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): देखिए, आप एक मिनट बीच में मत टोकिये। (व्यवधान) अकेले की बात नहीं है। मेरी पार्टी के चार विधायक हैं। आपने एक-एक निर्दलीय विधायक को दस-दस मिनट बोलने दिया।

श्री सभापति: आप भी बोलो, लेकिन ...(व्यवधान)

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): यह राजस्थान के लिए सबसे जरूरी चीज है।

श्री सभापति: आप दो मिनट में समाप्त करें।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): दो मिनट कैसे, साहब? कमाल हो गया। मैं कह रहा हूं, पूरे राजस्थान का भविष्य इस पर टिका हुआ है। मैं बड़ी कॉन्स्ट्रक्टिव, Hon'ble Chief Minister in the House on the Budget said; "I appreciate constructive opposition." This is just constructive opposition. मैं सुझाव ही तो दे रहा हूं। आप सुझाव भी नहीं लेना चाह रहे। मेरी बात तो कम्प्लीट होने दीजिएगा न।

डेढ़ लाख की लागत से 60 हजार लीटर शुद्ध पेयजल इकट्ठा होता है। एक औसत इंसान को दो लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है एक दिन में। इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 30 हजार मानव दिवस पानी इकट्ठा हुआ है। इसको अगर आप आठ महीने के 240 दिन से गुणा करेंगे, तो 125 आबादी के लिए आठ महीने का पानी इसके अन्दर इकट्ठा हुआ है, माननीय

(श्री नवीन पिलानिया)

मंत्री महोदया, और ऐसे अगर मेरे एक गांव में पांच टांके बना दिये जाएं तो केवल साढ़े सात लाख रुपये ही लगेंगे, लेकिन 625 की आबादी, आठ महीने तक पीने का पानी उसको उपलब्ध होगा, जो जमीन से नहीं निकालना पड़ेगा। आप एक सिंगल फेज बोरिंग करवाते हो तो ढाई लाख रुपये लगते हैं और उसमें भी जमीन का पानी निकलता है और फिर बिजली का कनेक्शन होता है, फिर बिजली का बिल जमा नहीं होता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनट, मेरे को इस पाइंट को कम्प्लीट करने दीजिए। माननीय सभापति महोदय, यह इतना जरूरी है कि ...(व्यवधान)

श्री सभापति: ठीक है, एक मिनट में कम्प्लीट कर लीजिए आप।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): यह इतना जरूरी, यह पूरे राजस्थान से जुड़ा हुआ विषय है और मैं चाहता हूं, माननीय मंत्री महोदया, यह बात स्पेशल तौर पर मेरी रिक्वेस्ट है कि मुख्य मंत्री तक पहुंचाएं, वे एप्रिशिएट करेंगी। (व्यवधान) मेरे साथ ज्यादती आप पहले दिन नहीं करेंगे। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप मंत्री महोदय से, माननीय सदस्य महोदय, आप मंत्री महोदयजी से अलग से मिल लेना; पूरा विषय समझा देना आप इनको।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): मेरी एक बात तो सुनिए कि साढ़े सात लाख रुपये लगाने पर तीन लाख लीटर शुद्ध पेयजल आठ महीने के लिए उपलब्ध होता है। मैं 30 साल पहले इंजीनियर बना था, मैं इतनी गणित जानता हूं, वरना आपके सारे ए.ईएन्स. के साथ और सारे विभाग के साथ बैठने को तैयार हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मंत्री महोदय ...(व्यवधान)

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): इसके साथ-साथ...। यह जुल्म है और मैं आज जुल्म बरदाश्त नहीं करूंगा। यह इतना इम्पोर्टेंट इश्यू है। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं सुझाव दे रहा हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मंत्री महोदया समझदार हैं, आपकी बात को वे समझ गयीं। आप एक मिनट में समाप्त करें।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): मुझे आप दो मिनट दें। दो मिनट दें। आपने सबको दिया है, साहब। कमाल की बात हो गयी।

श्री सभापति: 13 मिनट हो गये हैं।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): 20 मीटरx20 मीटरx3 मीटर गहरा फार्म पोंड जो है, कच्चा फार्म पोंड, वह प्लास्टिक की लाइनिंग लगाकर, 300 माइक्रोन वाली, उसकी लागत डेढ़ लाख आती है और इसकी जो क्षमता है, भराव क्षमता, 12 लाख लीटर है। माननीय मंत्री महोदया, 12 लाख लीटर। इसमें भी 70 हजार सरकार अनुदान देती है। मेरे यहां पर आप ऐसे एक गांव में साढ़े सात लाख में तो वे पांच टांके बनें और आप यह तीन बनाते हैं, तो दस लाख के अन्दर 36 लाख लीटर का यह पानी हम संग्रहण करते हैं।

श्री सभापति: धन्यवाद, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, अब आप विराजें।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): मेरा सिर्फ यह निवेदन है कि जब आप खर्चा ही करना चाह रहे हों, मेरा चैलेंज है, आप मेरे को दस गांवों में यह करने लेने दीजिएगा और अगर मैं करके साबित कर दूं, तो मैं कह रहा हूं कि पूरे राजस्थान में यह जो पैसा है, हर गांव कवर हो जाएगा...

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, इनको आप अलग से बुलवा लेना।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): हर गांव चमन हो जाएगा। मेरी बात तो समझें। मेरे को जो साढ़े छह करोड़ मिल रहे हैं न, उससे मेरे 65 गांवों में आठ महीने का पेयजल का पानी और यह तीन जो फार्म पोंड हैं, 36 लाख लीटर पानी संग्रहित करके, यह विधायक करके बता देगा। मैं आपको चैलेंज करता हूं यह, लेकिन मेहरबानी तो करिए। मेरी बात को ऐसे ही व्यर्थ मत जाने दीजिएगा। मैं चाहता हूं कि राजस्थान की बहबूदी हो और यहां पेयजल की, मैं अपनी आखिरी बात बोलकर समाप्त कर रहा हूं।

श्री सभापति: एक मिनट में आप अपनी आखिरी बात कहें। हां, बोलिए। एक मिनट में समाप्त करिए आप।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): आखरी बात। आखरी बात; साहब, आखरी बात। एक और समस्या है। यह तो मेरे सुझाव थे। इस पर ही आप इतना टोक रहे हों। आपको तो एप्रिशिएट करना चाहिए; आपको कहना चाहिए कि आधे घंटे बोलिए, हमारे को सुझाव दीजिए। यह कोई सही तरीका नहीं है, साहब।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बोलिए, प्लीज।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं। एक समस्या है, दोनों मंत्री महोदय यहां पर विराजमान हैं और दोनों ही बहुत योग्य हैं।

श्री शत्रुघ्न गौतम (केकड़ी): माननीय सभापति महोदय, आपको टाइम दें, आपको जनता...। ये बहुत मुश्किल से आये हैं, तीसरी बार में आये हैं। तो जनता समझ जाएगी इनको।

श्री सभापति: विराजिए आप।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): साहब, मैं तो चौथी दफा में आऊं, या पांचवीं दफा में आऊं, लेकिन जब भी आया हूं, सिर खड़ा होकर बताता हूं। मेरी बात सुनना नहीं चाहते आप।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बोलिए। अब छोड़िये। आप अपनी बात बोलिए। आप अपनी बात एक मिनट में समाप्त करिये।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): मैं तो पांच दफा भी नहीं आता तो भी मेरे को कोई गम नहीं था। जनता के बीच में रहता हूं और जनता की सही बात के लिए लड़ता हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): एक समस्या है।

श्री सभापति: आधे मिनट में आप अपनी बात को समाप्त करो।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): मैं एक पाइंट बोलकर समाप्त अपने आप कर लूंगा, बिलकुल। एक समस्या है, साहब, ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बोलने दीजिए, एक मिनट में।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): एक समस्या है, गम्भीर समस्या है। हुआ क्या है कि आपने प्रतिबंध लगा दिया कि बोरिंग नहीं कर सकते। किसान खेत में बोरिंग नहीं कर सकता। जहां तक नये बोरिंग करने के लिए सवाल है, मैं मानता हूं कि पानी डार्क जोन में आ गया, मत करने दीजिए। अब मैं एक प्रश्न पूछता हूं कि जो पुराना कनेक्शन है, अधिकतर कनेक्शन 2007-2008 से पहले के हैं, जिसका पुराना कनेक्शन है, उसका बोरिंग फेल हो गया; वह ड्राई हो गया; वह सूख गया। वह किसान क्या करेगा? उसकी फसल खड़ी हुई है। वह सूख गया, तो वह दूसरा बोरिंग नहीं करेगा क्या? यह बताइये आप तो। उसके लिए आपातकालीन स्थिति रहती है।

श्री सभापतिः मंत्री महोदय, आप विचार कर लेना।

श्री शत्रुघ्न गौतम।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): नहीं, मेरा पाइंट आने दीजिए। मेरा आखरी पाइंट है, पाइंट कम्प्लीट करने दीजिए। उस स्थिति में वह किसान क्या करेगा? वह तो मेडिकल आई.सी.यू. में पहुंच गया। उसको कमेटी बोलती है कि तीन महीने लगेंगे आपको परमिशन देने के लिए। मैं यह कहता हूं कि जो पुराने कनेक्शन हैं ...(व्यवधान)

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, विराजिए।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): जो ड्राई हो गये, उसके लिए तो कम से कम पटवारी की रिपोर्ट और बिजली के बिल की एक प्रति लेकर तीन दिन में उसको परमिशन मिलनी चाहिए। तीन महीने तक वह कमेटी के चक्कर काटता है।

श्री सभापतिः श्री शत्रुघ्नजी।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): जरा सोचकर तो देखिए कि आप कर क्या रहे हैं। यह कैसे आर्डर पास हुआ है? आप नये कनेक्शन रोक सकते हैं, लेकिन ...(व्यवधान)

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, प्लीज विराजिए। श्री शत्रुघ्न गौतम।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): साहब! (व्यवधान)

श्री शत्रुघ्न गौतम (केकड़ी): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 27 और 46 पर, पेयजल और सिंचाई पर आज जो चर्चा हो रही है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण महकमे राजस्थान की जनता से जुड़े हुए हैं। आवश्यकता के अनुरूप भूमि पर बहुत कम मात्रा में जल उपलब्ध है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय सभापति महोदय, एक मिनट। गौतम साहब को टोक नहीं रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, एक पाइंट ऑफ इन्फार्मेशन, आधा मिनट के अन्दर ...(व्यवधान)

श्री सभापतिः क्या पाइंट ऑफ इन्फार्मेशन है?

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आधा मिनट में। आधा मिनट का है, साहब।

श्री सभापतिः आप विराजिए। पहले इनको बोलने दीजिए। उसके बाद बोल देना आप।

श्री शत्रुघ्न गौतम (केकड़ी): मैं उस विधान सभा क्षेत्र से आया हूं जहां पर सम्पूर्ण क्षेत्र फ्लोराइड जोन से, फ्लोराइड जोन है, लेकिन राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने 2003 से 2008 के अन्दर पूरे क्षेत्र को बीसलपुर से जोड़ा। बीसलपुर एक ऐसे व्यक्ति की सोच है, जो अनपढ़ व्यक्ति राजस्थान विधान सभा के सदस्य रहे। कभी यह सोचा था कि सिंचाई के लिए बीसलपुर बांध बनेगा? लेकिन बीसलपुर बांध आज जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, सभी जिलों के लिए एक लाइफलाइन साबित हो रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को मैं धन्यवाद दूंगा जिन्होंने दोनों, चतुर्भुज चौधरी, जिन्होंने दोनों पहाड़ों के बीच में बनास नदी को रोककर यह बांध बनाया।

माननीय सभापति महोदय, मैं ज्यादा नहीं, यह है कि पी.एच.ई.डी. मंत्रीजी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि केकड़ी कस्बे की, शहर की, एक बहु-प्रतीक्षित पाइपलाइन की एक योजना, जो काफी समय से पड़ी हुई थी, लेकिन 9 करोड़ 41 लाख रुपये की योजना उन्होंने स्वीकृत करके और शीघ्रातिशीघ्र केकड़ी में काम शुरू होने के टेंडर लगा दिये गये। उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्र में 8 करोड़ 71 लाख रुपये आपने जो स्वीकृत किये हैं, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि केकड़ी कस्बा एक ऐसा कस्बा है जिससे अजमेर-बीसलपुर पाइपलाइन का सम्पूर्ण क्षेत्र, 70 किलोमीटर से अधिक, मेरे विधान सभा क्षेत्र में से निकलता है। तो केकड़ी में एक अधिशासी अभियंता का कार्यालय होना चाहिए, जिससे कि यह ओ. एंड एम. में और किसी भी क्षेत्र में परेशानी नहीं हो। यह एक बहुत मुख्य मांग है।

दूसरा मैं निवेदन करूं कि केकड़ी से सावर जो पाइपलाइन है, वह बहुत पुरानी और छह इंच की लाइन है, जिसमें 70 गांव पानी पीते हैं और 96 घंटे में पानी आता है। हमारा क्षेत्र वह है कि जब बीसलपुर का भरा हुआ पानी मेरे क्षेत्र से सामने से दिखता है लेकिन जब 96 घंटे में पानी आता है, तो क्षेत्र के लोगों के मन में पीड़ा होती है। और मैं निवेदन करूं, एक सबसे महत्वपूर्ण पी.एच.ई.डी. डिपार्टमेंट के अधिकारी भी हैं, मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी लाइनों में विलम्ब होता है, जो टेंडर में विलम्ब होता है, यह एक ऐसा महकमा है कि जिला कलेक्टर के यहां से एक्साइज सर्टिफिकेट आता है और उसका 15 परसेंट ठेकेदार को रिफंड होता है, लेकिन जिला

(श्री शत्रुघ्न गौतम)

कलेक्टर के यहां से कभी भी समय पर वह एक्साइज सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं होता है। इस नियम को बदलकर अधिकारी स्तर पर या विभागीय स्तर पर वह सर्टिफिकेट उपलब्ध होना चाहिए। यह जिले में जाते हैं, छह-छह महीने जिला कलेक्टर के यहां पड़ी रहती है, जिससे सभी योजनाएं विलम्ब होती हैं, लेट होती हैं, समय निकल जाता है। इसके लिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं।

सिंचाई के लिए मैं बात करूं, जल स्वावलम्बन योजना की, मुख्य मंत्रीजी की सोच है और जल स्वावलम्बन योजना की पहल की है। लोग चर्चा करते हैं कि हां, हमने ऐसा किया। जो भी सरकारें आती हैं, ये विपक्ष के लोग इतने सालों से शासन में रहे, ये कह दें कि हमने यह किया, हमने यह किया। राजस्थान की जनता ने आपको राज संभलाया, लेकिन लम्बे समय तक इस योजना में, सिंचाई में आप कुछ नहीं कर पाये। सिंचाई के अन्दर किसी भी गांव में जाते हैं और यह पानी उपलब्ध है, तो उस गांव की दशा के बारे में मालूम पड़ जाता है कि यह गांव सम्पन्न है, समृद्ध है, या गरीब है, या फ्लोराइड जोन है। इसी क्षेत्र में मुख्य मंत्रीजी की जो जल स्वावलम्बन योजना है कि दौड़ते हुए पानी को रोको और रुका हुआ पानी धरती में समाये। इस योजना के तहत जो मुख्य मंत्रीजी ने जन सहभागिता से पहल की है, निश्चित रूप से राजस्थान के विकास के लिए यह एक बहुत अच्छी चीज साबित होगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूं कि वाटरशेड डिपार्टमेंट इसको क्रियान्वित कर रहा है लेकिन वाटरशेड डिपार्टमेंट को हम अच्छी तरह से जानते हैं, बरसों से वाटरशेड डिपार्टमेंट काम कर रहा है, इनमें कितनी योजनाएं क्रियान्वित हुई? यदि किसी भी जिले की एक वाटरशेड की स्कीम की अगर जांच कराई जाए, तो मैं कहता हूं कि सारे अधिकारी जेल की सलाखों के पीछे होंगे। हमें इस पर मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी कि किस तरह से इस काम के नीचे तक पहुंचे और इस योजना का आम व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को लाभ मिले। इसलिए विभाग की मॉनिटरिंग इस पर प्रखरता से होनी चाहिये, तब ही यह योजना सक्सेस होगी।

नरेगा के लिए आप सब लोग कहते हैं, हमने महानरेगा में यह कहा, हमने महानरेगा में यह किया। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, नरेगा, जो करेगा वह भी मरेगा; जो नहीं करेगा, वह भी मरेगा। ऐसी नरेगा आपने ऐसे

(श्री शत्रुघ्न गौतम)

नियमों से राजस्थान में लागू की। मेरे विधान सभा क्षेत्र में मैं बताना चाहता हूं, माननीय मंत्री महोदय, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि करोड़ों रुपये से देवमंड से कालेरा रोड पर एक पुलिया का निर्माण हुआ। डेढ़ करोड़ रुपये की पुलिया, 80-90 लाख रुपये के पूर्व मुख्य सचेतक द्वारा उनके चहेते लोगों को ठेके दिये गये और वह पेमेंट उठा लिया गया। आज भी वह पुलिया अधूरी पड़ी है। उसकी जांच चल रही है। इसके अलावा, कुमावतों के नये गांव में एक पुलिया का निर्माण नरेगा में सिंचाई विभाग के माध्यम से हुआ। आज वह पुलिया छह महीने के अन्दर टूट गयी। विशनपुरा नाले पर पुलिया का निर्माण हुआ, वह टूट गया। आरोबा एनिकट, वह टूटा हुआ है। लसाड़िया में नदी के एनिकट...। इन सभी कार्यों की जांच होनी चाहिये।

नरेगा के माध्यम से, माननीय मंत्री महोदय, मैं बताना चाहता हूं, मैं निवेदन करूं कि पी डब्ल्यू डी में लाइन डिपार्टमेंट सड़कें बना रहा है गांवों में सी.सी. रोड। इसी तरह जल स्वावलम्बन योजना में जल संसाधन विभाग में भी नरेगा का हर एक्स.ईएन. का, हर ए.ईएन. का एक अनुमानित लागत से एक फिक्स होना चाहिये कि इतने अमाउंट के काम नरेगा में लाइन डिपार्टमेंट करेगा, और निश्चित रूप से धरातल तक वह पहुंचे। अगर हर विभाग, हर एक्स.ईएन आफिस में एक विधान सभा क्षेत्र में एक-दो करोड़ रुपये के काम के लिए हम मापदण्ड निर्धारित कर दें कि नरेगा में हर एक्स.ईएन के आफिस में हर विधान सभा क्षेत्र में काम होंगे, तो निश्चित रूप से नीचे तक इसका लाभ पहुंचेगा, जो जनता के हित में होगा।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में, आप लोग जब सरकार में थे, आपने कहा कि हम यह करेंगे। मेरे यहां पर अम्बापुरा बांध पर 2011 के अन्दर बाढ़ आई, तो वह अम्बापुरा बांध टूट गया। किसी ने भी जाकर उस गांव में सम्हाल नहीं ली। उसमें दो लोग मरे और गांव में सब कुछ तहस-नहस हो गया। जब चुनाव आये 2013 में, अम्बापुरा डैम स्वीकृत कर दिया। न कोई बजट था। आते ही माननीया मुख्य मंत्रीजी ने अम्बापुरा बांध स्वीकृत किया और आज वह बांध बनकर तैयार हो गया। इसके लिए मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी को और माननीय जल संसाधन मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं।

पारा बांध का रिनोवेशन, अम्बापुरा बांध, बिसुनी बांध, लसाड़िया बांध, छापरिया टैंक, देवासागर, इस तरह से करके 25 करोड़ रुपये के काम मेरे

(श्री शत्रुघ्न गौतम)

विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत हुए। इसके लिए मैं माननीय मंत्री महोदय को और माननीया मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं उस विधान सभा क्षेत्र से आता हूं जिसमें तीन नदियां हैं, खारी, बनास और डाई, और अन्य नाले हैं। जिस तरह से सरकार ने योजना बनाई है, फोर-वाटर कंसेप्ट में, चाहे वह डूंगरपुर हो, चाहे बांसवाड़ा हो, चाहे उदयपुर हो, इस तरह से फोर-वाटर कंसेप्ट में 1,400 करोड़ रुपये के काम जो स्वीकृत किये हैं, जब चिह्नित होकर ये काम शुरू हो गये और जब ये काम पूरे हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से राजस्थान एक अलग नक्शे में, यह जल संसाधन विभाग एक अलग नक्शे में हिन्दुस्तान में एक अलग कदम पर होगा। इसी के तहत इन तीनों नदियों पर अगर 1.5 मीटर एनिकट स्वीकृत अगर फोर-वाटर में करें, तो निश्चित रूप से हमारे यहां के गांव और गरीब को बहुत लाभ होगा।

इसके साथ, माननीय मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पूर्व में कालीसिंध नदी के ऊपर एक डैम बना। 2008 में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उस समय टेण्डर हुआ, मात्र 250 करोड़ रुपये का प्रस्ताव आया। इसके बाद सरकार बदल गयी, फिर दुबारा टेण्डर हुआ और ओम मेटल कम्पनी को वही काम, वही मापदण्ड, और 450 करोड़ रुपये में उसका काम स्वीकृत किया और उस कम्पनी ने काम किया। आज भी वह काम पूरा हुआ, या नहीं हुआ, यह जांच का विषय है।

लोग बात करते हैं, धरातल पर क्या होना चाहिये, लेकिन मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं और आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, माननीय मंत्री महोदय, मेरे यहां पर जो तीनों-चारों एनिकट हमने दिये हैं, वे स्वीकृत करने की कृपा करें।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, एक सूचना देनी है।

श्री सभापति: क्या सूचना देनी है?

सूचना

सैन्य कर्मी की मृत्यु पर शहीद सम्बन्धी स्पष्टीकरण

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय सभापति महोदय, तीन दिन पहले जम्मू के राजौरी सेक्टर में राष्ट्रीय राइफल 43 का जवान श्रवण चौधरी

(श्री हनुमान बेनीवाल)

शहीद हो गया और तीन दिन से बॉडी आज वहां पर आयी है। यह आसलपुर जोबनेर के पास ढाणी है नो जिलों की ढाणी, और पांच हजार से ज्यादा लोग रास्ता रोककर बैठे हैं। उसके साथ कुछ लोग जरूर आर्मी के आये हैं, लेकिन वे आर्मी वाले कह रहे हैं कि शहीद का दर्जा देना है, या नहीं देना, हमारे हाथ में नहीं है। यह शहीद नहीं हुआ, इसके यहां गोली लगी। किन कारणों से लगी, क्या नहीं लगी, कम से कम एक जवान शहीद हो गया।

श्री सभापति: आप भाषण मत दो। हो गयी सूचना। आपने सूचना दे दी।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मेरा निवेदन है कि सरकार एक बार बात करे, उसको शहीद का दर्जा दिलाये।

श्री सभापति: सरकार कर लेगी। आप विराजिये, माननीय सदस्य।

श्रीमती द्रोपती।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 27 और 46 पर विचार

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): माननीय सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। चार बजे से इन्तजार कर रही हूं। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 27 और 46 पर बोलने का यहां पर मौका दिया है, इसके लिए धन्यवाद।

मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी का भी धन्यवाद देना चाहूंगी, साथ ही जो हमारी पी एच ई डी मंत्री हैं किरण जी, इनका भी धन्यवाद दूंगी कि इन्होंने अब की बार पीने के पानी का जो ग्रेविटी फिल्टर प्लांट गांवों में लगा रहे हैं, यह बहुत ही सराहनीय चीज है और इससे गांवों में आर.ओ. प्लांट की तरह पानी मिलेगा। यह भी बहुत अच्छी पहल की है। इसके लिए इन सबको धन्यवाद।

मैं सिंचाई मंत्रीजी को भी धन्यवाद दूंगी कि इन्होंने अब की बार सिंचाई के अन्दर पूरा पानी दिया है। और तो और, टेल तक पूरा पानी पहुंचा। किसानों ने पहली बार यह चीज देखी है कि टेल तक पूरा पानी पहुंचा है और फुल पानी मिला है। इसके लिए इनको भी धन्यवाद।

मैं मेरे क्षेत्र की बात करूं, तो मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगी कि

(श्रीमती द्रोपती)

मेरा क्षेत्र सेमग्रस्त क्षेत्र है और मेरे क्षेत्र के किसान भी मंत्रीजी की तरफ आशा भरी, उम्मीद से देख रहे हैं कि मंत्रीजी हमारे लिए कुछ करेंगे, क्योंकि पिछली सरकार द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया जिससे सेम का निपटारा हो, न ही कोई ऐसा नया पैसा लगाया जिससे वह सुचारु रूप से चल सके। तो वह पानी अब तक बंद हो चुका होता, खतम हो जाता। लेकिन जैसे ही हमारी सरकार बनी दिसम्बर, 2013 के अन्दर, वैसे ही माननीय मंत्रीजी ने यह जो चक झुर्रियावाला पम्प है, यह टूटा पड़ा था और यहां का एक ट्रांसफार्मर था, वह भी चोरी हो गया था, तो इसका तुरन्त मंत्रीजी ने हमारी सरकार बनते ही नया पम्प वहां लगाया और जो ट्रांसफार्मर चोरी हो गया था, वह भी नया लगाया, जिससे वह पम्प वापस चलना शुरू हो गया।

राज्य सरकार सेमग्रस्त क्षेत्र के लिए वैज्ञानिक तरीके से इसका निवारण करने की योजना बना रही है, जो गंदेली से मानकखेड़ी तक खुली ड्रेन व बंद ड्रेन बनाकर सेम का पानी भेड़ता तक ले जाने की यह योजना बना रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, यह आपके माध्यम से मंत्रीजी को अवगत कराना चाहूंगी कि यह प्रक्रिया बहुत ही लम्बी प्रक्रिया है। अगर हमें किसानों को तुरन्त राहत दिलानी है, तो इनको मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगी कि इस सेम के क्षेत्र को तीन हिस्सों में बांटकर काम करें तो इसका लाभ जल्दी ही सेम पीड़ित किसानों को मिलेगा। रावसर क्षेत्र के गंदेली से खेतावाली ढाणी तक पूर्व में सेम नाला चल रहा है और वह बहुत ही अच्छा कामयाब साबित हुआ है। अगर उसकी तुरन्त प्रभाव से सिल्ट सफाई करवाकर, यदि पम्पों की संख्या बढ़ा दी जाए, तो वहां पर सेम समस्या से निजात मिल सकती है। इसी तरह से दूसरा जो मोदूनगर, कलाणा वाली ढाणी, कुम्हारा वाली ढाणी क्षेत्र और इंदिरा गांधी मुख्य नहर व जी.डी.सी. के बीच पानी खड़ा है, उसको जी.डी.सी. की आर डी 150 के पुल के पास दोनों तरफ पम्प लगाकर वहां से जी.डी.सी. में पानी डाला जा सकता है। तीसरा यह है जी.डी.सी., भैरोंसरी, जाखड़ा वाली, चक झुर्रियावाला, बड़ोपल, मानकथेड़ी, सेम क्षेत्र के पानी के निस्तारण के लिए 20 किलोमीटर तक सेम नाला पहले से बना हुआ है और

(21.00 बजे)

पानी निकासी की व्यवस्था सही नहीं होने के कारण किसानों को राहत नहीं मिल रही है। तो इसके लिए चक झुरियावालां का जो पम्प है, वह भी सूरतगढ़ ब्रांच जब चलती है तब उसमें पानी पड़ता है; जब सूरतगढ़ ब्रांच बंद हो जाती

(श्रीमती द्रोपती)

है तो वह पम्प भी बंद हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जितना सेम का पानी निकलता है, वह रिसाव होकर वापस भर जाता है। तो इससे कोई राहत नहीं मिल रही है। तो अगर बड़ोपल क्षेत्र का जो पानी है, वह डिप्रेशनों में डाल दिया जाता है, तो एक बार का जो ऊपर का जो गंदा पानी है वह डिप्रेशनों में ही समा जायेगा; बाकी का जो पानी बचेगा, वह किसान सिंचाई के लिए अपने क्षेत्र में ले जायेंगे। तो उससे भी सेम का निदान हो सकता है।

दूसरा, मैं मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगी कि हमारे क्षेत्र के अन्दर दो जो माइनर हैं, वह आपने बेड लेवल सही किया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगी। इसके साथ ही हमारे दो-तीन माइनर ऐसी और हैं जहां हमें बेड लेवल सही कराने हैं, जैसे 1 के.ई.डी. माइनर है, उसका भी है। तो वह भी अगर आप जल्दी करवा देंगे, आपकी मेहरबानी हो जाए, तो वहां के किसानों को पूरा पानी मिलेगा।

निर्वाल माइनर की टेल आर.डी. 10200 से आर.डी. 15975 तक बढ़ाने के सम्बन्ध में मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करती हूं कि निर्वाल माइनर, तहसील रावतसर, जिला हनुमानगढ़ के गांव किंकरालिया, निर्वाल, गंधेली, रामपुरा मटोरिया, चक 4-5, एन.डब्ल्यू.डी., मुन्सरी, आदि गांव का जो सिंचाई से वंचित रकबा है, वह समतल एवं सिंचाई योग्य है। अगर निर्वाल माइनर का विस्तार आर.डी. 10200 से बढ़ाकर आर.डी. 15975 तक कर दिया जावे, तो लगभग 809 एकड़ पानी से वंचित रकबा कमांड हो सकता है, जिससे पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र के किसान और नोहर विधान सभा क्षेत्र के किसान भाइयों को फायदा मिलेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनट में मैं मेरी वाणी खतम करती हूं। मेरे को सिर्फ दो शब्द और कहने हैं।

इसी के साथ में कुछ वितरिकाएं हैं जो भाखड़ा नहर के क्षेत्र में हैं। मंत्रीजी ने जो पक्के खाले बनवाये हैं, वह बहुत ही सराहनीय काम किया है, किसान हित में है। चक जहाना से लेकर बहलोल नगर तक काजले के पुल बनाने का जो काम किया है, वहां का, क्योंकि वहां लोग घूम कर आते थे और अब जाने के लिए सीधा रास्ता बन गया, तो वह भी किसानों के लिए बहुत फायदा हो गया।

(श्रीमती द्रोपती)

इसी तरह से मैं अमरपुरा, लुढाना का, घग्गर पुल का भी आपसे निवेदन करूंगी कि वहां पर भी एक पुल बना दिया जाए, तो जो लोग पंचायत समिति क्रॉस करके वापस एक पंचायत में जाना पड़ता है 38 किलोमीटर, तो उनके लिए वह 8 किलोमीटर के अन्दर अपना सफर तय करना ईजी हो जायेगा।

एक मैं 21 पी.बी.एन.(बी) मोघे का रकबा जोड़ने के सम्बन्ध में कहूंगी, महोदय, 50 मुरब्बा जमीन थी ...

श्री सभापति: माननीय सदस्या, समाप्त करें।

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): एक मिनट, बस यह इतना-सा ही है।

50 मुरब्बा जमीन थी जिसमें 30 मुरब्बा चक 21 पी.बी.एन.(बी) के अधीन सिंचित रखा गया था, शेष 20 मुरब्बा जमीन है वह 131 आर.डी. मोगे को सूरतगढ़ ब्रांच के अधीन कर दिया गया। 131 आर.डी. मोगे को अवैध मानते हुए पिछली सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया। किसानों की हालत 2004 से ही बहुत माली हो चुकी है। अगर, माननीय मंत्रीजी, यह 21 पी.बी.एन.(बी) में कर दिया जाए, तो वहां के किसानों को भी फायदा मिलेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मैं थोड़ा-सा पी.एच.ई.डी. विभाग में कहना चाहूंगी कि मेरे रावतसर क्षेत्र के अन्दर बहुत जर्जर हालत में हैं, पी.एच.ई.डी. की पाइपें लीक हो चुकी हैं। क्योंकि 40 साल पहले पाइपें लगी थीं, वे सीमेंट की पाइपे थीं, अब वे जगह-जगह से सेम की वजह से लीकेज हो रही हैं। तो अगर उसकी भी आप पी.एच.ई.डी. विभाग से नई पाइपों की घोषणा कर दें, तो आपकी मेहरबानी होगी। इतना ही बोलूंगी। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री शैतान सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री संजीव कुमार।

श्री संजीव कुमार (भादरा): माननीय सभापति महोदय, आज इस सदन में मांग संख्या 27–पेयजल योजना और मांग संख्या 46-सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार-विमर्श चल रहा है। तो मैं भी अपने आपको इसमें सम्मिलित करते हुए, मेरे विधान सभा क्षेत्र भादरा की कुछ समस्याओं की तरफ माननीय सिंचाई मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

(श्री संजीव कुमार)

माननीय सभापति महोदय, 1989 में सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना के रूप में एक बहुत बड़ी जीवनदायिनी का सूत्रपात हुआ। उस समय इलाके में लोगों में खुशी की लहर थी। सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना के मूल स्वरूप में भादरा विधान सभा क्षेत्र के सिंचाई से वंचित सारे गांव उसमें शामिल थे...

(21.05 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

लेकिन जब सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य शुरू हुआ, जब रासलाना वितरिका का निर्माण कार्य चालू किया गया, तो उस समय तत्कालीन जन-प्रतिनिधि की हठधर्मिता के कारण और उनकी किसान विरोधी नीतियों के चलते 14 गांवों को सिंचाई सुविधा से वंचित कर दिया गया। आज भी वे 14 गांव सिंचाई सुविधा से वंचित हैं और वहां के किसान समय-समय पर इन 14 गांवों को सिंचाई सुविधा से जोड़ने के लिए आन्दोलन करते रहते हैं। तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इन सिंचाई से वंचित भादरा विधान सभा क्षेत्र के 14 गांवों का सर्वे करवा करके, इन गांवों को कुम्भाराम आर्य लिफ्ट परियोजना से जोड़ने का आप काम करें, ताकि इन 14 गांवों को सिंचाई की सुविधा मिल सके। इसके साथ-साथ नोहर विधान सभा क्षेत्र के भी 11 सिंचाई से वंचित गांव हैं। उनको भी इस परियोजना से जोड़ने का आप काम करें, ताकि किसानों को सिंचाई का लाभ मिल सके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना में हरियाणा से जहां पूरा पानी लेने का सवाल है, तो मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना में हरियाणा से औसतन 645 क्यूसेक्स पानी इसके अन्दर, यानी कि 0.47 एम.ए.एफ. पानी इस परियोजना में दिया जाना निर्धारित है, लेकिन हरियाणा से वर्तमान में सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना को केवल 350-400 क्यूसेक्स से अधिक पानी उसमें नहीं मिलता है, जिससे कि सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना के टेल के गांवों को पूरा पानी नहीं मिल पाता। वे गांव सिंचाई से वंचित रह जाते हैं। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना में हरियाणा से पूरा पानी लेने का आप प्रयास करें। 645

(श्री संजीव कुमार)

क्यूसेक्स पानी यदि पूरा हमें सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना में मिलेगा, तो टेल के किसान तक हम पूरा पानी पहुंचा पायेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना में कई वितरिकाएं, कई सब-माइनर और कई नहरें उसमें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं, उनकी हालत जीर्णशीर्ण है, जिसकी वजह से उन नहरों के टेल पर किसान को पूरा पानी नहीं मिलता। आज मैं निवेदन करना चाहूंगा, सिद्धमुख फीडर, रासलाना वितरिका, रतनपुरा वितरिका, सिद्धमुख वितरिका, बार्डर माइनर, गदरा माइनर, अजीतपुरा माइनर, अमरपुरा माइनर, भिरानी माइनर, डोबी माइनर, पालड़ी माइनर, डूंगराना माइनर, राजपुरा माइनर, गुंजासरी माइनर और बोझला सब-माइनर, नथवानिया माइनर और शिदवानपुरा माइनर, ये ऐसी नहरें हैं जिनकी हालत बहुत खराब है और ये क्षतिग्रस्त हैं। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इन नहरों की आप समय रहते मरम्मत करवाएं, ताकि सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना के टेल के किसान तक सिंचाई का पूरा पानी मिल सके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना की कई वितरिकाएं और कई सब-माइनरें ऐसी हैं जिनमें अभी तक मोघे लगे हुए नहीं हैं, आउटलेट अभी तक लगे हुए नहीं हैं और यदि लगे हुए हैं तो वे आउटलेट और मोघे इतने ऊंचे लगे हुए हैं कि उनमें सिंचाई का पानी प्रवेश नहीं कर पाता। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में रासलाना वितरिका का एक नम्बर से लेकर के पांच नम्बर तक के आउटलेट ऐसे हैं, एक आर एस एल से लेकर पांच आर एस एल तक के, जिनमें ऊंचा होने की वजह से सिंचाई का पानी उनमें नहीं जाता, जिससे कि किसान सिंचाई से वंचित रह जाते हैं। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि उन मोघों को आप दुरुस्त करवाने का काम करें और जो बकाया मोघे हैं उनको आप लगाने का काम करें, ताकि किसान को सिंचाई की पूरी सुविधा मिल सके, किसान को सिंचाई का पूरा पानी मिल सके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे विधान सभा क्षेत्र में अमरसिंह सब-ब्रांच जो कि पुरानी नहर है, पुराना सिस्टम है, उसमें पुराना जो रेग्यूलेशन था वह 21 दिनों की बारी के अनुसार, 21 दिनों के वरीयता क्रम में वे नहरें चलती

(श्री संजीव कुमार)

थीं। उसमें 2 हफ्ते नहर चलती थी और एक हफ्ते नहर बंद रहती थी। सन् 2000 से पहले के हालात इस तरह के थे कि 21 दिन से उन नहरों को पानी मिलता था। लेकिन आज हालत यह है कि आज उन नहरों को 36 दिन से सिंचाई का पानी मिलता है। यानी कि आजकल अमरसिंह सब-ब्रांच 2 सप्ताह चलती है और 2 सप्ताह बंद रहती है। इसकी वजह से दीपलाणा वितरिका हो, चाहे नेठाना वितरिका हो, उन वितरिकाओं के काश्तकारों को 36 दिन से सिंचाई का पानी उपलब्ध होता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि कोई भी फसल ऐसी नहीं है जो 36 दिन तक बिना पानी के जिंदा रह सके। अमरसिंह सब-ब्रांच का जो वरीयता क्रम है, जो रेग्यूलेशन है, उसको 21 दिन के अनुसार बनाकर पुनः पुरानी व्यवस्था कायम करें, ताकि उन किसानों को समय पर पानी मिल सके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना में हरियाणा में जो पानी चोरी होता था, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्री महोदया को और हमारे सिंचाई मंत्री महोदय को कि उन्होंने बहुत कारगर कदम उठाते हुए, जो पानी चोरी होता था, उसको रोकने के लिए सरकार ने सकारात्मक प्रयास किये। लेकिन मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि उस अभियान को जब चलाया गया, पाइपलाइन हटाने का जब अभियान चलाया गया, तो उस समय कुछ ऐसे काश्तकार भी थे, जिनके टयूबवेल का सिस्टम लगा हुआ था, टयूबवेल से पानी लेते थे। उन अधिकारियों ने मनमाने तरीके से, जो टयूबवेल के सिस्टम थे, उनको ध्वस्त करने का काम किया। ऐसे अधिकारियों की जांच करवायें। चोरों को निश्चित रूप से सज़ा मिले; चोरी का जो भी पानी जाता है उसको रोकने का पूरा प्रयास किया जाये और जो आपने प्रयास किया है, वह निश्चित रूप से सराहनीय प्रयास किया है, लेकिन जिन काश्तकारों के साथ जो अन्याय उन अधिकारियों ने किया है, उनकी जांच करवाकर के उनके खिलाफ भी कार्यवाही करने का आप प्रयास करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना में जो चोरी की वारदातें होती हैं, जो सिस्टम में खराबी है, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे उस इलाके के अन्दर आज भी चकबंदी और किलाबंदी का काम बकाया है, जिसके चलते बारीबंदी हमारी लागू नहीं हो पाती। जब तक बारीबंदी लागू नहीं होती, तब तक सिस्टम के साथ किसान को सिंचाई का

(श्री संजीव कुमार)

पानी उपलब्ध नहीं होगा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारी मुख्य मंत्री महोदया को कि उन्होंने भादरा के अन्दर उपनिवेशन तहसील खोलकर के एक अच्छी शुरुआत की है, लेकिन उपनिवेशन तहसील खुलने के एक साल बाद अभी भी हमारे पास कर्मचारियों की कमी है। मैं निवेदन करूंगा कि उसमें प्रयास करके, आप ज्यादा से ज्यादा स्टाफ लगाकर के, हमारे उस इलाके में चकबंदी, किलाबंदी और मुरब्बाबंदी का काम करवायें, ताकि किसान के लिए सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना के क्षेत्र में बारीबंदी को हम लागू कर सकें, जिससे कि किसान को पूरा पानी मिल सके।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में गांव डाबढ़ी, गांव मोजाना और गांव रतनपुरा का रकबा समतल और उपजाऊ होने के बावजूद भी सिद्धमुख सिंचाई परियोजना से उसको वंचित कर दिया गया। यह हरियाणा बार्डर का एरिया है। इन गांवों में कहीं से भी ऐसे हालात नहीं हैं कि सिंचाई का पानी मिल सके। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि गांव मोजाना, रतनपुरा और डाबढ़ी के उस वंचित रकबे का आप सर्वे करवाकर के सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना से उनको जोड़ने का काम करें, ताकि उन गांव के किसानों को पानी मिल सके।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा लम्बी बात नहीं कहते हुए, एक और निवेदन करना चाहूंगा कि किसान को यदि पक्का खाला मिलेगा तो एक-एक बूंद पानी का सदुपयोग होगा। जहां तक खाला निर्माण का सवाल है, हमारी सरकार ने ऐसी घोषणा कर रखी है कि भाखड़ा की सिंचाई प्रणाली का, जिसमें नाम दिया गया है, उसके अन्दर जन सहयोग के रूप में 10 परसेंट राशि जो किसान से खाला निर्माण के लिए ली जाती है, वह उसमें माफ की गयी है। हालांकि हमारा अमरसिंह सब-सिस्टम भी और हमारी सिद्धमुख सिंचाई परियोजना भी भाखड़ा सिंचाई प्रणाली के अंग हैं, इनमें भी भाखड़ा का पानी आता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे सिद्धमुख सिंचाई परियोजना क्षेत्र में और अमरसिंह सब-ब्रांच सिस्टम में भी किसानों से खाला निर्माण में 10 परसेंट जो जन सहयोग की राशि ली जाती है, उसको आप माफ करने का काम करें, ताकि हमारे इलाके में ज्यादा से ज्यादा पक्के खालों का निर्माण हो सके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो बोलने का समय दिया, हालांकि

(श्री संजीव कुमार)

मैं पेयजल की योजनाओं के बारे में भी कुछ जिक्र जरूर करना चाहता था, अगर आप एक मिनट का समय दोगे, तो मैं पेयजल की समस्याओं का जिक्र कर सकता हूं। बाकी आपकी मर्जी है।

एक माननीय सदस्य: माननीय सदस्य, आप बोल दो।

श्री संजीव कुमार (भादरा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा लमबी बात नहीं करते हुए...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, अभी 16 माननीय सदस्यों को और बोलना है, आज मुखबंद भी है, दो माननीय मंत्रियों के उत्तर होने हैं। कुछ माननीय सदस्यों की इच्छा है, अगर आप उनके भाषण को टेबल करने की अनुमति दे दें तो शायद कुछ अपना भाषण टेबल कर दें, ताकि जल्दी उत्तर हो जाये।

श्री उपाध्यक्ष: मेरा, संसदीय कार्य मंत्री, आपसे भी और सम्पूर्ण सदन से यह निवेदन है कि 5 से 6 ऐसे सदस्य हैं, जो इस पूरे बजट पर एक बार भी नहीं बोल पाये। मैं यह चाहता हूं कि कम से कम उनको एक-एक बार हम बुलवा लें।

आप कनक्लूड कर दें।

श्री संजीव कुमार (भादरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के ये 6 गांव हैं, कुंजी, घोटरा पट्टा, घोरड़ा खालसा, रामपुरा, पनाऊ और नूनवान, यह आपणी योजना, जो पी एम सी योजना है, उससे जुड़े हुए हैं। अंतिम छोर के गांव होने की वजह से इनमें पेयजल का पूरा पानी नहीं पहुंचता है। हालांकि जब इन गांवों को जोड़ा गया था, वह उस समय जोड़ा गया, जब नजदीक में पानी का कोई जल स्रोत नहीं था, कोई सोर्स ऑफ वाटर नहीं था, लेकिन आज सिद्धमुख सिंचाई परियोजना का पानी उन गांवों के नजदीक पहुंच गया है। तो मैं माननीय मंत्री महोदया से निवेदन करूंगा कि इन 6 गावों को आपणी योजना से हटाकर के यदि नई योजना आप सिद्धमुख सिंचाई परियोजना के नजदीक के क्षेत्र में कोई वाटरहैड बनाकर के बनायेंगे, तो निश्चित रूप से उन गांवों को पेयजल का पूरा पानी मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मेरे विधान सभा क्षेत्र में 4 हजार या उससे अधिक आबादी के 2-3 गांव ऐसे हैं जिनमें पेयजल के लिए घर-घर टूंटी देने की, घर-घर पानी देने की स्कीमें बनायी जा सकती हैं। हालांकि 4 हजार

(श्री संजीव कुमार)

का उसमें सरकार का क्राइटेरिया है। मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे गांवों को चिह्नित करके 4 हजार या उससे अधिक आबादी के जो गांव हैं, उनमें घर-घर कनेक्शन देने की आप योजना बनाने का काम करें।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा जो पुरानी और जीर्ण-शीर्ण जलप्रदाय योजनाएं हैं, उनमें मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीया मुख्य मंत्रीजी का भी कि उन्होंने बीकानेर संभाग में उनका जीर्णोद्धार करने का काम किया, उन स्कीमों का नवीनीकरण करने का काम किया। अब जो शेष बची हुई स्कीमें हैं, उन जीर्ण-शीर्ण जलप्रदाय योजनाओं को भी आप उनके जीर्णोद्धार और नवीनीकरण का काम करने का काम प्राथमिकता के आधार पर मेरी विधान सभा क्षेत्र में करायें।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा जो कुछ पुरानी स्कीमें हैं और जो आबादी बढ़ गई, उन गांवों की स्कीमों को संवर्धित स्कीम के रूप में आप आगे बढ़ाने का काम करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री रामनारायण।

श्री रामनारायण (नसीराबाद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीया मंत्रीजी को, नसीराबाद विधान सभा क्षेत्र जो बीसलपुर योजना से जुड़ा हुआ है, वहां करीबन 30-35 पंचायतें ऐसी हैं जिनका हाल बहुत खराब है। वहां पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है। उपाध्यक्ष महोदय, ग्राम झरवासा में बीसलपुर योजना का लाभ आज तक भी नहीं मिल पाया है; गांव के लोग बीसलपुर योजना से आज तक नहीं जुड़ पाये हैं। इसी तरह से ग्राम न्यारा में, भैंरू खेड़ा गांव आज तक बीसलपुर योजना से नहीं जुड़ पाया है। साथ ही जो बीसलपुर योजना से जुड़ी हुई हैं, उनमें यह हाल है कि उन गांवों में एक-एक साल से पानी नहीं जा रहा है। इसके अलावा, देवपुरा, नया गांव, चट सरदारपुरा, खजाना, बीसलपुर योजना में आज भी उनको पानी नहीं मिल रहा है, सालों से।

इसी तरह से भिट्टूर पंचायत का है, अंसारी, देवरा पाइपलाइन क्षतिग्रस्त है, बार-बार टूट जाती है; पुरानी पाइपलाइन है। इसी तरह से बागसूरी में बुधपुरा, 2 साल से करीबन लाइन डाल दी है, लेकिन योजना से जोड़ा नहीं गया है। अजबाका बारिया में आधे में एक साल से पानी नहीं आ रहा है।

(श्री रामनारायण)

इसी तरह इसी पंचायत बागसूरी में पानी की जो लाइनें हैं, वे इतनी खराब हैं कि बीसलपुर योजना से जोड़े जाने के बाद भी पानी नहीं मिल रहा है। साथ में मावसिया में, नेपोली, लक्ष्मीपुरा, कल्याणीपुरा में 3 साल से पानी नहीं मिल रहा है। पाइपलाइनें 2-2 बार डाल दी गयी हैं, इतनी घटिया पाइपलाइनें डाली हैं कि डालने के बाद भी पानी नहीं मिल पा रहा है। साथ ही तिलाना पंचायत है, नवाब में 3 साल हो चुके हैं, पानी आज तक नहीं मिला है।

नागदा पंचायत के आधे वार्डों में पानी आ रहा है और आधों में पानी नहीं आ रहा है। ग्राम पंचायत भवानी खेड़ा में माल्या का वार्ड, पूर्व सांसद महोदय ने टंकी बनाई थी, आज पांच साल होने को आए, उसको पानी के लिए बीसलपुर योजना से जोड़ा ही नहीं गया है। ग्राम पंचायत बिठानी में जगपुरा की ढाणी में आपकी सरकार ने एक साल से लाइन डाली है, उसके बाद भी पानी नहीं है। इसी तरह पीसांगन में पंचायत की लाइन डली हुई है, उसी से बीसलपुर की लाइन को जोड़ दिया गया और तीन-चार-पांच वार्ड हैं उनमें आज तक पानी नहीं मिला है।

साथ ही डार्क जोन होने के नाते ट्यूबवेल भी नहीं खोद सकते। गर्मी में बहुत बड़ी समस्या है। बृज्यावास में पांच हजार की आबादी है, आपका कहना है कि चार हजार से ज्यादा की आबादी वालों को घर-घर में कनेक्शन देंगे, पर इस योजना को आज भी हरी झंडी नहीं मिल रही है।

इसी तरह से गोविन्दगढ़ में पुरानी पाइपलाइन है। मतलब, कोई भी पंचायत ऐसी नहीं है जिसमें बीसलपुर योजना का पानी सही आ रहा हो। इसी तरह पीसांगन, मांग्ल्यावास, जेठाणा, नागेलाव, इन पंचायतों का तो हाल ही इतना है कि इनको पानी देखने को ही नहीं मिल रहा है। श्रीनगर पंचायत समिति हैडक्वार्टर है, अगर इसको बीसलपुर योजना के 13 नम्बर पम्प से जोड़ दिया जाए, पाइपलाइन डल चुकी है, पर आज तक जोड़ने के आदेश नहीं मिले हैं। इसके बाद भी, आज भी श्रीनगर पंचायत समिति का यह हाल है कि आश्यापुरा, गादेरी, राकाखेड़ा, डेराटू, कल्याणीपुरा, लक्ष्मीपुरा, राजोसी, इन गांवों में डेराटू ग्राम, हणूत्या, मोतीपुरा, रामपुरा न्यारा, रैगर बस्ती, नंगला, भैरूखेड़ा, भीमपुरा, बनेवड़ा, अजबा का बाड़ा, नागपुरा, नया गांव, खापरी, इनको जोड़ दें, यहां इन पंचायतों में तो कम से कम बीसलपुर के पानी से जुड़ जाएंगे, तो वहां पानी की बहुत बड़ी समस्या है उससे निजात मिल जाएगी।

(श्री रामनारायण)

माननीय मंत्री महोदया को मैं यह बताना चाह रहा हूं कि अजमेर को कांग्रेस सरकार के टाइम में ही बीसलपुर से जोड़ा गया था और आज अजमेर जिला ही सबसे ज्यादा परेशान हो रहा है। इसका कारण है, माननीया मंत्रीजी, जब-जब भी आपकी सरकार आई और बाहुबलियों ने टेंडर ले लिये, ठेके ले लिये और उसके बाद पानी नहीं मिल रहा है। ए ईएन, जे ईएन, एक्स ईएन, किसी के आदेश मानते ही नहीं हैं। अच्छे आदमी पानी की सप्लाई में रखते नहीं हैं। रखरखाव इतना खराब हो गया कि पानी होते हुए भी नहीं मिल रहा है। मैं आपसे यही कहूंगा कि आप मेहरबानी करके रखरखाव तो कम से कम, जब टेंडर दे दिये हैं और टेंडर भी इतनी ऊंची रेटों पर दिये हैं कि पूर्ववर्ती सरकार में दस लाख का टेंडर आज बीस लाख में जा रहा है, बीस लाख का चालीस लाख में जा रहा है, चालीस लाख का पचास लाख में जा रहा है। उसके बाद भी बाहुबली ठेकेदार सरकार को नहीं गांठ रहे हैं। इस योजना का लाभ इससे आज भी नहीं मिल पा रहा है। इसलिए आप ऐसे ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करें, ताकि वह रखरखाव तो ढंग से कर लें। सरकार का पैसा भी जा रहा है, फिर भी पानी नहीं मिल रहा है। इस तरह की अच्छी योजनाओं को आप लोगों ने, आपकी सरकार ने फेल कर रखा है। भ्रष्टाचार का तो बोलबाला इतना है कि वहां कुछ बोल ही नहीं सकते।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्रीजी को यह कहना चाहूंगा कि आने वाला टाइम बहुत गर्मी का है और बहुत भीषण गर्मी आएगी। तो कम से कम जो लाइनें डली हुई हैं, सब कुछ है, उनकी रखरखाव के खातिर ही परेशानी हो रही है। इसलिए आप मेहरबानी करके, बीसलपुर योजना से नसीराबाद की जो पंचायतें हैं, यह मैंने आपको थोड़ा-सा पन्द्रह पंचायतों का दिया है और करीबन तीस पंचायतों में यह तकलीफ है, आप लोगों ने जिस तरीके का कार्य कर रखा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का टाइम दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: गोतम मीणा।

श्री गोतमलाल (धरियावद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मांग संख्या 27 और 46, सिंचाई और पेयजल पर बोलने का जो मौका दिया, आपका बहुत-बहुत आभार।

(श्री गोतमलाल)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जाखम बांध की जो नहर बनी है, जिसको पच्चीस से तीस साल हो गये, 1986-87 में बनी और पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद इन दो साल में 27 करोड़ रुपये देकर उनकी मरम्मत का काम जो शुरू किया गया है, उसके लिए मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी और माननीय मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नहरों की मरम्मत ही नहीं, उनको ऊंचा करने का भी काम किया। माननीय सिंचाई मंत्री महोदय स्वयं नहरों के काम का निरीक्षण करने पधा और जहां काम हो रहा था, वहां तराई सही नहीं हो रही थी, तो माननीय मंत्री महोदय ने उन नहरों को तुड़वाकर, जहां-जहां काम खराब था, तुड़वाया। इससे सभी ठेकेदार और अधिकारी हरकत में आये और काम भी बढ़िया हुआ। पहली बार टेल तक किसानों को पानी मिला और हमारे माननीय मंत्रीजी का इसके लिए बहुत-बहुत आभार।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि शेष नहरों का जो काम रहा है, 20-25 करोड़ रुपये का काम और शेष है, उस काम को इसी बजट में स्वीकृत करें, ताकि जो काम रहा है वह काम नहरों का और पूर्ण हो सके।

इसी तरह मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो सोम कमला अम्बा बांध है, वह डूंगरपुर जिले में और आसपुर और मेरे विधान सभा क्षेत्र के बीच में है और उसकी जो नहरें बनाई हैं वे भी बहुत पुरानी हैं। उन नहरों में आज दिन तक कोई मरम्मत का काम नहीं हुआ है। उनकी देखरेख करने का जो एक्स ईएन कार्यालय है वह आसपुर में है और मेरा विधान सभा क्षेत्र उदयपुर में जो क्षेत्र आता है, सलूम्बर एक्स ईएन का कार्यालय, लेकिन वे उधर ध्यान भी नहीं देते और मुझे भी नहीं मालूम कि वहां एक्स ईएन कौन बैठता है, ए ईएन कौन बैठता है; न उनको मालूम है कि मेरा क्षेत्र भी आ रहा है। तो यह झल्लारा पंचायत समिति क्षेत्र का है, कराकला, जैताणा, भबराना, इस प्रकार की जो पंचायतें हैं, उनमें जैताणा में तो एक नहर ऐसी बनाई है जिसमें हैड से पानी निकलता है वह टेल तक पहुंचता ठीक है, लेकिन वह ओवरफ्लो होकर किसानों की जमीन को खराब करता है। इसकी देखरेख आसपुर वाला एक्स ईएन ठीक तरीके से नहीं करता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि हमारा सोम कमला अम्बा बांध,

(श्री गोतमलाल)

मेरे विधान सभा क्षेत्र का जो झल्लारा गांव है, उसको सलूम्बर एक्स ईएन में दे दें, ताकि सलूम्बर एक्स ईएन हमारे जो इधर की जयसमंद की नहर का काम भी देखता है, वह इसे भी देखे। यह मैं आपसे निवेदन करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी माननीया मुख्य मंत्रीजी ने पेयजल की समस्या के स्थायी समाधान के लिए मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन योजना 27 जनवरी, 2016 से शुरू की है। जयसमंद का जो कैचमेंट एरिया है, उसमें मेरे लसाड़िया क्षेत्र की जो पंचायतें हैं उनके गांव हैं, उनका पानी जयसमंद जाता है। उसमें अभी उनका सर्वे, डी पी आर कराई, लेकिन उस पर रोक लगा दी, कि इसमें दो मीटर के एनिकट भी नहीं बना सकते हैं। मैं आपके माध्यम से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम जयसमंद कैचमेंट एरिया में जो हमारे जो गांव और पंचायतें आ रही हैं लसाड़िया की, वहां कम से कम दो मीटर के अगर एनिकट बनाएंगे, तो वहां पानी का रुकाव होगा।

इसके साथ ही मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी और माननीय सिंचाई मंत्रीजी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने फोर-वाटर कंसेप्ट की इस परियोजना के तहत मेरे विधान सभा क्षेत्र में बीस काम स्वीकृत किये हैं। इन 20 कामों में से 18 काम फोर-वाटर कंसेप्ट के पूर्ण होने आये हैं और 2 काम किसी कारण से नहीं हो पाये हैं। उनको भी, जमीन का वह है, उसको देखकर करवाने की कृपा करें।

इसके साथ ही, जो कुछ एरिया हमारा छूट गया है, जो पानी बहकर गुजरात जाता है, दो-तीन नदियां ऐसी हैं जिनमें बहुत सारा एरिया जंगल में भी आता है, और बाकी जो रह गया है, उसका सर्वे करवाकर, इस क्षेत्र के जो बाकी रहे हैं, उस पानी को रोकें, ताकि जल स्तर वहां और बढ़ेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अब हमारी जलदाय मंत्री महोदया का ध्यान भी आकर्षित करना चाहता हूं कि जयसमंद कैचमेंट एरिया में मेरे बीस से पच्चीस गांव जो आ रहे हैं, माननीय, सुबह सलूम्बर के हमारे सदस्य ने भी बात रखी थी, तो उस क्षेत्र में लसाड़िया की जो पंचायतें हैं, उनमें आप जयसमंद का जो पानी है, जिसमें आपने अभी डी पी आर भी बनायी है और आपने सर्वे भी कराया है, 21 गांव उसमें जोड़े हैं, लेकिन बाकी जो गांव रह गये, उनको जोड़कर जनता को जल पिलाने का काम करें।

(श्री गोतमलाल)

मेरा विधान सभा क्षेत्र दो जिलों में है, धरियावद प्रतापगढ़ जिले में है और लसाडिया व झल्लारा उदयपुर जिले में हैं। धरियावद में पानी की हमारे कोई कमी नहीं है, लेकिन आपकी जो योजना है जल के जोड़ने की, उसमें 4 हजार की आबादी का कर रखा है। पहले हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने भी कहा है, आदिवासी और ट्राइबल बेल्ट है उनमें ऐसी जनसंख्या नहीं है। जिस प्रकार से हमारे पूर्व प्रधान मंत्री अटलबिहारी वाजपेयी जी ने पी एम जी एस वाई में सड़क से जोड़ने के लिए मापदण्ड रखा था, सामान्य क्षेत्र में 500 तक की आबादी को जोड़ने का और जनजाति क्षेत्र में 250 की आबादी के गांवों को भी सड़कों से जोड़ने का जिस प्रकार से प्रावधान किया है, उसी तरह से आपके माध्यम से मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी और माननीय जलदाय मंत्री महोदया से भी निवेदन करूंगा कि उसी के आधार पर 4 हजार की आबादी के मापदण्ड हैं, इसको कम करके ट्राइबल बेल्ट में इस संख्या को कम करें। यह मेरा निवेदन है।

इसके अलावा, राज्य में पहली बार सौर ऊर्जा आधारित नलकूपों की स्थापना की जा रही है। सोलर पम्प लगाने के मापदण्ड भी हैं, जो 1,500 के लगभग आप बता रहे हैं। हमारे जनजाति क्षेत्र में इसको 500 के आधार पर रखेंगे, तो इसका पूरा लोगों को फायदा मिलेगा।

हमारे धरियावद विधान सभा क्षेत्र का झल्लारा, भबराना, धोलगिरखेड़ा, जैताणा, देवगांव, कराकला, खोलड़ी, जोधपुर खुर्द ऐसे बहुत सारे गांव हैं जिनमें नल की पाइपलाइन 25 से 30 साल पुरानी हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि पुरानी जो पाइपलाइन हैं...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं वैसे बोलता नहीं हूं। आपका आदेश हो गया। दो मिनट में; दो मिनट भी नहीं, एक मिनट में।

मेरा निवेदन है कि जिन-जिन पंचायतों में, मैं सबका नाम नहीं लूंगा, इन पंचायतों में जो पुरानी पाइपलाइन हैं, इनको बदलाकर लोगों को शुद्ध पानी पिलायें।

ज्यादा मैं कुछ न कहकर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती शिमला बावरी।

श्रीमती शिमला बावरी (अनूपगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 27 व 46 पर बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

हमारी मुख्य मंत्री वसुन्धरा जी राजे ने सुराज संकल्प यात्रा के दौरान बहनों से वादा किया था कि घर में बैठी हुई बहनों को हम शुद्ध जल पिलाएंगे, ठीक उसी तरीके से हमारी जलदाय मंत्री काम कर रही हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के रावलामण्डी में बहुत पुराने समय से वाटरवर्क्स बना हुआ है। इसी तरह से 6 डी डी में, 9 एम डी सतराना, 56 जी बी में वाटरवर्क्स पुराने बने हुए हैं। उसमें मंत्रीजी ने 40-40 लाख रुपये देकर उन वाटरवर्क्स का फिल्टर, डिग्गियां व पाइपलाइन सही डलवाकर शुद्ध जल पहुंचाने का काम किया है। हमारे घड़साना में आबादी बहुत बढ़ चुकी है, उसमें वाटरवर्क्स बहुत छोटा-सा है और पानी की बहुत बड़ी समस्या है। वहां पर अभी हमारी मुख्य मंत्रीजी ने 11 करोड़ रुपये देकर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दिया है। वहां पर डिग्गियां, बड़े टैंक तथा पाइपलाइन दुबारा बिछाकर सभी कालोनियों में पानी दिया जाएगा। इसके लिए भी मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी।

इसके साथ-साथ हमारे अनूपगढ़ में 27 ए में, 4 एम एस आर में और 12 एच शामकी में ऊपर की जो ओवरहैड टंकियां बनी हुई हैं, उससे हमारे बहुत ज्यादा समस्या रहती है। वहां पर पाइप की खराबी से आसपास की कालोनियों के अन्दर तथा आसपास की ढाणियों के अन्दर पानी नहीं पहुंच पाता। मंत्रीजी को कहना चाहूंगी कि उसकी जांच कराकर उनको सही कराया जाय, ताकि वहां की ढाणियों व गांवों में पानी मिल सके।

मैं सिंचाई पर बोलना चाहूंगी। यहां पर सिंचाई मंत्रीजी विराजमान हैं। पंजाब से होकर हमारी आई जी एन पी नहर गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, मोहनगढ़, रामगढ़ होते हुए, सभी गांवों को पानी पिलाते हुए, किसान के खेतों को सिंचित करते हुए, रामगढ़ के टेल तक जाती है। उसमें मेरी अनूपगढ़ शाखा भी आती है। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र व अनूपगढ़ शाखा की बात करूंगी। हमारी अनूपगढ़ शाखा के अन्दर कुछ मेरा क्षेत्र लगता है और कुछ, हमारे खाजूवाला से आने वाले माननीय सदस्य यहीं बैठे हैं, कुछ उनका भी क्षेत्र लगता है। हमारे ज्यादातर टेलें पिटती हैं। मैं मंत्रीजी को यह बताना चाहूंगी, उसका यह भी कारण है कि हमारे जो अनूपगढ़ शाखा फटती है, तो पीछे हैड में हमारे सूरतगढ़ में थर्मल प्लांट लगा हुआ है लाइट के लिए; छोटे-छोटे प्लांट

(श्रीमती शिमला बावरी)

उस नहर पर भी लगे हुए हैं, जो लाइट पैदा करते हैं। उसके साथ-साथ बड़ा-सा एक कट भी लगा हुआ है। उससे पूरी टेलें पिटती हैं। मंत्रीजी को मैं कहना चाहूंगी, अगर वह प्लांट हट जाए और वह ठोकर हट जाए, तो पूरी टेलें फीड हो सकती हैं, सभी किसानों को पानी मिल सकता है।

मंत्रीजी को इसके लिए धन्यवाद भी दूंगी कि हमारी जीरो आर डी से लेकर 77 आर डी तक पूरी की पूरी नहर सी सी होने जा रही है। मैं मंत्रीजी को धन्यवाद भी दूंगी और साथ में सुझाव भी देना चाहूंगी कि इतने करोड़ रुपये से वह नहर सी सी होने जा रही है, उसके साथ-साथ आप यह भी कृपा करें कि उसका जो बेड लेवल है वह ऊंचा बना हुआ है, आई जी एन पी नहर से ऊंचा बना हुआ है। वहां पानी का पूरा भराव रहता है; आगे पानी तेजी से जाता नहीं है। इसके कारण पूरी टेलें पिटती हैं। आप उसका बेड लेवल नीचा करके उस क्रस्ट को तोड़ें, ताकि हमारी पूरी टेलें फीड हो सकें।

उसके साथ-साथ मेरे क्षेत्र की कुछ माइनर हैं, उनमें भी शामकी, के-माइनर, ए-माइनर पर भी मंत्रीजी ने लाखों रुपये दिये हैं। वहां पर आज काम चल रहा है। इन नहरों की यह दुर्दशा थी कि उन नहरों में कभी भी सफाई नहीं हुई और बड़े-बड़े पौधे, आक व सिल्ट उनमें आयी हुई थी। जो नहरें हैं, माइनर जो बनी हुई हैं, उनकी टेल पर कभी भी पानी नहीं पहुंचा। आज उन नहरों की पूरी सफाई हो चुकी है और पूरी सिल्ट निकल चुकी है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आज वे पूरी नहरें अच्छी तरीके से चल रही हैं और हमारे किसानों तक पानी अच्छा पहुंच रहा है।

मैं साथ में मंत्री महोदय को यह भी कहना चाहूंगी कि अनूपगढ़ शाखा पर जितने भी पुल बने हुए हैं, वे सारे के सारे क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। एक तो मेरे नाईवाला गांव के अन्दर पुल बना हुआ है, वह तो एक महीने पहले टूट गया था और 15 गांव, अनूपगढ़ मण्डी है, उससे उनका कांटेक्ट हट गया है। मैं मंत्रीजी को यह कहना चाहूंगी कि वह पुल जल्दी से जल्दी बनाया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी को यह भी कहना चाहूंगी कि उस पुल के बारे में 15-20 दिन पहले अधिकारियों से बात की थी। सिंचाई के अधिकारी यह कहते हैं कि इसको पी डब्ल्यू डी बनाएगी और पी डब्ल्यू डी के अधिकारियों से हमने बात की, तो वे कहते हैं कि सिंचाई विभाग बनाएगा।

(श्रीमती शिमला बावरी)

दोनों स्पष्ट तो करें कि उस पुल को कौन बनाएगा, हम किससे मिलें। मंत्रीजी, अभी आप बोलोगे, तब यह थोड़ा स्पष्ट कर देना।

आपने बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री विजय सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री श्रीराम भींचर।

श्री श्रीराम भींचर (मकराना): उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 27 और मांग संख्या 46 पर मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि मकराना शहर की आबादी करीब डेढ़ लाख से ऊपर है। मकराना में पीने का पानी, ग्राम जूसरी के सतीनाड़ी में जहां 22 ट्यूबवेल खुदे थे 1988 के अन्दर, और आज उन ट्यूबवेलों की स्थिति यह है कि 22 में से 11 फेल हो चुके हैं। जब ट्यूबवेल खोदे गये थे, उस वक्त पानी का डिस्चार्ज 16 हजार लीटर प्रति घंटा था, लेकिन आज वह 16 हजार की जगह मात्र 5-6 हजार लीटर प्रति घंटा रह गया है। इसके बाद में कुचामनसिटी के ग्राम आनन्दपुरा के अन्दर 1972 के अन्दर 44 ट्यूबवेल खोदे गये थे और आज यह स्थिति है कि 44 के 44 फेल हो चुके हैं। इसके बाद ग्राम रसाल के अन्दर वर्ष 2013 के अन्दर 7 ट्यूबवेल खोदे गये, जिनमें 3 ट्यूबवेल आज फेल हो चुके हैं और उनका भी डिस्चार्ज बिलकुल कम हो चुका है। इसके बाद में गत वर्ष के अन्दर बुधदेवपुरा ग्राम के अन्दर 7 ट्यूबवेल और खोदे गये, जिनमें से 3 ट्यूबवेल अभी बिलकुल फेल हो चुके हैं और उनका भी डिस्चार्ज बिलकुल नहीं के बराबर रह गया है। इस प्रकार मकराना की जनता को पीने के पानी के लिए कुल 82 ट्यूबवेल खोद गये थे, जिनमें से 57 ट्यूबवेल बिल्कुल फेल हो चुके हैं और मात्र 25 ट्यूबवेल चल रहे हैं। आज मकराना शहर की स्थिति यह है कि वहां जनता को पीने का पानी 10 से 15 दिन के अन्तराल से मिल रहा है।

इसलिए मेरा माननीय मंत्री महोदया से निवेदन है कि मकराना के लिए पीने के पानी की एक नई योजना बनाकर आप स्वीकृत करें ताकि जनता को पीने का पानी समय पर मिले। माननीय मंत्री महोदया से मेरा निवेदन है, पिछली बार माह अप्रैल के अन्दर आप मकराना भी पधारी थीं और मैंने आपसे निवेदन किया था कि मकराना की पीने के पानी की स्थिति बड़ी नाजुक है,

(श्री श्रीराम भींचर)

लेकिन उसके बाद में आज तक इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप मकराना के लिए कोई नई योजना बनायें।

मेरा इसमें यह भी निवेदन है कि बीसलपुर का पानी मकराना से मात्र 4 किलोमीटर दूर कसारी गांव तक आ चुका है। जब तक नहर का पानी नहीं आये, अगर तब तक इसको बीसलपुर के पानी से जोड़ दिया जाए, तो मकराना की जनता को पीने का पानी ठीक ढंग से मिल सकता है।

इसी प्रकार ग्राम पंचायत बोरावड़ है, जो आबादी के हिसाब से राजस्थान के अन्दर सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है। बोरावड़ के लिए पीने का पानी बोरावड़ से 28 किलोमीटर दूर रामपुरा से आ रहा है। उसके रास्ते में कई गांव आ चुके हैं, जिनमें लोगों ने अवैध कनेक्शन कर लिये और बोरावड़ की स्थिति भी यह है कि वहां भी 10-15 दिन के अन्तराल से पानी मिल रहा है। इसलिए मेरा माननीय मंत्री महोदया से यह निवेदन है कि ग्राम पंचायत बोरावड़ के लिए भी आप एक नई योजना बनाकर जनता को पीने का पानी उपलब्ध करायें।

कुचामनसिटी से जितना भी पानी आ रहा है, हालांकि मात्रा बहुत कम है, लेकिन फिर भी अभी कई लोगों ने बीच में अवैध कनेक्शन कर लिये और अवैध कनेक्शन करने की वजह से यह हालत हो गई कि जो सी डब्ल्यू आर मकराना के अन्दर बना हुआ है, उसको भरने में अभी 18 घंटे लगते थे; फिर विभाग और मैंने प्रयास किया, अवैध कनेक्शनों को हटाया, तो उसके बाद में यह हालत हो गई कि जो सी डब्ल्यू आर 18 घंटे में भरा जा रहा था, वह आज 6 घंटे पर आ गया और मात्र 6 घंटे में भर रहा है। उसमें हुआ क्या, कि जलदाय विभाग के अधिकारियों ने पुलिस थाना कुचामन सिटी में उनके खिलाफ एफ आई आर लाज करवायी, परन्तु उस एफ आई आर पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिससे आज हालत यह है कि दस दिन से उन लोगों ने वापस कनेक्शन लेना शुरू कर दिया। उन लोगों ने यह सोच लिया कि हमारे खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई, तो हमारा इसमें अब क्या बिगड़ने वाला है, और आज स्थिति यह हो गई कि 6 घंटे के स्थान पर वापस 10 घंटे में वह सी डब्ल्यू आर भरा जा रहा है। इसलिए मेरा गृह मंत्रीजी से भी निवेदन है कि आप इसमें जो जलदाय विभाग ने एफ आई आर लॉज करवायी है, उसमें कार्यवाही करवायें। इसके अलावा मकराना और बोरावड़, दोनों के लिए आप कोई नई स्कीम बनाकर पानी की व्यवस्था करें।

(श्री श्रीराम भींचर)

एक मेरा निवेदन है कि अभी जो नागौर जिले में सेकंड फेज में नहर का पानी आना है, जिसमें मकराना, परबतसर, कुचामन हैं, और उसमें मकराना में इसका जो टेंडर होना था, उसका अभी तक टेंडर भी नहीं हुआ है। इसलिए मेरा माननीय मंत्री महोदया से निवेदन है कि आप उसका टेंडर करायें, ताकि उसमें जो आगे के काम हैं, जो एस आर, टंकी, पाइपलाइन, वगैरह के काम हैं, वे शुरू किये जा सकें।

एक मेरा निवेदन है कि मकराना विधान सभा क्षेत्र के गांवों में 23 ट्यूबवेल फेल हो चुके हैं। उनकी स्कीम यहां आये हुए कम से कम 7-8 महीने हो गये और यहां मुख्य अभियंता के कार्यालय में पड़ी हैं। कभी वे छोटा-मोटा एतराज लगाकर वापस भेज देते हैं, वहां से रिमूव होकर वापस आता है। तो 7-8 महीने से यही क्रम चल रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो 23 ट्यूबवेल फेल हो चुके हैं, उनके स्थान पर नये ट्यूबवेल बनाये जाएं।

हमारे क्षेत्र के अन्दर तीन टंकियां, मन्नाणा, गच्छीपुरा और जूसरी में जो एस आर टंकियां बनी हुई थीं, जो बिलकुल क्षतिग्रस्त हो चुकी थीं, तो उनको तोड़कर गिरा दिया गया है, लेकिन उनके स्थान पर अभी वापस नहीं बनी हैं। दूसरा, लाडपुर और भिंचावा, दोनों की एस आर टंकियां हैं वे भी क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं और उनके द्वारा पानी सप्लाई नहीं किया जा रहा है। इसलिए उनके स्थान पर दोनों टंकियां वापस बनाई जाएं।

एक मेरा निवेदन है कि बेसरोली ग्राम पंचायत हैडक्वार्टर है और वहां पर पीने के पानी के लिए वहां से 6 किलोमीटर दूर एक कलवाना नाडा पड़ता है, जहां पर आज के दो साल पहले 19 लाख के लगभग की एक योजना पास हुई थी। वहां पर ट्यूबवेल बनकर तैयार हो गये, आधी पाइपलाइन डाल दी गई, लेकिन उस स्कीम के अन्दर विभाग ने पाइपलाइन अधूरी ली, जिसकी वजह से आज वह स्कीम पूर्ण भी नहीं हुई और उसका जनता को फायदा भी नहीं मिला। इसकी स्कीम आये हुए भी काफी महीने हो गये और अब डिपार्टमेंट के अधिकारी यह कहते हैं कि यह लाइबिलिटी किसकी थी। तो लाइबिलिटी तो आप बाद में फिक्स करते रहना, पर कम से कम जो अधूरी पाइपलाइन है उसको तो पास करो, ताकि जनता को पीने का पानी मिले। लाइबिलिटी आप बाद में फिक्स करते रहता।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में 38 जी एल आर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं,

(श्री श्रीराम भींचर)

जिनकी छत, वगैरह टूटकर अन्दर गिर चुकी हैं। इसलिए वे जी एल आर जो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, उनके स्थान पर नये जी एल आर बनाये जाएं।

मैं माननीय मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहूंगा कि आप स्वयं मकराना पधारी थीं, आपने सारी स्थिति को देखा है, तो आप मकराना, बोरावड़, दोनों के लिए और जो एस आर, टंकी, सी डब्ल्यू आर, आदि की जो भी मैंने बात की है, निवेदन किया है, उन पर आप गौर फरमायेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप इनकी स्वीकृति अविलम्ब करायेंगे। कुछ स्कीमें यहां विभाग के अन्दर मुख्य अभियंता कार्यालय में आ चुकी हैं, जिनके लिए हालांकि मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया था और आपने चीफ इंजीनियर को फोन भी किया था, लेकिन बात यह है कि उस पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इसलिए आप अविलम्ब गौर फरमाकर स्वीकृति दिलावें, ताकि क्षेत्र की जनता को पानी मिल सके।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जो समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्षः श्री रामचन्द्र। श्री अशोक डोगरा।

श्री रामचन्द्र (डग): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समय सीमा की परिधि है और मैं मेरी बात उसी में कहना चाहूंगा।

जल ही जीवन है, जल है तो कल है, और बाबूसिंह जी ने कहा भी था। हमारे जीवन के सारे संस्कारों में जब प्रणव के तेज पुंज से ध्वनि हुई थी, तो सबसे पहले जल ही नजर आया था और सारे ही 16 संस्कारों में जल का बड़ा प्रभाव है। इस प्रकार से शरीर की रचना और पांच जो तत्व हैं उनमें भी जल का अपना महत्व है। जीवन में पानी की बूंद, कब मिट जाये रे! और यह पूरा जीवन, पूरी इस प्रकृति का संचार जो है, सृष्टि की जो रचना है, वह जल के माध्यम से ही है।

राजस्थान 3 लाख 42 हजार वर्ग किलोमीटर के परिक्षेत्र में है और 1.16 प्रतिशत बारिश का हिस्सा राजस्थान के हिस्से में आता है। चूंकि पहले भी जब हमारे राजा-महाराजाओं का जमाना हुआ करता था, तो प्रजा के संवर्द्धन के लिए उस समय भी कुएं, बावड़ियां, तालाब, ये सब बनाये जाते थे। कालांतर में यह परिपाटी बदली, सरकारें आईं और राजस्थान का एक सौभाग्य मानता हूं कि माननीया यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने अपनी दूरदृष्टि से और राजस्थान में दूरगामी परिणाम आये, इसके लिए बड़ी महती योजना और एक अभियान के माध्यम से पूरे राजस्थान में उसको चलाने का प्रयास किया।

(श्री रामचन्द्र)

सबसे पहले मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी को परवन वृहत् सिंचाई परियोजना के लिए धन्यवाद और शुभकामना देना चाहता हूं कि तीन डिस्ट्रिक्ट की यह बहुत बड़ी महती योजना है जिसमें 4,824 करोड़ का प्रावधान किया है और 700 करोड़ रुपये की इसमें वितीय स्वीकृति प्रदान की है। यह कोटा, बारां, झालावाड़, इन सब जिलों के लिए वरदान साबित होगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान और पूरे देश में हमारे सांस्कृतिक अधिष्ठाता और भारतीय जनता पार्टी के नियामक पंडित दीनदयाल उपाध्यायजी ने भी अदैवमातृका कृषि के बारे में बताया है। जिस प्रकार से हर हाथ को काम, हर खेत को पानी मिलना चाहिए और यहां की पूरे भारत की जो परिस्थितियां थीं, वे कृषि प्रधान थीं। गांवों में लोग रहते थे। इसी प्रकार से माननीया मुख्य मंत्रीजी ने भी पूरे प्रदेश के अन्दर इस मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के तहत, एक जन भागीदारी के साथ लोगों से अपनापन डालकर, एक भाव प्रकट करके, पूरे प्रदेश में जल क्रांति का उद्‌गार रखा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीया मुख्य मंत्रीजी की भूरि-भूरि प्रशंसा करना चाहता हूं क्योंकि मेरे विधान सभा क्षेत्र, जिसके अन्दर पीपलाद, रेवा, राजगढ़, माधवी, भीमनी और गागरिन प्रोजेक्ट, जो पिछली 2003-2008 की सरकार में हुए थे, उनमें दो परियोजनाएं ऐसी थीं जिन परियोजनाओं को लम्बित रखा गया और पुन: अभी सरकार आने के बाद उनको चलाया गया।

माननीया मुख्य मंत्रीजी जब सांसद थीं, तो चौमहला क्षेत्र के अन्दर वहां शिप्रा, कालीसिंध, चम्बल और आहू, ऐसी नदियां हैं जिन नदियों के अन्दर, वह क्षेत्र पूरा डार्क जोन है, खेती हो नहीं सकती, जबकि वहां असंख्य नदियां हैं और उनकी सहायक नदियां भी बहुत हैं। वहां पर लोगों के पास कोई काम नहीं होता था। आपने सद्‌ गुरु फाउंडेशन के माध्यम से वहां लिफ्ट इर्रिगेशन का बहुत बड़ा कार्य दिया। आज वहां किसान बहुत खुश हैं।

फोरवाटर कंसेप्ट में आज राजस्थान के लिए डग विधान सभा क्षेत्र एक अनुकरणीय उदाहरण लेकर प्रस्तुत हुआ है। राजस्थान भर के करीब 28 जिला कलेक्टर्स सरोद और हरणावदा फोरवाटर कंसेप्ट में सारे के सारे काम देखने गये। इस प्रकार से 13 फोरवाटर कंसेप्ट में जो एम आई टी बनी है, वह बनकर तैयार है और उसमें पानी का संचय भी अच्छा है। मैं माननीय मंत्री

(श्री रामचन्द्र)

महोदय से इस बारे में एक निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर जो उसकी वेस्ट वीयर है, वह बहुत छोटी है। अगर उस वेस्ट वीयर को थोड़ा ऊपर कर दिया जाये, तो वहां पानी का अच्छा रुकाव हो सकता है।

एक विशेष विधान सभा क्षेत्र के लिए जो प्रोब्लम है, गांधीसागर कैचमेंट, माननीय मंत्री महोदय ने उसके लिए मौन स्वीकृति दी, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं, लेकिन इंटर-स्टेट मामला होने के नाते गांधीसागर की डाउनस्ट्रीम में जो गंगधार तहसील के गांव हैं, उनमें कोई निर्माण कार्य नहीं हो सकता है, बांध-एनिकट नहीं बनाये जा सकते हैं।

माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश क्षेत्र के अन्दर एक अभिनव नवाचार किया गया है। वहां पर किसानों की जमीन को किराये पर लेकर, वहां भूमिगत नहरें बनाई जा रही हैं, जिससे जल का अपव्यय भी रुकता है और अन्दर ही अन्दर जहां पानी देना चाहते हैं किसानों को, वहां उस जल का प्लावन करके, ठेठ अन्दर ही अन्दर उसको पहुंचाकर, किसानों के खेत को किराये पर लेकर उस जमीन को भी ढक दिया जाता है और उसमें फिर फसल होने लगती है और जल अपने मार्ग से पहुंचकर सिंचित क्षेत्र में चला जाता है। मैं राजस्थान के लिए भी निवेदन करना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय से कि वे इस प्रकार की कोई योजना यहां पर भी लागू करें।

माननीय मंत्री महोदय, आपको मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। एक बार माननीय मंत्री महोदया पीपलाद नदी की नहर का निरीक्षण करने आई थीं। ये बहुत कम बोलते हैं और एक प्रकार से अपने कार्य को, जिस तरीके से, लगन से करते हैं। मुझे याद है वह दिन, गर्मी के दिन थे, एक नहर का निरीक्षण किया। माननीय मंत्री महोदया 6 किलोमीटर से 7 किलोमीटर पैदल चले और इस प्रकार की खाइयां थीं उसमें और ऐसे पुल थे कि उसमें नीचे उतर-उतरकर उनको देखा और इन्होंने पाया कि पिछली सरकार में जो काम हुआ था, वह इतना खराब हुआ था। आपने पुनः उसको बनवाकर, जो आपने आदेश किये, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्थिति यह है कि पानी का अपव्यय है, वह चाहे छोटे-छोटे नल से हो, चाहे पानी का बहाव, कैसे भी हो, अगर विभाग, जैसे नलों के माध्यम से पानी आ रहा है, उसमें वेल्डिंग करके रखें। घर पर

(श्री रामचन्द्र)

एक-एक बूंद पानी की टपक रही है। इस प्रकार से पुराने संसाधनों से पानी को बचाने के तरीके थे, वे सारे तरीके बंद हो गये और पूरी भूमि को घर-घर में और सब जगह खोदकर, वह सीना चीरकर पूरी जमीन का पानी निकाल रहे हैं।

मेरा एक निवेदन है कि पानी के अपव्यय पर रोक हो और जहां-जहां ये बड़े बांध बनें, उन पर एम ओ यू हो, ताकि आगे किसान जब कभी भी पेयजल के लिए या सिंचाई के लिए काम में ले, तो इनके कभी तकलीफ न आये, वह लड़ाई न करें।

आपने मुझे समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री तरुण राय कागा।

(अनुपस्थित)

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित। (व्यवधान)

श्री धनसिंह रावत। After Dhan Singh Rawat, now.

श्री धनसिंह रावत (बांसवाड़ा): धन्यवाद, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। आपने मुझे मांग संख्या 27 और 46 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

मैं माननीया पी एच ई डी मंत्री को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि बांसवाड़ा के अन्दर दो पेयजल वृहत् परियोजनाएं चल रही हैं, बांसवाड़ा-प्रतापगढ़ वृहत् पेयजल योजना और बांसवाड़ा-बागीदौरा पेयजल योजना, जिसमें बांसवाड़ा-प्रतापगढ़ पेयजल योजना 530 करोड़ रुपये की योजना है और इसको मार्च, 2017 में पूरा होना है। इसमें 232 गांव बांसवाड़ा विधान सभा क्षेत्र के हैं, 102 गांव घाटोल विधान सभा क्षेत्र के हैं; कुल 334 गांवों को इस योजना का फायदा मिलेगा। इसके साथ ही सेकण्ड जो योजना है, वह 140 करोड़ रुपये की योजना है और 82 गांवों को इस योजना का लाभ मिलेगा, जिनमें 22 गांव बांसवाड़ा विधान सभा क्षेत्र के हैं, 24 गांव गढ़ी विधान सभा क्षेत्र के हैं, 36 गांव बागीदौरा विधान सभा क्षेत्र के हैं। ये योजनाएं धीरे-धीरे चल रही थीं। पी एच ई डी मंत्रीजी का दौरा हुआ और उसके बाद इन योजनाओं ने गति पकड़ी है। मैं चाहूंगा कि इन योजनाओं की मॉनिटरिंग होती रहे और निश्चित समय पर ये योजनाएं पूरी हों, यह मैं माननीय मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहता हूं।

(श्री धनसिंह रावत)

साथ ही, सभी गांवों में कैटल वाटर टब बनने हैं। वह भी माननीय मंत्री महोदया ध्यान रखकर, प्रयास करके, सभी गांवों में बनवायें, जिससे वहां की जनता को, वहां के पशुओं को, जीव-जंतुओं को लाभ मिले।

मैं दूसरी बात यह भी कहना चाहता हूं कि पेयजल योजनाएं स्वीकृत की जा रही हैं, टी एस पी इलाके में विशेषकर, जो आपने जनसंख्या का मानदण्ड रखा है, वह मैं चाहता हूं, उसके अन्दर कानून में शिथिलता बरती जाये। जिस प्रकार पी एम जी एस वाई योजना के अन्दर 500-250 की आबादी तक रोड पहुंचाने की योजना थी, उसी प्रकार ट्राइबल क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में, जहां गांव, मजरों और ढाणियों में लोग रहते हैं, वहां पर यह क्राइटेरिया कम किया जाये, ताकि सोलर ऊर्जा का हो, वाटर पंप टैंक योजना का हो, उनका लाभ आदिवासी इलाकों को मिल सके। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहता हूं कि उसमें लीनीएंसी बरती जाये।

साथ ही, मेरे बांसवाड़ा जिले में जितने भी हैण्डपम्प, जो बंद पड़े हैं, उनको चालू किया जाये और चालू करने का एक अभियान चलाया जाये, क्योंकि पानी की बहुत समस्या है। इसलिए एक अभियान चलाकर, बंद पड़े हैण्डपम्प एवं बंद पड़ी पेयजल योजनाओं को शीघ्र चालू किया जाये।

मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि इस क्षेत्र में आपने जो हमको हैण्डपम्प दिये थे, वे सभी हैण्डपम्प खुद गये हैं। और भी मेरे विधान सभा क्षेत्र में नये हैण्डपम्प की आवश्यकता है। तो मेरी मांग है कि आप आवश्यकतानुसार हैण्डपम्प स्वीकृत करें और जनता को इसका लाभ मिलेगा।

आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुए, मैं मांग संख्या 46 पर बात करना चाहता हूं। माननीय सिंचाई मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि लम्बे समय से एक मांग थी कि बांसवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में चार लिफ्ट स्कीम बननी चाहिए। मैं माननीय मंत्री महोदय का इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्षजी, आपके माध्यम से कि बांसवाड़ा जिले में माही बांध बना हुआ है। माही बांध बांसवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में है और उस माही बांध का लाभ बांसवाड़ा की 75 प्रतिशत जनता को नहीं मिलता है। बांसवाड़ा विधान सभा क्षेत्र के गांव डूब में गये, वहां के परिवार उजड़े, वहां के लोग बरबाद हो गये। इसके बाद भी बांसवाड़ा विधान सभा क्षेत्र के लोगों को माही का लाभ नहीं मिल रहा है। तो मैं मांग करना चाहता हूं, आपसे निवेदन

(श्री धनसिंह रावत)

(22.00 बजे)

करना चाहता हूं, जिस विधान सभा क्षेत्र के लोगों की जमीन डूब में गई, जिनका परिवार उजड़ गया, उस विधान सभा के लोगों को, जो 75 परसेंट लोग बचे हैं, उनको लिफ्ट स्कीम के माध्यम से आप सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराएंगे, यह मैं उम्मीद करता हूं।

आपको और माननीया मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने आभापुरा लिफ्ट परियोजना स्वीकृत की है। इसके लिए आपका आभार और मैं उम्मीद करता हूं कि इसके बाद काकनजेजा, दानपुर, आभापुरा की गतकराड़ के अन्दर दुबारा लिफ्ट स्कीम स्वीकृत करके आप वहां की जनता को लाभ पहुंचाएंगे।

इसके साथ ही मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो माही की नहरें बनी हुई हैं, ये बहुत पुरानी व जर्जर अवस्था में हैं। घाटोल से आने वाले माननीय सदस्य ने भी इसका जिक्र किया और मैं भी निवेदन करना चाहता हूं कि मेन कैनाल का टूटने का डर है, और आनंदपुर के अन्दर कैनाल टूट भी चुकी है। अखबारों में आये दिन आता रहता है। अगर मेन कैनाल टूटती है, तो पूरे के पूरे गांव जलमग्न होने की स्थिति में हैं, गांवों में बाढ़ आ जाएगी, किसान तबाह हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं, नहरों का सुदृढ़ीकरण किया जाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये 25 से 30 साल पुरानी नहरें बनी हुई हैं। मेरा आपसे निवेदन है, इन नहरों के सुदृढ़ीकरण के लिए आप पर्याप्त मात्रा में बांसवाड़ा जिले को बजट आबंटन करें, जिससे माही के अन्दर जो नहरी तंत्र पुराना है उसको सुदृढ़ किया जा सके, उसको ठीक किया जा सके।

इसके साथ ही, माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस नहरी तंत्र को, इस सिंचाई विभाग को संचालित करने के लिए जितना हमारे पास स्टाफ चाहिए, वह स्टाफ पर्याप्त मात्रा में नहीं है। जो स्टाफ स्वीकृत है, उसमें से मात्र पचास परसेंट स्टाफ हमारे पास है और विशेषकर के तकनीकी स्टाफ, जिसमें कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता, पटवारी, लेखाकर्मी, इनके पद रिक्त हैं। मैं आपसे बड़े विनम्र शब्दों में प्रार्थना करता हूं कि माही विभाग का जो स्टाफ अधूरा है, उनके पदों को भरा जाए।

इसके साथ यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि एडिशनल चीफ इंजीनियर का पद जो उदयपुर में है, उसको बांसवाड़ा में स्थानान्तरित किया जाए, ताकि बांसवाड़ा जिले के लिए माही एक वरदान है, माही डैम बांसवाड़ा की जीवनरेखा है, उसका लाभ वहां की जनता को मिल सके।

(श्री धनसिंह रावत)

इसी के साथ मैं माननीय जल संसाधन मंत्रीजी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि फोर-वाटर स्कीम के तहत बहुत ज्यादा एनिकट बांसवाड़ा विधान सभा क्षेत्र को मिले हैं, तालाब मिले हैं। मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। इस स्कीम के माध्यम से इस इलाके के लोगों को फायदा होगा।

मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि पी एच ई डी मंत्रीजी ने बांसवाड़ा का दौरा किया, हमारे उस काम को गति मिली। उसी प्रकार मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि विधान सभा सत्र के बाद आप बांसवाड़ा पधारें और माही की नहरों का, माही के तंत्र का अवलोकन करें। इसके साथ ही फोर-वाटर कॉन्सेप्ट के तहत जो एनिकट बनाये जा रहे हैं, जो तालाब बनाये जा रहे हैं, उसके लिए मैं आपको निमंत्रण देता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया बोलने का, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री अर्जुन जीनगर।

(अनुपस्थित)

श्रीमती राजकुमारी।

(अनुपस्थित)

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खाली दो-चार बिन्दु ही मैं मेरे रख लेता हूं।

मेरे जालौर जिले और जालौर जिले के विशेषकर आहौर और जालौर विधान सभा क्षेत्र, मतलब, वहां का लगभग 60-70 परसेंट एरिया या तो फ्लोराइड़ ग्रस्त हैं, या खारा पानी है। बड़ी कृपा करके 2004 में वसुंधरा जी ने नर्मदा से पानी लाकर जालौर जिले को पानी देने की योजना बनाई और उसके तहत 2006 में आई वी आर सी एल की ओर से 310 करोड़ की योजना 2006-07 में बनी। उसमें रॉ वाटर और क्लीयर वाटर, जो डिग्गी बनाने का है, आज दिन तक वह काम अधूरा है।

उसके तहत फिर इस बजट को आगे बढ़ाकर, पिछली बार बजट में घोषणा करके फंड भी रिलीज किया। उम्मेदाबाग, भागोड़ा, भैंसवाड़ा में पानी पहुंचाना है; पाइप टैस्टिंग के तहत पानी तो पहुंचा दिया है।

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

माननीय मंत्री महोदया, मेरा आपसे खाली इतना ही निवेदन है कि यह जो क्लस्टर योजना है, यह सारा कुछ होता रहेगा, लेकिन यह जो पानी पहुंचा है, इसके तहत पी एच ई डी सिस्टम से कम से कम, जो पानी नर्मदा का 2007 में आ चुका है और उसके बाद पिछली सरकार ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया, अब कम से कम हम कोई इसमें ऐसी व्यवस्था करें। अभी तक इसमें 18 महीने का समय दिया हुआ था और यह 2013 तक पानी आ जाना चाहिए था, आज 2016 हो गया है, अब भी पानी ...। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र आहौर के 157 गांवों में यह नर्मदा का पानी पीने का आप कब तक दे पाएंगे? कम से कम इसका समय तय कीजिए।

इसके साथ ही इसमें जो दो-तीन कमियां हैं, वह मैं बताना चाहूंगा। आज उस नर्मदा प्रोजेक्ट में 25 ए ईएन हमको लगाने थे और उसकी जगह 3 ए ईएन काम कर रहे हैं। आपका सिस्टम कैसे चलेगा?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदया से इतना निवेदन है मेरा कि यह नर्मदा योजना एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण पेयजल योजना है, काफी काम हो चुका है; अब बाकी बचे हुए काम के लिए या तो आप यहां से प्रदेश लेवल से हर महीने एक अधिकारी को भेजो, जिससे वहां पर एक मॉनिटरिंग हो सके। यह मॉनिटरिंग सिस्टम बराबर नहीं हुआ, तो एक कंपनी दूसरी कंपनी के भरोसे रहेगी और दूसरी कंपनी पहली कंपनी के भरोसे रहेगी और यह पानी अधरझूल में रह जाएगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने ट्यूबवेल, हैंडपम्प, आर ओ जो भेजे हैं, वे तो आपने स्वीकृत किये हैं और इसके साथ ही एक निवेदन और है। ये जो जे ईएन के नीचे के जो पद हैं, लाइनमैन, फिटरमैन, वगैरह, इनकी पोस्टिंग आप नहीं कर पाओ, तब तक आप इनको संविदा पर करें। आज एक खड्डा खोदने जे ईएन तो आपका जाएगा नहीं और यह काम फिर नीचे हो नहीं पाता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से, सिंचाई मंत्री महोदय यहां पर विराजे हैं, मेरे यहां पर एक सुमेरपुर जवाई बांध, जो पश्चिम राजस्थान का जीवंत बांध है, और यह जवाई नदी जो जालौर जिले को छूती हुई निकलती है, लगभग 300 किलोमीटर लम्बी है, आज यह जवाई नदी डार्क जोन में हो गई है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से यही

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

निवेदन है मेरा कि आज मेरे इस जवाई बांध से 22 गांव सिंचित होते हैं। उन 22 गांवों में एक समस्या, माननीय मंत्री महोदय, आपके माध्यम से सुधरी थी और उसकी आस लगी थी, लेकिन वह आस पूरी नहीं हो पाई है। सेटलमेंट के समय छोटे-छोटे जो काश्तकार थे, उनमें अधिकारियों की गलती से उनको 'नहरी' से 'चाही' कर दिया था। आपकी सारी औपचारिकताएं पूरी करते समय, पिछली दफा हमारी जब सरकार थी 2008 में, उनकी भूल सुधार का आदेश दिया था, पिछली सरकार उसको नहीं कर पाई और अब आपने आदेश फरमाया है। 136 में सारे दावे प्रकरण आ चुके हैं। लगभग-लगभग पांच सौ किसान हैं और ये पांच सौ से सात सौ किसान सारे किसान लघु काश्तकार हैं। मंत्री महोदय, एक निर्णय आप जरूर यह करें, आपके माध्यम से यह हो जाए कि यह सेटलमेंट से जो भूल हुई है, उसका सुधार अधिकारी लेवल पर 136 के दावे के साथ आपके अधिकारियों ने ओके कर दिया है। सारी फाइल आपके पास हैं, आपकी इजाजत दें कि इन 'चाही' के किसानों को वापस 'नहरी' कर दें। पांच सौ परिवारों की रोजी-रोटी का सवाल है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनको पानी तो दो नम्बर से जाता है; इनके खेतों के अन्दर से नहर जा रही है लेकिन इनको बिलकुल 'नहरी' से बाहर किया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने जवाई बांध पुनर्भरण की जो बात बिलकुल धरा पटल पर लाई है, इसके साथ में जो साबरमती बेसिन से आप लेना चाहते हैं, लेकिन सेई की टनल को जब ब्रॉड करेंगे तो उसमें पानी डबल जाएगा और इससे जवाई बांध को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। मेरा जहां तक ख्याल है इसकी भी डी पी आर बनाने के लिए आप आदेश करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक और निवेदन है कि मेरे 28 गांव, जवाई नदी से सूकड़ी नदी चलती है। किसी जमाने में उस नदी के डाईवर्जन को बंद कर दिया था, अब उस डाइवर्जन को वापस हमने 2007 में प्रारम्भ कर दिया है। उस डाइवर्जन को पक्का करने के लिए दो करोड़ रुपये की डी पी आर का आपके पास प्रोजेक्ट आ चुका है। मंत्री महोदय, उस 2 करोड़ के भरोसे, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन का भी एक हिस्सा है और मुख्य मंत्रीजी की एक बहुत अच्छी सोच है और उस सोच को आगे बढ़ाते हुए, आप 28 गांवों का भला करने के लिए सिर्फ 2 करोड़ दें, तो इससे मेरे इन गावों का बहुत बड़ा भला हो जाएगा।

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

एक आकोली लघु सिंचाई परियोजना, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़ा ही दुर्भाग्य है कि छोटी परियोजना, जिस पर कम से कम साढ़े पॉच सौ हेक्टेयर जमीन में सिंचाई मिलती सियाणा और आकोली गांव को, आपके अधिकारियों की कमी के कारण, क्वालिटी कंट्रोल वाले आये और उन्होंने कहा कि यह काम भी जोड़ना चाहिए था। अब वह एक्स्ट्रा काम हो गया, तो उन्होंने एक नोटिस दिया कि एक्स्ट्रा काम पहले क्यों नहीं किया? वह सुधार भी कर लिया और उन अधिकारियों को आपने चार्जशीट भी दे दी। अब वह सेक्शन सारा हो चुका है। उस आकोली बांध को आप प्रारम्भ कराइये। अगर यह पिछली बार चालू कर दिया होता, तो साढ़े पांच सौ हेक्टेयर जमीन सिंचित होती और उस पानी से सिंचाई होती, तो वो किसान खुश होते। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय बिलकुल संवेदनशील हैं, इस छोटी-सी बात को आप निश्चित रूप से लेंगे।

एक माही परियोजना, कितना दुर्भाग्य है राजस्थान के साथ कि इधर तो हरियाणा और राजस्थान के पानी की लड़ाई चल रही है और उधर गुजरात और मध्य प्रदेश; मतलब, तीनों ओर से राजस्थान के हक का पानी राजस्थान को नहीं मिल रहा है। पिछली सरकार, कांग्रेस सरकार ने साठ वर्षों में खाली बातें कीं। माननीय मंत्री महोदय, आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने बांध को प्रारम्भ किया है और पानी का जो राजस्थान का हक है, एक तरफ गुजरात में जा रहा है, एक तरफ मध्य प्रदेश से लड़ाई है और एक हरियाणा से लड़ाई है; अगर इन तीनों लड़ाइयों को आप जीत कर राजस्थान के हक का राजस्थान को पानी दिलायेंगे, तो निश्चित रूप से राजस्थान का बहुत बड़ा भला होगा। माननीय मंत्री महोदय, माही से पानी राजस्थान में जालौर, पाली, सिरोही को मिलना चाहिए था। नर्मदा का पानी गुजरात में आने के बाद, यह एक पैक्ट हुआ था, एक समझौता हुआ था 1966 में, इस पानी को भी जालौर को अगर दिलाया जाय, तो जालौर, सिरोही और बाड़मेर, ये तीनों जिले बहुत जीवंत हो जाएंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद दूंगा आपके माध्यम से मंत्री महोदय को कि आपने पानी की नहरों को, जहां-जहां नहरों से चोरी होती थी, आज पाली के अन्दर क्या है, मतलब, कहीं तालाब भर दिया; तालाब से सौ मीटर दूर पर ट्यूबवेल खोदते हैं और उसका कामर्शियल यूज करते हैं। तो कम से कम, या तो कामर्शियल यूज करते हैं तो उन पर कामर्शियल चार्ज करो

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

और उस पानी की चोरी को रोको। आपने बहुत-बड़ा काम किया है। मतलब, ठेठ पाकिस्तान बार्डर पर भी पानी की चोरी हो रही थी और उस नहर को पक्का करके निश्चित रूप से राजस्थान का बहुत बड़ा भला किया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, माननीय मंत्री महोदय, बस इतना ही कि मेरे ये छोटे-छोटे काश्तकार हैं, मैं पुनः इस बात को दोहराता हूं, जवाई वाला विषय; जवाई बांध को जीवित करने से कम से कम ये चार जिले राजस्थान के, पश्चिमी राजस्थान के, बहुत अच्छे जीवित हो जाएंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से एक बात निवेदन करूंगा कि जिन-जिन नेचुरल फ्लो पर बांध बने हैं और उनके कैचमेंट एरिया में आपने एनिकट बना दिये, अब उनमें पानी की आवक कम हो गयी। जिन-जिन बांधों के कैचमेंट एरिया में जो एनिकट बनाये हैं, जिनका कोई उपयोग नहीं है, कम से कम उनका तो सर्वे करके उनको या तो तोड़िये, या कुछ आगे उनका इलाज करिये। इसके साथ-साथ जिन नेचुरल फ्लो पर बांध बने हैं, उनमें इर्रिगेशन और पी एच ई डी का पानी देने के बाद, उस नदी में भी पानी छोड़ने की कोई व्यवस्था करिये, जिससे नदियां डार्क जोन नहीं होंगी। नदियों के किनारे गांव बसते हैं, उन गांवों का भी कल्याण होगा।

फिर से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि नदियों से नदियां जोड़ने का जो हमारा कार्यक्रम राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी ने हाथ में लिया है, वे देश के प्रधान मंत्रीजी के साथ मिलकर यह बहुत बड़ा राजस्थान पर उपकार करेंगी। जिस दिन नदियों से नदियां जुड़ जाएंगी, यहां राजस्थान में बिलकुल केसर उगेगी, केसर की क्यारियां होंगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री भजन लाल।

श्री भजन लाल (वैर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 27-पेयजल, मांग संख्या 46-सिंचाई पर मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र वैर ही नहीं, पूरे प्रदेश में पेयजल की बहुत गम्भीर समस्या है। सिंचाई के लिए पानी दूर की बात, पीने तक को पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। मेरे विधान सभा क्षेत्र वैर

(श्री भजन लाल)

में आये दिन पानी के लिए चक्का जाम, हड़ताल, जुलूस निकाले जा रहे हैं, परन्तु सरकार का इस दिशा में कोई कारगर कदम उठाने का तो मानस ही नहीं बना।

माननीय मंत्री महोदया से मैं निवेदन करूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि जो जनता जल योजना थी, वह जनता जल योजना बुरी तरह से प्रभावित है। कहीं पर वह सुचारु रूप से चल नहीं रही है। जनता जल योजना को दुरुस्त करने हेतु वर्ष 2015-16 में 139.55 करोड़ रुपये बजट का प्रावधान किया गया, परन्तु इस बजट में से 80 करोड़ रुपये ही खर्च हुए। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक भी जनता जल योजना को दुरुस्त नहीं किया गया। कई ऐसे उदाहरण हैं, मेरे विधान सभा क्षेत्र के गुरदा नदी में जनता जल योजना के जे एल आर बने पड़े हैं परन्तु चालू नहीं हैं। जसवर में हैं, छोंकरवाड़ा में हैं। (व्यवधान) कई योजनाएं ऐसी हैं जिन पर वहां अमल नहीं हो रहा है, परन्तु फिर इस बजट में इस योजना का बजट जहां 139.50 करोड़ था, वहां पर अब वह बजट घटा कर सौ करोड़ रुपये कर दिया गया है। उससे यह प्रगति है, या दुर्गति है? पिछले 139.5 करोड़ और अब सौ करोड़ रुपये है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र वैर में भूजल का स्तर दिन-प्रतिदिन नीचे जा रहा है। हैंडपंप वहां पर सक्सेसफुल नहीं हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदया से निवेदन करूंगा कि पिछले साल जो 1 हजार सौर ऊर्जा बोरवेल लगाने की बात कही थी, कुछ दिन तक तो वह पेपर में छपा, परन्तु जमीनी स्तर पर वहां पर एक भी सोलर पंप बोरवेल नहीं लगा। मुझे पता नहीं, वे कहां लगे, कैसे लगे; मेरे विधान सभा क्षेत्र में तो एक भी नहीं लगा। बस, खाली घोषणा ही है और इतना कह देता हूं कि जो सोलर बोरवेल के लिए प्रावधान पिछले बजट रखा था, इस बजट में कहीं पर भी उसका जिक्र नहीं किया गया है; सोलर पंप के लिए इस साल के बजट में कहीं कोई जिक्र नहीं है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र वैर में फ्लोराइड की मात्रा की समस्या बहुत है, जिससे आम व्यक्ति अर्थराइटिस से जूझ रहा है। अब बीमारी ने बच्चों, महिलाओं, सभी को चपेट में ले लिया है। आप गुणवत्ता की बात करते हैं, पिछले साल बजट में दो हजार आर ओ प्लांट्स लगाने की घोषणा की गयी थी, परन्तु कहीं पर एक भी आर ओ नहीं लगाया गया। आर ओ का बजट था,

(श्री भजन लाल)

जो पिछले साल में दो हजार आर ओ लगाने थे, इस साल के बजट में कहीं पर भी आर ओ लगाने का जिक्र नहीं है। कहां से गुणवत्ता आएगी?

माननीय मंत्री महोदया से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि कई गांव ऐसे हैं जहां पर फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा है, जैसे कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो अधिकारियों की रिपोर्ट है, जो सर्वे है, उसके अनुसार नसवारा, नयागांवमाफी, बेरी, खदराया, जहानपुर, मोलोनी, झालाटाला, आमोली, बजेराकलां, खोरा, महमदपुर, बवेकपुर, नंगला चरणदास, नंगला खरबेरा, नंगला भावना, महाराजपुरा, गोविन्दपुरा, नंगला खातीपुरा, बाई, हलेना, बेवर, नारोली, नवलपुरा, ऐसी लिस्ट बहुत लम्बी है, जिसको मैं लिखकर दे दूंगा। मैंने अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी, तो कई गांव तो ऐसे हैं जिनको पूरी तरह से उस रिपोर्ट में पेश ही नहीं किया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदया से निवेदन करूंगा कि यहां पर आर ओ प्लांट लगाकर यहां की जनता को, वैर विधान सभा की जनता को, आम जनता को, वहां पर आर ओ लगाकर शुद्ध जल पिलाने की कृपा करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से निवेदन करूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र वैर में जलस्तर, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वहां पर एक हजार फीट नीचे पानी है। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि चम्बल परियोजना से, जो चम्बल का पानी है, भरतपुर में फर्स्ट फेस में तो आ गया है, परन्तु हमारे वैर विधान सभा क्षेत्र और बयाना विधान सभा क्षेत्र को उसमें छोड़ दिया गया है, जबकि उसमें चार उपखण्ड हैं वैर, भुसावर, बयाना और रूपवास। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदया से करबद्ध निवेदन करूंगा कि इस योजना को चंबल के पानी से मेरे विधान सभा क्षेत्र को जोड़कर लाभान्वित करें। वहां पर चंबल के पानी के लिए लोग धरने पर बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं; पानी का हाहाकार मचा हुआ है। मुझे उम्मीद है कि इस योजना को लागू करके मेरे क्षेत्र के लोगों को लाभान्वित करेंगे।

माननीय मंत्री महोदया से निवेदन करता हूं कि भूजल नीचे चले जाने के कारण, वहां पर भूजल विशेषज्ञों द्वारा ट्यूबवेल लगाने का काम करें। वहां पर पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र में गांव ऊपर बसा हुआ होता है, पानी वहां होता

(श्री भजन लाल)

नहीं। इसलिए जहां समतल जमीन होती है, वहां पर पानी होता है। तो वहां भूजल विशेषज्ञों को लगाकर, वहां पर पानी की व्यवस्था को ठीक करके, वहां ट्यूबवेल लगायें और उच्च जलाशय टंकी बनाकर वहां पर पानी को सप्लाई करें, जिससे आम जनता को वहां पर लाभ पहुंचे। ऐसे बहुत सारे गांव हैं जो आपके मापदण्ड में आते हैं, जैसे गांव हैं, निठार, वल्लभगढ़, जहाज, सुवास, रायपुर, खैररा, लखनपुर तुहारी, हाथोड़ी, मोलोनी, सरसेना, खोरी, मुठाकर मनसुबरा। ऐसे कई गांव हैं। मंत्री महोदया, आपसे निवेदन करूंगा कि वहां पर उच्च जलाशय बनाकर वहां के लोगों को लाभान्वित करें।

सिंचाई के क्षेत्र में माननीय प्रधान मंत्रीजी ने बात की थी कि नदी से नदी को जोड़ा जायेगा, परन्तु वह केवल घोषणा ही हो गई, पूरे प्रदेश में एक भी नदी आज तक नहीं जुड़ी।

माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की जो भूमि है वह बहुत उपजाऊ भूमि है। उस भूमि में फल, सब्जी, गेहूं, सरसों का उत्पादन बहुत होता है और यहां तक कि अमरूद, नींबू, जिस नींबू और अमरूद का दिल्ली की मंडी तक नाम है, परन्तु दुर्दशा यह है कि भूजल स्तर नीचे चले जाने के कारण...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, बस एक मिनट। भूजल स्तर नीचे चले जाने के कारण वहां पर जो फसल है, वह पूरी तरह बरबाद हो रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि सिंचाई हेतु मेरे विधान सभा क्षेत्र को पांचना के बांध से जोड़ा जाये, ताकि वहां का जल स्तर ऊपर आये और आम किसान, आम जनता को उसका लाभ पहुंचे। इससे आपको वहां पर जल स्वावलंबन योजना की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक और छोटा-सा निवेदन है। मेरे विधान सभा क्षेत्र और बयाना विधान सभा क्षेत्र में एक्स ईएन (पी डब्ल्यू डी) है, एक्स ईएन (बिजली) है, परन्तु हमारे यहां एक्स ईएन (पी एच ई डी) का आफिस नहीं है। जबकि कामां विधान सभा क्षेत्र में अभी वहां एक्स ईएन का आफिस खोला गया है। इसलिए माननीय मंत्री महोदया से मैं निवेदन करूंगा कि हमारे यहां अधिशासी खण्ड खोलकर, बयाना और वैर चार तहसील हैं, चार तहसीलों के बीच में वहां पर एक पी एच ई डी का आफिस खोलकर वहां के लोगों को लाभान्वित करें।

(श्री भजन लाल)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदया से निवेदन करूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में मिस्त्री टाइप के जो कर्मचारी हैं उनके पद रिक्त चल रहे हैं, जिससे आम जनता के न तो हैंडपम्प ठीक हो पा रहे हैं, न ही वहां पर जो लाइनें हैं वे ठीक हो पा रही हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो नगरपालिकाएं हैं, उनकी पाइपलाइनें पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं। माननीय मंत्री महोदया से निवेदन करूंगा कि तुरन्त उन पाइपों को ठीक करायें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री राजेन्द्र गुर्जर।

श्री राजेन्द्र गुर्जर (देवली-उनियारा): उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 27 व मांग संख्या 46 पर मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में बीसलपुर बांध बंधा हुआ है। इसका पानी जयपुर, अजमेर, टोंक को पेयजल के लिए और टोंक जिले को सिंचाई के लिए मिलता है। इसकी नहर मेरे उनियारा में गलवा बांध है, वहां तक जाती हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी को बताना चाहता हूं कि अगर उस नहर को गलवा बांध में डलवा दिया जाये, तो जो बीसलपुर का ओवरफ्लो पानी है, जो बहता हुआ चंबल में चला जाता है, व्यर्थ जाता है, इसका सदुपयोग हो जाये और किसानों के उपयोग आ सके।

बीसलपुर बांध जब बना था तो 700 करोड़ रुपये इसकी लागत थी और इससे प्रति वर्ष हमारे किसानों को फसलों से जो लाभ मिलता है, 1,000 करोड़ की अतिरिक्त पैदावार होती है। गलवा बांध में डलने से माधोपुर तक, बरवाड़ा क्षेत्र के पावड़ेरा गांव तक गलवा नहर जाती है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि मंत्रीजी अगर उस नहर को बनवाकर, वहां से थोड़ा ही है, 4 करोड़ रुपये की लागत है; मैंने स्टेटमेंट मंगवाया था तो एक्स ईएन ने बताया कि 4 करोड़ की लागत है; तो 4 करोड़ की लागत से अगर वह बनता है तो हमारे किसानों को उसका काफी लाभ मिलेगा। हमारे बीसलपुर के कमांड क्षेत्र में निवारिया है, इधर बिलासपुर है, ककोड़ है, गोठड़ा है, जब नहर बनी थी, उस समय वे वंचित रह गये। अगर इनको भी जोड़ दिया जायें, नहरों को बना दिया जायें, तो वापस से उनको पानी पिलाने में आसानी होगी। वे लिफ्ट करके ले जाते हैं, उसमें उनका काफी खर्चा होता है।

(श्री राजेन्द्र गुर्जर)

हमारे बीसलपुर का पानी पेयजल के लिए, टोंक, देवली और उनियारा के लिए 15 अगस्त, 2015 तक तीनों शहरों को पानी पिलाना था। मैं माननीय मंत्री महोदया को अवगत कराना चाहता हूं कि वह पानी अभी तक नहीं मिल पाया है। फ्लोराइड से हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग कूबड़े हो गये हैं, काफी बीमार रहते हैं और असमय उनकी मृत्यु हो जाती है। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी को अवगत कराना चाहता हूं कि उसको जल्दी से जल्दी, ग्रामीण क्षेत्र में तो 15 अगस्त, 2015 को पिलाना था और शहरी क्षेत्र में 2016 के लास्ट तक सबको पानी पिलाना था, पर वह डिले हो गया। इसको जल्दी कराने की कृपा करें।

ग्रामीण क्षेत्रीय जल योजना, बघेरा, बड़ला, डाबरकलां, तहसील देवली, अधिशासी अभियंता पी एच ई डी, टोंक ने एस एल एस एस सी मीटिंग संख्या 13 दिनांक 3.9.2014 के द्वारा राशि रुपये 1527 लाख की ग्रामीण क्षेत्रीय जल योजना, बघेरा, बड़ला, डाबरकलां, तहसील देवली की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की थी। इस योजना से 8 ग्राम व 12 कॉलोनी, ढाणियों को लाभान्वित किया जाना था। स्वीकृति के अन्तर्गत श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य अभियंता, क्षेत्र अजमेर के कार्यादेश संख्या 11645-116651 दिनांक 9.9.2015 से राशि रुपये 1355.50 लाख का वर्क आर्डर जारी किया गया था, किन्तु आज दिनांक तक संवेदक द्वारा कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। संवेदक द्वारा दिनांक 19.9.2015 से कार्य प्रारम्भ किया जाकर दिनांक 18.12.2016 तक पूर्ण किया जाना है। संवेदक द्वारा लगभग छह माह की अवधि में तो केवल ड्राइंग, डिजाइन एवं एस बी सी रिपोर्ट ही प्रस्तुत की गई है तथा डिटेल्ड एस बी सी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने के कारण ड्राइंग, डिजाइन अनुमोदन की कार्यवाही नहीं की जा सकी है, जिसके लिए संवेदक को एक्स ईएन, पी एच ई डी, टोंक के द्वारा पत्रांक 4929 दिनांक 2.3.2016 द्वारा कार्य के सम्बन्ध में लिखा गया है। संवेदक द्वारा मैटेरियल सप्लाई के तहत क्यू ए पी प्रस्तुत की गयी थी, जिसमें आक्षेप पाये जाने पर एक्स ईएन, पी एच ई डी, टोंक के द्वारा ई-मेल दिनांक 9.2.2016 के जरिए संवेदक को अवगत कराया गया है। संवेदक को दिनांक 10.3.2016 तक राशि रुपये 304.50 लाख का कार्य किया जाना था, लेकिन संवेदक द्वारा कार्य नहीं किये जाने के कारण एक्स ईएन, पी एच ई डी, टोंक के पत्रांक 5054-57 दिनांक 11.3.2016 द्वारा प्रथम नोटिस स्टैंडिंग आर्डर जारी किया गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री

(श्री राजेन्द्र गुर्जर)

जी से आग्रह है कि तुरन्त इसके खिलाफ कार्यवाही करें और तुरन्त कार्य को प्रारम्भ करें।

इतनी ही बात कहकर, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिन्द। जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष: श्री मनोज कुमार।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 27 व मांग संख्या 46 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

आज इस मांग पर बोलने से पहले मैं हमारी पी.एच.ई.डी. मंत्री महोदया का बहुत-बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा, इन्होंने पिछले 7 अप्रैल, 2015 को इस सदन में मुझे कहा था कि हम जुलाई तक पानी पिला देंगे, लेकिन आप जुलाई में तो नहीं पिला पाए, एक वर्ष पूरा हो गया, हमारे राजगढ़ शहर में आपने पानी भेजने का काम कर दिया है। इसलिए आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं। लेकिन इस योजना की उसी तरीके से मॉनिटरिंग करके, बाकी 188 गांवों में भी पानी समय पर पहुंच जाए और लोगों को इस जल योजना का लाभ मिल जाए।

इसी के साथ ही साथ इसमें मैं माननीय मंत्री महोदया से कहना चाह रहा हूं कि मेरे राजगढ़ शहर में जो पुरानी लाइन है, उसको बीस से पच्चीस वर्ष हो गये और उस लाइन की गहराई दस से पंद्रह फीट नीचे है। पूरे शहर में सीमेंटेड रोड बनने के कारण, इसका अगर कोई लीकेज हो जाता है, उसको ठीक करने में बड़ी परेशानी होती है। माननीय मंत्री महोदया, आप इस पर पूरा ध्यान देकर, नया प्रोजेक्ट बनाकर, मेरे पूरे राजगढ़ शहर की लाइन को दुरुस्त करने के बाद, इस शहर को राजगढ़-बुंगी जलदाय परियोजना का लाभ पूर्णतः मिल पाएगा।

इसके साथ ही साथ आपने 7 अप्रैल, 2015 को एक प्रश्न के जवाब में मुझे वहां पर घर-घर कनेक्शन की मांग पर कहा था कि पचास प्रतिशत राशि अगर उपभोक्ता जमा करा देंगे, तो अपनी योजना का मूल उद्देश्य घर-घर कनेक्शन से जोड़ देंगे, और इसकी गाइडलाइंस बनाने के लिए भी आपने कहा था कि हम इसको जल्द से जल्द, आपकी मांग के अनुसार, गाइडलाइंस जारी कर देंगे; लेकिन मुझे लग रहा है कि 7 अप्रैल, 2015 से लेकर आज दिन तक

(श्री मनोज कुमार)

आपकी गाइडलाइंस नहीं बनीं। मेरी राजगढ़ तहसील के 188 गांवों में पी.एस.पी. की लाइन डाली जा चुकी हैं। अगर आपकी ये गाइडलाइंस नहीं बनेंगी, तो फिर घर-घर कनेक्शन किए जाने मुश्किल हो जाएंगे। इसलिए, माननीय मंत्री महोदया, इस पर भी आप मॉनिटरिंग करके घर-घर लाइन कनेक्शन जोड़ने का आप पचास प्रतिशत राशि उपभोक्ता से लेकर करने का प्रयास करें।

इसमें मैं यह कहना चाहता हूं कि बुंगी जलदाय परियोजना, जिसका मुख्य हैडवर्क्स हमारी राजगढ़ तहसील में जहां बन रहा है वह रकबा ग्राम न्यांगली का है और उसके ऊपर भूमि में नाम ग्राम रकबा झूंगली का गलती से लिखा गया। इसमें सुधार कर उस भूमि पर, जहां निर्माण हो रहा है, वह रकबा ग्राम न्यांगली का है। इसलिए उसमें संशोधन करके, उस योजना में उस स्थान का नाम संशोधित करके ग्राम न्यांगली लिखा जाए।

इसके साथ ही, सादुलपुर विधान सभा क्षेत्र में जितने भी गांव और बचे हैं, जहां-जहां भी अभी तक लाइन नहीं डली है, वहां पर आप तुरन्त इसको चालू करके राजगढ़ की जनता को लाभ देने का काम करें।

एक और कहना चाह रहा हूं कि एम.एल.ए. और एम.पी. लैड से सिंगल फेस के बोरिंग बनाने की अनुमति देने के बाद, आपके पी.एच.ई.डी. विभाग ग्राम पंचायत के सरपंच से लिखित में ले रहे हैं कि अगर आप बिजली का बिल भरोगे, तो हम इस सिंगल फेज बोरिंग का निर्माण करने का काम करेंगे। मैं माननीय मंत्री महोदया से कहना चाहता हूं कि इसमें सरपंच राजनीतिक द्वेषता के कारण स्वीकृति नहीं देते हैं। मैं कहना चाह रहा हूं कि जहां एम.एल.ए. और एम.पी. लैड से सिंगल फेज बोरिंग बनते हैं, उनका बिल भी पी.एच.ई.डी. विभाग भरे, जिससे इन सिंगल फेज के बोरिंगों का निर्माण हो सके। आम जनता को, जिनको एम.एल.ए. जन हित में अपने कोटे से पैसे देता है, उसकी योजना का लाभ जनता को मिलना चाहिए।

इसी के साथ माननीय सिंचाई मंत्री महोदय के सामने मैं दो बात और कहना चाहूंगा। माननीय सिंचाई मंत्री महोदय, हमारी सिद्धमुख नहर का लम्बे समय से, कम-से-कम बीस वर्ष से, हमारी राजगढ़ की जनता, चौदह-पंद्रह गांव हैं, जो इससे वंचित हैं। मैंने एक क्वेश्चन लगाया, उसमें आपने जवाब दिया कि राजगढ़ में 23 खालों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है, उनमें से 10

(श्री मनोज कुमार)

खालों का निर्माण कर दिया गया है, लेकिन शेष 12 खालों का निर्माण अभी तक नहीं कर पाये। मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाह रहा हूं कि यह 14 करोड़ की स्कीम आपने जवाब में बताई, लेकिन आपने कहा कि 2017-18 के बजट में इसको शामिल कर लेंगे, हमारी संभावना है। माननीय मंत्री महोदय, मैं कहना चाह रहा हूं कि 2017-18 से हमें कोई परहेज नहीं है, लेकिन लम्बे वर्षो से, 20 वर्षो से हमें उसका लाभ नहीं मिल पाया। कहीं 2017-18 से हम वंचित नहीं रह जाएं। आप 2017-18 में इस राजगढ़ के उन 15 गांवों में खालों का निर्माण, जो शेष है, उसके लिए बजट का प्रावधान करके राजगढ़ की जनता को, जो कि पिछले बीस साल से उसका इंतजार कर रही है, इसका लाभ देने का काम करें। इसमें मेरे विधान सभा क्षेत्र का 2,808.24 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित क्षेत्र है, उसमें यह पानी टेल तक नहीं पहुंच पाता है, टेल तक पानी पहुंचाने का काम करें।

इसके साथ ही साथ आपने कहा था कि सिद्धमुख वितरिका का पानी हम माह में एक बार आपकी राजगढ़ तहसील में सप्लाई करते हैं, लेकिन मैं, मंत्री महोदय, आपको अवगत करना चाहता हूं कि मेरे राजगढ़ तहसील के उन गांवों में आप पिछले एक-एक साल से पानी नहीं भेज रहे। मैं कहना चाह रहा हूं कि आप इसको रेग्यूलेटरी के अनुसार माह में एक बार जब भी पानी भेजा जाए, वहां तुरन्त भेजने का काम करें।

कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना, जिसमें मेरी राजगढ़ तहसील के 37 गांव शामिल हैं, उसका रकबा घटाकर, आपने कमांड एरिया को घटाकर, जो कि 2.40 लाख हेक्टेयर था, उसको घटाकर आप लोगों ने एक लाख दो हजार छह सौ-कुछ कर दिया। मैं कहना चाहता हूं, माननीय मंत्री महोदय, हमारे राजगढ़ की जनता को और वहां के तारागढ़ और राजगढ़, दोनों तहसीलों के गांव को वापस उसमें शामिल करते हुए, उसका जो कमांड एरिया 2.39 लाख हेक्टेयर था उसको वापस किया जाए। जनता के वहां आंदोलन होते रहते हैं। आप इस काम को करके हमारी उन दोनों तहसीलों को लाभ देने का काम करें।

इसी के साथ-साथ, माननीय मंत्री महोदय, अभी तक चकबंदी की जो बात आ रही थी, चकबंदी में आपने उपनिवेशन तो भादरा में कर दिया, लेकिन उनके पास पटवारी और गिरदावर की पोस्ट आज भी खाली हैं, जिसके कारण वहां का कार्य सुचारु रूप से नहीं हो पा रहा है। इसलिए, माननीय मंत्री

(श्री मनोज कुमार)

महोदय, आपसे निवेदन कर रहा हूं कि वहां पटवारी और गिरदावर की पोस्ट पूरी करके हमारी चकबंदी कराई जाए, जिससे हमारी उस तहसील के सभी लोगों को लाभ मिल सके।

आप लोगों ने आज मुझे बोलने का मौका दिया, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका आभार प्रकट करते हुए और पी.एच.ई.डी. मंत्री महोदया का दुबारा आभार प्रकट करते हुए, कि आपने मेरे राजगढ़ को पानी पिलाया, और हमारी आगे की जो योजना है उसकी मॉनिटरिंग करके जल्द से जल्द राजगढ़ को पानी पिला दें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री मेवाराम।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 27 और 46 पर चर्चा हो रही है; 'जल ही जीवन है' और 'जल है तो कल है', ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है, और ऐसा महत्वपूर्ण विभाग, कि हर किसी को यह प्रभावित करता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि पानी के अन्दर राजनीति नहीं हो। पानी सबके लिए चाहिए, चाहे कांग्रेस हो, बी जे पी हो, मनुष्य हो, पशु हो, और इसके लिए किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए।

मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि मेरे से पूर्व भी कई वक्ताओं ने कई बातें कहीं और मैं माननीय पी.एच.ई.डी. मंत्री महोदया से व्यक्तिगत भी मिला और पांच दिन पहले मिला। तब मुझे कहा कि आपकी क्या समस्याएं हैं, बताओ और कम-से-कम आप धन्यवाद तो देना। मैंने कहा, आपको बिलकुल धन्यवाद देंगे; कोई काम करके तो बताओ। मैंने इनसे निवेदन किया कि एक हैंडपम्प आज तक दिया हो, तो बता दो। आप बाड़मेर पधारीं, वहां मीटिंग ली, एक छह किलोमीटर की पाइपलाइन की आपने खुद ने घोषणा की कि मैं दो दिन में सैंक्शन दे दूंगी। मैंने कहा, तो भी हम धन्यवाद देंगे। एक साल हो गया आपको घोषणा किए हुए और आज भी वह पाइपलाइन स्वीकृत कर दोगे, तो भी हम धन्यवाद देंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। काम करोगे, तो धन्यवाद देंगे।

मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमारे बाड़मेर, जहां तेल लिग्नाइट, गैस के भंडार हैं और उसमें कितनी रॉयल्टी हम दे रहे हैं, पर पानी के लिए तरस रहे हैं। एक तरह मोहनगढ़ लिफ्ट कैनाल का पानी बाड़मेर तक पहुंचा और गांवों में पहुंच रहा है; उसकी योजनाएं बन गईं, योजनाएं स्वीकृत हो गईं, टेंडर हो

(श्री मेवाराम जैन)

चुके और पाइप सड़कों पर आए हुए भी पड़े हैं; अब उन दो योजनाओं में ढाई साल के अन्दर मेरे ख्याल से 10 परसेंट काम नहीं हुआ और पाइप रोड पर आए हुए पड़े हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि मोहनगढ़, बाड़मेर योजना 'अ' और 'ब', जिनका आपने प्रतिभा कंस्ट्रक्शन कंपनी को ठेका दे रखा है, शायद कंपनी काम नहीं कर रही है, या क्या कारण हैं, आप इसको गति देकर पानी की समस्या का समाधान करें। जो दूसरा भाग 'स' है, जिसमें करीब 286 गांव लाभान्वित हो गये और ढाई साल पहले स्वीकृत हो चुकी, उसके टेंडर लगे थे, पर ढाई साल में आज तक वे टेंडर फाइनल नहीं हुए। शायद चार बार टेंडर लगे, पर आज तक फाइनल नहीं हुए। उपाध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि उसको भी जल्दी फाइनल करें, ताकि उसमें बाड़मेर, शिव, बायतू के 286 गांव हैं, उनको लाभ मिल सके।

एक तरफ पानी के लिए तरस रहे हैं, दूसरी तरफ बाड़मेर शहर के अन्दर मोहनगढ़ लिफ्ट कैनाल का पानी आया है, वह व्यर्थ रोड पर बह रहा है। इसका एक ही कारण है, सुपरविजन। मैं दो-ढाई साल से मंत्री महोदय से भी निवेदन कर चुका कि बाड़मेर सिटी में एक ए ईएन ढंग का लगाएं, ताकि पानी रोड पर नहीं बहे। पानी व्यर्थ बह रहा है। पाइपलाइन टूटी हुई है, लीकेज है, इसकी वजह से पानी का वेस्टेज हो रहा है। एक तरफ हम जल स्वावलम्बन की बात कर रहे हैं कि जल बचाओ, और उधर जल वेस्टेज हो रहा है। जल स्तर इतना बढ़ गया है कि बाड़मेर में डेढ़-दो फीट नीचे पानी है; अंडरग्राउंड सारे पानी से भर चुके हैं। यह लापरवाही ही रही कि ए ईएन नहीं बदला। एम एल ए का फोन भी नहीं उठाये, तो जनता उससे क्या आस रखेगी? दिन और रात शराब के नशे में चूर रहता है। उस ए ईएन को मैंने बदलने के लिए कहा, पर आज तक वह नहीं बदला गया है। आज बाड़मेर शहर के हालात ऐसे हुए कि वाटर लेवल ऊंचा आ गया; पानी का वेस्टेज हुआ, वह अलग। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि आप किसी को भी लगाओ, बाड़मेर सिटी में सवा लाख की पापुलेशन है, एक अच्छे ए ईएन को लगाओ, ताकि लोगों की समस्या का समाधान हो। एक जगह पानी नहीं पहुंच रहा। एक जगह पानी वेस्टेज हो रहा है, वह रुके।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो हैण्डपम्प हैं, ठीक करने की बात कही। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम हजार बारह सौ हैण्डपम्प

(श्री मेवाराम जैन)

हमारे विधान सभा क्षेत्र में हैं। जो हैण्डपम्प हैं, उनकी वजह से ये गांव वाले पानी पी रहे हैं। अगर हैण्डपम्प नहीं होते, तो उनकी हालत क्या हो?

सारी स्कीम करीब-करीब ठप-सी पड़ी हैं। हौदियां सौ से ज्यादा टूटी हुई हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से कहना चाहूंगा कि टूटी हौदियां, जहां छत नहीं; अन्दर झांककर देखें, तो पानी नहीं पी सकते; नीचे से पानी व्यर्थ बह रहा है। कम से कम उन हौदियों की आप रिपेयर करवाएं, इनको प्राथमिकता से आप ठीक करवाएं।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ग्राम पंचायतों ने पाइपलाइन दी, जलदाय विभाग ने उसकी एन ओ सी दी। पाइपलाइनें लगे दो-दो, तीन-तीन वर्ष हुए, लोग पानी पी रहे हैं, उसका कनेक्शन अब पी एच ई डी विभाग के अधिकारी काट रहे हैं। सरकारी पैसे, पंचायतों ने पाइपलाइन लगाई, एन ओ सी दी, पाइप लग गये, लोग पानी पी रहे हैं और उनके कनेक्शन काटे जा रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो एन ओ सी दी है, ग्राम पंचायतों ने अपने धन का सदुपयोग करके पाइपलाइनें लगाई हैं, वे कनेक्शन नहीं काटें, उसको चालू रखें। अवैध कनेक्शन हैं, वे भले ही काटें। अवैध कनेक्शनों में भी यह हो रहा है कि गरीबों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। पानी पी रहे हैं, तो उनके खिलाफ एफ आई आर दर्ज हो रही है और उनको जेल में डाला जा रहा है। पानी नहीं पिएंगे तो क्या पिएंगे?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह से यह राजनीति हो रही है, वह नहीं हो। आज एम एल ए फंड से पाइपलाइन दें, हैण्डपम्प दें, टयूबवेल दें, तो सीधा ही एम एल ए फंड से हो, चाहे पंचायत समिति हो, जिला परिषद से हो, एन ओ सी मांगने पर जवाब आता है कि फीजिबल नहीं है। आपके यहां कोई सैंक्शन नहीं कर रहे हैं। हम पैसा देना चाह रहे हैं, तो उसमें सीधा ही आ जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदया को मैंने कल ही एक लैटर बताया, पहले मांगा कि एक लाख रुपये पाइपलाइन के दो; फिर कहा, 1 लाख 13 हजार दो, 1 लाख 13 हजार दिए; फिर कहा, एक लाख 20 हजार दो। फिर पी एच ई डी ने कहा, नहीं, यह तो 83 हजार में हो जाएगा। इतना करने के बाद, लास्ट में कह रहे हैं कि फीजिबल नहीं है। इस ढंग से जनता को परेशान किया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मंत्री

(श्री मेवाराम जैन)

महोदया इसको देखें, इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं वे नहीं हों; इन पैसों का सदुपयोग हो।

वाटर-लोगिंग की समस्या है, इसका भी समाधान हो।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

थोड़ा-सा ही समय लूंगा।

जनता जल योजना है, इसकी भी हालत खराब है। आप इसको संभालो। पंचायतों के भरोसे यह नहीं चलेगी।

दूसरा निवेदन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, करना चाहूंगा, बोरिंग ग्राम पंचायत खुद करे, या अपन खुद; कोई किसान कराता है तो दो–ढाई लाख के अन्दर टयूबवेल खुद जाता है, सरकारी विभाग कराता है तो 8-10 लाख रुपये लगते हैं। वैसे ही हैण्डपम्प अगर कोई प्राइवेट कराना चाहता है तो 60-70 हजार के अन्दर हो जाता है, आपके विभाग में सवा लाख और डेढ़ लाख की कोस्ट आती है। इसको भी देखना चाहिए कि इतने पैसे वेस्टेज क्यों जा रहे हैं। इस पर भी विचार करें। जनता के पैसे फालतू नहीं जाएं।

उपाध्यक्ष महोदय, अंत में मैं मंत्री महोदया से यही कहूंगा कि पानी के अन्दर जितनी भी समस्या है, पानी में राजनीति नहीं हो; उसमें कांग्रेस-बी जे पी नहीं हो। चाहे हैण्डपम्प हो, चाहे पाइपलाइन हो, चाहे टयूबवेल हो, पानी के अन्दर कोई भेदभाव नहीं करें।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री मानिक चंद सुराना।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने सन् 2005 में इंदिरा गांधी नहर का सिंचित एरिया फ्रीज किया था। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इस बजट में वह जो सीधे-सीधे फ्रीज किया गया था, उसको पेज 35 पर अनफ्रीज कर दिया गया है। जो रुकावट थी कि इंदिरा गांधी नहर का क्षेत्र नहीं बढ़ेगा, ''रावी, व्यास, सतलज एवं घग्घर नदियों के बाढ़ के रूप में बहने वाले अतिरिक्त पानी के उपयोग के लिए इंदिरा गांधी नहर प्रणाली का रिस्ट्रक्चरिंग कर राजस्थान वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट फॉर डेजर्ट चलाया जाएगा। परियोजना अन्तर्गत मुख्य रूप से इंदिरा गांधी नहर फीडर का हरियाणा व राजस्थान में एवं इंदिरा गांधी

(श्री मानिक चन्द सुराना)

मुख्य नहर एवं शाखाओं की रि-लाइनिंग प्रस्तावित है। 3 हजार 264 करोड़ रुपये की इस परियोजना में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर एवं बाड़मेर जिले लाभान्वित होंगे और 1 लाख 81 हजार हेक्टेयर सीसीए के लिए अतिरिक्त जल उपलब्ध हो सकेगा।''

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सिंचाई मंत्रीजी को भी, यह जो महत्वपूर्ण काम आपके जिम्मे आया है मुख्य मंत्रीजी की बजट घोषणा के फलस्वरूप, मैं समझता हूं कि आपने अब तक इसकी डी पी आर बना ली होगी। डी पी आर बना ली है, तो मेरा आपसे निवेदन होगा कि जो ये 7-8 जिले लाभान्वित होने हैं, गंगानगर में एक क्षेत्र गंग कैनाल से सिंचित है, एक भाखड़ा कैनाल से सिंचित है, कुछ क्षेत्र इंदिरा गांधी नहर से सिंचित है; इंदिरा गांधी नहर से जो सिंचित क्षेत्र है, सूरतगढ़ का क्षेत्र है। मैं माननीय मंत्रीजी के ध्यान में ला रहा हूं, एक सिंगरासर माइनर लिफ्ट कैनाल प्रपोज हुई थी, जब पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस की थी, वह बहुत डिफेक्टिव योजना बनी। पानी का सोर्स नहीं था; पानी का सोर्स एक डिप्रेशन से लिया गया, जो डिप्रेशन पूरा सूखा पड़ा है।

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बीकानेर जिले में आप लूणकरणसर के बंडाण के गांव से आप खूब परिचित हैं। आप वहां चुनाव प्रचार में भी आये हुए हैं और गांव-गांव गये हुये हैं। बंडाण के इलाके में....

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): किसके चुनाव में आया हूं?

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): मेरे चुनाव में; मेरे ही उप-चुनाव में। क्यों आप और भी किसी के में पधारे हैं? तो कासनिया साहब भी थे। ऐसा भी नहीं है कि मेरे ही चुनाव में आये, कासनिया जी के चुनाव में भी आये हुए हैं। वे लोक सभा का लड़े थे। क्यों इसमें कोई आपत्ति हुई क्या कि मैंने चुनाव का जिक्र कर दिया?

मेरा निवेदन है, आप क्षेत्र से परिचित हैं। यदि सिंगरासर में 28 मीटर की लिफ्ट, माननीय मंत्री महोदय, आप बहुत सक्षम हैं; जल प्रदाय मंत्री भी बहुत सक्षम हैं; सक्षम भी हैं, संवेदनशील भी हैं और समस्याओं के समाधान में भी माहिर हैं; मैं निवेदन करना चाहूंगा, यदि सिंगरासर में 28 मीटर की लिफ्ट, तीन लिफ्टों के माध्यम से, 10 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर की लिफ्ट दी जा सकती हैं, तो आप लूणकरणसर क्षेत्र में भी 15 से 18 मीटर की लिफ्ट

(श्री मानिक चन्द सुराना)

प्रदान करें। इंदिरा गांधी नहर की जो 435 या 535 से, जहां से हमारा पानी सादोलाई में आता है, वहां से हमको लिफ्ट देकर बंडाण के इलाके में, बंडाण के 30-40 गांवों को, और उनका एरिया भी करीब-करीब सिंगरासर लिफ्ट के बराबर होगा, उन गांवों को सिंचाई का पानी उपलब्ध कराकर उनका कायापलट और कायाकल्प करने की कृपा करें।

मैं यह भी अर्ज करूंगा कि सिंगरासर लिफ्ट यदि वर्तमान में सम्भव नहीं भी है तो माननीया मुख्य मंत्रीजी ने जो यह घोषणा की है पेज 35 पर, इसमें जो अतिरिक्त पानी इंदिरा गांधी नहर की लाइनिंग से और इंदिरा गांधी नहर की और फीडर की लाइनिंग से उपलब्ध होगा, वह पानी आप समुचित रूप से इन 7-8 जिलों में, जो इसमें मेन्शंड हैं, गंगानगर में कम हिस्सा आये, इसको भी ध्यान रखें, क्योंकि गंगानगर में गंगनहर है, भाखड़ा भी है। जो क्षेत्र इंदिरा गांधी नहर से सिंचित है, उस क्षेत्र में सिंगरासर लिफ्ट को भी आप कृपया मंजूर करने की कृपा करें।

माननीय मंत्री महोदय, मैं संक्षेप में आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि करीब 200 काश्तकार सन् 2002 से, जिनकी पूरी लिस्ट है, करीब 200 काश्तकार हैं, 192 हैं वैसे तो, जो एक मुरब्बा, आधा मुरब्बा, छह बीघा भूमि के लिए प्रार्थना पत्र दे चुके हैं इन्दिरा गांधी नहर को, फीस देकर, बाकायदा सर्वे करवाकर, जो 2002 से पेंडिंग हैं। तो आप कम से कम लिफ्ट कैनाल, कंवरसेन लिफ्ट का जो एरिया है, 2005 में हमारी जमीन जो 60 हजार हेक्टेयर सिंचित थी, आज वह कम सिंचित है। तो जो भी 5 हजार हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचित की जो हमारी क्षमता 2005 में बनी हुई है, मेरा नम्र निवेदन है, मैंने आपका ध्यान पहले भी इस पर आकर्षित किया था कि वे 200 प्रार्थना पत्र मंगाकर आप उनको दस बीघा, छह बीघा, पांच बीघा, एक मुरब्बा तक, जबकि हमारा वह सिंचित क्षेत्र उपलब्ध है 2005 में, तो उसको देने की कृपा करें।

मैं संक्षेप में आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करूंगा कि जो बारियां बनी हैं लूणकरणसर लिफ्ट की, चूंकि लिफ्ट हमारी विद्युत पर आधारित है और विद्युत महीने में 5-7 बार फेल होती है, कुल मिलाकर किसान को पानी की बारी में पानी नहीं मिलता। एक बार पानी न मिलने का मतलब समझते हैं, कि उसकी बारी खतम हो जाती है। मेरा निवेदन होगा कि आज के इस

(श्री मानिक चन्द सुराना)

वैज्ञानिक युग में जितनी देर बिजली जाती है और वापस बिजली आती है, वह सारा समय केलकुलेटेड है। आप उतने से समय के व्यवधान को मानकर, जहां पानी बंद हुआ है, सारा रिकार्ड आपके विभाग के पास है, जहां पानी बंद हुआ है; आप इस पुरानी बात में न जाएं कि वह बारी तो समय पर आयेगी, वह उस बार में ही मिलेगी। उस बार में तो हमारी चार बारियों में दो बारियां मरती हैं। इसलिए यदि किसान की फसल पकानी है, तो आप इस सारी बारियों के सिस्टम में इसको मोडर्नाइज करें और जो बिजली का व्यवधान है, उस व्यवधान को कंसिडर करते हुए, किसानों को जहां पानी बंद हुआ है, वहीं से पानी देने की कृपा करें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय जलप्रदाय मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं, हमारे क्षेत्र की अनेक जलप्रदाय योजनाओं पर मेरी इनसे चर्चा हुई है, इनको पत्राचार लम्बा-चौड़ा हम भेजते रहे हैं। इन्होंने जो लूणकरणसर क्षेत्र का सबसे बड़ा गांव कालू है, और मैं आभारी हूं जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य श्री कैलाशजी भंसाली का कि उन्होंने कालू का जिक्र किया कि कालू में महीने भर से एक बार पानी मिलता है। मेरा निवेदन है कि आपने उस योजना को पी.पी.सी. में भेजा है। वह योजना साढ़े आठ-नौ करोड़ की है। लूणकरणसर से उसकी दूरी 20 किलोमीटर है। मेरा निवेदन है कि उस योजना को पी.पी.सी. में जो आपने भिजवाई है, उसको इस विधान सभा के सत्र के बाद में आप दुबारा देखें और उसको मंजूर करने की कृपा करें।

अन्य छोटी-मोटी, मैं यह भी कहना चाहूंगा माननीया मंत्रीजी से कि इस बजट में जिन बड़ी-बड़ी योजनाओं का जिक्र है और जो कांग्रेस सरकार 24 योजनाएं खाली मंजूर करके गई थीं और वित्तीय प्रबन्धन नहीं किया था, उनमें से इस बजट में मुख्य मंत्रीजी के द्वारा घोषणा हुई है, 19 योजनाएं आपने पूरी कर दी हैं। वे योजनाएं 2,300 करोड़ की हैं। मैं अर्ज करूंगा कि बड़ी-बड़ी योजनाओं को तो आप क्रियान्वित करें, लेकिन माइक्रो लेवल पर, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 2 लाख, जहां हैण्डपम्प बनना है, डेढ़ लाख या उससे भी कम कीमत में, ऐसी योजनाएं किसी भी क्षेत्र में, जो अत्यन्त आवश्यक हैं, यदि माननीया मुख्य मंत्रीजी का बजट एक लाख 23 हजार करोड़ का है, तो मेरा निवेदन है कि आप माइक्रो लेवल पर भी उन योजनाओं को मंजूर करें, ताकि सरकार की छवि यही नहीं बने कि बड़े काम तो हो रहे हैं लेकिन छोटे काम नहीं हो रहे। छोटे कामों को करने से हर गांव को राहत

(श्री मानिक चन्द सुराना)

होगी और जलप्रदाय तो ऐसा है ही कि जिसमें राजनीति होनी नहीं चाहिये। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि मैक्रो पर जो शानदार काम आपने किया है, वह माइक्रो लेवल पर भी आप उसको करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनट, उपाध्यक्षजी। मैं जनता जल योजना की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। बीकानेर ही एक ऐसा जिला है जहां जनता जल योजना के पचासों गांवों में जो काम करने वाले लोग हैं, सारे राजस्थान के जनता जल कार्यकर्ताओं को मिल रहा है 83 रुपये रोज, ढाई हजार के करीब, और मेरे क्षेत्र के जनता जल कार्यकर्ताओं को मिल रहा है मात्र पांच सौ रुपये। कैलाशजी, यह बात तो आप बाद में ही कर लेना। माफ करेंगे आप। माननीय मंत्री महोदया, जनता जल योजना के हमारे एडिशनल चीफ इंजीनियर ने पत्र भेजे हैं आपके चीफ इंजीनियर को कि इन सारे गांवों के एक-एक कार्यकर्ता को आप इसमें इन्क्लूड करें। मुझे यह कहते हुए दु:ख है कि मामला जाकर अटकता है फाइनेंस में। फाइनेंस डिपार्टमेंट के लोग भी यहां होंगे। मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान में जनता जल के सारे जिलों में 83 रुपये रोज मिलेंगे और मेरे क्षेत्र में 18 रुपये रोज, 17 रुपये रोज मिलेंगे। यह दो तरह का व्यवहार, यह बिलकुल डिस्क्रिमिनेटरी व्यवहार है और बरदाश्त किये जाने लायक नहीं है। आप इन सारी फाइलों को दुबारा मंगायें और बीकानेर को जनता जल योजना के पैरलल, जो हमारे मजदूर अलग-अलग गांवों में बैठे हैं, उनको पांच सौ नहीं, 83 रुपये रोज देने की कृपा करें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरी बात को यहीं विराम दूंगा, क्योंकि अनेक माननीय सदस्य बोल चुके हैं, शायद औरों को भी बोलना है। उपाध्यक्षजी, मैं इसी निवेदन के साथ मेरी बात को सम-अप करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: श्री कन्हैयालाल।

श्री कन्हैयालाल (मालपुरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मांग संख्या 27 व मांग संख्या 46 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में बीसलपुर का पानी टोंक जिले को, यह योजना 2003 से 2008 के बीच में सैंक्शन हुई थी। पिछले एक वर्ष पहले, हमारी सरकार आने के बाद

(श्री कन्हैयालाल)

में हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी, हमारे मंत्रीजी के द्वारा उसको चालू किया गया। अभी जिस तरह से गांवों के अन्दर, टोंक जिले के शहरों के अन्दर जो पानी दिया जा रहा है और अजमेर जिले में जिस तरह से पानी दिया जा रहा है, उसमें डिफरेंस है। अजमेर जिले के अन्दर गांवों में जनसंख्या के अनुसार, पशु की संख्या की भी गणना की है, स्कूल के बच्चों की भी गणना की है; स्कूल में पानी दे रहे हैं, जानवरों के लिए अलग से पानी की व्यवस्था है। बाकी टोंक जिले में यह व्यवस्था, न तो जानवरों के लिए कोई केलकुलेशन की गई है, पानी की; न बच्चों के स्कूलों में की गई है।

इसके साथ ही, टोंक जिले में पानी का वितरण जल वितरण समिति बनाकर किया जा रहा है और जहां-जहां पी.एस.पी. लगाई जा रही है, उनसे पैसा वसूला जा रहा है; पैसा वसूलना अच्छी बात है, बाकी अजमेर जिले के अन्दर निःशुल्क पानी दिया जा रहा है। इससे नुकसान यह हो रहा है कि जिस

(23.00 बजे)

कांट्रेक्टर ने हमारे मालपुरा, टोडारायसिंह में जो पाइपलाइन्स डाली हैं, उनमें किसी गांव में अगर 10 पी.एस.पी. लगायी हैं, तो पांच में पानी आ रहा और पांच में पानी नहीं आ रहा है। पांच पी.एस.पी. के लोग तो पैसे दे रहे हैं और पांच नहीं दे रहे हैं। इस वजह से यह इस योजना में अभी मेरे लगभग 300 गांवों के अन्दर जो पानी जा रहा था, लगभग 150 गांवों में पानी अभी बंद है। वे लोग कहते हैं कि जब हमारा पानी ही नहीं आ रहा है, तो हम पैसा क्यों दें?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह कहना चाहता हूं कि इस योजना, एक कम्पनी एस.पी.एम.एल. ने किया है, उसको ज्यादा कहते हैं, तो ये अफसर कहते हैं कि साहब, ये हमारा कहना नहीं मानते, ये बड़े लोग हैं। तो उस कम्पनी का, जिस तरह से त्रुटिपूर्ण उन्होंने योजना बनाई है और जो पानी ऊंचे गांव हैं, या ऊंची जगह है गांवों के अन्दर, वहां पर पानी नहीं जा रहा है। उसकी लाइन को चैक करके, उसकी जांच करके, सब जगह पर पानी पहुंचाया जाए।

मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से यह निवेदन करता हूं कि जो गांव 1,500 से 4,000 की आबादी के हैं, उनमें गांव वाले इतने परेशान हो गये कि वे चाहते हैं कि साहब, हमारे घर-घर में कनेक्शन दो, आधे पैसे हम देंगे। अगर यह योजना उस जगह पर चालू कर देते, तो कम से कम पूरे गांवों के अन्दर, पैसा सब देने को तैयार हैं, और पानी सबको मिल जाए। यह योजना

(श्री कन्हैयालाल)

अगर चालू कराएं तो इसका लाभ ज्यादा से ज्यादा गांवों को मिले, क्योंकि मेरे क्षेत्र में 15 अगस्त के बाद में कोई बारिश नहीं हुई है।

जानवर ही हमारा व्यवसाय हैं। जानवरों को पीने के पानी के लिए भी हमने अभी से टैंकर लगाने चालू कर दिये हैं और आदमियों के लिए भी, क्योंकि पिछले दो साल से जब से यह हमारे बीसलपुर का पानी आया है, न तो हमारे हैंडपम्प ठीक हो पा रहे हैं। लोग इस पर डिपेंड हो गये थे। बाकी आज की स्थिति तो यह है कि पीने के पानी की भी दिक्कत आ रही है और जानवरों के लिए भी बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। तो इसको सीरियसली...।

अभी बीच के अन्दर हमारे जो मेंटीनेंस का काम था, क्योंकि पाइपलाइन का काम पूरा हो गया प्रोजेक्ट का, मेंटीनेंस डिविजन को दे रहे थे। मेंटीनेंस डिविजन जब इस लाइन को हैंडओवर ले रहे थे, तो, क्योंकि यह जो पूरी स्कीम बनी है, यह ग्रेविटी बेसिस पर बनी है, फ्लो से पानी जाने के हिसाब से यह स्कीम बनी हुई है; अब मैंने हमारे मेंटीनेंस के जो डिविजन्स हैं मालपुरा में, उसके एक्स.ईएन. को सबको मैंने बोला है कि लाइन को अगर आप लोगे, तो सबसे पहले इसको चैक कर लेना, क्योंकि अभी आधे गांवों में पानी नहीं जा रहा है। अब यह चैक कराने लग गये, तो पम्प से पानी प्रैशर से देकर इसको चैक कराने लग गये। जब उनको बताया, तो कहीं भी पानी नहीं जा पा रहा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से यह निवेदन करता हूं कि इसमें हमारे जो मेंटीनेंस के लिए यह जो पहले काम कर रहे थे अधिकारी, उनको उसी जगह पर रखा जाए, जिससे हमारे को समय पर पानी उपलब्ध हो सके।

दूसरा, मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि बीसलपुर डैम में पिछले दस साल में पानी की अवेलेबिलिटी, जो पानी की आवक लगभग 50 परसेंट है, जबकि 70 परसेंट पानी तो जयपुर, अजमेर और टोंक जिले के लिए आरक्षित है। आने वाले टाइम में अगर इसमें ब्राह्मणी नदी को बनास से नहीं जोड़ा जाएगा, तो यह जो पीने का पानी जयपुर से लेकर पूरे, हमारे आधे नहीं तो लगभग 33 परसेंट राजस्थान को, जो बीसलपुर पर डिपेंडेंट हैं पानी पीने के लिए, यह जनसंख्या, उसमें बहुत दिक्कत आने वाली है। यह योजना भी, जल्दी ही डी.पी.आर. बनाकर केन्द्र सरकार में भेजी जाए।

(श्री कन्हैयालाल)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनट। दूसरा, मेरे क्षेत्र के अन्दर जो एनिकट्स हैं, क्योंकि जन स्वावलंबन मुख्य जरूरत है; वहां पर इसके लिए भी मेरे क्षेत्र में दो-तीन एनिकट्स हैं, मैंने मंत्री महोदयजी को लिखकर दिया है, निवेदन करता हूं कि उनको भी इसी बजट सत्र में सैंक्शन किया जाए।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, साहब।

श्री उपाध्यक्ष: श्री संदीप शर्मा।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में अनुदान की मांग संख्या 27-पेयजल पर चर्चा हो रही है। आपने मुझे इस पर बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी और माननीया जल संसाधन मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने प्रदेश के कई दूर-दराज के इलाकों में विषम भौगोलिक परिस्थितियां होने के बावजूद भी, लोगों को पेयजल उपलब्ध करवाने को एक चुनौती मानकर प्रदेश में कार्य किया और एक सराहनीय बजट प्रदेश को दिया।

मैं सीधे-सीधे अपने कोटा शहर की मांग के विषय में कुछ बात कहना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोटा शहर में धीरे-धीरे औद्योगिकीकरण खतम होने के उपरांत जो हमारा एक शैक्षिक वातावरण बना है, उससे कई हमारे देश-विदेश के विद्यार्थी कोटा शहर में हॉस्टल्स में और मकानों में रहने लगे हैं। इनकी संख्या लगभग डेढ़ लाख है और हमारे कोटा शहर की जनसंख्या साढ़े पांच लाख है। साथ ही बड़ी तेजी के साथ जो आधुनिकीकरण हो रहा है, उससे सिटी मॉल्स, हॉस्टल्स, होटल्स और बड़ी-बड़ी मल्टी-स्टोरीज नये शहर में बनना प्रारम्भ हुए हैं और बड़ी तेजी के साथ वहां पर निर्माण कार्य चल रहे हैं। साथ ही लोगों की भी वहां पर जनसंख्या में काफी वृद्धि हुई है। इससे जो पर्याप्त पेयजल है, वह कोटा शहर की जनता को नहीं मिल पा रहा है।

इन सारी पेयजल की व्यवस्थाओं को देखते हुए, पिछली बार माननीया मंत्रीजी कोटा शहर पधारी थीं और उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला कोटा की जनता के लिए किया। इसमें लगभग 18 कॉलोनीज ऐसी थीं जो यू.आई.टी. के पास थीं और जो पर्याप्त संसाधनों की कमी से लोग वहां पर

(श्री संदीप शर्मा)

पर्याप्त जल व्यवस्था के अभाव में जूझ रहे थे, उन 18 कॉलोनीज को पी.एच.ई.डी. में हस्तांतरित करके एक बड़ा ऐतिहासिक कदम माननीया मंत्रीजी ने उठाया। लेकिन अब वहां पर इतनी बड़ी जो 18 कॉलोनीज हैं, जो हजारों मकान वहां पर हैं, वहां पर पर्याप्त जल व्यवस्था के लिए आवश्यकता है कि कोई फिल्टर प्लांट अथवा इन्टेक प्लांट लगाये जाएं, जिससे वहां पर लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने को मिले। कोटा शहर के आर.के. पुरम, श्रीनाथ पुरम, बॉम्बे योजना, राजीव गांधी नगर, सुभाष नगर, पंडित दीनदयाल नगर, आदि कॉलोनीज को अकेलगढ़ फिल्टर प्लांट से केवल 10 से 15 एम.एल.डी. पानी ही उपलब्ध करवाया जाता है, जबकि इन कॉलोनीज में 32 एम.एल.डी. पानी की प्रतिदिन खपत है। उपभोक्ताओं को सुबह-शाम निश्चित समयावधि में ही पानी की उपलब्धता है, जो पर्याप्त नहीं है। अतः यहां पर जलापूर्ति का समय बढ़ाने के लिए और निर्बाध रूप से जलापूर्ति हो सके, इसके लिए फिल्टर प्लांट एवं इन्टेक वेल की स्थापना करवाने का मैं माननीया मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा।

साथ ही, जो हमारी पुरानी कॉलोनीज हैं, जहां पर 30 वर्षों से पाइपलाइन्स चेंज नहीं हुई हैं, जो हनुमान बस्ती, दादाबाड़ी विस्तार योजना, शास्त्री नगर, संजय गांधी नगर, बसंत विहार, महावीर नगर विस्तार और विज्ञान नगर सेक्टर में काफी कम दबाव से जलापूर्ति होती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

साथ ही, वहां पर पर्याप्त पानी लोगों के पास बिलकुल नहीं पहुंच पा रहा है। इसके लिए लगभग 4.97 करोड़ के प्रपोजल डिपार्टमेंट के द्वारा राज्य सरकार के पास भेजे गये हैं। मैं उसके लिए भी निवेदन करना चाहूंगा कि इनको भी माननीया मंत्रीजी पारित करें जिससे कोटा शहर की जनता को पर्याप्त पानी पहुंच सके, क्योंकि उसमें लगभग 30.88 परसेंट छीजत उन पाइपलाइन्स से हो रही है, जो आपके अधिकारियों ने स्वीकार किया है। अगर वे पाइपलाइन्स चेंज नहीं हुईं, तो इसी प्रकार की छीजत वहां पर होती रहेगी और वह जल बरबाद होता रहेगा, व्यर्थ ही बहता रहेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मेरा आपसे निवेदन है कि जो जल वहां पर अपर्याप्त रूप से मिल रहा है और इसके अलावा जो हमारी सीवरेज लाइन्स हैं, उन सीवरेज लाइन्स के

(श्री संदीप शर्मा)

साथ पैरेलल रूप से आपकी पी.एच.ई.डी. की पाइपलाइन्स भी जा रही हैं। उन पाइपलाइन्स की जब पानी सप्लाई बंद कर दी जाती है, तो वहां पर वे प्रैशर से पानी खींचकर उस गंदे पानी को, जो सीवरेज का पानी है, वह वहां पर लोगों के घर नलों पर जाता है। अतः इसके लिए भी कोई कार्ययोजना बनाकर इसमें भी कार्य करने की आवश्यकता है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री हरिसिंह रावत।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 27-पेयजल और मांग संख्या 46-सिंचाई पर आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बिलकुल शार्ट में बात करूंगा, क्योंकि समय कम है। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की जो पेयजल की समस्या है, उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा। मैं कोई भूमिका नहीं बनाऊंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप दोनों एक ही जिले से हों, रोज मिलते हों, मिलकर निवेदन कर देना न।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में हमेशा पेयजल की समस्या बनी रहती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से, और सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारी मुख्य मंत्रीजी को और पी.एच.ई.डी. मिनिस्टर को, कि राजसमंद जिले के लिए देवास-थर्ड से पानी राजसमंद झील से, देवास योजना से जो 1,064 करोड़ रुपये की लागत से काम किया जा रहा है, उसके लिए मैं इनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। इसके साथ-साथ ही, हमारे देवगढ़ में 18 करोड़ के माध्यम से पाइप रिनोवेशन और 17 करोड़ से मेरी पांच पंचायतों के लिए पेयजल की जो इन्होंने योजना स्वीकृत की और काम प्रारम्भ किया, उसके लिए मैं मुख्य मंत्रीजी को और पी.एच.ई.डी. मिनिस्टर साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं।

साथ-साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे यहां पेयजल की व्यवस्था, भीम पंचायत समिति में 32 गांव पड़ते हैं, उन गांवों के लिए करीब 20 एम एल डी पानी चाहिये। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं मुख्य मंत्रीजी को और पी.एच.ई.डी. मिनिस्टर साहब को, कि 20 एम एल डी पानी, जो जवाजा से होता हुआ टोड़गढ़ पानी जा रहा है, अगर इसी लाइन में कुछ पम्प में परिवर्तन करें, तो मैं समझता हूं कि यह 20 एम एल डी पानी

(श्री हरिसिंह रावत)

मेरे क्षेत्र को मिल सकता है और नीचे देवगढ़ की जो पंचायतें हैं, अगर उन पंचायतों को चम्बल से जोड़ दिया जाए, तो मैं समझता हूं कि मेरी जो 53 ग्राम पंचायतें हैं, उनकी पेयजल का सही समाधान हो सकेगा।

मैं आपके माध्यम से एक और निवेदन करना चाहता हूं। इसके अलावा जे जे वाई योजना, जे जे वाई योजना के अन्तर्गत भी मेरे क्षेत्र में करीबन 32 जे जे वाई योजना कार्यरत हैं, जिसके अन्तर्गत लाखा गुढा, इसमें 21 लाख 80 हजार का प्रोजेक्ट बना रखा है, वहां पर पाइपलाइन खराब हो रखी है और दूसरा, यहां पर कुआं गहरा कराने की भी आवश्यकता है। इसके अलावा, दूसरा, कालादेह, कालादेह में भी सारी पाइपलाइनें सड़ गयी हैं। तो उनको भी अगर रिप्लेस कर देंगे तो वहां भी इस समस्या का समाधान हो जाएगा। दूसरा, जितनी भी इस योजना के अन्तर्गत ऐसी पाइपलाइनें हैं, वे सभी क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वे सभी पाइपलाइनें अगर परिवर्तित कर दें, तो पानी का जो समाधान हो रहा है उसमें पूरी समस्या का समाधान हो जाएगा।

इसके अलावा, जल संसाधन मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि मेरे क्षेत्र में पेयजल की जो समस्या है, उसमें कड़ियादेह और भोमादेह, और जो अधूरे पड़े काम हैं, उनको पूर्ण कर दिया जाए, तो मैं समझता हूं कि काफी हद तक इससे मेरे यहां पेयजल की व्यवस्था हो सकेगी।

आपने मुझे समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री केसाराम चौधरी।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ मेरी सरकार को और हमारी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में एक हादसा हुआ, उस हादसे में चार आदमी नीचे दब गये थे और उन्होंने तत्परता से काम करके ...(व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मोहन लाल जी गुप्ता साहब भी आ गये हैं, साहब।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी की तत्परता से नीचे दबे हुए आदमियों में से, इन्होंने नेशनल डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स को वहां भेजकर, एक आदमी को जिंदा बचा लिया। इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देना चाह रहा हूं। पूरी पाली जिले की फोर्स वहां पर पहुंच गयी

(श्री केसाराम चौधरी)

और उन्होंने तत्परता से काम करके, उन चार आदमियों की मौत हो गयी, उनको 5-5 लाख रुपये दिये और उसके साथ ही उनकी डैड बॉडी को उनके घर तक पहुंचाया। इसके लिए इनको धन्यवाद देता हूं।

मैं माननीय सिंचाई मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि आप मेरे क्षेत्र में, एक धारिया बांध जो अपने राज में बना था, वह फूट गया है; उसका सुदृढ़ीकरण करने की मांग करता हूं। माननीय सिंचाई मंत्रीजी, मेरे धारिया बांध को बनाने की आप घोषणा करायेंगे, ऐसी उम्मीद करते हुए, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष: श्री चन्द्रभान सिंह।

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे मांग संख्या 27 और 46 पर बोलने की अनुमति दी, इसके लिए आपको धन्यवाद।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ है, वहां काफी बांध हैं; ओरई बांध है, बस्सी डैम है, गंभीरी डैम है, घोसुण्डा डैम है, इनकी नहरें हैं और इन सभी नहरों को मेन्टेन करने के लिए माननीय सिंचाई मंत्रीजी ने काफी पैसा दिया। उसके लिए तो मैं इनको धन्यवाद दूं, पर मेरी एक बड़ी मांग है, साकेड़ा बांध। पेयजल के लिए वहां 11 पंचायतें हैं, उन 11 पंचायतों में पीने का पानी नहीं है। अगर वहां साकेड़ा बांध बन जाएगा, तो वहां पानी का स्तर काफी ऊपर आ जाएगा और पीने में काफी सहूलियत हो जाएगी। माननीय सिंचाई मंत्रीजी बहुत उदार हैं और मेरे पर पूरा आशीर्वाद भी रखते हैं। आज साकेड़ा बांध की घोषणा तो माननीय सिंचाई मंत्रीजी करेंगे और माननीय किरण जी माहेश्वरी का ससुराल मेरे वहीं हैं, तो वे भी पेयजल के लिए काफी पानी देंगी और कमी नहीं छोड़ेंगी।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री शत्रुघ्न गौतम (केकड़ी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मोहन जी आये हैं और दस मिनट तो मोहन जी के बनते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: आप बोलना पसन्द करेंगे? आप बोलना पसन्द करेंगे?

श्री हेमसिंह भड़ाना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री राम लाल गुर्जर (आसींद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अभी तो अनुमति दी नहीं मैंने।

श्री राम लाल गुर्जर (आसींद): मैं अनुमति ले रहा हूं, मैं अब ले रहा हूं। कोई वंचित नहीं रह जाए। गुप्ता साहब और मैं, दोनों बकाया हैं।

श्री उपाध्यक्ष: आप पांच मिनट फरमाएं।

श्री राम लाल गुर्जर (आसींद): अनुमति हो तो मैं दो मिनट में कह दूं?

श्री उपाध्यक्ष: दो मिनट नहीं, पांच मिनट लें।

श्री राम लाल गुर्जर (आसींद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 27 और 46 पर माननीय जलदाय मंत्रीजी और सिंचाई मंत्रीजी से कुछेक बातें कहना चाह रहा हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र आसीन्द में सिंचाई विभाग की बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि चार-पांच सालों में नहरों का कोई काम हुआ नहीं, बांधों का कोई काम हुआ नहीं। नहरों की झाड़ियों की सफाई, वगैरह पूरी नहीं हो पायी है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से भी निवेदन कर रहा हूं कि मेरे खारी बांध, आसीन्द के खारी बांध और पाटन बांध और सरेडी बांध, इन बांधों का काफी समय से काम नहीं हो पा रहा है। नहरें भी टूट-फूट की कंडिशन में आ गयीं। तो कम से कम थोड़ी देखरेख करके इनका थोड़ा काम हो जाए, ताकि कम से कम सिंचाई का काम तो हो जाए। जल ही जीवन है, क्योंकि पानी के बगैर कुछ है नहीं। जलदाय मंत्रीजी भी तब ही पानी देंगी, जब जमीन में पानी होगा और पानी अपने यहां वैसे ही चला जाएगा, तो फिर समस्या ही समस्या खड़ी रह जाएगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि मेरे इन बांधों का विशेषकर जितना बजट हो सके, उतना इनके लिए बजट आंबटन करवाएं, ताकि कम से कम यह हो जाए।

पीने के पानी की जो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी से सम्बन्धित है, उसकी भी बहुत ज्यादा समस्या है। मेरे हुरड़ा, जो प्रोपर हुरड़ा है, वह आसीन्द विधान सभा क्षेत्र का गुलाबपुरा और आसीन्द के बाद हुरड़ा ही बड़ा गांव है, बदनौर के बाद। वहां पर पानी की आये दिन समस्या रहती है। वैसे मेरे आसीन्द विधान सभा क्षेत्र में पानी की भयंकर किल्लत है और एक अप्रैल के बाद तो अपने को पानी के टैंकर लगाने ही पड़ेंगे, क्योंकि किसी भी कंडिशन में पेंडिंग नहीं रह सकता। कई गांवों में तो अभी से बहुत ज्यादा अड़चन है।

यही नहीं, पशुधन के लिए भी अपने को पानी की मात्रा बढ़ानी चाहिए। क्योंकि अपन जानवरों के लिए तो देते नहीं अपन मानव के लिए पानी देते हैं;

(श्री राम लाल गुर्जर)

जबकि जानवर भी पानी पीते हैं। मानव बगैर पिये रुकता है, लेकिन जानवरों के लिए पानी चाहिये। अपना भी इसमें कुछ आगे के लिए हो, पशुधन के लिए भी पानी की व्यवस्था की जाए, और बाकी मेरे हुरड़ा वाली समस्या को विशेष तौर पर दूर किया जाए।

गुलाबपुरा में भी आपके बीसलपुर का जो पानी आता है, विजयनगर के बाद पानी नहीं आ पाता है। अमूमन दो साल से बार-बार समस्या आ रही है। कई बार धरने-प्रदर्शन भी किये गुलाबपुरा वालों ने, और बहुत ही ज्यादा अड़चन है। तो इसलिए जो पानी का हमारा हिस्सा आता है 22-23 लाख लीटर पानी का विजयनगर से गुलाबपुरा के लिए, वह पर्याप्त पानी नहीं मिलने की वजह से, क्योंकि ऊपर लोग फसलों की पिलाई कर देते हैं; जो बीसलपुर का पानी आता है, पिलाई कर देते हैं और ज्यादातर पानी को विजयनगर के उस साइड ही कट कर लिया जाता है।

तो मेरे हुरड़ा और इसमें ज्यादा विशेषकर संकट हैं। बाकी मेरे पानी के टैंकर आने वाली एक तारीख से चालू किये जाएं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो बोलने का समय दिया, आपका हार्दिक आभार।

श्री उपाध्यक्ष: और कोई बोलना चाहता है?

श्रीमती किरण माहेश्वरी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष जी, विभाग की मांग संख्या 27 के सम्बन्ध में कुल 313 कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। संसदीय प्रणाली में माननीय सदस्यों के प्रस्ताव का बड़ा महत्व है। मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहती हूं कि उनके द्वारा दिये गये कटौती प्रस्ताव के जो उत्तर हैं, वे उन्हें जब वे घर पहुंचेगे तब तक मिल जायेंगे।

मांग संख्या 27 की चर्चा में आज 70 माननीय सदस्यों ने भाग लिया और सभी ने बहुत ही सार्थक चर्चा की, बहुत ही बहुमूल्य उन्होंने सुझाव दिये। हम लोगों ने उनको नोट भी किया है और बहुतों को तो जवाब भी मैं यहां पर प्रस्तुत करूंगी। लेकिन समय बहुत ज्यादा हो गया है और काफी अच्छी चर्चा हुई, क्योंकि हम लोग कहने से ज्यादा काम करने में विश्वास रखते हैं। हम लोगों ने सब को सुना, बहुत पेशेंटली। सभी लोगों ने इतने अच्छे तरीके से,

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

आज महिलाएं भी हमारी सभी सदस्या अभी इतनी लेट तक भी यहां पर सब मौजूद हैं।

तो मैं यही कहूंगी कि जल को सबने इतना महत्व दिया है और वास्तव में जल हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए कहते हैं कि, 'जल जीवन जल प्राण है, जल जगत की जान। जीना है तो कीजिए, जल धन का सम्मान।'

सभी लोग इस बात से अच्छे तरीके से वाकिफ हैं कि प्रदेश की हमारी जनसंख्या 6.86 करोड़ है और वह पूरे देश की लगभग 5.5 प्रतिशत है। हम लोगों के पास जो पानी की उपलब्धता है, वह मात्र एक प्रतिशत, 1.1 प्रतिशत है, जो सतही जल है, और 1.41 प्रतिशत भू-जल के अन्दर, पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में अगर हम इसको देखें, तो। जो एवरेज रेनफॉल है, वह देश के एवरेज रेनफॉल 870 एम.एम. है और राजस्थान का मात्र 540 एम.एम. है।

एक अनुमान के अनुसार विश्व में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जो पानी की कुल उपलब्धता है वह 2,000 के.एल.डी. है, अपने देश की भारत की अगर देखें तो वह 1,700 के.एल.डी. है और अगर अपन राजस्थान की देखते हैं तो प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष कुल उपलब्धता पानी की जो है वह मात्र 640 के.एल.डी. है।

इसमें जो पशुधन की संख्या अगर मैं देखूं, तो देश की पशुधन की संख्या 18.70 परसेंट जो है वह राजस्थान राज्य की है।

इसलिए पेयजल की हम लोगों की समग्र मांग है, वह इसलिए भी हमारी और बढ़ जाती है। कृषि एवं उद्योग के कम्पेरिजन में अगर हम लोग देखें, तो पेयजल के लिए मात्र 5 टू 7 परसेंट ही पानी का उपयोग होता है। बाकी तो हम लोग कृषि और उद्योग के लिए लेते हैं। पीने का पानी तो मात्र पांच से सात प्रतिशत ही जरूरत है।

अपन ने देखा कि देश की आजादी के बाद में शुरुआती दौर के अन्दर जितनी भी स्कीम्स बनीं, वे सारी ही ग्राउंड-वाटर के ऊपर डिपेंड होकर स्कीम्स बनीं। ट्यूबवेल, हमने हैंडपम्प, बावड़ियां, तालाब, ये सारी चीजें ही पहले बनती रहीं और यह जो पानी का जल स्तर जिस तरीके से गिरता जा रहा है, सस्टेनेबिलिटी स्कीम्स की खतम होती जा रही है।

अधिकतर सदस्यों ने जो आज कहा, वह यही कहा कि पानी की प्रॉब्लम है; पहले ट्यूबवेल्स इतने थे, इतने में से इतने ट्यूबवेल्स सूख गये हैं,

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

हमें और ट्यूबवेल्स चाहिए। यानी, जल स्तर जिस तरीके से गिरता जा रहा है, वह सब के लिए बहुत चिंता का विषय हो गया और इसीलिए जब कहा, तो माननीय सदस्यों ने बहुतों ने कहा कि हम लोग डार्क जोन में आ गये। पूरा राजस्थान डार्क जोन में है। मात्र 25 ही सेफ ब्लॉक्स हमारे रहे, बाकी कम्प्लीट डार्क जोन हो गया है।

हमारे एक माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि इस डार्क जोन का हम लोगों को वापस से सर्वे कराना चाहिए कि क्या डार्क जोन सही में 25 ही रहे हैं? और बढ़े हैं, या कम हुए हैं? कुछ हुआ है? अभी मेरे पास में जी.डब्ल्यू.डी. और जो सेन्ट्रल ग्राउंड बोर्ड और राजस्थान का जो ग्राउंड-वाटर डिपार्टमेंट है, सब ने मिलकर जो, एक लेटेस्ट सर्वे रिपोर्ट मेरे हाथ में है, जो मुझे आज ही प्राप्त हुई है और इसमें डार्क जोन जो है वे डार्क जोन हम लोगों के कम हुए हैं। सॉरी, सेफ मानें या डार्क जोन; डार्क जोन भी, मैं कहूंगी तो कहूंगी कि कम हुए हैं, पहले 223 डार्क जोन में थे, अब 204 हो गये। यानी, सेफ ब्लॉक पहले 25 ही थे, अब वे सेफ ब्लॉक 44 हो गये हैं। सेमी-क्रिटिकल 28 हैं, क्रिटिकल 9 हैं और ओवर-एक्सप्लॉयटेड जो हैं वे 164 हैं। इसलिए हम लोग यह कहते हैं कि जल स्तर थोड़ा ठीक हुआ है और डार्क जोन का जो एरिया है वह थोड़ा कम हुआ है। क्योंकि जैसा आप चाहते थे कि एक बार फिर से सर्वे होना चाहिए, लेटेस्ट यह रिपोर्ट अभी मेरे सामने यहां पर आयी है।

हम लोगों की भू-जल की जो गुणवत्ता है वह भी धीरे-धीरे खराब होती जा रही है और अगर उसकी स्थिति देश के सिनेरियो में देखें, तो 88 परसेंट सेलिनिटी के जो गांव और ढाणियां अगर पूरे देश के अन्दर उपलब्ध हैं, तो वे 88 परसेंट अपने यहां राजस्थान में हैं। फ्लोराइड के गांव और ढाणियां जो हैं, पूरे देश के कम्पेरिजन में यहां पर 55 परसेंट है और नाइट्रेट की 54 परसेंट गांव और ढाणियां राजस्थान के अन्दर हैं। क्वालिटी अफेक्टेड एरिया अगर वाटर का देखें, तो सबसे ज्यादा राजस्थान के अन्दर, पहले तो पानी कम है और जो पानी उपलब्ध है, वह भी इतना ज्यादा क्वालिटी अफेक्टेड है।

इसलिए यहां पर जब हम लोग देखते हैं कि यह ग्राउंड-वाटर का पानी इतना ज्यादा क्वालिटी अफेक्टेड है, तो जब हम सतही स्रोत से पानी लाने की बात करते हैं तो वह सर्वाधिक खर्चा हम लोगों का उसके ऊपर आता है। जब हम लोग सतही जल से पानी लेकर आते हैं, तो आबादी क्षेत्र दूर है और वहां

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

से पानी लेकर आने में, इसलिए यह देश के अन्दर जो पेयजल पहुंचाने का प्रति व्यक्ति खर्चा है वह हमारा देश में सर्वाधिक है।

ऐसी स्थिति में हमने देखा, हम लोगों की वर्तमान सरकार में माननीया मुख्य मंत्री वसुन्धरा जी ने हमेशा इस बात की चिंता की है कि पेयजल हमें सब को उपलब्ध कराना है और शुद्ध पेयजल सब को उपलब्ध हो, उसके लिए शॉर्ट टर्म मैजर्स भी हम लोगों ने हाथ में लिये और लोंग टर्म मैजर्स भी लिये। शॉर्ट टर्म मैजर्स हम लोगों ने, आर.ओ. के बारे में कहूंगी मैं, आगे कहूंगी, लेकिन उससे पहले लोंग टर्म मैजर्स जो हैं, वे सतही जल से जोड़ने वाले हैं। उसके अन्दर पूर्ववर्ती सरकार ने कभी भी इसके बारे में इसकी कोई प्लानिंग नहीं की। इनकी कभी भी प्रोस्पेक्टिव कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग नहीं हुई। उसी का नतीजा यह है। पिछली सरकार का केवल जो फोकस था, वह हैंडपम्प, ट्यूबवेल, सिंगल फेज और इसी पर था, लेकिन अभी जो वर्तमान में हम लोगों की सरकार है, हम लोग कोई भी योजना बना रहे हैं, तो वह रीजनल स्कीम्स बना रहे हैं, पंचायत को लेकर उनकी पूरी स्कीम बन रही है और वह स्कीम से आने वाले समय में उन्हें लाभ होगा। पाइपलाइन हो रही है, टंकी हो रही है, ट्यूबवेल हो रहा है; जो भी उसकी पूरी स्कीम बना रहे हैं, उस पर हमारा ज्यादा ध्यान है और वह ही हम लोग कर रहे हैं।

इसलिए मैं यह कहूंगी कि यह हमारी माननीया मुख्य मंत्रीजी की दूरदर्शिता है और उनका एक ऐसा नेतृत्व हम लोगों को मिला है, इतना अच्छा विजन जो उनका है, उसी से अभी उन्होंने जल स्वावलंबन अभियान की शुरुआत की है। उस जल स्वावलंबन अभियान की हम लोगों ने, सभी ने 27 जनवरी को इस साल शुरुआत की थी और उसमें आपने देखा होगा कि अधिकतर माननीय सदस्यों ने इस बात की बहुत भूरि-भूरि प्रशंसा की है कि इससे कितना बड़ा फायदा हुआ है और किस तरीके से हम लोग सब इसमें जुटे हैं, मिनी टैंक्स बनाने में जुटे हैं और सारे काम में भी। मैं उसके कुछ उदाहरण भी आपको दूंगी कि जल स्वावलंबन से कितने बड़े चमत्कार भी यहां पर हुए।

इसलिए यह जो हम लोगों के प्रयास और इरादे हैं, वे दोनों ही सकारात्मक हैं और हमें विश्वास है कि पेयजल की समस्या का सम्भव स्थायी समाधान निकालने में हम लोग सफल होंगे।

मैं आपके सामने हमारी पूर्ववर्ती सरकार और वर्तमान की सरकार के

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

शासन काल में दिये गये जो वित्तीय प्रावधान हैं, उसी के ऊपर अब सीधा आना चाहती हूं। अभी बहुत सारे माननीय सदस्यों ने, जो प्रतिपक्ष से आते हैं, उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाये; आरोपों का तो मैं एक-एक उनके नाम से बताऊंगी, लेकिन जो ओवरऑल आप लोगों ने कहा कि हम लोगों ने यह स्कीम सैंक्शन की, हमने यह किया, अभी कुछ नहीं हो रहा है; तो मैं उन्हें बताना चाहती हूं कि जो उनका पांच साल का कार्यकाल था 2008 से 2013 तक का, उसमें पेयजल के लिए उन्होंने जो प्रावधान किया था, वह 15,380 करोड़ और मात्र दो वर्ष, जो अभी भा.ज.पा. सरकार का कार्यकाल है, उसमें हमने 11,530 करोड़ और 2016-17 का जो अभी वर्तमान में नया साल शुरू होगा, उसमें 4,916, जो हमारी माननीया मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की। इसलिए कुल 16,446 करोड़ रुपये हमने पेयजल के ऊपर प्रावधान रखा। पांच साल में उन्होंने मात्र 15,380 और हमने 16,446 करोड़। आप देखिये, उनके 5 साल के अन्दर जो कांग्रेस ने खर्चा किया, वह भी मैं आपके सामने बताना चाहूंगी। 15 हजार 380 करोड़ में से जो इन्होंने खर्चा किया, वह मात्र 12 हजार 225 करोड़ किया, जो कि प्रावधान की तुलना में 79.49 परसेंट है। भाजपा के सवा 2 वर्ष के कार्यकाल में 11,530.72 करोड़ जो प्रावधान रखा, उसमें से 10 हजार 972 करोड़ रुपये का व्यय हुआ, जो प्रावधान की तुलना में 95.15 परसेंट है और इसको हम लोग 31 मार्च तक जो पेमेंट होंगे, उसमें 100 परसेंट तक जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, यह स्पष्ट है कि सवा 2 वर्ष में पेयजल के लिए लगभग उतना निवेश कर दिया, जो कांग्रेस ने 5 साल में भी नहीं किया। अभी इस कार्यकाल में पौने 3 साल हम लोग और करेंगे। तो आप देखिये कि कितनी आगे तक पेयजल के लिए हमारी स्कीम्स हैं और हम लोग कितना जनता को फायदा पहुंचायेंगे।

जलदाय विभाग की योजनाओं का जो आधार है, वे हमारी मुख्य रूप से 3 प्रकार की योजनाएं हैं, एक ग्रामीण क्षेत्र की योजनाएं हैं, एक शहरी योजनाएं हैं और एक वृहत् पेयजल योजनाएं हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र की योजनाएं हैं, जिस तरीके से हैंडपम्प हैं, टयूबवेल हैं, रीजनल स्कीम्स हैं, ये सारी ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर हम लोग करते हैं और शहरी क्षेत्र में नगरपालिका के क्षेत्र के अन्दर जो भी हमारी योजनाएं हैं, पाइप स्कीम्स हैं, वे सारी हैं। ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर हमने माह फरवरी, 2016 तक लगभग 1,700 बस्तियों के अन्दर पेयजल उपलब्ध करवाकर उनको लाभान्वित किया है।

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

उपाध्यक्ष महोदय, अभी कोई कह रहा था कि उन्होंने अनुसूचित जाति में क्या किया, जनजाति में क्या किया। उसका भी हिसाब मैं इनके सामने रखना चाहती हूं कि 547 गुणवत्ता प्रभावित हैबिटेशंस हम लोगों ने लिये, जिनके अन्दर हमने पेयजल उपलब्ध कराया। 109 अनुसूचित जाति बहुल हैबिटेशंस, 73 हमारी अनुसूचित जनजाति बहुल हैबिटेशंस और 72 हमारी अल्पसंख्यक हैबिटेशंस। सबका ध्यान रखा गया है। यह जो फरवरी माह तक 1,700 हैबिटेशंस को हम लोगों ने पेयजल उपलब्ध कराया है, आने वाले वर्ष के अन्दर, 2016-17 में यही हमारा टार्गेट 2,000 हैबिटेशंस को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराना है।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि 838 करोड़ रुपये की योजनाएं हमने स्वीकृत कीं और उनमें से 463 करोड़ की योजनाएं तो वे योजनाएं थीं, जो 1 करोड़ की लागत से ऊपर की योजनाएं थीं। जो मैंने पूर्व में आपसे कहा था कि पहले फोकस केवल हैंडपंप, ट्यूबवेल और इन्हीं पर होता था, अब जो हम लोग काम कर रहे हैं वह रीजनल स्कीम्स पर कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि 838 करोड़ में से मोर दैन 50 परसेंट, 463 करोड़ तो हम लोग 1 करोड़ से ऊपर की योजनाओं पर ले रहे हैं, जिससे कि उनका स्थायी समाधान, कुछ हद तक सस्टेनेबिलिटी बढ़ सके, योजनाओं की, इसके लिए किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, आर.ओ. प्लांट के लिए भी माननीय सदस्यों ने चर्चा में कहा कि हमारे यहां पर आर.ओ. प्लांट की क्या स्थिति है; अभी तक लगे नहीं हैं। मैं आपके माध्यम से सदन के अन्दर यह कहना चाहूंगी कि माननीया मुख्य मंत्रीजी ने 2015-16 के उनके बजट के अन्दर 2,000 आर.ओ. की सैंक्शन की थी। 2014-15 के अन्दर जो 1,000 आर.ओ. लगने थे, उनमें से 831 आर.ओ. लगे थे। दुर्भाग्यवश वह आर.ओ. का जब माननीया मुख्य मंत्रीजी ने अपने दौरे के अन्दर किसी आर.ओ. प्लांट को देखा, तो पाया कि वह सिर्फ एक डिब्बा रूपी था, उसमें आर.ओ. का कोई संचालन नहीं हो रहा था। वहां कोई शुद्ध पेयजल नहीं मिल रहा था और न ही कोई गांव के लोग वहां आकर के पानी ले रहे थे। उन्होंने कहा कि हम लोग इतना इन्वेस्टमेंट करते हैं, 17-18 लाख का एक आर.ओ. आता है और उसके बाद में उसका यूज नहीं होता है, तो इसलिए इसका पेनिट्रेशन लेवल बढ़ना चाहिए। लोग आकर के वहां पानी पियें। उस तरीके का, अब जो नया टेंडर करो, उसके अन्दर करें। अब

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

हमने हमारे वर्क ऑर्डर 19 फरवरी को दे दिये हैं; लगभग 1,000 आर.ओ. के तो हम लोग वर्क ऑर्डर दे चुके हैं। दूसरा, 1,000 आर.ओ. और उसमें से 700 से अधिक आबादी और 2,000 टी डी एस से ऊपर जहां भी क्वालिटी प्रोब्लम है, उसको लेकर हम लोगों ने ये आर.ओ. लगा रहे हैं। दूसरे चरण में 500 से अधिक की आबादी और 1,500 टी डी एस से ऊपर वाले ग्रामों के अन्दर हम इसको लगायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, सौर ऊर्जा के डी-फ्लोरिडेशन संयंत्र भी हम लोगों ने लगाना तय किया है। राजस्थान प्रदेश में अनेक क्षेत्रों के अन्दर पानी के अन्दर फ्लोराइड की मात्रा जो बहुत अधिक है; जहां पर मल्टिपल प्रोब्लम है, क्वालिटी प्रोब्लम है, वहां पर तो हम लोग आर.ओ. लगायेंगे, और जहां केवल फ्लोराइड की ही प्रोब्लम है, वहां पर हम लोग डी-फ्लोरिडेशन संयंत्र लगा रहे हैं। वे डी-फ्लोरिडेशन संयंत्र भी सौर ऊर्जा के माध्यम से लगा रहे हैं; उसमें भी इलेक्ट्रिफिकेशन की जरूरत नहीं होगी, सीधा सौर ऊर्जा से ही चलेगा, और ऐसे हम लोग करीब 400 डी-फ्लोरिडेशन संयंत्र लगायेंगे।

सौर ऊर्जा आधारित नलकूपों की स्थापना करने के लिए यह भी तय किया कि 1,000 ऐसे सोलर टयूबवेल्स हम लोगों ने लगाना तय किया है। जो माननीया मुख्य मंत्रीजी अपने उसमें घोषणा की थी, उसके भी हम लोगों ने वर्क ऑर्डर्स दे दिये हैं। अब लगने शुरू हो जायेंगे।

मैं आज यहां पर यह भी घोषणा करती हूं, आप सब लोगों के मन में संशय रहता है कि हम किसी तरह का भेदभाव रखते हैं, या हम कुछ यहां ज्यादा देते हैं और वहां कम देते हैं; ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं यह कह सकती हूं, मेरे पास एक लिस्ट है, जो भी आकर के लेना चाहे, वह ले सकता है; इसमें 199 हमारे विधायक हैं, जिनके यहां क्षेत्र में पिछले 2 वर्षों के अन्दर जो काम दिये हैं, उसका पूरा लेखा-जोखा है। यह एक ही विधायक, आप पूछेंगे कि 200 का क्यों नहीं किया? 199 ही क्यों किये? वे एक विधायक पूर्व मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत हैं, जिन्होंने कोई भी उनकी तरफ से प्रस्ताव नहीं दिया कि उनके क्षेत्र में कोई पानी चाहिये।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): उन्होंने अपने कार्यकाल में सब करवा लिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): वह मैं बताऊंगी कि क्या करवाया उन्होंने।

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

यह जिसको भी चाहिए, वे आकर मुझसे कलेक्ट कर सकते हैं, मैं आपके पास सदन में टेबल पर रख सकती हूं, जिसके अन्दर वे देख सकते हैं कि कितनी सारी योजनाएं हैं, जो हम लोगों ने यहां पर स्वीकृत की हैं, जो इनके क्षेत्र के अन्दर हैं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आप डाक से भिजवा देना।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): आप लोगों को जानकर खुशी होनी चाहिए कि हम वह भेदभाव नहीं करते हैं। हम भी वहां पर थे पिछले 5 साल। उस समय हम लोग जब बैठते थे, तो एक हैंडपंप भी सैंक्शन यहां से नहीं होता था। उस समय हम लोग अपने एम एल ए लैड से हैंडपंप देते थे; हम अपने एम एल ए लैड से ही सारा काम करते थे। एक सड़क तक आप सैंक्शन नहीं करते थे, एक हैंडपंप आप सैंक्शन नहीं करते थे। लेकिन इस वर्तमान सरकार में माननीया मुख्य मंत्रीजी ने सबको साथ लेकर के, सबका विकास करना, यह तय किया है। इसलिए उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की राजनीति विकास में नहीं होनी चाहिए। उसी परम्परा को हम सब निभा रहे हैं। सारी चीजों के अन्दर हमने सबके लिए सब काम किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह भी निवेदन करना चाहती हूं, जनता जल योजना के संदर्भ में बातचीत यहां पर आई। यह पूर्ववर्ती सरकार का कार्यकाल था, 2011 के अन्दर इन्हीं का निर्णय था कि यह जनता जल योजना जो है, इसको ग्राम पंचायत को हस्तांतरित कर दी जाये। बहुत सारी ऐसी जनता जल योजनाएं थीं, जो पूरी तरीके से बंद पड़ी थीं। बिजली का बिल पूरा चुकाया था, उसके बाद में भी, क्योंकि कुआं गहरा करवाना है उसके लिए उनके पास पैसा नहीं है; पाइपलाइन टूटी हुई है, उसको रिपेयर करने के लिए पैसा नहीं है। कोई न कोई अड़चन की वजह से वह जनता जल योजना चल नहीं रही थी। माननीया मुख्य मंत्रीजी ने 2015-16 में जो हमने घोषणा की थी यहां पर और 140 करोड़ रुपये जो हमें दिये थे, उसके माध्यम से हमने 1,700 जनता जल योजना इस 2015-16 के अन्दर स्वीकृत की हैं, जिनके काम चालू हैं। आने वाले वर्ष में, 2016-17 में हम 1,000 ऐसी और जनता जल योजनाओं को दुरुस्त करने का कार्य भी हाथ में लेंगे। आगामी वर्ष में जनता जल योजना के बिलों का भुगतान चौदहवें वित्त आयोग तथा पांचवें राज्य वित्त आयोग के तहत आबंटित धन राशि से किया जायेगा।

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

नहरी जल योजना का दुरुस्तीकरण करना, हमारे बहुत सारे माननीय सदस्य जो नहरी क्षेत्र से आते हैं, उनका हमेशा यह कहना था कि हमारे यहां पर नहर तो है, लेकिन उसका पानी इतना गंदा है। जो स्लो सैंड फिल्टर्स हैं, वे वर्षों पुराने हैं; ऐसे फिल्टर्स लगे हुए हैं जिनसे पानी शुद्ध नहीं होता है। वही गंदा पानी पीने के लिए मजबूर होते हैं। माननीया मुख्य मंत्रीजी जब सरकार-आपके-द्वार में जिलों का दौरा कर रही थीं, तब उन्होंने बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़, इन 3 जिलों के लिए, जो नहरी क्षेत्र के हैं, वहां पर स्लो सैंड फिल्टर्स के माध्यम से गंदा पानी वे लोग जो पी रहे थे, उसके लिए उन्होंने वहां पर घोषणा की; न केवल घोषणा की, स्वीकृत हुआ और आज वे काम चल रहे हैं। लगभग 150 डिग्गियां, हमारे यहां पर बैठे हुए सभी माननीय सदस्यों ने अपने भाषण में उसकी तारीफ भी की है कि यह स्लो सैंड फिल्टर्स से रैपिड ग्रेविटी फिल्टर्स के रूप में यह काम हो रहा है। उसको अपग्रेड कर रहे हैं। ऐसी करीब 150 योजनाओं के कार्यादेश दिये हैं; वहां पर कार्य चल रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमने सवा 2 वर्ष के अन्दर, मैं यह कह सकती हूं कि 2,244 करोड़ के कार्य केवल ग्रामीण, जो हमारी योजनाएं हैं, उसके तहत हम लोगों ने किये हैं।

शहरी जलप्रदाय योजनाओं की प्रगति की भी मैं आपके सामने जानकारी देना चाहती हूं। इसमें शहरी क्षेत्र के अन्दर जो हमारे 222 शहर/कस्बों के अन्दर विभिन्न पेयजल की योजनाएं हैं, इसमें 20 प्रतिशत शहरों की तो सतही जल स्रोत से हैं, 60 प्रतिशत भू-जल से हैं और 20 प्रतिशत शहरों के अन्दर दोनों ही मिक्स हैं, सतही भी हैं और भू-जल भी हैं। हमने सवा दो वर्ष में 737 करोड़ रुपये की लागत से शहरी योजनाएं स्वीकृत की हैं, जिनके काम अभी चल रहे हैं।

वृहत् पेयजल परियोजनाएं हैं, उनके अन्दर मैं कहूं तो माननीया मुख्य मंत्रीजी की यह सोच रही। पूर्व में जो सबसे पहली वृहत् पेयजल परियोजना शुरू हुई राजस्थान में, वह 1992 में माननीय स्वर्गीय भैरोंसिंहजी शेखावत साहब, जिन्होंने 'आपणी योजना' के रूप में यह वृहत् पेयजल योजना की शुरुआत की थी। उसके बाद में 1995 में बीसलपुर से अजमेर; 1996 में आई जी एन पी से जोधपुर शहर; ये सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में स्वीकृत हुईं। उसके बाद में लगातार, भारतीय जनता पार्टी की 2003

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

से 2008 की सरकार कार्यरत रही, उस समय भी माननीया मुख्य मंत्रीजी, वसुन्धराजी ने यही कहा कि हमें सतही जल से, यही हमारा लोंग टर्म फेज होगा। शोर्ट टर्म तो हम लोग पानी को शुद्ध करने के लिए कर रहे हैं, या ग्राउंड-वाटर से कर रहे हैं; उसमें भी कभी-कभी क्वालिटी प्रोब्लम आ रही है। तो उसमें सबसे बैस्ट यही होगा कि सतही जल से करें। इसलिए ड्रिंकिंग वाटर का भी पूरा काम शुरू हो चुका है राजस्थान में और उसी के साथ में यह सारा का सारा समाधान के लिए वृहत् परियोजनाओं को स्वीकृत किया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसकी भी मैं तुलनात्मक स्थिति आपके सामने रखना चाहती हूं। जो वृहत् परियोजनाओं में 2008 से 2013 में जो व्यय हुआ, वह था 6,757 करोड़ रुपये, जो 5 साल में इन्होंने व्यय किया, और हमने मात्र सवा दो साल के अन्दर 6,126 करोड़ रुपये व्यय किये; यानी, 5 साल में आपने जो वृहत् पेयजल योजना में किया, वह हमने सवा दो साल में किया। इनका जो प्रति वर्ष औसत व्यय आया, वह आया 1,351 करोड़, और हमारा जो प्रति वर्ष औसत व्यय है, वह 2,723 करोड़ का हमारा प्रति वर्ष का है। इन्होंने अपने कार्यकाल 2008 से 2013 के बीच में 23 योजनाएं पूर्ण कीं और हम अभी मात्र दो साल के अन्दर 19 योजनाएं पूरी कर चुके हैं और 18 योजनाएं अभी हम 2016-17 में पूरी करेंगे; यानी, टोटल 37 योजनाएं हमारी इस तीन साल में पूरी होंगी और आपके पांच साल में मात्र 23 योजनाएं पूर्ण कीं। जो लाभांवित जनसंख्या इन वृहत् परियोजनाओं से है, वह इनके समय में 40 लाख; हमारे दो साल के कार्यकाल में 47 लाख और अब आने वाले 5 साल के अन्दर हमारा यह लक्ष्य है कि डेढ़ करोड़ अतिरिक्त आबादी को लाभांवित करें, सतही पेयजल स्रोतों से।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद दूंगी माननीया मुख्य मंत्रीजी को जिन्होंने इस वर्ष के बजट में 6 वृहत् परियोजनाएं जो 5,265 करोड़ रुपये की बहुराष्ट्रीय वित्त-पोषण के माध्यम से स्वीकृत की हैं, जिनसे जयपुर शहर, राजसमंद, बाड़मेर की चौहटन व गुढ़ामालानी तहसीलों के गांव तथा झुन्झुनूं के सूरजगढ़ व उदयपुरवाटी विधान सभा क्षेत्र लाभांवित होंगे। सूरजगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य आपके साथ में ही सामने बैठते हैं। इसलिए कोई यह न कहे कि हमें छोड़ दिया और सिर्फ यहीं के लोगों के लिए ही किया है। ऐसा नहीं है, सबके लिए सोचा है और सूरजगढ़ के लिए भी सोचा है, जो शायद उस कार्यकाल में नहीं हो पाया, वह इस कार्यकाल में हमने किया है। (व्यवधान) वे

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

माननीय सदस्य चले गये, कोई बात नहीं, लेकिन बात तो उन तक यह पहुंच जाएगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस सरकार की जो त्रुटिपूर्ण प्लानिंग रही, उसके भी कुछ उदाहरण मैं आपके सामने देना चाहती हूं। इनके पूर्व मुख्य मंत्री, जो हमारे राजस्थान के जोधपुर से आते हैं, जोधपुर के अन्दर जो उन्होंने योजना बनाई; हमारे बहुत सारे माननीय सदस्य जोधपुर जिले से आते हैं, उन्होंने सबने अपनी बात यहां पर की थी; ए एफ डी, फ्रांस से वित्तपोषित जोधपुर शहर की परियोजना थी। इस परियोजना हेतु हमने 2007 में 550 करोड़ रुपये स्वीकृत किये थे। 2008 में इनकी सरकार बनी और 2008 से लेकर 2013 तक उस पर कोई काम इन्होंने नहीं किया। 2013 में इन्होंने 740 करोड़ रुपए जारी किये, संशोधित राशि इन्होंने एक जारी की। पूरे पांच साल में इस योजना पर मात्र 102 करोड़ रुपये के काम करवाये और हमने अभी दो वर्ष में 157 करोड़ रुपये के काम जोधपुर शहर के अन्दर करवाये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कांग्रेस सरकार के पूर्व मुख्य मंत्री, जो वहां से जोधपुर से आते हैं, उनकी जिस तरीके की प्लानिंग रही, केवल लोगों को शो करना कि हम यह काम कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और थी। जोधपुर शहर में डिस्ट्रिब्यूशन ऑफ पाइपलाइन के बारे में तो सोचा कि हम लोग इसकी स्कीम बनाएं और हम लोग ए एफ डी से लोन लें, लेकिन यह नहीं सोचा कि जो जल स्रोत आना है आई जी एन पी से, आई जी एल सी के माध्यम से, वह उसके लिए उन्होंने कोई प्लानिंग नहीं की। उसकी प्लानिंग नहीं करने का नतीजा यह रहा कि फेज-टू के अन्दर 2016 तक ही पानी उपलब्ध है आर जी एल सी में, यह मात्र 2016 तक ही है। यानी, आज हम 2016 में आ चुके हैं और लेवल इस तरीके का हो गया, जोधपुर शहर में पानी की इतनी बड़ी प्रोब्लम हो गई कि अब आपके सारी स्कीम तो हो गई है लेकिन पानी नहीं है उस स्कीम के अन्दर, उस स्कीम के द्वारा गांवों तक हम पानी पहुंचा सकें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीया मुख्य मंत्रीजी ने अभी इसका निर्देश दिया और आर जी एल सी के फेज-थ्री की हमने डी पी आर बनाने की घोषणा की। उसका काम शुरू हो चुका है और आर जी एल सी फेज-थ्री की डी पी आर बन रही है, जो अभी हमारे शेरगढ़ से आने वाले, लूणी से आने वाले और जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्यों ने यह बात अभी यहां पर रखी।

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

चम्बल-भीलवाड़ा पेयजल योजना का अभी हमारे भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि यह योजना कांग्रेस शासन के अन्दर शुरू हुई थी और शुरू हुई, तो बड़े सपने दिखाये गये कि हम भीलवाड़ा में चम्बल का पानी लेकर आ रहे हैं। केन्द्र के अन्दर मंत्री भी थे वहां सांसदजी और उस समय उन्होंने बहुत बातें भी कीं कि हम चम्बल का पानी लेकर आ रहे हैं। लेकिन उसमें भी अगर आप देखेंगे तो यह 728 करोड़, जो पाइपलाइन हमें लानी थी चम्बल नदी से लेकर और भीलवाड़ा तक, उसका फर्स्ट पैकेज था 728 करोड़। भैंसरोडगढ़ एनरूट विलेज था, भैंसरोडगढ़ रोड से होते हुए यह पाइप आ रही थी, लेकिन भैंसरोडगढ़ के गांवों को पानी नहीं पिलाया। पानी चम्बल से सीधा भीलवाड़ा लेकर आएंगे, भैंसरोडगढ़ को छोड़ दिया। हम लोग जब सत्ता में आये, तो बेगूं से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि भैंसरोडगढ़ के यहां 71 ऐसे गांव और ढाणियां हैं जिनको चम्बल वाली योजना से नहीं जोड़ा गया है, जबकि पाइप यहां से जा रही है और हम केवल पाइप की शक्ल देखेंगे, पाइप को देखेंगे और पानी हमारे यहां से जाएगा। तो हम लोगों ने सरकार में 51 करोड़ रुपये सैंक्शन करके भैंसरोडगढ़ को, उनके 71 गांवों और ढाणियों को जोड़ा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं, इन्होंने जो 728 करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी की, उसमें कांग्रेस सरकार ने पांच वर्ष के कार्यकाल में मात्र 274 करोड़ रुपये ही व्यय किये, जबकि सवा दो साल के अन्दर 357 करोड़ रुपये के काम हम कर चुके हैं और काम जारी है।

भीलवाड़ा में जो पानी लाना है चम्बल का, उसमें कहीं फोरेस्ट की प्रोब्लम आ गई, कहीं एन एच ए आई की प्रोब्लम आ गई, लेकिन बराबर हमारी मॉनिटरिंग उस पर चल रही है, बराबर उस पर मीटिंग चल रही है और बहुत शीघ्र ही फोरेस्ट की भी हम प्रोब्लम दूर कर देंगे और एन एच ए आई की भी हो जाएगी और सितम्बर तक यह पानी चम्बल का भीलवाड़ा शहर में आ जाएगा। यह मैं कह सकती हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने 30 मई, सेकंड फेज; यह तो हुआ फर्स्ट फेज, जो मेन ट्रांसमिशन का पानी भीलवाड़ा शहर में लाना है; डिस्ट्रिब्यूशन ऑफ पाइपलाइन्स जो था पूरे भीलवाड़ा जिले के अन्दर, तो उसका इन्होंने पूरे भीलवाड़ा जिले का सर्वे किया, तो इन्होंने केवल मुख्य-मुख्य

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

गांव लिये, ढाणियों को छोड़ दिया। योजना जो इन्होंने बनाई वह इतनी डिफेक्टिव योजना बनाई, 2013 में इनको लग रहा था कि अब चुनाव को फेस करना है नवम्बर में और इसलिए अभी कैसे लोगों को गुमराह किया जाए, तो 30 मई, 2013 को दूसरे चरण की 1,500 करोड़ की इन्होंने घोषणा की और जो 1,500 करोड़ रुपये की घोषणा की और जो टेंडर किया वह 2,122 करोड़ का टेंडर किया। अब आप कोई भी यह कह सकता है कि 42 परसेंट एबव, एक तरफ आप जो फाइनेंशल सैंक्शन लेते हैं 1,495 की, यानी 1,500 करोड़ की, और आप टेंडर कर रहे हों 2,122 करोड़ का। कहीं प्रावधान नहीं, किसी तरीके का, बजट के अन्दर और आपाधापी के अन्दर सारे काम इन्होंने किये कि किसी तरीके से पब्लिक में आ जाए कि टेंडर हो गया हमारा और अब काम शुरू होगा। इसलिए यह 2,122 करोड़ के कार्य आदेश के विरुद्ध जो कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुआ खर्च, इस सेकंड फेज में, वह 136 करोड़ हुआ; जबकि अभी हमारी सरकार ने सवा दो वर्ष के अन्दर 400 करोड़ रुपये का काम करवा दिया है, इस सेकंड फेज के अन्दर।

कांग्रेस सरकार की बनाई योजना में 8 शहर व 1,688 मुख्य गांव लिये; मैंने जैसा कहा कि ढाणियां आपने छोड़ दी थीं, और अब हमने इसका पूरा सर्वे कराना शुरू किया है और अब नये घोषित राजस्व ग्राम, जो अभी नये घोषित हुए हैं, उनको भी हम ले रहे हैं, ढाणियों को भी हम ले रहे हैं और इस तरीके से सारा शामिल करके, इसको हमने ढाई हजार करोड़ रुपये की योजना हमने की है और इसको हम स्वीकृत कर रहे हैं और आने वाले समय में यह पूरा आपका जिला, गांव, ढाणी, सारे इसके अन्दर जुड़ जाएंगे। क्योंकि हमारे काम करने की पद्धति यह नहीं है कि हम किसी को लें, किसी को छोड़ दें। ये जो काम करते हैं, वह पिक-एंड-चूज करते हैं; यहां हमारा एम एल ए है तो यहां तो पाइप पहुंचा दो, वहां हमारा नहीं है उसको छोड़ दो; बीच में छोड़ देंगे। आगे तक लेकर जाएंगे। जैसा अभी उदयपुर ग्रामीण के माननीय सदस्य ने कहा था कि 20 किलोमीटर दूर तक तो लेकर गये, लेकिन पास में था वह छोड़ दिया। यह नीति इनकी रही, लेकिन हम लोगों ने कभी भी ऐसा नहीं किया।

नागौर की जो योजना हम लोगों ने स्वीकृत की थी, वह नागौर की योजना पूर्ववर्ती जब माननीया वसुन्धरा जी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब नागौर शहर के अन्दर पानी लाने का काम अगर किसी ने किया तो उस सरकार ने किया। 2008 से लेकर 2013 तक शांति से

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

बैठे रहे और अभी कहते हैं कि नागौर में पानी हम लेकर आये, नागौर में पानी हम लेकर आये। पूरे पांच साल तक कोई स्वीकृति नहीं। 2013 से काम शुरू हुआ। अभी हम लोगों ने 1,500 करोड़ का शिलान्यास किया, जिसमें सारे गांवों को ले लिया। कुछ ढाणियां छूट गईं, तो उन ढाणियों की भी डी पी आर बना रहे हैं। टोटल नागौर जिले की 4 हजार ढाणियां, डेढ़ हजार गांव, सारा सब कुछ लेने का श्रेय जाता है, यह माननीया मुख्य मंत्रीजी को जाता है जिन्होंने नागौर जिले की इतनी बड़ी योजना यहां स्वीकृत की है। नागौर वह जिला था जो बांकापट्टी के रूप में कहलाता था। लोग वहां जाते हुए कहते थे कि यह नागौर जिला है, जहां पर दांत, मुंह, हाथ, पैर, सब टेढ़े-मेढ़े हो जाते हैं। वहां पर अगर यह मीठा पानी देने का काम किसी ने किया, तो वह माननीया मुख्य मंत्रीजी ने किया।

कुंभाराम लिफ्ट के बारे में यहां बहुत सारे माननीय सदस्यों ने श्रेय लेने की बात की। (व्यवधान) कुंभाराम लिफ्ट के अन्दर जो चर्चा चल रही थी, ओला साहब यहां बैठे हैं, झुंझुनूं और खेतड़ी की परियोजना आप लोगों ने स्वीकृत की थी और उस समय जल आरक्षण, आई जी एन पी से कितना जल आरक्षण रहेगा, उसके बारे में कोई डिफाइन नहीं था। कितना पानी वहां से हम लोग ड्रा करेंगे, किसी तरीके की कोई स्वीकृति नहीं। एकदम जिसको कहते हैं ना कि बिलकुल नींद से उठते हैं। जब चुनाव आता है, तब कांग्रेस की सरकारें नींद से उठती हैं और तब उनको लगता है कि अभी हमें जाना है, अब कुछ न कुछ घोषणा करो। कैसे जाएंगे पब्लिक के बीच में? इसलिए ऐसे ही नींद से उठकर 995 करोड़ की घोषणा की। कैसी? घोषणा की, जिसके अन्दर न तो वाटर रिजर्वेशन के बारे में कोई बात, वह घोषणा ऐसी...।

वहां पर चार मंत्री थे झुंझुनूं से। चारों मंत्री, राजकुमार जी शर्मा अभी भी हमारे सदस्य हैं, निर्दलीय हैं, अभी इनके साथ नहीं हैं। बृजेन्द्र जी ओला साहब ने अभी बात कही थी। राजेन्द्र जी गुढा और डा. जितेन्द्र सिंह जी, जो स्वयं मंत्री थे। ये चार मंत्री होते हुए जो घोषणा हुई, वह झुंझुनूं और खेतड़ी, केवल दो तहसीलों की की। गांव की क्लस्टर योजना मात्र झुंझुनूं तहसील व खेतड़ी की बनायी और सीकर, नवलगढ़ में परियोजना खण्ड स्थापित कर दिया। आप देखिए, योजना तो बनायी आपने खेतड़ी और झुंझुनूं की और परियोजना का खण्ड स्थापित किया, वह नवलगढ़ व सीकर। क्यों? क्योंकि राजकुमार जी मुझे उस दिन कह रहे थे कि जाकर जब लड़ाई लड़ी थी जितेन्द्र सिंह जी से,

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

तो कहा कि चलो, कुछ नहीं तो आपको एक खण्ड दे देते हैं, एक ऑफिस आपके यहां खोल देते हैं। वह ऑफिस खोल दिया, वहां अधिकारी लगा दिये, काम कुछ कराया नहीं, घर बैठे तनख्वाह दी। अब इन खण्डों का हम लोग पुनर्गठन कर रहे हैं। इसलिए अब इन खण्डों को हम लोग वहां से हटाकर इनका पुनर्गठन करेंगे।

जहां कांग्रेस सरकार ने इस योजना पर, आप लोग कहते हैं कि यह कुंभाराम लिफ्ट हमने की, हमने की; आपने पूरे में इस योजना पर मात्र 181 करोड़ खर्च किया और हमारी सरकार ने दो वर्ष में 516 करोड़ रुपये स्वीकृत कर दिये, काम करा लिये और हमारी यह पूरी कोशिश है कि अगले डेढ़ वर्ष में बचे हुए सारे कार्य भी हम लोग करवा लेंगे।

यह आप लोगों की प्लानिंग है। यह प्लानिंग आप लोग देखें।

इसके अलावा, झुंझुनूं के, उदयपुरवाटी के सदस्य बैठे नहीं हैं; इस बार के बजट के अन्दर उदयपुरवाटी और सूरजगढ़ की हम लोगों ने घोषणा की है, लगभग 800-900 करोड़ की। वह भी घोषणा है। ऐसे कई उदाहरण मैं दे सकती हूं, लेकिन बहुत लम्बा समय इसमें नहीं लेना चाहती हूं।

इसी तरीके से बीसलपुर बांध में भी क्षमता और रिजर्वेशन में कहीं अधिक योजना इन्होंने घोषित कर दी।

एक नागौर जिले की नावां तहसील के 72 गांवों की घोषणा इन्होंने की। वह जो इन्होंने की, 128 करोड़ इन्होंने योजना के अन्दर 2012-13 में बजट के अन्दर स्वीकृत किये। वह ऐसी योजना, जिसको कहते हैं ओवरलैप। अगर आप कहते हों, ऑडिट का ऑब्जेक्शन आया, कोई जांच बिठानी चाहिए। जब एक योजना थी, तो उस पर दूसरी योजना कैसे आ गयी? नागौर जिले की आलरैडी सैंक्शन योजना थी, पूरे नागौर जिले को लेना तय था, नागौर के वहीं से पानी नावां में आना था; फिर भी 128 करोड़ की योजना जाते-जाते स्वीकृत कर दी, ताकि लोगों को बता दें कि हमने कर दिया। इन 72 गांवों की डिजाइन के लिए, जो 17.9 एम एल डी थी, जबकि बीसलपुर में इसके लिए केवल 7.82 एम एल डी ही पानी था। योजना के लिए 17.9 एम एल डी पानी चाहिए था। इसमें इतना ही पानी का रिजर्वेशन था, तो भी घोषणा स्वीकृत कर दी। यह नहीं देखा कि पानी कहां से आएगा। नावां शहर तक की मांग को इसमें शामिल नहीं किया। आज नावां शहर में पानी की प्रोब्लम हो रही है,

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

लेकिन नावां शहर को इसमें नहीं जोड़ा गया। जिन 72 गांवों की मांग शामिल की, उसका पूरा तंत्र भी इन्होंने विकसित नहीं किया।

ये सारी चीजें यह दर्शाती हैं कि किस तरह की इनकी डिफेक्टिव प्लानिंग है। यह आपके सामने है। ये कुछ उदाहरण हैं। बहुत सारे उदाहरण इनके समय के मैं दे सकती हूं, लेकिन मैंने सोचा है, अभी बहुत विलम्ब हुआ है, इसलिए कुछ उदाहरण आपके सामने वृहत् पेयजल योजना के किये हैं, जिस पेयजल योजना के अन्दर आपके भी ध्यान में आ गया कि किस तरीके से आपकी सरकार, और इस सरकार का तुलनात्मक आपके सामने रखा है।

अभी हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि प्रशासनिक तंत्र का भी हम लोगों को सुदृढ़ीकरण करना है। उसके लिए भी, विभागीय कार्यप्रणाली को सुचारु बनाये रखने के लिए, सरकार की नीतियों का क्रियान्वयन करने के लिए, नियुक्तियों की बात आप लोगों ने की। वह नियुक्तियां भी, हम लोगों ने अपने यहां पर जे ईएन्स की भर्ती की, लगभग 775 जे ईएन भर्ती किये। अभी यहां पर बैठे नहीं लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, वे कह रहे थे कि क्या किया आप लोगों ने। बड़े जोर-जोर से कह रहे थे। अभी सुनते तो उन्हें पता चलता कि क्या-क्या किया। 775 जे ईएन की भर्ती की, कोई कोर्ट में नहीं गया और 775 जे ईएन ही आज ड्यूटी पर काम कर रहे हैं। इस तरीके से पूरे जे ईएन, आप लोगों ने जे ईएन को ए ईएन बना दिया, सारे जे ईएन्स खाली कर दिये; कभी सोचा नहीं कि जे ईएन का पद सबसे इंपोर्टेंट पद होता है। गांव के अन्दर एस्टिमेट बनाना है, गांव में छोटी-मोटी बात के लिए कहीं दौड़-भाग करनी है, तो वह जे ईएन जाता है, लेकिन आपने उसकी भर्ती के बारे में नहीं किया। यह हम लोगों ने किया। 159 ए ईएन की चयन की प्रक्रिया हमने पूर्ण कर ली है और इनकी शीघ्र ही हम नियुक्ति कर लेंगे। आर पी एस सी के माध्यम से की गयी एल डी सी नियुक्तियों में भी विभाग को 62 एल डी सी मिले हैं। हेल्पर्स की पे-एनोमली दूर करते हुए हमने 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर 2800 की जो पे-ग्रेड थी, उसके स्थान पर 3600 की पे-ग्रेड का लाभ हमने दिया। इससे लगभग 4 हजार से अधिक कर्मचारियों को इसका लाभ मिला। टेक्निकल कैटेगरी में इलेक्ट्रिशियन-सेकंड के 39 पदों एवं मीटर रीडर्स के 69 पदों पर सीधी भर्ती हेतु अर्थना राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर को भिजवायी जा चुकी है। अन्य पदों के लिए भी नियमों में आवश्यक संशोधन प्रक्रियाधीन हैं।

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ नवाचार जो हमारे डिपार्टमेंट में हम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में भी यहां पर उल्लेख करना चाहती हूं। हमने रियल टाइम मॉनिटरिंग शुरू करना तय किया है। विभागीय कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए आई टी के उपयोग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। योजनाओं की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति ऑनलाइन तो हम कर ही रहे थे, लेकिन अब कार्यों की प्रगति की समीक्षा भी हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं। हमारा प्रयास यह भी है कि आने वाले समय में सभी विभागीय भुगतान भी हम ऑनलाइन पर करें, जिससे विभागीय कार्यों की शत-प्रतिशत पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। जहां वर्तमान में 'प्रोमिस' मोड्यूल के द्वारा परियोजनाओं की प्रगति की मॉनिटरिंग विभाग कर रहा है, वहीं सी एम आई एस के तहत भी सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति प्रति माह अपडेट की जा रही है। सारी जितनी भी वृहत् पेयजल योजनाएं हैं उनको एवरी मंथ हम लोग मोनिटर करते हैं और यह रियल टाइम मोनिटरिंग करने हेतु बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप द्वारा विकसित किये गये टेम्पलेट को भारत सरकार के उपक्रम टी.सी.आई.एल., टेली कम्यूनिकेशन कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड को हमने कार्य दिया है और इससे हम लोग रियल टाइम मॉनिटरिंग करेंगे।

एस्क्रो मॉडल, जो आप लोगों ने काफी सुना होगा, लेकिन इस एस्क्रो मॉडल का भी मैं यहां सदन को बताना चाहती हूं कि इसका कितना बड़ा लाभ सरकार को भी होगा और पब्लिक को भी होगा। विभाग में पेयजल योजनाओं के रखरखाव हेतु सर्वाधिक व्यय विद्युत प्रभार का होता है। योजनाओं के रखरखाव हेतु कुल आबंटित राशि 1,463 करोड़ में से लगभग 1,250 करोड़ तो हमारे विद्युत प्रभार पर ही खर्च हो जाते हैं। विद्युत खपत में कमी करने के

(24.00 बजे

उद्देश्य से पम्प हाउस एवं नलकूपों का संचालन एवं संधारण एस्क्रो पद्धति पर किये जाने का हमने निर्णय लिया है। एस्क्रो पद्धति में पानी के सम्पूर्ण तंत्र के रखरखाव को अनुबंध कर दिया जाकर, अनुबंधक के निवेश से उच्च दक्षता वाली पम्पिंग मशीनरी, आदि लगाकर जलप्रदाय योजना के तंत्र को ऊर्जा दक्ष बनाया जाता है। इस प्रकार विद्युत व्यय में बचत से कुछ अंशराशि विभाग को प्राप्त होती है एवं शेष बचत से अनुबंधक अपने निवेश की भरपाई करता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने एस्क्रो मॉडल के ऊपर अभी तक कुछ शहरों में काम किये हैं और उससे हम लोगों को जो लाभ मिला है, वह भी बताना चाहती हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, सदन जिस कार्यसूची पर विचार कर रहा है वह 29 तारीख की है और अब 30 तारीख आ गई, तो 30 तारीख की कार्यसूची आप विचारार्थ ले रहे हैं। आसन सर्व शक्तिमान है, ले सकता है। तो पूरी लेंगे, या सिर्फ आज की इन मांगों तक ही सीमित रखेंगे?

श्री उपाध्यक्ष: यह आप आसन पर छोड़ो न। आसन अपने समय पर निर्णय दे देगा। तब तक आप...

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): इस एस्क्रो मॉडल के अन्दर हमने अभी तक उदयपुर-जयसमन्द योजना ली, जोधपुर-कायलाना हैडवर्क्स, भीलवाड़ा-कांकरोलिया घाटी हैडवर्क्स, भरतपुर शहर, इत्यादि का संचालन एवं संधारण जो एस्क्रो पद्धति पर किया, उस पर विद्युत व्यय में प्रतिवर्ष लगभग 25 करोड़ की बचत हमने की है। जोधपुर में राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल पर 8 पम्पिंग स्टेशनों के संचालन एवं संधारण हेतु जो एस्क्रो पद्धति पर हाल ही में हमने दिया है, उस पर भी लगभग 15 करोड़ रुपये की हमारी वार्षिक बचत होगी।

राज्य सरकार द्वारा पायलट स्टडी के तौर पर भारत सरकार के उपक्रम ई ई एस एल, एनर्जी एफिशियेंसी सर्विसेज लिमिटेड के माध्यम से अजमेर जिले में हमने एस्क्रो का कार्य हाथ में लेना तय किया है। एस्क्रो मॉडल पर पूरे अजमेर जिले को ले रहे हैं जहां पर लगभग 48 पम्पिंग सेट हम लोग बदलेंगे और यह हमारा अनुमान है, उसकी डी पी आर से, कि 3.85 करोड़ रुपये की हमारी वार्षिक सेविंग इसके ऊपर होगी।

इसी प्रकार, अजमेर के बाद में हम लोग उदयपुर, 'आपणी योजना' क्षेत्र के पूरे जितने भी एरियाज हैं, वे; बीकानेर, कोटा, अलवर तथा जयपुर जिले के सभी शहरों एवं ग्रामीण योजनाओं और जोधपुर व भरतपुर की ग्रामीण योजनाओं पर स्थापित मोटर पम्पों को भी एस्क्रो मॉडल के तहत बदलेंगे।

हम लोगों ने यह तय किया है कि 10 वर्ष से पुराने जो भी बंद हैं, उनको इस एस्क्रो मॉडल पर लेंगे और आगामी तीन वर्षों में राज्य की सभी शहरी एवं ग्रामीण पेयजल योजना को एस्क्रो मॉडल के ऊपर लेंगे।

सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वाटर, यह पहली बार होगा जब हिन्दुस्तान में, अभी कलकत्ता के अन्दर वैस्ट बंगाल में जरूर एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वाटर आ रहा है, बाकी राजस्थान ही एक ऐसा प्रदेश है जहां पर यह सेंटर

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

ऑफ एक्सीलेंस फॉर वाटर होना चाहिए, जिसकी अभी तक कमी थी। हम लोगों ने यह तय किया है कि इसकी स्थापना करेंगे। 'रिसर्जेंट राजस्थान' में माननीया मुख्य मंत्रीजी ने इसके अन्दर दक्षिणी आस्ट्रेलिया सरकार के साथ में एक एम ओ यू किया था और उसमें जल प्रबन्धन के क्षेत्र में क्षमता, संवर्द्धन, रिसर्च, ज्ञान प्रसार का कार्य इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वाटर मैनेजमेंट के अन्दर किया जाएगा। राजस्थान में पानी की कमी एवं गुणवत्ता से जो सर्वाधिक प्रभावित है, उसमें यह संस्था मील का पत्थर साबित होगी। इस कार्य हेतु हम लोग इस वर्ष 5 करोड़ रुपये सैंक्शन कर रहे हैं और इसका काम हम इसी वर्ष शुरू कर देंगे।

हमने अभी जब यहां पर चर्चा हो रही थी, माननीया मुख्य मंत्रीजी द्वारा जो मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन योजना शुरू हुई है, उसी के अन्दर यहां पर सब लोग कह रहे थे कि उससे क्या लाभ होगा, तो मैं एक 23 तारीख की पेपर की न्यूज है जो बताना चाहती हूं, 'सूखे तालाब में फूट निकली जल धारा', 'मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान ने दिखाया चमत्कार'। इसमें इस योजना की सफलता की कहानी आई है। बांसवाड़ा जिले की बागीदौरा पंचायत समिति के अन्तर्गत छिरोला बड़ा गांव की यह घटना है, जहां पर मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन में जो सारा डिगिंग का काम हो रहा था, वहीं पर एक धारा फूटी है और पानी आया है। लोगों को आश्चर्य हुआ कि ऐसी गर्मी में भी इतना बढ़िया पानी यहां पर आया है। इसी के लिए हम लोगों ने पी एच ई डी से भी यह तय किया है कि अब ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर जो भी जल संरक्षण के काम करेंगे, ऐसे प्रत्येक जिले में तीन पंचायतों को हम वर्षा जल संग्रहण का उत्कर्ष कार्य करने पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार के रूप में क्रमशः 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख रुपये की नकद राशि दी जाएगी, जिसका उपयोग वे जल संरक्षण के कार्य में करेंगे। 33 जिलों के अन्दर इस तरीके का करेंगे।

एक मोबाइल लैब भी हम लोग शुरू कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मोबाइल लैब होगा, जहां पर हमारे पेयजल की गुणवत्ता का परीक्षण करने की यह लैब होगी। अभी तक जो प्रयोगशालाएं हैं वे जिला स्तर पर हैं और अब हम लोग उसको जिले से ब्लॉक लेवल के ऊपर लेकर गये हैं और ब्लॉक लेवल के अन्दर भी हम लोग उसको मोबाइल वैन के रूप में रख रहे हैं, ताकि यह मोबाइल लैब रहेगी, तो जहां पर भी अगर गुणवत्ता से प्रभावित कोई क्षेत्र होगा, पेयजल की कोई समस्या होगी, तो वहां वे जा सकेंगी और कलेक्टर के निर्देशन पर ये मोबाइल लैब चलेंगी।

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

माननीय उपाध्यक्ष जी, अभी बहुत सारे माननीय सदस्यों ने कहा कि हमारे यहां पर अवैध कनेक्शंस हो रहे हैं, अवैध कनेक्शंस कटने चाहिए, हम लोग एफ आई आर लॉज करते हैं तो एफ आई आर भी लॉज होनी चाहिए और ये सारी चीजें अभी माननीय सदस्यों ने कहीं। इसके लिए भी हम लोगों ने तय किया है कि विजिलेंस स्क्वॉड हम शुरू करेंगे और प्रदेश में पेयजल की चोरी एवं अवैध कनेक्शन को रोकने के लिए बिजली विभाग की तर्ज पर इस विभाग में भी जिला स्तर पर विजिलेंस स्क्वॉड गठित किये जाएंगे, जो हर डिस्ट्रिक्ट के अन्दर चलेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष जी, कुछ घोषणाएं मैं आपके माध्यम से करना चाहती हूं। 12 बजकर 5 मिनट। आप कहो तो घोषणा करें, नहीं तो नहीं करें। हमारे ट्राइबल एरिया से आये हुए बहुत सारे माननीय सदस्यों ने बात बार-बार कही कि हमें कुछ शिथिलता हमारे इसमें होनी चाहिए कि जो आपकी योजनाएं हैं, क्योंकि हमारी योजनाएं हैं उनमें डेढ़ हजार तक हैण्डपम्प, डेढ़ हजार से चार हजार पम्प एण्ड टैंक के ऊपर लेते हैं और चार हजार से ऊपर हम पाइपलाइन स्कीम बनाते हैं; इन्होंने कहा कि हमारे तो पाइपलाइन स्कीम इसीलिए नहीं बन सकती हैं क्योंकि हमारे वहां बिखरी आबादी रहती है और ऐसे ट्राइबल एरियाज के अन्दर हम लोग कभी पाइपलाइन स्कीम ले नहीं सकते। इसलिए हमने यह तय किया है कि पहले चरण में यह चार हजार की आबादी के नार्म्स में शिथिलता प्रदान करते हुए, टी एस पी एरिया और बी ए डी पी, जो बोर्डर एरियाज हैं, उन दोनों के अन्दर तीन हजार से अधिक आबादी वाले ग्रामों को घर-घर कनेक्शन का कार्य हाथ में ले रहे हैं। तो वह शिथिलता देकर चार हजार से तीन हजार की है। इसमें बी ए डी पी के अन्तर्गत आने वाले गांव तथा जनजाति उप-योजना अन्तर्गत आने वाले बांसवाड़ा, डूंगरपुर, दोनों सम्पूर्ण जिले हैं; उदयपुर की 7 तहसीलें व गिर्वा एवं गोगुन्दा तहसील के कुछ गांव; प्रतापगढ़ जिले की प्रतापगढ़, अरनोद, धरियावद व पीपलखूंट; तथा सिरोही जिले का आबू रोड ब्लॉक इसके अन्दर आयेगा।

'आपणी योजना' के बारे में हमारे नोहर से आने वाले माननीय सदस्य ने और बहुत सारे माननीय सदस्यों ने कहा। तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने, राजगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने, सब ने कहा कि इस 'आपणी योजना' के अन्दर भी शिथिलता देनी चाहिए। उन्होंने भी कहा कि आपने फिफ्टी परसेंट-फिफ्टी

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

परसेंट का कहा था कि जन सहयोग का करेंगे और अभी तक आपने उसकी कोई पॉलिसी नहीं बनाई है। तो हम लोगों ने पॉलिसी बना ली है और अब आपको भी हम तीन हजार से अधिक आबादी के जहां पर भी हैं, वहां पर घर-घर कनेक्शन में फिफ्टी-फिफ्टी, 50 प्रतिशत जन सहयोग, 50 प्रतिशत राज्य सरकार, इस तरीके से वहां पाइप स्कीम करने का हम लोगों ने तय किया है, टोटल 'आपणी योजना' के क्षेत्र के अन्दर।

यहां पर यह भी कहना चाहूंगी, जो अभी बात आई थी कि टैरिफ बढ़ाई गई है, 17 वर्ष के बाद राज्य सरकार द्वारा माह नवम्बर, 2015 में पानी की दरें हमने बढ़ायीं। यहां यह उल्लेखनीय है कि यदि तुलना की जाए, तो कर्नाटक के बैंगलूरू शहर में पेयजल की घरेलू उपभोग की दरें 7 रुपये से 26 रुपये प्रति किलोलीटर हैं; महाराष्ट्र में ये दरें 11 से 22 रुपये प्रति किलोलीटर हैं। इसके विरुद्ध, बढ़ी हुई दरों के बावजूद, राजस्थान में घरेलू उपभोग की दरें 1 रुपये 56 पैसे से लेकर 5 रुपये प्रति किलोलीटर ही हैं। इसमें भी मैं यह स्पष्ट करना चाहती हूं कि अति आवश्यक 8 हजार लीटर प्रति माह की उपभोग की न्यूनतम दरों में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया। देश में पानी की लागत सबसे अधिक राजस्थान में पड़ती है, परन्तु फिर भी हमारी दरें देश में सबसे न्यूनतम हैं। आज मैं यहां पर यह कहना चाहूंगी कि जो प्रति वर्ष एक अप्रैल से दस प्रतिशत वृद्धि नियत है, लेकिन क्योंकि अभी नवम्बर महीने में ही हमने दर बढ़ायी है, इसलिए इस वर्ष हम लोग कोई नहीं बढ़ायेंगे और दस प्रतिशत की वृद्धि आगामी 1 अप्रैल, 2017 में करेंगे।

यहां प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के अन्दर सबने कहा कि कुछ हमारे लिए भी बताओ कि क्या होगा, तो जो अभी हमने कहा कि 1000 सौर ऊर्जा आधारित नलकूप लगायेंगे, उसमें 200 ही विधान सभा क्षेत्रों के अन्दर 5-5 सौर ऊर्जा आधारित नलकूपों की स्थापना की जाएंगी।

मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान को प्रभावी बनाने के लिए विभाग द्वारा समस्त नये हैण्डपम्प और नलकूप जो निर्माण किये जायेंगे, उनमें वाटर रिचार्जिंग स्ट्रक्चर्स के साथ ही ये हैण्डपम्प और ट्यूबवेल्स किये जायेंगे।

गौशालाओं को पेयजल उपलब्ध कराने की दृष्टि से भी हम लोग विचार रखते हैं और पेयजल स्रोत अथवा पेयजल लाइन से 300 मीटर की दूरी के तहत अगर कोई आने वाली गौशाला होगी, तो उसमें पेयजल की उपलब्धता

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

व उचित दबाव के अनुरूप, मांग अनुसार, एक इंच व्यास तक का कनेक्शन घरेलू श्रेणी में उपलब्ध कराया जायेगा।

बांदीकुई उपखण्ड कार्यालय के बारे में बांदीकुई से आने वाली हमारी माननीय सदस्या ने कहा, तो उनकी भी मैं घोषणा करती हूं कि बांदीकुई भौगोलिक एवं प्रशासनिक नियंत्रण की स्थिति को मध्यनजर रखते हुए, उपखण्ड क्षेत्र के कार्य को अधिक प्रभावी बनाने के लिए बांदीकुई उपखण्ड कार्यालय का स्थानान्तरण, खण्ड महुवा में जो था, उसे खण्ड दौसा के अधीन किये जाने की मैं घोषणा करती हूं।

इसी तरीके से एक्स ईएन प्रोजेक्ट का एक डिविजन फतेहपुर, जैसलमेर में शिफ्ट करने की भी..., गुढ़ामालानी के माननीय सदस्य, अगर यहां पर बैठे हों, उन्होंने भी यह रिक्वेस्ट की थी, तो वह भी कर रहे हैं; कर दिया है।

छोटी दुकान, जो सिर्फ हमारी कपड़े की दुकान है, या किराने की दुकान है और वहां पर कामर्शियल रेट्स आ रही थीं, उसको हम लोग कन्वर्ट करके, उसको रेजिडेंशल रेट्स के ऊपर ही लेंगे। इसलिए यह जो कुल क्षेत्रफल 200 वर्गफीट तक का जहां पर होगा, उन वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को राहत देने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा ऐसे उपभोक्ता जो पेयजल सम्बन्धों को घरेलू उपयोग श्रेणी में चार्ज किये जाने की घोषणा करते हैं, वहां पर ऐसे जहां सामान्य किराना स्टोर हैं, चिकित्सकों के क्लिनिक हैं, अधिवक्ताओं के कार्यालय हैं, ऐसे हैं, उनमें घरेलू श्रेणी की दरें लागू की जायेंगी और बाकी व्यावसायिक के अन्दर ही आयेगा।

बहुमंजिला परिसरों को पेयजल की व्यवस्था के बारे में भी बार-बार आ रहा है कि मल्टीस्टोरी बिल्डिंग्स को हम लोग कैसे क्या करेंगे। तो यहां पर अभी हमने एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जयपुर शहर के चार क्षेत्र, बनीपार्क, सी-स्कीम, बापू नगर और राजापार्क-तिलक नगर, इन चार क्षेत्रों को हमने लिया है। इसमें भी सहभागिता के अन्दर बहुमंजिला परिसरों में पेयजल सुविधा के लिए आवश्यक पूंजीगत कार्यों की लागत के आधार पर राशि रुपये 62/- प्रति वर्ग फीट लागत दर का आकलन किया गया है। ऐसे परिसरों में सम्बन्ध हेतु उपभोक्ता को जल सम्बन्ध परिसर के कुल बिल्ट-अप क्षेत्रफल के विरुद्ध रुपये 62/- प्रति वर्ग फीट की राशि जमा कराये जाने की स्थिति में पेयजल

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

सम्बन्ध जारी किये जा सकेंगे तथा उपभोग किये जल के विरुद्ध निर्धारित श्रेणी के अनुसार जल शुल्क चार्ज किया जायेगा।

मैं कुछ शहरी क्षेत्र की घोषणा करना चाहती हूं। श्रीगंगानगर, सूरतगढ़, शहरी जलप्रदाय योजना के संवर्द्धन के लिए 24 करोड़ रुपये स्वीकृत करते हैं। हनुमानगढ़-नोहर के अन्दर शहरी जलप्रदाय योजना, नोहर के पुनर्गठन हेतु आठ करोड़ रुपये। शहरी जलप्रदाय योजना, पीलीबंगा के संवर्द्धन के लिए 1.57 करोड़ रुपये। शहरी जलप्रदाय योजना, बीकानेर पूर्व में बंगला नगर स्थित हैडवर्क्स के निर्माण के लिए आठ करोड़ रुपये। शहरी जलप्रदाय योजना, बीकानेर के अन्तर्गत करणी औद्योगिक क्षेत्र स्थित राजकीय इंजीनियरिंग कालेज को पेयजल आपूर्ति हेतु, बीकानेर पश्चिम की है यह, उसके लिए एक करोड़ रुपये। शहरी जलप्रदाय योजना, भीण्डर के पुनर्गठन के लिए चार करोड़ रुपये। शहरी जलप्रदाय योजना, उदयपुर में पुरानी एवं जर्जर पाइपलाइनों को बदलने के कार्य हेतु पांच करोड़ रुपये। उदयपुर में ही मानसी वाकल योजना पर स्काडा सिस्टम लगाने के लिए 1.63 करोड़ रुपये। शहरी जलप्रदाय योजना, बेगूं के संवर्द्धन के लिए 1.50 करोड़ रुपये। शहरी जलप्रदाय योजना, आमेट के पुनर्गठन हेतु 10 करोड़ रुपये। शहरी जलप्रदाय योजना, फलौदी के लिए 10 करोड़ रुपये। शहरी जलप्रदाय योजना, सुमेरपुर के संवर्द्धन के लिए 15 करोड़ रुपये। अजमेर-साउथ में तीन एस आर सैंक्शन किये हैं, 3.90 करोड़ रुपये। शाहपुरा एवं मनोहरपुरा के आग्मैंटेशन के लिए 7 करोड़ रुपये। बाड़मेर में पचपदरा के लिए हम लोगों ने पांच करोड़ रुपये दिये हैं। सांचौर के लिए पांच करोड़ रुपये। लाडनूं में 10 करोड़ रुपये। सिवाना, 4.70 करोड़ रुपये। टोडारायसिंह, 7.50 करोड़ रुपये। गंगापुर सिटी, 7.50 करोड़ रुपये। सवाई माधोपुर, 18 करोड़ रुपये। सवाई माधोपुर के माननीय सदस्य बैठे नहीं हैं, उनकी बहुत बड़ी प्रोब्लम थी,...(व्यवधान) खण्डार के लिए दो करोड़ रुपये। रामगंजमण्डी, 14 करोड़ रुपये। कोटा-उत्तर, पांच करोड़ एवं कोटा-दक्षिण भी पांच करोड़ और लाडपुरा भी पांच करोड़ रुपये, जहां पुरानी पाइपलाइन को बदलने का कार्य होगा। सोजत सिटी के अन्दर, पांच करोड़, जो इन्होंने मांग की थी। जैतारण में योजना का पुनर्गठन करने के लिए, एक करोड़ रुपये।

जयपुर के समस्त शहरी क्षेत्र की पुरानी एवं जर्जर पाइपलाइन के लिए, पूरे जयपुर शहर के लिए अलग-अलग एरिया में दिया है, विद्याधर नगर के अन्दर 4.60 करोड़ रुपये। हरमाड़ा क्षेत्र के बीसलपुर परियोजना से जोड़ने

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

का कार्य। विद्याधर नगर में ही मुरलीपुरा योजना में उच्च जलाशय का निर्माण करने हेतु 3.30 करोड़ रुपये। सांगानेर विधान सभा क्षेत्र में विधान सभा नगर में बीसलपुर पेयजल उपलब्ध कराने हेतु पांच करोड़ रुपये। सिविल लाइन्स विधान सभा क्षेत्र में प्रदूषित पाइपलाइन को बदलने हेतु पांच करोड़ रुपये। झोटवाड़ा क्षेत्र के अन्दर प्रदूषित पाइपलाइन बदलना एवं नई पाइपलाइन डालना, पांच करोड़ रुपये। हवामहल में गंगापोल क्षेत्र के अन्दर प्रदूषित पाइपलाइन को बदलने हेतु पांच करोड़ रुपये। किशनपोल में प्रदूषित पाइपलाइन को बदलने हेतु पांच करोड़ रुपये। मालवीय नगर, सी-स्कीम योजना के संवर्द्धन के लिए छह करोड़ रुपये। आदर्श नगर जामडोली क्षेत्र में पाइपलाइन व नलकूपों के निर्माण हेतु 3.40 करोड़ रुपये। आदर्श नगर के रामगंज क्षेत्र में प्रदूषित पाइपलाइन बदलने हेतु 2.10 करोड़ रुपये। विराट नगर बादशाहपुर स्रोत से विराट नगर राइनिंग मेन, दो करोड़ रुपये।

बयाना के अन्दर ब्रह्मवाद में एक जलाशय का निर्माण करने हेतु एक करोड़ रुपये। चूरू में पेयजल योजना के लिए हम लोगों ने तीन करोड़ रुपये दिये हैं। निम्बाहेड़ा विधान सभा क्षेत्र से आने वाले माननीय सदस्य ने, वहां पर भी पेयजल का स्रोत है, उसकी उपलब्धता अगर होगी, तो निम्बाहेड़ा शहर के अन्दर भी उसके पुनर्गठन का लिया जायेगा।

जयपुर-बीसलपुर पेयजल परियोजना के द्वितीय चरण की जो योजना है, वह 1,945 करोड़ रुपये की माननीया मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की। मेन ट्रांसमिशन से पानी लाना, बीसलपुर से, बालावाला से यहां तक पानी लाने की यह घोषणा है। उसके बाद में दो डी पी आर बन रही हैं। जिस तरीके से बार-बार बात आ रही है कि जयपुर का जो नगर निगम क्षेत्र है, उस पूरे नगर निगम क्षेत्र को बीसलपुर से हम लोगों को जोड़ना है। तो उसके लिए नोर्थ और साउथ दोनों की डी पी आर बन रही है और डी पी आर बनकर आती है, तो उसके बाद में उसके बारे में भी हम विचार करेंगे। अभी फिलहाल 1,945 करोड़ रुपये की माननीया मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है।

डी पी आर बनाने की भी हम घोषणा कर रहे हैं। राजसमन्द जिले की भीम और देवगढ़ तहसीलों को चम्बल-भीलवाड़ा परियोजना अथवा बीसलपुर बांध परियोजना से लाभान्वित करने की फीजिबिलिटी चैक करने के लिए डी पी आर। एक लाख से अधिक आबादी वाले 25 शहरों की पेयजल परियोजनाओं

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

के पुनर्गठन की डी पी आर, जहां पर वर्ष 2045 तक के लिए लाभान्वित करने हेतु इसकी पूरी डी पी आर बनाई जायेगी। इसमें जो शहर हैं, वे हैं झालावाड़, भिवाड़ी, ब्यावर, हनुमानगढ़, गंगापुरसिटी, हिण्डौन सिटी, सुजानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, अलवर, भरतपुर, सीकर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, चूरू, बारां, चित्तौड़गढ़, नागौर, बूंदी, भीलवाड़ा, किशनगढ़, जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर। इनको चिह्नित किया है। इसके अलावा, अलवर जिले के खैरथल, खेड़ली एवं किशनगढ़बास की भी पेयजल योजना के संवर्द्धन हेतु डी पी आर बनाई जायेगी।

एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा है। अभी तक जितने भी गांव 10,000 से ऊपर की जनसंख्या के हैं, उनके संवर्द्धन के बारे में आज तक किसी ने नहीं सोचा। वह भी हम लोगों ने इस बार लिया है। उनकी भी हम डी पी आर बना रहे हैं। जितने भी ऐसे 10,000 से अधिक आबादी वाले जो गांव हैं, उनकी पेयजल परियोजना का पुनर्गठन करने के लिए, उनकी डी पी आर बनाई जायेगी।

नागौर जिले की ढाणियों को इन्दिरा गांधी नहर योजना से, जो मैंने पूर्व में कहा था कि ढाणियां जो छूट गई थीं, उनको भी हम लोगों ने जोड़ लिया है और ऐसी लगभग 1,926 ढाणियों को भी इसके अन्दर लेकर, उनकी भी डी पी आर बनवा रहे हैं।

कपासन में भी पानी की उपलब्धता के ऊपर हम लोग निश्चित रूप से घोषणा कर लेंगे।

इसलिए मैं यह कह सकती हूं, माननीय उपाध्यक्षजी, भाजपा सरकार की हमारी जो माननीया मुख्य मंत्रीजी हैं, यह उनकी दूरदर्शिता है और ये सारी चीजें हम लोग आज कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से जो हाल छोड़कर गयी थी कांग्रेस की सरकार, उस हाल के अन्दर पैसों का पूरा ही इन्होंने सफाया कर दिया था। किसी तरीके का कुछ भी इन्होंने छोड़ा नहीं था। उन सबके बाद में ही आज इतनी सारी घोषणाएं हम लोग कर पा रहे हैं, वह मात्र मुख्य मंत्रीजी की संवेदनशीलता है...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट। मंत्रीजी, एक मिनट। पैसों के सफाये के साथ-साथ कांग्रेस का भी सफाया कर दिया। देख लो, अब कहां पर आ गये। पूरी प्लानिंग से काम करके गये हैं गहलोत साहब। बार-बार मत कहो आप।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): और अभी इतने हैं। इससे और ज्यादा सफाई होगी। इतनी सारी योजनाएं हो जायेंगी, फिर और थोड़ी सफाई हो जायेगी इनकी।

इसलिए मैं यही कहूंगी कि हम लोग तो इसी बात में विश्वास रखते हैं कि-

जो चलते हैं मंजिल की ओर, वे शिकवा नहीं किया करते।

और जो करते हैं शिकवे-गिले, वो मंजिल पर कभी पहुंचा नहीं करते।

मांग संख्या 27 को पारित करने के लिए मैं आपसे आग्रह करती हूं।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीया मंत्रीजी ने फरमाया है कि कुंभाराम लिफ्ट योजना के लिए इंदिरा गांधी नहर से कोई व्यवस्था नहीं की गई। मैं उनको बताना चाहता हूं, वे अपनी जानकारी करेक्ट कर लें, 2050 तक जितना पानी चाहिए पी एच ई डी को, उतने पानी की सहमति इंदिरा गांधी विभाग ने दी है। आपने यह कहा कि आपने तो 182 करोड़ रुपये ही खर्च किये हैं, हमने कार्यादेश जारी किये थे अगस्त में और नवम्बर तक इतना खर्चा हुआ, और सवा-दो साल में आपने कितना किया है, वह कंपेरिजन कर लें।

श्री उपाध्यक्ष: डा. राम प्रताप।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहता हूं कि पिछली साल मंत्रीजी ने भरतपुर संभाग में मेरे विधान सभा क्षेत्र के सैफऊ की पानी की योजना के लिए स्वयं ने घोषणा की थी। उस योजना का कहीं भी मंत्री महोदया ने नाम नहीं लिया और न मेरे विधान सभा क्षेत्र में आज तक कुछ किया। मंत्री महोदया कह रही हैं, हमने यह किया, ये किया, पूरे प्रदेश में ये किया; एक भी वहां जाकर कोई गड्ढा भी नहीं खुदवाया। (व्यवधान) क्यों बैठ जाएं? हम सब बैठने के लिए नहीं आये हैं, आपसे लड़ने के लिए आये हैं। जैसे आप टेबल बजा रहे हों ना, इसी तरीके से हमने बजाई। हम वहां से उठकर यहां पर आ गये, आप ऐसे झूठी टेबल बजाते रहे, आप भी वहां से उठकर यहां आ जाएंगे। थोड़े दिनों की ही बात है।

मंत्री महोदया ने बड़ी-बड़ी बातें कीं, बड़े-बड़े जिक्र किये। आपने पहले जो घोषणाएं की, उन घोषणाओं का क्या हुआ? उनकी पहले पूर्ति तो करो। आपने वादा किया कि हम एक साल में पानी आपको पिला देंगे, एक साल में वहां पर अभी तक तो पानी की पाइपलाइन भी आपने नहीं बिछाई।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठ जाएं।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 46 पर माननीय सदस्यों ने बड़े ही रचनात्मक सुझाव दिये हैं। मैं बिना किसी औपचारिकता के, क्योंकि पहले जलदाय मंत्री महोदया ने कितना पानी है, ये सारी बातें बता दीं। इसलिए उसको रिपीट करने की मैं आवश्यकता नहीं समझता।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन में कुछ ऐसे सदस्य हैं, पार्टी लाइन से हटकर के बात कर रहा हूं, जिनके बारे में मेरे दिमाग में सज्जनता की भी पराकाष्ठा है। उनमें से झुंझुनूं से आने वाले माननीय सदस्य ओला साहब हैं। आज जब ये बोल रहे थे, तो कुछ बातें इन्होंने कहीं कि यह यमुना वाटर के बारे में हमने कुछ कोशिश नहीं की, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर से बात नहीं की। तो मैं आपको, वैसे तो लगातार हम दिसम्बर 2013 से सम्पर्क में हैं, मीटिंग्स में भी गये हैं, लेकिन हमारी माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने दो दफा पत्र लिखे हैं, वह मैं आपको डेट दे देता हूं, 10.2.2014 को और दूसरा लिखा है 8.12.2014 को।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी औपचारिक मीटिंग नहीं हुई, हरियाणा के मुख्य मंत्री की और राजस्थान की मुख्य मंत्री की। वैसे तो हो गई होगी फोन पर, चिट्ठी भी लिखी है, आपने भी लिखी है, पर हमको दबाव बनाने के लिए औपचारिक मीटिंग भी करनी चाहिए।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): दबाव हमने पूरा लगा रखा है।

20.3.2015 की जो आपने बात कही, मैं खुद स्वयं मीटिंग में गया था और उसके मिनिट्स में "Rajasthan strongly raised the matter in 6th meeting of Upper Yamuna Review Committee held on 20th March, 2015." हम हमारी तरफ से प्रयास कर रहे हैं!

आपने जो कहा था कि यहां भी सरकार आपकी है, हरियाणा में भी आपकी है, दिल्ली में भी आपकी है और पंजाब में भी आपकी है; मैं आपको स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, बिना राजनीति के, कहीं किसी भी पार्टी का राज हो, वह स्टेट अपने हक की बात करती है। और आपको तो एक्सपीरियंस है, पहले आपका राज हर जगह ही था, फिर भी आप नहीं ले सके।

तो ये ऐसी बातें हैं, आपके लिए मैं अच्छा नहीं मान रहा हूं। और तो कोई बात नहीं है।

(डा. रामप्रताप)

दूसरा, आपने एक मुद्दा उठाया, आई जी एन पी शायद आपके पास पहले डिपार्टमेंट भी रहा है, आपने 200 आर डी की मेन कैनाल की लाइनिंग की बात की थी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर इस बात को निकालकर के मैं बैठूं, मैं थोड़ा गलती कर रहा हूं कि मेरे को उधर नहीं कहना चाहिए, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि अगर इस एक इश्यू को उठाकर देखा जाए और कहीं कोई, मेरे ख्याल से, कोई सज़ा हो इसके लिए, तो जो लोग, those who were at the helm of affairs, they should be punished like anything.

200 आर डी जो मेन कैनाल की हैं और पीछे का पंजाब का पार्ट है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2007 में वसुंधरा जी ने हरिके से लेकर पूरा जैसलमेर के तनोट तक इसका निरीक्षण किया था और न केवल निरीक्षण किया, निरीक्षण करने के बाद में इसका तखमीना बनाकर के केन्द्र सरकार को भेजा। पंजाब पार्ट का जो था, वह 952 करोड़ रुपये का था। उसका इन्वेस्टमेंट क्लीयरेंस हो गया, क्लीयरेंस होने के बाद में एम ओ यू हो गया, लेकिन चूंकि काम हमारा था, हमने प्रयास नहीं किया, पोलिटिकली उसको प्रेशराइज नहीं किया, तो पंजाब ने उस काम को नहीं किया और वह एक्सपायर हो गया।

राजस्थान का जो 200 आर डी का फरमा रहे हैं ओला साहब, उसमें तो हमने और ही गलती की। इन्वेस्टमेंट क्लीयरेंस के बाद में हमने एम ओ यू ही नहीं किया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब यह जिम्मेदारी मुझे दी गई, तो आपको आगे वाली बात बताते हुए मुझे भी संकोच हो रहा है कि शायद आपके बिलकुल ही नहीं जचेगी, लेकिन यह हकीकत है। मैंने मेरे चीफ इंजीनियर, हनुमानगढ़ नॉर्थ के जो थे, उनसे टेलीफोन से बात की। पंजाब पार्ट में तो, चलो, पंजाब है, वह डिपोजिट वर्क के तौर पर कर रहा था, लेकिन राजस्थान का जीरो आर डी से 200 आर डी का काम था रिलाइनिंग का, यह हमने क्यों नहीं किया? आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि उस आदमी ने मुझे सीधा ही कहा, बोले, साहब, इस काम को तो हम भूल ही गये थे। मतलब, राजस्थान के 12 जिले और राजस्थान की चार कांस्टिट्यूएंसी के पार्टस, मतलब, बुरी तरह से प्रभावित हैं और उस काम को अधिकारी तो, चलो, भूल जाएं, लेकिन वे जन-प्रतिनिधि क्या कर रहे थे, मैं यह पूछना चाहता हूं, पूरे दो जिलों के जन-प्रतिनिधि? 90:10 के अन्दर हमारी स्कीम थी और वह पैसा हमारा लैप्स हो गया। आज हम उसके लिए दुबारा रिवाइज करने के लिए प्रयास कर रहे हैं।

(डा. रामप्रताप)

यह मेरे ख्याल से इससे ज्यादा ग्लैयरिंग एग्जाम्पल नहीं हो सकता नेग्लीजेंसी का। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए, उतनी कम है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये मेरे पास में डाक्यूमेंट्स हैं, इसलिए ओला साहब मेरी बात पर एतबार कर लेंगे।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय हेमाराम जी साहब जल संसाधन मंत्री थे और उस एरिया के जितने भी जन-प्रतिनिधि थे, उनकी उन्होंने मीटिंग बुलाई थी, पानी की बंदी लेने के लिए। पंजाब का पार्ट तो इसलिए नहीं हो सका था कि उन्होंने टेंडर नहीं किये। पंजाब में उस साल चुनाव होने वाले थे। जैसा आपने फरमा दिया, पर जो भी उस एरिया के जन-प्रतिनिधि थे, उन सबने, यहां एक तो सदन में हैं ही नहीं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा; गंगानगर से आने वाले सदस्य थे और संगरिया से आने वाले थे, उन सबने अपनी सहमति नहीं दी, उसमें बंदी लेने के लिए। इसलिए वह काम नहीं हो सका।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): मैं अपने आपको रोक नहीं सकता, इसलिए बीच में खड़ा हो रहा हूं। एक बंदी के लिए आप इतना बड़ा काम छोड़ रहे हो, और जन-प्रतिनिधि नहीं मान रहे, यह कोई पैलेटेबल चीज थोड़ी ही है। यह काहे बात थोड़े ही हुई। फिर काई की गवर्नमेंट है और किसलिए इतना बड़ा काम कर रहे थे? आज यहां अगर चार एम एल ए यह कह दें कि साहब, हम बंदी नहीं लेंगे, तो पूरे पश्चिमी राजस्थान को मार दूं? 12 जिले हैं इसके ऊपर और आज हम इसके लिए तड़प रहे हैं, पैसे लेने के लिए। जैसलमेर से नहीं, यहां से लेकर के लो, पूरा का पूरा पड़ा है आपका नागौर तक।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि फोर-वाटर कॉन्सेप्ट योजना जो लागू की गई, उसकी अवधारणा का मूल कारण सिर्फ एक था कि जो आदमी में कमी होती है, उसके लिए रोने से काम नहीं चलता है; उसके वे-आउट निकालने होते हैं। तो माननीय मुख्य मंत्री महोदया पानी को लेकर बड़ी भारी चिंतित थीं और पानी को हम किस तरीके से बचा सकें, उसी अवधारणा को आगे लेकर के फोर-वाटर कॉन्सेप्ट की योजना के बारे में सोचा गया और उसके आधार पर राज्य के माही, चंबल, साबरमती, आहू, बनास, सूकली एवं अन्य बेसिनों में माइक्रो सिंचाई परियोजना तथा चैक डैम चिह्नित किये गये एवं गत दो वर्षों में हमारी सरकार ने कुल 558 काम स्वीकृत किये, जिनकी अनुमानित लागत 1,490 करोड़ रुपये है। अब तक हमने 140 करोड़ रुपये व्यय करके 113 कार्य पूर्ण कर लिये।

(डा. रामप्रताप)

माननीय मुख्य मंत्री महोदया की पहल पर राज्य में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान की शुरुआत दिनांक 27 जनवरी, 2016 को की गयी। इसके बारे में, मेरे ख्याल से, किरण जी, आपने विस्तार से बता दिया होगा, लेकिन जल से सम्बन्धित सभी विभागों द्वारा एकीकृत रूप से इस अभियान की विशेष रूपरेखा तैयार की गयी। इसके तहत दो हजार करोड़ रुपये की राशि लगभग एक लाख अस्सी हजार कार्यों को चिह्नित कर इंटीग्रेटेड डी पी आर तैयार करवायी। इस परियोजना में आई ई सी कैम्पेन पूरे राज्य में चलाया जा रहा है। इस अभियान के अन्तर्गत विभाग द्वारा भी 526 कार्य स्वीकृत कराये गये हैं जिनमें से पचास कार्य पूर्ण भी कर लिये गये हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य की विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के रिहेबिलिटेशन के कार्य, वाटर यूजर एसोशिएशंस की क्षमतावर्द्धन एवं सिंचित क्षेत्र कृषि विविधता हेतु आगामी आठ वर्षों के लिए राजस्थान वाटर सेक्टर लिवलीहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। इस योजना के तहत चौबीस जिलों की 63 मध्यम एवं 370 लघु परियोजनाओं के जीर्णोद्धार का कार्य किया जाएगा तथा 4 लाख 66 हजार हेक्टेयर से भी अधिक सिंचित क्षेत्र को इससे लाभान्वित किया जायेगा। इस प्रोजेक्ट पर लगभग 3,461 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रिनोवेशन, रिपेयर एंड रेस्टोरेशन योजनान्तर्गत बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, पाली, जोधपुर, जालौर, धौलपुर, करौली तथा बूंदी जिले में 89 करोड़ की लागत से 32 जलाशयों के जीर्णोद्धार के कार्य प्रारम्भ कर इस वित्तीय वर्ष में पूर्ण करवाये जाएंगे। इसके अतिरिक्त, 36 जलाशयों की राशि 98 करोड़ की परियोजना भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित की गयी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक्सटेंशन, रिनोवेशन, मोडर्नाइजेशन योजनान्तर्गत वृहत्, मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं के कुल 65 कार्यों हेतु 253.66 करोड़ रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर कार्य प्रारम्भ किये गये हैं।

पंचायती राज संस्थाओं को स्थानांतरित 35 तालाबों के 35 करोड़ रुपये की लागत से जीर्णोद्धार के कार्य स्वीकृत किये गये हैं।

पूर्ववर्ती सरकार द्वारा परवन परियोजना को धरातल पर नहीं लाया गया। आनन-फानन में 2013 में परियोजना स्वीकृत की गयी। जबकि वन

(डा. रामप्रताप)
विभाग से प्रथम स्तरीय स्वीकृति के पश्चात् कोई राशि स्वीकृत नहीं की गयी एवं न ही परियोजना का कार्य प्रारम्भ किया गया।

अब मुझे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक सदस्य ने बताया कि वहां कोई बारां जिले में सज्जन घूम रहे हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं। मेरे को पूछा कि ये क्यों घूम रहे हैं? तो मैंने कहा कि डाक्टर की हैसियत से तो मैं बता सकता हूं कि इससे स्वास्थ्य लाभ होगा; अगर शुगर की बीमारी होगी, तो वह ठीक हो जाएगी।

बाकी का परवन सिंचाई परियोजना जो है, मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए आपको कह रहा हूं कि हमें थोड़ा हमारा पॉलिटिकली लेवल है उसको ऊंचा करना पड़ेगा। हम दिनोंदिन नीचे जा रहे हैं। उसमें मैं भी शामिल हूं। इतनी गिरावट नहीं हो; लोगों की आंखों में धूल नहीं झोंकें। अब इसमें यह परवन सिंचाई परियोजना है, सबसे पहले 2005-06 की बजट घोषणा में माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने इसकी घोषणा की थी। मैं आपको चार-पांच इसके बैंचमार्क्स हैं वे बताता हूं, जिससे आपको यह आभास होगा कि इसमें काम किसने किया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 25.5.2005 को सर्वेक्षण हेतु 297.18 लाख की स्वीकृति हमने जारी की। 23.11.2005 को केन्द्रीय जल आयोग से कन्सेप्ट पेपर है, उसकी सहमति प्राप्त की। 18.12.2005 से सर्वेक्षण कार्य शुरू किया। दिसम्बर, 2006 में परियोजना के डूब में आने वाली वन भूमि, फोरेस्ट डाइवर्शन के लिए प्रस्ताव वन विभाग को भिजवाये गये। 22.12.2006 को 1,114 करोड़ रुपये की डी पी आर केन्द्रीय जल आयोग को भेजी गयी। 2.4.2007 को मध्य प्रदेश राज्य से एन ओ सी प्राप्त की गयी, क्योंकि उसका पीछे कैचमेंट एरिया भी आता है। 29.5.2007 को भारत सरकार के जनजाति मंत्रालय से पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना प्लान की स्वीकृति प्राप्त की। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसके बाद में 11.3.2008 को वाइल्ड लाइफ राष्ट्रीय बोर्ड से स्वीकृति के प्रस्ताव प्रस्तुत किये। ये लगातार एक सिंक्रोनाइज्ड वे में काम होता जा रहा है, धीरे-धीरे।

इसके बाद, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज कांगेस का आ गया। 11.3.2008 के बाद में तीन साल तक इस योजना के ऊपर आगे कोई कार्यवाही नहीं की गयी, जिसका मतलब यह हुआ कि उनको कोई लेना-देना नहीं था इसमें। उसके बाद में 2011 के बाद में जब चुनाव नजदीक आये, तब

(डा. रामप्रताप)

इनकी नींद खुली। फिर तीन-चार दिन में ये टी ए सी भी क्लीयरेंस करवा रहे हैं और तत्कालीन मुख्य मंत्री जाकर के साइट विजिट कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान की इतनी बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को आप बुला रहे हों, आपने फोरेस्ट की क्लीयरेंस नहीं ली। जब तक फोरेस्ट की क्लीयरेंस नहीं होगी, तो आपको वहां फोरेस्ट वाले पैर नहीं रखने देंगे। आप वहां भाटा क्यों लगा रहे हों? क्यों बेइज्जती करवा रहे हों?

अब उसके बाद में, हमारे सरकार में दुबारा आने के बाद, अभी बजट में 700 करोड़ रुपये का प्रोविजन किया गया और डूब क्षेत्र में आने वाले गांवों का उनके रिहेबिलिटेशन के लिए प्रोग्राम बनाया। उनको जमीन देने के लिए बारां और झालावाड़ जिले में, दोनों जगह पर हमने जगह सुनिश्चित की है।

कहने का भाव एक ही है कि जो काम किया है, लोग समझते हैं। ऐसी बात नहीं है। इसलिए नकली बात नहीं करनी चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार द्वारा नर्मदा नहर परियोजना में अभिनव प्रयोग के तौर पर परियोजना के सम्पूर्ण सिंचित क्षेत्र को फव्वारा पद्धति से सिंचित करने को अनिवार्य किया गया, जिसके फलस्वरूप परियोजना का मूल सिंचित क्षेत्र जो 71 हजार हेक्टेयर था, वह बढ़कर 2.4 लाख हेक्टेयर हो गया है। इसके साथ ही पानी की बचत से बाड़मेर एवं जालौर जिले के 1,541 गांवों के साथ-साथ तीन कस्बों यथा जालौर, भीनमाल एवं सांचौर को पेयजल से भी लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य में जैसे बाढ़ की स्थिति आती है, अचानक बरसात आ गयी, तो इसके लिए वर्षा जल एवं नदियों के जल के आंकड़ों को राज्य स्तर पर एकत्रित करने के लिए स्काडा सिस्टम से इंटरनेट से जोड़ने के लिए पांच हमारे सब-सेन्टर्स होंगे, हनुमानगढ़, बीकानेर, उदयपुर, कोटा और यहां जयपुर में उसका सेन्टर होगा; उस पर 128 करोड़ रुपये लगाये जाएंगे, जिससे कि हमें सूचना मिलती रहे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि पिछली दफा मेरे साथ चोट हुई। बरसात के टाइम में मैंने मेरे एक चीफ इंजीनियर से पूछा कि आज डैम में आवक कितनी है पानी की; मुझे अनऑफिशली कहीं से पता चला था कि पानी साढ़े तीन लाख क्यूसेक्स के करीब है, और उसने मुझे बताया कि डेढ़ लाख क्यूसेक्स पानी आ रहा है। तो मैंने उसको कहा कि मेरे से लैंडलाइन से बात करो। तो लैंडलाइन से बात करने पर सच्चाई पता चल गयी कि वह आदमी वहां पास में ही नहीं था। तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

(डा. रामप्रताप)

जब मेरे पास में पानी साढ़े तीन लाख आ रहा है और मेरा आदमी अगर डेढ़ लाख का इंतजाम करेगा, तो दो लाख में तो मेरी पब्लिक कितनी नुकसान में जाएगी। इसलिए 128 करोड़ रुपये लगाकर के हमने इस सिस्टम को स्काडा सिस्टम से जोड़ने का प्रयास किया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चम्बल की नहरों, विशेष तौर से राइट मेन कैनाल के अन्दर पानी लगातार चलने से, बीच में उसमें कुछ तालाब हैं, उस वजह से वीड्स पैदा हो जाती हैं और लास्ट में जाकर के हमारी स्थिति यह होती है कि नहर भरी हुई दिखती है लेकिन पानी नहीं चलता। उसकी वजह से किसानों को टेल पर पानी नहीं मिलता। इस समस्या से निजात पाने के लिए वीड कटिंग मशीन तीन करोड़ रुपये की लगायी जायेगी, जिससे कि यह समस्या पैदा नहीं हो।

चम्बल नदी के नहरी तंत्र के जीर्णोद्धार के लिए 392 करोड़ रुपये के कार्यों की निविदाएं स्वीकृति की प्रक्रिया में हैं। इन कार्यों को करवाने से चम्बल कमाण्ड क्षेत्र में कोटा, पीपलाद, लाड़पुरा, सांगोद, बूंदी, केशोरायपाटन तथा अंता के कृषकों को टेल क्षेत्र में पानी की सुविधा बढ़ेगी एवं जल का अपव्यय कम होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां बीच में मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा, माननीय सदस्य नन्दवाना साहब कह रहे थे, मुझे बहुत खुशी हुई जब उन्होंने यह बात कही कि पानी की वेस्टेज को कैसे कम करें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम एक-एक बूंद को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी माननीय मुख्य मंत्री महोदया की यह सोच है और आप सब लोगों की भी यही सोच है, लेकिन वहां पर उस कमांड क्षेत्र में रात के टाइम में किसान पानी लगाता ही नहीं है, तो वह पानी बहकर आगे नदी-नालों में जाता है; वाटर लोगिंग की प्रोब्लम होती है, पानी वेस्ट जाता है। नन्दवाना जी के साथ मैं भी शामिल हूं और हम सभी जन-प्रतिनिधियों को शामिल होकर किसानों को मोटिवेट करना चाहिये। पानी की 30 परसेंट वेस्टेज बताई है, मैं तो कहता हूं कि 50 परसेंट वेस्टेज होती है, उससे निजात मिलेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस वित्तीय वर्ष में हमारी सरकार द्वारा कई विशेष उपलब्धियां हासिल कर जनता को राहत प्रदान की गयी है। इसके अन्तर्गत सबसे पहले मैं यह बताना चाहूंगा कि वर्षाकाल के दौरान बारां सिटी में बाढ़ के हालात जैसी स्थिति बन जाने के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त

(डा. रामप्रताप)

होने से जनता को भारी हानि उठानी पड़ती थी। इस जटिल समस्या के स्थायी समाधान के लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदया द्वारा दिनांक 26.2.2014 को बारां भ्रमण के दौरान घोषणा की गई थी; 57 करोड़ रुपये के निर्माण कार्यों के विरुद्ध अब तक 30 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं। अब तक किये गये कार्यों से वर्ष 2015 के मानसून में आम जन को काफी राहत मिली। सभी कार्यों के पूर्ण होने के उपरान्त बारां शहर को बाढ़ की विभीषिका से राहत मिलेगी।

बारां जिले में 204 करोड़ रुपये की प्रगतिरत लासी परियोजना के बांध कार्य माह जून, 2016 में पूर्ण कर इस वर्ष जल भराव किया जायेगा।

विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में बजट उपलब्धता एवं तकनीकी अध्ययन अनुसार सिंदुरिया एनिकट का निर्माण कार्य प्रस्तावित है।

झालावाड़ जिले की गुराड़िया एवं रोशनबाड़ी लघु सिंचाई परियोजना का कार्य प्रारम्भ किये जाने हेतु 68 करोड़ एवं 98 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गुराड़िया परियोजना के पूर्ण होने पर 6 गांवों की 1,509 हैक्टेयर तथा रोशनबाड़ी परियोजना के पूर्ण होने पर 13 गांवों की 1,888 हैक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। इन दोनों लघु सिंचाई परियोजना में जल के समुचित उपयोग के दृष्टिगत फव्वारा पद्धति द्वारा सिंचाई किये जाने का प्रावधान रखा गया है।

झालावाड़ जिले की झालरापाटन तहसील में भवंतपुरा एनिकट निर्माण किये जाने हेतु 6.88 करोड़ रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है।

झालावाड़ जिले की पिड़ावा तहसील में 185 करोड़ रुपये की लागत से निर्माणाधीन गागरीन सिंचाई परियोजना के बांध का कार्य पूर्ण कर इसमें जल भराव मानसून 2016 में प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र डग में घाटी लघु सिंचाई परियोजना की डी पी आर तैयार करने का कार्य कर रहे हैं।

झालावाड़, बारां एवं कोटा जिले के किसानों का वर्षों पुराना परवन सिंचाई का सपना तो पूरा हो ही गया। इस योजना से झालावाड़, बारां एवं कोटा जिले के कुल 313 गांवों की 1 लाख 31 हजार हैक्टेयर भूमि लाभान्वित होगी तथा इन जिलों के 820 गांव पेयजल से लाभान्वित होंगे। इस परियोजना

(डा. रामप्रताप)

की अनुमानित लागत 4,824 करोड़ रुपये है। परियोजना के डूब क्षेत्र से प्रभावित भूमि की अवाप्ति की प्रक्रिया प्रगतिरत है। आगामी वर्ष में इस हेतु 700 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, झालावाड़ जिले की चवली सिंचाई परियोजना की नहरों के जीर्णोद्धार का कार्य 9 करोड़ 45 लाख रुपये की लागत से कराया जा रहा है।

झालावाड़ जिले की छापी सिंचाई परियोजना की नहरों के जीर्णोद्धार का कार्य 10 करोड़ रुपये की लागत से कराया जा रहा है।

पार्वती, कालीसिंध नदियों के अधिशेष जल का उपयोग कर बारां, कोटा, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर, दौसा, करौली एवं धौलपुर को पेयजल एवं सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में बजट उपलब्धता अनुसार धरनावदा तालाब के जीर्णोद्धार का कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है।

बूंदी जिले की लाखेरी तहसील में स्थित जिक जैक डैम का जीर्णोद्धार का कार्य करवाया जायेगा एवं लाखेरी एनिकट की ऊंचाई बढ़ाये जाने का कार्य भी किया जायेगा।

बूंदी स्थित बरघा मध्यम सिंचाई परियोजना की नहर के क्षतिग्रस्त क्षेत्र का जीर्णोद्धार कराया जायेगा।

विधान सभा क्षेत्र बूंदी में भैरू का पुल एनिकट, सुढीका पुल एनिकट, सुथरबाद व सुपरिया बांध के जीर्णोद्धार के कार्य करवाये जायेंगे। (व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय प्रवर्तित योजना टी पी आर के अन्तर्गत तीन कार्य बीसन समन, मोहनपुरा सिंचाई परियोजना, करौली एवं तालाब से जिला धौलपुर राशि रुपये 10.47 करोड़ स्वीकृत कराये गये हैं। वर्तमान में कार्य प्रगति पर हैं जिन पर कुल 2 करोड़ 61 लाख व्यय किया जा चुका है। इन कार्यों को वर्ष 2017 में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

ई आर एम योजना के अन्तर्गत 21 बांधों व नहरों के जीर्णोद्धार के कार्य स्वीकृत किये गये हैं, जिनमें धौलपुर जिले के 5, भरतपुर के 4, अजमेर के 6, टोंक के 2, अलवर के 2, दौसा का 1 एवं करौली का 1 कार्य सम्मिलित है। उक्त कार्यों में से 9 कार्य पूर्ण कराये जाकर कुल 5.86 करोड़ रुपये व्यय किये गये। शेष कार्यों को वर्ष 2016 में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

(डा. रामप्रताप)

वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर योजना के अन्तर्गत कुल 23 एनिकटों का निर्माण कराया गया, जिनमें धौलपुर जिले के 10 कार्य, अजमेर के 9, सवाई माधोपुर के 3 एवं टोंक जिले का 1 कार्य सम्मिलित है। इनमें से 14 कार्य पूर्ण किये जाकर 42.32 करोड़ रुपये व्यय किये गये। शेष कार्य वर्ष 2016 में पूर्ण कराये जाने प्रस्तावित हैं।

चंबल नदी की सहायक ब्राह्मणी नदी के अधिशेष जल को बीसलपुर बांध में डाइवर्ट करने के लिए विस्तृत परियोजना फीजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कराने हेतु पीडीकोर को 4.59 करोड़ रुपये का कार्यादेश जारी कर दिया गया है।

चंबल की सहायक नदियां पार्वती, कालीसिंध, चाकण के अधिशेष जल को बनास, मोरल, गंभीरी एवं पार्वती में डाइवर्ट करने के लिए परियोजना रिपोर्ट बनाये जाने हेतु निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।

लगभग 36 वर्षों से लम्बित धौलपुर लिफ्ट सिंचाई परियोजना को राजस्थान सरकार के अथक प्रयासों के पश्चात् माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा माह अक्टूबर, 2015 में अनुमति प्रदान की गई। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 36 साल से यह परियोजना लम्बित थी और इसमें एक बड़ी अजीब स्थिति थी कि धौलपुर तो है 4-5 किलोमीटर दूर और भरतपुर शायद काफी दूरी पर है, वह तो पानी पी ही रहा था और धौलपुर प्यासा मर रहा था। यह एक ऐसी पोकेट है जिसमें न पीने का पानी है, न सिंचाई के लिए पानी है। 36 साल में इसको क्लीयर करवाना; इसके साथ करौली की दोहरी सिंचाई परियोजना भी शामिल है, दोनों को क्लीयर करवा लिया। इस परियोजना से धौलपुर तहसील के 114 गांव, राजाखेड़ा तहसील के 62 गांव, अर्थात् कुल 176 गांवों के 34,465 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। इस योजना को और आगे बढ़ाया जायेगा।

धौलपुर जिले में पार्वती बांध एवं इसकी नहरों की मरम्मत हेतु 27.46 करोड़ रुपये की स्वीकृति की जाकर पार्वती बांध की मरम्मत का कार्य पूर्ण किया गया है। नहरों की लाइनों का कार्य चालू है।

धौलपुर जिले के राजाखेड़ा विधान सभा क्षेत्र में उटाकण नदी पर ग्राम झाड़ेवाला, बसेड़ी विधान सभा क्षेत्र में ब्राह्मणी नदी पर ग्राम सांगोद एवं स्थानीय नाले पर ग्राम सिरकिरा में वाटर हार्वेस्टिंग संरचनाओं का निर्माण बजट उपलब्धता के आधार पर कराया जाना प्रस्तावित है।

(डा. रामप्रताप)

सवाई माधोपुर विधान सभा क्षेत्र में बासठ के नाले पर वाटर हार्वेस्टिंग संरचना का निर्माण बजट उपलब्धता के आधार पर कराया जाना प्रस्तावित है।

दोहरी लघु सिंचाई परियोजना का मैंने आपको बता ही दिया। इसमें चूंकि पहले ए एण्ड एफ जारी हुई है, लेकिन समय ज्यादा होने के बाद में इसका रिवाइज्ड एस्टिमेशन कराया जायेगा।

अजमेर जिले के केकड़ी विधान सभा क्षेत्र में बिड़ला गांव, जंजीरपुरा एवं मेवदाखुर्द में रुणीजा में वाटर हार्वेस्टिंग संरचनाओं का निर्माण करवाया जायेगा।

टोंक विधान सभा क्षेत्र में बीसलपुर बांध के कमांड क्षेत्र में डाकिया सिंचाई परियोजना का जीर्णोद्धार का कार्य करवाया जायेगा।

डीग के महलों के कुंडों एवं 8 तालाबों को भरने के लिए यू पी राज्य में स्थित डीग एस्केप चैनल की 0 से 72 चैनल तक के जीर्णोद्धार के कार्य हेतु यू पी सरकार को 3.14 करोड़ रुपये हस्तांतरित किये गये हैं। वर्तमान में 70 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है। राजस्थान राज्य में डीग एस्केप चैनल की चैन 72 से 631 तक जीर्णोद्धार एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य करवाया जाएगा, जिससे डीग के महलों के कुण्डों एवं आठ तालाबों को पर्याप्त पानी उपलब्ध कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1994-95 से गुड़गांव मुख्य नहर की चैन 1140 से 1440 में नहर एवं बैरल घाटा पोर्शन में जमी सिल्ट को हटाने के लिए एक करोड़ अस्सी लाख रुपये का कार्य आदेश जारी किया गया और उसमें से सिल्ट निकलवाई गई। 1995 के बाद पहली दफा उसको साफ किया गया। मैं उसमें से निकलकर गया था। वहां लोगों ने बताया कि इसमें इतने सांप और बिच्छू थे कि आम आदमी उस काम को करने के लिए तैयार नहीं था। कार्य किए जाने से लगभग बीस हजार हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र के काश्तकारों को लम्बे समय पश्चात् सिंचाई हेतु समुचित पानी उपलब्ध हो सकेगा। लगभग अस्सी प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

भरतपुर विधान सभा क्षेत्र में चिकसाना अवांत के जीर्णोद्धार हेतु डी.पी.आर. तैयार की जाकर कार्य शुरू करवाया जाएगा।

अलवर जिले के किशनगढ़बास विधान सभा क्षेत्र के खानपुर बांध का जीर्णोद्धार का कार्य एवं बानसूर विधान सभा क्षेत्र में ग्राम धामला का बास तथा

(डा. रामप्रताप)

बहरोड़ विधान सभा क्षेत्र में ग्राम मंगलपुर में वॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का कार्य करवाया जाएगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विगत कई वर्षों से लम्बित उदयपुर जिले की ऐसी दो-तीन योजनाएं हैं जिनके अन्दर हमें ठेकेदार नहीं मिले। उनमें से एक घोड़ाखोज एवं दोनदी लघु सिंचाई परियोजनाएं हैं।

डूंगरपुर जिले के क्षतिग्रस्त मेवाड़ा एक्वाडेक्ट को आगामी वित्तीय वर्ष में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। मेवाड़ा एक्वाडेक्ट, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें मुझे भी थोड़ी ग्लानि महसूस हो रही है कि इसमें तीन साल का समय लग गया। कुछ हमारी भी ढिलाई रही है। लेकिन समस्या यह थी कि एक्वाडेक्ट बार-बार टूट रही थी। अब हमने इसका वाया-मीडिया निकाला, जिससे एक्वाडेक्ट की बजाय हम अंडरग्राउंड इसकी कैनाल बनाकर उसको पूरा करेंगे, जिससे कि इसका स्थायी समाधान होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चित्तौड़गढ़ जिले की निम्बाहेड़ा तहसील की रेहण नाका लघु सिंचाई परियोजना हेतु 43.78 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने की बिलकुल तैयारी है और इस काम को करवाया जाएगा।

प्रतापगढ़ जिले की तहसील प्रतापगढ़ की ग्राम पंचायत खोरिया की जांथड़ा लघु सिंचाई परियोजना का कार्य हाथ में लिया जाएगा।

बांसवाड़ा जिले की तहसील कुशलगढ़, सज्जनगढ़, गांगड तलाई, बागीदौरा तथा बांसवाड़ा के छब्बीस हजार हेक्टेयर क्षेत्र में नई सिंचाई क्षमता का सृजन कराए जाने हेतु माही के सैडल डैम से सिंचाई प्रणाली विकसित की जाएगी।

ई.आर.एम. मद में 21 कार्यों के जीर्णोद्वार हेतु 132 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये हैं एवं 54.44 करोड़ रुपये लेकर 6 कार्य पूर्ण कर लिये गये तथा शेष कार्य वित्तीय वर्ष 2016-17 में पूर्ण किये जाने प्रस्तावित हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, RRR योजना के अन्तर्गत बांसवाड़ा जिले में 10 एवं प्रतापगढ़ जिले में दो कार्य व 14 करोड़ स्वीकृत किये गये हैं तथा 5.5 करोड़ के पांच कार्य पूर्ण कर लिये गये तथा सात कार्य प्रगति पर हैं, जिन्हें वित्तीय वर्ष 2016-17 में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

(डा. रामप्रताप)

माही परियोजना, बांसवाड़ा के नये तंत्र के सुदृढ़ीकरण हेतु 20 करोड़ रुपये की स्वीकृति उपरांत 14.32 करोड़ के कार्य आदेश जारी किये हैं, जिन्हें वर्ष 2016-17 में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। अभी तक साढ़े सात करोड़ रुपये इन कार्यों पर व्यय किये जा चुके हैं।

भीलवाड़ा जिले के जैतपुरा डैम की मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 21 करोड़ 44 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक 22.02.2016 को जारी की जा चुकी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र आसपुर माही की बी.बी.एस.सी. नहर की निठाउआ वितरिका पर पुलिया निर्माण उपलब्ध बजट के अनुसार किया जाना प्रस्तावित है।

विधान सभा क्षेत्र बेगूं के जल सागर बांध के अधिशेष जल को राजगढ़ बांध में डाइवर्ट करने के लिए फीडर निर्माण हेतु सर्वे एवं डी.पी.आर. तैयार करवाई जा रही है।

माही बांध के बैकवॉटर को लिफ्ट कर बांसवाड़ा तहसील के 850 हेक्टेयर क्षेत्र में ड्रिप व फव्वारा पद्धति से सिंचाई उपलब्ध करने के लिए अम्बापुरा-प्रथम लिफ्ट सिंचाई परियोजना का कार्य अगले वित्तीय वर्ष में पूर्ण करना प्रस्तावित है।

चित्तौड़गढ़ जिले की मालादेवी धादरा एवं उदयपुर जिले की उभयपणा लघु सिंचाई परियोजना का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है तथा इन परियोजनाओं से 361 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बीकानेर संभाग में हमारी इस फव्वारा पद्धति को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी नहर परियोजना के स्टेज – II की जो कुंभाराम आर्य लिफ्ट है, उसमें, अभी वे चिंता व्यक्त कर रहे थे, 68 करोड़ रुपये के वर्क ऑर्डर आज ही दिये गये हैं और इसके साथ-साथ कुंभाराम और इसके आगे की पांच लिफ्टें और हैं, गजनेर की है, कोलायत की है, बांगड़सर है, पोकरण है। ये सारी लिफ्टों की टोटल 1,658 करोड़ रुपये की मंजूरी आ गई है। कागज मेरे पास पड़े हैं। सारी की सारी छह लिफ्टों के अन्दर फव्वारा पद्धति से काम किया जाएगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे पिछले टर्म के अन्दर 10 परसेंट पायलेट प्रोजेक्ट के अन्दर हमने फव्वारा सिस्टम से लिफ्टों के अन्दर काम

(डा. रामप्रताप)

करवाया था। Rajasthan was the pioneer State in India for assistance at that time, लेकिन जैसे ही राज पलटा, मुझे कहते हुए यह अफसोस है कि जहां जो चीज पड़ी थी, वहीं छोड़कर उसको बंद कर दिया गया। गुजरात नंबर एक पर है, लेकिन फिर भी 1,658 करोड़ रुपये असिस्टेंस के लिए हिन्दुस्तान में किसी एक राज्य को एकमुश्त इतना पैसा नहीं मिला, जितना राजस्थान को मिला है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं।

इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण में 20 दिवसीय नहरबंदी के दौरान बीस वर्षों से अधिक समय से लम्बित हैड और क्रोस-रेग्यूलेटरों की मरम्मत का कार्य इस चालू वित्तीय वर्ष में करवाया गया और ग्यारह महीनों में हैड रेग्यूलेटर लगाये गये, जिसमें पाइप था और हमेशा परेशानी रहती थी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गंग कैनाल, भाखड़ा नहर परियोजना में पक्के खालों के निर्माण हेतु 905 करोड़ रुपये की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा अभी प्राप्त हुई है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार भारत सरकार से 1,658 और 905 करोड़, कुल 2,563 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त करना अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

इंदिरा गांधी नहर परियोजना की बुर्ज संख्या 710 पर हैड रेग्यूलेटर का मोडिफिकेशन एवं दंतौर वितरिका के जीर्णोद्धार के कार्य करवाये जाएंगे, जिससे दंतौर वितरिका को एक समूह में चलाया जा सकेगा। कोलायत से आने वाले माननीय विधायक से निवेदन करूंगा कि आप भी डिच माइनर में रोड़े नहीं अटकाएं, उसमें सहयोग करें। मेरी आपसे बड़े पुरजोर शब्दों में रिक्वेस्ट है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सूरतगढ़ में डिप्रेशन नंबर 6 पर जल एकत्रित होने पर उसमें रिसाव हो जाता है। क्योंकि, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह जो डिप्रेशन है उसका लेवल 22 फीट ऊंचा है, उसके नीचे ढाब है। ढाब तालाब को बोलते हैं। तो लूज सैंड है, इसलिए उसमें पानी डालते हैं तो वह नीचे आकर सेम की समस्या पैदा करता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह हमारे लिए एक डायवर्शन चैनल बना हुआ है और उससे उसकी कनेक्टिविटी है। तो जब हम क्लोजर लेते हैं, उस वक्त हमें पी.एच.ई.डी. के कम्पोनेट को आगे कैरी-ऑन करने में बड़ी भारी समस्या होती है। तो अगर हम इसको रिवाइज कर लेंगे, तो उसके बाद में हमें सिस्टम को रिवाइज करने के लिए, उसको टोन-अप करने के लिए क्लोजर हमेशा हर साल लेना पड़ेगा। तो हमारे यह एक बाईपास है, इसके अन्दर परमानेंट बन जाएगा। इसलिए,

(डा. रामप्रताप)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सूरतगढ़ के नंबर 6 डिप्रेशन को, इसका लेमिनेशन करने के लिए चालीस करोड़ रुपये देने की घोषणा करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हरिके बैराज, जिसमें मैं इतने लम्बे समय से देख रहा हूं, मैंने कभी नहीं सुना कि हरिके बैराज में भी पोंड लेवल सिल्ट होने से पानी की समस्या आ सकती है। यह पिछले एक साल में बड़ी भारी समस्या थी। 18-18 फीट उसके अन्दर सिल्ट जमा हो गई थी। उसकी सफाई के लिए हम आगे बीस दिन की बंदी ले रहे हैं, जिससे यह हमारे लिए एक किस्म के स्टोरेज का भी काम देगा और आगे हमको समस्या नहीं आएगी।

(01.00 बजे)

गंग नहर प्रणाली जो कि 90 साल पुरानी हो गई थी, इसमें 146 करोड़ रुपये के काम हैं, 49 किलोमीटर की लाइनिंग रिकार्ड टाइम में पूरी करवाई। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें एक निवेदन मैं यहां करना चाहूंगा कि गंग कैनाल की जो डिस्ट्रिब्यूटरी थी, 'एच' नाम है उसका, वह पाकिस्तान की बोर्डर पर, फेंसिग के ऊपर थी। मैं आपको फोटो दिखाऊं तो आप देखकर आश्चर्यचकित होंगे कि उसके ऊपर इन्टरनेशनल बोर्डर नहीं है, फेंसिग है। वह कच्ची होने की वजह से जर्जर हालत में थी। पाकिस्तान साइड में लो-लाइंग एरिया होने की वजह से हमारा पानी नीचे लेवल की तरफ जाता था और पाकिस्तान वहां पर टयूबवेल लगाकर सिंचाई करता था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह काम इसलिए पैंडिंग पड़ा था कि बी एस एफ वाले काम नहीं करने देते। सुबह 9 बजे से पहले आप जा नहीं सकते, 5 बजे के बाद आप रह नहीं सकते। इन ट्राइंग कंडिशन के अन्दर हमारे इंजीनियर्स ने काम किया है, उस काम को अंजाम दिया है। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि ऐसे काम को उन्होंने पूरा किया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गंग कैनाल के अन्दर 16-17 में इस कार्य को पूरा करना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम आगे आने वाले 3-4 महीनों में इस कार्य को पूरा कर लेंगे।

हरिके बैराज से, सतलज नदी में जब ओवरफ्लो होकर जाता है, तो सीधा पाकिस्तान की तरफ जाता है। हमारा गंग कैनाल का सिस्टम है, वह पंजाब की फिरोजपुर फीडर के साथ है। जब वहां पैड्डी सोइंग होती है तो पानी पर दवाब उनका ज्यादा होता है, तो हमें पानी कम देते हैं। दूसरा, एक पानी तो

(डा. रामप्रताप)

पाकिस्तान बहकर मुफ्त में जाता है। तो हमारी ओर जो छुसेनीवाला से पुरानी बीकानेर कैनाल थी, उसको रिवाइज करने के लिए 97 लाख रुपये हमने पंजाब सरकार को दिये हैं जिससे कि हमें गंग कैनाल में पानी की कमी नहीं हो।

इसी तरह से सरहिन्द फीडर की आर डी 441, हमारा पानी बैक-फ्लो से वापस, जब पंजाब के पीछे की नहर में पानी कम होता था तो वापस बैक-फ्लो से जाता था। उस पर हमने 441 क्रॉस रैग्यूलेटर का निर्माण किया, जिससे उस समस्या का समाधान होगा और हमारा पानी वापस नहीं जाएगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इंदिरा गांधी नहर की 582 आर डी के ऊपर हमारे तीन सिस्टम हैं। जिस वक्त से हमारी नहर बनी है, उस वक्त से उसका क्रस्ट सही नहीं होने की वजह से उन तीन नहरों की कम से कम 20 गांव की आबादी थी, जिनको उनका ड्यू शेयर नहीं मिलता था और वह लगातार धरने और प्रदर्शन। आज एक बुजुर्ग मुझे मिले, उनकी 75 साल की उम्र थी, जब उनको पता चला कि यहां पर क्रॉस रैग्यूलेटर का निर्माण हो रहा है, तो आप मेरे ऊपर कितना विश्वास करोगे, बताते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गये; बोले, जब मैं बच्चा था, तब से हम इस धरने-प्रदर्शन में शामिल होने लगे थे; आज हमारी समस्या का निदान होगा। 31 करोड़ रुपये की लागत से उसका निर्माण होगा।

इसी तरह से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, साउथ घग्घर कैनाल के रिनोवेशन के लिए 6 करोड़ रुपये का जीर्णोद्धार का काम चल रहा है।

शार्दुल ब्रांच एवं करनीसिंह ब्रांच, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 60 साल पहले जब बनी थीं, एक कंकड़ भी उनके ऊपर नहीं लगा था। उनका जीर्णोद्धार का काम करवाया गया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरीके से इंदिरा गांधी नहर की आर डी 109 के ऊपर, जहां से साहवा लिफ्ट निकलती है, उसको कुम्भारावजी नहर कहते हैं, क्या, 109 आर डी पर। अगर इस बात को मैं बताने लगूं तो आपको दो घंटे लग जाएंगे। वैसे ही, मेरे ख्याल से, आप मेरे से तंग आ गये होंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 109 आर डी के ऊपर इतनी राजनीति खेली गई है। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं सभी माननीय सदस्यों से, कि इंजीनियर्स की राय के हिसाब से चलें; अपनी मनमर्जी से किसी स्ट्रक्चर के साथ छेड़खानी नहीं करें। उसका नतीजा है कि जो साइवा लिफ्ट हमें जीरो आर डी से निकालनी थी, अब वे आज इस दुनिया में नहीं हैं, इसलिए उनके बारे में

(डा. रामप्रताप)

चर्चा करना मैं उचित नहीं समझता; लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस वहम के अन्दर कि इस जीरो आर डी से निकालेंगे, तो बीच का नोहर-भादरा का क्षेत्र है यह पानी ले लेगा, तेहरा क्षेत्र टेल पर रह जाएगा; इसीलिए नहर को उठाकर 109 आर डी नीचे डाल दिया। एक आर डी में एक इंच का स्लोप होता है। 12x9 = 108, 9 फीट नीचे नहर को ले जाकर डाल दिया। एक छोटी सी अगर कोई आउटलेट होती है, उसमें से भी बड़ी नहर में से पानी निकलता है तो दूर से आदमी को आवाज आती है, लेकिन साहवा लिफ्ट के ऊपर 506 से नहर है, आप कान उसके नजदीक लगा लो तो भी पानी की आवाज नहीं आती, क्योंकि दोनों का डिफरेंस नहीं है। उसकी वजह से पानी धीरे-धीरे चलता है, सिल्ट अप होकर ढेर लगे रहते थे। उसके ऊपर क्रॉस-रेग्यूलेटर का निर्माण किया। उस समस्या का निजात होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की हिशामकी नहर किंकरालिया माइनर, अरियावली माइनर, किशनपुरा सब-माइनर, रणजीत पुरा माइनर, भोमपुरा माइनर, मैना वाली माइनर; मैना वाली माइनर में, मैं बीच में रुक रहा हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान का तो नहीं कह सकता, मेरे ख्याल से कह दूं तो कोई गलत नहीं होगा, गुजरात को छोड़कर, इस मैना वाली माइनर का रिनोवेशन करके इसके ऊपर 2 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाएंगे। नहरी तंत्र के ऊपर सोलर प्लांट लगाने का यह पहला काम होगा। यह तमाम नहरें जो मैंने बोली हैं, इनका जीर्णोद्धार का काम होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरीके से अनूपगढ़ शाखा की बुर्जी संख्या 0 से 73 आर डी तक सेम समस्या से निजात पाने के लिए 132 करोड़ रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। अनूपगढ़ से आने वाली माननीय सदस्या अभी कह रही थीं, अनूपगढ़ शाखा के लेवल, एक भी माइनर का लेवल सही नहीं। तो पूरे सिस्टम के लेवल निकलवाकर उसका लाइनिंग का काम करवाएंगे, जिससे टेल पर किसानों को पानी की दिक्कत नहीं आये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वाटर कोर्सेज में सबसे तगड़ी पानी की सेविंग्स होती है। किसान को इससे ज्यादा और किसी सिस्टम में लाभ नहीं मिलता। इस साल किसानों के हित में किए गए कार्यों की कड़ी में इस वर्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही है कि सिंचित क्षेत्र के किसानों की पक्के खाले बनाने की मांग पूरी करने की दिशा में हमारी सरकार द्वारा विगत एक वर्ष में

(डा. रामप्रताप)

अथक प्रयास किए जाकर 905 करोड़ रुपये की लागत की 3 योजनाओं की स्वीकृति केन्द्र सरकार से प्राप्त की है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इंदिरा गांधी फीडर की 644 आर डी पर ऐसी विचित्र स्थिति थी कि पहले हमारा शेयर हरियाणा के थ्रू आता था, अब आई जी एन पी से आने की वजह से अपस्ट्रीम में लेफ्ट साइड में दो माइनर थे, उनको बैक-फ्लो से रिवर्स पानी देना पड़ता था। उन किसानों को कभी पूरा पानी नहीं मिलता था। अब उस सेक्शन को रि-डिजाइन करके, वहां हैड रेग्यूलेटर बनाकर उस समस्या का परमानेंट निदान किया गया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इंदिरा गांधी मुख्य नहर से सीधी निकलने वाली भोमा वाली, बख्तावपुरा, गोविन्द सर, डूंगियावाली, लालगड़िया तथा बीमना माइनरों का 7 करोड़ की लागत से मरम्मत एवं जीर्णोद्धार का कार्य किया जाएगा।

भाखड़ा नहर की शेष रही 142, 198 तक की लाइनिंग का कार्य 9 करोड़ में किया जाएगा।

धारियावान कहां रह गया? मैंने कर तो दिया, मिल नहीं रहा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सेम की समस्या में मैंने आपको एक बात तो बता दी कि उसमें हम 40 करोड़ की लागत से 6 नम्बर डिप्रेशन का लेमिनेशन कर रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अंत में मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं, पहले कहता तो शायद आपको थोड़ा-बहुत बुरा लगता और कुछ डिस्टर्बेंस होता; सेम की समस्या आज से 30-35 साल पहले से उस एरिया के अन्दर है। राज्य सरकार का काम पैसा लगाना होता है। काम की जानकारी तो इंजीनियर्स को ही होगी। जैसी-जैसी इंजीनियर्स ने हमें राय दी, उसके हिसाब से इस सेम की समस्या के निराकरण के लिए, मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर थोड़ा-बहुत प्रयास किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। चार दफा का मेरे पास, एक तो रावसर के पास में 96 आर डी पर जो पम्प लगे हुए हैं, केन्द्र सरकार से पैसे मैं खुद लेकर आया था। उसमें राज्य सरकार की जो हिस्सा राशि थी, राज कांग्रेस का था, राज्य सरकार ने अपनी हिस्सा राशि नहीं दी। फिर भी हमने उससे काम चलाया। वह सिस्टम हमने लगाया। सूरतगढ़ ब्रांच में तो भैरोंसिंह जी के टाइम में 145 टयूबवेल लगाये, हालांकि वे सक्सेसफुल नहीं रहे, वे भी हमारे टाइम में लगे। इसी तरीके से झुरिया वाली चक है, वहां से लिफ्ट करके सूरतगढ़ ब्रांच में पानी डालने का काम किया। वहां पर आपके

(डा. रामप्रताप)
भाटा लगा हुआ है रामप्रतापजी कासनिया का, वे तो अपनी पार्टी के थे। तीन; और चौथा, एक रंगमहल के पास में पानी डालना शुरू किया, वह भी हमारे टाइम में किया। हालांकि किसानों के विरोध की वजह से उसको बंद करना पड़ा। कहने का भाव यही है कि चार दफे हमने ही प्रयास किया था और आज मैं दावे के साथ कहता हूं कि यह वसुन्धरा राजे जी हैं जो उस सेम की समस्या का निराकरण करेंगी। इनमें ही अगर दम होता तो 40 साल तक सहन नहीं करते।

यह बात मैं रोषपूर्वक इसलिए कह रहा हूं, प्रतिपक्ष के माननीय नेता महोदय से विशेष तौर से निवेदन करना चाहूंगा कि किसान की दुखती रग के साथ में खिलवाड़ मत कीजिये। अब जो आदमी इतने लम्बे समय से राज करते हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसान परेशान हैं, वह धरने-प्रदर्शन करेगा। वे सेम वाले धरने पर बैठते हैं और मेरे जैसे वहां धोबी से कपड़े धुला के, कलफ लगा करके, जाकर बराबर बैठ जाते हैं। चार दिन पहले वे बत्ती वाली गाड़ी में बैठे थे, तब उन्होंने क्यों नहीं निहाल किया? तो इस किस्म की राजनीति नहीं करनी चाहिये।

अब मैं अंत में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक सिंगरासर माइनर के बारे में चर्चा जरूर करना चाहूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बारात जाती है; कभी दूल्हे के बिना बारात देखी क्या? दूल्हे के बिना बारात देखी क्या कभी? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नहीं होती ना?

श्री उपाध्यक्ष: जी, नहीं होती।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): इसी तरीके से अगर एक करोड़ की गाड़ी आप यहां लाकर खड़ी कर दो और उसमें फ्यूल नहीं डालोगे, तो एक करोड़ की गाड़ी अपने तो एक रुपये के बराबर है। क्या करेंगे उसका? इसी तरीके से आप नहर का निर्माण कर लो और उसमें पानी नहीं होगा, तो करोगे क्या उस नहर का? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं फोटो लेकर के आया हूं, आपको बाद में दिखाऊंगा। इन सज्जनों ने पहले इतने खिलवाड़ किये हैं किसान की भावनाओं के साथ में कि इन्होंने तीन-चार माइनर्स उन डिप्रेशंस में ही निकाल दीं, जिनमें पानी नहीं था और आज वे मिट्टी से भरी पड़ी हैं। जब पहले वाली चार ही भरी पड़ी हैं, तो आप इसमें और पानी कहां से देख रहे हो? अब उसके लिए धरने-प्रदर्शन करवा रहे हैं। आप उस समस्या का समाधान करो ना।

(डा. रामप्रताप)

इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिना पानी की अवेलेबिलिटी के, मैं आपको एक ही लाइन पढ़कर सुनाता हूं, इसमें लिखा है, "Water availability- The water available for IGNP as on Ravi-Beas Agreement is 7.6 MAF. The entire availability of water has RB-BM tied up for existing flow and lift system." जब एन्टायर शेयर आपने कंज्यूम कर लिया और उसके बाद में 0.6 एम ए एफ आप उनको देकर आ गये, सरदारों को, आज तक आप उसमें से ले नहीं सके; अब उस पानी में से तो आपको, आई.जी.एन.पी. में तो आपके पास जीरो है। मैं चार्ज करता हूं आपको इस बात के ऊपर, ओपनली चार्ज करता हूं कि पानी आपके पास है नहीं, 0.6 एम ए एफ उनको पहले दे चुके, आपका आलरैडी सिस्टम है वही आपका पूरा नहीं आ रहा; तब आप क्या एक्सक्यूज लेते हैं कि हम डिप्रेशन से पानी लेंगे? डिप्रेशन में पानी है ही नहीं।

डिप्रेशन में जो चार माइनर्स आपने ले रखी हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उनमें 15 साल में एक दफा पानी आया है। तो उसकी फीजिबिलिटी बनती है 6.67 । इस 6.67 में आप कौनसा सिस्टम चलाओगे? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस घग्गर का ओवर-फ्लो का पानी ये लेना चाहते हैं, उसमें ये भाखड़ा-नांगल एक्ट का 16 नम्बर क्लॉज है, इसमें बिलकुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि राजस्थान का हिस्सा है, वह रावी-व्यास में जाने की वजह से घग्गर के अन्दर आपका शेयर जीरो है। You have lost your claim. तो आप घग्गर वाले पानी को कहां से मांग रहे हों? ओवर-फ्लो पानी 15 साल में एक दफा आता है। 3-4 माइनर्स आपने आज बनाई हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ईमानदारी से कहता हूं, तीनों-चारों के आज की बी.एस.आर. रेट पर आप केलकुलेट करें, तो कम से कम 500 करोड़ रुपये आपने बरबाद किये हैं और एक बूंद पानी उसमें नहीं जाता है।

इसलिए मैं आज सदन के अन्दर यह घोषणा करता हूं कि रिटायर्ड चीफ इंजीनियर की अध्यक्षता में, दो उनके साथ में, हनुमानगढ़ नॉर्थ जोन के चीफ इंजीनियर और बीकानेर के चीफ इंजीनियर, तीनों चीफ इंजीनियर्स की कमेटी बनाता हूं और पानी आई.जी.एन.पी. में कहीं भी स्पेयर मिलेगा, तो नहर का निर्माण करूंगा और दावे के साथ करूंगा; करूंगा; करूंगा। इसलिए किसानों से भी मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि किसी के बहकावे में नहीं आयें।

अब माननीय सुरानाजी फरमा रहे थे कि हमारा यह लिखा है, तो

(डा. रामप्रताप)

उसमें उनको इतना क्लीयर होना चाहिये। He is a well-versed person. 16.17 लाख हेक्टेयर हमारा जो फ्रीज किया हुआ है सी.सी.ए., उसमें हम इम्प्रूवमेंट करेंगे। उसकी आप व्याख्या यह कर रहे हों कि इतना आप और सी.सी.ए. बढ़ाओगे, जबकि 16.17 के अन्दर उसको इम्प्रूव करने की बात है। यह तो एक बात अलग हो गई। इस पर फुल स्टाप लगाकर, दूसरी बात मैं माननीय सुराना साहब से पूछना चाहता हूं कि आपने...

एक माननीय सदस्य: वे तो गये।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): 3.9 क्यूसेक्स पर है; इनका जो लिफ्ट सिस्टम है कंवरसेन लिफ्ट, 3.9 क्यूसेक्स है। भंवरसिंहजी, 3.9 ही है ना? अब आप बताओ और कौनसी लिफ्ट है 3.9 पर? कोई नहीं है ना?

श्री भंवरसिंह (कोलायत): नहीं।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर इनमें इन्सानियत हो और स्टेट्समैनशिप हो, इस आदमी को मैं क्या कहूं, 3.9 क्यूसेक्स पानी; इनको यह कहना चाहिये कि सिंगरासर का वह एरिया, एक साइड में तो कंवरसेन लिफ्ट बना दी आपने, दूसरी साइड में आपने साहवा लिफ्ट बना दी। इन गरीबों ने क्या अन्याय किया था? इनको बीच में क्यों छोड़ा? तो अगर सदाशयता हो, हिम्मत हो और स्टेट्समैनशिप हो, तो आगे आना चाहिये कि 3.9 से नीचे लेकर आओ इनको। दूसरी लिफ्ट तो दो पर बैठी है और ये 3.9 लिये बैठे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे-ऐसे खेल किये हैं, यह 3.9 और उस टाइम बैठे-बैठे गणित लगा ली, 3.9 से अगर इस कंवरसेन को तीन पर करेंगे, तो 0.9 से अपना इतना पानी बच जायेगा; इतना पानी बच जायेगा, तो इतना सी.सी.ए. और बढ़ा दो। नहर निर्माण कर दी तीन के हिसाब से। जब पीछे वाली को तीन के हिसाब से करनी थी, तो उन्होंने जूत निकाल लिया। तो वह 3.9 भी रह गया और आगे तीन वालों को भी पानी देना पड़ा। तो नहर में इस तरीके से पानी आयेगा कहां से?

तो मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, आप एक और दिमाग से निकाल दो कि इस तरीके से करने से अपनी जीत होती है। अगर यही जीत होती, तो आज राजेन्द्रजी भादू यहां नहीं बैठे होते; गंगाजलजी मील बैठे होते। क्योंकि लास्ट में जा करके उन्होंने आपाधापी में, दे गाड़ी उठा करके..., उन लोगों ने

(डा. रामप्रताप)

पानी देखा है, या तो छत से निकल रहा है और मूले के ऊपर, या नहर में चलता हुआ देखा, या बोतलों में देखा है। उन आदमियों को क्या किसान की तकलीफ का पता। उठा करके बिना मतलब के झगड़े करवा रहे हैं।

इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि किसान तसल्ली रखें और पानी होगा, तो निश्चित तौर पर नहर भी बनेगी और उनको भी लाभ मिलेगा। लेकिन बिना पानी के नहर, वहां धोरों के अन्दर गोड़े रगड़ने में ठण्ड तो पड़ती नहीं है। इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि मैं इस कमेटी की घोषणा करता हूं और 40 करोड़ रुपये लगा करके उसका लेमिनेशन करवाऊंगा।

अंत में आपसे निवेदन करता हूं, एक चीज और रह गई; माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब इनसे पूछें कि सन् 1988 के बाद में आपने एक जे.ईएन. की भर्ती नहीं कराई। जे.ईएन. है, वह आपके सिस्टम की बैक-बोन है, रीड की हड्डी है। सिस्टम तो क्रेश होना ही था फिर। हमने पहले 313 जे.ईएन. की भर्ती की थी; माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्री महोदया को, हमें क्लीयरेंस मिली है 771 जे.ईएन. और लगाएंगे। एल.डी.सी. 232 लगाएंगे; पटवारी 65 लगाएंगे; ड्राइवर 36 लगाएंगे, और 119 ए.ईएन. हैं वे हमें आर.पी.एस.सी. से अभी उपलब्ध हो रहे हैं। कहने का भाव एक ही है कि सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, यह पूरा सिस्टम नहीं होगा, अन्यथा नहीं चलेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अंत में आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों से, पक्ष और प्रतिपक्ष, दोनों से निवेदन करूंगा कि किसान बैठा है, जहां एक्स.ईएन. का आफिस है, वहां से डेढ़-दो सौ किलोमीटर दूर बैठा है। अब वहां से भटकता-भटकता उस आफिस में आता है, तो उसका दिन खराब हो गया। अगले दिन फिर उसको बैठना पड़ता है। मेरी नहर है, वह सूनी पड़ी है। इसलिए मेरा निवेदन है कि मैं उसकी रिशफलिंग करूंगा और नहर के नजदीक, जहां-जहां आफिसेज हैं, वहां पर उनके आफिसेज होंगे। इसलिए बराए-मेहरबानी आप उसमें इंटरफीयर नहीं करें, कोई भी पार्टी का हो इसमें।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि अलवर जिला है, जयपुर ग्रामीण है, यहां भी पानी की आवश्यकता है। यमुना नदी में हमारा हिस्सा है। फ्लड के पानी की आपकी कोई ऐसी योजना है, तो इन जिलों के लिए भी निश्चित रूप

(श्री रामहेत सिंह यादव)

से चिंता करके उसकी घोषणा करें। हमारे अलवर ग्रामीण के माननीय विधायक ने आज अपनी मांग के माध्यम से इस बात को रखा भी है। वास्तव में दोनों जिलों की बहुत परेशानी है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि यमुना में, फ्लड में, जो हमारा हिस्सा है, उसके लिए भी बजट में कोई घोषणा करें।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे धारिया बांध का भी कोई तो कर दो। आपने अरबों-खरबों रुपये कहीं डाल दिये। 57 करोड़ तो कहीं से निकाल दो, साहब।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): मैं बोल रहा था। है कहीं यह भी, आप वाला है; नहीं तो लिख दूंगा। चिंता मत करो।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण): माननीय मंत्रीजी, अंतिम घोषणा में आप अलवर का जरूर ध्यान रखें। आपसे यह प्रार्थना है।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): मैं बोल रहा हूं; मैं आपकी ही बात बोल रहा हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही कॉम्प्लेक्स इश्यू है। सबसे पहले तो 1994 में हमारा एग्रीमेंट हुआ था, टाइम बहुत लैप्स हो गया और अभी एक्विजिशन की प्रक्रिया है, वह भी बहुत महंगी हो गयी। यह वैस्टर्न यमुना कैनाल है, शहरों के अन्दर से आती है। दूसरा सबसे बड़ा कारण हो गया कि इनकी नीयत खराब हो रही है, हरियाणा की, क्योंकि वे मुफ्त में पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी झुंझुनूं से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कहा था कि आवी से लेकर, आवी पड़ता है यू.पी. के अन्दर, यू.पी. में एक फ्रंट अपन और खोल लें, तो वह बिना मतलब के फिर आपसे पैसे मांगेगा। इसलिए आवी नहीं; पानी तो वहीं से मिलेगा, अगर मिलेगा तो। अब उसके लिए क्या होना चाहिए? वह पाइप्ड वाटर अगर, वह भी बहुत कोस्टली पड़ता है। अब माननीय मुख्य मंत्री महोदया से चर्चा करके इस बारे में बात करेंगे।

जोधपुर जो रह गया था, यदि अब आप इजाजत दें, तो मैं बोलूं? या यूं ही बता दूं? टी.पी.आर. के अन्तर्गत, कुल 15 कार्य, राशि 56 करोड़ रुपये के स्वीकृत किये गये हैं, ठीक है, जिसमें पाली जिले के 10 बांध और जालौर जिले के 4 एवं जोधपुर जिले का एक बांध शामिल हैं। इन कार्यों पर माह फरवरी, 2016 तक राशि रुपये 15 करोड़ व्यय किये गये हैं। इन कार्यों में से पाली जिले के 3 एवं जालौर जिले के 2 कार्य पूर्ण किये जाएंगे।

(डा. रामप्रताप)

ई.आर.एम. योजनान्तर्गत पाली जिले के जवाई बांध के सुदृढ़ीकरण हेतु 3.17 करोड़ के कार्य करवाये जाएंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ सही डेम है, उसकी हमने हाइट बढ़ा दी। उसकी वेलोसिटी बढ़ गयी है। 40 साल पुरानी उसकी टनल है, उसका इरोजन हुआ होगा और डेमेज हुए होंगे। इसलिए उसको भी हम क्लीयर करवाकर, अन्दर से उसको दिखवाएंगे, अन्यथा अगर वहां पर कोलेप्स हो जाए तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उदयपुर जिले में इसी तरीके से काली-बोर जो डैम है, उसकी एप्रोच रोड भी टूटी हुई है। यदि कल को कोई हादसा होता है, तो हम उस तक पहुंच ही नहीं सकते। साथ में उसका एक्वाडक्ट है, उसको भी ठीक करवाएंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जालौर जिले में भातरा गांव के पास शिपिंग पोर्ट के लिए, प्री-और ट्रैफिक स्टडी के लिए 1.29 करोड़ के हमने कार्यादेश दे दिये है, वेपकास को प्री-फीजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए।

पाली जिले की धारिया सिंचाई परियोजना के जीर्णोद्धार कार्य हेतु 58 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति।

बत्तीसा नाला परियोजना, सिरोही जिले की आबूरोड तहसील में यह 213 करोड़ रुपये की सिंचाई-सह-पेयजल योजना प्रस्तावित है, जिसके पूर्ण होने पर 900 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा एवं सिरोही जिले हेतु 273.13 मिलियन क्यूबिक फीट पानी पेयजल हेतु उपलब्ध हो जाएगा।

उदयपुर जिले के सही बांध का मैंने निवेदन कर ही दिया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अंत में मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मांग संख्या 46 पारित करवाने के लिए ...(व्यवधान)

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक निवेदन करना चाहता हूं कि आजादी के 30 साल तक विशेष सहायता इस सिंचाई परियोजना में केवल 50 करोड़ रुपये औसत मिले हैं, 1,500 करोड़ रुपये, और इस वर्तमान सरकार ने, मैं वसुन्धराजी को और वर्तमान सिंचाई मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा और इस सदन को यह प्रस्ताव पास करना चाहिए कि एक वर्ष में 2,500 करोड़ रुपये की विशेष सहायता ये लाये हैं। इसका धन्यवाद दिया जाए।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चित्तौड़गढ़ तहसील में एक साखेड़ा और दूसरा यह हाथीकला एनिकट है, टोडारायसिंह, इन दोनों को भी दिखवा लूंगा। (व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि मांग संख्या 46 को पारित करवाकर मुझे अनुगृहीत करें। धन्यवाद।

मांग संख्या 27 का पारण

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि मांग संख्या 27 – पेयजल योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 67,13,30,37,000/- (सड़सठ अरब तेरह करोड़ तीस लाख सैंतीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 46 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 46 – सिंचाई (इंदिरा गांधी नहर परियोजना सहित) के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 34,64,95,16,000/- (चौंतीस अरब चौंसठ करोड़ पचानवे लाख सोलह हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

शेष मांगें मुखबंद से।

मुखबंद

अनुदान की शेष मांगों का पारण

मांग संख्या 1-राज्य विधान मण्डल

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 1 - राज्य विधान मण्डल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 52,24,99,000/- (बावन करोड़ चौबीस लाख निन्यानवे हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 2 - मंत्रिपरिषद

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 2 - मंत्रिपरिषद के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 9,34,23,000/- (नौ करोड़ चौंतीस लाख तेईस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 3 - सचिवालय

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 3 - सचिवालय के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,24,26,59,000/- (तीन अरब चौबीस करोड़ छब्बीस लाख उनसठ हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 4 - जिला प्रशासन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 4 - जिला प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,34,58,78,000/- (चार अरब चौंतीस करोड़ अठावन लाख अठहत्तर हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 5 - प्रशासनिक सेवाएं

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 5 - प्रशासनिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,67,01,63,000 /- (एक अरब सड़सठ करोड़ एक लाख तिरसठ हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग संख्या 6 - न्याय प्रशासन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 6 - न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6,60,90,70,000 /- (छह अरब साठ करोड़ नब्बे लाख सत्तर हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 7 - निर्वाचन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 7 - निर्वाचन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 71,64,43,000/- (इकहत्तर करोड़ चौंसठ लाख तियालीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 8 - राजस्व

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 8 - राजस्व के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 8,54,81,02,000/- (आठ अरब चौवन करोड़ इक्यासी लाख दो हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 9 - वन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 9 - वन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 8,72,63,61,000 /- (आठ अरब बहत्तर करोड़ तिरसठ लाख इकसठ हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 10 – विविध सामान्य सेवाएं

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 10 - विविध सामान्य सेवायें के सम्बन्ध

(श्री उपाध्यक्ष)

में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,12,82,91,000/- (चार अरब बारह करोड़ बयासी लाख इक्यानवे हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 11 – विविध सामाजिक सेवाएं

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 11 - विविध सामाजिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,20,95,65,000/- (एक अरब बीस करोड़ पचानवे लाख पैंसठ हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 12 – अन्य कर

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 12 - अन्य कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 7,93,15,81,000/- (सात अरब तिरानवे करोड़ पन्द्रह लाख इक्यासी हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 13 – आबकारी

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 13 - आबकारी के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,38,25,58,000/- (एक अरब अड़तीस करोड़ पच्चीस लाख अठावन हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 14 – बिक्री कर

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 14 – बिक्री कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल

(श्री उपाध्यक्ष)

महोदय को रुपये 5,32,63,49,000/- (पांच अरब बत्तीस करोड़ तिरसठ लाख उनचास हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 15 – पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 15 – पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,24,92,46,31,000/- (एक सौ चौबीस अरब बानवे करोड़ छियालीस लाख इकतीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 18 – जन सम्पर्क

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 18 – जन सम्पर्क के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 40,63,62,000/- (चालीस करोड़ तिरसठ लाख बासठ हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 22 – क्षेत्र का विकास

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 22 – क्षेत्र का विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,35,40,42,000/- (तीन अरब पैंतीस करोड़ चालीस लाख बयालीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 23 – श्रम और रोजगार

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 23 – श्रम और रोजगार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त

(श्री उपाध्यक्ष)

राज्यपाल महोदय को रुपये 5,62,18,84,000/- (पांच अरब बासठ करोड़ अठारह लाख चौरासी हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 25 – कोषागार व लेखा प्रशासन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 25 – कोषागार व लेखा प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,14,75,73,000/- (दो अरब चौदह करोड़ पिचहत्तर लाख तिहत्तर हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 28 – ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 28 – ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 12,24,44,18,000/- (बारह अरब चौबीस करोड़ चवालीस लाख अठारह हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 30 – जनजाति क्षेत्रीय विकास

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 30 – जनजाति क्षेत्रीय विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,37,79,89,34,000/- (एक सौ सैंतीस अरब उन्यासी करोड़ नवासी लाख चौंतीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 32 – नागरिक आपूर्ति

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 32 – नागरिक आपूर्ति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त

(श्री उपाध्यक्ष)

राज्यपाल महोदय को रुपये 3,35,27,27,000/- (तीन अरब पैंतीस करोड़ सत्ताइस लाख सत्ताइस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 33 – सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 33 – सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 47,67,95,63,000/- (सैंतालीस अरब सड़सठ करोड़ पिचानवे लाख तिरसठ हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 34 – प्राकृतिक आपदाओं से राहत

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 34 – प्राकृतिक आपदाओं से राहत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 23,25,65,07,000/- (तेईस अरब पच्चीस करोड़ पैंसठ लाख सात हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 35 – विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 35–विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6,99,38,46,000/- (छह अरब निन्यानवे करोड़ अड़तीस लाख छियालीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 38 – लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 38 – लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,09,79,84,000/- (एक अरब नौ करोड़ उनासी लाख चौरासी हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 40 – राजकीय उपक्रम

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 40 – राजकीय उपक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,47,98,000/- (एक करोड़ सैंतालीस लाख अठानवे हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 41 – सामुदायिक विकास

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 41 – सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 65,71,98,70,000/- (पैंसठ अरब इकहत्तर करोड़ अठानवे लाख सत्तर हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 44 – लेखन सामग्री एवं मुद्रण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 44 – लेखन सामग्री एवं मुद्रण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 34,46,95,000/- (चौंतीस करोड़ छियालीस लाख पिचानवे हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 45 – राज्य कर्मचारियों को ऋण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 45 – राज्य कर्मचारियों को ऋण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 9,000/- (नौ हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग संख्या 47 – पर्यटन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 47 – पर्यटन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,09,07,40,000/- (एक अरब नौ करोड़ सात लाख चालीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 48 – विद्युत

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 48 – विद्युत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,44,71,64,31,000/- (दो सौ चवालीस अरब इकहत्तर करोड़ चौंसठ लाख इकतीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 50 – ग्रामीण रोजगार

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 50 – ग्रामीण रोजगार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 25,77,83,25,000/- (पच्चीस अरब सतहत्तर करोड़ तिरासी लाख पच्चीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 51 – अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 51 – अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,55,37,63,63,000/- (एक सौ पचपन अरब सैंतीस करोड़ तिरसठ लाख तिरसठ हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

श्री राजपाल सिंह जी।

विधायी कार्य: विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2016

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2016 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2016 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2016 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: राजस्थान नगरीय भूमि (हक प्रमाणन) विधेयक, 2016 । श्री राजपाल सिंह शेखावत।

राजस्थान नगरीय भूमि (हक प्रमाणन) विधेयक, 2016

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, राजस्थान नगरीय भूमि (हक प्रमाणन) विधेयक, 2016 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरीय भूमि (हक प्रमाणन) विधेयक, 2016 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, राजस्थान नगरीय भूमि (हक प्रमाणन) विधेयक, 2016 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री अजय सिंह।

राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2016

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2016 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2016 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री।

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2016 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 30 मार्च 2016 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 01.40 बजे बुधवार, दिनांक 30 मार्च 2016 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

महानरेगा योजनान्तर्गत निर्मित ग्रेवल सड़क मार्गों हेतु दिशा-निर्देश

374. **श्रीमती गोलमा** (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़) : क्या ग्रामीण विकास [रोजगार गारंटी योजना] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि महानरेगा योजना के अन्तर्गत निर्मित ग्रेवल सड़क मार्ग के निर्माण हेतु कोई नियम/दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त योजना के अन्तर्गत निर्मित ग्रेवल सड़क को सुधार करने की कोई समय अवधि निर्धारित है? यदि हां, तो कितनी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त सड़क को डामरीकृत में बदलने हेतु कोई नियम बना हुआ है? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विभाग द्वारा जारी महात्मा गांधी नरेगा तकनीकी मार्गदर्शिका 2010 में ग्रेवल सडक निर्माण के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश दिये गये है। सम्बन्धित प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

राजकीय छात्रावासों में अधीक्षकों के रिक्त पद

376. **श्रीमती अंजू देवी धानका** (बस्सी) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के विभिन्न छात्रावासों में लम्बे समय से छात्रावास अधीक्षक तथा अन्य कर्मचारियों के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो किन-किन में कब-कब से? संख्या का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार आगामी वित्तीय वर्ष में उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती अंजू देवी धानका)

(3) विभाग के अधीन जयपुर सम्भाग में कितने छात्रावास संचालित हैं तथा उक्त छात्रावासों में कितने बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं? छात्रों का संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त छात्रावासों में छात्र-छात्राओं को क्या-क्या सुविधाएं प्रदान करने का प्रावधान है तथा इसके लिए गत दो वर्षो में कितनी-कितनी राशि किस-किस मद में उपलब्ध करवाई गई और उसमें से कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि उक्त छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को मैस व अन्य सुविधाएं निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप उपलब्ध नहीं होने की समय-समय पर शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो गत एक वर्ष में प्राप्त शिकायतों के निराकरण के लिए क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विभाग द्वारा संचालित राजकीय छात्रावासों में छात्रावास अधीक्षक एवं अन्य कर्मचारियों के पद रिक्त चल रहे हैं। रिक्त पदों की जिलेवार संख्या सूची परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। विभाग के पत्र दिनांक 27.01.2016 के द्वारा सचिव, अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक चयन बोर्ड जयपुर को 300 रिक्त छात्रावास अधीक्षक श्रेणी-2 के पदों पर भर्ती की कार्यवाही हेतु अर्थना भिजवाई जा चुकी है, जो परिशिष्ट-ब पर उपलब्ध है, तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (रसोइया/चौकीदार) के रिक्त पदों को भरनें की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) विभाग के अधीन जयपुर संभाग में 136 राजकीय एवं अनुदानित छात्रावास स्वीकृत/संचालित हैं, जिनमें शैक्षणिक सत्र 2015-16 में 5,560 बालक-बालिकाओं को प्रवेश देकर लाभान्वित किया गया, जिनका विवरण परिशिष्ट-स पर उपलब्ध है।

(4) छात्रावासों में आवासरत विद्यार्थियों हेतु देय सुविधाओं यथा भोजन, नाश्ता विशेष भोजन, ईंधन, स्कूल यूनिफार्म मय सिलाई (दो ड्रैसेज), जूते, मोजे, तौलिये एवं गर्म जर्सी, सिर पर लगाने का तेल, नहाने एवं कपड़े धोने का साबुन, बाल कटाई, चद्दर, तकिया खोली एवं खेस (धुलाई), बिजली पानी, समाचार पत्र-पत्रिकाएं, छात्रावास की सफाई, आदि के लिए 1,900 रुपये प्रति छात्र-छात्रा प्रति माह की दर से 9.5 माह हेतु दिये जाने का प्रावधान है।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

विगत दो वर्षों में उक्त छात्रावासों की सुविधाओं पर आबंटित की गई राशि एवं व्यय का छात्रावासवार एवं जिलेवार विवरण परिशिष्ट-स पर उपलब्ध है।

(5) जी नहीं। छात्रावास में रहने वाले छात्रों को मैस व अन्य सुविधाएं निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इस सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। राज्य सरकार द्वारा छात्रावासों के बच्चों के हितों को देखते हुए मैस भत्ते की राशि 1,900 रुपये प्रति विद्यार्थी प्रति माह से बढ़ाकर 2,000 रुपये प्रति विद्यार्थी प्रति माह किये जाने की बजट घोषणा वर्ष 2016-17 में की जा चुकी है।

(सूची, प्रति व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोतर

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं से वंचित विधान सभा क्षेत्र

380. **श्रीमती कमसा** (भोपालगढ़) : क्या श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

प्रदेश में कितने विधान सभा क्षेत्र राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों से वंचित हैं? क्या सरकार वंचित विधान सभा क्षेत्रों में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

प्रदेश में 53 विधान सभा क्षेत्र राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से वंचित हैं। सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

राज्य सरकार की मंशा प्रत्येक पंचायत समिति क्षेत्र में सार्वजनिक अथवा निजी सहभागिता से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने की है। वर्तमान में मात्र 15 पंचायत समितियां ही ऐसी हैं जहां कोई औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्वीकृत नहीं हैं। सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से वंचित विधान सभा क्षेत्रों में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने के सम्बन्ध में क्षेत्रीय संसाधनों की उपलब्धता होने व गुणावगुणों के आधार पर वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने की स्थिति में राजकीय औ.प्र. संस्थान खोला जाना सम्भव हो सकेगा।

परिशिष्ट-1

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से वंचित विधान सभा क्षेत्रों की सूची

S. No.	District	Assembly Constituency
1	Ajmer	Ajmer North
2	Ajmer	Pushkar
3	Alwar	Alwar Rural
4	Alwar	Behror
5	Alwar	Kathumar
6	Bharatpur	Deeg-Kumher
7	Bharatpur	Nadbai
8	Bharatpur	Weir

S. No.	District	Assembly Constituency
9	Bikaner	Bikaner West
10	Bikaner	Kolayat
11	Bundi	Hindoli
12	Chittorgarh	Nimbahera
13	Churu	Sadulpur
14	Churu	Sardarsahar
15	Churu	Taranagar
16	Dausa	Lalsot
17	Dausa	Mahwa
18	Dholpur	Baseri
19	Hanumangarh	Bhadra
20	Hanumangarh	Nohar
21	Hanumangarh	Pilibanga
22	Jaipur	Bassi
23	Jaipur	Hawamahal
24	Jaipur	Jamwa Ramgarh
25	Jaipur	Jhotwara
26	Jaipur	Kishanpole
27	Jaipur	Malviya Nagar
28	Jaipur	Vidhyadhar Nagar
29	Jaipur	Viratnagar
30	Jalore	Ahore
31	Jhunjhunu	Mandawa
32	Jhunjhunu	Surajgarh
33	Jhunjhunu	Udaipurwati
34	Jodhpur	Osian
35	Karauli	Hindaun
36	Kota	Kota North
37	Kota	Ladpura
38	Nagaur	Deedwana
39	Nagaur	Degana
40	Nagaur	Khinvsar
41	Nagaur	Ladnun
42	Nagaur	Parabatsar
43	Pali	Sumerpur
44	Rajsamand	Bhim
45	Sikar	Dantaramgarh
46	Sikar	Khandela
47	Sikar	Lachmangarh
48	Sikar	Neem Ka Thana
49	Sri ganganagar	Raisinghnagar
50	Sri ganganagar	Sadulshahar
51	Tonk	Deoli-Uniara
52	Tonk	Niwai
53	Udaipur	Udaipur Rural

परिशिष्ट-2

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से वंचित पंचायत समिति क्षेत्रों की सूची

S.No.	District	S.No.	Block
1	Banswara	1	Gangartalai
2.	Barmer	2	Gida
		3	Patodi
		4	Kalyanpur
		5	Dhanau
		6	Sedwa
		7	Gadra road
3.	Dungarpur	8	Sabla
4.	Jodhpur	9	Sekhala
		10	Dechu
		11	Bapini
5.	Udaipur	12	Sayara
		13	Phalasiya
		14	Jhallara
		15	Semari

भीलवाड़ा में एन.एच.ए.आई. द्वारा सड़क निर्माण हेतु अवाप्त भूमि का मुआवजा

381. **श्री धीरज गुर्जर** (जहाजपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है भीलवाड़ा जिले में एन.एच.ए.आई. द्वारा विभिन्न सड़कों का निर्माण कार्य किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सड़कों के सम्बन्ध में भूमि अवाप्ति कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है? यदि हां, तो किस-किस अवाप्ति अधिकारी द्वारा कितनी-कितनी भूमि के लिए अवार्ड जारी किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि अवाप्ति अधिकारियों द्वारा भूमि अवाप्ति किये लम्बा समय व्यतीत हो चुका है, लेकिन अभी तक भी अवार्डधारियों को अवाप्तिशुदा भूमि एवं संरचनाओं का भुगतान नहीं हुआ है? यदि हां, तो इसके विलम्ब के क्या कारण रहे? क्या सरकार उन्हें दूर कर शीघ्र भुगतान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि उक्त सड़क निर्माण के दौरान

(श्री धीरज गुर्जर)

एन.एच.ए.आई. द्वारा सड़क के किनारों पर स्थित लाखों वृक्षों को हटवा दिया है? यदि हां, तो अब नई सड़कों के चारों ओर पुनः वृक्षारोपण के सम्बन्ध में एन.एच.ए.आई. द्वारा क्या कार्यवाही करने की योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि भूमि अवाप्ति अधिकारियों द्वारा भूमि अवाप्ति के समय डी.एल.सी. की दर पर भूमिधारियों को मुआवजा राशि का भुगतान किया जा रहा है? जबकि अवाप्ति का भुगतान लम्बे समय बाद किया जा रहा है। यदि हां, तो क्या सरकार भुगतान तिथि पर प्रचलित डी.एल.सी. दर के आधार पर काश्तकारों को मुआवजा प्रदान किये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) अवाप्तिधीन भूमियों में स्थित मकानों, कोट, पाइपलाइन, धोर, फलदार वृक्षों, आदि संरचनाओं का मूल्यांकन किस अथोरिटी द्वारा कराया गया है तथा इस सम्बन्ध में सरकार के क्या निर्देश हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) क्या यह सही है कि न्यायालय के अनेक निर्णयों के अनुसार समान भूमि का समान मुआवजा दिये जाने के निर्देश हैं, फिर भी अवाप्ति अधिकारियों द्वारा उक्त निर्देशों की पालना नहीं की जा रही है तथा अनावश्यक वाद बढ़ रहे हैं? सरकार की इन्हें रोकने की क्या योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(8) क्या सथुर-नागौर मेगा हाईवे का जहाजपुर व शाहपुरा तहसील में अवार्ड जारी होने तथा प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजे के भुगतान से पूर्व ही ठेकेदारों द्वारा निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है? यदि हां, तो प्रभावित व्यक्तियों को तत्काल मुआवजा भुगतान किये जाने तथा बिना मुआवजा भुगतान के खातेदारों/काबिज व्यक्तियों के हितों के संरक्षण हेतु सरकार क्या उपाय कर रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(9) क्या सथुर-नागौर हाईवे पर 3-डी की कार्यवाही के विपरीत ठेकेदारों द्वारा जहाजपुर तहसील में कार्य किया जा रहा है? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) एन.एच.ए.आई. से प्राप्त उत्तर (परिशिष्ट-1) के अनुसार बिन्दुवार प्रत्युत्तर निम्नानुसार हैः-

''जी हां। जिला भीलवाड़ा में राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण अनुसंलग्नक-1 में प्रस्तुत है।''

(2) उक्त राष्ट्रीय राजमार्गों हेतु भूमि अवाप्ति कार्यवाही का विवरण अनुसंलग्नक-2 में प्रस्तुत है।

(3) उक्त परियोजनाओं हेतु भूमि अवाप्ति अधिकारियों द्वारा भूमि अवाप्ति की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त अवार्ड के अनुसार स्वीकृत राशि सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी, भूमि अवाप्ति के खाते में जमा करा दी गई है, जिसका विवरण अनुसंलग्नक-2 में प्रस्तुत है।

मुआवजा राशि के शीघ्र वितरण हेतु उच्च स्तर पर समय-समय पर बैठक एवं वीडियो कांफ्रेन्स की जाकर सभी सक्षम अधिकारियों को समय सीमा में हितबद्ध व्यक्तियों को शीघ्र भुगतान हेतु उचित दिशा-निर्देश प्रदान किये गये हैं।

(4) उक्त परियोजनाओं के निर्माण हेतु कुल 9,726 वृक्षों को हटवाया गया है जिसकी एवज में परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त तीन गुना वृक्षों का पुनः वृक्षारोपण किया जावेगा एवं एन.एच.-148डी भीम-परासोली-गुलाबपुरा खण्ड में सड़क के किनारे खाली पड़े स्थानों पर 508 काटे गये वृक्षों के बदले 2,496 वृक्ष लगाने का कार्य अनुबन्ध में निहित है।

(5) भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुसार दिनांक 01.01.2015 से पूर्व के अवार्ड, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के प्रावधानानुसार जारी किये गये हैं। दिनांक 01.01.2015 के बाद के अवार्ड, सक्षम प्राधिकारियों द्वारा नवीन भू-अवाप्ति अधिनियम RFCTLARR Act. 2013 के अनुसार जारी किये गये हैं। सक्षम प्राधिकारी, भूमि अवाप्ति द्वारा नये एक्ट में निहित क्षतिपूर्ति को शामिल करते हुए अवार्ड जारी किये गये हैं, जिसे भा.रा.रा.प्रा. द्वारा स्वीकार कर राशि जमा कराई गई है।

(6) अवाप्ताधीन भूमियों में स्थित संरचनाओं का मूल्यांकन राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित वैल्यूअर द्वारा कराया जाकर, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जांच (Verification) करायी जाती है।

सड़क के किनारे पूर्व स्थित पाइपलाइन हेतु सम्बन्धित विभाग (पी.एच.ई.डी.) द्वारा प्राप्त एस्टिमेट के अनुसार भुगतान किया जाता है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

फलदार वृक्षों के मूल्यांकन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा उद्यान विभाग से अनुमोदित दर के आधार पर अवार्ड जारी किये जाते हैं।

(7) बिन्दु संख्या-5 के प्रत्युत्तर अनुसार।

उक्त सम्बन्ध में ऐसा कोई वाद नहीं है।

(8) उक्त परियोजना पर भारत के राजपत्र में धारा 3ए एवं 3डी कार्यवाही होने के उपरान्त भूमि भारत सरकार में निहित हो जाती है तथा धारा 3जी के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अवार्डों के अनुसार इस कार्यालय द्वारा मुआवजा राशि भी जमा कराई जाने के पश्चात् ही राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3(एच) के अनुसार निर्माण का कार्य संवेदक द्वारा किया जा रहा है।

(9) उक्त परियोजना पर भारत के राजपत्र में धारा 3ए एवं 3डी कार्यवाही होने के उपरान्त भूमि भारत सरकार में निहित हो जाती है तथा धारा 3जी के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अवार्डों के अनुसार इस कार्यालय द्वारा मुआवजा राशि भी जमा कराई जाने के पश्चात् ही संवेदक द्वारा कार्य कराया जा रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

विकास अधिकारी, पंचायत समिति सुजानगढ़ द्वारा दिये गए विज्ञापनों पर व्यय राशि

382. **श्री खेमाराम** (सुजानगढ़) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत 5 वर्षों में सुजानगढ़ एवं बीदासर पंचायत समिति में किस-किस पंचायत क्षेत्र में कौन-कौन से सरपंचों एवं ग्राम सेवकों द्वारा कब-कब कौन-कौन से समाचार पत्रों में किन-किन अवसरों पर कितने-कितने विज्ञापन दिये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत 5 वर्षों में सुजानगढ़ पंचायत समिति के विकास अधिकारी द्वारा कब-कब कौन-कौन से समाचार पत्रों में किन-किन अवसरों पर कितने-कितने विज्ञापन दिये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विकास अधिकारी द्वारा दिये गये विज्ञापनों का भुगतान कितना-कितना किस-किस मद में किया गया? उक्त भुगतान के प्रत्येक बिलों व विज्ञापनों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गत 5 वर्षों में सुजानगढ़ एवं बीदासर पंचायत समिति में सरपंचो एवं ग्राम सेवकों द्वारा समाचार पत्रों में दिये गये विज्ञापनों का विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) विकास अधिकारी, पंचायत समिति सुजानगढ द्वारा गत 5 वर्षों में किसी भी समाचार पत्र में कोई विज्ञापन नहीं दिया गया।

(3) जी नहीं। कोई भुगतान नहीं किया गया।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

तारानगर (चूरू) में पेयजल की आपूर्ति

383. श्री जय नारायण पूनियां (तारानगर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) चूरू जिले के तारानगर कस्बे में वर्तमान में कितने दिन से व कितने समय तक पानी की आपूर्ति की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त कस्बे में 24 घंटे पेयजल उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से, व किस योजना के तहत? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) आपणी योजना अन्तर्गत जिला चूरू की पाइप्ड जल योजना से घरेलू जल संबंधों द्वारा लाभान्वित तारानगर कस्बे में 98 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से (निर्धारित मानक 100 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के विरुद्ध) 24 घण्टे के अंतराल पर न्यूनतम 45 मिनट से अधिकतम 3 घण्टे की समयावधि से स्वच्छ नहरी पेयजल आपूर्ति वर्तमान में सुनिश्चित की जा रही है। वार्डवार पेयजल आपूर्ति का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। कस्बा तारानगर में उक्तानुसार की जा रही पेयजल आपूर्ति वर्तमान में सुचारु एवं संतोषप्रद है तथा कस्बे में 24 घण्टे पेयजल उपलब्ध कराने हेतु ऐसा कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

परिशिष्ट-अ

कस्बा तारानगर में वार्डवार पेयजल वितरण व्यवस्था का विवरण

क्र. सं.	वार्ड नम्बर (प्रतिशत लाभान्वित)	पेयजल वितरण समय अवधि	पेयजल आपूर्ति व्यवस्था का विवरण
1	2	3	4
1	1 (100%)	2 से 3 घण्टे	जोन प्रथम के उच्च जलाशय से पेजयल वितरण
2	2 (100%)	2 से 3 घण्टे	जोन प्रथम के उच्च जलाशय से पेजयल वितरण
3	3 (100%)	2 से 3 घण्टे	जोन प्रथम के उच्च जलाशय से पेजयल वितरण
4	4 (75%)	2 से 3 घण्टे	जोन प्रथम के उच्च जलाशय से पेजयल वितरण
5	4 (25%)	1 से 1.30 घण्टे	पुराने पम्प हाउस बूस्टर से पेयजल वितरण
6	5 (65%)	2 से 3 घण्टे	जोन प्रथम के उच्च जलाशय से पेजयल वितरण
7	5 (35%)	1 से 1.30 घण्टे	पुराने पम्प हाउस बूस्टर से पेयजल वितरण
8	6 (100%)	1 से 1.30 घण्टे	पुराने पम्प हाउस बूस्टर से पेयजल वितरण
9	7 (100%)	1 से 1.30 घण्टे	पुराने पम्प हाउस बूस्टर से पेयजल वितरण
10	8 (65%)	2 से 3 घण्टे	जोन द्वितीय के उच्च जलाशय से पेजयल वितरण
11	8 (35%)	1 से 1.30 घण्टे	पुराने पम्प हाउस बूस्टर से पेयजल वितरण
12	9 (65%)	2 से 3 घण्टे	जोन प्रथम के उच्च जलाशय से पेजयल वितरण
13	9 (35%)	2 से 3 घण्टे	जोन द्वितीय के उच्च जलाशय से पेजयल वितरण

1	2	3	4
14	10 (100%)	2 से 3 घण्टे	जोन द्वितीय के उच्च जलाशय से पेजयल वितरण
15	11 (100%)	2 से 3 घण्टे	जोन द्वितीय के उच्च जलाशय से पेजयल वितरण
16	12 (65%)	2 से 3 घण्टे	जोन द्वितीय के उच्च जलाशय से पेजयल वितरण
17	12 (35%)	1 से 1.30 घण्टे	नये पम्प हाउस बूस्टर से पेयजल वितरण
18	13 (70%)	2 से 3 घण्टे	जोन द्वितीय के उच्च जलाशय से पेजयल वितरण
19	13 (30%)	1 से 1.30 घण्टे	नये पम्प हाउस बूस्टर से पेयजल वितरण
20	14 (100%)	2 से 3 घण्टे	जोन द्वितीय के उच्च जलाशय से पेजयल वितरण
21	15 (100%)	2 से 3 घण्टे	जोन द्वितीय के उच्च जलाशय से पेजयल वितरण
22	16 (60%)	2 से 3 घण्टे	जोन द्वितीय के उच्च जलाशय से पेजयल वितरण
23	16 (40%)	1 से 1.30 घण्टे	नये पम्प हाउस बूस्टर से पेयजल वितरण
24	17 (100%)	2 से 3 घण्टे	जोन द्वितीय के उच्च जलाशय से पेजयल वितरण
25	18 (55%)	2 से 3 घण्टे	जोन द्वितीय के उच्च जलाशय से पेजयल वितरण
26	18 (45%)	2 से 3 घण्टे	जोन प्रथम के उच्च जलाशय से पेजयल वितरण
27	19 (75%)	2 से 3 घण्टे	जोन द्वितीय के उच्च जलाशय से पेजयल वितरण
28	19 (25%)	1 से 1.30 घण्टे	नये पम्प हाउस बूस्टर से पेयजल वितरण

1	2	3	4
29	20 (100%)	45 मिनट से 1 घण्टे	मिश्रा वेल बेस्टर से पेयजल वितरण
30	21 (100%)	45 मिनट से 1 घण्टे	मिश्रा वेल बेस्टर से पेयजल वितरण
31	22 (100%)	45 मिनट से 1 घण्टे	18 नम्बर बेस्टर से पेयजल वितरण
32	23 (100%)	2 से 3 घण्टे	जोन प्रथम के उच्च जलाशय से पेजयल वितरण
33	24 (100%)	2 से 3 घण्टे	जोन प्रथम के उच्च जलाशय से पेजयल वितरण
34	25 (100%)	2 से 3 घण्टे	जोन प्रथम के उच्च जलाशय से पेजयल वितरण

कपासन के छात्रावास का एकलव्य के नाम पर नामकरण

384. श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र कपासन में अनुसूचित जनजाति के छात्रों के आवास के लिए छात्रावास हाल ही में बनाया गया है? यदि हां, तो इसके लिए कितनी राशि कब स्वीकृत की गई है तथा इसके बनने में अब तक कितनी राशि व्यय की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त छात्रावास का नाम एकलव्य छात्रावास रखने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र कपासन में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा वर्ष 2012-13 में नाबार्ड योजनान्तर्गत 50 छात्रों की स्वीकृत क्षमता का 1 अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास का भवन निर्माण कार्य स्वीकृत किया गया था, जिसकी तखमीना राशि 96.00 लाख रुपये स्वीकृत की गई है। इसके निर्माण में अब तक 84.55 लाख रुपये व्यय किये गये हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार छात्रावास भवन

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

निर्माण का कार्य छत लेवल तक किया गया है तथा निर्माण कार्य प्रगति पर है। (प्रति संलग्न)

(2) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा छात्रावासों के नामकरण में कोई परिवर्तन करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

डूंगरपुर जिले में खाद्य सुरक्षा गारंटी योजनान्तर्गत लाभान्वित परिवार

385. श्री सुशील कटारा (चौरासी) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) खाद्य सुरक्षा गारंटी योजना के तहत जिला डूंगरपुर में कितने व्यक्तियों को चिह्नित कर लाभान्वित किया गया है? पंचायतवार ए.पी.एल., बी.पी.एल., अन्त्योदय व अन्नपूर्णा का संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त योजना में चिह्नित सभी योग्य व्यक्तियों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(3) उक्त योजना के तहत पूर्व में कितने टन गेहूं का आबंटन किया गया तथा अब कितने टन आबंटन किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त जिले में बी.पी.एल. परिवार से अलग हुए ए.पी.एल. परिवारों को, जो खाद्य सुरक्षा की पात्रता रखते हैं, उन्हें गेहूं आबंटन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) खाद्य सुरक्षा गारन्टी योजना के तहत जिला डूंगरपुर में चिह्नित पात्र व्यक्तियों का वार्डवार/पंचायतवार संख्या विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत चिह्नित सभी पात्र लाभार्थियों (व्यक्तियों) को लाभान्वित किया जा रहा है।

(3) उक्त योजना के तहत जिला डूंगरपुर को माह अक्टूबर, 2013 से मार्च, 2016 तक आबंटित किये गये गेहूं का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(4) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत बी पी एल परिवारों से अलग हुए ए पी एल परिवार यदि खाद्य और नागरिक आपूर्ति

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 19.02.2016 के अन्तर्गत समावेशन पात्रता श्रेणी में उल्लिखित श्रेणियों में अपनी पात्रता रखते हैं, तो वह साधारण कागज पर प्रार्थना पत्र के साथ समावेशन पात्रता श्रेणी के आधारभूत दस्तावेज संलग्न कर सम्बन्धित क्षेत्र के उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर अपना नाम जुडवा सकता है। अधिसूचना दिनांक 19.02.2016 की प्रति परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(विवरण व प्रति पुस्तकालय में रखे गये)

झाड़ोल में मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों की बकाया राशि

386. श्री हीरा लाल दरांगी (झाड़ोल) : क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल के अन्तर्गत पंचायत समिति मुख्यालय फलासिया के सहकारी मिनी बैंक में मुख्यमंत्री आवास योजना के कितने लाभार्थियों के खाते हैं? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त सभी लाभार्थियों को पूरा भुगतान कर दिया गया है? यदि नहीं, तो कितने लाभार्थियों का भुगतान शेष है तथा शेष लाभार्थियों को भुगतान कब तक कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त बैंक द्वारा मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के खाते में से प्रति लाभार्थी एक हजार बारह रुपये की राशि काटी गयी है? यदि हां, तो क्यों व काटी गयी राशि पुन: लाभार्थियों के खाते में कब तक जमा कर दी जाएगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल के अन्तर्गत फलासिया वृहद् कृषि बहुद्देशीय सहकारी समिति लि., फलासिया द्वारा संचालित मिनी बैंक फलासिया में मुख्यमंत्री आवास योजना में 698 लाभार्थियों के खाते हैं। विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। मुख्यमंत्री आवास योजना के सभी 698 लाभार्थियों के भुगतान हेतु राशि उनके मिनी बैंक, फलासिया में संधारित खातों में जमा कर दी गई है। इनमें से 41 लाभार्थियों द्वारा खाते से राशि आहरित नहीं की गई है। सम्बन्धित लाभार्थी द्वारा राशि का आहरण कभी भी किया जा सकता है।

(सहकारिता राज्य मंत्री)

(3) जी नहीं। राशि लाभार्थियों के खातों में जमा है, जिसका खाता-धारक द्वारा कभी भी मिनी बैंक में खाता संचालन हेतु लागू नियमों का पालन करते हुए आहरण किया जा सकता है।

परिशिष्ट-1

वृहत कृषि बहुउद्देशीय सहकारी समिति, फलासिया

एन.एच. झाड़ोल जिला-उदयपुर (राज.)

मिनी बैंक-फलासिया

क्र. सं.	नाम लाभार्थी	खाता संख्या	प्राप्त राशि		भुगतान का विवरण		खातें में जमा शेष राशि	क्या लाभार्थी प्राप्त राशि में से रु. 1012/- की राशि काटी गयी हैं। हां/नहीं	वि. वि.
			दिनांक	राशि	दिनांक	राशि			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	698	698	1,35,14,500		1,25,99,500		1482100	नहीं	
								नहीं	

सहायक रजिस्ट्रार (बैंकिंग)

सहकारी समितियां, राज.

जयपुर

बाड़मेर में पेट्रोलियम रिफाइनरी की स्थापना

387. **श्री कैलाश चौधरी** (बायतू) : क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले में पेट्रोलियम का अथाह भण्डार मिला है, जिसका दोहन भी शुरू हो गया है तथा राज्य और केन्द्र सरकार को इससे करोड़ों रुपयों की राजस्व प्राप्ति हो रही है?

(2) क्या यह भी सही है कि पूर्व में सरकार द्वारा पचपदरा में रिफाइनरी लगाने का शिलान्यास भी किया गया है?

(3) क्या सरकार बाड़मेर में पेट्रोलियम रिफाइनरी लगाने का विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। बाडमेर-सांचोर बेसिन में 4.2 बिलियन बैरल (500 मिलियन टन) खनिज तेल के भण्डार का आकलन किया गया है। बाड़मेर बेसिन से 1,65,000 से 1,75,000 बैरल खनिज तेल का दोहन प्रतिदिन हो रहा है। यह सही है कि बाड़मेर में खनिज तेल भण्डारों के दोहन से राज्य सरकार व केन्द्र सरकार को राजस्व आय हो रही है।

(2) पूर्ववर्ती सरकार द्वारा दिनांक 22.09.2013 को पचपदरा के समीप राजकीय भूमि पर रिफाइनरी-सह-पेट्रोकेमिकल्स काम्पलेक्स का शिलान्यास किया गया।

(3) जी हां, राज्य सरकार द्वारा बाड़मेर जिले के पचपदरा में रिफाइनरी-सह-पेट्रोकेमिकल्स कॉम्पलेक्स लगाने तथा इस परियोजना को प्रारम्भ करने हेतु सकारात्मक प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य सरकार एवं HPCL में आपसी सहमति बनने पर पेट्रोलियम मंत्रालय, केन्द्र सरकार द्वारा अन्तिम निर्णय किया जायेगा, जिसके उपरान्त परियोजना प्रारम्भ करने सम्बन्धी आगामी रूपरेखा तैयार की जायेगी।

उद्योगों में स्थानीय श्रमिकों को रोजगार देने की नीति

388. श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर) : क्या श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में विभिन्न उद्योगों में स्थानीय श्रमिकों को रोजगार के लिए सरकार की कोई नीति बनी हुई है? यदि हां, तो क्या एवं कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि जिला अलवर में संचालित उद्योगों में स्थानीय श्रमिकों की अनदेखी कर बाहर के श्रमिकों को कार्य पर लिया जा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे उद्योगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अलवर जिले के खुशखेड़ा, नीमराणा, भिवाड़ी, टपूकड़ा व बहरोड़ में संचालित विभिन्न फैक्ट्रियों एवं अन्य उद्योगों में स्थानीय श्रमिकों के हित में कोई विशेष योजना/नीति बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। प्रदेश में विभिन्न उद्योगों में स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए रोजगार विभाग में कोई नीति नहीं बनी हुई है।

(2) रोजगार विभाग में अलवर जिले में संचालित उद्योगों में स्थानीय श्रमिकों एवं बाहर के श्रमिकों के बारे में सूचना का संकलन नहीं किया जाता है। रोजगार कार्यालय (अनिवार्य रिक्ति ज्ञापन) अधिनियम 1959 की धारा 4 (4) के अनुसार निजी क्षेत्र के नियोजकों द्वारा रोजगार कार्यालय से भर्ती की अनिवार्यता नहीं है।

(3) रोजगार विभाग में अलवर जिले में खुशखेड़ा, नीमराणा, भिवाड़ी, टपूकड़ा व बहरोड़ में संचालित विभिन्न फैक्ट्रीयों एवं अन्य उद्योगों में स्थानीय श्रमिकों के हित के सम्बन्ध में कोई विधिक प्रावधान नहीं हैं।

मकराना के सड़क मार्ग से वंचित राजस्व गांव

389. श्री श्रीराम भींचर (मकराना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र मकराना के राजस्व गांवों में से ऐसे कितने राजस्व गांव हैं, जो सड़क मार्ग से जुड़े हुए नहीं हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 2014-15 में उक्त विधान सभा क्षेत्र के राजस्व गांवों को सड़क मार्ग से जोड़ा गया है? यदि हां, तो कौन-कौनसे गांवों को? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार सड़क मार्ग से वंचित राजस्व गांवों को सड़क मार्ग से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मकराना में वर्तमान में जनगणना वर्ष 2001 के अनुसार 2 राजस्व गांव तथा जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार 12 राजस्व गांव डामर सड़क से जुड़े हुए नहीं हैं, जिनका विवरण उक्तानुसार क्रमश: परिशिष्ट-1 व 2 पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। वर्ष 2014-15 में विधान सभा क्षेत्र के एक राजस्व गांव को सड़क मार्ग से जोड़ा गया है, जिसका विवरण परिशिष्ट-3 पर प्रस्तुत है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(3) जी हां। ऐसे राजस्व गांवों को डामर सड़क से जोड़ना सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

परिशिष्ट-1

जनगणना वर्ष 2001 के अनुसार विधान सभा क्षेत्र मकराना के सड़क मार्ग से बिना जुडे राजस्व गांवों का विवरण

क्र. सं.	राजस्व गांव का नाम	ग्राम पंचायत	जनसंख्या 2001 की जनगणना के अनुसार	लम्बाई (किमी.)	अनुमानित लागत (रु. लाख)	विशेष विवरण
1	गुढा चक द्वितीय	खेडीशिला	173	3.50	80.00	
2	सूरतपुरा	भिंचावा	92	4.00	90.00	
		योग		**7.50**	**170.00**	

परिशिष्ट-2

जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार विधान सभा क्षेत्र मकराना के सड़क मार्ग से बिना जुडे राजस्व गांवों का विवरण

क्र. सं.	राजस्व गांव का नाम	ग्राम पंचायत	जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार	लम्बाई (किमी.)	अनुमानित लागत (रु. लाख)	विशेष विवरण
1.	देवगढ़	इन्दोखा	863	2.50	55.00	
2.	गिठाला	भिंयाकलां	492	4.50	99.00	
3.	जानासर	भिंयाकलां	480	3.50	77.00	
4.	जसनगर	सफेड़बाड़ी	416	3.00	66.00	
5.	देवनगर	गेडाकलां	340	3.00	66.00	
6.	दीपनगर	इन्दोखा	312	3.50	77.00	
7.	ततारपुरा कलां	इटावालाखा	299	3.50	80.00	
8.	उचेरिया चारणा	रानीगांव	206	2.00	45.00	
9.	गुढा चक द्वितीय	खेड़ीशिला	194	3.50	80.00	

क्र. सं.	राजस्व गांव का नाम	ग्राम पंचायत	जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार	लम्बाई (किमी.)	अनुमानित लागत (रु. लाख)	विशेष विवरण
10.	ततारपुरा खुर्द	इटावालाखा	183	3.00	70.00	
11.	सूरतपुरा	भिंचावा	102	4.00	90.00	
12.	रामनगर	गेडाकलां	-	3.50	80.00	2011 के बाद घोषित (आबादी 357)
		योग		**39.50**	**885.00**	

परिशिष्ट-3

विधान सभा क्षेत्र मकराना में वर्ष 2014-15 में सड़क मार्ग से जोड़े गये राजस्व गांवों का विवरण

क्र. सं.	जोड़े गये राजस्व गांव का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सड़क का नाम	स्वीकृत लम्बाई (किमी.)	स्वीकृत राशि (रु. लाख)	निर्मित लम्बाई (किमी.)	व्यय राशि (रु. लाख)	विशेष विवरण
1	शिवनगर (आबादी 1060)	बोरावड़	बोरावड़ सबलपुर सड़क से शिवनगर	3.50	125.00	3.50	66.16	कार्य पूर्ण
2				3.50	125.00	3.50	66.16	

मनोहरथाना में शौचालय निर्माण की बकाया राशि

390. श्री कंवर लाल (मनोहरथाना) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना में गत दो वर्षों में कौन-कौनसी ग्राम पंचायतों में कितने-कितने शौचालयों का निर्माण करवाया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री कंवर लाल)

(2) उक्त क्षेत्र की किस-किस ग्राम पंचायत में शौचालय का निर्माण पूरा हो चुका है? क्या उक्त के निर्माणकर्ता को अब तक भुगतान नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों तथा अब कब तक भुगतान कर दिया जायेगा? ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना में पंचायत समिति मनोहरथाना की 26, अकलेरा की 31 एवं झालरापाटन की 5 ग्राम पंचायतों में गत दो वर्षों में निर्मित किये गये शौचालयों की सूची अनुलग्नक-1 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना की पंचायत समिति मनोहरथाना, अकलेरा, झालरापाटन की ग्राम पंचायतों में शौचालय का निर्माण पूर्ण होने का विवरण अनुलग्नक-1 पर संलग्न है। उक्त निर्माणकर्ताओं की स्वीकृति एवं पात्रता के अनुसार सभी को भुगतान किया जा चुका है।

अनुलग्नक-1

विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना के अन्तर्गत आने वाली व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण करवाया गया जिसका विवरण पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायतवार

क्र. सं.	पंचायत समिति का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	वर्ष 2014-15	वर्ष 2015-16	कुल स्वीकृत कार्य
1	झालरापाटन	खेडला	150	102	252
		डूंगरगांव	378	239	617
		लावासल	20	176	196
		टाण्डी सोहनपुरा	12	153	165
		असनावर	60	394	454
		कुल	**620**	**1064**	**1684**
2	मनोहरथाना	आंवलहेडा	121	234	355
		बनेठ	127	492	619
		बासखेडा	91	469	564
		बासखेडी मेवा.	89	151	240
		बडबद	95	156	251

क्र. सं.	पंचायत समिति का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	वर्ष 2014-15	2015-16	कुल स्वीकृत कार्य
		चांदपुरा भीलान	33	210	243
		चन्दीपुर	129	1220	1361
		दांगीपुरा	59	143	214
		गरबोलिया	93	243	353
		जावर	254	713	967
		कामखेडा	119	127	246
		खाताखेडी	54	283	337
		खेरखेडा	102	187	289
		कोलुखेडी कलां.	109	983	1109
		कोलुखेडी मालि.	40	182	222
		मनपसर	55	311	367
		मनोहरथाना	593	1099	1711
		पिण्डोला	47	83	130
		खास्या	34	78	112
		समरोल	40	210	250
		सरेडी	78	215	298
		सेमलीहाट	24	125	149
		शोरती	115	305	451
		ठिकरिया	33	158	191
		टोडरी जगन्नाथ	79	305	388
		टोडरी मीरा	53	251	308
		कुल	**2666**	**8933**	**11725**
3	अकलेरा	आमेठा	64	169	233
		खारपा	56	425	481
		चुरेलिया	548	397	945
		तुरकाडिया	37	296	333
		थडौल	82	304	386
		थनावद	58	149	207

क्र. सं.	पंचायत समिति का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	वर्ष 2014-15	2015-16	कुल स्वीकृत कार्य
3	अकलेरा	देवरीकलां	36	325	361
		देवरीचंचल	23	316	339
		नयापुरा	106	146	252
		मेठून	69	137	206
		मिश्रोली	56	146	207
		लसुडियाशाह	42	171	213
		ल्हास	40	95	135
		सरखण्डिया	50	70	121
		कोल्हडीझर	151	154	305
		घाटोली	358	146	504
		पचोला	25	228	253
		बैरागढ़	10	186	196
		बांसखेडी लोढान	0	144	144
		बिंदाखेडा	5	53	58
		बोरखेडी गुजरान	15	148	163
		बोरबंद	3	39	42
		भालता	59	13	72
		सरडा	152	154	306
		आसलपुर	0	98	98
		उमरिया	18	175	193
		गुलखेडी	25	258	283
		गेहूखेडी	39	173	212
		गोपालपुरा	18	165	183
		देवली	20	189	209
		अमृतखेडी	18	1015	1033
		कुल योग	**2184**	**6484**	**8668**

बाड़मेर लिफ्ट परियोजना फेज-द्वितीय के लिए आबंटित बजट

391. श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर लिफ्ट परियोजना फेज-द्वितीय व रावतसर खरटिया का कार्य धीमी गति से चल रहा है? यदि हां, तो क्यों? उक्त परियोजना द्वारा कब तक पूरे गांवों में पानी पहुंचा दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) बाड़मेर लिफ्ट कैनाल परियोजना फेज-द्वितीय में वर्ष 2015-16 में कितना बजट आबंटन किया गया? क्या यह सही है कि बजट की कमी के कारण फर्म धीमी गति से काम कर रही है? यदि हां, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) बाड़मेर लिफ्ट परियोजना के ऑफटेक भाड़खा, निबला व बाड़मेर से कितने गांवों को पानी दिया जा रहा है एवं उक्त गांवों में पानी की मांग कितनी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। बाड़मेर लिफ्ट वृहद् पेयजल परियोजना के द्वितीय चरण में बाड़मेर जिले के 524 ग्रामों को क्रमशः भाग-अ (भाड़खा-चौखला-बान्दरा), भाग-ब (बाड़मेर-रावतसर-खंरटिया) एवं भाग-स (केकेडी-शिव-भाड़खा-बाड़मेर) की स्वीकृत योजनाओं से लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। इस चरण के भाग-अ की परियोजना में बाड़मेर जिले के 171 ग्राम (विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर, बायतू एवं पचपदरा के क्रमशः 40, 128 एवं 3 गाम), भाग-ब की परियोजना में 67 ग्राम (विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर एवं बायतू के क्रमशः 50 एवं 17 गाम) तथा भाग-स की परियोजना में 286 ग्राम (विधान सभा क्षेत्र बायतू, बाड़मेर एवं शिव के क्रमशः 3, 121 एवं 162 ग्राम) सम्मिलित हैं।

भाग-अ एवं भाग-ब की परियोजना के निष्पादन हेतु क्रमशः दिनांक 23.08.2012 को राशि रुपये 168.00 करोड़ एवं दिनांक 16.05.2013 को राशि रुपये 128.07 करोड़ का कार्यादेश जारी किया गया। प्रारम्भिक चरण में अनुबंधक फर्मों द्वारा उक्त भागों की परियोजना के कार्य धीमी गति से करने के कारण परियोजना के कार्यों के सम्पादन में विलम्ब हुआ है।

परियोजना के कार्यों की वर्तमान प्रगति को दृष्टिगत रखते हुए भाग-अ एवं भाग-ब की परियोजनाओं में सम्मिलित ग्रामों को क्रमशः दिनांक

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

31.03.2017 एवं 31.01.2018 तक नहरी स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना निर्धारित है।

द्वितीय चरण के भाग-स के कार्य के क्रियान्वयन हेतु निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी हैं। निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त कार्यादेश सम्बन्धी कार्यवाही की जायेगी।

(2) बाड़मेर लिफ्ट वृहद् पेयजल परियोजना के द्वितीय चरण के भाग-अ की परियोजना पर वित्तीय वर्ष 2015-16 में रुपये 13.10 करोड़ के बजट आबंटन के विरुद्ध दिनांक 18.03.2016 तक रुपये 9.09 करोड़ का व्यय किया गया तथा रुपये 4.01 करोड़ की राशि शेष रही है। भाग-अ की परियोजना पर प्रारम्भ से उक्त दिनांक कुल रुपये 52.09 करोड़ की राशि व्यय की जा चुकी है।

भाग-ब की परियोजना पर वित्तीय वर्ष 2015-16 में रुपये 13.10 करोड़ के बजट आबंटन के विरुद्ध दिनांक 18.03.2016 तक रुपये 11.57 करोड़ का व्यय किया गया तथा रुपये 1.53 करोड़ की राशि शेष रही है। भाग-ब की परियोजना पर प्रारम्भ से उक्त दिनांक कुल रुपये 46.30 करोड़ की राशि व्यय की जा चुकी है।

भाग-अ एवं भाग-ब की दोनों परियोजनाओं के कार्य धीमी गति से करने के कारण अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार क्रियान्वयन में विलम्ब के लिये अनुबंधक फर्मों से अब तक क्रमशः रुपये 14.05 करोड़ एवं रुपये 5.70 करोड़ की अंतरिम क्षतिपूर्ति राशि रोकी गई है। उक्त से स्पष्ट है कि परियोजनाओं हेतु बजट की कमी नहीं रही है।

(3) बाड़मेर लिफ्ट परियोजना अन्तर्गत भाड़खा ऑफटेक से 62 ग्राम एवं निम्बला ऑफटेक से 15 ग्रामों की निवर्तमान योजनाओं से जोड़ा जाकर पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। बाड़मेर ऑफटेक से बाड़मेर शहर, बाड़मेर शहर के सैन्य क्षेत्र एवं रेलवे तथा एक ग्राम को पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

उक्तानुसार बाड़मेर शहर (मय सैन्य क्षेत्र, रेलवे, इत्यादि) एवं 78 ग्रामों की वर्तमान कुल पेयजल मांग 32,068.89 किलोलीटर के विरुद्ध 31,670.00 किलोलीटर प्रतिदिन स्वच्छ नहरी पेयजल वितरण किया जा रहा है। वांछित विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

भरतपुर में सामाजिक सुरक्षा योजनान्तर्गत जारी पेंशन

392. श्री विजय बंसल 'पप्पू बन्डा' (भरतपुर) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र भरतपुर में गत पांच वर्षों में वृद्धावस्था, विकलांग, विधवा एवं अन्य पेंशन हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए एवं किस-किस श्रेणी में कितने व्यक्तियों को पेंशन जारी की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जिन आवेदकों के पुत्र-पुत्रियां 25 वर्ष से अधिक आयु के हैं, किन्तु बेरोजगार अथवा गम्भीर रोगी या अस्वस्थ होने के कारण कमाने में असमर्थ हैं, उन्हें भी पेंशन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कितने आवेदकों को किस कारण वृद्धावस्था, विकलांग, विधवा एवं अन्य पेंशन जारी नहीं की गईं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सामाजिक सुरक्षा योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र भरतपुर में पेंशन की निम्न योजनाओं में पेंशन प्राप्त एवं पेंशन जारी की गई लाभार्थियों का संख्या विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्राप्त आवेदनों की संख्या			पेंशनरों की संख्या जिनकों पेंशन जारी की गई		
	वृद्धावस्था	विधवा	विशेष योग्यजन	वृद्धावस्था	विधवा	विशेष योग्यजन
2011-12	533	532	107	533	532	107
2012-13	467	265	77	467	265	77
2013-14	9561	2683	992	9561	2683	992
2014-15	2185	1101	695	2185	1101	695
2015-16	2188	687	213	2188	687	213

(2) राजस्थान सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था, विधवा, परित्यकता/ तलाकशुदा पेंशन नियम 2013 एवं राजस्थान सामाजिक सुरक्षा विशेष

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

योग्यजन पेंशन नियम 2013 के अन्तर्गत पेंशन स्वीकृति में पुत्र की शर्त लागू नहीं है। जिनके पुत्र राजकीय सेवा में हैं, ऐसे आवेदकों को पेंशन स्वीकृति का प्रावधान नहीं है। पेंशन आवेदन हेतु नियमानुसार आवेदक की पात्रता होने पर पेंशन स्वीकृत की जा सकती है। आदेशों की प्रतियां परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) विधान सभा भरतपुर में पेंशन हेतु जितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए, में से नियमानुसार पात्र सभी आवेदन पत्रों की पेंशन स्वीकृति जारी कर दी गई तथा कोई भी आवेदन पत्र शेष अथवा लम्बित नहीं है। पेंशन हेतु नियमानुसार पात्रता पूर्ण नहीं करने वाले आवेदकों के आवेदन पत्र अस्वीकृत किये गये हैं। पेंशन की निम्न श्रेणियों में पेंशन जारी नहीं किये गये आवेदनों का संख्यात्मक विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	पेंशनरों की संख्या जिनको पेंशन जारी नहीं की गई		
	वृद्धावस्था	विधवा	विशेष योग्यजन
2011-12	2	3	0
2012-13	7	2	0
2013-14	34	0	0
2014-15	0	0	0
2015-16	0	0	0

परिशिष्ट-1

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

क्रमांक:-एफ. 9(05)(12-1) पेंशन/सा.न्या.अ.वि/2013-14/8591

जपयुर, दिनांक 29.09.14

आदेश

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था, विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा पेंशन नियम, 2013 के अन्तर्गत निम्नानुसार संशोधित/प्रतिस्थापित किया जाता है :-

अध्याय 2 के नियम 3 के उपनियम 3 के नीचे दिये गये पैरा को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :-

''पात्रता के उपनियम 1 से 3 तक कोई आवेदक पेंशन की पात्रता रखते हुये भी, यदि प्रार्थी स्वयं या पति या पत्नि या पुत्र केन्द्र सरकार/अन्य राज्य सरकार/राज्य सरकार/राजकीय उपक्रम में सेवारत हो या केन्द्र सरकार/अन्य राज्य सरकार/राज्य सरकार/राजकीय उपक्रम का पेंशनर हो, तो वह इन नियमों के अन्तर्गत पेंशन प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा।''

अध्याय 3 के नियम 4 के उपनियम (4) के नीचे दिये गये पैरा को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :-

''पात्रता के उपनियम 1 से 4 तक कोई आवेदक पेंशन की पात्रता रखते हुये भी, यदि प्रार्थी स्वयं या उसका पुत्र केन्द्र सरकार/अन्य राज्य सरकार/राज्य सरकार/राजकीय उपक्रम में सेवारत हो, या केन्द्र सरकार/अन्य राज्य सरकार/राज्य सरकार/राजकीय उपक्रम का पेंशनर हो, तो इन नियमों के अन्तर्गत पेंशन प्राप्त करने की पात्र नहीं होगी।''

उक्त आदेश वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 101403083 दिनांक 22.08.2014 के अनुसरण में जारी किये जाते हैं।

ह.

(सुदर्शन सेठी)

प्रमुख शासन सचिव

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

क्रमांक:-एफ. 9(05)(12-1) पेंशन/सा.न्या.अ.वि/2013-14/8603

जपयुर, दिनांक 29.09.14

आदेश

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा विशेष योग्यजन पेंशन नियम, 2013 के अन्तर्गत निम्नानुसार संशोधित/प्रतिस्थापित किया जाता है :-

अध्याय 2 के नियम 4:- पात्रता के उपनियम (i) के 1 व 2 के नीचे वर्णित अनुच्छेद को विलोपित कर उसके स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :-

''पात्रता के नियम 4 (i) के उप नियम 1 व 2 में कोई आवेदक पेंशन की पात्रता रखते हुए भी, यदि प्रार्थी के स्वयं या पति या पत्नि या पुत्र केन्द्र सरकार/अन्य राज्य सरकार/राज्य सरकार/राजकीय उपक्रम में सेवारत हो या केन्द्र सरकार/अन्य राज्य सरकार/राज्य सरकार/राजकीय उपक्रम का पेंशनर हो, तो वह इन नियमों के अन्तर्गत पेंशन प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा।''

उक्त आदेश वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 101403083 दिनांक 22.08.2014 के अनुसरण में जारी किये जाते हैं।

ह.

(सुदर्शन सेठी)

प्रमुख शासन सचिव

डूंगरपुर जिले में पेट्रोल पम्पों व गैस एजेन्सियों को जारी लाइसेंस

393. **श्रीमती अनिता कटारा** (सागवाड़ा) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) डूंगरपुर जिले में गत 2 वर्षों में कितने पेट्रोल पम्पों व गैस एजेंसियों के लाइसेंस जारी किये गये एवं कितने निलंबित तथा निरस्त किये गये? कितने बंद पेट्रोल पम्पों को पुन: लाईसेंस दिया गया और कितनों के लाइसेंस में टाइटल (स्वामित्व) को परिवर्तित किया गया? इस सम्बन्ध में जारी आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) पेट्रोल पम्प तथा गैस एजेंसी को लाइसेंस जारी करने के सम्बन्ध में सरकार के क्या नियम व मानदण्ड निर्धारित हैं? नियम व मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) गत 2 वर्षों में उक्त जिले में कितनी राशन की दुकानों के निलंबन, निरस्तीकरण, बहाली व अटैचमेंट किये गये? आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) डूंगरपुर जिले में पिछले दो वर्षो के दौरान (जनवरी, 2014 से जनवरी, 2016 तक) 11 पेट्रोल पम्पों एवं 05 गैस एजेन्सियों को लाइसेंस जारी किये गये हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

पिछले दो वर्षों में पेट्रोल पम्पों व गैस एजेन्सियों के अनुज्ञापत्र को निलम्बित/निरस्त करने, बन्द पड़े पेट्रोल पम्पों को पुन: लाइसेंस जारी करने एवं लाइसेंस में टाइटल (स्वामित्व) परिवर्तन करने की संख्या शून्य है।

(2) राज्य में पेट्रोल पम्प तथा गैस एजेन्सी को लाइसेंस जारी करने के सम्बन्ध में जारी किए गए नियम/निर्देश दिनांक 28.11.1990 (पेट्रोल पम्प) तथा दिनांक 26.04.2000 (गैस एजेन्सी) तथा आदेश दिनांक 27.07.2004, 29.07.2004, 11.08.2004 (तीन), 17.11.2004,

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

19.02.2005, 24.08.2005, 09.12.2005, 26.07.2006, 12.04.2012, 18.05.2012 तथा 04.03.2013 की प्रतियां परिशिष्ट-2 पर संलग्न हैं।

(3) डूंगरपुर जिले में पिछले दो वर्षों के दौरान 34 राशन की दुकानों के प्राधिकार पत्र निलम्बित, 05 राशन की दुकानों के प्राधिकार पत्र निरस्त, 26 राशन की दुकानों के प्राधिकार पत्र बहाल किये गये एवं 47 राशन की दुकानों का अटैचमेंट किया गया, जिनकी सूची परिशिष्ट-3 पर तथा आदेशों की प्रतियां परिशिष्ट-4 पर संलग्न हैं।

(सूचियां व प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

केन्द्रीय सहकारी बैंकों में राज्य सरकार की हिस्सा राशि

394. श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़) : क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में संचालित केन्द्रीय सहकारी बैंकों को राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली हिस्सा राशि के क्या मानदण्ड एवं नियम निर्धारित हैं? मानदण्ड एवं नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में प्रदेश में संचालित केन्द्रीय सहकारी बैंकों में कितनी हिस्सा राशि राज्य सरकार द्वारा दी गई है? क्या उक्त हिस्सा राशि निर्धारित मानदण्ड एवं नियमानुसार है? दी गई हिस्सा राशि का प्रदेश में संचालित बैंकवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा केन्द्रीय सहकारी बैकों को दी गई हिस्सा राशि कई बैकों में निर्धारित मानदण्डों से काफी कम है? यदि हां, तो किन-किन सहकारी बैंकों में सरकार द्वारा दी गई हिस्सा राशि कम है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार निर्धारित हिस्सा राशि के अनुरूप विभिन्न सहकारी बैंकों में नियमानुसार हिस्सा राशि देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 44 के अनुसार सरकार केन्द्रीय सहकारी बैंकों में बैंकों की कुल हिस्सा पूंजी को अधिकतम 25 प्रतिशत तक विनियोजित कर सकती है। राजस्थान सहकारी

(सहकारिता राज्य मंत्री)

सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 44 की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) प्रदेश में संचालित केन्द्रीय सहकारी बैंकों में दिनांक 31.3.2015 तक कुल राशि रुपये 4,992.89 लाख राज्य सरकार द्वारा दी गई है। बैंकवार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। राज्य सरकार का हिस्सा पूंजी का विनिवेश अधिकतम सीमा तक नहीं हुआ है, परन्तु किसी न्यूनतम सीमा का मापदण्ड निर्धारित नहीं है।

(4) बिन्दु संख्या 3 के उत्तर में निहित है।

परिशिष्ट-1

अध्याय-7

सहकारी सोसाइटियों को राज्य सहायता

44. सरकार की वित्तीय भागीदारी या सहायता- (1) तत्पसमय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सरकार,-

(क) किसी सहकारी सोसाइटी की शेयर पूंजी में प्रत्यक्षतः अभिदाय कर सकेगी;

(ख) समुचित उपविधियों के अध्यधीन रहते हुए, शीर्ष सोसाइटी को अन्य सहकारी सोसाइटियों के शेयर खरीदने के लिए धन इस शर्त के अध्यधीन उपलब्ध करा सकेगी कि किसी भी सहकारी सोसाइटी के ऐसे शेयर, प्रत्येक मामले में सरकार के पूर्व अनुमोदन के सिवाय नहीं खरीदे जायेंगे;

(ग) सहकारी सोसाइटियों को उधार या अग्रिम दे सकेगी;

(घ) किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा जारी किये गये डिबेंचरों के मूलधन का प्रतिसंदाय करने और उस पर ब्याज का संदाय करने की प्रत्याभूति दे सकेगी;

(ड) किसी सहकारी सोसाइटी की शेयर पूंजी और उस पर लाभांश का ऐसी दरों पर प्रतिसंदाय करने की, जो सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जावें, प्रत्याभूति दे सकेगी;

(च) किसी सहकारी सोसाइटी को दिये उधारों तथा अग्रिमों के मूलधन का प्रतिसंदाय करने और उन पर ब्याज का संदाय करने की प्रत्याभूति दे सकेगी।

(छ) किसी सहकारी सोसाइटी को सहायिकियों को सम्मिलित करते हुए किसी भी अन्य रूप में, वित्तीय सहायता दे सकेगी।

परन्तु सरकारी धन से या तो सरकार द्वारा प्रत्यक्षतः या किसी भी अन्य सहकारी सोसाइटी के माध्यम से खरीदे गये किन्हीं भी शेयरों के सम्बन्ध में दायित्व, उसका परिसमापन होने की दशा में, ऐसे शहरों के संबंध में संदत्त रकम तक सीमित होगा;

[परन्तु यह और कि सरकार किसी लघु अवधि सहकारी साख संरचना सोसाइटी की कुल शेयर पूंजी का पच्चीस प्रतिशत से अधिक धारित नहीं करेगी और ऐसी सोसाइटी या सरकार के पास सरकार की शेयर पूंजी को और घटाने का विकल्प होगा।]

(2) किसी प्रतिकूल करार के होते हुए भी, सरकार ऐसी किसी भी सहकारी सोसाइटी के शेयरों पर ऐसी दर से उच्चतर दर पर लाभांश या ब्याज की हकदार नहीं होगी जिस पर ऐसा लाभांश या ब्याज सोसाइटी के किसी भी अन्य शेयर धारक को संदेय है।

परिशिष्ट-2

The Rajasthan State Co-operative Bank Ltd. Jaipur.
Information of Share Capital as on 31.03.2015

(Rs. in lacs)

S. No.	Name of CCB	Total Share Capital	Govt. Share Capital (LTO)	% Share of GOR from total share capital
1	2	3	4	5
1	AJMER	2176.23	315.25	14.49
2	ALWAR	2305.04	210.00	9.11
3	BANSWARA	1582.56	130.52	8.25
4	BARAN	1457.43	0.00	0.00
5	BARMER	3024.98	183.00	6.05
6	BHARATPUR	1991.74	250.00	12.55
7	BHILWARA	2674.76	176.06	6.58
8	BIKANER	1581.16	154.00	9.74
9	BUNDI	1639.82	160.10	9.76
10	CHITTORGARH	3003.69	219.78	7.32
11	CHURU	1845.90	193.00	10.46
12	DAUSA	1277.08	25.00	1.96
13	DUNGARPUR	835.20	120.00	14.37
14	HANUMAN-GARH	3070.98	0.00	0.00

1	2	3	4	5
15	JAIPUR	3301.94	395.00	11.96
16	JAISALMER	1095.94	83.00	7.57
17	JALORE	2147.68	136.50	6.36
18	JHALAWAR	1894.84	196.25	10.36
19	JHUNJHUNU	1881.65	137.54	7.31
20	JODHPUR	3245.10	200.00	6.16
21	KOTA	2195.18	165.69	7.55
22	NAGAUR	1964.88	215.00	10.94
23	PALI	2886.35	224.75	7.79
24	S. MADHOPUR	1836.30	206.13	11.23
25	SIKAR	2855.51	200.00	7.00
26	SIROHI	1156.83	70.00	6.05
27	S. GANGA NAGAR	3464.70	196.75	5.68
28	TONK	994.75	208.99	21.01
29	UDAIPUR	1748.61	220.58	12.61
	TOTAL	**61136.83**	**4992.89**	**8.17**

पेट्रोल/डीजल पर उत्पाद व अन्य शुल्कों में बढ़ोतरी से प्राप्त राजस्व

395. **श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर) : क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अन्तराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम कम होने से राजस्थान स्थित कच्चे तेल के भण्डारों के उत्पादन में कमी आयी है? यदि हां, तो कितनी तथा इससे राज्य को मिलने वाले राजस्व में कितनी कमी आयी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कच्चे तेल के दामों में कमी से राज्य सरकार को पेट्रोल व डीजल पर उत्पाद एवं अन्य शुल्कों में बढ़ोतरी करने से राजस्व में बढ़ोतरी हुई है? यदि हां, तो कितनी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) केन्द्र सरकार ने पेट्रोल व डीजल पर उत्पाद व अन्य शुल्कों में कितनी बढ़ोतरी की है तथा राज्य सरकार को केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी के तहत इस बढोतरी से राजस्व में कितनी वृद्धि हुई है? गत 3 वर्षों का तुलनात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। अन्तराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम कम होने के बावजूद कच्चे तेल का उत्पादन पूर्ववत् 1,65,000 - 1,75,000 बैरल प्रतिदिन की रेज में है, किन्तु राज्य को मिलने वाले राजस्व में लगभग रुपये 4,000 करोड़ वार्षिक कमी आई है।

(खान राज्य मंत्री)

(2) जी हां। पेट्रोल व डीजल पर देय प्रति लीटर सैस के अन्तर्गत गत तीन वर्षों में प्राप्त राजस्व का विवरण निम्नानुसार है :-

वर्ष	सैस (राशि करोड़ रूपये में)
2012-13	319.86
2013-14	336.50
2014-15	407.01

(3) केन्द्रीय करों में विभिन्न मदवार जो हिस्सा राशि राज्य को गत 3 वर्षों में प्राप्त हुई है उसकी विगत परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

परिशिष्ट-1

केन्द्रीय करों में राज्य हिस्सा राशि

(राशि लाखों में)

वर्ष	2011-12	2012-13		2013-14		2014-15	
	प्राप्त राशि	प्राप्त राशि	गत वर्ष में वृद्धि (%)	प्राप्त राशि	गत वर्ष में वृद्धि (%)	प्राप्त राशि	गत वर्ष में वृद्धि (%)
0020-निगम कर	589515.00	614353.00	4.21	628002.00	2.22	692030.00	10.20
0021- आय कर निगम कर से भिन्न कर	299448.00	367803.00	22.83	413520.00	12.43	494176.00	19.50
0028-आय तथा व्यय पर अन्य कर							
0032-धन कर	2276.00	1035.00	54.53	1724.00	66.57	1869.00	8.41
0037-सीमा शुल्क	259678.00	284210.46	9.45	304673.07	7.20	320502.00	5.20
0038-संघ उत्पाद शुल्क	168036.00	193150.00	14.95	215183.00	11.41	180976.00	15.90
0044-सेवा शुल्क	178752.00	249738.00	39.71	304205.35	21.81	292145.00	3.96
0045-वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	-1.00		0.00			-1.00	
	1497704.00	1710284.46	14.19	1867307.42	9.18	1981697.00	6.13

पीसांगन (अजमेर) में आई.टी.आई. की स्थापना

396. श्री रामनारायण (नसीराबाद) : क्या श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार पीसांगन उपखण्ड एवं पंचायत समिति मुख्यालय पर आई.टी.आई. की स्थापना करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार को पीसांगन में आई.टी.आई. खोलने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो प्राप्त प्रस्तावों की कब तक क्रियान्विति कर दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। पीसांगन पंचायत समिति में वर्तमान में 3 राजकीय एवं 7 निजी आई टी आई संचालित हैं। (संलग्न परिशिष्ट-1)

मुख्य मंत्री बजट घोषणा वर्ष 2014-15 (संशोधित) के बिन्दु संख्या 136 के अनुसार अगले दो वर्ष में ऐसी कोई पंचायत समिति नहीं बचेगी जिसमें आई टी आई उपलब्ध नहीं हो। वर्तमान में राज्य में 15 पंचायत समिति ऐसी हैं जिनमें कोई भी राजकीय/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित नहीं हैं। (संलग्न परिशिष्ट-2)

फिर भी यदि गुणावगुणों के आधार पर व जन-प्रतिनिधियों की मांग अनुरूप वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने की स्थिति में पंचायत समिति पीसांगन में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोला जाना संभव हो सकेगा।

(2) जी नहीं, पीसांगन पंचायत समिति में वर्तमान में 3 राजकीय एवं 7 निजी आई टी आई संचालित हैं। (संलग्न परिशिष्ट-1)

अतः मुख्य मंत्री बजट घोषणा वर्ष 2014-15 (संशोधित) के बिन्दु संख्या 136 के क्रम में कोई प्रस्ताव नहीं भिजवाये गये हैं।

परिशिष्ट-1

Blockwise Industrial Training Institutes (ITIs) Facilities 01-02-2015

S.No.	Name of Block	Sanctioned Governments ITIs			Sanctioned Private ITIs			Gross Total ITI
		Previous	53 New sanctioned	Govt. ITI Total	Pvt.	PPP Mode on Govt. land	Pvt. ITI Total	
	Distt. Ajmer							
1	Bhinay	1		1	3		3	4
2	Jawaja	1		1	12		12	13
3	Kekri	1		1	3		3	4
4	Pisangan (औप्रस अजमेर, महिला अजमेर एवं नसीराबाद)	3		3	7		7	10
5	Shreenagar	0		0	10		10	10
6	Kishangarh	1		1	7		7	8
7	Arain	0		0	1		1	1
8	Masooda	0	1	1	1		1	2
9	Sarwar	0		0	1		1	1
	Total	**7**	**1**	**8**	**45**	**0**	**45**	**53**

परिशिष्ट-2

List of Blocks which donot have ITI/PITI

S. No.	Name of Block
	Banswara
1	Gangartalai
	Barmer
2	Gida
3	Pattodi
4	Kalyanpur
5	Dhanau
6	Sathav
7	Gadra road
	Dungarpur
8	Sabla
	Jodhpur
9	Sekhala
10	Dechu
11	Bapini
	Udaipur
12	Sayra
13	Falasia
14	Jhallara
15	Semari

अतारांकित प्रश्नोत्तर

बस्सी के डामरीकृत सड़क मार्ग से वंचित गांव

509. श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में कौन-कौन से गांव डामरीकृत सड़क मार्ग से जुडे हुए नहीं हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त गांवों में से कौन-कौन से गांवों को डामरीकृत सड़क मार्ग से जोड़ने हेतु स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है? स्वीकृति आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त शेष गांवों में से कौन-कौनसे गांव को डामरीकृत सड़क से जोड़ने हेतु कितने-कितने किलोमीटर एवं कितनी-कितनी राशि के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में डामरीकृत सड़क मार्ग से नहीं जुडे हुए गांवों की सूची परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) उक्त गांवों को वर्तमान में डामरीकृत सड़क मार्ग से जोड़ने हेतु कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है।

(3) उक्त गांवों को डामरीकृत सड़क से जोड़ने हेतु वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

परिशिष्ट-1

विधान सभा क्षेत्र बस्सी में डामरीकृत सड़क मार्ग से नहीं जुडे हुए गांवों का विवरण

क्र.सं.	गांव का नाम	आबादी 2001 की जनगणना अनुसार	आबादी 2011 की जनगणना अनुसार
1	बाढ़ महादेवपुरा	210	237
2	श्रीरामनगर	168	233
3	बाढ़ रामपुरा	159	217
4	बाढ़ बाबूपुरा	146	173
5	बसेरी	142	181
6	चांदपुरा	140	161

क्र.सं.	गांव का नाम	आबादी 2001 की जनगणना अनुसार	आबादी 2011 की जनगणना अनुसार
7	बाढ़ रामरखपुरा	126	146
8	बाढ़ चारणवास	90	82
9	खोराजियावाला	83	125
10	चक चांदपुरा	24	56

ब्यावर से जसाखेड़ा तक बस सेवा का संचालन

510. **सुश्री कीर्तिकुमारी** (माण्डलगढ़) : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पूर्व में ब्यावर से कानूजा तक ब्यावर आगार की बस सेवा संचालित थी? यदि हां, तो कितनी? समय सारणी का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त बस सेवा को बन्द कर दिया गया है? यदि हां, तो कब व क्यों? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या ब्यावर से जसाखेड़ा वाया सेन्दड़ा, जाला की चौकी, कानूजा व कलालिया होते हुए ग्रामीण परिवहन बस सेवा प्रारम्भ किए जाने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं? यदि हां, तो उक्त बस सेवा कब तक प्रारम्भ कर दी जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त ग्रामीण बस सेवा प्रारम्भ किए जाने हेतु गत 5 वर्षों से ग्रामीणों, जन-प्रतिनिधियों के द्वारा मांग किये जाने पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। ब्यावर-कानूजा मार्ग पर ब्यावर आगार की एक बस सेवा निम्न समय सारिणी अनुसार संचालित थी :-

क्र.सं.	मार्ग	समय सारिणी
1	ब्यावर-कानूजा	17.30-18.30
2	कानूजा-ब्यावर	07.00-08.00

(2) उक्त सेवा को कम आय आने के कारण मार्च 2007 में बंद किया गया। आय का विवरण निम्नानुसार है :-

(परिवहन मंत्री)

माह	आय रु. प्रति कि.मी.
नवम्बर 2006	11.53
दिसम्बर 2006	8.66
जनवरी 2007	7.38
फरवरी 2007	6.56

(3) जी नहीं। निगम के सीमित संसाधनों के कारण उक्त मार्ग पर वाहन संचालन का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

(4) गत 5 वर्षो से अब तक ग्रामीणों/जन-प्रतिनिधियों की मांग के उक्त मार्ग पर निगम के सीमित संसाधनों के कारण वाहन संचालन का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

जमवारामगढ़ में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत हेतु स्वीकृत राशि

511. श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में जनवरी, 2015 से 31 जनवरी, 2016 तक कितनी क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत हेतु कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई तथा क्या उक्त सड़कों की मरम्मत कर दी गई है? सड़कवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कों के लिए उपलब्ध कराई गई राशि में से कटौती कर वह राशि रिसर्जेंट राजस्थान में लगाई गई है? यदि हां, तो कितनी एवं क्या सरकार अब उक्त राशि स्वीकृत कर विधान सभा क्षेत्र की शेष रही क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में जनवरी, 2015 से लेकर 31 जनवरी, 2016 तक क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत हेतु स्वीकृत (व्यय) की गई राशि का विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है। उक्त सड़कों की

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

तत्समय उपलब्ध बजट के अनुसार मरम्मत कर दी गई थी। सड़कवार विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में स्वीकृति राशि में से कोई कटौती नहीं की गई।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर में पंजीकृत वाहन

512. **श्री जोगाराम पटेल** (लूणी) : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है प्रदेश का सबसे बड़ा शहर गुलाबी नगर, जयपुर भी दिल्ली की तरह "गैस चैम्बर" बनने की ओर बढ़ रहा है और गत तीन वर्षों में जयपुर में विभिन्न प्रकार के वाहनों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हुई है? यदि हां, तो जयपुर व उसके आस-पास के एरिये में कुल कितने विभिन्न प्रकार के वाहन पंजीकृत हुए? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जयपुर शहर में पिछले तीन वर्षों में रेस्पाइरेबल पार्टिक्यूलेट मैटर (आर.पी.एम) प्रति वर्ष कितने प्रतिशत माइक्रोग्राम प्रति घन वर्गमीटर बढ़ा है और आगामी तीन वर्षों में और कितने प्रतिशत बढ़ने की सम्भावना है? इससे मानव शरीर में क्या-क्या नुकसान हो रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। प्रदेश का सबसे बड़ा शहर गुलाबी नगर, जयपुर भी दिल्ली की तरह "गैस चैम्बर" बनने की ओर नहीं बढ़ रहा है क्योंकि जांच के चिह्नित सभी स्थानों पर गैसीय प्रदूषक यथा सल्फर डाई आक्साइड एवं नाईट्रोजन डाई आक्साइड की वार्षिक औसत मात्रा सामान्यतया निर्धारित मानकों की सीमा में है, लेकिन धूलीय कणों यथा पार्टिकुलेट मैटर (PM_{10}) की वार्षिक औसत मात्रा सामान्यतया निर्धारित मानक से अधिक है।

जी हां। पिछले तीन वर्षों में जयपुर एवं उसके आसपास के क्षेत्र में पंजीकृत वाहनों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हुई है। पंजीकृत वाहनों की संख्या का विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है।

(2) जयपुर शहर में पिछले तीन वर्षों में रेस्पाइरेबल पार्टिक्यूलेट मैटर (आर.पी.एम.) की औसत मात्रा का गत वर्ष से तुलना करने पर (प्रतिशत वार्षिक वृद्धि/कमी) विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। आगामी तीन वर्षों में

(परिवहन मंत्री)

परिवेशी वायु में उपस्थित रेस्पाइरेबल पार्टिक्यूलेट मैटर (आर.पी.एम.) की प्रतिशत वृद्धि/कमी का आकलन किया जाना सम्भव नहीं है क्योंकि परिवेशी वायु गुणवत्ता को मानवीय गतिविधियां एवं भौगोलिक परिस्थितियां भी प्रभावित करती हैं।

मानव शरीर पर परिवेशी वायु में उपस्थित रेस्पाइरेबल पार्टिक्यूलेट मैटर (आर.पी.एम.) की मात्रा अधिक होने पर उसके स्वास्थ्य सम्बन्धी दुष्प्रभाव से इंकार नहीं किया जा सकता है। मानव शरीर में फेफड़ों, त्वचा, सांस लेने में तकलीफ, एलर्जी, आंखों की बीमारियां हो सकती हैं।

परिशिष्ट-1

जयपुर व उसके आस-पास के एरिया में (जयपुर में) गत तीन वर्षों में विभिन्न प्रकार के वाहनों के पंजीयन की सूचना

S. No.	Year	M. Ricks.	Two Wheeler	Auto Ricksha	Tempo		Car	Jeeps	Trac-tors	Trail-ers	Taxi/ Maxi Cabs	Buses	Trucks	Othes	Total
					Pass.	Goods									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2012-13	0	114938	1329	625	329	21588	6282	2833	0	3020	858	5826	323	157951
2	2013-14	0	119404	2133	1004	308	27367	5164	2221	0	2204	944	5064	551	166364
3	2014-15	0	93851	1319	621	370	24736	5374	2382	0	2200	546	5249	338	136986

परिशिष्ट-2

राजस्थान के जयपुर शहर में परिवेशी वायु गुणवत्ता का विगत तीन वर्षों का तुलनात्मक विवरण

स्टेशन का नाम	अजमेरी गेट, जयपुर		कार्यालय, रा.प्र.नि.मं., झालाना डूंगरी, जयपुर		चांदपोल, जयपुर	
प्रदूषक माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर (μgm^3)	विविक्त पदार्थ (पार्टिकुलेट मैटर (PM)	गत वर्ष से तुलना करने पर (प्रतिशत वार्षिक वृद्धि/कमी)	विविक्त पदार्थ (पार्टिकुलेट मैटर (PM)	प्रतिवर्ष प्रतिशत वृद्धि/कमी	विविक्त पदार्थ (पार्टिकुलेट मैटर (PM)	गत वर्ष से तुलना करने पर (प्रतिशत वार्षिक वृद्धि/कमी)
वार्षिक औसत के मानक (μgm^3)	60		60		60	
वर्ष						
2012	159		125		209	
2013	119	कमी 25.15	102	कमी 18.4	143	कमी 31.57
2014	122	वृद्धि 02.52	100	वृद्धि 01.96	148	वृद्धि 03.49
2015	145	वृद्धि 18.85	112	वृद्धि 12.00	179	वृद्धि 20.94

स्टेशन का नाम	रीको ऑफिस, मालवीय औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर		क्षेत्रीय कार्यालय, रा.प्र.नि.मं., सीकर रोड, जयपुर		विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र., जयपुर	
प्रदूषक माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर (μgm^3)	विविक्त पदार्थ (पार्टिकुलेट मैटर (PM)	गत वर्ष से तुलना करने पर (प्रतिशत वार्षिक वृद्धि/कमी)	विविक्त पदार्थ (पार्टिकुलेट मैटर (PM)	प्रतिवर्ष प्रतिशत वृद्धि/कमी	विविक्त पदार्थ (पार्टिकुलेट मैटर (PM)	गत वर्ष से तुलना करने पर (प्रतिशत वार्षिक वृद्धि/कमी)
वार्षिक औसत के मानक (μgm^3)	60		60		60	
2012	129		271		238	
2013	107	कमी 17.05	197	कमी 27.30	258	वृद्धि 08.40
2014	103	वृद्धि 03.73	225	वृद्धि 14.21	236	कमी 08.52
2015	111	वृद्धि 07.76	230	वृद्धि 0.88	249	वृद्धि 05.50

निम्बार्क पीठ, सलेमाबाद (किशनगढ़) को मेगा हाईवे से जोड़ने की योजना

513. श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार प्रदेश में धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व के प्रसिद्ध स्थलों पर सुगम एवं समुचित आवागमन के मार्गों का निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो गत 2 वर्षों में किन-किन स्थलों एवं धार्मिक स्थलों पर किस-किस मद से सड़क विकास कार्य कराये गये? वर्षवार, जिलेवार एवं मार्गवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र की प्रसिद्ध एवं विश्वविख्यात प्राचीनतम धार्मिक स्थली "निम्बार्क पीठ सलेमाबाद" का 10 किमी. मार्ग मेगा हाईवे से सलेमाबाद तक के चौड़ाईकरण, नवीनीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य आगामी वित्तीय वर्ष में कराया जाना प्रस्तावित है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश में सरकार द्वारा गत दो वर्षों में धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थलों पर मार्गों के निर्माण हेतु कुल 20 कार्य 89.05 किमी. लम्बाई के राशि रु. 4485.71 लाख के स्वीकृत कर राशि रु. 2931.71 लाख व्यय किये गये जिसका विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) जी नहीं। निम्बार्क पीठ, सलेमाबाद का 10 किमी. मार्ग मेगा हाईवे से सलेमाबाद तक के चौड़ाईकरण, नवीनीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य विचाराधीन है। इसकी स्वीकृति सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगी।

परिशिष्ट-1

धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थलों पर दिसम्बर 2013 से फरवरी 2016 किये गये कार्यों का विवरण

क्र. सं.	जिले का नाम	स्वीकृत वर्ष	कार्य का नाम	स्वीकृत मद	स्वीकृत लम्बाई (किमी)	स्वीकृत राशि (रु. लाख)	व्यय राशि (रु. लाख)	वर्तमान स्थिति
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	कोटा	2014-15	सम्पर्क सड़क विभीषण मंदिर किमी 0/0 से 0/500	5054- ग्रामीण सड़क	0.50	15.00	13.49	कार्य पूर्ण
2	कोटा	2015-16	रंगपुर किशनपुरा तकिया रोड पर नहर के नाले से नठावा वाले हनुमानजी मंदिर तक	5054- ग्रामीण सड़क	1.80	47.20	0.00	कार्य प्रगति पर
3	कोटा	2015-16	घाघटाना मेन रोड से बावड़ी हनुमान जी	5054- ग्रामीण सड़क	2.00	56.54	3.89	कार्य प्रगति पर
4	भरतपुर	2013-14	सम्पर्क सड़क मंदिर के गांव पसोपा	5054- ग्रामीण सड़क	2.00	55.00	52.37	कार्य पूर्ण
5	भरतपुर	2014-15	सप्तकोसी परिक्रमा मार्ग पूंछरी (गोवर्धन मार्ग) में टॉयल एवं नवीनीकरण कार्य	5054- ग्रामीण सड़क	0.33	56.81	38.59	कार्य पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	बांसवाड़ा	2014-15	हमीरपुरा घोटिया आम्बा रोड किमी. 0/0 से 2/0, 3/0 से 6/0 व 10/0 से 12/0	5054- ग्रामीण सड़क	7.00	105.00	86.70	7.00 किमी सुदृढ़ीकरण कार्य पूर्ण
7	बांसवाड़ा	2014-15	तलवाडा त्रिपुरा सुन्दरी बोरावट रोड किमी. 0/0 से 5/0	5054- ग्रामीण सड़क	5.00	250.01	215.25	5.00 किमी सुदृढ़ीकरण कार्य पूर्ण
8	डूंगरपुर	2014-15	साबला बेणेश्वर (2 लेन) सड़क चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य	5054- ग्रामीण सड़क	5.15	499.68	65.35	कार्य प्रगति पर
9	बांसवाड़ा	2013-14	सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ाईकरण कार्य गनोड़ा से बेणेश्वर सड़क	5054- ग्रामीण सड़क	9.00	935.17	655.00	9.00 किमी 3.00 से 7.00 मीटर चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य पूर्ण
10	बांसवाड़ा	2013-14	सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ाईकरण कार्य लोहारिया से बेणेश्वर सड़क	5054- ग्रामीण सड़क	4.00	532.22	389.50	4.00 किमी 3.00 से 7.00 मीटर चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य पूर्ण
11	सीकर	2014-15	सम्पर्क सड़क नाथ जी आश्रम लक्ष्मणगढ़ के पुन: हि का कार्य	5054-04-800-02-01-74	0.68	53.41	33.79	कार्य पूर्ण अंतिम बिल का भुगतान करना शेष

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	करौली	2014-15	करौली कैलादेवी सडक एम.डी.आर. 3 पर पदयात्रियों के लिए पदमार्ग का निर्माण	5054	17.00	200.51	153.76	600 मीटर में अतिक्रमण होने के कारण कार्य अपूर्ण शेष लम्बाई में कार्य पूर्ण
13	करौली	2012-3	टोडाभीम-बालाजी सड़क (एम.डी.आर.-142) घाटी पोर्शन किमी. 4	5054	1.00	74.66	35.58	कार्य पूर्ण
14	करौली	2015-16	नांगल-महस्वा रोड से कुटीला वाला बालाजी	5054	1.50	37.76	0.00	कार्य प्रगति पर है
15	करौली	2015-16	खोर्रा स्कूल से कुन्डे वाला बाबा का स्थान	5054	1.00	28.32	0.00	कार्य प्रगतिरत पर है
16	जयपुर	2013-14	पहुंच मार्ग नरैना रेलवे स्टेशन से दादूद्वारा मंदिर	5054	1.40	83.50	61.66	कार्य पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	जयपुर	2014-15	एस.एच.-02 से शाकम्भरी माता वाया कोरसीना किमी. 0/0 से 22/500	5452	22.50	1080.00	837.28	कार्य प्रगतिरत
18	जयपुर	2014-15	मोखमपुरा से सांभर सड़क किमी. 0/0 से 4/0	5452	4.00	255.95	210.37	कार्य पूर्ण
19	जयपुर	2015-16	फुलेरा जोबनेर रोड से माल्यावास जम्बा माता मंदिर	5054	1.20	40.00	14.35	कार्य प्रगतिरत
20	जयपुर	2014-15	सम्पर्क सड़क देवयानी मंदिर सांभर लेक का चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य	5452	2.00	78.87	64.78	कार्य पूर्ण
					89.05	**4485.71**	**2931.71**	

मण्डावर से कठूमर स्टेट हाईवे 78 को चालू करने की योजना

514. श्री मंगल राम (कठूमर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि मण्डावर से कठूमर वाया भनोखर को स्टेट हाईवे 78 घोषित किया हुआ है? यदि हां, तो क्या सरकार उसे चालू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) उक्त सड़क के निर्माण की स्वीकृति किसके द्वारा व कब जारी की गई? इसके निर्माण में कुल कितनी राशि व्यय हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। मण्डावर (अलवर) से कठूमर वाया मनोखर सड़क को स्टेट हाईवे 78 घोषित किया गया है। वर्तमान में यह स्टेट हाईवे-78 (यातायात) चालू है।

(2) उक्त सड़क के निर्माण (नवीनीकरण) की स्वीकृति उप सचिव (पथ), कार्यालय मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा वर्ष 2011 में जारी की गई थी। इसके निर्माण में कुल 142.89 लाख व्यय हुए। विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

परिशिष्ट-1

वर्ष 2011 में प्राप्त स्वीकृतियों का विवरण

क्र. सं.	स्वीकृत कार्य का नाम	लम्बाई (किमी.)	स्वीकृति सन्दर्भ	स्वीकृत राशि (रु. लाख)	व्यय राशि (रु. लाख)	कार्य पूर्ण करने की तिथि	रखरखाव की अन्तिम तिथि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	दौसा कठूमर गुढा कटला बांदीकुई मण्डावर घोषराणा कठूमर सड़क 13/800 से 24/0 एवं 26/0 से 28/0 एम.डी.आर. (नया एस.एच. कि.मी. 74/0 लच 76/0-78/0 जव 88/200 कि.मी.)	12.20	उप सचिव (पथ) सा.नि.वि. राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक एफ 7(2)/अनु. 21 ते वि आ./2011-12/ डी-214 दिनांक 23.08.11	127.20	121.58	02-07-2012	01-07-2017	उक्त कि.मी. में 3.05 मीटर की चौड़ाई में नवीनीकरण का कार्य किया गया था। किमी. 88/200 से 102/0 लम्बाई 13.80 किमी. नॉन डी.एल.पी. में है इस सड़क की वाहन गणना पी.सी.यू. 6573 जिसकी वर्तमान स्थिति सन्तोषजनक नहीं है उपरोक्त सड़क के कि.मी. 74/0 से 102/0 लम्बाई 28 कि.मी. का चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण 3.05 मीटर से 7.0 मीटर किया जाता है तो तकमीना लागत 56.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	उदयपुरा से कठेडा कि.मी. 0/0 से 2/0 (किमी. 76/0 से 78/0 एस.एच.-78) 2.0 कि.मी.	2.00	कार्यालय उप सचिव सा.नि.वि. राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक एफ 50(36) आर.आई.डी.एफ.-VIII आर.एस.एम.बी/अनु. 2/2011-12/डी-387 दिनांक 02.09.11	20.00	21.31	04-05-2013	03-05-2018	लाख है उक्त सड़क पर ग्राम कठेडा रोणीजाथान, भनोखर एवं तहसील मुख्यालय कठूमर ग्राम स्थित है।
	योग			**147.20**	**142.89**			

हुडला बांध (महुवा) के जीर्णोद्धार का कार्य कराने की योजना

515. **श्री ओमप्रकाश** (महुवा) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र महुवा में स्थित हुडला बांध किस विभाग के अधीन है?

(2) क्या सरकार हुडला बांध के जीर्णोद्धार का कार्य कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पंचायती राज विभाग के अधीन है।

(2) जी हां। हुडला बांध के जीर्णोद्धार एवं मरम्मत कार्य हेतु जल संसाधन विभाग द्वारा विभागीय बजट से 127.87 लाख की स्वीकृति क्रमांक F3 (12)AS / I / Cell / 96 / xvii / 08 / Meeting /1292 दिनांक 28.12.2015 द्वारा जारी कर दी गई है। स्वीकृत कार्य करवाने हेतु सिंचाई विभाग द्वारा निविदा प्रक्रिया (Tender Under Process) प्रारम्भ कर दी गई है।

बहरोड़ में नरेगा योजनान्तर्गत निर्मित सड़कें

516. **डॉ. जसवन्त सिंह यादव** (बहरोड़) : क्या ग्रामीण विकास [रोजगार गारंटी योजना] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में नरेगा योजना में जनवरी 2013 से जनवरी 2016 तक किन-किन सड़कों का कितनी-कितनी राशि से कब-कब निर्माण कराया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है उक्त सड़कों के क्षतिग्रस्त होने के सम्बन्ध में सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो किन-किन सड़कों के सम्बन्ध में कब-कब क्या-क्या शिकायतें प्राप्त हुईं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त सड़कों की मरम्मत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में महात्मा गांधी नरेगा योजना में जनवरी, 2013 से जनवरी, 2016 तक 268 सड़कों का निर्माण राशि रु.

(ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी योजना) मंत्री)

1096.38 लाख रु. से करवाया गया। कार्यों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उक्त सड़कों के क्षतिग्रस्त होने के सम्बन्ध में सरकार को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(3) महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत निर्मित परिसम्पत्तियों की मरम्मत, रखरखाव का कार्य योजनान्तर्गत अनुमत है। परिसम्पत्ति की निर्धारित अवधि के उपरान्त मरम्मत, रखरखाव का कार्य नियमानुसार वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित कर कराये जा सकते है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

आमेर में इन्दिरा आवास योजना से लाभान्वित परिवार

517. **श्री नवीन पिलानिया** (आमेर) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या विधान सभा क्षेत्र आमेर में इन्दिरा आवास योजना चालू है? यदि हां, तो उक्त योजना में कौन-कौनसे परिवार पात्रता रखते हैं और उनके चयन करने की क्या प्रक्रिया और मानदण्ड हैं? गत 3 वर्षों में कौन-कौन से व कितने परिवार लाभान्वित हुए? ग्राम वार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। विधान सभा क्षेत्र आमेर की पंचायत समिति आमेर व जालसू में इन्दिरा आवास योजना चालू है। वर्तमान में पंचायत समिति आमेर में 39 परिवार व पंचायत समिति जालसू में 34 परिवार कुल 73 परिवार इन्दिरा आवास की पात्रता रखते हैं। पात्र परिवारों की सूची दोनों पंचायत समितियों की परिशिष्ट अ-1 व अ 2 पर संलग्न हैं। बी पी एल चयनित सूची 2002 में से जिनके पास कच्चा मकान ('01' कोड) या मकान नहीं है ('0' कोड) वाले परिवारों की वर्गवार सूची तैयार की जाकर प्राथमिकता क्रम में लाभान्वित कराया जाता है।

गत तीन वर्षो (वर्ष 2012-13 से 2015-16) में पंचायत समिति आमेर व पंचायत समिति जालसू में क्रमश: 100 व 89 परिवार, कुल 189 परिवार इन्दिरा आवास एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना में लाभान्वित हुए हैं। ग्रामवार सूची परिशिष्ट-ब-1 व ब-2 पर संलग्न हैं।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

जायल में ग्रामीण विकास हेतु संचालित योजनाएं

518. डा. मंजू बाघमार (जायल) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में पंचायत समिति स्तर पर ग्रामीण विकास हेतु कौन-कौनसी योजनाएं कितनी-कितनी राशि (बजट) की संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र जायल में गत 2 वर्षों में उक्त योजनाओं में किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में पंचायत समिति स्तर पर ग्रामीण विकास हेतु चलाई जा रही योजनाओं एवं बजट राशि से सम्बन्धित सूचना परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र जायल में पिछले 2 वर्षों (2013-14 एवं 2014-15) के दौरान उक्त योजनाओं में किये गये व्यय का ग्रामवार वर्ष 2013-14 का विवरण परिशिष्ट-ब तथा वर्ष 2014-15 का विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(सूचना व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

जल स्वावलंबन योजनान्तर्गत आबंटित राशि

519. श्री रमेश (सपोटरा) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा नव संचालित जल स्वावलंबन योजनान्तर्गत किस-किस प्रकार के कार्य किये जाने प्रस्तावित हैं?

(2) क्या यह सही है कि बजट 2015-16 में जल स्वावलंबन योजना हेतु राशि का आबंटन नहीं किया गया था? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त योजनान्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों में किस-किस मद की राशि व्यय की जानी प्रस्तावित है?

(3) सरकार द्वारा प्रदेश में राशि का आबंटन जिला, तहसील, पंचायत समिति या ग्राम पंचायत में से किसको आधार मानकर किया गया है?

(श्री रमेश)

(4) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उक्त योजना हेतु ग्राम पंचायतों की राशि में भी कटौती की गई है? यदि हां, तो कितनी एवं क्यों?

उत्तर

(1) सरकार द्वारा नव संचालित मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान अन्तर्गत मुख्यतः जलग्रहण क्षेत्र उपचार, नाला उपचार, जल संग्रहण ढांचों की क्षमता बढ़ाना, पेयजल स्रोतों का सुदृढ़ीकरण, इत्यादि कार्य प्रस्तावित किये जाते हैं। अभियान अन्तर्गत प्रस्तावित (लिये जाने वाले) कार्यों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। यह सही है कि बजट 2015-16 में मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान हेतु राशि का आबंटन नहीं किया गया था।

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 में मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के लिए कराये जाने वाले कार्यों हेतु निर्बन्ध राशि (Untied Fund) से रुपये 356.09 करोड़ उपलब्ध करवाये गये हैं।

अन्य विभागों द्वारा संचालित योजनाओं में उपलब्ध बजट का कन्वरजेंस कर एवं सी एस आर व अन्य जन सहयोग से कार्य करवाये जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान अन्तर्गत विभिन्न विभागों की कन्वरजेंस हेतु प्रगतिरत (चालू) योजनाओं का गतिविधिवार (कराये जाने वाले कार्यों का), बजट की उपलब्धतावार (मदवार) एवं कार्यकारी संस्थावार (विभागवार) का विस्तृत विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) सरकार द्वारा प्रदेश में निर्बन्ध राशि (Untied Fund) का आबंटन नॉन-आई डब्ल्यू एम पी पंचायत समिति (Non-IWMP Block wise) एवं आई डब्ल्यू एम पी पंचायत समिति (IWMP Block wise) को आधार मानकर किया गया है।

(4) जी नहीं। जल स्वावलम्बन अभियान हेतु वर्ष 2015-16 में 3,529 गांवों का चयन किया गया है। प्रतिवर्ष 6000 गांवों की दर से आगामी 3 वर्षों में 18000 गांवों का चयन किया जाकर कार्य सम्पादित करवाये जायेंगे। जल स्वावलम्बन अभियान की सम्पूर्ण राशि से ग्राम पंचायतों के गांवों में ही कार्य कराया जाना है। इस प्रकार ग्राम पंचायतों की राशि में कटौती नहीं की गई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

हिण्डौन पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों में कराये गये कार्यों में अनियमितता

520. **श्रीमती राजकुमारी** (हिण्डौन) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पंचायत समिति हिण्डौन में वर्ष 2012 से 2015 तक कितनी राशि के कार्य किन-किन ग्राम पंचायतों में पंचायत समिति कार्यकारी एजेन्सी बनाकर कराये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) ग्राम पंचायतों में सचिव व सरपंच के होते हुए भी पंचायत समिति को कार्यकारी एजेन्सी बनाये जाने के कारण, क्या टेण्डर प्रक्रिया अपनाई गई? क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि उक्त प्रक्रिया अपनाने से सरपंचों के अधिकारों का हनन किया गया है? यदि हां, तो इस हेतु सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पंचायत समिति हिण्डौन में वर्ष 2012 से 2015 तक कार्यकारी एजेन्सी पंचायत समिति द्वारा कराये गये कार्यों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) कार्यकारी एजेन्सी द्वारा कार्य टेण्डर प्रक्रिया अपनाकर किये गये हैं। अत: पंचायत समिति के विरुद्ध कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(3) जी नहीं, पंचायत समिति कार्यकारी एजेन्सी बनाने से सरपंच के अधिकारो का हनन नहीं हुआ है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

ढारिया ग्राम (मारवाड़ जंक्शन) में घटिया पाइपों को बदलने की योजना

521. **श्री केसाराम चौधरी** (मारवाड़ जंक्शन) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के ग्राम ढारिया से देवली पाबुजी व खारडा को पीने का पानी सप्लाई करने हेतु कुओं की खुदाई कर पाइपलाइनें डालकर पानी पहुंचाने की योजना बनाई गई थी?

(श्री केसाराम चौधरी)

यदि हां, तो उसमें कितने-कितने रुपये किस-किस मद में स्वीकृत हुए व कितने खर्च हुए? योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि खोदे गये ओपन वेल में पानी पर्याप्त मात्रा में होते हुए भी दोनों गांवों को पाइपों की घटिया किस्म के कारण पानी नहीं दिया जा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार घटिया पाइपों को बदलकर नये पाइप लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन की पंचायत समिति रानी के ग्राम देवली एवं खारड़ा हेतु हैण्डपम्प योजना से परिवर्तित पम्प एवं टैंक जल योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति वित्तीय समिति की 290वीं बैठक दिनांक 24.12.1997 द्वारा क्रमशः राशि रुपये 16.28 लाख एवं रुपये 17.08 लाख की न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (एम.एन.पी.) के अन्तर्गत जारी की गई थीं। इन योजनाओं के पूर्ण क्रियान्वयन पर क्रमशः रुपये 16.89 लाख एवं रुपये 17.40 लाख की राशि व्यय की गई।

(2) उक्त दोनों ग्रामों की योजनाओं की स्वीकृति सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा जनता जल योजना पैटर्न पर संचालन एवं संधारण किये जाने की शर्त के साथ जारी की गई थी। इसकी पालना में योजनाओं के निष्पादन उपरान्त सम्बन्धित ग्राम पंचायतों को ये योजनाएं संचालन एवं संधारण हेतु हस्तान्तरित की गईं।

सम्बन्धित ग्राम पंचायतों द्वारा सुचारु संचालन एवं संधारण के अभाव में योजनाओं के जल स्रोत बंद हो जाने के कारण स्वीकृत योजनाओं अन्तर्गत बिछाई गई ए.सी. पाइपलाइन अप्रयुक्त रहीं एवं कालान्तर में इन पाइप-लाइनों की रबर रिंग (प्रत्येक ज्वांइट पर) को दीमक द्वारा नष्ट कर देने के कारण वर्तमान में इन्हें ठीक किया जाना तकनीकी दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है।

ग्राम देवली में ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित एक खुला कुआं (पीचका) एवं उच्च जलाशय के माध्यम से घरेलू जल सम्बन्धों द्वारा 35 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से तथा ग्राम खारड़ा में ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित एक खुले कुएं (पीचका) से विभागीय योजना अन्तर्गत निर्मित दो भू-तल जलाशयों को भरा जाकर 35 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से पेयजल आपूर्ति की जा रही है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

इसके अतिरिक्त ग्राम देवली एवं खारड़ा में क्रियाशील क्रमश: 17 एवं 19 हैण्डपम्पों से भी पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

सिकराय में पेयजल समस्या के निवारण हेतु कार्य योजना

522. **श्रीमती गीता वर्मा** (सिकराय) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र सिकराय में किस-किस संस्था द्वारा कार्य करवाये जाते हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त संस्था द्वारा लगाये जाने वाले एकल बिन्दु एवं हैण्डपंप के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? क्या संस्था द्वारा उक्त सभी मानदण्डों को पूरा किया जाता है? यदि नहीं, तो क्या सरकार द्वारा इसकी जांच हेतु कोई टीम गठित की गई है? यदि हां, तो उक्त टीम के अधिकारी के नाम व मोबाइल नम्बर सहित पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार भविष्य में पेयजल समस्या से निपटने के लिए अन्य कोई योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सिकराय में पेयजल सम्बन्धी कार्य जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एवं पंचायती राज विभाग द्वारा कराये जा रहे हैं। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा कार्य निजी संवेदकों, विभागीय रिग मशीनों एवं भू-जल विभाग के माध्यम से सम्पादित कराये जा रहे हैं।

(2) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा सिंगल फेज नलकूप (एकल बिन्दु) एवं हैण्डपम्प स्थापित करने के मापदण्ड की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार इनका निर्माण कार्य सम्पादित कराया जाता है।

सिंगल फेज नलकूप एवं हैण्डपम्पों के कराये गये/जा रहे कार्यों की भुगतान-पूर्व जांच सम्बन्धित विभागीय अभियन्ताओं द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त, किये गये निर्माण कार्यों की जांच हेतु राज्य सरकार द्वारा जिला स्तर पर विभागीय सतर्कता समिति का गठन किया हुआ है। विधान सभा क्षेत्र

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

सिकराय से सम्बन्धित विभागीय अभियन्ताओं एवं विभागीय सतर्कता समिति के सदस्यों की नामवार सूची मय मोबाइल नम्बर परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) जी हां। विधान सभा क्षेत्र सिकराय सहित सम्पूर्ण दौसा जिले की पेयजल समस्या के दीर्घकालिक समाधान के अन्तर्गत ईसरदा बांध के निर्माण कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 19.09.2013 को राशि रुपये 530.00 करोड़ की जारी हुई थी। ईसरदा बांध का निर्माण जल संसाधन विभाग के माध्यम से डिपोजिट कार्य के अन्तर्गत कराया जाना है।

जल संसाधन विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार ईसरदा बांध के निर्माण हेतु निविदा सम्बन्धी कार्यवाही वर्तमान में प्रक्रियाधीन है, परन्तु नये भूमि अवाप्ति एक्ट-2013 के लागू होने, बी.एस.आर. 2012 के स्थान पर बी.एस.आर. 2014 के अनुसार दरें लिये जाने एवं बांध की लम्बाई बढ़ जाने के कारण बांध की संशोधित अनुमानित लागत रुपये 1,856.49 करोड़ होना अवगत कराया गया है। इस बांध के निर्माण में आकार की वास्तविक आवश्यकता को देखते हुए चरणबद्ध रूप से कराने हेतु तकनीकी परीक्षण कराया जा रहा है। संशोधित लागत हेतु धनराशि की व्यवस्था कर शीघ्र स्वीकृति जारी करने की प्रक्रिया जारी है।

(प्रति व सूची पुस्तकालय में रखी गयीं)

सीतौड़ ग्राम (सवाई माधोपुर) में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की योजना

523. **म. रणधीर सिंह भीण्डर** (वल्लभनगर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा ग्राम सीतौड़, ग्राम पंचायत सीतौड़, पंचायत समिति बामनवास, जिला सवाई माधोपुर में ग्रामवासियों को उपलब्ध करवाये जा रहे पेयजल की जांच कब-कब तथा किस-किस संस्था द्वारा करवाई गई? जांच रिपोर्ट की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि ग्राम सीतौड़ के वार्ड नम्बर 3, 4 एवं 5 में सरकार द्वारा विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध करवाये जा रहे पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने एवं पेयजल में अन्य खराबी होने के कारण उक्त वार्डों के निवासियों के हाथ एवं पैर मुड़ने के कारण विकलांग तथा लकवे जैसी

(म. रणधीर सिंह भीण्डर)

बीमारियों का सामना कर रहे हैं? यदि हां, तो सरकार द्वारा अब तक इन वार्डों में निवास करने वाले लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा ग्राम सीतौड़ में पीने योग्य पेयजल नहीं होने के उपरान्त भी उक्त वार्डों में अब तक आर.ओ. नहीं लगाने के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त वार्डों के निवासियों को पीने योग्य पेयजल उपलब्ध नहीं होने के कारण हो रही बीमारी एवं विकलांगता के कारण वार्ड नम्बर 3, 4 तथा 5 में आर.ओ. प्लांट लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखे।

उत्तर

(1) जिला सवाई माधोपुर की पंचायत समिति बामनवास का ग्राम सीतौड़ हैण्डपम्प जल योजना से वर्तमान में लाभान्वित है। ग्राम में वर्तमान में 27 क्रियाशील हैण्डपम्पों में से 15 हैण्डपम्पों के पानी का रासायनिक विश्लेषण विभागीय प्रयोगशाला, सवाई माधोपुर द्वारा किया गया है। पेयजल गुणवत्ता जांच रिपोर्ट की वांछित प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम सीतौड़ में किसी के रोग से पीड़ित होने की शिकायत/सूचना प्राप्त नहीं हुई है। प्राप्त पत्र की प्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

ग्राम सीतौड़ में वर्ष 2013 में आवश्यकतानुसार समाधि के पास एवं कोली मोहल्ला, कुएं के पास स्थित एक-एक हैण्डपम्प सम्बद्ध डि-फ्लोरिडेशन इकाई (डी.एफ.यू.) स्थापित कर स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की गई। ग्राम के वर्णित तीनों वार्डों में स्थापित 19 हैण्डपम्पों में से 9 हैण्डपम्पों के कराये गये रासायनिक विश्लेषण के अनुसार 5 हैण्डपम्पों के पानी में फ्लोराइड एवं कुल घुलनशील लवण (टी.डी.एस.) की मात्रा निर्धारित मानक मात्रा क्रमशः 1.5 एवं 2000 मिलीग्राम प्रति लीटर की सीमा में है। विवरण संलग्न परिशिष्ट-अ में निहित है।

(3) उपरोक्तानुसार उक्त वार्डों में उचित पेयजल गुणवत्ता के पर्याप्त जल स्रोत क्रियाशील हैं।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(4) उपरोक्तानुसार।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

पीपल्दा में आर.ओ. संयंत्रों की स्थापना

524. **श्री विद्याशंकर नन्दवाना** (पीपल्दा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कोटा जिले में पेयजल समस्या वाले गांव व ढाणियों में आर.ओ. संयंत्र लगाये जाने हेतु सरकार द्वारा कौन-कौन से स्थान चिह्नित किये गये हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में कुल कितने आर.ओ. संयंत्र स्वीकृत किये गये हैं एवं उक्त को कब तक लगा दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कोटा जिले के कुल 40 ग्रामों में 40 आर.ओ. संयंत्र (प्रत्येक ग्राम में एक-एक) के निर्माण एवं स्थापना की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2015-16 में राशि रुपये 795.20 लाख की जारी की गई। वांछित सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के 20 ग्रामों में 20 आर.ओ. संयंत्र (प्रत्येक ग्राम में एक-एक) के निर्माण एवं स्थापना की स्वीकृति उक्तानुसार वित्तीय वर्ष 2015-16 में राशि रुपये 397.60 लाख की जारी की गई।

अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, क्षेत्र उदयपुर के पत्र दिनांक 18.02.2016 के द्वारा जिला कोटा, बूंदी, बारां, चित्तौड़गढ़ एवं राजसमन्द में 58 आर.ओ. संयंत्रों के निर्माण एवं स्थापना मय 7 वर्ष के संचालन एवं संधारण सहित संयुक्त कार्यादेश राशि रुपये 8.86 करोड़ का जारी किया जा चुका है। उक्त कार्यादेश के तहत विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में 14 आर. ओ. संयंत्रों का निर्माण माह फरवरी, 2017 तक पूर्ण करना प्रस्तावित है। शेष 6 संयंत्रों का निर्माण द्वितीय चरण में वित्तीय वर्ष 2016-17 के अंत तक पूर्ण करना प्रस्तावित है तथा इस हेतु निविदा प्रक्रियाधीन है। वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट-अ में निहित है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

बारां के किशनगंज-शाहबाद क्षेत्र में पेयजल की समस्या का स्थायी समाधान

525. **श्री ललित कुमार** (किशनगंज) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बारां जिले के किशनगंज-शाहबाद क्षेत्र में आबादी के अनुसार पेयजल की समस्या व्याप्त है? यदि हां, तो सरकार उक्त क्षेत्र के कस्बों की पेयजल की समस्या के निदान हेतु कोई कार्ययोजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र की पेयजल की समस्या का स्थायी समाधान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। बारां जिले के विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में पंचायत समिति किशनगंज एवं शाहबाद के 367 आबाद ग्राम सम्मिलित हैं। इन 367 ग्रामों में से 6 ग्राम पाइप्ड जल योजना, 45 ग्राम पम्प एवं टैंक जल योजना, 24 ग्राम जनता जल योजना एवं 292 ग्राम हैण्डपम्प योजना से वर्तमान में लाभान्वित हैं। ग्रामवार वर्तमान पेयजल आपूर्ति व्यवस्था का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

पंचायत समिति किशनगंज के 1 ग्राम एवं शाहबाद के 19, इस प्रकार कुल 20 ग्रामों में विद्यमान जल स्रोतों के सूख जाने के कारण जिला प्रशासन के माध्यम से इनमें दिनांक 1 मार्च, 2016 से टैंकरों द्वारा पेयजल परिवहन का कार्य किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, पंचायत समिति किशनगंज एवं शाहबाद के क्रमश: 71 एवं 10, इस प्रकार कुल 81 ग्रामों में दिनांक 1 अप्रैल, 2016 से विद्यमान जल स्रोतों के सूख जाने की आशंका को दृष्टिगत रखते हुए जिला प्रशासन के माध्यम से पेयजल परिवहन कराया जाना प्रस्तावित है। पंचायत समिति किशनगंज एवं शाहबाद में दिनांक 1 मार्च, 2016 से किये जा रहे पेयजल परिवहन तथा दिनांक 1 अप्रैल, 2016 से प्रस्तावित पेयजल परिवहन वाले ग्रामों का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

उक्त विधान सभा क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था सुचारु बनाये रखने हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 (माह फरवरी, 2016 तक) में ग्रामीण जल योजना,

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

शाहबाद, अनुमानित राशि रुपये 82.14 लाख, 2 आर.ओ. संयंत्र अनुमानित राशि रुपये 44.29 लाख तथा 10 सौर ऊर्जा आधारित सिंगल फेज नलकूप अनुमानित राशि रुपये 83.40 लाख की स्वीकृति आवश्यकतानुसार जारी की जा चुकी है। इस स्वीकृति के विरुद्ध 1 आर.ओ. संयंत्र एवं 10 सौर ऊर्जा आधारित सिंगल फेज नलकूप निर्माण एवं स्थापना के कार्यादेश जारी किये जा चुके हैं। ग्रामीण जल योजना, शाहबाद के निष्पादन एवं 1 आर.ओ. संयंत्र के निर्माण हेतु निविदा कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(2) जी हां। सतही जल स्रोतों से पेयजल उपलब्ध कराना ही राज्य सरकार की प्राथमिकता है। पेयजल समस्या के दीर्घकालिक उपायों के अन्तर्गत उक्त क्षेत्र की तहसील किशनगंज के ग्राम दीलोद के निकट पार्वती नदी पर स्थित प्राकृतिक देह से किशनगंज तहसील के 59 मुख्य ग्राम एवं 13 ढाणियों की पेयजल योजना बनाने के सर्वेक्षण कार्य, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट एवं निविदा प्रपत्र तैयार करने के कार्यों हेतु दिनांक 18.01.2016 को राशि रुपये 5.33 लाख का कार्यादेश जारी किया जा चुका है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड, जयपुर के अधिशेष कर्मचारियों का समायोजन

526. श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर) : क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 29 जुलाई, 2006 (मंत्रिमण्डल की आज्ञा संख्या: 71/2006) को मंत्रिमण्डल द्वारा सरक्यूलेशन के माध्यम से भू-जल विभाग द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन संख्या प.14(1)भूजल/2004 दिनांक 15 जून, 2006 में अंकित राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड, जयपुर के अधिशेष चार छिद्रकों (BORERS) व छटनीशुदा पांच विस्फोटकों (BLASTERS) का भू-जल विभाग में समायोजन सम्बन्धी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया था? यदि हां, तो छिद्रकों (BORERS) व छटनीशुदा पांच विस्फोटकों (BLASTERS) के नाम सहित उक्त आदेश/आज्ञा की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त अधिशेष चार छिद्रकों (BORERS) व छटनीशुदा पांच विस्फोटकों (BLASTERS) का समायोजन करने के स्थान पर

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

भू-जल विभाग में आज्ञा संख्या प.14(1)भूजल/2004 दिनांक 7 अगस्त, 2006 के तहत प्रतिनियुक्ति पर लगा दिया गया है? यदि हां, तो क्या समायोजन के आदेश-उपरान्त भी प्रतिनियुक्ति पर लगाया जाना न्यायोचित है? यदि नहीं, तो मंत्रिमण्डलीय आज्ञा के विरुद्ध उक्त कार्मिकों को प्रतिनियुक्ति पर लगाये जाने के लिए कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं? क्या सरकार दोषी कार्मिकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि उक्त पांच विस्फोटकों में से एक विस्फोटक की मृत्यु हो जाने पर उसके पुत्र को कार्मिक विभाग की आज्ञानुसार आईडीएस 1697/कार्मिक/क2/10 दिनांक 02 नवम्बर, 2010 के तहत मंत्रिमण्डल की आज्ञानुसार (71/2006) भू-जल विभाग में समायोजित मानते हुए भू-जल विभाग के आदेश क्रमाक प.4 (8) भूजल/2008 दिनांक 26 नवम्बर, 2010 के तहत नियुक्ति दी गई है? यदि हां, तो उक्त आदेश की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार वर्तमान में भू-जल विभाग में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत उक्त चारों विस्फोटकों को मंत्रिमण्डलीय आज्ञा संख्या 71/2006 की अनुपालना में अब भू-जल विभाग में ही समायोजित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मंत्रिमण्डल की आज्ञा संख्या: 71/2006 दिनांक 02.08.2006 द्वारा मंत्रिमण्डल ज्ञापन में अंकित प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया था। चूंकि प्रस्ताव के पैरा-5 में 4 छिद्रकों व छंटनीशुदा 5 विस्फोटकों को भूजल विभाग में विपरीत प्रतिनियुक्ति पर लिया जाना प्रस्तावित किया गया था, जिसकी पालना में विपरीत प्रतिनियुक्ति के आदेश जारी किये गये थे। (परिशिष्ट अ)

उक्त 4 छिद्रकों एवं 5 विस्फोटकों के नाम निम्न प्रकार हैं:-

छिद्रक		विस्फोटक	
1.	श्री मोहम्मद युशूफ	1.	श्री कैलाश सिंह
2.	श्री अमीचन्द	2.	श्री भरत सिंह
3.	श्री सावरमल यादव	3.	श्री राजेन्द्र सिंह

(भू-जल मंत्री)

छिद्रक		विस्फोटक	
4.	श्री मदन सिंह	4.	श्री आनन्द सिंह
		5.	श्री एस.एम. आजम

(2) यह सही नहीं है। मंत्रिमण्डल की आज्ञा संख्या: 71/2006 दिनांक 02.08.2006 द्वारा मंत्रीमण्डल ज्ञापन में अंकित प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया था। प्रस्ताव के पैरा-5 में 4 छिद्रकों व छंटनीशुदा 5 विस्फोटकों को भूजल विभाग में विपरीत प्रतिनियुक्ति पर लिया जाना प्रस्तावित किया गया था। जिसकी पालना में विपरीत प्रतिनियुक्ति के उक्त आदेश जारी किये गये थे,

(3) विपरीत प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत विस्फोटक की राजकार्य करते हुए घटित दुर्घटना में मृत्यु होने के कारण मुख्य सचिव महोदय द्वारा स्पेशल प्रकरण मानने की अभिशंसा के परिपेक्ष्य में कार्मिक व वित्त विभाग की सहमति से अनुकम्पात्मक नियुक्ति हेतु पत्र दिनांक 26.11.2010 द्वारा स्वीकृति जारी की गई। (परिशिष्ट-ब)

(4) जी नहीं। मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमोदित मंत्रिमण्डल ज्ञापन के प्रस्तावों की अनुपालना में उक्त विस्फोटक भू-जल विभाग में विपरीत प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं, जिसकी अवधि वित्त विभाग की सहमति से बढ़ाई जाती रही है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

किशोर न्याय बोर्ड में दर्ज प्रकरण

527. **श्री अभिषेक मटोरिया** (नोहर) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में गठित किशोर न्याय बोर्ड में गत पांच वर्षों में कितने प्रकरण दर्ज किये गये? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त न्याय बोर्ड के समक्ष कितने बालक व बालिकाएं किन-किन अपचारों के तहत पेश किये गये? उक्त पेश बालक/बालिकाओं पर क्या-क्या कार्यवाही बोर्ड द्वारा की गई? गत पांच वर्षों का जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में गठित किशोर न्याय बोर्ड में विगत पांच वर्षो में 16,843 प्रकरण दर्ज हुए हैं, जिनका जिलेवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उक्त न्याय बोर्ड के समक्ष 16,843 बालक-बालिकाएं हत्या, चोरी, बलात्कार, जानलेवा हमले, अपहरण, मादक पदार्थों की तस्करी, डकैती एवं अन्य अपराधों में लिप्तता के आधार पर पेश किये गये। उक्त बालक व बालिकाओं का जिलेवार एवं अपराधवार विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(अ) पेश किये गये बालक/बालिकाओं पर किशोर न्याय बोर्ड द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2000 के प्रावधान 15 व संगत नियम 2011 के अन्तर्गत निम्नानुसार कार्यवाही की जाती है:

1. धारा 15(1)-क में माता-पिता या संरक्षक और किशोर को परामर्श देने वाले और उनके विरुद्ध सलाह निम्नलिखित समुचित जांच परामर्श या भर्त्सना के पश्चात धर आने के लिए किशोर को अनुज्ञा प्रदान करना;
2. धारा 15(1)-ख समूह मंत्रणा करने तथा एक समान क्रिया-कलाप में भाग लेने के लिए किशोर को निदेश प्रदान करना;
3 धारा 15(1)-ग सामुदायिक सेवा का सम्पादन करने के लिए किशोर को निदेश प्रदान करना;
4. धारा 15(1)-घ एक जुर्माना देने के लिए किशोर के माता-पिता या स्वयं किशोर को आदेश प्रदान करना यदि उसकी आयु चौदह वर्ष से अधिक है और धनोपार्जन करता है;
5. धारा 15(1)-ड सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़े जाने के लिए प्रतिभू के साथ या के बिना एक बन्धपत्र का निष्पादन करने वाले किसी माता-पिता, संरक्षक या दूसरे उपयुक्त व्यक्ति या ऐसे माता-पिता, संरक्षक या अन्य उपयुक्त व्यक्ति की देखरेख के अधीन रखे जाने का निर्देश दे सकेगा, जो बोर्ड तीन वर्षों से अनधिक किसी कलावधि के लिए किशोर के सदाचरण और भलाई के लिये अपेक्षा करना;
6. धारा 15(1)-च सदाचरण की परीवीक्षा पर छोड़े जाने के लिये और तीन वर्षों से अनधिक किसी कालावधि के लिये किशोर के सदाचरण और भलाई के लिये किसी उपयुक्त संस्था के अधीन रखे जाने का किशोर को निर्देश प्रदान करना; एवं

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

7. धारा 15(1)-छ किशोर को तीन वर्ष की अवधि के लिये विशेष गृह में भेजे जाने का निर्देश प्रदान करना।

(ब) गत पांच वर्षों में जिले में गठित विभिन्न किशोर न्याय बोर्डों द्वारा बोर्डों के समक्ष पेश किये गये बालक-बालिकाओं के निस्तारित प्रकरणों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

राजकीय वाहनों का विभागों को आबंटन

528. श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर) : क्या मोटर गैराज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा गत दो वर्षों में कितने राजकीय वाहनों को अनुपयोगी घोषित किया गया और कितने वाहन खरीदे गये? खरीदे गये वाहनों का आबंटन किस आधार पर और किन विभागों को किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा नए खरीदे वाहनों का इंश्योरेंस नहीं करवाया जा रहा है? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार के पास नए वाहनों के खरीद के प्रस्ताव विचाराधीन हैं? यदि हां, तो इनकी खरीद कब तक पूरी होगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मोटर गैराज विभाग में वित्तीय वर्ष 2014-15 में जिला पूलों के 19 वाहन एवं स्टेट मोटर गैराज विभाग के 21 वाहन, कुल 40 वाहन तथा वित्तीय वर्ष 2015-16 में जिला पूलों के 31 वाहन एवं स्टेट मोटर गैराज के 4 वाहन, कुल 35 वाहन अनुपयोगी घोषित किये गये।

राजस्थान स्टेट मोटर गैराज विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 में शून्य वाहन क्रय किये गये हैं तथा वर्ष 2015-16 में कुल 9 वाहन क्रय किये गये। खरीदे गये कुल 9 वाहन अधिकारीगण एवं राजकीय अतिथियों के उपयोगार्थ तथा जिला पूलों में स्वीकृत स्ट्रेन्थ के विरुद्ध कम हुए वाहनों की पूर्ति एवं 2006 से पूर्व के मॉडल के वाहनों के रिप्लेसमेंट हेतु वर्ष 2014-15 में 33 वाहन व वर्ष 2015-16 में 57 वाहन क्रय किये गये।

(मोटर गैराज मंत्री)

(2) जी हां। जी.एफ. एण्ड ए.आर. भाग 1 के नियम 326 (3) के अन्तर्गत राजकीय वाहन बीमा-मुक्त हैं।

(3) जी, नहीं।

आनलाइन छात्रवृत्ति की प्रक्रिया से विसंगतियां

529. **श्री जगसी राम** (रेवदर) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में छात्रवृत्तियों हेतु आनलाइन आवेदन प्रक्रिया आरम्भ होने से अब तक अनेक प्रकार की विसंगतियां उत्पन्न हुई हैं? यदि हां, तो क्या-क्या? उक्त प्रक्रिया के प्रारम्भ होने के बाद जिलेवार एवं वर्षवार प्राप्त आवेदनों की संख्या सूची एवं उक्त प्रक्रिया के प्रारम्भ से पहले के दो वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष पेपर बाई-हैण्ड आवेदन प्रक्रिया में प्राप्त आवेदनों की जिलेवार एवं वर्षवार संख्या सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि आनलाइन प्रक्रिया में व्याप्त असंख्य विसंगतियों, असुविधाओं के कारण छात्रवृत्ति के पात्र आवेदकों को छात्रवृत्ति से वंचित रहना पड़ रहा है? यदि हां, तो सरकार उक्त विसंगतियों को कब तक दूर करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत आनलाइन पोर्टल प्रारम्भ होने के उपरान्त एवं आनलाइन से पूर्व के दो वर्षों में प्राप्त आवेदन पत्रों का वर्षवार, वर्गवार एवं जिलेवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राजकीय भवनों में निःशक्तजन हेतु रैम्प का निर्माण

530. **श्री बंशीधर** (खण्डेला) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में नि:शक्तजन के लिए राजकीय भवनों में रैम्प बनाये जाते है? यदि हां, तो किस योजना के अन्तर्गत? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री बंशीधर)

(2) जनवरी, 2015 से 31 जनवरी, 2016 तक प्रदेश में किन-किन भवनों में कब-कब रैम्प बनाये गये और उनमें कितनी राशि व्यय हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) खण्डेला विधान सभा क्षेत्र के कौन-कौन से सरकारी भवनों में रैम्प बने हुए हैं और किन-किन भवनों में नहीं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त भवनों में रैम्प बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो किन-किन भवनों में कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। भारत सरकार के नि:शक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 के तहत Scheme for Implementation of Persons with Disabilities Act 1995 (SIPDA) योजनान्तर्गत राजकीय भवनों में मुख्यतया जिला कलेक्टर भवन, जिला मुख्यालय पर स्थापित सरकारी भवनों, मेडिकल कालेज, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, मुख्य अस्पताल, आदि में लिफ्ट रेलिग एवं रेम्प का निर्माण करवाया जाता है।

(2) उक्त योजनान्तर्गत सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा माह जनवरी 2015 से 31 जनवरी, 2016 तक जिन भवनों में रैम्प का निर्माण करवाया गया, उक्त भवनों रैम्प निर्माण हेतु हुए व्यय का विवरण संलग्न परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(3) विधान सभा क्षेत्र खण्डेला में जिन राजकीय भवनों में रैम्प बना हुआ है और जिन भवनों में रैम्प नहीं बने हुए हैं, की सूची संलग्न परिशिष्ट-ब पर उपलब्ध है।

(4) जी हां। संबन्धित विभाग को नि:शक्तजन अधिनियम 1995 की धारा 46 में विशेष योग्यजन को बाधा-रहित वातावरण उपलब्ध करवाये जाने हेतु राजकीय भवनों में रैम्प बनाये जाने का प्रावधान किया हुआ है, जिसकी पालना सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित विभागों कों निर्देशित किया जा रहा है।

परिशिष्ट-अ

सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सरकारी भवनों में भारत सरकार की सिपडा योजनान्तर्गत रैम्प निर्माण हेतु जनवरी, 2016 तक व्यय की गई राशि का विवरण

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	कार्य का विवरण	इकाई	स्वीकृत राशि	व्यय राशि
1.	कलेक्ट्रेट भवन, सीकर	रैम्प निर्माण (G+1)	01	10.18	8.98
2.	कलेक्ट्रेट भवन, हनुमानगढ़	रैम्प निर्माण (G+1)	01	5.15	2.53
3.	कलेक्ट्रेट भवन, कोटा	सभी 33व सरकारी विभागों में शौचालय एवं रेम्प निर्माण	33	58.08	18.82
4.	अजमेर स्थित विभिन्न सरकारी कार्यालयों में	आगमन रेम्प निर्माण (13.5x1.2x1.0) @66000/- per ramp	32	21.12	10.03
5.	कलेक्ट्रेट भवन, बारां	रैम्प मय रेलिंग निर्माण (G+F+FF)	02	18.66	14.17
6.	कलेक्ट्रेट भवन, चित्तौड़गढ़	रैम्य मय रेलिंग	06	1.36	1.36
7.	निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर	रैम्प निर्माण	04	1.18	0.92
8.	कलेक्ट्रेट बिल्डिंग, हनुमानगढ़	लिफ्ट एवं रैम्प निर्माण	1	10.13	6.27
		कुल	**80**	**125.86**	**63.08**

परिशिष्ट-ब

खण्डेला विधान सभा क्षेत्र में स्थित राजकीय भवन में रैम्प की स्थिति

कार्यालय जिनमें रैम्प बना हुआ है	कार्यालय जिनमें रैम्प नहीं बना हुआ है
1. कार्यालय उपखण्ड अधिकारी	1. पंचायत समिति
2. तहसीलदार	2. सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
3. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	3. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी
4. पशु चिकित्साधिकारी	4. सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्डेला एवं रींगस
5. समसत अटल सेवा केन्द्र	5. सहायक अभियन्ता जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग खण्डेला एवं रींगस
6. समस्त सरकारी विद्यालय	6. सहायक अभियन्ता अ.वि.वि.नि.लि., खण्डेला एवं रींगस
7. समस्त मुख्य एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	7. महिला एवं बाल विकास अधिकारी
8. नरेगा	8. बामणवास, नीगेड़ा एवं ठीकरिया
9. पुलिस थाना खण्डेला एवं रींगस	9. नगरपालिका खण्डेला
	10. समस्त पटवार घर

परबतसर में देवनारायण योजना के तहत आवासीय छात्रावासों का निर्माण

531. **श्री मानसिंह किनसरिया** (परबतसर) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र परबतसर में देवनारायण योजना के अन्तर्गत कोई संस्था कार्य कर रही है? यदि हां, तो कौनसी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में किसी भी योजना के अन्तर्गत गुर्जर छात्रों के लिए आवासीय छात्रावास खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा जाति विशेष के नाम से कोई भी छात्रावास स्वीकृत नहीं किया जाता है, तथा विशेष पिछड़ा वर्ग के कल्याण हेतु घोषित विशेष पैकेज में राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित सभी कार्य/योजनाएं स्वीकृत हो चुकी हैं।

सोजत में खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थी

532. **श्रीमती संजना आगरी** (सोजत) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र सोजत के सभी परिवारों के राशन कार्ड बन चुके हैं? यदि नहीं, तो क्यों? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में पंचायतवार कितने राशन कार्ड वितरित किये गये व कितने शेष हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पंचायतवार व नगरपालिका के वार्ड सहित कितने-कितने परिवारों को यूनिट सहित लाभ मिल रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त योजना के अन्तर्गत लाभान्वित परिवारों की यूनिट संख्या का प्रतिशत सरकार के मानदण्ड के अनुसार है?

(5) क्या सरकार पंचायत व नगरपालिका को यूनिट जोड़ने का अधिकार देकर वंचित परिवारों को जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र सोजत के जिन परिवारों ने राशन कार्ड हेतु आवेदन किया है, उन सभी परिवारों के राशन कार्ड बन चुके हैं।

(2) विधान सभा क्षेत्र सोजत में पंचायतवार कुल 60,256 राशन कार्ड जारी किये जाकर वितरण किये जा चुके हैं। पंचायतवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र सोजत में खाद्य सुरक्षा के तहत पंचायतवार व नगरपालिकावार परिवारों एवं यूनिट्स का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(4) खाद्य सुरक्षा के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रदेश हेतु निर्धारित मापदण्ड

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

शहरी क्षेत्र हेतु 53.0 प्रतिशत एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु 69.09 प्रतिशत के विरुद्ध नगरपालिका सोजत के लाभान्वित परिवारों की यूनिट संख्या का प्रतिशत 46.95 है तथा पंचायत समिति सोजत के लाभान्वित परिवारों की यूनिट संख्या का प्रतिशत 76.41 है।

(5) वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत लाभ से वंचित पात्र परिवारों/व्यक्तियों को जोड़ने का अधिकार सम्बन्धित जिले के उपखण्ड अधिकारी के पास है।

वंचित पात्र व्यक्ति उक्त योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए एक साधारण कागज पर प्रार्थना पत्र के साथ समावेशन पात्रता श्रेणी के आधारभूत दस्तावेज संलग्न कर सम्बन्धित क्षेत्र के उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

कालाबाजारी/जमाखोरी को रोकने की कार्य योजना

533. **श्री संदीप शर्मा** (कोटा दक्षिण) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा प्रदेश में कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए क्या-क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

(2) गत 1 वर्ष में सरकार द्वारा कालाबाजारी एवं जमाखोरी रोकने के लिए मारे गये छापों में कितनी सामग्री जब्त की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जमाखोरी एवं कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की जाती है? गत 2 वर्षों में सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी और जमाखोरी को रोकने के लिए निम्न प्रयास किये गये हैं :-

1. आवश्यक वस्तुओं के भावों पर नियंत्रण हेतु राज्य के तीन जिलों जयपुर, जोधपुर एवं कोटा में प्राइस मॉनिटरिंग सैल स्थापित किया हुआ है;

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

2. आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण के उपायों पर विचार-विमर्श हेतु माननीय मुख्य मंत्री महोदया के निर्देशानुसार सचिव स्तरीय अधिकारियों के समूह का गठन दिनांक 06.07.2014 को किया गया है;
3. सचिवों के उक्त समूह की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश, 1980 की संलग्न अनुसूची-1 के भाग-ड में आलू और प्याज को जोड़े जाने की अधिसूचना दिनांक 12.08.2014 को जारी की गयी थी;
4. प्रदेश में दालों एवं तेलों के बढ़ते हुए भावों को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश, 1980 के तहत थोक एवं खुदरा डीलर्स के लिए दालों (साबुत एवं दली हुई) की अधिकतम भण्डारण सीमा तथा आवर्तन अवधि (टर्न ओवर) निर्धारण की अधिसूचनाएं जारी की गईं। दालों के लिए दिनांक 15.07.2015 एवं 20.10.2015 को अधिसूचना जारी की गई। इसी प्रकार खाद्य तेलों के बढ़ते भावों को देखते हुए अधिसूचना दिनांक 23.11.2015 एवं 08.12.2015 जारी की जाकर थोक एवं खुदरा डीलरों के लिए खाद्य तेल एवं तिलहनों पर स्टॉक सीमा एवं आवर्तन अवधि निर्धारित की गयी थी,
5. दाल/दलहन की स्टॉक सीमा लगाये जाने के पश्चात् विभागीय प्रवर्तन अधिकारी/निरीक्षकों द्वारा निरीक्षण एवं छापे मारे गये, जिसमें 26,102 क्विंटल दाल जब्त की गई; एवं
6. प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य दुकानों पर PoS मशीनें चरणबद्ध रूप से स्थापित की जा रही हैं। इस मशीन द्वारा लाभार्थी के बायोमैट्रिक सत्यापन के पश्चात् राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा है, जिससे पात्र लाभार्थी के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति को राशन वितरण नहीं हो सके। इससे पारदर्शिता के साथ वितरण व्यवस्था पर प्रभावी मॉनिटरिंग हो सकेगी।

(2) गत 1 वर्ष में सरकार द्वारा कालाबाजारी एवं जमाखोरी रोकने के लिए मारे गये छापों में 26,102.08 क्विंटल दालें जब्त की गईं, जिसका विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

(3) जमाखोरी एवं कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के तहत कार्यवाही की जाकर न्यायालय जिला कलक्टर में प्रकरण दर्ज कराये जाते हैं तथा गम्भीर प्रकरणों में एफ.आई.आर. भी दर्ज कराई जाती है। गत 2 वर्षों में जमाखोरी एवं कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

निवाई में उचित मूल्य की दुकानों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

534. **श्री हीरालाल निवाई** (निवाई) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र निवाई में उचित मूल्य की कितनी दुकानें किस-किसके नाम स्वीकृत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) गत तीन वर्षों में विधान सभा क्षेत्र निवाई में उचित मूल्य की राशन सामग्री के वितरण या अन्य प्रकार की शिकायतें किस-किस दुकान या डीलर के विरुद्ध प्राप्त हुईं तथा प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र निवाई में कुल 135 दुकानें स्वीकृत हैं। सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) गत तीन वर्षों में विधान सभा क्षेत्र निवाई में 33 उचित मूल्य दुकानदारों के खिलाफ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। प्राप्त शिकायतों के आधार पर कुल 33 विभागीय प्रकरण दर्ज किये गये, जिसमें से एक डीलर के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवायी गयी है तथा तीन डीलरों के प्राधिकार पत्र निलम्बित किये गये हैं। विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(सूची व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

जालोर जिले में किसानों को ब्याज-मुक्त ऋण

535. **श्री नारायण सिंह देवल** (रानीवाड़ा) : क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जालोर जिले में वर्ष 2008-09 से 2015-16 तक कितने कृषकों को कितनी राशि का ब्याज-मुक्त सहकारी ऋण उपलब्ध करवाया गया? तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री नारायण सिंह देवल)

(2) उक्त ब्याज-मुक्त ऋण से कितनी राशि का किसानों को लाभ हुआ? तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 2012-13 से पहले किस दर से ब्याज लिया जाता था? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2008-09 से 2015-16 तक कृषक सदस्यों को वितरित अल्पकालीन फसली ऋण की विगत परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) उक्त ब्याज-मुक्त ऋण योजनान्तर्गत किसानों को ब्याज सहायता राशि रुपये 7,729.53 लाख का लाभ हुआ। तहसीलवार लाभान्वित कृषकों एवं उन्हें दी गयी ब्याज सहायता की विगत परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) वर्ष 2012-13 से पूर्व प्रभारित ब्याज दर का विवरण निम्नानुसार है :-

वर्ष	सामान्य ब्याज दर	ब्याज सहायता	समय पर ऋण चुकाने वाले कृषकों के लिये ब्याज दर
2009-10	7 प्रतिशत	1 प्रतिशत	6 प्रतिशत
2010-11	7 प्रतिशत	2 प्रतिशत	5 प्रतिशत
2011-12	7 प्रतिशत	3 प्रतिशत	4 प्रतिशत

परिशिष्ट-1

जालोर जिले में वर्ष 2008-09 से वर्ष 2015-16 के दौरान कृषकों को ब्याज मुक्त सहकारी ऋण वितरण अन्तर्गत विवरण का वर्षवार विवरण

(राशि लाखों में)

तहसील का नाम	2008-09		2008-09		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14		2014-15		2015-16 (फरवरी 2016 तक)	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
रानीवाड़ा	6549	1045.43	3893	1055.62	8841	2414.27	8448	3273.8	11296	5157.46	13728	6808.03	15474	8486.17	14821	8478.01
बागोडा	4636	3212.86	4327	2777.88	5303	4291.29	5038	3207.83	8057	5400.71	9001	7182.93	8840	8155.97	9189	8434.19
भीनमाल	3167	2353.61	3296	2328.55	5303	3706.13	6336	4103.58	2509	2686.12	2798	2991.79	2801	3899.28	2861	3625.1
जसवंतपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	5742	3520.66	6161	4711.26	9670	5171.7	8359	4686.11
जालोर	5851	2164.8	6748	2215.56	8489	4317.14	10053	4239.59	6275	8119.94	8516	15523.55	11800	12006.69	12135	8821.65
चितलवाना	0	0	0	0	2796	836.15	5839	1949.76	3682	2680.61	6848	2865.01	7843	4549.44	7060	7479.78
सायला	5234	2055.28	6086	2156.77	6725	4102.9	7652	4703.74	9542	7155.27	9158	8189.49	10071	8963.69	9528	12105.05
सांचौर	8274	2456.65	9229	2565.8	11143	4898.66	11502	5474.41	11427	6192.03	12326	7726.54	13249	8216.06	13202	9822.6
आहोर	8507	2302.49	7626	2036.12	17327	4622.33	16170	5131.46	13344	8882.36	12465	10131.62	14443	12854.84	14385	11499.87
योग	**42218**	**15591.12**	**41205**	**15136.3**	**65927**	**29188.87**	**71038**	**32084.17**	**71874**	**49795.16**	**81001**	**66130.22**	**94191**	**72303.84**	**91540**	**74952.36**

संयुक्त रजिस्ट्रार (बैंकिंग)
सहकारी समितियां राज.
जयपुर

परिशिष्ट-2

वर्ष 2012-13 से वर्ष 2015-16 के दौरान ब्याज मुक्त फसली ऋण योजनान्तर्गत ब्याज सहायता राशि का विवरण

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	तहसील का नाम	ब्याज मुक्त फसली ऋण योजनान्तर्गत ब्याज सहायता राशि का विवरण				Total
		2012-13	2013-14	2014-15	2015-16 (फरवरी 2016 तक)	
1	रानीवाड़ा	154.88	198.52	246.86	148.51	748.77
2	बागोड़ा	113.84	174.94	183.05	215.82	687.65
3	भीनमाल	122.08	194.76	169.97	123.91	610.72
4	जसवंतपुरा	61.74	88.29	89.78	20.94	260.75
5	जालोर	176.98	269.09	295.1	317.09	1058.26
6	चितलवाना	143.94	209.95	214.43	132.09	700.41
7	सायला	234.25	377.51	389.9	196.11	1197.77
8	सांचौर	246.8	329.08	323.12	182.92	1081.92
9	आहोर	258.48	379.45	402.24	343.11	1383.28
	योग	**1512.99**	**2221.59**	**2314.45**	**1680.5**	**7729.53**

संयुक्त रजिस्ट्रार (बैंकिंग)
सहकारी समितियां राज.
जयपुर

मुहाना गृह निर्माण सहकारी समिति की सचिवालय नगर योजना का नियमन

536. **श्री घनश्याम** (टोडाभीम) : क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या मुहाना गृह निर्माण सहकारी समिति की टोंक रोड, जयपुर स्थित योजना सचिवालय नगर का नक्शा जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन के पश्चात् जारी कर दिया गया है? यदि हां, तो नक्शा सदन की मेज पर रखें? यदि नहीं, तो नक्शा जारी नहीं होने के क्या कारण रहे? उक्त नक्शे पर किन-किन अधिकारियों ने हस्ताक्षर किये तथा किन-किन अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर नहीं किये गये व क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री घनश्याम)

(2) उक्त योजना में कितने भूखण्डधारी हैं तथा कितने भूखण्डधारियों को कब्जा दिया जा चुका है व कितने शेष है? क्या सरकार शेष भूखण्डधारियों को कब्जा दिलवाने एवं योजना का नियमन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त योजना के भू-खण्डधारियों को गत 12-13 वर्षों से भू-खण्ड का कब्जा नहीं मिला है? यदि हां, तो क्यों?

(4) उक्त योजना के भूखण्डधारियों को कब्जा नहीं देने एवं नियमन नहीं होने के लिए कौन-कौनसे अधिकारी दोषी हैं? क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। मुहाना गृह निर्माण सहकारी समिति की टोंक रोड, जयपुर स्थित योजना सचिवालय नगर का नक्शा जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भू.सं. 1 से 740 तक के भूखण्डों के अनुमोदन पश्चात् जारी कर दिया गया है। नक्शे की प्रति परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है। नक्शे पर तहसीलदार, उपायुक्त जोन एवं सहायक नगर नियोजक, उप नगर नियोजक एवं वरिष्ठ नगर नियोजक के हस्ताक्षर किये गये हैं। मानचित्र पर हस्ताक्षर होने वाले सभी अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किये गये हैं। परन्तु शेष 63.156 हैक्टेयर भाग की 90-बी की कार्यवाही माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर द्वारा निर्णय दिनांक 24.06.2014 द्वारा निरस्त की जा चुकी है, जिसके विरुद्ध राजस्थान रेवेन्यू बोर्ड में निगरानी दायर की हुई है।

(2) समिति द्वारा वर्ष 2003-04 में 660 भूखण्डधारियों को जे डी ए पट्टे जारी करवाकर कब्जा दिलवाया जा चुका है। समिति की 63.156 हैक्टेयर जमीन की 90-बी संभागीय आयुक्त, जयपुर द्वारा खारिज करने तथा विभिन्न न्यायालयों में कई भूखण्डों के सम्बन्ध में विवाद न्यायिक समीक्षाधीन होने के कारण भूखण्डधारियों की अंतिम सूची तैयार नहीं की जा सकी है। न्यायालयों द्वारा निर्णय के उपरान्त ही शेष भूखण्डधारियों को कब्जा दिलवाने एवं योजना के नियमन की कार्यवाही न्यायिक निर्णयानुसार सम्भव हो सकेगी।

(3) समिति की 63.156 हैक्टेयर जमीन की 90बी संभागीय आयुक्त,

(सहकारिता राज्य मंत्री)

जयपुर द्वारा खारिज करने तथा विभिन्न न्यायालयों में कई भूखण्डों के सम्बन्ध में विवाद न्यायिक समीक्षाधीन होने के कारण उक्त भूमि से सम्बन्धित भूखण्डधारियों को कब्जा नहीं मिला है।

(4) उक्त योजना के सम्बन्ध में राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा-55 के तहत जांच करवाई गई है। जांच रिपोर्ट परीक्षणाधीन है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

कृषि बहुउद्देशीय सहकारी समितियों की ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर स्थापना

537. श्री अमृतलाल (सलूम्बर) : क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार प्रदेश के सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर कृषि बहुउद्देशीय सहकारी समितियां खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

कृषि बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के गठन हेतु प्रस्ताव प्राप्त होने पर तथा निर्धारित मानदण्ड पूर्ण करने पर अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में नियमानुसार गठन किया जाता है। गठन के मानदण्ड परिशिष्ट-1 पर संलग्न हैं।

परिशिष्ट-1

मंत्रिमंडल की आज्ञा डी.124/मं.मं./2011 दिनांक 21.09.11 राज्य में जीएसएसएस गठन के मानदण्ड संबंधी विभागीय आदेश दिनांक 26.9.11 के अनुसार

(जैसलमेर जिले के आई.जी.एन.पी. (सी.ए.डी.) क्षेत्र को छोड़कर)

1. ग्राम सेवा सहकारी समिति का कार्यक्षेत्र कम से कम एक सम्पूर्ण ग्राम पंचायत होगा।
2. नव गठित समिति की न्यूनतम सदस्य संख्या 500 होगी।
3. न्यूनतम हिस्सा राशि रुपये 5.00 लाख होगी।
4. सामान्य क्षेत्रों में सदस्यों से न्यूनतम अमानत 1.00 लाख रुपये तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में अमानत राशि 75000.00 रुपये होगी।

5. किसी भी एक ग्राम पंचायत में दो ग्राम सेवा सहकारी समितियां नहीं होगी।
6. नई समितियों में फर्नीचर व फिक्सचर्स हेतु 50,000/- रुपये पैक्स विकास कोष से दिया जायेगा।

मंत्रिमंडल की आज्ञा संख्या डी. 125/मं.मं./2013 दिनांक 27.6.2013 (जैसलमेर जिले के आई.जी.एन.पी. (सी.ए.डी.) द्वितीय चरण हेतु ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन के मानदण्डों में शिथिलीकरण आदेश दिनांक 11.7.13)

1. नव गठित समिति की न्यूनतम सदस्य संख्या 500 होगी।
2. न्यूनतम हिस्सा राशि रुपये 5.00 लाख होगी।
3. सदस्यों से न्यूनतम अमानत रु. 1.00 लाख तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में अमानत राशि रु. 75000.00 होगी।
4. किसी भी एक ग्राम पंचायत में एकाधिक ग्राम सेवा सहकारी समितियां गठित की जा सकेंगी।
5. नई प्रस्तावित ग्राम सेवा सहकारी समिति पूर्व गठित ग्राम सेवा सहकारी समिति के 10 किलोमीटर के क्षेत्र में स्थापित नहीं की जा सकेगी।
6. नवगठित सहकारी समिति के कार्यक्षेत्र में कम से कम 1000 हैक्टेयर सिंचित भूमि होगी।
7. नई समितियो में फर्नीचर व फिक्सचर्स हेतु 50.000/- रुपये पैक्स विकास कोष से दिया जायेगा।

उपरोक्त मानदण्डों के अनुसार ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में निम्नानुसार अधिकारियों की समिति विचार कर प्रस्ताव स्वीकृति हेतु पंजीयक, सहकारी समितियां, राजस्थान जयपुर को प्रेषित करेंगी :-

1.	जिला कलेक्टर	अध्यक्ष
2.	प्रबंध संचालक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि.	सदस्य
3.	मुख्य कार्यकारी, जिला परिषद	सदस्य
4.	उप/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां	सदस्य सचिव

संयुक्त रजिस्ट्रार (आयोजना)
सहकारी समितियां, राज., जयपुर

खानपुर में प्लांटेशन के कार्यों पर व्यय राशि

538. श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) झालावाड़ जिले के विधान सभा क्षेत्र खानपुर में वित्तीय वर्ष 2014-15 में क्या-क्या प्लांटेशन के काम कितनी-कितनी राशि के किये गये? ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2015-16 में कहां-कहां कौन -कौनसे कार्य कितनी-कितनी राशि के किये जा रहे हैं तथा उन पर कितनी-कितनी राशि व्यय की जा रही है? कार्यवार व्यय राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) झालावाड़ जिले के विधान सभा क्षेत्र खानपुर में वित्तीय वर्ष 2014-15 में विभाग द्वारा कराए गए वृक्षारोपण एवं अग्रिम मृदा कार्य और उन पर किये गये व्यय का ग्रामवार विवरण परिशिष्ट-"ए" पर संलग्न है।

(2) उक्त क्षेत्र में विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में कराए जा रहे वृक्षारोपण एवं अग्रिम मृदा कार्य और उन पर संभावित व्यय का ग्रामवार व कार्यवार विवरण परिशिष्ट-"बी" पर संलग्न है।

परिशिष्ट-ए

विधान सभा क्षेत्र खानपुर में वर्ष 2014-15 में अग्रिम मृदा कार्य/वृक्षारोपण कार्यों पर किये गए व्यय का विवरण

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कार्य का प्रकार अग्रिम मृदा कार्य/ वृक्षारोपण कार्य	क्षेत्रफल (है. में)	व्यय राशि (लाखों में)
1	शिवनगरढाणी	वृक्षारोपण कार्य	55	9.93
2	खेडी बोसर	वृक्षारोपण कार्य	50	4.99
3	हीचर	वृक्षारोपण कार्य	50	3.25
4	बडबेला	वृक्षारोपण कार्य	40	6.35
5	हुसैनटेकरी	वृक्षारोपण कार्य	50	7.38
6	मुण्डेरी	वृक्षारोपण कार्य	30	5.46
7	शिवनगर ढाणी	अग्रिम मृदा कार्य	50	15.41

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कार्य का प्रकार अग्रिम मृदा कार्य/ वृक्षारोपण कार्य	क्षेत्रफल (है. में)	व्यय राशि (लाखों में)
8	कुण्डीखेडा	अग्रिम मृदा कार्य	50	14.99
9	सांवलपुरा	अग्रिम मृदा कार्य	50	10.91
10	गोविन्दपुरा	अग्रिम मृदा कार्य	50	10.89
11	काल्याखेडी	अग्रिम मृदा कार्य	50	10.91
12	गरवाडा	अग्रिम मृदा कार्य	50	10.90
13	हरीगढ	अग्रिम मृदा कार्य	50	10.91
14	ईरली	अग्रिम मृदा कार्य	50	10.91
15	पीपल्यातालाब	अग्रिम मृदा कार्य	50	10.38
16	बैसार	अग्रिम मृदा कार्य	50	10.33
17	बिसलाई	अग्रिम मृदा कार्य	50	10.35
18	शिवनगरढाणी	अग्रिम मृदा कार्य	50	10.38
19	चांपाखुर	अग्रिम मृदा कार्य	50	10.14
20	चौकटा	अग्रिम मृदा कार्य	50	9.95
21	जेतपुरा	अग्रिम मृदा कार्य	50	13.80
		योग	**1025**	**208.52**

परिशिष्ट–ब

विधान सभा क्षेत्र खानपुर में वर्ष 2015-16 में अग्रिम मृदा कार्य/वृक्षारोपण कार्यों पर संभावित व्यय का विवरण

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कार्य का प्रकार अग्रिम मृदा कार्य/ वृक्षारोपण कार्य	क्षेत्रफल (है. में)	व्यय राशि (लाखों में)
1	शिवनगर ढाणी	वृक्षारोपण कार्य	55	10.305
2	कुण्डीखेडा	वृक्षारोपण कार्य	50	10.305
3	सांवलपुरा	वृक्षारोपण कार्य	50	10.306
4	गोविन्दपुरा	वृक्षारोपण कार्य	50	10.306
5	काल्याखेडी	वृक्षारोपण कार्य	50	10.306
6	गरवाडा	वृक्षारोपण कार्य	50	10.306

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कार्य का प्रकार अग्रिम मृदा कार्य/ वृक्षारोपण कार्य	क्षेत्रफल (है. में)	व्यय राशि (लाखों में)
7	हरीगढ़	वृक्षारोपण कार्य	50	10.306
8	ईरली	वृक्षारोपण कार्य	50	10.306
9	पीपल्यातालाब	वृक्षारोपण कार्य	50	5.614
10	बैसार	वृक्षारोपण कार्य	50	5.614
11	बिसलाई	वृक्षारोपण कार्य	50	5.614
12	शिवनगरढाणी	वृक्षारोपण कार्य	50	5.614
13	चापाखुर	वृक्षारोपण कार्य	50	3.897
14	चौकटा	वृक्षारोपण कार्य	50	3.898
15	जैतपुरा	वृक्षारोपण कार्य	50	3.89
16	डगारिया	अग्रिम मृदा कार्य	50	17.42
17	देवपुरा	अग्रिम मृदा कार्य	13.28	4.95
18	गोलाना	अग्रिम मृदा कार्य	40	14.92
19	सारोला	अग्रिम मृदा कार्य	51.51	16.04
20	सारोला	अग्रिम मृदा कार्य	50	15.54
21	चितावा	अग्रिम मृदा कार्य	50	16.64
22	गरवाडा	अग्रिम मृदा कार्य	50	16.64
23	गोपालपुरा	अग्रिम मृदा कार्य	50	16.64
24	हरीगढ़	वर्ष 2014-15 के अवशेष अग्रिम मृदा कार्य	50	3.25
25	ईरली	वर्ष 2014-15 के अवशेष अग्रिम मृदा कार्य	50	3.71
26	सांवलपुरा	वर्ष 2014-15 के अवशेष अग्रिम मृदा कार्य	50	3.23
27	गोविन्दपुरा	वर्ष 2014-15 के अवशेष अग्रिम मृदा कार्य	50	3.11
28	काल्याखेडी	वर्ष 2014-15 के अवशेष अग्रिम मृदा कार्य	50	2.94
29	गरवाडा	वर्ष 2014-15 के अवशेष अग्रिम मृदा कार्य	50	3.11

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कार्य का प्रकार अग्रिम मृदा कार्य/ वृक्षारोपण कार्य	क्षेत्रफल (है. में)	व्यय राशि (लाखों में)
30	पीपल्यातालाब	वर्ष 2014-15 के अवशेष अग्रिम मृदा कार्य	50	4.22
31	बैसार	वर्ष 2014-15 के अवशेष अग्रिम मृदा कार्य	50	3.83
32	बिसलाई	वर्ष 2014-15 के अवशेष अग्रिम मृदा कार्य	50	4.16
33	शिवनगरढाणी	वर्ष 2014-15 के अवशेष अग्रिम मृदा कार्य	50	3.35
34	चांपाखुर	वर्ष 2014-15 के अवशेष अग्रिम मृदा कार्य	50	4.25
35	चौकटा	वर्ष 2014-15 के अवशेष अग्रिम मृदा कार्य	50	3.31
		योग	**1704.79**	**277.847**

जयपुर में वायु प्रदूषण को कम करने की कार्ययोजना

539. **डा. किरोड़ी लाल** (लालसोट) : क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर में सर्वेक्षण के अनुसार वायु प्रदूषण 155 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर है, जो कि दिल्ली की तुलना में ज्यादा है? यदि हां, तो वायु प्रदूषण को कम करने के सरकार द्वारा क्या-क्या उपाय किये गये?

(2) वायु प्रदूषण 155 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर होने से मानव जीवन पर क्या-क्या प्रभाव पड़ता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पिछले दिनों राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा मोबाइल वैन पर स्थापित उपकरण की तकनीकी व्यावहारिकता एवं सम्भाव्यता का आकलन करने के लिए जयपुर शहर में विभिन्न स्थानों पर लघु समयावधि की परिवीक्षा प्रायोगिक तौर पर जनवरी, 2016 में 3 दिन की अवधि के दौरान की गई थी, जिसमें पार्टिकुलेट मैटर पीएम$_{2.5}$ एवं पीएम$_{10}$ की

(पर्यावरण राज्य मंत्री)

औसत मात्रा क्रमशः 77.1 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तथा 140 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पायी गई। इस जांच में एक स्थान पर औसतन 20 से 30 मिनट की अवधि के लिए वायु परिवीक्षा करवाई गई। यहां यह उल्लिखित करना उचित होगा कि पार्टिकुलेट मैटर के लिए निर्धारित मानक 24 घण्टे की अवधि की परिवीक्षा पर आधारित हैं। लघु समयावधि की परिवीक्षा के परिणामों की 24 घण्टे की अवधि के लिए निर्धारित मानकों से तुलना कर निष्कर्ष पर पहुंचना युक्ति-युक्त नहीं है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के सहयोग से राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता अनुश्रवण कार्यक्रम के अन्तर्गत जयपुर में छह स्थानों पर नियमित रूप से परिवेशी वायु गुणवत्ता का अनुश्रवण किया जा रहा है। जयपुर में उक्त स्टेशनों के विगत 5 वर्षो के वार्षिक जांच परिणामों के अनुसार गैसीय प्रदूषक यथा सल्फर डाई ऑक्साइड (SO_2) एवं नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड (NO_2) की औसत मात्रा सामान्यतः निर्धारित मानकों के अनुरूप है, जबकि धूलीय कणों यथा पार्टिक्यूलेट मैटर (PM_{10}) की वार्षिक औसत मात्रा भारत सरकार द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों से अधिक पायी गई है।

परिवेशी वायु गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारकों यथा वाहनों से उत्सर्जित गैस एवं सूक्ष्म कण, सड़क पर फैली धूल के उड़ने, निर्माण सम्बन्धित गतिविधि, खुले में कचरा जलाने, फसलों के अवशेष जलाने, होटल व रेस्टोरेंट में कोयला व केरोसीन जलाने, इत्यादि को रोकने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा दिनांक 18.01.2016 को स्थानीय निकाय विभाग, कृषि विभाग, नगरीय विकास विभाग, परिवहन विभाग तथा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु लिखा गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि पर्यावरण विभाग ने कृषि अवशिष्ट को खुले में जलाना आदेश क्रमांक एफ 12(1) पर्या./2015 दिनांक 27.08.2015 द्वारा प्रतिबंधित किया है।

(2) वायु प्रदूषण निर्धारित मानकों से अधिक होने पर श्वसन सम्बन्धित रोग होने की संभावना रहती है।

माइनिंग पालिसी 2015 लागू करने की योजना

540. श्रीमती सुशील कंवर (मसूदा) : क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्रीमती सुशील कंवर)

(1) सरकार द्वारा प्रदेश में माइनिंग पॉलिसी-2015 कब तक लागू करना प्रस्तावित है? प्रस्तावित पॉलिसी में रजिस्ट्रेशन के लिए निर्धारित अमानत राशि का श्रेणीवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अमानत राशि होने से ठेकेदार द्वारा बजरी की विक्रय दर पर नियंत्रण के लिए क्या प्रावधान किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 व 2015-16 में बजरी खनन के कितने पट्टे जारी किये गये हैं? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) खनन पट्टा क्षेत्र में बजरी के अभाव में खातेदारी भूमि से निर्गमित तथा विक्रय होने वाली बजरी पर क्या कार्यवाही करने का प्रावधान है? गत दो वर्षों में सरकार को खनन क्षेत्र से बाहर बजरी के खनन एवं विक्रय से कितने-कितने राजस्व की प्राप्ति हुई? यदि नहीं, तो इस राजस्व हानि के लिए उत्तरदायी कर्मचारी अथवा अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार खनन पट्टा क्षेत्र में गैर-मुमकिन नदी-नालों के अलावा खातेदारी भूमि से निर्गमित बजरी खनन हेतु वर्ष 2016-17 में निविदा आमंत्रित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1). विभाग द्वारा राजस्थान खनिज नीति 2015 दिनांक 04.06.2015 को जारी की गई है। अतः इसके अन्तर्गत अप्रधान खनिज रियायत नियम (नवीन) बनाये जाना शासन स्तर पर प्रक्रियाधीन है। नियम जारी होने के पश्चात् ठेकेदारों के रजिस्ट्रेशन एवं अमानत राशि बाबत स्पष्ट हो सकेगा।

(2) खण्ड-1 में अंकित अनुसार खनिज बजरी के विनिमय बाबत स्पष्ट हो सकेगा। राज्य सरकार द्वारा बजरी दरों के निर्धारण बाबत जारी माल अधिनियम, 2014 की अधिसूचना दिनांक 07.02.2014 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थगित कर दिये जाने से बजरी की विक्रय दरों पर राज्य का नियंत्रण नहीं है। अमानत राशि का विक्रय दर से कोई सम्बन्ध नहीं है।

(3) विभाग द्वारा वर्ष 2014-15 व 2015-16 में आबंटित बजरी खनन पट्टों का जिलेवार संख्या विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है। इसके

(खान राज्य मंत्री)

अतिरिक्त, राज्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 25.11.13 के तहत भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय में लम्बित पूर्वानुमति आवेदन पत्रों के निस्तारण में समय लगने को देखते हुए 80 बजरी खनन पट्टा हेतु मंशा पत्र धारकों को खनन अनुमति प्रदान की गई थी, जिसके तहत 53 मंशा पत्र धारकों द्वारा अस्थाई कार्यानुमति के तहत खनन कार्य किया जा रहा है।

(4) खनन पट्टा क्षेत्र एवं कार्यानुमति क्षेत्र के अलावा खातेदारी अथवा राजकीय भूमि से बजरी खनन एवं निर्गमन पर खनिज रियायत नियमावली, 1986 के नियम 48 के अन्तर्गत कार्यवाही करने का प्रावधान है। गत दो वर्षो में बजरी के अवैध खनन निर्गमन स्टॉक से कुल 12.21 करोड़ रुपये की आय प्राप्त हुई।

(5) खण्ड-1 में अंकित अनुसार नवीन नियम आने तक खनिज बजरी सहित अन्य सभी खनिजों के आबंटन पर शासन पत्र दिनांक 18.11.2015 से प्रतिबन्ध है तथा नवीन नियम आने पर तद्नुसार खनिज रियायत देने की कार्यवाही की जावेगी।

परिशिष्ट-1

राजस्थान सरकार

निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर।

खन पट्टों का जिलेवार विवरण

जिला बीकानेर वर्ष 2014-15

क्र. सं.	एम.एल. संख्या	नाम पट्टाधारी	खनिज	क्षेत्र	हैक्टेयर	रजिस्ट्रेशन तिथि	स्वीकृत अवधि	स्वीकृत तिथि	स्थिरभाटक
1	3/2004	मै. प्रेमलता गुप्ता	बजरी ग्रेवल	इन्दो का बाला/कोलायत/बीकानेर	2.25	19-05-2014	18.05.2034	09.05.2014	47,250/-
2	4/2014	मै. प्रेमलता गुप्ता	बजरी ग्रेवल	इन्दो का बाला/कोलायत/बीकानेर	2.00	19-05-2014	18.05.2034	09.05.2014	42,000/-

जिला जैसलमेर वर्ष 2014-15

क्र. सं.	एम.एल. संख्या	नाम पट्टाधारी	खनिज	क्षेत्र	हैक्टेयर	रजिस्ट्रेशन तिथि	स्वीकृत अवधि	स्वीकृत तिथि	स्थिरभाटक
1	30/2012	श्री शेरसिंह पुत्र श्री मंगलसिंह	बजरी	भैरवा नदी/जैसलमेर	32.00	26-12-2014	25.12.2019	04.08.2014	96,000/-
2	31/2012	श्री जीवराम सिंह पुत्र श्री फतेह सिंह	बजरी	नेडान-मदासर/जैसलमेर	40.00	24-12-2014	23.12.2019	04.08.2014	1,20,000/-

जिला बीकानेर वर्ष 2015-16

क्र.सं.	एम.एल. संख्या	नाम पट्टाधारी	खनिज	क्षेत्र	हैक्टेयर	रजिस्ट्रेशन तिथि	स्वीकृत अवधि	स्वीकृत तिथि	स्थिरभाटक
1	38/2004	श्री किशनलाल कुलरिया	बजरी ग्रेवल	हसेरा/ लूणकरणसर/ बीकानेर	2.0978	22-06-2015	21.06.2045	07.05.2015	62,934/-
2	13/2014	मै. जय बालाजी ग्रेवल सप्लायर्स	बजरी ग्रेवल	हसेरा/ लूणकरणसर/ बीकानेर	4.5001	11-09-2015	10.09.2045	04.09.2015	1,35,003/-

जिला नागौर वर्ष 2015-16

क्र. सं.	एम.एल. संख्या	नाम पट्टाधारी	खनिज	क्षेत्र	हैक्टेयर	रजिस्ट्रेशन तिथि	स्वीकृत अवधि	स्वीकृत तिथि	स्थिरभाटक
1	11/2014	श्री शिव कुमार	बजरी	कोड/ रियाबडी	1.8270	22-06-2015	21.06.2020	18.06.2015	54,810/-
2	30/2012	श्रीमती बाया देवी	बजरी	फिरोजपुरा	2.15	08-06-2015	07.06.2020	07.05.2015	64,731/-

ह.

अधीक्षण खनि अभियंता (मु. प्रथम)

सीकर जिले में श्रमिकों के बच्चों को उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति

541. श्री गोरधन (धोद) : क्या श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार को सीकर जिले में मार्च 2013 से दिसम्बर 2015 तक विभिन्न प्रकार के श्रमिकों के अध्ययनरत पुत्र-पुत्रियों से कक्षा 6 से 9 व 9 से 12 तक तथा उच्च शिक्षा में कितने आवेदन प्राप्त हुए तथा कितने छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार शेष छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) श्रम विभाग के अन्तर्गत भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल द्वारा सीकर जिले में मार्च 2013 से दिसम्बर 2015 तक मण्डल की शिक्षा सहायता (छात्रवृत्ति) योजना के अन्तर्गत कुल 2,307 आवेदन प्राप्त हुए तथा 667 छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्तियां प्रदान की गई हैं, जिनका उपखण्डवार विवरण परिशिष्ट-"1" पर संलग्न है। विधान सभा क्षेत्रवार सूचना संधारित नहीं की जाती है।

(2) मार्च 2013 से दिसम्बर, 2015 तक सीकर जिले में मण्डल की शिक्षा सहायता (छात्रवृत्ति) योजना में प्राप्त आवेदनों में से वर्तमान में कोई आवेदन लम्बित नहीं है। शेष आवेदन अधूरे होने या योजना की निर्धारित शर्तें व मापदण्ड पूरे नहीं करने के कारण अस्वीकृत किए जा चुके हैं।

परिशिष्ट-1

शिक्षा सहायता योजना के अन्तर्गत मार्च 2013 से दिसम्बर 2015 तक सीकर जिले में उपखण्डवार स्वीकृत व अस्वीकृत आवेदनों का विवरण

उपखण्डवार	प्राप्त				स्वीकृत			कुल
	कक्षा 6 से 8 तक	कक्षा 9 से 12 तक	उच्च शिक्षा	कुल	कक्षा 6 से 8 तक	कक्षा 9 से 12 तक	उच्च शिक्षा	
धोद	310	304	150	764	102	98	50	250
दांतारामगढ़	122	108	39	269	28	18	12	58
नीमकाथाना	62	51	28	141	18	16	11	45
खण्डेला	56	51	32	139	24	22	12	58
सीकर	105	88	72	265	54	46	32	132
लक्ष्मणगढ़	182	168	105	455	23	19	10	52
फतेहपुर	26	22	10	58	15	13	08	36
श्रीमाधोपुर	88	72	56	216	16	11	09	36
कुल	**951**	**864**	**492**	**2307**	**280**	**243**	**144**	**667**

ह.
अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव (श्रम)

श्रमिक की पुत्री के विवाह में देय सहायता

542. **श्री रतन लाल जलधारी** (सीकर) : क्या श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा श्रमिक की बेटी की शादी में सहायतार्थ राशि देने हेतु कोई योजना बनाई गई है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना में लाभान्वित होने के लिए क्या-क्या शर्तें एवं नियम निर्धारित किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त योजनान्तर्गत लाभान्वित होने के लिए शिक्षा की अनिवार्यता भी निर्धारित की गई है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार शिक्षा की अनिवार्यता में शिथिलता देकर श्रमिक की बेटी को मिलने वाली सहायतार्थ राशि देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य के भवन एवं अन्य संनिर्माण कल्याण मण्डल द्वारा "हिताधिकारी की पुत्री/महिला हिताधिकारी के स्वयं के विवाह हेतु सहायता योजना" के स्थान पर 1 जनवरी, 2016 से "शुभशक्ति योजना" लागू की गई है। योजना की प्रति परिशिष्ट-"क" पर संलग्न है।

(2) मण्डल की शुभशक्ति योजना के अन्तर्गत लाभान्वित होने के लिए पात्रता एवं शर्तें निम्न प्रकार हैं :-

1. लड़की के पिता या माता अथवा दोनों, कम से कम एक वर्ष से मण्डल में पंजीकृत हिताधिकारी/निर्माण श्रमिक हों;
2. हिताधिकारी की अधिकतम दो पुत्रियों अथवा महिला हिताधिकारी को और उसकी एक पुत्री को प्रोत्साहन राशि देय होगी;
3. महिला हिताधिकारी अविवाहिता हो अथवा हिताधिकारी की पुत्री की आयु न्यूनतम 18 वर्ष पूर्ण हो गई हो तथा वह अविवाहिता हो;
4. हिताधिकारी की पुत्री/महिला हिताधिकारी कम से कम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण हो;
5. हिताधिकारी की पुत्री/महिला हिताधिकारी के नाम से बचत बैंक खाता हो;

(श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री)

6. हिताधिकारी का स्वयं का आवास होने की स्थिति में, आवास में शौचालय हो;
7. आवेदन की तिथि से पूर्व के एक वर्ष की अवधि में हिताधिकारी कम से कम 90 दिन निर्माण श्रमिक के रूप में कार्यरत रहा हो;
8. प्रोत्साहन राशि हिताधिकारी के निर्माण श्रमिक होने के भौतिक सत्यापन की शर्त पर ही देय होगी। निर्माण श्रमिक होने का सत्यापन तहसीलदार, विकास अधिकारी, सहायक व उच्च अभियन्ता, सरकारी माध्यमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक अथवा अन्य राजपत्रित अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा;
9. प्रोत्साहन राशि का उपयोग महिला हिताधिकारी/पुत्री के विवेक के अनुसार आगे शिक्षा या व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने, स्वयं का व्यवसाय प्रारम्भ करने, कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त करने, आदि में तथा स्वयं के विवाह हेतु उपयोग में लिया जाएगा; एवं
10. योजना का हितलाभ प्राप्त करने के लिए हिताधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन, पंजीकृत हिताधिकारी के रूप में एक वर्ष पूरा होने के पश्चात्, प्रस्तुत किया जाएगा। परन्तु यह आवश्यक होगा कि योजना का आवेदन प्रस्तुत करने के समय हिताधिकारी का परिचय-पत्र वैध/एक्टिव हो।

(3) योजना के अन्तर्गत पात्रता व शर्तों में लड़की का 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक रखा गया है।

(4) चूंकि योजना हाल ही में प्रारम्भ की गई है, अतः निर्धारित 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होने की शर्त में शिथिलता देने का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या 379 की सूची)

परिशिष्ट–ए

मुकन्दरा हिल्स टाइगर रिजर्व कोर एरिया में बसे हुए गांवों की सूची

क्र.सं.	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत	तहसील	जिला
1.	खडली बावरी	भंवरिया	लाडपुरा	कोटा
2.	रूपपुरा	बोराबास	लाडपुरा	कोटा
3.	लक्ष्मीपुरा	भंवरिया	लाडपुरा	कोटा
4.	गिरधरपुरा	डोलिया	लाडपुरा	कोटा
5.	दामोदरपुरा	भंवरिया	लाडपुरा	कोटा
6.	कोलीपुरा	बोराबास	लाडपुरा	कोटा
7.	मुकन्दरा (दरा गांव)	पीपल्दा	रामगंजमण्डी	कोटा
8.	अखावा (भुकी)	बोराबास	लाडपुरा	कोटा
9.	घाटी	कुकडाखुर्द	रामगंजमण्डी	कोटा
10.	रोजा का तालाब	धनेश्वर	बून्दी	बून्दी
11.	मशालपुरा	गागरोन	झालरापाटन	झालावाड़
12.	नारायणपुरा	गागरोन	झालरापाटन	झालावाड़
13.	अम्बा रानी	भैंसरोडगढ़	रावतभाटा	चित्तौड़गढ़
14.	नोसेरा	श्रीपुरा	रावतभाटा	चित्तौड़गढ़
15.	भैंसरोड़गढ़	भैंसरोड़गढ़	रावतभाटा	चित्तौड़गढ़
16.	जवाहर सागर	जवाहर सागर	बून्दी	बून्दी

नोट:- कमांक संख्या 15 व 16 को विस्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

परिशिष्ट-2

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं, जिन्हें पढ़ा हुआ माना गया

किशनगंज-शाहबाद में लम्बित सिंचाई परियोजनाओं की स्वीकृति

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि बारां जिले का विधान सभा क्षेत्र किशनगंज-शाहबाद पूर्णतया कृषि उपज पर निर्भर करता है, लेकिन पर्याप्त सिंचाई के अभाव में क्षेत्र में प्रति हैक्टेयर उपज तुलनात्मक रूप से काफी कम निकलती है। मेरे विधानसभा क्षेत्र किशनगंज-शाहबाद में कई वर्षों से लम्बित सिंचाई परियोजनाओं में से सबसे पहले मैं शाहबाद तहसील की नवेली व अन्य सिंचाई परियोजनाओं का जिक्र करना चाहूंगा।

1. नवेली सिंचाई परियोजना:- यह परियोजना मध्य प्रदेश के ग्राम बिलासपुर और राजस्थान प्रदेश के ग्राम मांडाज की पहाड़ियों से निकले नाले पर ग्राम रामपुर के पास तहसील शाहबाद, जिला बारां में प्रस्तावित है। इस परियोजना से ग्राम बलारपुर, घेसुवा, ढिकवानी, रताई कला, बिलारी के कुल 614 हैक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी।

पूर्व में इस योजना की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1984 में हुई थी, परन्तु योजना में डूब क्षेत्र में 140.02 हैक्टेयर वन भूमि आने के कारण वन विभाग द्वारा वर्ष 1987 में कार्य पर रोक लगा दी गई। इस पर उक्त योजनान्तर्गत 18.05 लाख रुपये का व्यय हो चुका है, जिसमें मुख्य बांध का कार्य किया गया था। राज्य सरकार के द्वारा इस परियोजना के लिए दिनांक 19.11.2001 को जारी पत्र के माध्यम से 199.20 लाख रुपये की पुन: प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई थी।

इस परियोजना के सकल जलग्रहण क्षेत्र 20.75 वर्ग कि.मी. में से 18.25 वर्ग कि.मी. क्षेत्र राजस्थान व 2.50 वर्ग कि.मी. क्षेत्र मध्य प्रदेश के अन्तर्गत आता है तथा इस पर बनने वाले बांध की कुल लम्बाई 1,255 मीटर है। वर्तमान में परियोजना लागत रिपोर्ट बी.एस.आर. 2011 के अनुसार अपडेट हो जाने पर परियोजना का बी.एस.आर.-2011 के आधार पर पुन: आकलन करवाया गया, जो कि राशि 1,913.29 लाख रुपये है। पुन: परियोजना का तखमीना बी.एस.आर. 2014 के अनुसार तैयार करने की कार्यवाही प्रगति पर है।

2. राडी लघु सिंचाई परियोजना:- राडी लघु सिंचाई परियोजना बारां जिले की तहसील शाहबाद के ग्राम ढिकवानी के पास बीजाखाल नदी पर प्रस्तावित है। इस बांध के बन जाने पर सीताबाड़ी सिस्टम रिचार्ज होगा। आदिवासियों का महाकुंभ एवं लाखों लोगों की आस्था का केन्द्र सीताबाड़ी जो एक धार्मिक स्थल है, को पर्यटन हेतु विकसित करने में भी मददगार साबित होगी।

परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने पर वर्तमान में बी.सी.आर. 2014 के अनुसार अनुमानित लागत 2,083.00 लाख (बिना एन.पी.वी.) एवं 3,379.00 लाख एन.पी.वी. सहित है। इस परियोजना का सकल जलग्रहण क्षेत्र 47.47 वर्ग कि.मी. है तथा इस पर बनने वाले बांध की कुल लम्बाई 2,550 मीटर है। परियोजना के निर्माण से पहाड़ी, ऊनी, हथवारी, केलवाडा, खिरीया, आदि गांव लाभान्वित होंगे।

3. छोटा जिन्ना तालाब देवरी:- बारां जिले के तहसील शाहबाद में ग्राम देवरी के पास लोकल नाले पर परियोजना का निर्माण प्रस्तावित है। इस परियोजना से सड़, देवरी, बीलखेड़ा माल एवं घोघरा गांव लाभान्वित होंगे। परियोजना की डी पी आर हेतु, विस्तृत सर्वेक्षण हेतु 3.17 लाख रुपये की राशि स्वीकृत करने की आवश्यकता है।

अत:, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि बारां जिले के किशनगंज-शाहाबाद क्षेत्र में वर्षों से लम्बित पड़ी सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृत करने की कृपा करें।

ललित कुमार

(किशनगंज)

अनूपगढ़ की घड़साना-रावला कच्ची बस्ती का नियमन

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे विधान सभा कार्यवाही संचालन नियम 295 के तहत बोलने का मौका दिया है, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, घड़साना ग्राम पंचायत 24 ए.एस.सी. व रावला ग्राम पंचायत 8 पी एस डी-बी में मण्डी समिति की जगह पर कई सालों से बस्तियां बस चुकी हैं जिनमें गरीब परिवार व बी पी एल परिवार के लोग रह रहे हैं, जिनको आज तक आवासीय पट्टे जारी नहीं किये गये हैं। पट्टों के अभाव के कारण इन बस्तियों में रह रहे गरीब परिवार सरकार की जन-

कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। उन्हें विद्युत कनेक्शन, पानी कनेक्शन व बी पी एल आवास जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है।

अतः, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि घड़साना-रावला में मण्डी समिति की जगह में बसी हुई कच्ची बस्तियों का शीघ्र ही नियमन कर गरीब परिवारों को पट्टे जारी किए जाएं, ताकि वहां पर बैठे लोग सरकार की जन-कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले पाएं।

शिमला बावरी

(अनूपगढ़)

श्रीडूंगरगढ़ के किसानों को ओलावृष्टि से क्षतिग्रस्त फसल का मुआवजा

मेरे विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़, जिला बीकानेर के आधा दर्जन से ज्यादा गांवों में पिछले दिनों हुई ओलावृष्टि से फसलों का शत-प्रतिशत नुकसान हो गया है। मैंने स्वयं दौरा करके देखा है कि ग्राम पुनरासर, समदसर माणकरासर, गुसाईसर बड़ा, बींझासर, राजपुरा, आदि गांवों में सरसों, मेथी, गेहूं, चना, प्याज, आदि की फसलें पूरी तरह से नष्ट होने के कारण किसानों की स्थिति दयनीय हो गई है। मान्यवर, यही नहीं, इस ओला प्रभावित क्षेत्र में खेजड़ी के पेड़ भी उखड़ गये हैं, कच्चे मकान व कच्ची झोंपडिया, आदि भी गिर गये हैं। ऐसी भयावह स्थिति को देखते हुए मुझे भी रोना आ गया।

अतः इस प्रस्ताव के तहत राज्य सरकार से मैं मांग करता हूं कि इस क्षेत्र में इन प्रभावित सभी गांवों का शत-प्रतिशत सर्वे करवाकर उन प्रभावित किसानों एवं गरीबों को मुआवजे के साथ-साथ रबी के फसल के बिल भी माफ किये जायें।

किशनाराम

(डूंगरगढ़)

डोडा पोस्त नशामुक्ति हेतु प्रयास एवं बंधाणियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था

मैं आपका ध्यान विधान सभा संचालन नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिये डोडा पोस्त के बंधाणियों की समस्या की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान अत्यन्त ही लोक हित के मुद्दे पर आकृष्ट करना चाहता हूं कि सरकार प्रदेश में डोडा पोस्त की बिक्री बन्द करने का निर्णय ले रही है। यह बात सही है, नशा चाहे कैसा भी हो बन्द होना चाहिए, हम सब की जिम्मेदारी है, लेकिन नशे को लेकर सरकार की दोहरी नीति गलत है। जहां सरकार प्रदेश में शराब को प्रोत्साहन करने की नीति अपना रही है; वर्तमान सरकार ने तो ऐसे आदेश निकाल दिये है, कि आप दो दर्जन शराब की बोतलें किसी भी समय घर पर रख सकते हों आप पर कोई केस दर्ज नहीं होगा। यह एक तरह से शराब को प्रोत्साहन ही देना है। वहीं दूसरी तरफ डोडा पोस्त को लेकर सरकार ज्यादा सक्रिय है। प्रदेश में ऐसे कई वृद्धजन हैं जो 30 वर्ष से अधिक समय से डोडा पोस्त का सेवन कर रहे हैं। उनको डोडा छुड़ाने का प्रयास करना मौत की ओर धकेलना है। यह कड़वा सच है। आम गरीब बंधाणियों को महंगे भावों से डोडा दिया जा रहा है, सरकारी रेट से कई गुना ज्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं।

मान्यवर, सरकार डोडा पोस्त छुड़ाने के लिए शिविर लगाये, युवा पीढ़ी को जागरुक करे, यह अच्छी बात है लेकिन हजारों बंधाणी ऐसे हैं जो सालों से सेवन कर रहे हैं। उनके लिए डोडा एक दवाई के रूप में कार्य कर रहा है; किसी भी हालत में डोडा छोड़ नहीं सकते। इसलिए सरकार चाहे तो दुबारा सर्वे करा ले, अथवा सरकार के पास सूची भी है; जो वृद्ध है, 50 की उम्र पार के हैं, वर्षों से सेवन कर रहे हैं, उनकी सरकारी स्तर पर डोडा पोस्त की व्यवस्था जारी रखें। आज बंधाणी तडफ रहा है, उनकी हालत खराब है। उनका यह दर्द है कि शराबी को सरकार राजस्व की बात करके प्रोत्साहन दे रही है, तो फिर हम कहां जायं?

अतः मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि प्रदेश में डोडा पोस्त की सरकारी दुकानें जारी रखते हुए, उन डोडा पोस्त बंधाणियों को डोडा उपलब्ध करावें। जो वृद्ध हैं, वर्षों से डोडा का सेवन कर रहे हैं, उनके लिए डोडा एक मेडिसिन है। मेरा निवदन है कि सरकार प्रयास करे, ये वृद्धजन व बंधाणी को डोडा पोस्त छुडाने के लिए नशा मुक्ति शिविर लगाये व प्रचार-प्रसार करे व जब तक ये छोड़ें, तब तक सरकार अपने स्तर पर वैकल्पिक व्यवस्था कर इन डोडा पोस्त बंधाणियों को राहत पहुंचाये।

मेवाराम जैन

(बाड़मेर)

शेरगढ़ में ग्राम सेवा सहकारी समितियों से वंचित ग्राम पंचायतों में समितियों का गठन

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सहकारिता विभाग द्वारा किसानों को उचित मूल्य पर खाद, बीज, खाद्य सामग्री, फसली ऋण, आदि उपलब्ध करवाने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन किया जाता है, लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में आज भी कई ग्राम पंचायतों ग्राम सेवा सहकारी समिति के गठन होने से वंचित हैं। ग्राम सेवा सहकारी समिति से वंचित ग्राम पंचायतों में नवीन ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन करने हेतु विभाग द्वारा सर्वे करने के आदेश भी जारी किये गये, लेकिन अधिकारियों की उदासीनता के कारण आज तक सर्वे रिपोर्ट नहीं आई है, जिसके कारण नवीन सेवा सहकारी समितियों का गठन नहीं हो पा रहा है।

प्रदेश में ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्राम सेवा सहकारी समितियां बनाने के लिए मरुस्थलीय क्षेत्रों में मापदण्डों में शिथिलता प्रदान करते हुए, हिस्सा पूंजी राशि 5 लाख के स्थान पर 2.50 लाख एवं सदस्यों की संख्या 500 के स्थान पर 250 की जाए। वर्तमान नियमानुसार एक ग्राम सेवा सहकारी समिति से अलग होकर यदि दूसरी नई ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन किया जाता है तो हिस्सा राशि 5 लाख एवं 500 नये सदस्य बनाने होते हैं, लेकिन जो नई ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन किया जाता है उसमें सदस्य भी वही होते हैं जो मूल ग्राम सेवा सहकारी समिति में थे। क्योंकि उस क्षेत्र के निवासी पहले से ही ग्राम सेवा सहकारी समिति के सदस्य बने हुए हैं, ऐसे में कोई भी व्यक्ति दुबारा सदस्य बनना नहीं चाहता है तथा न ही वह दुबारा हिस्सा पूंजी राशि जमा करवाना चाहता है। इस कारण विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ की ही नहीं, बल्कि प्रदेश की कई ग्राम पंचायतें आज भी ग्राम सेवा सहकारी समिति के गठन से वंचित हैं।

वर्तमान में जहां एक से अधिक ग्राम पंचायतों को मिलाकर ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं व उसमें से अलग होकर अन्य ग्राम पंचायत के लिए नवीन ग्राम सेवा सहकारी समिति गठन के लिए सर्वे करवाकर हिस्सा पूंजी व सदस्य संख्या अलग कर, कम पड़ने वाली हिस्सा पूंजी जमा कर व कम पड़ने वाले सदस्य बनाकर मानदण्ड पूर्ण करते हुए ग्राम सेवा सहकारी समिति से वंचित ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर समितियों का गठन किया जाएं, जिससे

कोई भी ग्राम पंचायत ग्राम सेवा सहकारी समिति के गठन होने से वंचित नहीं रहेगी।

विभाग द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समिति गठन से पूर्व ग्राम पंचायतों से समिति के लिए भूमि का पट्टा अनिवार्य होने के नियम पूर्ति के क्रम में समिति गठन से पूर्व भूमि का पट्टा मांगने का कोई औचित्य नहीं है, जबकि समिति गठन के पश्चात ग्राम पंचायत ग्राम सेवा सहकारी समिति को भूमि का पट्टा देने के लिए सहमत है। अतः समिति गठन से पूर्व भूमि का पट्टा होने की अनिवार्यता समाप्त करते हुए मानदण्ड में शिथिलता देने की आवश्यकता है।

विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ की पंचायत समिति बालेसर में 17, पंचायत समिति सेखाला में 13 एवं पंचायत समिति शेरगढ़ में 19 ग्राम पंचायतें आज भी ग्राम सेवा सहकारी समिति गठन से वंचित हैं।

अतः नवीन समितियों के गठन से पूर्व भूमि का पट्टा होने की अनिवार्यता समाप्त कर, मानदण्डों में शिथिलता देते हुए, विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ की पंचायत समिति बालेसर, सेखाला एवं शेरगढ़ में ग्राम सेवा सहकारी से वंचित ग्राम पंचायतों में नवीन ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन करवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करवाने का श्रम करावें।

बाबू सिंह

(शेरगढ़)

कुचामन सिटी में जिला स्तरीय औषधि भण्डार की स्थापना

नागौर जिला बहुत बड़ा जिला है। वर्तमान में जिला हैडक्वार्टर नागौर पर औषधि भण्डार है जिससे पूरे जिले को दवाइयां सप्लाई की जाती हैं। परबतसर, मकराना, नावां, कुचामनसिटी, डीडवाना व लाडनूं के लिए नागौर काफी दूर पड़ता है। वहां से दवाइयां लाने में समय व डीजल अधिक खर्च होता है। इस कारण इसे दो भागों में बांटने का प्रस्ताव चल रहा है। परबतसर, मकराना, नावां, कुचामनसिटी, डीडवाना एवं लाडनूं का मध्य स्थान कुचामन है। कुचामनसिटी में जिले का सर्वश्रेष्ठ 100 बेड का राजकीय सेठ राधाकृष्ण सारड़ा चिकित्सालय है। यहां यह डिपो बनने से सभी को सुविधा होगी। मेगा हाइवे एवं सड़कों का आवागमन यहां का अच्छा है तथा इस भण्डार के लिए यहां सुविधा भी उपलब्ध हो सकेगी।

आपसे अनुरोध है कि कुचामनसिटी में दूसरा जिला स्तरीय औषधि भण्डार स्थापित करावें। इसके लिए मैं विधान सभा प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं।

विजय सिंह

(नावां)

बड़ी सादड़ी में स्थायी न्यायालय की स्थापना

बड़ी सादड़ी विधान सभा क्षेत्र के उपखण्ड मुख्यालय बड़ी सादड़ी पर वर्तमान में सन् 2004 से अतिरिक्त जिला व सैशन न्यायाधीश, निम्बाहेड़ा का प्रत्येक 15 दिन की समयावधि में 2-2 दिन का कैम्प आयोजित होता है, जबकि बड़ी सादड़ी मुख्यालय पर प्रकरणों की संख्या निम्नानुसार बहुत अधिक है :-

क. सीनियर सिविल जज व अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बड़ी सादड़ी के न्यायालय में फौजदारी के 1,666 प्रकरण एवं सिविल के 1,458 प्रकरण लम्कित हैं;

ख. सिविल जज व न्यायिक मजिस्ट्रेट, बडी सादडी के न्यायालय में फौजदारी के 776 प्रकरण एवं सिविल के 305 प्रकरण लम्बित हैं;

ग. सिविल जज व न्यायिक मजिस्ट्रेड डूंगला के न्यायालय में फौजदारी के 965 प्रकरण एवं सिविल के 230 प्रकरण लम्बित हैं, एवं

वर्तमान में बड़ी सादड़ी मुख्यालय के न्यायालयों तथा डूंगला न्यायालय से सम्बन्धित अपर जिला एवं सैशन न्यायालय, निम्बाहेड़ा में 916 प्रकरण लम्बित हैं।

वर्तमान में डूंगला न्यायालय से सम्बन्धित प्रकरणों की सुनवाई निम्बाहेड़ा मुख्यालय पर की जा रही है तथा बड़ी सादड़ी में शिविर में सिर्फ बड़ी सादड़ी तहसील के ही प्रकणों की सुनवाई की जा रही है। डूंगला से बड़ी सादड़ी की दूरी मात्र 20 कि.मी. है, फिर भी प्रकरणों की सुनवाई बड़ी सादड़ी में नहीं है कि जाकर 55 किमी. दूरी पर निम्बाहेड़ा मुख्यालय पर की जा रही है, जिससे पक्षकारों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

डूंगला तहसील के प्रकरणों की सुनवाई अगर बड़ी सादड़ी मुख्यालय पर की जाएगी, तो आमजन को सस्ता एवं सुलभ न्याय प्राप्त हो सकेगा तथा अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश निम्बाहेडा के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

अतः, मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय विधि एवं संसदीय कार्य मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि प्रकरणों की संख्या एवं दूरी को देखते हुए वर्तमान में जो निम्बाहेड़ा न्यायालय का शिविर आयोजित किया जा रहा है, उसके स्थान पर स्थायी न्यायालय की स्थापना करवाने का कष्ट करावें।

गोतम कुमार

(बड़ी सादड़ी)

किशनगढ़-रेनवाल के मुख्य बाजार में सी सी सड़क निर्माण

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र का किशनगढ़-रेनवाल मुख्य कस्बा है। उक्त कस्बे के मुख्य बाजार (शंकर टॉकीज से मुख्य बाजार, पत्थर मण्डी होते हुए मीण्डा–करड़ मोड़ तक) की सड़क बहुत ही क्षतिग्रस्त है ओर बारिश के दिनों में उक्त सड़क पर पानी-कीचड़ भर जाता है, जिससे पूरा रास्ता बन्द हो जाता है और जनता को दो-तीन किलोमीटर का चक्कर लगाकर आना पड़ता है। इस सड़क के सम्बन्ध में मैंने पूर्व में भी कई बार विभागीय अधिकारियों को बताया था लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है। उक्त सड़क कस्बे की मुख्य सड़क है और इसकी जर्जर अवस्था होने के कारण पूरे कस्बे में आक्रोश व्याप्त है।

अतः उक्त प्रस्ताव के माध्यम से मैं माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से मांग करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की उक्त मुख्य सड़क को अतिशीघ्र सी.सी. सड़क बनाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें, ताकि जनता को राहत मिल सके।

निर्मल कुमावत

(फुलेरा)

पोकरण में ट्रोमा सेंटर खोला जाना

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि पोकरण शहर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 114 व 15 पर स्थित है जिससे यहां अधिक वाहन भार होने के कारण आये दिन दुर्घटनाएं घटित होती रहती हैं।

प्रतिवर्ष बाबा रामदेवजी का मेला मास भादवा व माघ में रामदेवरा गांव में भरता है। यहां पर सम्पूर्ण भारतवर्ष से पैदल/साइकिल, मोटरसाइकिल व अन्य निजी व सरकारी वाहनों से लाखों की संख्या में यात्रियों का लगातार आवागमन दो माह तक चलता रहता है।

विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जैसलमेर में प्रतिदिन देशी व विदेशी सैलानी बड़ी संख्या में भ्रमण पर आते हैं व विश्व प्रसिद्ध मरूमेला भी यहां पर भरता है। इस दौरान लाखों की संख्या में देशी व विदेशी पर्यटक जैसलमेर आते हैं। जैसलमेर जाने-आने वाले पर्यटकों को पोकरण होकर गुजरना पड़ता है। इस दौरान भी भारी संख्या में दुर्घटनाएं घटित होती रहती हैं।

पोकरण में मात्र एक ही सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है। यहां पर पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने के कारण गम्भीर रूप से घायल व्यक्तियों को पोकरण से लगभग 200 कि.मी. दूर जोधपुर ले जाना पड़ता है। अधिक समय लगने के कारण बहुत से घायल व्यक्तियों का दम बीच रास्ते में ही टूट जाता है।

ऐसी परिस्थिति में पोकरण शहर में ट्रोमा सेन्टर तुरन्त खोलने की आवश्यकता है जिससे दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को तुरन्त व समय पर उपचार मिल सकें व दुर्घटना में होने वाली जन हानि को कम किया जा सके।

पोकरण शहर में एन.एच-15 व एन.एच.-114 के तिराहे पर आर टी डी सी मिडवे के सामने जैसलमेर रोड पर ट्रोमा सेंटर के लिए पूर्व में भूमि भी चिह्नित की गई है। यहां ट्रोमा सेंटर का निर्माण किया जाता है, तो लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं तथा दुर्घटना में होने वाली मौतों में कमी आयेगी।

श्री शैतान सिंह

(पोकरण)

नायक जाति को अनुसूचित जनजाति मानकर तद्‌नुरूप प्रमाण पत्र बनाया जाना

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि एक बहुत ही पिछड़ी हुई गरीब जाति नायक जो राजस्थान के कई जिलों में निवास करती है, इस जाति के 60 साल के दर्द को सरकार तथा सदन के साथ बांटकर समाधान चाहता हूं।

महोदय, पौराणिक रूप से जो नाग, निषाद, दक्ष प्रजाति के लोग हैं, उस प्रजाति से यह जाति आती है। आस्ट्रेलियाज्ड प्रजाति की जो अन्य जातियां हैं, भील, गरासिया, कोल, आदि, इनमें से एक नायक जाति भी है। इन सभी जातियों को अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत भारत सरकार की अनूसूची में दर्ज किया गया है।

महोदय, जो नायक समाज के लोग हैं, इनकी संस्कृति, इनके रीति-रिवाज, इनका पहनावा, परिधान, सब कुछ अनुसूचित जनजाति के अनुरूप हैं और भारत सरकार ने 2003 में ट्राइब्स डिपार्टमेंट में एक डोक्यूमेंट्री बनाई थी,

उस डोक्यूमेंट्री में भी नायक जाति को अनुसूचित जनजाति मानते हुए प्रदर्शित किया गया था। इसके अतिरिक्त, राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी अपने फैसले में 2008 में नायक जाति को अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत माना था। इसके साथ ही 1871 का क्रिमिनल जनजातियों का जो एक्ट था, उस एक्ट में भी इसको क्रिमिनल जनजाति मानते हुए उसके अधीन रखा गया था।

भारतीय संविधान के गजट नोटिफिकेशन के तहत अनुसूचित जनजातियां आदेश अधिनियम 1976 की द्वितीय अनुसूची में भाग-13 में क्रम संख्या 10 पर अंकित है जो अनुसूचित जनजाति में दर्ज है, लेकिन राजस्थान की अनुसूची में इस समाज को 57 नंबर पर अनुसूचित जाति में दर्ज कर दिया गया, जिससे दोहरे मापदण्ड की स्थिति बन गई। अब कुछ स्थानों पर इस समाज को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र दिया जाता है, नहीं राज्य के कई जिलों में नायक जाति को अनुसूचित जाति माना जा रहा है। अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि एक ही परिवार के लोगों को कहीं अनुसूचित जाति व कहीं जनजाति का प्रमाण पत्र दिया गया है।

वस्तुतः यह स्थिति इसलिए उतपन्न हुई, जब अंग्रेजी व हिन्दी में गजट का नोटिफिकेशन छापा गया, तो हिन्दी में नायक लिखा हुआ है, लेकिन अंग्रेजरी में उसका वर्जन किया गया तो नायक की स्पेलिंग में NAYAKA दर्ज कर दिया गया; जबकि NAYAKA नाम की कोई भी ऐसी जाति नहीं है। अनेक बार भारत सरकार और राजस्थान सरकार के बीच में इस संबंध में स्पष्टीकरण करने और इस स्थिति को ठीक करने के लिए वार्ता हुई और अनेक बार इस संबंध में प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किये गये, लेकिन आज भी असमंजस की स्थिति विद्यमान है।

इस अत्यन्त गरीब व पिछड़ी जाति को, जिसके लोग छोटे-छोटे घरों में निवास करते हैं, यह जाति अत्यत गरीबी की स्थिति में है; इस जाति को इसका जायज हक भारतीय संविधान के अनुसार अनुसूचित जनजाति मानते व सभी जिलों में इनके अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र बनाने हेतु पूरे सदन व सरकार का ध्यान आकर्षित कर, नायक समाज के गरीब लोगों के दर्द को समझते हुए, इस दिशा में तुरन्त निर्णय कर राहत दी जाए।

अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि उक्त विषय को अति गम्भीरता से लेकर नायक जाति को राहत पहुंचावें।

भंवर सिंह

(कोलायत)

राजकीय विद्यालयों में कार्यरत कुक-कम-हेल्परों के मानदेय में वृद्धि

माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने अपने जन्मदिन 8 मार्च को महिला दिवस पर आम आदमी को समर्पित आम बजट प्रस्तुत किया। नारी शक्ति को ध्यान में रखने वाली माननीया मुख्य मंत्री का राजकीय विद्यालयों में कार्यरत कुक-कम-हेल्परों की ओर ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा कि इनमें से अधिकांश कार्मिक महिलाएं ही हैं। राजस्थान सरकार द्वारा एक अकुशल श्रमिक को 189 रुपये, अर्द्धकुशल श्रमिक को 199 रुपये तथा कुशल श्रमिक को 209 रुपये मिलते हैं और मनरेगा योजना में भी प्रतिदिन 173 रुपये का मानदेय मिलता है। ये कुक-कम-हेल्पर भी कुशल श्रमिक की ही श्रेणी में आते हैं, क्योंकि एक अकुशल श्रमिक पौष्टिक भोजन नहीं बना सकता है। आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्य करने वाले कार्मिकों का मानदेय भी इस बजट में बढ़ा दिया गया है, परन्तु इन कुक-कम-हेल्पर के लिए कुछ नहीं किया गया।

इन कार्मिकों द्वारा विद्यालय में प्रतिदिन किया जाने वाला कार्य ही इतना अधिक होता है कि उसे पूर्ण करने के पश्चात् समय शेष ही नहीं रहता कि अन्य किसी जगह कोई और कार्य कर आमदनी प्राप्त की जा सके। अर्थात् इनके लिए आय का स्रोत केवल मिलने वाला मासिक 1,000 रुपये मानदेय है, जो कि पूरे परिवार के पालन-पोषण के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता। ये कुक-कम-हेल्पर अत्यन्त निर्धन एवं गरीब परिवार से होते हैं जिनके पास आय का कोई अन्य स्रोत भी नहीं होता है। ऐसे में दैनिक गुजर-बसर कर पाना अत्यन्त कठिन एवं दुष्कर हो जाता है। कई विद्यालयों में तो स्थिति परेशानी वाली तब हो जाती है, जब इन कार्मिकों को आवश्यक कार्य होता है। तब इस अल्प मानदेय के बदले में कोई अन्य कार्मिक इस कार्य हेतु जल्दी से तैयार ही नहीं होता है।

न तो इन कार्मिकों का यह रोजगार स्थायी है और न ही इसमें कोई भविष्य की सुरक्षा। कुशल श्रमिक होने के बावजूद इन्हें 1,000/- रुपये प्रति माह मानदेय दिया जा रहा है, जो इनके साथ न्यायसंगत नहीं है। इन कुक-कम-हेल्पर को श्रम विभाग की किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलता है।

सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इन कुक-कम-हेल्परों के मानदेय में भी आवश्यक बढ़ोत्तरी की जाये और इन कार्मिकों को श्रम विभाग

की योजनाओं का लाभ भी दिया जाए, ताकि इस वर्ग को सुशासन का अनुभव हो सके।

शंकरलाल शर्मा

(दौसा)

फलौदी में टेकरा से धोलिया तक सड़क का निर्माण

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र फलौदी का बाप क्षेत्र सड़क सुविधा की दृष्टि से अत्यन्त पिछड़ा क्षेत्र है। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा टेकरा से धोलिया सड़क मार्ग की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी थी। उक्त सड़क मार्ग का कार्य शुरू होने की स्थिति में था, किन्तु बाद में उक्त कार्य को अस्वीकृत किये जाने के आदेश जारी कर दिये गये।

इस संबंध में निवेदन करना चाहूंगा कि उक्त टेकरा से धोलिया सड़क मार्ग (13.5 कि.मी.) का निर्माण इस क्षेत्र में 20 से 25 गांवों की आबादी को जोड़ेगा, जिससे इस क्षेत्र के निवासियों का आवागमन सुलभ होगा तथा समय व धन की बचत होगी।

पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि से भी उक्त सड़क मार्ग का निर्माण आवश्यक है।

इस क्षेत्र का विकास सोलर हब के रूप में हो रहा है। कई राष्ट्रीय एवं बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के सोलर प्लान्ट इस क्षेत्र में स्थापित हैं। इस सड़क मार्ग के निर्माण से सोलर हब के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी।

मेरे द्वारा मेरे विधान सभा क्षेत्र फलौदी में उक्त सड़क मार्ग के निर्माण हेतु निरन्तर दो वर्षों से मांग की जा रही है। माननीय मुख्य मंत्री महोदया के जोधपुर प्रवास के समय, जिले के प्रभारी मंत्री, जोधपुर से लोक सभा सांसद एवं अन्य जन-प्रतिनिधियों के साथ संयुक्त रूप से माननीय मुख्य मंत्री महोदया को उक्त सड़क मार्ग की उपयोगिता एवं आवश्यकता से अवगत करवाने पर माननीया के द्वारा शीघ्र ही सड़क निर्माण का आश्वासन दिया गया था। उक्त सड़क मार्ग के निर्माण हेतु माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय से भी निरन्तर आग्रह किया गया है।

अतः मेरा आग्रह है कि पश्चिमी राजस्थान के इस क्षेत्र में उक्त सड़क मार्ग की सामरिक उपयोगिता, क्षेत्र के निवासियों की आवश्यकता व सुविधा एवं सोलर विकास को ध्यान में रखते हुए माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि 13.5 कि.मी. टेकरा से धोलिया सड़क मार्ग को पुनः स्वीकृत करने का श्रम करावें।

पब्बाराम

(फलौदी)

परिशिष्ट-3

मांग संख्या 27 - पेयजल योजना पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-27 मुख्य शीर्षक पेयजल योजना के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर) :

1 विधान सभा क्षेत्र सांचौर में नर्बदा नहर परियोजना पर बन रहे FR व DR परियोजना से पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री तरुण राय कागा (चौहटन) :

2 विधान सभा क्षेत्र चौहटन में नर्बदा नहर परियोजना की द्वितीय योजना को इन्दिरा गांधी नहर परियोजना से जोड़कर पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़) :

3 विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में नकारा नलकूप, ओपनवेल एवं हैण्डपम्प के स्थान पर गुणवत्ता वाले भूजल स्थान पर नवीन नलकूप एवं हैण्डपम्प खुदवाकर पेयजल से लाभान्वित करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

4 विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के राजस्व गांव संतोषनगर, चाबा-द्वितीय, बासनी मनणा में उच्च जलाशय बनाकर उक्त गांवों के कलस्टर में आने वाले राजस्व गांवों में पेयजल आपूर्ति सुचारु करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

5 विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के राजस्व गांव मुख्यालय पर C.W.R. व बूस्टर बनाकर उक्त गांवों के कलस्टर में आने वाले पेयजल से वंचित राजस्व गांवों में पेयजल आपूर्ति सुचारु करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

6 प्रदेश में जनता जल योजना का संचालन एवं संधारण जलदाय विभाग से करवाने, बकाया विद्युत बिल जमा करवाने व मानदेय बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

7 वृहद् जल प्रदाय योजना आर.डी. 134-देवानिया-नाथड़ाऊ-कनोडिया-चौरडिया-शेरगढ़-चाबा का कार्य पूर्ण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री श्रीराम भींचर (मकराना) :

8 विधान सभा क्षेत्र मकराना के शहर मकराना एवं ग्राम बोरावड़ में स्कीम बनाकर जनता को पानी उपलब्ध कराने एवं नये नलकूप व ओपनवेल की स्वीकृति जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अमृतलाल (सलूम्बर) :

9 विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के 93 गावों में जयसमंद से पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

10 विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये सोलर चलित पनघट लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

11 विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के सभी विद्यालयों पर पीने का पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

12 विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में खराब पड़े हैण्डपम्पों को सही कराने एवं फ्लोराइड युक्त हैण्डपम्पों को चिन्हित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

13 विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के सभी गांवों में फ्लोराइड रहित शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री भजनलाल जाटव (वैर) :

14 विधान सभा क्षेत्र वैर में अधिशासी अभियन्ता कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

15 विधान सभा क्षेत्र वैर में पेयजल की व्यवस्था हेतु उच्च जलाशय टंकियों के निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर) :

16 विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर में कसौटिया पेयजल योजना के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़) :

17 घोसुण्डा बांध चित्तौड़गढ़ से घोसुण्डा क्षेत्र की 11 ग्राम पंचायतों के 65 ग्रामों की पेयजल योजना स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री रामचन्द्र (डग) :

18 विधान सभा क्षेत्र डग के गंगधार तहसील में पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कुंजीलाल (बामनवास) :

19 ग्राम पंचायत कंचनपुर पंचायत समिति-करौली में चामुण्डा देवी के स्थान पर सिंगल फेज बोरिंग कर प्रतिमाह आने वाले हजारों दर्शनार्थियों को पीने का पानी उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

20 विधान सभा क्षेत्र बामनवास के ग्राम सुकार, अमावरा में नवीन पानी की टंकी का निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) :

21 विशाला पाइप लाइन की स्वीकृति की घोषणा के बावजूद अभी तक स्वीकृति जारी नहीं करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

22 विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों को पाइप लाइन बिछाने की अनुमति नही देने एवं पुरानी ग्राम पंचायतों द्वारा डाली गई पाइप लाइनें जिसकी विभाग द्वारा NOC देने के बावजूद हटाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

23 बाड़मेर शहर में वाटर लोगिंग की गम्भीर समस्या के समाधान के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

24 विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में पेयजल की समस्या को देखते हुए 100 नये हैण्डपम्प एवं 10 नलकूप स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

25 बाड़मेर लिफ्ट कैनाल परियोजना द्वितीय चरण भाग-स के टेण्डर कराकर कार्य शुरू कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री हरिसिंह रावत (भीम) :

26 विधान सभा क्षेत्र भीम के प्रत्येक ग्राम में पीने का पानी बीसलपुर व चम्बल परियोजना से उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण) :

27 विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में पीने का पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री भीमा भाई (कुशलगढ़) :

28 कुशलगढ़ क्षेत्र में बड़ी सरवड़ ग्रा. पं. खजुरा में पेयजल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर) :

29 विधान सभा क्षेत्र बानसूर में जिन गांव ढाणियों में पानी का स्तर नीचे चला गया वहां पर नई थ्री एवं सिंगल फेज बोरिंगों के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

30 विधान सभा क्षेत्र बानसूर के बड़े कस्बे रामपुर, हरसोरा हाजीपुर, कराना, नारायणपुर आदि में पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर) :

31 जवाजा पंचायत समिति के 199 गांवों को स्वीकृत 250 करोड़ की योजना के कार्य की गति बढ़ाने, ठेकेदार व अधिकारियों को पाबन्द कर कार्य समय सीमा में पूर्ण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री दलीचन्द डांगी (मावली) :

32 विधान सभा क्षेत्र मावली में पेयजल के स्थाई समाधान हेतु बागोलिया बांध को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

33 विधान सभा क्षेत्र मावली से होकर दरीबा जा रही हिन्दुस्तान जिंक की पाइप लाइन से क्षेत्र में पड़ने वाले गांवों में पेयजल योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

34 विधान सभा क्षेत्र मावली में पुरानी पाइप लाइनें बदलने एवं अन्य पेयजल योजनाओं की पाइप लाइन बिछाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

35 विधान सभा क्षेत्र मावली में हैण्डपम्प निर्माण व सोलर पम्प लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) :

36 विधान सभा क्षेत्र राजाखेड़ा की ग्राम पहाड़ी व मथरिया की ग्रामीण बन्द पड़ी पेयजल योजना को शीघ्र ठीक कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण) :

37 ग्राम पंचायत चान्दोली पं.स. उमरैण जिला अलवर में P.H.E.D. स्कीम में बोरिंग खुदवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

38 ग्राम पंचायत जमालपुर पं.स. उमरैण जिला अलवर में पीने के पानी हेतु योजना बनवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

39 ग्राम नंगला सेढ़ू पं.स. उमरैण जिला अलवर में P.H.E.D. द्वारा स्कीम बनाकर पीने का पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी) :

40 जाखम बांध से पेयजल हेतु बनाई गई बड़ी पेयजल योजना (554 गांवों के लिए) को शीघ्र चालू करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा) :

41 विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के सूखे नलकूपों के स्थान पर नये नलकूप खुदवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

42 विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में फ्लोराइड युक्त पानी वाले गांवों में पीने का मीठा पानी नर्बदा नहर से उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

43 विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में खराब हैण्डपम्पों को समय पर सही करने हेतु संसाधन उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

44 विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा की जनता को पीने का पानी उपलब्ध कराने हेतु स्वीकृत डी.आर. प्रोजक्ट व कलस्टर का कार्य समय पर पूर्ण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) :

45 अलवर शहर के गैर योजना क्षेत्र में विभाग द्वारा पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर) :

46 विधान सभा क्षेत्र कोटा उत्तर में पुराने शहर की गली हुई पाइप लाइनें बदलने एवं नई आवासीय कृषि कॉलोनियों में पाइप लाइन बिछाकर शुद्ध पेयजल मुहैया कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री अशोक डोगरा (बूंदी) :

47 विधान सभा क्षेत्र बून्दी के ग्राम खटकड़, माटून्दा, सिलोर, तिरथ को पाइप लाइन योजना से जोड़कर घर-घर नल लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

राजकुमारी दियाकुमारी (सवाई माधोपुर) :

48 बनास नदी से लिंक कनेक्शन देकर सवाईमाधोपुर शहर को पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

49 चम्बल-मण्डरायल-सवाई माधोपुर-नांदोती परियोजना को शीघ्र पूरा करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमंडी) :

50 विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में सातलखेड़ी, पीपाखेड़ी, लक्ष्मीपुरा, कुम्भकोट ग्राम पंचायतों में शुद्ध पेयजल योजना की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

51 विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में सुकेत, अरनिया खुर्द सलावद खुर्द कूकड़ा व सहरावदा के लिए आहू नदी पर बांध बनाकर पेयजल योजना स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

52 विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी के कोटा नगर निगम के वार्ड नं. 4, 5, 24, 25 में पेयजल हेतु 10-10 लाख लीटर पानी की टंकियों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

53 विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी के वार्ड नं. 4, 5, 24, 25 में स्थित 18 कॉलोनियों में पेयजल हेतु नई पाइप लाइन डालकर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बंशीधर (खण्डेला) :

54 सीकर जिले को कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री दर्शन सिंह (करौली) :

55 विधान सभा क्षेत्र करौली के सभी ग्रामों में देवनारायण योजनान्तर्गत नवीन हैण्डपम्प स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर) :

56 ग्राम कुतीना नीमराना में नई टंकी बनाने एवं पाइप लाइन बिछाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

57 विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में नये बोरिंग लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

58 विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में डार्क जोन में पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री घनश्याम (टोडाभीम) :

59 विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में टैंकरो के माध्यम से हो रही पेयजल सप्लाई में अनियमितता की जांच कर सुधार किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

60 विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में खराब पड़े हैण्डपम्पों व सिंगल फेज पाइन्टों को दुरुस्त कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

61 विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के ग्रामों में नवीन हैण्डपम्प व सिंगल फेज बोर स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

62 विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की तहसील नादोती-सवाईमाधोपुर की चम्बल परियोजना को शीघ्र चालू कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती अनीता (नगर) :

63 विधान सभा क्षेत्र नगर में जलाभाव वाले ग्रामों को पीने के पानी की व्यवस्था कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री मान सिंह (गंगापुर) :

64 विधान सभा क्षेत्र गंगापुर में चम्बल-नादोती, गंगापुर-सवाई माधोपुर पेयजल योजना को माननीय मुख्य मंत्री की घोषणा के अनुरूप दिसम्बर, 2016 तक पूर्ण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती अनिता कटारा (सागवाड़ा) :

65 विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में नया गांव व सामलिया सागवाड़ा में पेयजल लाइन बिछाने की स्वीकृति जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

66 विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा के दिवड़ा छोटा, गांव की कॉलोनी में पेयजल योजना लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

67 विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में पादरड़ी बड़ी सागवाड़ा में पेयजल योजना की स्वीकृति जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) :

68 विधान सभा क्षेत्र लूणी में जो जलप्रदाय योजना चल रही है उनकी मुख्य पाइप लाइनों पर अवैध कनेक्शनों की रोकथाम हेतु संसाधनों सहित विजिलेंस कमेटी गठित करने व भूजल माफियाओ पर पाबंदी लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

69 विधान सभा क्षेत्र लूणी में जलप्रदाय योजना तन्वेरों, कैरू एवं राजपूतों की ढाणी जोलीयाली में स्वीकृत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

70 विधान सभा क्षेत्र लूणी की जलप्रदाय योजना अजीत नगर, विष्णु की ढाणी, परिहारों की ढाणी, कानासर, ईमामनगर, सेरानी नगर, मेहराम नगर, चिराई नगर, राड़ नगर, केरली, सुरता नगर, ढाणी विश्नोईयान एवं डेलूमा नाड़ा को स्वीकृत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

71 विधान सभा क्षेत्र लूणी में विचाराधीन जलप्रदाय योजना चौखा, बड़ली, गोलासनी को स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

72 जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, खण्ड प्रथम से खण्ड चतुर्थ (ग्रामीण) को जोधपुर शहर खण्ड में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्रीमती सोना देवी (रायसिंहनगर) :

73 रायसिंहनगर क्षेत्र के गांव-ठण्डी में वाटर ओवर हैड टैंक का निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) :

74 विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में पेयजल वितरण पाइप लाइन से वंचित क्षेत्रों को चिन्हित कर पाइप लाइन बिछाने और कम दबाव के क्षेत्रों को चिन्हित कर समस्या के निराकरण के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

75 विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में ऊंचाई वाले क्षेत्र एवं पहाड़ी आवासीय कॉलोनियों में कम दबाव की समस्या के निदान एवं आगामी ग्रीष्मकाल में पेयजल आपूर्ति में सहायता की दृष्टि से 20 ट्यूबवैल एवं 100 हैण्डपम्प खुदवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

76 विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के वार्ड नं. 65 सूरसागर रामानन्द आश्रम के पास पहाड़ी पर उच्च जलाशय का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

77 जोधपुर शहर में बढ़ते भूजल स्तर की समस्या का स्थायी व ठोस समाधान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

78 गत बजट सत्र के दौरान माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा सूरसागर हेतु की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री नवनीत लाल (घाटोल) :

79 विधान सभा क्षेत्र घाटोल गढ़ी, बागीदौरा, बांसवाड़ा, कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा में बन्द पड़ी जनता जल योजनाओं को पुनः चालू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

80 विधान सभा क्षेत्र घाटोल में हैण्डपम्प मिस्त्रियों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री श्रीचन्द्र कृपलानी (निम्बाहेड़ा) :

81 ग्राम पंचायत मुख्यालय-गादोला पं.स. निम्बाहेड़ा में उच्च जलाशय एवं पाइप्ड योजना स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

82 विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा-छोटी सादड़ी के 1500 से अधिक की आबादी के गांवों में जनता जल योजनाएं स्वीकृत करने एवं पूर्व में संचालित एवं बन्द पड़ी योजनाओं को पुनः चालू करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

83 निम्बाहेड़ा नगर की पुनर्गठित पेयजल योजना की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

84 विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा की ग्राम पंचायत रानीखेड़ा की पुनर्गठित पेयजल स्कीम व फलवा में हैण्डपम्प योजना से पी. एण्ड टी. स्कीम की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कन्हैयालाल (मालपुरा) :

85 विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में टोडारायसिंह शहर की वर्षों पुरानी जर्जर पाइप लाइनों को बदलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) :

86 विधान सभा क्षेत्र अलवर शहर के गैर-योजना क्षेत्र में विभाग द्वारा पेयजल उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

87 विधान सभा क्षेत्र अलवर शहर में गैर अनुमति पूर्वक नलकूप खोदकर उनसे पेयजल का व्यावसायिक उपयोग करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

88 विधान सभा क्षेत्र अलवर शहर को चम्बल का पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर) :

89 विधान सभा क्षेत्र आमेर के 120 गांवों में सर्वजल धारा योजना से वर्ष 2002 में चालू कार्यों को पुनः चालू कर पूर्ण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (चाकसू) :

90 विधान सभा क्षेत्र चाकसू में हैण्डपम्पों में पाइप जोड़ना, कुएं गहरे करवाना एवं 100 नये हैण्डपम्प स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

91 विधान सभा क्षेत्र चाकसू में बीसलपुर परियोजना से जुड़े गांवों व क्षेत्रों में जल वितरण शुरू करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली) :

92 विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के ग्रामों में पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

93 विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली की सभी ढाणियों व छोटे मौहल्लों में पेयजल हेतु टंकी एवं एक बोरिंग लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री रमेश (सपोटरा) :

94 विधान सभा क्षेत्र सपोटरा के लिए नवीन पेयजल योजना बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

95 विधान सभा क्षेत्र सपोटरा के पेयजल आपूर्ति में वंचित क्षेत्रों हेतु विशेष कार्य योजना बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री सुशील कटारा (चौरासी) :

96 विधान सभा क्षेत्र चौरासी में अमरपुरा बांध से रामसौर जूना, बांकड़ा मीठ, सीमलवाड़ा पेयजल योजना की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

97 विधान सभा क्षेत्र चौरासी में कड़ाणा बैंक वाटर से पंचायत समिति सीमलवाड़ा, चिखली को पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

98 विधान सभा क्षेत्र चौरासी में बिखरी आबादी में मकान दूर-दूर होने के कारण हैण्डपम्प एवं ट्यूबवैल खुदवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

99 विधान सभा क्षेत्र चौरासी में अमरपुरा बांध से करावाड़ा धम्बोला तक पेयजल योजना की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

100 विधान सभा क्षेत्र चौरासी में गांव कुआ, माण्डली, सीथल, करावाड़ा, बेडसा, लिखी, ठुठरियां, झरनी, पाडली ढुंढी बालिया, झलाई, सखूना में पेयजल योजना की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं) :

101 विधान सभा क्षेत्र बेगूं में भैंसरोडगढ़ में पेयजल हेतु टेण्डर राशि जारी कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

102 विधान सभा क्षेत्र बेगूं में रावड़दा ग्राम पंचायत के सभी गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

103 विधान सभा क्षेत्र बेगूं के बेंगू नगर में पेयजल हेतु पाइप लाइन डालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

104 विधान सभा क्षेत्र बेगूं में रावतभाटा लालरबावड़ी पेयजल हेतु NOC दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

105 विधान सभा क्षेत्र बेगूं में गंगरार तहसील के सभी गांवों को घोसूण्डा बांध से पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन) :

106 विधान सभा क्षेत्र कपासन में फ्लोराइड युक्त गांव में आर.ओ. लगाकर लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

107 विधान सभा क्षेत्र कपासन में शहरी पेयजल योजना कपासन का विस्तार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) :

108 विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में फ्लोराइड युक्त पानी से निजात दिलाने के लिए R.O. प्लांट लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

109 विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में नगरपालिका क्षेत्र में पेयजल समस्या के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

110 विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के ग्राम-कायसा, डूमरोली, दुधेड़ा, बसईभोपाल सिंह हूडिया खुर्द में उच्च जलाशय बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

111 विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में ग्रामों में पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

112 विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में जल स्तर नीचे जाने से पेयजल समस्या के समाधान की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा) :

113 विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में सिन्दुरिया देह (छीपाबड़ौद) व कछावन (छबड़ा) पेयजल स्कीम नहीं बनने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना) :

114 विधान सभा क्षेत्र सिवाना के उप खण्ड सिणधरी की ढाणियों में बसे लोगों को पेयजल सुविधा देने हेतु 300 नये हैण्डपम्प स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

115 विधान सभा क्षेत्र सिवाना में पेयजल के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

116 विधान सभा क्षेत्र सिवाना की नर्बदा पेयजल योजना के तहत 13 गांवों को पानी देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

117 विधान सभा क्षेत्र सिवाना के मुख्यालय पर अधिशासी अभियन्ता कार्यालय खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

118 विधान सभा क्षेत्र सिवाना की बड़ी पेयजल योजना पोकरण, फलसूण्ड, बायतू, बालोतरा एवं सिवाना को गति प्रदान करने एवं वर्ष 2016 के अंत तक प्रत्येक गांवों को पानी देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर) :

119 विधान सभा क्षेत्र भरतपुर के चयनित 97 गांवों को चम्बल का पानी शीघ्र उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

120 विधान सभा क्षेत्र भरतपुर के खराब ट्यूबवैल एवं हैण्डपम्पों को ठीक कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

121 भरतपुर जिला मुख्यालय की वंचित कॉलोनियों को पानी की लाइन डलवाकर पेयजल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्रीमती अमृता मेघवाल (जालौर) :

122 विधान सभा क्षेत्र जालोर के सायला ग्राम में पेयजल हेतु पुरानी पाइप लाइन को बदलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

123 विधान सभा क्षेत्र जालोर के वंचित रहे ग्रामों को नर्बदा परियोजना से जोड़ने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

124 विधान सभा क्षेत्र जालोर के ग्राम बैरठ व बाकरा को नर्बदा योजना से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती रानी सिलौटिया (बसेड़ी) :

125 विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी के 96 गांवों को पार्वती बांध योजना के अन्तर्गत जोड़ने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री अशोक (हिण्डौली) :

126 विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली (बून्दी) के अन्तर्गत नगरपालिका नैनवां एवं ग्राम पंचायतों में फ्लोराइड युक्त पानी से निजात दिलवाने हेतु बीसलपुर पेयजल योजना से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मानसिंह किनसरिया (परबतसर) :

127 विधान सभा क्षेत्र परबतसर पेयजल योजना के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री गोरधन (धोद) :

128 विधान सभा क्षेत्र धोद के ग्राम पंचायत बानूड़ा में अनुसूचित जाति मोहल्ला में एक थ्री फेज ट्यूबवैल स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

129 विधान सभा क्षेत्र धोद के ग्राम-झींगर के वार्ड नं. 5 में सिंगल प्वाइंट ट्यूबवैल स्वीकृत कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

130 विधान सभा क्षेत्र धोद में बन्द ट्यूबवैलों की जगह नये ट्यूबवैल खोदने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

131 विधान सभा क्षेत्र धोद को कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

डा. मंजू बाघमार (जायल) :

132 विधान सभा क्षेत्र जायल में पेयजल के लिए सिंगल फेज ट्यूबवैल खुदवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सुखाराम (मेड़ता) :

133 विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में पेयजल समस्या को दृष्टिगत रखते हुए सिंगल फेज ट्यूबवैल खुदवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी) :

134 विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी की पेयजल योजना नांगल ढ़हर, बास बिसना, पौंख, मणकसास तथा गुड़ा की स्वीकृति जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

135 विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी में सूखे कुओं को पुनः गहरा कर पम्प सैट बदलकर पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़) :

136 विधान सभा क्षेत्र किशगनगढ़ (अजमेर) में बीसलपुर योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में डाली गई सीमेन्ट पाइप लाइनों के क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

137 विधान सभा क्षेत्र किशगनगढ़ (अजमेर) में स्थित विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में समुचित पेयजल उपलब्ध कराने हेतु नवीन हैण्डपम्पों एवं सिंगल फेज ट्यूबवैलों की स्वीकृति जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

138 प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में निर्मित बहुमंजिले आवासों (फ्लेटों) में रहने वाले वाशिन्दों को पर्याप्त एवं समुचित पेयजल उपलब्ध कराने की प्रभावशाली योजना की त्वरित क्रियान्विति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

139 विधान सभा क्षेत्र किशगनगढ़ (अजमेर) में स्थित ग्रामीण क्षेत्रों के पुराने जल स्रोतों, जो कि बीसलपुर योजना के आने से बन्द पड़े हैं, को पानी की पर्याप्त उपलब्धता होने पर पुनः चालू कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

140 विधान सभा क्षेत्र किशगनगढ़ (अजमेर) के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों की पेयजल आपूर्ति योजनाओं के प्रस्ताव जलदाय विभाग अजमेर के SE एवं ACE कार्यालयों से तैयार कर जयपुर स्थित मुख्यालय पर स्वीकृति हेतु गत 8-10 माह से लम्बित है, की स्वीकृति जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) :

141 अलवर शहर को चम्बल, बीसलपुर एवं यमुना का पानी उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) :

142 विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के ग्रामों में पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर) :

143 विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर में नहरी क्षेत्र के आसपास के गांवों में हैण्डपम्प लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

144 विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर में विभाग के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

145 विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर में क्षतिग्रस्त जी.एल.आर. की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

146 विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर को फ्लोराइड पेयजल से निजात दिलाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

147 विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर में जहां पानी की उपलब्धता हो, के स्थानों पर ट्यूबवैल खुदवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री खेमाराम (सुजानगढ़) :

148 विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ में आपणी योजना द्वितीय फेज को शीघ्र पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री प्रताप लाल भील (गोगुन्दा) :

149 विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में प्रस्तावित साबरमती बांध से पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

150 विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के ग्रामों में देवास फेज 3 व 4 से पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

151 विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा की पेयजल योजनाओं पदराडा, सायरा, करदा, नृसिंहपुरा एवं बूझ का नाका की स्वीकृति जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़) :

152 विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ की पेयजल समस्या का स्थायी समाधान करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

153 विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में पेयजल के रूप में रामगढ़ बांध से जयपुर लाये जा रहे पानी को बन्द कर जमवारामगढ़ क्षेत्र के ग्रामों में पानी सप्लाई करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

154 विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में सूखे हैण्डपम्पों एवं सिंगल फेज ट्यूबवैलों को गहरा करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

155 विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में पेयजल समस्या को देखते हुए जलदाय विभाग से हैण्डपम्प एवं सिंगल फेज ट्यूबवैल पर्याप्त मात्रा में लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

156 विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में फ्लोराइडयुक्त पानी के गावों में आर.ओ. प्लान्ट लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं) :

157 विधान सभा क्षेत्र झुन्झुनूं में संचालित जनता जल योजनाओं को सुचारु रूप से संचालित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

158 विधान सभा क्षेत्र झुन्झुनूं के लिए स्वीकृत कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना पर आधारित पेयजल योजना के कार्य की गति बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

159 झुन्झुनूं शहर में पुरानी पाइप लाइनों को बदलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

160 विधान सभा क्षेत्र झुन्झुनूं के सूखे नलकूप एवं ट्यूबवैलों के स्थान पर नये नलकूप एवं ट्यूबवैल बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास) :

161 विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास के खैरथल व किशनगढ़ बास कस्बों में एन.सी.आर. द्वारा पेयजल योजनाओं को स्वीकृत कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री पब्बाराम (फलौदी) :

162 फलौदी नगरपालिका क्षेत्र में पेयजल वितरण हेतु वर्षो पूर्व डाली गई लाइनों को बदलकर नई लाइन बिछाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

163 फलौदी शहर के केशव कुटिया क्षेत्र में पेयजल वितरण उच्च जलाशय का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

164 फलौदी शहर में पेयजल सप्लाई हेतु फिल्टर प्लान्ट की क्षमता में वृद्धि करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जगसी राम (रेवदर) :

165 विधान सभा क्षेत्र रेवदर के आबू रोड स्थित अधिशासी अभियन्ता कार्यालय द्वारा पेयजल वितरण की मॉनिटरिंग में घोर लापरवाही से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

166 विधान सभा क्षेत्र रेवदर के ब्लॉक रेवदर में हैण्डपम्प मिस्त्री नही होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़) :

167 विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ के 1500 से अधिक आबादी वाले ग्रामों में पी. एण्ड टी. योजना लागू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

168 विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ के समस्त ग्रामों को घोसूण्डा बांध से पेयजल उपलब्ध कराने की योजना प्रस्तावित कर क्रियान्विती करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्रीमती सोना देवी (रायसिंहनगर) :

169 विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर की सीमावर्ती पंचायतों में शुद्ध पेयजल व्यवस्था करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

170 विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में जनता जल कर्मियों को स्थायी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

171 विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में जनता जल योजना को पी.एच.ई.डी. को सौंपने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोतमलाल (धरियावद) :

172 विधान सभा क्षेत्र धरियावद में पेयजल सुविधाओं से वंचित गांवों को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी) :

173 विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी की पंचायत समिति भदेसर बड़ी सादड़ी एवं प्रतापगढ़ में पेयजल योजना स्वीकृत करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़) :

174 विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में कार्यरत कर्मचारियों को लेबर कम्पोनेन्ट राशि का भुगतान कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

175 सूरतगढ़ शहर की पेयजल योजना को स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

176 विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ की सभी जनता जल योजना के पुनर्निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

177 विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ के 3SAD व 12-13 LKS में पेयजल योजनाओं के निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर) :

178 विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर की ग्राम पंचायत बिछीवाड़ा, कनबा, ओडाबड़ा, गांवड़ी देवल, नाथूगामड़ा खास, मेताली, खेड़ा कच्छवासा में पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

179 डूंगरपुर कन्या महाविद्यालय एवं एस.बी;पी. रा. महाविद्यालय में तथा राजकीय महारावल सी. सै. स्कूल में आर.ओ. प्लान्ट लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

180 डूंगरपुर के केन्द्रीय विद्यालय में विद्यार्थियों हेतु आर.ओ. प्लान्ट लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

181 डूंगरपुर शहर में इण्डस्ट्रीज एरिया में बने उच्च जलाशय को रामनगर, पत्रकार कॉलोनी से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

182 विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में बिखरी आबादी के लिए 100 हैण्डपम्प उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री भीमा भाई (कुशलगढ़) :

183 विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में कुशलगढ़, सज्जनगढ़ के 399 गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री धनसिंह रावत (बांसवाड़ा) :

184 विधान सभा क्षेत्र बांसवाड़ा की ग्राम पंचायत सियारपुर के ग्राम पलोदरा के लिए पेयजल योजना की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

185 विधान सभा क्षेत्र बांसवाड़ा की ग्राम पंचायत बोरवोर के ग्राम बोदला के लिए पेयजल योजना स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

186 विधान सभा क्षेत्र बांसवाड़ा की ग्रा.पं. कुण्डला के ग्राम बोर तलाब के लिए पेयजल योजना स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

187 विधान सभा क्षेत्र बांसवाड़ा के जनावाड़ी एवं ग्राम लोधा के लिए पेयजल योजना स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

188 विधान सभा क्षेत्र बांसवाड़ा में ग्राम पंचायत टामटिया मुख्यालय पर पेयजल योजना स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा) :

189 विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के सुल्तानपुर कस्बे में स्वीकृत पेयजल योजना का कार्य प्रारम्भ कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

190 कोटा में अकेलगढ़ प्लान्ट से कैथून कस्बे तक पाइप लाइन डालकर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

191 विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में नये हैण्डपम्पों की स्वीकृति जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

192 विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में फ्लोराइड युक्त पानी की समस्या के समाधान एवं शुद्ध पेयजल हेतु नई योजनाएं स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

193 कोटा जिले की नगर निगम सीमा में स्थित कॉलोनी में पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोपी चन्द मीणा (आसपुर) :

194 विधान सभा क्षेत्र आसपुर के 140 गांवों को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

195 विधान सभा क्षेत्र आसपुर में पूनाली, कुंजपुर, बस्सी, साबला, बोड़ीगामा, निगऊवा गामड़ी, म्याला टेकला, रीक्षा, लिम्बाता, आंतरी, पिण्डावल, तालोरा, मगेंड़ में पेयजल हेतु नल स्कीम बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

196 विधान सभा क्षेत्र आसपुर में आसपुर, गोल, खेड़ा, बोडीगाम छोटा, पिण्डावल में पुरानी पाइप लाइन को बदलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

197 विधान सभा क्षेत्र आसपुर में बेणेश्वर धाम एनिकट से सावला, पिण्डावल, तालोरा, मुगेंड़ गांवों हेतु पेयजल योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

198 विधान सभा क्षेत्र आसपुर में जनजाति क्षेत्र में हैण्डपम्प मिस्त्रियों की भर्ती करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हीरालाल (निवाई) :

199 विधान सभा क्षेत्र निवाई में बीसलपुर के पानी से वंचित गांवों में बीसलपुर का पानी पहुंचाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

200 विधान सभा क्षेत्र निवाई के उप खण्ड मुख्यालय निवाई पर अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय सृजित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर) :

201 विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में चम्बल परियोजना के जहाजपुर में हो रहे सबसे धीमे संधारण के विरोध में एवं कार्यरत कम्पनी का ठेका कार्य निरस्त कर अन्य से कार्य करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

202 विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर भीलवाड़ा के चम्बल परियोजना के पूर्ण होने में हो रही देरी के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

203 विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में पेयजल योजना गाडोली लुहारी में पूर्ण जल वितरण नहीं होने व जहाजपुर कोटड़ी में चलने वाली विभागीय योजनाओं में अनियमितता के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री भंवरसिंह (कोलायत) :

204 विधान सभा क्षेत्र कोलायत में बीकानेर जिले की पेयजल योजनाओं को चलाने हेतु लगे अस्थाई कमर्चारियों का मानदेय बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

205 कोलायत तहसील के सार्वजनिक ट्यूबवैलों की पम्पसेट मशीनें जलने के बाद विभाग द्वारा लम्बे समय तक नहीं बदलने से आमजन को हो रही असुविधा के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

206 विधान सभा क्षेत्र कोलायत में नहरी क्षेत्र के गांवों व ढाणियों में हैण्डपम्प स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

207 कोलायत तहसील के गोविन्दसर व लाखासर गांव में पेयजल नहीं पहुंचने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

208 विधान सभा क्षेत्र कोलायत की विभिन्न पेयजल योजनाओं के प्रस्ताव जल भवन, जयपुर में लम्बित होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्रीमती अनिता कटारा (सागवाड़ा) :

209 विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा के नगरपालिका क्षेत्र में वार्ड नं. 25 में पेयजल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

210 विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में ग्राम पंचायत सामलिया (नया गांव) में फ्लोराइड युक्त पानी से होने वाले रोग व पेयजल की समस्या के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

सुश्री कीर्तिकुमारी (माण्डलगढ़) :

211 विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में चम्बल योजना का कार्य धीमी गति से चलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

212 विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में बीजोलियां, बरून्दनों एवं बिगोद कस्बे की पेयजल पाइप लाइन की मरम्मत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर) :

213 राजगढ़ शहर की 20-25 वर्षों पुरानी पाइप लाइन को बदलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

214 प्रदेश में जल स्वावलम्बन योजना में सार्वजनिक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में पहले से बने हुए कुण्डों (टांकों) को शामिल कर उनकी मरम्मत करवाकर जल संग्रह करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

215 राजगढ़ बुंगी जल प्रदाय योजना से वंचित ढाणियों का चयन कर योजना से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

216 राजगढ़ बुंगी जल प्रदाय योजना का सही लाभ देने के लिए घर-घर कनेक्शन करने के लिए योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

217 राजगढ़ बुंगी जल प्रदाय योजना को शीघ्र प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री संजीव कुमार (भादरा) :

218 विधान सभा क्षेत्र भादरा में पेयजल समस्याओं को मध्यनजर रखते हुए विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

219 विधान सभा क्षेत्र भादरा के 4000 एवं 4000 से अधिक आबादी वाले गांव में घर-घर पेयजल कनेक्शन दिए जाने की योजना बनाकर स्वीकृति प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

220 विधान सभा क्षेत्र भादरा की पुरानी एवं जीर्ण-शीर्ण जल प्रदाय योजनाओं के जीर्णोद्धार एवं नवीनीकरण करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

221 विधान सभा क्षेत्र भादरा के आपणी योजना से जुड़े हुए ग्रामों को आपणी योजना से हटाकर क्षेत्र की सिद्धमुख सिंचाई परियोजना से जोड़कर नई पेयजल योजना बनाए जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

222 विधान सभा क्षेत्र भादरा की पुरानी पेयजल योजनाओं का आवश्यकतानुसार विस्तार एवं सुधार करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री झाबर सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर) :

223 विधान सभा क्षेत्र श्रीमाधोपुर (सीकर) में वर्षों पूर्व बने उच्च जलाशय जो जीर्ण-शीर्ण हैं, की सुरक्षा जांच करवाकर उनके स्थान पर नए उच्च जलाशयों का निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

224 विधान सभा क्षेत्र श्रीमाधोपुर जिला सीकर के ग्राम अजीतगढ़, झाडली, देवराना, मूनरू एवं नांगल ग्रामों की पेयजल योजनाओं को वर्तमान आबादी के अनुसार पुनर्नियोजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

225 विधान सभा क्षेत्र श्रीमाधोपुर में ग्रामीण पेयजल योजनाओं के रख-रखाव व विद्युत खर्च की राशि ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

226 सीकर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती पेयजल समस्या के संकट के निवारण के लिए कुम्भाराम पेयजल लिफ्ट परियोजना के द्वितीय चरण की स्वीकृति के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

227 श्रीमाधोपुर (सीकर) की पुनर्गठित पेयजल योजना निश्चित समय सीमा में पूर्ण नहीं होने एवं करोडों रुपये व्यय होने के बावजूद स्वीकृत कार्य सही ढंग से नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) :

228 विधान सभा क्षेत्र सांगानेर में बीसलपुर परियोजना की मांग के अनुसार पर्याप्त पेयजल की स्वीकृति के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

229 विधान सभा क्षेत्र सांगानेर में बीसलपुर योजना के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) :

230 विराटनगर शहर के वार्ड संख्या 5, 6, 13, 14, 15, 16 व 17 में पानी के कनेक्शन न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

231 विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के सभी सरकारी स्कूलों में पेयजल व्यवस्था न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

232 विधान सभा क्षेत्र विराटनगर की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत पावटा में फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होने से पीने के योग्य पानी की आपूर्ति न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

233 विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के गांव मण्डा, पापडा, प्रेमनगर, भोजावास, SC बस्ती टोकड़ा, बहमजाना, रामपुरा गांव की ढाणियों में जल आपूर्ति लाइन न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

234 विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के गांव में स्वजल धारा एवं जनता जल योजना की स्कीमों में टूटे-फूटे नलकूप नकारा होने तथा विद्युत बिल जमा न करवाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्रीमती राजकुमारी (हिण्डौन) :

235 हिण्डौन तहसील में चम्बल का पानी न आने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

236 विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन के ग्राम पंचायत सूरोठ एवं ढिंढोरा में पेयजल योजना स्वीकृत न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

237 हिण्डौन सिटी के आस-पास गांवों में चम्बल का पीने का पानी न आने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू) :

238 प्रदेश में शहरों की तरह गांवों में भी पेयजल के लिए सेवा भुगतान के आधार पर पानी के निजी कनेक्शन दिलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

239 विधान सभा क्षेत्र बायतू में पेयजल समस्या के समाधान के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर पुरानी पाइप लाइनों को नहरी पानी से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

240 बाड़मेर जिले की नहरी पानी की पेयजल परियोजनाओं की धीमी कार्य प्रगति को बढ़वाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

241 विधान सभा क्षेत्र बायतू में पेयजल की समस्या का समाधान अतिशीघ्र करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

242 विधान सभा क्षेत्र बायतू में पुरानी पाइप लाइनों की मरम्मत और रख-रखाव के लिए अधीक्षण अभियन्ता को अधिकार दिलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद) :

243 विधान सभा क्षेत्र सांगोद की जनता जल योजना, लटुरी, कमोलर, चतरपुरा एवं झाड़, आमली का रिज्युवनेशन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

244 विधान सभा क्षेत्र सांगोद के ग्रामों की क्षेत्रीय पाइप्ड पेयजल योजना स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

245 विधान सभा क्षेत्र सांगोद की ग्रामीण जल योजना, आवां, कनवास, धुलेट में पुरानी दूषित पाइप लाइन बदलने एवं विस्तार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

246 विधान सभा क्षेत्र सांगोद की पेयजल आपूर्ति हेतु पेयजल स्कीम हरिपुरा माजी, नालोदी एवं ब्ररंध एनिकट से पेयजल आपूर्ति हेतु डी.पी.आर. बनवाकर पेयजल योजना स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामनारायण (नसीराबाद) :

247 विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद के ग्रामीण इलाको में पानी की समस्या के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) :

248 विधान सभा क्षेत्र सांगानेर के रामपुरा रोड एवं ढाणी कुमावतान में बीसलपुर की शेष बची पाइप लाइन डलवाकर पूर्ण करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) :

249 विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में वृहद् पेयजल योजना के तहत बन रही टंकियों का निर्माण कार्य उच्च गुणवत्ता का नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

250 सीकर जिले को कुम्भाराम लिफ्ट योजना से पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

251 लक्ष्मणगढ़-फतेहपुर वृहद् पेयजल योजना का कार्य बन्द होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

252 लक्ष्मणगढ़ शहर में पेयजल की पर्याप्त एवं सुचारु व्यवस्था न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री बच्चू सिंह (बयाना) :

253 विधान सभा क्षेत्र बयाना में कस्बा वृधवाद में उच्च जलाशय (पानी की टंकी) को स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

254 विधान सभा क्षेत्र बयाना की तहसील रूपवास में अधिकारियों द्वारा चम्बल योजना से घर-घर पानी सप्लाई समय अवधि निकलने के बाद भी नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

255 विधान सभा क्षेत्र बयाना की तहसील रूपवास में चम्बल योजना के तहत बनाई जा रही टंकी निर्माण में ठेकेदारों को अवैध तरह से परेशान करने एवं कमीशन मांगने वाले सहायक अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता को तुरन्त प्रभाव से निलम्बित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) :

256 विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के ग्राम पिलावनी पं.स. रानीखुर्द में पाइप लाइन डालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

257 विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के रानी एवं देसूरी पंचायत समिति के गांवों को जवाई पेयजल परियोजना से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

258 पंचायत समिति देसूरी के नया गांव में पेयजल की व्यवस्था सुचारु रूप से करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री खेमाराम (सुजानगढ़) :

259 सुजानगढ़ शहर के बीदासर में नियमित पेयजल आपूर्ति के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

260 विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ में आपणी योजना में द्वितीय फेज में धीमी गति से कार्य करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

261 विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ में नये ट्यूबवैल खोदने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

262 विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ में 50 आर.ओ. प्लान्ट लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती कामिनी जिन्दल (गंगानगर) :

263 श्रीगंगानगर की ग्राम पंचायत ख्यालीवाला में प्रस्तावित वाटर वर्क्स की मंजूरी के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

264 श्रीगंगानगर की ग्राम पंचायत 18 एमएल (हिरणावाली) के ग्राम ठाकरावाली में पानी के अभाव में अनुपयोगी नये बने वाटर वर्क्स को सरकारी सिंचाई खाले से अनवरत पानी सप्लाई की मंजूरी के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

265 श्रीगंगानगर की ग्राम पंचायत 9 एमएल (लट्ठांवाली) के ग्राम 1 बीबी में बने वाटर वर्क्स से 11 एमएलको जोड़कर पेयजल सुविधा सुचारु करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

266 श्रीगंगानगर की ग्राम पंचायत 9 एमएल (लट्ठांवाली) के ग्राम 24 एमएल में बने वाटर वर्क्स से 25 एमएल, मलकानी इत्यादि ग्रामों को जोड़कर पेयजल सुविधा सुचारु करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

267 श्रीगंगानगर की ग्राम पंचायत लाधुवाला के वाटर वर्क्स से कुल्हडियावाली ढाणी को जोड़कर पेयजल सुविधा सुचारु करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) :

268 विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में बीसलपुर परियोजना के कार्य की धीमी गति से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

269 जयपुर शहर के मुरलीपुरा क्षेत्र की सिंधु नगर, साकेत कॉलोनी, परमहंस कॉलोनी, करणी कॉलोनी, प्रभात कॉलोनी, न्यू कॉलोनी तथा विजयबाड़ी पथ नं. 7 में कम प्रेशर से पेयजल आने की समस्या के निदान के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

270 विधान सभा क्षेत्र फुलेरा की किशनगढ़-रेनवाल कस्बे व फुलेरा कस्बे हेतु पेयजल वितरण की नवीन योजना बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

271 विधान सभा क्षेत्र फुलेरा की किशनगढ़-रेनवाल तहसील में सहायक अभियन्ता का कार्यालय तथा सांभर में अधिशासी अभियन्ता कार्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

272 विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में 100-100 नये हैण्डपम्प, ट्यूबवैल एवं 50 आर.ओ. प्लान्ट लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री शत्रुघ्न गौतम (केकड़ी) :

273 विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में नवीन सिंगल फेज मोटर, हैण्डपम्प, SLR, JLR की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

274 विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में जीर्ण-शीर्ण पाइप लाइनों को बदलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

275 टांटोटी व सावर तहसील क्षेत्र में पम्प हाउस के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

276 केकड़ी-गुलगांव-सावर हेतु स्टील पाइप लाइन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री नाना लाल अहारी (खैरवाड़ा) :

277 प्रदेश में मुख्य मंत्री, सांसद एवं विधायक द्वारा गोद ली गई ग्राम पंचायतों की पाइप लाइन योजना से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

278 विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में आर.ओ. प्लान्ट लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

279 विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में पाइप लाइन योजना (PHED) का मापदण्ड 4000 से घटाकर 2000/2500 की जनसंख्या करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

280 विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में सोलर ऊर्जा से पनघट लगवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

281 सोम, कमला एवं आबा को पाइप लाइन योजना सेमारी में रेबारियों की ढाणी व ब्रह्मपुरी दोनों गांवो को जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हीरा लाल दरांगी (झाड़ौल) :

282 विधान सभा क्षेत्र झाडोल की पेयजल समस्या से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम) :

283 विधान सभा क्षेत्र बीकानेर पश्चिम में पेयजल की समस्या के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

284 विधान सभा क्षेत्र बीकानेर पश्चिम में पुरानी पाइप लाइनों को बदलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

285 विधान सभा क्षेत्र बीकानेर पश्चिम में ढलान के कारण पानी नहीं आने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

286 विधान सभा क्षेत्र बीकानेर पश्चिम के बंगला नगर व करनीसर में पानी की टंकी बनवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्रीमती गीता वर्मा (सिकराय) :

287 विधान सभा क्षेत्र सिकराय में विभाग द्वारा दिए गए 30 हैण्डपम्पों की स्वीकृति जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण) :

288 नये कोटा शहर में नये फिल्टर प्लांट व इंटकवेल की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

289 विधान सभा क्षेत्र कोटा दक्षिण में पूर्व में स्वीकृत हैण्डपम्पों की स्थापना के लिए हो रही देरी के लिए जिम्मेदार दोषी कर्मचारियों व अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

290 विधान सभा क्षेत्र कोटा दक्षिण के महावीर नगर, दादाबाड़ी, शिवपुरा, संजय गांधी नगर, विज्ञान नगर आदि क्षेत्र में गली हुई पाइप लाइनों को बदलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

291 विधान सभा क्षेत्र कोटा दक्षिण में अन्नतपुरा, दीन दयाल नगर, सुभाष नगर, आर.के.पुरम एवं श्रीनाथपुरम में पेयजल के लिए उच्च जलाशय के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

292 कोटा जिले में कनिष्ठ अभियन्ता व अन्य कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर) :

293 प्रदेश में अशुद्ध पेयजल से हो रही बीमारियों के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

294 विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में शुद्ध पेयजल की सुचारु व्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

295 प्रदेश में फ्लोराइड युक्त पानी से छुटकारा दिलाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

296 फतेहपुर-लक्ष्मणगढ़ में मीठे पानी की वृहद योजना में हो रही देरी के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

297 विधान सभा क्षेत्र सीकर में पेयजल की किल्लत का ध्यान न रखकर पेयजल योजनाओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्रीमती सुशील कंवर (मसूदा) :

298 विधान सभा क्षेत्र मसूदा उप खण्ड कार्यालय पर सहायक अभियन्ता जनस्वास्थ्य अभियांत्रिक कार्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

299 विधान सभा क्षेत्र मसूदा में 22 पानी की टंकियों को पाइप लाइन से जोड़कर पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कैलाश वर्मा (बगरू) :

300 नगरपालिका बगरू को बीसलपुर पेयजल योजना से जोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

301 विधान सभा क्षेत्र बगरू की सभी 30 ग्राम पंचायतों को बीसलपुर पेयजल योजना से जोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

302 विधान सभा क्षेत्र बगरू के शहरी क्षेत्र में स्थित राजस्थान आवासन मण्डल की सभी कॉलोनियों को बीसलपुर पेयजल योजना से जोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

303 विधान सभा क्षेत्र बगरू के 15 गांवों में उच्च जलाशय निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

304 विधान सभा क्षेत्र बगरू के 15 गांवों में CWR (स्वच्छ जलाशय) के निर्माण एवं नये 8'' के बोरिंग किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल) :

305 विधान सभा क्षेत्र झोटवाड़ा के चित्रकूट स्कीम के सेक्टर 1 के टाइप सी में पानी का दबाव कम होने एवं पर्याप्त मात्रा में पानी न आने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

306 विधान सभा क्षेत्र हवामहल के वार्ड 83 माउण्ट रोड पहाड़ी पर स्थित पानी की टंकी को दुरुस्त करवाकर जल वितरण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) :

307 विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के ग्राम शेखसर, सुईब में फ्लोराइड युक्त पानी के गांवों को नहरी पेयजल योजनाओं से जोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

308 विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के गांवों के लिए पेयजल योजनाओं को स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

309 बीकानेर जिले में जनता जल योजना के स्वरूप पर जल प्रदाय विभाग का कार्य करने वाले जल कर्मियों को ग्राम पंचायतो के माध्यम से मात्र 500 रुपये प्रतिमाह हाई कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

310 प्रदेश में जनता जल योजना के कर्मचारियों का पारिश्रमिक बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

311 प्रदेश में पेयजल योजनाओं में मोटरों की कमी के कारण जल योजना के 10 से 15 दिन बन्द रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा) :

312 विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में आपणी योजना के तहत पेयजल हेतु घर-घर कनेक्शन देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

313 रावतसर नगरपालिका क्षेत्र में पेयजल की पुरानी पाइप लाइनें बदलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

परिशिष्ट-4

मांग संख्या 46 - सिंचाई (इंदिरा गांधी नहर परियोजना सहित) पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-46 मुख्य शीर्षक सिंचाई (इंदिरा गांधी नहर परियोजना सहित) के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़) :

1 विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के खिरजां तिबना गांव में बोल नाडी में मिलने वाली नदी के कटाव को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

2 जोधपुर जिले को सिंचाई के लिए इंदिरा गांधी नहर से पानी देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

3 विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के पहाड़ी क्षेत्र में वर्षा के समय पहाड़ों से व्यर्थ बहने वाले पानी के संरक्षण के लिए छोटे-छोटे चेक डैम बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

4 विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के बड़े-बड़े तालाबों को पक्का करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

5 विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में नये एनीकटों के लम्बित प्रस्तावों को स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

सुश्री कीर्तिकुमारी (माण्डलगढ़) :

6 विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ के पचानपुरा बांध की ऊंचाई बढ़ाने एवं नहरों के रख-रखाव के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अमृतलाल (सलूम्बर) :

7 विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर की जयसमन्द झील को भरने के लिये माही का पानी नागलिया डैम में तथा जाखम का ओवरफ्लो पानी ग्रेवेटी से जयसमन्द में डालने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

8 विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में जयसमन्द झील की सभी नहरों की मरम्मत, सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

9 विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर/सराडा थुर की घाटी, केजड़, हरचन्द एवं

सुरखण्ड खेडा तालाबों की भराव क्षमता एवं पाल की ऊंचाई बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

10 विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के डाया तालाब एवं हरचन्द तालाब की मरम्मत एवं भराव क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

11 विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में नहरों एवं धोरों को पक्का करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भजनलाल जाटव (वैर) :

12 विधान सभा क्षेत्र वैर में सिंचाई हेतु चम्बल व पांचना बांध से पानी उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर) :

13 विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर के गूपड़ा चौहानों का गुडा तक उदयसागर की नहर को बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री चन्द्रभान सिंह ''आक्या'' (चित्तौड़गढ़) :

14 चित्तौड़गढ़ के घोसुण्डा बांध के ओवरफ्लो पानी के लिए घोसुण्डा तालाब का फीडर निर्माण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री कुंजीलाल (बामनवास) :

15 विधान सभा क्षेत्र वामनवास को चम्बल योजना से जोड़े जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह रावत (भीम) :

16 विधान सभा क्षेत्र भीम में आने वाले सभी बांधों की नहरों की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर) :

17 विधान सभा क्षेत्र बानसूर में सिंचाई की नई योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

18 विधान सभा क्षेत्र बानसूर में एनीकट एवं बांध बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) :

19 विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में नहर के एक तरफ से दूसरी तरफ बसे गांवों में जाने के लिये नहर पर पुल न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

20 विधान सभा क्षेत्र विराटनगर की नहरों की मरम्मत न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

21 विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में सिंचाई हेतु बने बांधों से सिंचाई न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

22 विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में स्थित जवानपुरा धाबाई में निर्मित बांध के निकासी क्षेत्र में हो रहे अतिक्रमण से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

23 विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में जवानपुरा बांध से निकली नहर पर अतिक्रमण होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर) :

24 विधान सभा क्षेत्र ब्यावर के कोटा बांध बरारवन क्षेत्र में एवं रानडा बांध ग्राम पंचायत आसन क्षेत्र के दोनों बांधों को स्वीकृत कर काश्तकारों को सिंचाई के लिये पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

25 विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में सुरह घाटा, सारोट एवं चुलिया बांध से जवाजा बांध को भरने की फीडर को स्वीकृत कर कार्य शुरू कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रमेश (सपोटरा) :

26 विधान सभा क्षेत्र सपोटरा में सिंचाई सुविधाओं के विकास के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

27 विधान सभा क्षेत्र सपोटरा की क्षतिग्रस्त नहरों की मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

28 विधान सभा क्षेत्र सपोटरा में दोहरी बांध (करणपुर) में लघु सिंचाई परियोजना को पूर्ण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री दलीचन्द डांगी (मावली) :

29 विधान सभा क्षेत्र मावली में बागोलिया बांध को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

30 विधान सभा क्षेत्र मावली के उदयसागर व बडगांव बांध की सभी कच्ची एवं जीर्णशीर्ण नहरों को दुरुस्त/पक्का करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण) :

31 जयसमन्द बांध, जिला अलवर में बांध की टूटी हुई सड़क का पुनः निर्माण करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

32 सीलीसेड बांध, जिला अलवर की नहर को दुरुस्त करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी) :

33 झांतला पंचायत समिति प्रतापगढ़ में पानी की आवक को देखते हुए झांतला बांध का निर्माण करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

34 वाघन बांध की नहरों का सुदृढ़ीकरण (मरम्मत) करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा) :

35 विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा की ग्राम पंचायतें गुन्दाऊ, नेनोल, सरनाऊ, दांता, पुर, पांचला, सांकड़ एवं सुरावा में नर्मदा नहर का पानी सिंचाई हेतु उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

36 विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में अरावली पर्वत श्रृंखला होने के कारण छोटे-बड़े चलने वाले नदी-नालों पर चेक डैम, एनिकट एवं बांध बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शैतान सिंह (पोकरण) :

37 विधान सभा क्षेत्र पोकरण में खुहड़ा नेड़ान नदी पर बांध एवं भणियाणा तालाब का घाट बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर) :

38 विधान सभा क्षेत्र नोहर के सिंचाई से वंचित 14 गांवों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक डोगरा (बूंदी) :

39 विधान सभा क्षेत्र बूंदी के गरड़दा बांध का पुनः निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

40 बूंदी जिले के सी.ए.डी. की वाई मुख्य नहर और उसकी सभी डिस्ट्रीब्यूटरी और माइनरों को पक्का कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़) :

41 विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में सभी हैडों पर पोंड नहीं बनने से क्षतिग्रस्त नहरों की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर) :

42 विधान सभा क्षेत्र कोटा उत्तर में कोटा बेराज के डाउन स्ट्रीम में भूमि कटाव रोकने के लिए दोनों ओर सुरक्षा दीवार बनाए जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

43 विधान सभा क्षेत्र कोटा उत्तर में बायीं मुख्य नहर के दोनों ओर सुरक्षा दीवार बनाकर नहर के दोनों ओर की सघन बस्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री दर्शन सिंह (करौली) :

44 विधान सभा क्षेत्र करौली में चम्बल नदी से पांचना बांध व पांचना बांध से जगद बांध तक लिफ्ट परियोजना स्वीकृत कर किसानों को सिंचाई का पानी उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

45 विधान सभा क्षेत्र करौली में स्थित पांचना बांध पर सिंचाई हेतु गुडला लिफ्ट परियोजना के रूके कार्य को पुनः चालू करवाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम (टोडाभीम) :

46 विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के तालाब व नहरों को गहरा कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

47 विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में चम्बल लिफ्ट परियोजना स्वीकृत कर सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनीता (नगर) :

48 विधान सभा क्षेत्र नगर में सीकरी बांध को गुडगांवा कैनाल से लिफ्ट द्वारा 100 क्यूसेक पानी देने की योजना की डी.पी.आर. मात्र 1.50 लाख की वजह से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मान सिंह (गंगापुर) :

49 विधान सभा क्षेत्र गंगापुर में बनियावाला, मोतीसागर, चन्दापुरा आदि

बांधों का सुदृढ़ीकरण तथा कुमकटा, बयामाही, आनी एवं सनेपुर चूनी एनीकट निर्माण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता कटारा (सागवाड़ा) :

50 विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में खडेश्वर वमासा एनिकट निर्माण की स्वीकृति जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

51 विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा के ओड पंचायत क्षेत्र में एनिकट निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) :

52 विधान सभा क्षेत्र लूणी में सिंचाई विभाग के रिक्त पदों पर नियुक्ति करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

53 विधान सभा क्षेत्र लूणी के क्षतिग्रस्त नालों, एनिकटों, पुलों एवं नहरों की मरम्मत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

54 विधान सभा क्षेत्र लूणी की नदियों में अवैध रूप से फैक्ट्रियों का केमिकल युक्त पानी डालने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

55 विधान सभा क्षेत्र लूणी में सरकार द्वारा बूंद-बूंद सिंचाई को प्रोत्साहन हेतु दी जाने वाली सब्सिडी राशि में बढ़ोत्तरी करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

56 विधान सभा क्षेत्र लूणी में विभिन्न क्षेत्रों के गांवों में बरसाती पानी को रोकने हेतु छोटे-छोटे एनिकटों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

मास्टर मामनसिंह यादव (तिजारा) :

57 विधान सभा क्षेत्र तिजारा में सूरजमुखी बांध की मरम्मत एवं नवीनीकरण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सोना देवी (रायसिंहनगर) :

58 विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में वर्ष 2015-16 के दौरान बने खालों की ए.सी.डी. से जांच कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) :

59 विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में खानों में एकत्र होने वाले वर्षा जल के समुचित उपयोग की प्रभावी योजना बनाकर क्रियान्वयन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

60 प्रदेश की नहरों के ऊपर सौर ऊर्जा पैनल लगाकर विद्युत उत्पादन की प्रभावी योजना बनाकर क्रियान्वयन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नवनीत लाल (घाटोल) :

61 बांसवाड़ा जिले के माही डैम तालाब की टूटी नहरों की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

62 विधान सभा क्षेत्र घाटोल में माही डैम के दायीं तरफ पीपलखूंट का कार्य सर्वे के अनुसार नहर का काम प्रारम्भ नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (चाकसू) :

63 जयपुर के रामचन्द्रपुरा बांध के पानी को 60:40 के अनुपात में वितरण की व्यवस्था को स्थायी करने तथा नहरों के पक्के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री श्रीचन्द्र कृपलानी (निम्बाहेड़ा) :

64 रेण का नाका लघु सिंचाई परियोजना पंचायत समिति निम्बाहेड़ा की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

65 मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन योजना के अन्तर्गत पंचायत समिति निम्बाहेड़ा के बडावली तालाब एवं बोरड़ी तालाब के जीर्णोद्धार एवं निर्माण की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

66 निम्बाहेड़ा तहसील के ऊंचा तालाब का जीर्णोद्धार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

67 तहसील छोटी सादड़ी जिला-प्रतापगढ़ के बसेड़ा तालाब की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

68 निम्बाहेड़ा तहसील में जल संसाधन विभाग के अधीन लघु सिंचाई परियोजनाओं, तालाब व वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रेक्चर के संरक्षण के लिए निम्बाहेड़ा में जल संसाधन विभाग का उपखण्ड स्वीकृत कर सहायक अभियन्ता कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कन्हैयालाल (मालपुरा) :

69 विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के टोरड़ी सागर बांध की नहरों को पक्का करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

70 विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के छोटे-छोटे बांधों को जायका योजना के तहत राशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रमेश (सपोटरा) :

71 विधान सभा क्षेत्र सपोटरा में दोहरी बांध लघु सिंचाई योजना को पूर्ण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

72 विधान सभा क्षेत्र सपोटरा के नहरी तंत्र को सुदृढ़ बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सुशील कटारा (चौरासी) :

73 विधान सभा क्षेत्र चौरासी के उपखण्ड सीमलवाड़ा में अधिशासी अभियन्ता कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

74 विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, बेलदार, एलडीसी एवं यूडीसी के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

75 विधान सभा क्षेत्र चौरासी में बोर का भारड़ा बांध के कार्य को पूरा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

76 विधान सभा क्षेत्र चौरासी के अमरपुरा बांध की नहरों का सुदृढ़ीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

77 विधान सभा क्षेत्र चौरासी में डोलकुन्जेला, बलवनिया नाका, मोदरा महुडी, बेडा नाका, ककोडी नाका बिलपन, बेडा नाका एवं गढा गोकल बांध की स्वीकृति जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेश धाकड (बेगूं) :

78 विधान सभा क्षेत्र बेगूं में जल सागर बांध का पानी राजगढ़ बांध से नहर द्वारा डालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

79 विधान सभा क्षेत्र बेगूं में ओराई बांध की नहरों के सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

80 विधान सभा क्षेत्र बेगूं में मेनाली नदी पर एनिकट निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

81 विधान सभा क्षेत्र बेगूं के रावतभाटा में पेयजल राणा प्रताप सागर से लेने की एनओसी देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

82 विधान सभा क्षेत्र बेगूं में राणा प्रताप सागर बांध का स्टेज गेट खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन) :

83 विधान सभा क्षेत्र कपासन में अपूर्ण एनिकट कम काजवे मरमीमाताजी, बगतावरपुरा एवं गेगपुरा की स्वीकृति जारी करने की आवश्यता पर चर्चा के लिये।

84 विधान सभा क्षेत्र कपासन सांवरिया सरोवर फीडर का निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) :

85 तहसील बहरोड़ को डार्क जोन घोषित करने से सिंचाई के लिए चम्बल का पानी बहरोड़ में लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

86 विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में डार्कजोन घोषित होने से सिंचाई के लिए राजस्थान के हिस्से का पानी यमुना से हरियाणा के बावल कैनाल से बहरोड़ तक पहुंचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

87 विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में माढसां एवं मंगलपुर गांव के पास एनिकट बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

88 विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में खापरिया गांव के पास एनिकट बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

89 विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में खूंदरोठ गांव के पास एनिकट/बांध बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा) :

90 विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में लासी डैम छीपाबड़ौद (बारां) से निकलने वाली नहरों का निर्माण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना) :

91 विधान सभा क्षेत्र सिवाना के उपखण्ड सिणधरी के गांवों को और सिवाना मुख्यालय के गांवों को सिंचाई हेतु नर्मदा नहर का पानी देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

92 विधान सभा क्षेत्र सिवाना के मेली बांध को इन्दिरा गांधी नहर पानी से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

93 इन्दिरा गांधी नहर को आगे बढ़ाकर बाड़मेर के विभिन्न तहसीलों तक सिंचाई हेतु पानी देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

94 विधान सभा क्षेत्र सिवाना में सिंचाई हेतु जल सरंक्षण के लिए नाल बांध एवं अन्नपूर्णा माताजी बांध बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

95 विधान सभा क्षेत्र सिवाना में सुराज सकंल्प यात्रा के दौरान गोयणा भाखर डण्डाली बांध की घोषणा की क्रियान्वति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर) :

96 पांचना बांध करौली से गम्भीर नदी द्वारा घना पक्षी विहार भरतपुर को पानी उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

97 विधान सभा क्षेत्र भरतपुर के टूटे पड़े चिकसाना बांध की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

98 भरतपुर जिला मुख्यालय पर गिर्राज कैनाल के ऊपर मडरपुर वाले रास्ते पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमंडी) :

99 विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में स्थित फावा, उदपुरिया, डोल्या, सनखेड़ा, मण्डा, उण्डवा, रावंठा, धरनावद तालाब एवं रामसागर बांध की मरम्मत व निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

100 विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में 2007 से स्वीकृत ताकली सिंचाई परियोजना के अधूरे कार्य को शीघ्र पूरा कर किसानों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

101 विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में स्थित फावा तालाब व रामसागर बांध में सिंचाई हेतु सिंचाई परियोजना बनाकर किसानों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

102 विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी के किसानों को मध्य प्रदेश की सीमा में स्थित गांधी सागर बांध से नई सिंचाई परियोजना बनाकर नहरों द्वारा सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक (हिण्डौली) :

103 विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली (बून्दी) की पंचायत समिति नैनवां में मेज नदी पर मुण्डली के घाटे (मंरा के पास) पर एनीकट निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

104　विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली (बून्दी) की पंचायत समिति नैनवां के दुगारी बांध की भराव क्षमता बढ़वाने के लिए रूणीजा, जजावर एवं खोड़ी बांध के ओवरफ्लो पानी को दुगारी बांध में पहुंचाने की परियोजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

105　विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली (बून्दी) के गुढाबांध से ग्राम रघुनाथपुरा से ग्राम रामपुरिया माल होते हुए ग्राम सिंघाड़ी तक सिंचाई हेतु नई माईनर निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

106　विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली (बून्दी) की पंचायत समिति नैनवां में पाईबालापुरा बांध के वेस्टवेयर से निकलने वाले जल को बांक्या बांध में डलवाने की परियोजना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

107　विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली (बून्दी) के गुढाबांध से ग्राम रघुनाथपुरा से ग्राम रामपुरिया माल होते हुए ग्राम सिंघाडी तक सिंचाई हेतु नई माईनर निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी) :

108　विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी में पूर्व में प्रस्तावित मनसा माता डैम को स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़) :

109　विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) की पंचायत समिति एवं तहसील मुख्यालय अराई में सिंचाई विभाग का एक नवीन सहायक अभियंता कार्यालय स्थापित कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

110　विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) में स्थित किशनगढ़ पंचायत समिति के नयागांव ग्राम पंचायत सरगांव स्थित रणसमन्द तालाब की नहरों एवं मोरियों को पक्का कर सिंचाई कराने की महत्ती योजना की क्रियान्विति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

111　विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) के ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा के पानी को रोकने के लिये चैक डैम एवं नवीन एनीकटों के निर्माण की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

112　विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) की पंचायत समिति एवं तहसील मुख्यालय अराई पर स्थित कोडिया सागर एवं सुरखेली सागर तालाबों की मोरियों/नहरों को पक्का कर सिंचाई कराने की महत्ती योजना की क्रियान्विति पर चर्चा के लिये।

113 विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) में किसानों को एवं ग्रामीणों को प्रशिक्षण देकर इजराइल पद्धति पर बूंद-बूंद एवं ड्रीप सिस्टम योजना से अधिकाधिक सिंचाई कराने हेतु महती योजना की क्रियान्वति हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रताप लाल भील (गोगुन्दा) :

114 विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा की ग्राम पंचायत मजावट स्थित सुखेर बांध से केवल सिंचाई का पानी देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं) :

115 राज्य के हिस्से का यमुना का पानी झुंझुनूं एवं चूरू जिलों में लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास) :

116 यमुना नदी के बाढ़ का पानी जिला अलवर में एन.सी.आर. द्वारा योजना बनाकर सिंचाई के लिये उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती कमसा (भोपालगढ़) :

117 इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विस्तार कृषि क्षेत्र में करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री पब्बाराम (फलौदी) :

118 विधान सभा क्षेत्र फलौदी में गुरु जम्भेश्वर लिफ्ट (फलौदी लिफ्ट) के सिंचित क्षेत्र 35604 हैक्टेयर के लिए निर्धारित 176 क्यूसेक पानी उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

119 विधान सभा क्षेत्र फलौदी में इंदिरा गांधी नहर के द्वितीय चरण में निर्मित लिफ्ट कैनाल के पैट्रोलिंग हेतु निर्मित सड़क मार्ग की मरम्मत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

120 विधान सभा क्षेत्र फलौदी में इंदिरा गांधी नहर परियोजना की जम्भेश्वर लिफ्ट कैनाल के पम्पिंग स्टेशन 4 से 7 तक विद्युत लाइनों को पुनः लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

121 विधान सभा क्षेत्र फलौदी में गुरु जम्भेश्वर लिफ्ट से निकलने वाली तालरिया माईनर के सिंचाई प्लान में ग्राम नेवा के खेत खसरा नम्बर

14, 16, 17, 18, 19 एवं 582 को शामिल करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर) :

122 जैसलमेर में इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में ट्यूबवैल की स्वीकृति जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

123 जैसलमेर जिले में सिंचाई के पानी की क्षमता व हिस्से का पानी देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

124 जैसलमेर जिले की इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में डिग्गी निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

125 जैसलमेर जिले में पूर्व में बनी नहरी माईनर वितरिकाएं एवं खालों की रिपेयरिंग करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सोना देवी (रायसिंहनगर) :

126 इंदिरा गांधी नहर परियोजना की सूरतगढ़ ब्रांच में 100 क्यूसेक पानी और देकर टेल के अंतिम छोर (पुंछ) पर बैठे किसानों को पूरा पानी देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

127 सूरतगढ़ ब्रांच के टेल पर सभी मोगों का नवीनीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

128 विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर की गंग कैनाल की पी.एस. वितरिका/आरबी वितरिका से खांटा बारानी व लख टीबा के सिंचाई से वंचित रहे रकबे को खाटा माइनर में स्वीकृत कर निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

129 विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के समस्त ग्राम पंचायतों के पक्के खालों को नकारा घोषित कर पुनः नवीन खाले बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोतमलाल (धरियावद) :

130 विधान सभा क्षेत्र धरियावद में जाखम नहर व सोम कमला आम्बा की नहरों का सुदृढ़ीकरण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

131 विधान सभा क्षेत्र धरियावद में फॉर वाटर योजना के तहत शेष रहे गांवों में सर्वे कराकर योजना लागू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री गोतम कुमार (बड़ी-सादड़ी) :

132 विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में मामादेव एनिकट को बड़ा बनाकर खड़वाई तालाब हेतु आवनहर का पक्का निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

133 विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में ग्राम पंचायत नगांवली के तालाब की मरम्मत करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़) :

134 विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में इन्दिरा गांधी नहर की सभी छोटी-बड़ी नहरों के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

135 विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में सेम समस्या के समाधान के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

136 भाखड़ा नहर प्रणाली की सूरतगढ़ व पीलीबंगा वितरिकाओं को (एसटीजी एवं पीबीएन) पक्की करवाने एवं सूरतगढ़ तहसील के भाखड़ा क्षेत्र के खाले पक्के करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर) :

137 विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर के गांव उचकी में एनिकट निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

138 विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर की मेवाड़ा लघु सिंचाई परियोजना की दायीं व बायीं मुख्य नहर तथा पूरे कमाण्ड एरिया की सिंचाई की माइनर नहरों की मरम्मत एवं निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

139 विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर की ग्राम पंचायत आसियावाव में एनिकट निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

140 विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर की ग्राम पंचायत मोदर के गांव पीथापुर में बांध का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

141 विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में ग्राम पंचायत भटवाड़ा में गांव बादोड़ का खजूर वाले तालाब की ऊंचाई बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भीमा भाई (कुशलगढ़) :

142 विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में लघु-सिंचाई हेतु गांव खजुरा, वडला किरेल, काकनिया, आमलीपाए व टिडियादेव सिकिय की डिपीभार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अजीत सिंह (टोंक) :

143 विधान सभा क्षेत्र टोंक के सिंचाई बांधों की मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

144 टोंक जिले में बीसलपुर नहरों के क्षतिग्रस्त धोरे के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

145 टोंक जिले की उप तहसील बरबास में ढीबरू सागर बांध की शेष नहरों को पक्का करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री धनसिंह रावत (बांसवाड़ा) :

146 विधान सभा क्षेत्र बांसवाड़ा के माही सागर की आरएमसी एवं एलएमसी दोनों नहरों के सुदृढ़ीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

147 विधान सभा क्षेत्र बांसवाड़ा के काकन सेजा, दानपुर एवं आबापुरा द्वितीय के लिये लिफ्ट परियोजना स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

148 विधान सभा क्षेत्र बांसवाड़ा की नहरों की टेल तक पानी पहुंचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

149 विधान सभा क्षेत्र बांसवाड़ा के सब माइनरों की रेजिंग करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

150 विधान सभा क्षेत्र बांसवाड़ा के अन्तर्गत माही की नहरों के सीपेज पानी को रोकने की व्यापक कार्य योजना बनाकर उसके निराकरण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री गोपी चन्द मीणा (आसपुर) :

151 विधान सभा क्षेत्र आसपुर में सोमकमला अम्बा डैम की नहरों से धोरे निकालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

152 विधान सभा क्षेत्र आसपुर में माही के नहरों के ऊपर पुलिया निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

153 विधान सभा क्षेत्र आसपुर में रायकी लिफ्ट परियोजना के 18 गांवों की सिंचाई हेतु स्वीकृति जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

154 विधान सभा क्षेत्र आसपुर में सोमकमला अम्बा की क्षतिग्रस्त नहरों का सुदृढ़ीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

155 विधान सभा क्षेत्र आसपुर में सोनार माता, निम्वाता पूल देवसोमनाथ एवं भडे माता के पास एनिकट बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़) :

156 विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में ऐटा-सींगरासर (सूरतगढ़) माइनर के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल (निवाई) :

157 विधान सभा क्षेत्र निवाई के मांसी बांध में बीसलपुर के ओवरफ्लो पानी को टोरडी सागर में डालकर लिफ्टिंग करके मांसी बांध में डलवाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री भंवरसिंह (कोलायत) :

158 विधान सभा क्षेत्र कोलायत में इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली 6 लिफ्ट नहरों के क्षेत्र को स्प्रिंकलर के माध्यम से सिंचित करने की योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

159 विधान सभा क्षेत्र कोलायत में इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र की कोलायत व गजनेर लिफ्ट के तहत आने वाले क्षेत्र की सभी वितरिका, माइनर व सब-माइनर के टेल तक पानी नहीं पहुंचने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

160 विधान सभा क्षेत्र कोलायत में इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र की सड़कों की स्थिति अत्यन्त खराब होने से आमजन को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

161 विधान सभा क्षेत्र कोलायत में इंदिरा गांधी नहर की चारणवाला ब्रांच की 0 से 100 आरडी तक डीच माइनर बनाने के प्रस्ताव का, क्षेत्र के किसानों में भारी विरोध के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

162 विधान सभा क्षेत्र कोलायत में इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग में सभी श्रेणी के अधिकांश रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता कटारा (सागवाड़ा) :

163 विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में ग्राम पंचायत कसारिया में पंचायत समिति गलियाकोट में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

164 विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में ग्राम पंचायत बेण में सिंचाई व्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

165 विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में ग्राम-पंचायत बुचिया-बड़ा में सिंचाई की समस्या के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

सुश्री कीर्तिकुमारी (माण्डलगढ़) :

166 विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में पंचानपुरा बांध की नहरों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

167 विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ के कण्डोल बांध की नहरों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम (टोडाभीम) :

168 विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के फतेहसागर तालुका बांध, मोरासागर, रायसनाबन्ध तथा अन्य तालाबों को गहरा कराने एवं नहरों की मरम्मत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर) :

169 विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में चौधरी कुम्भाराम लिफ्ट कैनाल से चूरू जिले के अनकमाण्ड क्षेत्र को वापस कमाण्ड क्षेत्र में जोडने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

170 विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में राजगढ़ तहसील की उप-तहसील सिद्धमुख के जुडे गांवों में चकबन्दी, मुरब्बाबंदी, मेड़बंदी, मोरी निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

171 सिद्धमुख नहर परियोजना में उप-तहसील सिंधमुख को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

172 उप-तहसील सिंधमुख के सिद्धमुख नहर परियोजना से जुडे गांवों में सिंचाई के लिए पानी पहुंचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

173 सिद्धमुख नहर परियोजना से जुडे राजगढ़ तहसील के गांवों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री संजीव कुमार (भादरा) :

174 विधान सभा क्षेत्र भादरा में सिंधमुख नहर सिंचाई परियोजना में सिंचाई हेतु हरियाणा से निर्धारित पानी लेने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

175 विधान सभा क्षेत्र भादरा में सिंधमुख नहर परियोजना क्षेत्र में मुख्य नहर, विभिन्न वितरिकाओं, माइनरों एवं सब माइनरों में बकाया मोघों को शीघ्र लगवाने एवं ऊंचे लगे मोघों को शीघ्र दुरुस्त करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

176 विधान सभा क्षेत्र भादरा के सिंचाई से वंचित 14 गांवों को श्री कुम्भाराम आर्य लिफ्ट परियोजना से जोड़कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

177 विधान सभा क्षेत्र भादरा में सिंधमुख नहर सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत आने वाली विभिन्न क्षतिग्रस्त नहरों, वितरिकाओं एवं माइनरों, एवं सब-माइनरों की शीघ्र मरम्मत करवाए जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

178 विधान सभा क्षेत्र भादरा में अमरसिंह सब ब्रांच का रेग्युलेशन 21 दिनों की बारी के अनुसार बनाकर विभिन्न माइनरों को 21 दिन के वरियताक्रम से सिंचाई का पानी दिए जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री भंवर लाल (सरदारशहर) :

179 विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर में जैतसीसर माइनर के मोगा नं. 6 ए व 7 ए जो कि वेपकोस के सर्वे में स्वीकृत है, को लगवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

180 विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर में कुम्भाराम लिफ्ट में तहसील सरदारशहर, तारानगर, नोहर, लूणकरणसर में सर्वेशुदा रकबे में से काटे हुए रकबे को जोड़ने एवं पुनः निर्माण कार्य शुरू करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

181 विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर में जैताणा, कुसुमदेसर माइनर, सूई ब्रांच व जैतसीसर माइनर का कार्य चालू करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

182 सरदारशहर तहसील में डिग्गी सिस्टम की स्वीकृति एवं उनको अनुदान दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) :

183 अन्तराज्यीय जल समझौते के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

184 इंदिरा गांधी नहर परियोजना में पंजाब से आ रहे जहरीले पानी के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

185 गुलर के बंधे से डिग्गी रोड सांगानेर तक की नहर पर सुरक्षा दीवार एवं कॉलोनियों के आने-जाने वाली एप्रोच पुलियाओं की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती राजकुमारी (हिण्डौन) :

186 हिण्डौन तहसील के ग्राम पंचायत देवलेन में एनीकट न बनाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

187 विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन में गम्भीर नदी पर एनीकट बनाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

188 विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन में महावीर जी के पास गंभीर नदी पर एनीकट न बनाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू) :

189 विधान सभा क्षेत्र बायतू में इंदिरा गांधी नहर पर कच्चे खालों का निर्माण कर पक्के खालों में बदलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

190 विधान सभा क्षेत्र बायतू में बूंद-बूंद सिंचाई व फव्वारा सिंचाई को प्रोत्साहन देने के लिए सोलर प्लांट के लिए अनुदान राशि बढ़वाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

191 जैसलमेर के नहरी क्षेत्र के किसानों को डिमांड अनुसार बिजली कनेक्शन दिलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

192 बायतू (बाड़मेर) को डार्क जोन से मुक्त करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद) :

193 विधान सभा क्षेत्र सांगोद के उपखण्ड कनवाज एवं सांगोद के नदी किनारे बसे गांवों को वर्षा जल से बचाने हेतु सिंचिगवाल एवं डायवर्सन चैनल बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

194 विधान सभा क्षेत्र सांगोद की दायीं मुख्य नहर के ब्लॉक 1, 3, 4, 5 के गांवों को सिंचाई हेतु लिफ्ट की स्वीकृति हेतु डीपीआर बनवाकर स्वीकृति जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

195 हरीश चन्द्र सागर कैनाल को कालीसिंध परियोजना के द्वितीय फेज से जोड़ते हुए पूर्व निर्मित नहरी तन्त्र को सुदृढ़ कर विकसित करते हुये रबी की फसल को सिंचित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

196 विधान सभा क्षेत्र सांगोद के ग्राम पंचायत धुलेट, दांता व बास्याहेडी क्षेत्र में वाटर कोर कन्सेप्ट के तहत जल संरक्षण के क्षेत्र विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

197 दायीं मुख्य नहर के दीगोद एवं कल्याणपुरा लिफ्ट का जीर्णोद्धार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बच्चू सिंह (बयाना) :

198 विधान सभा क्षेत्र बयाना, तहसील रूपवास, गांव-खोहरी में एनिकट निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

199 विधान सभा क्षेत्र बयाना में तहसील रूपवास में मैरथा यूपी बोर्डर डिठवार नदी को सपाट बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. मंजू बाघमार (जायल) :

200 विधान सभा क्षेत्र जायल के जायल में इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पानी शीघ्र पहुंचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा) :

201 विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में व्यर्थ बह रहे पानी के सदुपयोग हेतु लिफ्ट परियोजनाएं बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

202 विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में रबी व खरीफ की फसल के दौरान मूण्डला व डाबर ब्रांच में पानी का गेज बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

203 विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में बड़ौद के पास कालीसिंध पर बनी हुई पुलिया को ऊंचा करवाकर हाइटेक बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाडा-आबू) :

204 विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाडा-आबू में आबू पर्वत पर बांध बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

205 विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाडा-आबू में सेही बांध का पानी पिण्डवाडा (सिरोही) तेहसिंह में लाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) :

206 विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में धारियां बांध को सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरा लाल दरांगी (झाडोल) :

207 विधान सभा क्षेत्र झाडोल में सिंचाई समस्याओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती कामिनी जिन्दल (गंगानगर) :

208 श्रीगंगानगर की जीजी माइनर के मोघे 19 जीजी-II में निर्धारित मात्रा के अनुरूप सिंचाई का पानी नहीं आने के कारण मोघे को दुरुस्त करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री शत्रुघ्न गौतम (केकड़ी) :

209 विधान सभा क्षेत्र केकड़ी के विभिन्न गांवों में पंचायत राज के अधीन तालाबों को सिंचाई विभाग के अधीन कर उनकी मरम्मत एवं जीर्णोद्धार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

210 विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में नवीन एनिकटों के निर्माण व पुराने एनीकटों की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

211 केकड़ी में लसाडिया बांध से ग्राम कंणोज तक नहर बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नाना लाल अहारी (खैरवाड़ा) :

212 सागवाड़ा की पाल में सागवाड़ा बांध की नहरों का रख-रखाव व नहरों की लम्बाई बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

213 वर्ष 2007 व 2008 में बने घोड़ा बांध की नहरें अभी तक नहीं बनने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

214 विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में ऊपर घोडी बांध की क्षतिग्रस्त व टूटी नहरें व पुलिया की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

215 विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा के सोम कागदर बांध के गांव आबन काड, भगोर एवं खाणडी ओबरी गांवो में धोरा निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

216 विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में विभाग के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर) :

217 विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में सिंचाई की व्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

218 फतेहपुर क्षेत्र में सिंचाई हेतु इंदिरा गांधी नहर का पानी लाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

219 अनूपगढ़ क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

220 विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में सिंचाई के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

221 सीकर जिले में भू-जल पानी की कमी को देखते हुए बाहर से सिंचाई का नहरी पानी लाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री कैलाश वर्मा (बगरू) :

222 विधान सभा क्षेत्र बगरू में 63 एमएम से भी कम पाइपों की खरीद पर अनुदान की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

223 नेक्टा डैम से कृषकों को सिंचाई की स्वीकृति दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

224 कालख बांध को भरवाये जाने की योजना की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

225 विधान सभा क्षेत्र बगरू के लिए कुआं रिचार्ज की योजनाओं पर अनुदान देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

226 विधान सभा क्षेत्र बगरू के लिए सिंचाई यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) :

227 कंवरसेन लिफ्ट योजना (लूणकरणसर लिफ्ट) के अनुसार काश्तकारों को सिंचित क्षेत्र की सीमा तक नए क्षेत्रों के विचाराधीन प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

228 लूणकरणसर लिफ्ट (कंवरसेन लिफ्ट) की बारियों के समय पर न मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

229 राजस्थान में नदियों को जोड़ने की महत्वाकांक्षी योजनाओं की धीमी प्रगति से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

230 सिंचाई योजनाओं पर किए गए विनियोजन के मुकाबले में वास्तविक सिंचित क्षेत्र में कम वृद्धि होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

231 पंजाब सरकार से पूर्व में हुए सन् 1985 के समझौते अनुसार 0.6 एमएएफ राजस्थान के हिस्से का पानी लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा) :

232 विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में 21.पी.बी.एन.(बी) में रकबा जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

233 विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में सेम समस्या का समाधान करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

234 निखाल माइनर की टेल आर.डी. 10200 से आर.डी. 15975 तक बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।